लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 44 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 3, सोमवार, 27 फरवरी, 1984/8 फाल्गुन, 1905 (शक)

स्वीडन से आये संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

* तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 24 — 2—20

प्रश्नों के लिखित उत्तर :

तारांकित प्रश्न संख्या : 25 से 40 — 21—41

अतारांकित प्रश्न संख्या : 231 से 316, 318 से 360, 362 से 379 और 381 से 461 — 41—319

सभा-पटल पर रखे गये पत्र — 319—323

प्राक्कलन समिति

61 वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश — 323

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना — 323—345

मकबूल बट्ट को फांसी दिये जाने के बारे में तथाकथित "जम्मू और काश्मीर मुक्ति मोर्चे" की ओर से ब्रिटिश टेलीविजन पर भारत-विरोधी प्रचार के समाचार

श्री अब्दुल रशीद काबुली — 323

श्री पी० वी० नरसिंह राव — 323

श्री भोगेन्द्र झा — 329

प्रो० के० के० तिवारी — 326

किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री हरिकेश बहादुर	338
श्री पी० नामग्याल	340
उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक —पुरः स्थापित	345—346
उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1984 के बारे में विवरण	346
नियम 377 के अधीन मामले	346—351
(एक) जम्मू और कश्मीर राज्य में वन-बिजली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता	
श्री अब्दुल रशीद काबुली	346—347
(दो) उड़ीसा में दैतारी इस्पात परियोजना का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता	
श्री अर्जुन सेठी	347—348
(तीन) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का असंतोषजनक कार्यकरण	
श्री भीखा भाई	348—349
(चार) सैनिक अभ्यासों के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत हेतु राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता	
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	349
(पांच) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश की पूर्ववर्ती नीति को पुन: लागू करने की आवश्यकता	
श्री बी० डी० सिंह	349—350
(छः) बोकारो इस्पात परियोजना में इन्जिनियरों की पदोन्नति के अवसरों का अवरुद्ध होना	
श्री रास बिहारी बहेरा	350
(सात) गांधी सेतु, पटना, पर दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि	
श्री राम विलास पासवान	350—351

विषय	पृष्ठ
(आठ) उत्तरी बंगाल के पिछड़े जिले के लोगों की अपने 12-सूत्री मांग-पत्र के संबंध में पद यात्रा	
श्री आन्नद पाठक	351
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	351—438
श्री बी० आर० भगत	351—359
श्री जेवियर अराकल	359—364
श्री समर मुखर्जी	364—377
श्री अनादि चरण दास	411—415
श्री केयूर भूषण	415—420
श्री चन्द्रजीत यादव	420—429
श्री एस० बी० सिदनाल	429—434
श्री कमल नाथ झा	434—438
कार्य-मंत्रणा समिति	
55 वां प्रतिवेदन	438

लोक सभा

सोमवार, 27 फरवरी, 1984/8 फाल्गुन, 1905 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, पंजाब में जो लोग मरे हैं, उनका शोक-प्रस्ताव पास करोगे या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : 23 तारीख को किया है।

स्वीडन से आए संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से स्वीडन की संसद के अध्यक्ष महामहिम श्री इंगेमुंद बेंगसों और स्वीडन के संसदीय शिष्ट मण्डल के माननीय सदस्यों, जो हमारे सम्मानीय अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आये हैं, का स्वागत करने में मुझे अपार हर्ष हो रहा है। शिष्टमण्डल के अन्य माननीय सदस्य हैं :—

1. श्री कार्ल इरिकस्सन, संसद सदस्य, स्वीडन संसद के उपाध्यक्ष
2. श्री स्टिंग अलेमायर, संसद सदस्य
3. श्रीमती फरीदा ब्रेगलैन्ड, संसद सदस्य
4. श्री निल्स कार्लशमके, संसद सदस्य
5. श्री निल्स बेन्ड्टसन, संसद सदस्य
6. श्री ओल्फ जोहनस्सन, संसद सदस्य

शिष्ट मण्डल कल प्रातः यहां पहुँचा था। वे अब विशिष्ट कक्ष में बैठे हुए हैं। हम आशा करते हैं कि उनका भारत-प्रवास अत्यन्त सुखद और लाभदायक होगा। उनके द्वारा हम स्वीडन के महामहिम नरेश, संसद, सरकार और वहाँ के मित्र लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और अभिवादन भेजते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मेरिडिएन और भारत होटलों के मालिकों पर बकाया धनराशि

*21. +श्री दिगम्बर सिंह :

श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में निर्माणाधीन मेरिडिएन और भारत होटल के मालिकों पर कितना भूमि किराया और अन्य देय राशियां बकाया हैं;

(ख) इन होटल मालिकों को भुगतान करने के लिए समय-समय पर कितनी मोहलत दी जाती रही है और वह अवधि कब समाप्त हुई है;

(ग) क्या रायसीना रोड स्थित होटल ने पटरी पर भी कब्जा कर लिया है और यदि हां, तो उसने कितनी भूमि हथिया ली है;

(घ) क्या उनके मन्त्रालय का विचार इन होटलों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने को अनुमति देने का है और यह दोनों मामले कहां तक भूमि के आबंटन की शर्तों के अनुरूप हैं; और

(ङ) एशियाई खेल, 1982 के लिए बनाये जाने वाले इन होटलों का निर्माण निर्धारित समय से कितना पीछे हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) नयी दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि इसने मैसर्स सी० जे० इण्टरनेशनल होटल्स लिमिटेड को 28.9.82 तथा 23.9.83 को देय 268 लाख रुपये की वार्षिक लाइसेंस फीस के भुगतान के लिए 28.9.84 तक स्थगन काल स्वीकृत किया है। मैसर्स भारत होटल्स के बारे में नयी दिल्ली नगर पालिका ने 16.11.83 को देय 145 लाख रुपये की वार्षिक लाइसेंस फीस के लिए 16.11.84 तक स्थगन काल स्वीकृत किया है।

(ग) जी, नहीं। संगत आंचलिक विकास योजना के अनुसार तथा रायसीना रोड के चौराहे पर 1.5 एकड़ होटल स्थल में वर्तमान रायसीना रोड से 20 फुट भूमि की पट्टी शामिल है।

(घ) नयी दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि होटलियरों के साथ निष्पादित लाइसेंस विलेख के प्रावधानों के अनुसार मैसर्स भारत होटल्स लिमिटेड तथा मैसर्स सी० जे० इन्टरनेशनल होटल्स लिमिटेड से अपेक्षित स्तर के क्रमशः 500 तथा 350-400 कमरे निर्मित करने तथा शेष क्षेत्रफल को वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु उपयोग में लाने की अपेक्षा थी।

(ङ) नयी दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि होटलियरों के साथ किए गए करार के अनुसार उनमें से प्रत्येक 100-150 कमरे निर्मित करने तथा उन्हें एशियाई खेल, 1982 के आरम्भ होने से पूर्व चालू करने की अपेक्षा थी। मैसर्स सी० जे० इण्टरनेशनल तथा मैसर्स भारत होटल्स ने एशियाड खेलों से पूर्व क्रमश: 108 तथा 100 कमरे निर्मित तथा चालू किए। नयी दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि होटलियरों से 30 जून, 1985 तक होटलों को निर्मित कर देने तथा चालू कर देने की अपेक्षा है।

श्री के० लकप्पा : मैं नियम 41 के उप-नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। प्रश्नों की स्वीकार्यता के बारे में यह बिल्कुल स्पष्ट है। मैं नियम 41 के उप-नियम 2 को यहां उद्धृत करना चाहता हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : जहां तक मैं समझता हूं, प्रश्नकाल में कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उनकी समझ ज्यादा हो सकती है। **(व्यवधान)** वह प्रश्न की स्वीकार्यता को ही चुनौती दे रहे हैं। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं ? यह हमारा अधिकार है कि हम प्रश्न पूछें। **(व्यवधान)**

श्री के० लकप्पा : नियम 41 के उपनियम 2 में कहा गया है :—

"उसमें कोई ऐसा नाम या कथन नहीं होगा····"

श्री धर्मदास शास्त्री : इस सदन में यह सवाल बार-बार पूछा गया है। बार-बार एक ही होटल के बारे में पूछा जाता है। क्या सारे देश में एक ही होटल है जो बार-बार उसी होटल के बारे में इस सदन में सवाल उठाया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर, कृपया बैठ जाइये। आपको पता होना चाहिए कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मैंने यह प्रश्न देखा है, और मैं समझता हूं कि पहले भी हमने इस विषय पर पर्याप्त चर्चा की है। मैं नहीं समझता कि यह क्यों लिया गया है। लेकिन फिर भी अब यह लिया गया है तो हम इसे निपटायेंगे।

श्री दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि मैसर्स सी०जे० इन्टरनेशनल होटल्स और भारत होटल्स की माँग पर क्रमश: 2 करोड़ 68 लाख और 1 करोड़ 45 लाख रुपये का मोरेटोरियम दिया है और यह दो वर्ष के लिए दिया है। जब डाकखाने में रुपया जमा कराया जाता है तो उस राशि पर ब्याज मिलता है। अगर इस राशि पर ब्याज का हिसाब लगाया जाए तो इन राशियों पर क्रमश: 64 लाख 32 हजार और 17 लाख 40 हजार रुपए एक वर्ष के लिए ब्याज बैठता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन राशियों पर ब्याज लिया जाएगा या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मल्लिकार्जुन : मोरेटोरियम की मंजूरी इसलिए दी गई क्योंकि निर्माण में पहले ही काफी समय लग गया है और कई एक वित्तीय संस्थाओं ने उसे उधार राशि दी हुई है।

श्री राम विलास पासवान : कहां तक ? **(व्यवधान)**

श्री मल्लिकार्जुन : मैं इस बात का उत्तर नहीं दे सकता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। संगत मुद्दा यह है कि माननीय सदस्य यह जानना चाहता है कि क्या ब्याज की वसूली की जा रही है। इसलिए 28 सितम्बर, 1984 से मेरिडिएन होटल और 16 नवम्बर, 1984 से भारत होटल से इस मोरेटोरियम को हटाया जा रहा है। इसके बाद इस राशि को 10 किश्तों में प्रति छमाही ब्याज सहित व वार्षिक लाइसेंस शुल्क सहित वसूल किया जायेगा।

श्री दिगम्बर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सन् 1982 में जब एशियाई खेल होने थे तो उससे पहले मैंने एक प्रश्न रखा था जिसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि अगर ये होटल समय पर नहीं बन पाये तो उनके लिए जो रियायत दी गई हैं वह वापस ले ली जायेंगी और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अब मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जबकि ये होटल समय पर नहीं बन पाये हैं तो इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

(व्यवधान)

क्या इनको जो रुपया दिया गया है और जिन लोगों ने जमानत दी है उसमें** इससे संबंधित हैं और क्या इसलिए ये विशेष रियायतें दी गई हैं ?

श्री के० लकप्पा : वह आरोप लगा रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आरोप लगाने की अनुमति नहीं है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटासिंह) : जैसाकि आरोप लगाया गया है कि होटल एशियाड के पहले कंप्लीट नहीं हुए, यह बात नहीं है। टर्म जो स्टेपिलेट की गई थी उसके अनुसार जितने कमरे चाहिए थे उतने कमरे तैयार हो चुके हैं। **(व्यवधान)** जो बात माननीय सदस्य ने कही है उसको ध्यान में रखते हुए ही गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने फार वेरियस कंडीशंस, लायसेंस रिवोट कर दिया है और एन० डी० एम० सी० के रिकमण्डेशंस पर दोबारा लीज गवर्नमेंट ड्राफ्ट कर रही है। इन सभी तथ्यों पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है और इन्हें सभा में कई बार बताया जा चुका है।

श्री कमला मिश्र मधुकर : अध्यक्ष जी, अभी इस होटल के प्रश्न पर जो इतना शोर हुआ है उससे लगता है कि विशेष अनुग्रह प्राप्त लोगों को ये होटल दिए गए हैं। नहीं तो इतना हल्ला करने की जरूरत नहीं थी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इतने नियमों का उल्लंघन करके और ये होटलों का काम चल रहा है। आपने इस बयान में यह कहा है कि इसमें किसी

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

ने अप्रोच नहीं की है जो बात सही नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ऐसे अपराध कर्मों पर कोई मुकदमा चलाने जा रही है, जिन्होंने सारे नियम और कानून ताक पर रख कर किसी से अनुग्रह प्राप्त करके ऐसी कार्यवाही की है जो सरकारी नियमों के खिलाफ है।

श्री बूटा सिंह : यह सही नहीं है कि केवल दो पार्टियों को ही होटल की साइट्स दी है। एशियाड के पहले लगभग दस साइट्स इस कंडीशस पर दी गई थी कि ये एशियाड के गई लिए बन जाएं। लेकिन माननीय सदस्यों की अनुकम्पा इन दो ही पार्टियों पर विशेष क्यों बार-बार हो रही है। दूसरी पार्टियों पर क्यों नहीं हो रही है। दूसरा आपने कहा है कि इनके प्रति मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा रहा है। जैसा मेरे सहायक ने अभी कहा है कि जितनी कार्यवाही एन० डी० एम० सी० के बारे में की गई, एन० डी० एम० सी० की रिकमण्डेशंस के ऊपर एक नई लीज प्राप्त हो रही है जिसमें कि हमारे एन० डी० एम० सी० का सीधा सम्बन्ध है। एन० डी० एम० सी० ने इन पार्टियों को होटल देने हैं। इसमें जो भी तथ्य उठाए गए हैं उनको बिल्कुल देखा है और ध्यान रखा जा रहा है। नई लीज होगी। करार के मानदण्डों और निर्धारित शर्तों के अनुसार ही इन्हें सख्ती से लागू किया जा रहा है और वे इनके अनुरूप ही हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उन्होंने अपनी आंखों से पटरी को नहीं देखा है। कोई पटरी ही नहीं है।

श्रीमती प्रमीला दंडवते : कोई भी नहीं जानता कि जनता के लिए रायसीना मार्ग बन्द कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 22, 1 प्रो० सैफुद्दीन सोज।

प्राकृतिक आपदाओं के लिए जम्मू और काश्मीर को केन्द्रीय सहायता

*22. **प्रो० सैफुद्दीन सोज :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर सरकार ने 1 नवम्बर, 1983 को एक ज्ञापन दिया था जिसमें उसने वर्ष 1982 के दौरान हुई अत्यधिक वर्षा, ओला वृष्टि, विलम्ब से हुए हिमपात, सूखा आदि के परिणामस्वरूप पैदा हुई स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) अन्त:मंत्रालयी दल की एक बैठक में इस ज्ञापन पर विचार करने के बाद तथा

उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर राज्य की सीमांत धनराशि में से पूरा किए जाने हेतु 100.40 लाख रु० के व्यय की अधिकतम सीमा की मंजूरी दे दी गई है और इसकी सूचना राज्य सरकार को भेज दे दी गई है ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे प्रश्न का अपूर्ण उत्तर दिया जायेगा। मैंने प्रश्न किया था कि क्या जम्मू और काश्मीर सरकार ने 1 नवम्बर, 1983 को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें उसने 1982 के दौरान हुई अत्यधिक वर्षा, ओला वृष्टि, विलम्ब से हुए हिमपात, सूखा आदि के परिणामस्वरूप पैदा हुई स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की थी। और राव वीरेन्द्र सिंह जैसे सुयोग्य मंत्री से निम्न प्रकार के अपूर्ण उत्तर की मुझे बिल्कुल ही अपेक्षा नहीं थी। उन्होंने कहा है कि "अन्तः-मंत्रालयी दल की एक बैठक में इस ज्ञापन पर विचार करने के बाद तथा उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों पर राज्य की सीमांत धन राशि में से पूरा किए जाने हेतु 100.40 लाख रूपए के व्यय की अधिकतम सीमा की मंजूरी दे दी गई और इसकी सूचना राज्य सरकार को भेज दी गयी है।"

कम से कम माननीय मंत्री महोदय को यह तो बताना चाहिए था कि यह अन्तः-मंत्रालयी दल की बैठक और उच्च-स्तरीय समिति की बैठक कब-कब हुई थी। मैं समझता हूं कि मंत्रालय की नीति में कुछ परिवर्तन हुआ है। इससे पूर्व एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था कि राज्य सरकार ने 1 नवम्बर, 1983 को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें अत्यधिक वर्षा, ओला वृष्टि, विलम्ब से हुए हिमपात, सूखा आदि के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की गई थी, लेकिन मेरी सूचना के अनुसार जम्मू और काश्मीर सरकार ने जून, 1982 में यह प्रस्ताव भेजा था। ठीक है, मैं यह स्वीकार करता हूं कि मंत्रालय को यह 1 नवम्बर, 1983 को प्राप्त हुआ। मैं इस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने कहा था कि इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। अब मंत्री महोदय ने यह कहा है कि जम्मू और काश्मीर सरकार से कहा गया है कि वह इस खर्च को सीमांत धनराशि में से पूरा करे। इसका आशय यह हुआ कि दो वर्ष गुजर जाने के बाद जम्मू और काश्मीर सरकार से कहा गया है कि वे इस शीर्ष के अन्तर्गत राशि की बचत करके इस खर्च को पूरा करे। यह निति में परिवर्तन है।

मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रालय ने नीति में यह परिवर्तन क्यों किया। और किस तारीख को अन्तःमंत्रालयी दल की बैठक हुई ? और जम्मू और काश्मीर सरकार को कब इसकी सूचना दी गई ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य ने जम्मू और काश्मीर राज्य के एक अत्यन्त कमजोर मामले की वकालत करने की कोशिश की है। उन्होंने, जैसा कि नियमों के अधीन अपेक्षित था, उस प्रकार ज्ञापन नहीं दिया। हमने अक्सर जम्मू और काश्मीर सरकार को

अनुरोध किया था कि वे ज्ञापन पेश करें, ताकि उन्हें इस पर कार्यवाही के पश्चात, अगर आवश्यक हो तो उचित सहायता दी जाये। अगर मैं क्रमवार तारीखों का ब्यौरा दूं, तो सभा को पता चलेगा कि राज्य सरकार ज्ञापन प्रस्तुत करने में कैसे असफल रही, और कैसे भारत सरकार ने उन्हें इसके लिए बार-बार आग्रह किया। 5 मार्च, 1983 को राज्य सरकार ने एक ज्ञापन पेश किया, जिसमें प्रति परिवार 150 रु० के हिसाब से नकद सहायता देने के लिये, जिनकी 50% से अधिक फसल नष्ट हो गई थी 205.57 लाख रु० की मांग की गई थी। 6 अप्रैल, 1983 को हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वह ज्ञापन पेश करें, क्योंकि उन्होंने मात्र पत्र ही भेजा था। पुनः 11 मई, 1983 को हमने सचिव और अन्य अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे यहां आ जायें ताकि हम उन्हें बता सकें कि यह ज्ञापन किस प्रकार तैयार किया जाना है, क्योंकि पहले उन्होंने मात्र एक पत्र ही भेजा था, जिसमें किसी भी आवश्यता की पूर्ति नहीं होती थी। इसलिए हम चाहते थे कि राज्य सरकार के अधिकारी यहाँ आयें, ताकि हम उन्हें बता सकें कि यह ज्ञापन किस प्रकार तैयार किया जाना है। राज्य सरकार के अधिकारी खासकर, वित्त आयुक्त, राजस्व सचिव और वित्त सचिव यहां आये और हमने उन्हें बताया कि वे यह ज्ञापन किस प्रकार तैयार करें और भारत सरकार को प्रस्तुत करें। राज्य सरकार के पास 130 लाख रूपये सीमांत राशि के थे। हम इस बारे में जानकारी चाहते थे। 5 जुलाई को राज्य सरकार ने हमें बताया कि ज्ञापन तैयार किया जा रहा है और सीमांत राशि को कैसे खर्च किया गया है, इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। यह 5 जुलाई, 1983 का उत्तर है। 26 अगस्त, 1983 को मैंने जम्मू और काश्मीर के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिख कर उनसे अनुरोध किया कि वे यह सब सूचनाएं हमें भेजें, ताकि अगर आवश्यक हो तो हम उन्हें सहायता प्रदान करें। मेरे मुख्य मंत्री को पत्र लिखने के बावजूद, उन्होंने विवरण नहीं भेजा। इसलिए 5 अक्तूबर, 1983 को हमने पुनः राज्य सरकार को एक अनुस्मारक भेजा, जिसमें अनुरोध किया गया था कि वे अपना ज्ञापन भेजें और आखिरकार 1 नवम्बर, 1983 को उन्होंने ज्ञापन भेजा और उस ज्ञापन में उन्होंने 1982 की रबी और खरीफ की फसलों के लिए 13.57 करोड़ रु० की मांग की थी। रबी फसल को काटने के एक वर्ष बाद और खरीफ फसल को काटने के छः माह बाद यह सब किया गया था। एक वर्ष बाद राज्य सरकार ने ज्ञापन भेजा था और माननीय सदस्य कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य की अनदेखी की है? कौन गलत है और कौन सही है? किसकी गलती है? जिस राज्य सरकार ने ज्ञापन भेजने की कोई परवाह नहीं की, वही यह दावा कर रही है कि केंन्द्रीय सरकार ने सहायता नहीं दी है। ऐसे कमजोर मामले की माननीय सदस्य द्वारा वकालत करना, कहां तक सही है? सारे लोग और खासकर यह सभा मेरे द्वारा दी गई क्रमानुसार तारीखों से यह जान जायेगी कि हम किस प्रकार········(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब संक्षेप में बतायें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : नहीं, श्रीमन्; उन्होंने कुछ आरोप लगायें हैं कि केन्द्रीय सरकार उन्हें सहायता नहीं दे रही है········(**व्यवधान**) आप बाद में अन्य पूरक प्रश्न पूछ

सकते हैं। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए क्योंकि आपने आरोप लगाया है कि हमने राज्य सरकार को सहायता नहीं दी है........(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने आरोप तो अभी लगाना है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सांतवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, सभी राज्य सरकारों के लिए सीमांत धनराशि निर्धारित की गई है और जम्मू और काश्मीर राज्य को इसके अन्तर्गत 130 लाख रु० दिये गये हैं। पहले उन्हें इस राशि का इस्तेमाल करना है और फिर अगर आवश्यक हो तो भारत सरकार उन्हें सहायता देगी। इस मामले में, ज्ञापन पर विचार करने के बाद और अन्त:मंत्रालयी दल की बैठक और उच्च-स्तरीय समिति की जांच करने के बाद, इनकी सिफारिशें वित्त मंत्रालय को भेजने के बाद, 100.40 लाख रु० की धन राशि मंजूर की गई जो कि सीमांत धनराशि के अन्दर है और इसके अलावा और कुछ भी सहायता नहीं दी जानी है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : श्रीमन्, उन्होंने कहा है कि वह आरोप लगाने जा रहे हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने अभी आरोप लगाना है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : उन्हें प्रश्न पूछना चाहिए। वह यह क्यों कह रहे हैं कि वह आरोप लगाने जा रहे हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : श्रीमन्, मेरे प्रश्न के मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर ने मुझे विपदा के समय राज्य को सहायता देने की केन्द्र की स्थिति के बारे में मुद्दा उठाने के लिए प्रेरित किया है। मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं क्योंकि राज्य सरकार और उनके बीच इस बारे में लम्बा पत्राचार हुआ है। मैं जम्मू और काश्मीर सरकार का कोई प्रत्यक्ष प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं सभा के सदस्य के रूप में सारे देश के लिए बोल रहा हूं। अब, जब किसी राज्य में कोई विपदा आती है तो क्या होता है ? उस राज्य के अधिकारी सर्वेक्षण करने और आँकड़े इकट्ठे करने के लम्बे नाटक में शामिल हो जाते हैं और इसमें महीनों व्यतीत हो जाते हैं। तब तक संघ सरकार एक दर्शक बनी रहती है। उसके बाद अन्त में जब प्रस्ताव आता है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप प्रश्न पूछिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं प्रश्न भी पूछूंगा किन्तु आपके और माननीय सदस्यों के ध्यान में यह सब बातें लाना भी आवश्यक है। तत्पश्चात केन्द्र सरकार अधिकारियों की एक समिति बनाती है और वे पूरा नाटक करते हैं। वे राज्य का भी दौरा करते हैं और इसमें बहुत-सा समय बेकार चला जाता है। इस मामले में भी उन्होंने यही किया था। यदि राज्य सरकार

केन्द्र सरकार के सामने पीड़ितों का ठीक से चित्रण करने में असफल रहती है तो वे इसके लिए क्यों कष्ट उठाएं ? अब, इस मामले में, मैं सभा को सूचित कर रहा हूं....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मन्त्री से विशिष्ट प्रश्न पूछिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि आपके साथ तो राज्य सरकार का लम्बा पत्राचार हुआ है फिर भी आपने प्रभावित लोगों के लिए कुछ नहीं किया। यह आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि केन्द्रीय सहायता भेजने के लिए अन्तत: आप ही जिम्मेदार हैं....**(व्यवधान)** मेरी बात सुनिए प्रो० रंगा, उसी अवधि में····

प्रो० एन० जी० रंगा : आप अपना प्रश्न पूछिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हिमाचल प्रदेश और जम्मु-कश्मीर एक ही क्षेत्र में आते हैं। जहां हिमाचल प्रदेश को 6 करोड़ रुपए दिए गए हैं वहां जम्मू-कश्मीर के मामले में बहुत देर के बाद अन्त में यह कहा गया कि वह सीमांत धन का उपयोग कर सकता है। यह भेदभाव क्यों ? **(व्यवधान)** हिमाचल प्रदेश को 6 करोड़ रु० क्यों दिए गए हैं और जम्मू-कश्मीर को कुछ आबंटन नहीं किया गया है ? नीति में परिवर्तन होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश को 6 करोड़ रु० दिए गए हैं····**(व्यवधान)**

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : आप चाहते हैं कि मैं इसका उत्तर दूं ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने सोचा कि आपने इसे अस्वीकार कर दिया है। माननीय सदस्य स्वयं यह स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी मुख्य शिकायत राज्य की नौकरशाही के विरुद्ध है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : निश्चित रूप से नहीं।

राव बीरेन्द्र सिंह : मेरे साथी, श्री मकवाना इस बारे में पूरी जानकारी दे चुके हैं कि इस मामले में राज्य सरकार से प्रथम सूचना की प्राप्ति के बाद केन्द्र सरकार ने क्या किया था। वहां दल भेजने से पहले हमें जानना होगा कि राहत कार्य के लिए राज्य सरकार किस तरह कि वास्तविक योजनायें चाहती है। पहली बार, राज्य सरकार फसल की क्षति के लिए नकद सहायता देना चाहती थी। मैं इस सभा में यह बात अनेक बार कह चुका हूं कि केन्द्र सरकार की नीति फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति देने की नहीं है। यह भार हम वहन नहीं कर सकते। यह बात कई बार उनको याद दिलाई गई कि वह सीमांत धन, जो उस राज्य को प्रतिवर्ष 1.3 करोड़ रू० की दर से पिछले दो वर्षों में दिया गया, के उपयोग करने के बारे में जानकारी दें। इस बारे में उन्होंने कोई सूचना नहीं भेजी थी। प्राकृतिक विपदा के मामले में यदि राज्य तत्काल राहत उपाय करना चाहता है तो राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की स्वीकृति लेना अपेक्षित नहीं है।

इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार की जो भी आवश्यकताएं हों, केन्द्र सरकार महसूस करती है कि राज्य सरकार उनको सीमांत धन के साथ पूरा कर सकता है। इसीलिए, राज्य में एक केन्द्रीय दल भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता था। समिति की बैठक यहां हुई थी और अधिकारियों से सलाह-मशविरे के बाद यह तय किया गया कि राहत कार्यों के लिए 1.04 करोड़ रूपया पर्याप्त था और यह धन राज्य सरकार को प्राप्त था।

श्री बीजू पटनायक : कहां से ?

राव वीरेन्द्र सिंह : सीमांत धन से, जिसका अब तक उपयोग नहीं किया गया था और जो राज्य सरकार के पास उपलब्ध था और जिसके लिए कोई हिसाब नहीं था। इसीलिए, केन्द्र सरकार का जम्मू-कश्मीर के प्रति भेदभाव बरतने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हम जम्मू-काश्मीर सरकार के लिए पिछले वर्षों में हर अवसर पर सहायक रहे हैं। जब रोग के कारण वहां सेब की फसल खराब हो गई तो हमने उन्हें राहत प्रदान की। खाद्यान्न के मामले में, जितना खाद्यान्न वह चाहते थे उतना खाद्य मन्त्रालय ने उन्हें आवंटित किया था। जम्मू तथा काश्मीर सरकार हमेशा केन्द्र सरकार का विशेष ध्यान प्राप्त करती रही है। किन्तु जम्मू तथा कश्मीर पर हमारे द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने के बावजूद भी, मैं यह खेदपूर्वक कहता हूं कि माननीय सदस्य फिर भी केन्द्र की गलती ढूंढ़ रहे हैं....**(व्यवधान)** मुझे खुशी है कि आपने यह कहा है कि हम पहले उदार थे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप मेरे मुंह से अपनी बात कहलवाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने हिमाचल प्रदेश को दिए गए 6 करोड़ रु० का उल्लेख किया था....**(व्यवधान)**

श्री पी० नामग्याल : अध्यक्ष जी, यही सवाल 1982 से शुरू से मैं पूछ रहा हूं कि उस साल में लद्दाख रीजन में हैवी स्नो फाल की वजह से 85,000 शीप, गोट और दूसरे कैटिल मर गये थे और जवाब मिला था कि 130 लाख रु० स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पर है। अब पता लगा कि वहां से अकाउण्ट अभी तक नहीं आ रहा है....और मुझे यकीन है कि वहां से आपको कभी एकाउन्ट नहीं आयेगा। इस हालात में मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर से यह जानना चाहता हूं कि 1981-82 में जो वहां के लोगों को नुकसान हुआ है, वह बहुत ज़्यादा रकम नहीं है, तकरीबन 23 लाख के करीब है, वह पैसा बीच में ही खा गये हैं, तो उन लोगों को बचाने के लिए सैंट्रल गवर्नमेंट किसी एजेंसी के थ्रू कोई स्टैप्स उठाने का प्रयत्न करेगी ? नहीं, तो क्या करना चाहती है और इन लोगों का बचाव कैसे करेंगे ?

राव वीरेन्द्र सिंह : भाग्यवश या दुर्भाग्यवश, किसी राज्य में राहत कार्यों में केन्द्र सरकार प्रत्यक्ष रूप से स्वयं सम्बद्ध नहीं हो सकती। यदि लद्दाख की देखभाल करनी थी तो प्रमुख रूप से यह कर्त्तव्य जम्मू तथा कश्मीर राज्य सरकार का था। और लद्दाख की विशेष सहायता करने के लिए हमें कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ था। किन्तु, जैसा कि मैं कह चुका हूं, हमने

पाया कि 1.35 करोड़ रु० जम्मू तथा कश्मीर सरकार के पास अब भी उपलब्ध थे और उनसे वह लद्दाख में विपदा से पीड़ित लोगों की देखभाल कर सकता था।

श्री नामग्याल : उन्होंने पैसा इलेक्शन में इस्तेमाल कर दिया है तो अब कहां से हिसाब मिलेगा ?

खाद्य भण्डार और आयात

***23. श्री हरिकेश बहादुर :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1984 के मध्य तक खाद्यान्नों का भन्डार 210 लाख टन हो जाएगा जो अब तक का सबसे अधिक भण्डार होगा तथा इसके फलस्वरूप भण्डारण से होने वाला नुकसान भी सर्वाधिक होने की सम्भावना है; जैसा कि 1-2-84 के "इकानामिक्स टाइम्स" में बताया गया है;

(ख) देश में सर्वाधिक उत्पादन होने के बावजूद खाद्यान्नों का आयात करना कहां की बुद्धिमानी है और इसमें देश का कितना हित है; और

(ग) क्या इतना अधिक आयात करना किसी अन्तर्राष्ट्रीय ऋण अथवा सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) 1984 के मध्य तक सरकारी एजेन्सियों के पास खाद्यान्नों के स्टाक की जितनी मात्रा उपलब्ध होगी, वह वर्तमान खरीफ फसल से वसूली की मात्रा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन निकासी और वर्तमान ठेकों के अधीन वास्तव में किये गए आयात की मात्रा जैसे विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करेगी। क्योंकि इनमें से अधिकांश के बारे में स्थिति अनिश्चित है, इसलिए कितनी मात्रा में स्टाक तैयार होने की सम्भावना हो सकती है, इस सम्बन्ध में इस समय कोई भविष्यवाणी करना सम्भव नहीं है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम में भण्डारण तथा हैंडलिंग विषयक हानियों को कम करने के लिए सभी पग उठाए जा रहे हैं।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकता को सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध स्टाक से पूरा किया किया जाता है। इस स्टाक को देशीय उत्पादन से वसूली कर तथा विदेशों से यथावश्यक आयात कर बनाया जाता है। देश में 1982-83 में सूखे की स्थिति के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर भारी दबाव पड़ने की दृष्टि से बफर स्टाक में वृद्धि करने के लिए खाद्यानों का आयात करना आवश्यक समझा गया था।

(ग) जी, नहीं।

श्री हरीकेश बहादुर : श्रीमन्, मैं जानना चाहूंगा कि नुकसान के कारणों का अध्ययन करने और नुकसान को कम करने हेतु उपाय सुझाने के लिए क्या सरकार ने कोई समिति बनाई है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि समिति ने यह बताया है कि वर्ष 1981-82 में 6,60,000 टन खाद्यान्न जिसका मूल्य 118 करोड़ रु० है, का नुकसान हुआ था और पिछले वर्ष में 6,58.000 टन खाद्यान्न, जिसका मूल्य 104 करोड़ रु० था, का नुकसान हुआ था ? और श्रीमन्, जैसा कि माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है : "तथापि, भारतीय खाद्य निगम में भण्डारण तथा हैंडलिंग विषयक हानियों को कम करने के लिए सभी पग उठाए जा रहे हैं।" मैं जानना चाहता हूं कि नुकसान को कम करने के लिए क्या पग उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : नुकसान को कम करने के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं : पहला, खरीद केन्द्रों पर किस्म नियन्त्रण का कड़ा ध्यान रखना। श्रीमन्, खरीद केन्द्रों पर किस्म के बारे में और वजन के बारे में भी हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए खरीद केन्द्रों पर किस्म नियंत्रण पर सख्त ध्यान दिए जाने के लिए हमने कड़ी कार्यवाही है। माल लादने और उतारने के केन्द्रों पर भी हम प्रभावी निरीक्षण कर रहे हैं। लदान और उतारने के केन्द्रों पर भी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसीलिए हम इस बारे में कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं ताकि नुकसान को कम किया जा सके। खाद्यान की ढुलाई और अन्तरण बोरियों को गिनने और उनका वजन करने पर जोर दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों की मंडियों में, जहां से हम खाद्यान्न खरीदते हैं, वे बहुतायत में आते हैं और इसीलिए कई बार माल तोलने का सख्ती से पालन नहीं किया जाता। वे यह कहते हैं,"एक बोरी में एक क्विंटल है। बोरियां गिन लो और रखते जाओ," हमें अनुभव से यह मालूम हुआ है कि कई बार बोरी में पूरा एक क्विंटल नहीं निकलता। इसीलिए, अब हम खरीद केन्द्र पंर हर बोरी का वजन करने पर जोर दे रहे हैं।

खाद्यान्न लादने और उतारने के केन्द्रों पर भी हम सुरक्षा प्रबन्ध को कड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जो स्वाभाविक है। इस बड़े देश में कई स्थलों पर खाद्यान्न की ढुलाई का काम करना पड़ता है और इस ढुलाई में हमें अनेक अठिनाइयां होती है जिनके कारण नुकसान भी होते हैं। सुरक्षा प्रबन्ध को कड़ा करके हम इन कठिनाइयों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम वैज्ञानिक भंडारण क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं, खुले में भण्डारण कम किया जा रहा है अर्थात इसकी जांच दस्तों और भ्रमणकारी दलों द्वारा अचानक की जाती है। भण्डारण के दौरान भी हर किस्म का रख-रखाव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस अवधि में खाद्यान्न रखा-रखा सूख जाता है और हानि होती है।

अतः हम वह भी करने की कोशिश कर रहे हैं और इस हानि को रोकने के लिए उसे बोरों में रख रहे हैं। रेल के खुले वैगनों में खाद्यान्न को लाने-ले जाने को हम रोक रहे हैं।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पहले 14% खाद्यान्न खुले वैगनों में ले जाया जा रहा था किन्तु अब हमने इसे कम किया है और अब 6 प्रतिशत ही खुले वैगनों में ले जाया जाता है और हम रेल मन्त्री से यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि खाद्यान्न के लिए खुले वैगनों का प्रयोग इससे भी कम होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि जिन उपायों का मैंने संक्षिप्त वर्णन किया है उनसे आने वाले वर्ष में भंडारण और परिवहन में होने वाले नुकसान को कम करना सम्भव होगा।

समिति के बारे में, हम समय-समय पर पता लगाते रहते हैं, हमारे पास कुछ आन्तरिक समितियां भी हैं, कभी हम दस्तों को भेज देते हैं और वे हमें उपाय बताते हैं, जिन्हें हम लागू करने की कोशिश करते हैं।

दो आंकड़ों को, उन्होंने उद्धृत किया है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। उसके लिए मैं चाहता हूं कि अलग से सूचना दी जाए।

श्री हरिकेश बहादुर : श्रीमन्, मैंने वह आँकड़े बहुत महत्वपूर्ण समाचारपत्र, 'दैनिक जागरण', उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला हिन्दी दैनिक से दिए हैं। उस समाचार पत्र में इसका बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है कि वर्ष 1981-82 में 118 करोड़ रु० के मूल्य के 6,60,000 टन खाद्यान्न का नुकसान हुआ। यह बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और यह नुकसान भण्डारण ढुलाई आदि की कमियों के कारण हुआ और यह प्रतिवर्ष लगभग 15-20 प्रतिशत होता है। यह स्थिति है। इकी प्रकार वर्ष 1980-81 में 104 करोड़ रु० अर्थात् 6,58,000 टन खाद्यान्न का नुकसान हुआ। मेरा प्रश्न खास तौर पर इसी जानकारी पर आधारित है। यदि नुकसानों को कम किया जाता है तो मेरे विचार से खाद्यान्न का बिल्कुल आयात करने, जो किया जा रहा है, की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी किन्तु सरकार इन नुकसानों को रोकने में पूरी तरह से असमर्थ है। इसीलिए, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं : यदि वे देश में ही खाद्यान्न के उत्पादन के लिए भण्डारण की पर्याप्त सुविधाएं में नहीं जुटा सकते हैं तो वे खाद्यान्न का आयात क्यों कर रहे हैं? मेरे विचार से माननीय मन्त्री इस प्रश्न का उत्तर देंगे। यदि आप देश में पैदा होने वाले खाद्यान्न के लिए ही भण्डारण की सुविधाओं का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं तो विदेशों से खाद्यान्न का आयात करने का क्या लाभ है?

श्री भागवत झा आजाद : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने कुछ आँकड़े दिए हैं। मैं कहूंगा कि 1980-81 में हमें कुल नुकसान 6·43 लाख रुपये का था अर्थात् कुल खरीद और बिक्री का 2·76 प्रतिशत जो 1981-82 में कम होकर 2·28 प्रतिशत रह गया। 1982-83 में यह थोड़ा सा बढ़कर 2·37 प्रतिशत हो गया। हमारा विचार पारगमन और भण्डारण में होने वाले इस नुकसान को कम करने की हमने ठान ली है।

श्रीमन्, यह पाया गया कि जब हम अनाज खरीदते हैं तो एक निश्चित अवधि के बाद वह सूख जाता है। अतः कुछ अपरिहार्य हानियां हैं जिनसे हम बच नहीं सकते। निश्चित रूप से

हम छुटपुट चोरियों और बड़ी चोरियों को रोक सकते हैं। इसी बात पर हम अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। इस देश में जहां हम खाद्यान्न की बोरियों को एक छोर से दूसरे छोर तक लाते-ले जाते हैं, वहाँ बहुत से स्थल हैं, जिन पर माल लादने और उतारने का कार्य होता है और वहां कुछ मामलों में बोरियों में से खाद्यान्न निकालना स्वाभाविक बात है। उससे हम बच नहीं सकते। अत: जिससे हम बच नहीं सकते हैं, हम वैसा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने उन उपायों का उल्लेख किया है जो हम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष हमारे लिए घाटे को कम करना सम्भव होगा।

जहां तक इसे आयात के साथ जोड़ने का सम्बन्ध है, जो अंतर्निहित है, उससे बचा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त, हमें अभी भी आयात करने की आवश्यकता है। जैसाकि मैंने पहले दिए गए मुख्य उत्तर में कहा कि वर्ष 1982-83 हमारे लिए बहुत मुश्किल भरा वर्ष था। देश में सूखा पड़ा जिसका प्रभाव 31 करोड़ लोगों तथा 4 करोड़ 80 लाख हैक्टयर भूमि पर पड़ा। अत: रक्षित भंडारों को भरने के लिए हमें आयात करना पड़ा और इसी कारण हमने इसका आयात किया।

श्री ई० बालानंदन : माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा कि इस वर्ष केवल घाटे की ही नहीं अपितु भंडारण की समस्या भी होगी। इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। केरल सरकार हमेशा ही केन्द्र सरकार से प्रति माह 2 लाख 10 हजार टन चावल भेजने का अनुरोध करती रही है, जो केन्द्र सरकार नहीं दे सकी। अब विशेष परिस्थिति में चूंकि हमारे पास पर्याप्त भंडार है और अच्छी खरीद हुई है—क्या सरकार केरल को प्रति माह 2 लाख 10 हजार टन चावल सप्लाई करने पर पुन: विचार करेगी ? क्या केन्द्र सरकार यह भी देखेगी कि केरल खाद्य निगम के पास 4 लाख टन का रक्षित भंडार है ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के लिए प्रति माह 2 लाख 10 हजार टन चावल की सप्लाई करना संभव नहीं है। हम केरल सरकार को अधिकतम प्रति माह 1 लाख 10 हजार टन चावल सप्लाई कर रहे हैं। हमने अगस्त 83 से नवम्बर, 83 तक उन्हें प्रति माह 10,000 टन चावल अतिरिक्त आवंटन भी किया है। यहां तक कि भरे पूरे मौसम में भी इसमें कटौती नहीं की। हम इससे अधिक सप्लाई नहीं कर सकते। हमें केवल केरल की ही नहीं बल्कि पूरे देश में सप्लाई करनी है। मैं माननीय सदस्य को सलाह दूंगा कि वह राज्य सरकार को यह सलाह दें कि वे उतना खायें, जितना हम उत्पादन करते हैं। हम अधिक गेहूं उत्पादन करते हैं। अत: हमें गेहूं अधिक खाना चाहिए। वह बहुत आवश्यक है। मैं गंभीरतापूर्वक कह रहा हूं कि वे राज्य भी चावल की मांग कर रहे हैं, जो अभी तक अधिक चावल नहीं खाते थे। अत: चावल की मांग बढ़ गई है। हम वही दे सकते हैं जिसका हम देश में उत्पादन करते हैं। हम गेहूं अधिक मात्रा में दे सकते हैं। हम देश की आवश्यकता अनुसार चावल आयात करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन विदेशों से भी चावल उपलब्ध नहीं होता है। हम जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, उसके लिए हम विभिन्न राज्य सरकारों की मांग को पूरा

करने के लिये थाईलैंड और बर्मा से चावल आयात कर रहे हैं। लेकिन मांग बहुत अधिक है और इसे पूरा करना हमारे लिए संभव नहीं है।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : इस वर्ष हुई भारी फसल को देखते हुए, क्या रक्षित भंडार की स्थिति में कुछ सुधार होने जा रहा है ? उन्होंने 2 करोड़ 50 लाख टन कहा है। क्या वह ठीक है ? भारी फसल को देखते हुए, क्या और आयात किया जा रहा है ? केन्द्र सरकार के निदेशों के बावजूद, किसानों को उगाई गई भारी फसल के उचित मूल्य नहीं मिल रहे हैं। क्या केन्द्र सरकार किसानों जो प्रोत्साहन उन्हें देना चाहती है, वह उन्हें नहीं मिल रहा है ? क्या सरकार को इसकी जानकारी है ?

मेरे ये तीन पूरक प्रश्न हैं।

श्री भागवत झा आजाद : मैं इन तीन पूरक प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकता हूं ? यदि यह एक ही प्रश्न के तीन भाग क, ख, ग हों, तब मैं उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वह भी एक सभापति हैं। उन्हें भी नियमों की अच्छी जानकारी है।

श्री भागवत झा आजाद : जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, यह कई बार कहा जा चुका है कि हम कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश से ही चलते हैं। सरकार ने इस वर्ष जो मूल्य निर्धारित किए हैं, वह उन्हें दिए जा रहे हैं। उन्हें उत्पादन लागत का हमेशा ही उचित मुनाफा दिया गया है। कृषि मूल्य आयोग ने उन्हें उत्पादन की लागत तथा लाभ दिए हैं। जो भी हो, हमने कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश के अनुसार उन्हें मूल्य दिए हैं।

रक्षित भंडार के बारे में मैं 'हां' कहूंगा। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष रक्षित भंडार की स्थिति में सुधार होगा क्योंकि हमारी अच्छी फसल हुई है।

गेहूं का आयात करने के संबंध में मैं यही कहूंगा कि हम इसका आयात करना नहीं चाहते। जैसा कि यह सर्वविदित है कि जून, 1976 से हमने पूर्णत: इसका आयात बन्द कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश 1981-82 और 1982-83 में सूखा पड़ने के कारण हमें आयात करना पड़ा। आयात देश में हुए उत्पादन पर निर्भर करता है। यह देश की मांग और वितरण प्रणाली पर निर्भर करता है। यह अन्य कई कारणों पर निर्भर है। अत: इस समय मेरे लिए यह कहना संभव नहीं है कि सरकार भविष्य में क्या कार्यवाही करेगी।

प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछना है। मेरे माननीय मित्र, खाद्य मंत्री का कहना है कि वे कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के अनुसार चलेंगे। सरकार की नीति कभी भी कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को ज्यों की त्यों मानने की नहीं रही है। वास्तव में, सरकार को यह विशेषाधिकार है कि वह राज्य सरकारों की सिफारिशों पर विचार करे तथा तब निर्णय ले।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर महोदय, हमारे पास एक संकल्प है और उस पर पूरी चर्चा होने जा रही है ।

गन्ने की बकाया धनराशि

*24 +**श्री सतीश अग्रवाल :**

श्री रामविलास पासवान : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिल मालिक गन्ना उत्पादकों को देय 500 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं :

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों की बकाया धनराशि का निपटान न किये जाने के लिए इन मिलों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) गन्ने के मूल्य की कुल बकाया राशि 15-1-84 को केवल 100.51 करोड़ रुपये थी जिसमें 42.37 करोड़ की राशि 1982-83 मौसम की थी और 7.36 करोड़ रुपये की राशि अतीत के मौसमों से सम्बन्धित थी ।

(ख) बकाया राशि, गन्ने के ऊंचे मूल्य होने, पिछले दो मौसमों के दौरान चीनी और गन्ने का रिकार्ड उत्पादन होने तथा फैक्ट्रियों के पास बिना बिकी चीनी का असाधारण रूप से भारी स्टाक पड़ा होने के कारण थी ।

(ग) और (घ) गन्ने के मूल्य के बकायों का भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सीधी राज्य सरकारों की होती है जिनके पास ऐसे भुगतान करवाने के लिए आवश्यक फील्ड संगठन और शक्तियाँ हैं । केन्द्रीय सरकार स्थिति पर निगरानी रखती है और गन्ने के मूल्य के बकायों का शीघ्र भुगतान करवाने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर परामर्श देती है । केन्द्रीय सरकार अपनी ओर से ऐसे पग उठाती है, जो कि उसने पिछले मौसम के दौरान भी उठाए थे, जिनका उद्देश्य उद्योग की सामान्य तरलता में सुधार करना है ताकि वह गन्ने का मूल्य समय पर अदा कर सके । इन पगों में उदार बैंक ऋण सुविधाएं सुलभ करना, बफर स्टाक रखना, मुक्त बिक्री की चीनी की मासिक निर्मुक्तियाँ सूझ-बूझ के साथ करना तथा उत्पादन शुल्क में रिबेट देना शामिल हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, गन्ना उत्पादकों की बकाया धनराशि का प्रश्न समय-समय पर इस सभा में उठाया जाता रहा है और सरकार भी सदन में यह आश्वासन देती रही है कि वे कुछ प्रभावी कदम उठाएंगे तथा राज्य सरकार को परामर्श देंगे कि वे गन्ना उत्पादकों को समय-समय पर भुगतान करने का आश्वासन दें। अब इस विशेष मामले में, उत्तर के भाग (ख) में माननीय मन्त्री महोदय ने बकाया राशि होने के कारण बताए हैं। उसका एक कारण है :

"फैक्ट्रियों के पास बिना बिक्री चीनी का असाधारण रूप से भारी स्टाक पड़ा होना।"

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 1982-83 के अन्त तक फैक्ट्रियों के पास बिना बिकी चीनी का मूल्य क्या था जबकि उनका कहना है कि 1982-83 के अन्त में बकाया राशि 42.37 करोड़ रुपये थी।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : महोदय, इस मौसम में हमारे पास पिछले वर्ष की 46 लाख टन चीनी है ओर इसलिए यह समझना चाहिए कि जो भुगतान किया जाता है वह चीनी की बिक्री से किया जाता है। चूंकि पिछले वर्ष असामान्य रूप से रिकार्ड उत्पादन वर्ष था, चीनी की बिक्री को 15 से 16 महीने तक बढ़ा दिया गया था। यहां तक कि इस वर्ष भी, हम अभी तक पिछले वर्ष की चीनी रिलीज कर रहे हैं। अत: जैसे अब जब यह चीनी बेची जाती है, उसका भुगतान कर दिया जाता है। यह देखा जा सकता है कि बकाया राशि में 2 अंक से कुछ अधिक कमी आयी है। अतः सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कुछ परिणाम निकले हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, सरकार ने रक्षित भंडार रखने के लिए इन फैक्ट्रियों से चीनी खरीदी है। आप इन चीनी फैक्ट्रियों को भुगतान कर रहे हैं। आप पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वह गन्ना-उत्पादकों को इस बकाया राशि का समय पर भुगतान करने का आश्वासन दे। क्या सरकार की कोई ऐसी प्रक्रिया हो सकती है जिससे फैक्ट्रियों से चीनी की खरीद पर, यह आश्वासन दिया जा सके कि गन्ना उत्पादकों को भुगतान किया जाएगा? अंततः आप भुगतान फैक्ट्रियों को कर रहे हैं, जबकि वह आपके रक्षित भंडार बना रहे हैं। आप यह क्यों नहीं सुनिश्चित करते की आप फैक्ट्रियों को जो राशि दे रहे हैं उसका एक भाग गन्ना-उत्पादकों या राज्य सरकारों को दिया जाए। आप एक ऐसी प्रणाली बना सकते हैं जिससे राशि का एक भाग गन्ना-उत्पादकों को दिया जाए तथा वह उसी विशेष उद्देश्य के लिए रखा जाए।

श्री भागवत झा आजाद : यहां कुछ गलतफहमी हो गयी है। जहां तक की रक्षित भंडार का संबंध है, उस रक्षित भंडार रखने के लिए मिलों को बैंकों को देने वाली ब्याज का भार वहन करना पड़ता है। वे वह चीनी नहीं बेचते। अत: उन्हें धन का भुगतान नहीं किया जाता। यह हुआ है कि बैंक उन्हें रक्षित भंडार में पड़ी चीनी की गारन्टी देते हैं। रक्षित भंडार से, फैक्ट्रियों को बेचे जाने वाली चीनी से कुछ पैसा नहीं मिलता, जिसे गन्ना-उत्पादकों को दिया जा सके।

श्री सतीश अग्रवाल : आप उन्हें कुछ राशि उपलब्ध करा रहे हैं। आपकी कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे रक्षित भंडार के लिए उन्हें बैंकों के लिए जितना धन उपलब्ध कराया जाता है, इसका एक भाग उन्हें गन्ना-उत्पादकों को देना पड़ेगा। आप इसे अनिवार्य बना दें।

श्री भागवत झा आजाद : मैं इस बारे में पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। यहां पर भी गलतफहमी हुई है। जहां तक रक्षित भंडार का सम्बन्ध है, उस रक्षित भंडार के प्रति उन्हें ऐसा भुगतान नहीं किया जाता, जिसमें से वे गन्ना-उत्पादकों को भी भुगतान कर सकें। रक्षित भंडार में जितना माल है, उसे उन्होंने नहीं बेचा है। गारन्टी केवल बैंक ही देते हैं। उन्हें बैंकों से ली गई धनराशि पर ब्याज देना पड़ता है। उनके पास बिलकुल धन नहीं होता जिसमें से वे कुछ गन्ना उत्पादकों को दे सकें।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय एक तरफ कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन दूसरी तरफ मिल-मालिकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने प्रश्न के (ख) भाग में कहा है :—

> "बकाया राशि, गन्ने के ऊंचे मूल्य होने, पिछले दो मौसमों के दौरान चीनी और गन्ने का रिकार्ड उत्पादन होने तथा फैक्ट्रियों के पास बिना बिकी चीनी का असाधारण रूप से भारी स्टाक पड़ा होने के कारण थी।"

मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, आपको इस तरह से बचाना नहीं चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, दूसरी तरफ चूंकि पैसा मिल-मालिकों ने किसानों को नहीं दिया, उनको बचाने का प्रयास करते हुए विवरण भी दे रहे हैं कि भारी स्टाक जमा हो गया, यह सरकार के लिए उचित जवाब नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं—इस सदन में हमेशा चर्चा होती रही है, सरकार

ने हमेशा आश्वासन दिया है, कमेटी पर कमेटी बनाई गई, स्पीकर साहब ने हमेशा निर्देश देने का काम किया, उसके बावजूद भी 100 करोड़ रूपया, यह चाहे 2 परसेंट है या 5 परसेंट है मैं नहीं जानता, मिल-मालिकों की तरफ बकाया है और यह सरकार मिल-मालिकों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है। जनता पार्टी की सरकार के समय में किसानों को एक पैसा भी मिल-मालिकों की तरफ बकाया नहीं था, लेकिन आपके समय में 142 करोड़ रुपया बकाया था और आज भी 100 करोड़ रुपया बकाया है। इसका मतलब है कि आप मिल-मालिकों को बचाने का काम करते हैं। क्या सरकार सदन को आश्वासन देगी—यद्यपि इसमें राज्य सरकारों की जवाबदेही है, लेकिन केन्द्रीय सरकार का भी कर्त्तव्य है—आप किसानों की बहुत दुहाई देते हैं, उनकी वकालत करते हैं—आप किसानों के हित में मिल-मालिकों पर दवाब डालने का काम करेंगे और जैसा कि पहले प्रश्न में पूछा गया था जब फाइनेन्शियल इंस्टीचूशन्ज आपकी हैं, जब आप उनको पैसा देते हैं, तो इस बात की गारन्टी लेने का काम करेंगे कि वह पैसा किसानों के पास जाय, मिल-मालिकों के मुनाफे में न जाए ?

श्री भागवत झा आजाद : मैंने अपने जवाब में जो कहा है कि एरियर क्यों पड़ा है, वे सारी बातें सही हैं। हमने बार-बार कहा है कि अन्ततोगत्वा जो दिया जाता है, वह शूगर बेच कर दिया जाता है। इसीलिए मैंने कहा है कि दो प्रोडक्शन ईयर्स में हमारे पास काफी उत्पादन हुआ है जिसके बेचने में काफी लम्बा समय लगा, 15-16 महीने का पीरियड लगा, जिस कारण थोड़ा बकाया रहा। हमने कभी भी मिल-मालिकों की वकालत नहीं की और न करते हैं, जो गन्ना उत्पादक हैं उन्हीं की वकालत करते हैं और इसका प्रमाण यह है कि माननीय सदस्य ने जनता पार्टी का उल्लेख किया, जनता पार्टी के राज्य में किसान को गन्ने का 5 रुपया क्विंटल मिलता था और जब किसान का बेटा प्रधानमंत्री बना, चौधरी चरण सिंह मेरठ गये तो उन्हें जला हुआ गन्ना हाथ में दिया गया। हम 21 रुपया देते हैं, लेकिन उन्होंने 5 रुपया दिया। अगर उन्होंने 5 रुपया दिया और गन्ना जलवाया तो इसमें क्या बहादुरी की। हम आज 21 रुपए दे रहे हैं। उस वक्त का उत्पादन 3 लाख टन था और आज 85 लाख टन है। दोनों में कोई तुलना नहीं है, बहुत फर्क है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं और जो हमने कार्यवाही की है उस कार्यवाही के कारण उनके पेमेंट का रेशियो बहुत कम हो गया है। हम बराबर राज्य सरकारों को कहते हैं, लिखते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जो अग्रवाल जी ने कहा कि मिलों को पैसा दिया जाता है बफर स्टाक में उनके जरिए भी हम उनको मजबूर करते हैं कि उस पैसे से निकाल कर उनको पेमेंट करें।

श्री भुवनेश्वर भूयन : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तथ्य को देखते हुए कि सरकार किसानों को गन्ने की सप्लाई का शीघ्र भुगतान करने की गारंटी नहीं दे सकती, क्या सरकार यह भी सोच रही है कि वह गन्ना-उत्पादकों से गन्ने का उत्पादन कम करने का अनुरोध करे जिससे किसानों की सरकार से और परेशानी से रक्षा हो सकेगी।

एक माननीय सदस्य : उत्पादन में पहले से ही कमी हो रही है।

श्री भागवत झा आजाद : हम किसानों को कभी भी गन्ने का कम उत्पादन करने का परामर्श नहीं देंगे। यह माँग और पूर्ति की स्थिति पर निर्भर होगा। गन्ने के उत्पादन में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आंशिक रूप से कमी आई है, और यह हमारे हित में नहीं है। यह उत्पादन 72·75 लाख टन होगा और हम अपनी ओर से अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं। हम समय-समय पर निगरानी कर रहे हैं। राज्य सरकारों को यह अधिकार है तथा शीघ्र भुगतान् करने के उनके फील्ड संगठन हैं। हम फील्ड संगठनों को प्रेरित कर रहे हैं तथा उन्हें कह रहे हैं कि गन्ना उत्पादकों को शीघ्र भुगतान किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें हमेशा कठिनाइयाँ आती हैं। माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी : किसानों को पैसा मिलेगा या नहीं? बात तो यह बताइए। खा गए लूटकर किसानों को।

श्री भागवत झा आजाद : जो आंकड़े मैंने दिए हैं और जो बताया है वह इस बात का सबूत है कि पेमेंट किया जा रहा है। पेमेंट उसी वक्त नहीं हो सकता। मैंने बताया कि रेकार्ड प्रोडक्शन के वक्त में ग्रेज्युअली ऐसा होता है। जब शुरू में गन्ने की पेराई होती है उस समय····

(व्यवधान)

माननीय सदस्य मुंह बन्द कर के कान खोल लें तो उनकी समझ में आ जाएगा।

मैंने बताया कि जब गन्ने की पेराई शुरू होती है उस समय अधिक गन्ना बाजार में आता है। तो उस समय शुरू के महीनों में कुछ एरियर दिखाई पड़ता है। मगर ज्यों-ज्यों वह महीना समाप्त होता है पेराई का, आज ही की बात नहीं है, हमेशा यह हुआ है कि ग्रेज्युअली पेमेंट क्लीयर होता जाता है। इस बात का सबूत यह है कि आज सारे टोटल पेमेंट का 2.7% बाकी है और यह भी पे हो जाएगा। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है···· **(व्यवधान)**

श्री बीजू पटनायक : माननीय मंत्री महोदय यह जानकर संतुष्ट हैं कि जनता शासन के दौरान गन्ने का मूल्य लगभग 5 रुपये था।

क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी भी है कि उस समय चीनी का मूल्य क्या था? इसका एक ही मूल्य था। क्या मंत्री महोदय को पता है कि उस समय चीनी का मूल्य केवल 2 रुपये किलो था? लेकिन गन्ना उत्पादकों की बकाया धनराशि नहीं थी। मैं यही मुद्दा बताने का प्रयास कर रहा था····**(व्यवधान)**

श्री भागवत झा आजाद : प्रति क्विंटल गन्ने के केवल 5 रुपये दिए जाते थे। जनता सरकार के शासन में किसानों को परेशान किया गया था।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भूमि अर्जन संबंधी राष्ट्रीय नीति

*25. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में जनता और संगठन भूमि अर्जन के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित किये जाने की मांग कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या भूमि अर्जन संबंधी मुल्ला समिति का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) तथा (ख) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 जो कि एक केन्द्रीय अधिनियम है तथा भूमि अर्जन के विषय पर राष्ट्रीय-नीति को प्रदर्शित करता है, में संशोधन करने के लिए समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए हैं तथा उनका परीक्षण किया गया है। 30-4-82 को लोक सभा में प्रस्तुत किए गए भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1982 में शामिल किए गये संशोधनों के अलावा कुछ संशोधनों के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) तथा (घ) मुल्ला समिति के प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों की जांच की गई है। 1982 के संशोधन विधेयक में शामिल किए गए प्रस्तावों को तैयार करते समय इन्हें ध्यान में रखा गया है। समिति के कुछ सुझाव राज्य सरकारों को उनके मार्गदर्शन तथा उचित कार्रवाई हेतु भेजे जा चुके हैं।

वनस्पति घी में पशुओं की चर्बी मिलाना

*26. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति घी में पशुओं की चर्बी मिलाने के अब तक कितने मामलों का पता चला है और कितने मामलों की जांच की गई है ; और

(ख) उक्त जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) और (ख) वनस्पति घी में गाय की चर्बी मिलाने का कोई मामला अभी तक नहीं पकड़ा गया है। तथापि पंजाब, बिहार तथा पश्चिम बंगाल से गाय की चर्बी की वनस्पति घी के रूप में अथवा खाद्य तेलों में मिलाकर कथित बिक्री करने की सूचनाएं मिली थी।

संबंधित राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले में कार्रवाई कर रहा है।

सूखे से फसलों को हानि

*27. **श्री नीरज घोष :** क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में सूखे के कारण राज्यवार फसलों को कितनी हानि हुई तथा यह हानि कुल कितने रुपए की है ; और

(ख) राज्यों को, राज्य-वार कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) 1981-82 से 1983-84 तक के वर्षों के दौरान सूखे के कारण प्रभावित सस्यगत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाला विवरण-I संलग्न है। सूखे के कारण फसलों को कितने रुपए की हानि हुई इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं रखी जाती।

(ख) 1981-82 से 1983-84 तक के वर्षों के दौरान सूखे से प्रभावित राज्यों की मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता से संबंधित जानकारी विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

(लाख हैक्टर)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1981-82	1982-83	1983-84 मानसून के बाद
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	14.40 (मानसून-पूर्व)	38.00	—
2.	बिहार	—	44.17	—
3.	गुजरात	—	28.14	—
4.	हरियाणा	3.61 ("मानसून-पूर्व) 6.67 (मानसून-बाद)	5.91	—
5.	हिमाचल प्रदेश	1.64 (मानसून-बाद)	2.16	—
6.	जम्मू तथा कश्मीर	—	—	—

1	2	3	4	5
7.	केरल	—	1.04	—
8.	कर्नाटक	32.21 (मानसून-पूर्व)	21.67	—
9.	मध्य प्रदेश	—	30.00	—
10.	महाराष्ट्र	—	22.84	—
11.	उड़ीसा	—	37.82	—
12.	राजस्थान	87.00 (मानसून-पूर्व) 74.00 (मानसून-बाद)	68.12	—
13.	तमिलनाडु	23.74 (मानसून-पूर्व)	38.26	—
14.	त्रिपुरा	—	सूचित नहीं किया	—
15.	उत्तर प्रदेश	—	70.41	17.75
16.	पश्चिम बंगाल	—	20.14	—
17.	पाण्डिचेरी	—	0.05	—
18.	मिजोरम	—	—	सूचित नहीं किया
19.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	0.03
20.	सिक्किम	—	—	0.19
	योग :	160.96 (मानसून-पूर्व) 82.31 (मानसून-बाद) 243.27	428.73	17.97

विवरण-II

(करोड़ रुपए)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	26.25	68.77	28.26
2.	असम	—	—	—
3.	बिहार	—	25.01	8.98

1	2	3	4	5
4.	गुजरात	—	30.60	9.18
5.	हरियाणा	8.25	11.82	—
6.	हिमाचल प्रदेश	2.65	13.02	—
7.	जम्मू तथा कश्मीर	—	—	—
8.	कर्नाटक	13.81	8.81	14.00
9.	केरल	—	4.10	42.46
10.	मध्य प्रदेश	—	40.99×	22.29
11.	महाराष्ट्र	—	50.81	11.63
12.	मणिपुर	—	—	—
13.	मेघालय	—	—	—
14.	नागालैंड	—	—	—
15.	उड़ीसा	—	19.78×	24.65
16.	पंजाब	—	—	—
17.	राजस्थान	87.83	74.00	39.85
18.	तमिलनाडु	49.77	18.39	59.15
19.	त्रिपुरा	1.10	0.91	—
20.	उत्तर प्रदेश	—	—	1.57
21.	पश्चिम बंगाल	1.50	74.27	30.59
22.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	0.09
23.	मिजोरम	—	—	1.37
24.	पांडिचेरी	—	0.31	0.44
	योग	191.16	441.59	294.51

×मध्य प्रदेश (6.63) तथा उड़ीसा (3.80) के सम्बन्ध में 1982-83 के लिए 1981-82 का आगे लाया गया बकाया शामिल है।

प्राकृतिक विपत्तियों के लिए स्थायी दल का गठन

*28. **श्री सुनील मैत्रा :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्राकृतिक विपत्तियों से ग्रस्त होने वाले स्थानों पर 48 घण्टे के अन्दर-अन्दर पहुंचने और वहां पर हुए नुकसान का सामान्य सर्वेक्षण करने के लिए एक स्थायी दल के गठन पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्राकृतिक आपदाओं पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने पर केन्द्रीय दलों की नियुक्ति की वर्तमान नीति को सातवें वित्त आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। आयोग ने प्राकृतिक आपदाओं पर राज्यों द्वारा व्यय की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया था ।

चावल और गेहूं का उत्पादन और आयात

*29. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चावल का भारी मात्रा में उत्पादन होने के बावजूद, उसका अधिकतम आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गेहूं के आयात के सम्बन्ध में भी वही स्थिति है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि भारतीय खाद्य निगम में भंडारण की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध न होने के कारण खाद्यान्न की हानि पहले से बहुत अधिक हो रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) वर्ष 1982-83 में 464.8 लाख मीटरी टन चावल का उत्पादन होने का अनुमान था जबकि उसके पहले वर्ष में 532.5 लाख मीटरी टन चावल का उत्पादन हुआ था। चावल की वर्तमान फसल (1983-84 खरीफ) काफी अच्छी हुई है, लेकिन इसके ठीक-ठीक अनुमान के बारे में बताना बहुत जल्दबाजी होगी। तथापि, वर्ष 1983 के दौरान 2.97 लाख मीटरी टन चावल का आयात किया गया था ।

(ख) वर्ष 1982-83 में गम्भीर सूखा पड़ने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर

भारी दबाव पड़ने से चावल के कम हो रहे स्टाक में वृद्धि करने के लिए चावल का आयात करना पड़ा था ।

(ग) बफर स्टाक की भरपाई करने और मूल्यों में वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से गेहूं का भी आयात करना आवश्यक समझा गया था ।

(घ) जी नहीं ।

गन्दी बस्ती क्षेत्रों में रह रही आबादी

*30. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 2.5 करोड़ भारतीय शहरी गन्दी बस्तियों में रहते हैं;

(ख) कितने लोग ग्रामीण क्षेत्रों में इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं;

(ग) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना से पहले और 1980 में इन लोगों की संख्या कितनी थी; और

(घ) इन लोगों को मकान मुहैया करने के लिए चलाई जा रही विशिष्ट परियोजनायें कौन सी हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अखिल भारतीय आधार पर मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों का पता लगाने के लिए अब तक कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है । कुछ अलग-अलग राज्य सरकारों ने कतिपय शहरों में मलिन बस्तियों की आबादी का इस प्रयोजन से पता लगाया है कि मलिन बस्ती निवासियों के लाभार्थ विशिष्ट योजनाओं के तहत उन्हें लाभान्वित किया जा सके ।

तथापि छठी योजना के दस्तावेजों में यह अनुमान लगाया गया है कि कुल शहरी आबादी का लगभग पाँचवां हिस्सा मलिन बस्ती आबादी का है । इस अनुमान के अनुसार वर्ष 1981 में मलिन बस्तियों की आबादी 3.12 करोड़ थी ।

(ख) तथा (ग) इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) ग्रामीण तथा शहरी निर्धनों को मकान मुहैया करने के लिए चलाई जा रही विशिष्ट परियोजनायें इस प्रकार हैं :—

(क) ग्रामीण आवास स्थल तथा निर्माण सहायता कार्यक्रम; और

(ख) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास ।

सरसों के तेल के मूल्य में वृद्धि

*31. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री अर्जुन सेठी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में सरसों के तेल के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) गत कुछ महीनों में सरसों के तेल की कीमतों में कुछ वृद्धि हुई थी, परन्तु हाल ही में इसकी कीमत में कमी आनी शुरू हो गई है।

(ख) सरसों तथा अन्य तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों के अलावा सरकार खाद्य तेलों की मांग और इनकी आपूर्ति के बीच के अन्तर को आयात द्वारा पूरा कर रही है। सरसों के तेल की कीमतों में वृद्धि के रुख को नियन्त्रित करने तथा इसकी कीमतें कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दिसम्बर, 1983—फरवरी, 1984 के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में आयातित खाद्य तेलों का काफी अधिक आबंटन किया है। छोटे पैकों की योजना के अन्तर्गत भी पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान किए गए आबंटन की तुलना में अधिक आबंटन किया गया।

पृथक् सिंचाई वित्त निगम की स्थापना

*32. **श्री के० मालन्ना :**

श्री चित्त बसु : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में एक पृथक् सिंचाई वित्त निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सिंचाई वित्त निगम से प्राप्त होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है तथा इसके गठन के सम्बन्ध में मानदण्ड क्या हैं तथा जहां तक परियोजनाओं की तात्कालिकता का सम्बन्ध है, राज्य परियोजनाओं को लाभ पहुंचाने के बारे में इस निगम को दी गई शक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गंगा तथा तीस्ता नदी जल विवाद का निपटारा

*33. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

श्री सुभाष चन्द्र यादव : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा बंगला देश के बीच गंगा तथा तीस्ता नदी जल विवाद का निपटारा करने में कोई प्रगति हुई है;

(ख) मामला इस समय किस स्थिति में है; और

(ग) विवाद के कब तक हल होने की सम्भावना है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) अक्तूबर, 1982 के भारत-बांगला देश के समझौते के ज्ञापन में भारत बंगला देश संयुक्त नदी आयोग को फरक्का में शुष्क ऋतु में गंगा के जल प्रवाहों में वृद्धि करने के लिए दो स्कीमों, भारत तथा बंगलादेश प्रत्येक द्वारा प्रस्तावित एक-एक, के पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन पूरे करने तथा इस ज्ञापन के हस्ताक्षर किए जाने के 18 महीनों के भीतर इष्टतम हल का निर्णय करने का निदेश दिया गया था। आयोग ने यह माना कि तकनीकी पहलुओं के अतिरिक्त इन प्रस्तावों के विस्तृत आर्थिक एवं कार्यान्वयनात्मक पहलुओं का भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। भारत और बंगलादेश ने अपने-अपने अद्यतन प्रस्तावों को प्रस्तुत कर दिया है और नई दिल्ली में 13 से 15 फरवरी, 1984 तक हुई संयुक्त नदी आयोग की 26वीं बैठक में एक दूसरे के अद्यतन प्रस्ताव पर दोनों पक्षों ने अपनी टिप्पणियां दे दी हैं।

संयुक्त नदी आयोग ने ढाका में जुलाई, 1983 में हुई अपनी 25वीं बैठक में यह मान लिया था कि तीस्ता नदी के जल का बटवारा गहन वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित किए जाने की आवश्यकता होगी जिनको तुरन्त शुरू करने एवं 1985 के अन्त से पहले पूर्ण करने पर सहमति हुई थी। मित्रता एवं अच्छे पड़ौसी की भावना से यह निर्णय किया गया था कि वैज्ञानिक अध्ययनों के पूरे किए जाने तक तीस्ता के जल-प्रवाहों का शुष्क ऋतु के दौरान तदर्थ बटवारा जो 1985 तक वैध रहेगा, बंगलादेश के लिए 36%, भारत के लिए 39% और शेष 25% अनाबंटित रहेगा। तदर्थ आधार पर आबंटित एवं अनाबंटित जल के सभी हिस्सों का वैज्ञानिक अध्ययनों के पूरा किए जाने के पश्चात पुन: आबंटन किया जाएगा। दोनों सरकारों में सिचाई के प्रभारी सचिवों को तदर्थ बटवारे की प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में आगे ब्यौरा तैयार करने के लिए निदेश दिए गए थे। इन विचार-विमर्शों के पश्चात् तीस्ता के जल-प्रवाहों को मापने के लिए 3 सयुक्त प्रेक्षण केन्द्रों को स्थापित करने के लिए सहमति हुई है। तीनों केन्द्रों पर संयुक्त प्रेक्षणों की मानीटरिंग करने और वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए विचारार्थ विषय निर्दिष्ट करने एवं इन वैज्ञानिक अध्ययनों को तत्काल शुरू करने के लिए भी एक संयुक्त समिति गठित करने पर भी सहमति हुई थी।

खाद्य तेलों का उत्पादन मांग व सप्लाई और आयात

***34. श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक अलग-अलग, खाद्य तेलों का कितना उत्पादन हुआ और उनकी कितनी मांग थी तथा कितनी सप्लाई की गई और कितनी मात्रा में व कितने मूल्य के खाद्य तेलों का आयात किया गया; और

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान खाद्य-तेलों का उत्पादन, मांगपूर्ति एवं आयात की संभावित स्थिति क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) खाद्य तेलों की मांग का अनुमान 43-45 लाख मी० टन लगाया गया है। खाद्य तेल का उत्पादन, सरकार की ओर से आयात की गई इनकी मात्रा तथा उसका मूल्य इस प्रकार है :

तेल वर्ष	उत्पादन (लाख मी० टनों में)	आयात की गई मात्रा (लाख मी० टनों में)	आयातित मात्रा का मूल्य (करोड़ रुपये में)
1980-81	25.50	10.74	516.00
1981-82	32.20	9.95	449.69
1982-83	28.50	11.50	504.46
1983-84	33.00 (अनुमानित)	+	+

+1983-84 के दौरान तेलों की जो मात्रा आयात की जानी है, सरकार द्वारा उसका निर्णय उत्पादन के अन्तर, राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध इनकी मात्रा, राज्य सरकारों द्वारा की गई मांग तथा अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर किया जाएगा।

भारत तथा अमेरिका द्वारा कृषि सहयोग में वृद्धि

***35. श्री आर० एन० राकेश :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा अमेरिका द्वारा कृषि सहयोग में वृद्धि की जायेगी (जैसा कि टाइम्स आफ इण्डिया दिनाँक 29 जनवरी, 1984 में प्रकाशित हुआ है);

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम० ए० सी० सी० के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा योजना आयोग के सदस्य की आई० आर० आर० आई० मनीला में नियुक्ति इस योजना का एक अंग है;

(घ) क्या आई० सी० आर० आई० एस० ए० टी० में उच्च भारतीय भू-वैज्ञानिक की नियुक्ति भी इस योजना का एक अंग है; और

(ङ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भारत ने अपनी पर्याप्त प्रतिष्ठा खो दी है और उसे शीघ्र ही अधिक उपज देने वाले बीज के आयात सहित अपने कृषि उत्पादन में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) कृषि सम्बन्धी भारत-अमेरिका के 34-आयोग का तीसरा अधिवेशन 24 से 28 जनवरी, 1984 तक नई दिल्ली में हुआ था। अधिवेशन की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7719/84]

(ग) तथा (घ) आई० आर० आर० आई० तथा आई० सी० आर० आई० एस० ए० टी० दोनों ही अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान हैं और इनके लिए नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा नहीं की जाती है। इन संस्थानों द्वारा की गई नियुक्तियां और भारत तथा अमेरिका के बीच फार्म सहयोग के विस्तार के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ङ) जी नहीं। इसके विपरीत हाल के वर्षों में विदेशों में देश की प्रतिष्ठा तथा मान बढ़ा है। अधिक उपज देने वाले बीजों के आयात सहित कृषि उत्पादन में देश की गम्भीर समस्याओं का सामना करने का प्रश्न ही नहीं होता।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के लिए खर्च न की गयी केन्द्रीय धनराशि

*36. **श्री बी० डी० सिंह :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के लिए विभिन्न राज्यों को केन्द्र द्वारा आबंटित की गई कितनी धनराशि 1983 के अन्त तक खर्च नहीं की गई है; और

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1982-83 और 1983-84 (आज तक) लक्ष्य की तुलना में कितने श्रमिक दिन रोजगार उपलब्ध कराया गया और लक्ष्य पूरा न होने के कारण क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध की गई धनराशि तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार उपयोग में ली गई धनराशि और उपयोग में न ली गई शेष धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-1 में दर्शाया गया है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के लिए 1983-84 हेतु आबंटन विवरण-2 में दर्शाये गये हैं। चूंकि, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों का निष्पादन अभी हाल ही में शुरू हुआ है, अत: इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों के उपयोग की सूचना 31-3-1984 के बाद ही उपलब्ध होगी।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान इन वर्षों के लक्ष्यों की तुलना में सृजित रोजगार नीचे दिया गया है :

(लाख श्रम दिन)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1982-83	3532.17	3500.98
1983-84	3222.26	1624.17 (दिसम्बर, 1983 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार)

वर्ष 1982-83 के दौरान रोजगार सृजन का लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया गया था। वर्ष 1983-84 के लिए पूरी सूचना अभी प्राप्त होनी रहती है। तथापि, यह आशा की जाती है कि वर्ष के अन्त तक लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया जाएगा।

विवरण-1

वर्ष 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आवंटित, बंटित धनराशि और उपयोग में ली गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	आवंटन 1983-84	उपयोग में न लाई गई उपलब्ध शेष धनराशि (1.4.83 की स्थिति)	खाद्यान्नों के मूल्य सहित कुल बंटित धनराशि	1983-84 के दौरान उपलब्ध कराई गई कुल धन-राशि	अब तक प्राप्त हुई रिपोटों के अनुसार उपयोग में लाई गई धनराशि	अवधि जिससे कालम (7) की सूचना सम्बन्धित है।
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	1990.00	1297.88	1947.65	3245.53	1792.68	दिसम्बर, 83
2.	असम	438.00	888.27	445.08	783.35	256.12	—वही—
3.	बिहार	2872.00	2312.77	2587.78	4900.55	2052.93	—वही—
4.	गुजरात	650.00	530.92	1122.70	1653.62	946.73	—वही—
5.	हरियाणा	170.00	114.90	162.00	276.90	210.84	—वही—

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	हिमाचल प्रदेश	120.00	141.05	158.95	300.00	135.23	दिसम्बर, 83
7.	जम्मू तथा काश्मीर	150.00	125.71	272.02	397.73	130.12	नवम्बर, 83
8.	कर्नाटक	950.00	957.04	1458.55	2415.59	1212.73	—वही—
9.	केरल	930.00	487.24	1856.60	2343.84	781.51	अक्तूबर, 83
10.	मध्य प्रदेश	1470.00	237.42	1617.00	1854.42	1550.28	दिसम्बर, 83
11.	महाराष्ट्र	1600.00	1416.76	1473.14	2889.90	316.94	सितम्बर, 83
12.	मणिपुर	22.00	41.74	—	41.74	असूचित	—
13.	मेघालय	30.00	39.50	20.00	59.50	3.31	सितम्बर, 83
14.	नागालैंड	20.00	7.73	40.00	47.73	14.91	नवम्बर, 83
15.	उड़ीसा	910.00	1368.51	1515.68	1884.19	727.19	—वही—
16.	पंजाब	275.00	31.77	550.00	581.77	350.09	दिसम्बर, 83
17.	राजस्थान	480.00	455.72	744.28	1200.00	525.47	—वही—
18.	सिक्किम	16.00	22.44	20.14	42.58	23.84	—वही—
19.	तमिलनाडु	1800.00	751.37	3600.00	4351.37	2299.74	—वही—
20.	त्रिपुरा	66.00	19.10	132.00	151.10	77.58	—वही—

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	उत्तर प्रदेश	3440·00	2647·99	6207·46	8854·76	3627·60	दिसम्बर, 83
22.	पश्चिम बंगाल	1555·00	2013·58	1008·90	3022·48	1838·48	नवम्बर, 83
	केन्द्रशासित क्षेत्र						
23.	अंडमान तथा निकोबार दीप समूह	32·00	24·20	14·48	38·68	12·51	दिसम्बर, 83
24.	अरुणाचल प्रदेश	32·00	24·06	32·00	56·06	27·11	अक्तूबर, 83
25.	चंडीगढ़	8·00	5·24	4·40	9·64	4·16	दिसम्बर, 83
26.	दादरा तथा नगर हवेली	16·00	15·76	8·80	24·56	2·96	—वही—
27.	दिल्ली	13·80	8·00	7·59	15·59	5·08	—वही—
28.	गोवा, दमन तथा दीव	36·80	10·90	66·80	77·70	48·89	नवम्बर, 83
29.	लक्षद्वीप	8·00	4·94	22·46	27·40	11·84	दिसम्बर, 83
30.	मिजोरम	32·00	6·81	32·00	38·81	7·50	सितम्बर, 83
31	पांडिचेरी	32·00	23·73	32·00	55·73	21·94	दिसम्बर, 83
	कुल योग	20164·60	15482·36	26140·40	41642·760	19016·31	

विवरण-2

1983-84 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए संभावित आबंटनों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1983-84 (100.00.00 लाख रुपये में से)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	990.00
2.	असम	216.00
3.	बिहार	1425.00
4.	गुजरात	320.00
5.	हरियाणा	84.00
6.	हिमाचल प्रदेश	60.00
7.	जम्मू तथा कश्मीर	75.00
8.	कर्नाटक	470.00
9.	केरल	470.00
10.	मध्य प्रदेश	780.00
11.	महाराष्ट्र	790.00
12.	मणिपुर	11.00
13.	मेघालय	15.00
14.	नागालैंड	10.00
15.	उड़ीसा	450.00
16.	पंजाब	135.00

1	2	3
17.	राजस्थान	240.00
18.	सिक्किम	8.00
19.	तमिलनाडु	890.00
20.	त्रिपुरा	33.00
21.	उत्तर प्रदेश	1705.00
22.	पश्चिम बंगाल	770.00
	कुल राज्य (क)	9947.00
23.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	8.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	8.00
25.	चंडीगढ़	2.00
26.	दादरा तथा नगर हवेली	4.00
27.	दिल्ली	4.00
28.	गोवा, दमन तथा दीव	9.00
29.	लक्षद्वीप	2.00
30.	मिजोरम	8.00
31.	पांडिचेरी	8.00
	कुल केन्द्र शासित क्षेत्र (ख)	53.00
	कुल राज्य (क)	9947.00
	कुल केन्द्र शासित क्षेत्र (ख)	53.00
	कुल योग	10000.00

नेपाल सरकार के पास पड़ी विवाद ग्रस्त योजनायें

*37. **श्री लहनासिंह तुर : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकांश सिंचाई परियोजनाओं के नेपाल सरकार के पास विवाद ग्रस्त पड़े रहने के क्या कारण हैं और इन परियोजनाओं का ब्यौरा तथा इस सम्बन्ध में ताजा स्थिति क्या है ;

(ख) क्या उक्त परियोजनाएं दोनों देशों के लिए सहायक होंगी और बिहार तथा उत्तर प्रदेश को बाढ़ से बचाएंगी और इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी;

(ग) यदि हां, तो इन मामलों को हल करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बिलम्ब से लागत/व्यय में वृद्धि होगी भारत सरकार इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर उठाएगी ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) जिन वृहद जल संचयन परियोजनाओं का पता लगाया गया है, वे हैं:—

1. करनाली नदी पर करनाली परियोजना ।

2. महाकाली नदी पर पंचेश्वर ।

3. पश्चिम राप्ती नदी पर राप्ती (भालूभंग) ।

4. कोसी नदी पर कोसी उच्च बांध ।

करनाली बांध के 3600 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता सहित, लगभग 210 मीटर ऊंचा होने की संभावना है । पंचेश्वर बांध के लगभग 1250 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता सहित, लगभग 262 मीटर ऊंचे होने की संभावना है । भालूभंग बांध के लगभग 60 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता सहित लगभग 85 मीटर ऊंचे होने की सम्भावना है । कोसी उच्च बांध के लगभग 3000 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता सहित, लगभग 270 ऊंचे होने की संभावना है। ये परियोजनाएं बहु उद्देशीय परियोजनाएं हैं तथा सिचाई जल-विद्युत तथा बाढ़ नियंत्रण में नेपाल तथा भारत को लाभ पहुँचेगा । उपर्युक्त के अतिरिक्त, दोनों देशों के बहु-प्रयोजनी लाभ के लिए कुछ और अधिक जल संचयनों का भी पता लगाया गया है । ये हैं :—

1. कमला नदी पर सीसापानी में,

2. बागमती नदी पर नुनथेड़ में,

3. बबई पर,

4. गंडक नदी पर भी कुछ जल संचयन की संभावना हो सकती है।

चूंकि ये जल-संचयन पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से नेपाल की सीमा में आते हैं इसलिए, इनको कार्यान्वित करने पर विचार करने से पूर्व यहाँ तक की अन्वेषण तथा व्यवहार्यता रिपोर्टों को तैयार करने के लिए नेपाल की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। इन पहलुओं पर भारत तथा नेपाल की बैठकों में विभिन्न स्तरों पर नेपाल की महामहिम सरकार से विचार-विमर्श किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के सभी मामलों पर विचार-विमर्श करने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि दोनों देशों के बीच एक संयुक्त आयोग स्थापित किया जाए। दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के विकास के प्रश्नों पर अन्य बातों के साथ-साथ इस आयोग में विचार किया जा सकता है। भारत सरकार, नेपाल और भारत के बीच जल संसाधनों के विकास के लिए सभी परियोजनाओं को शीघ्रता से अंतिम रूप देने में अपने प्रयास जारी रखेगी।

चीनी के उत्पादन में गिरावट

***38. श्री पी० एम० सईद :**

श्री वी० पी० देसाई : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी मिलों द्वारा पिछले चीनी मौसम की लगभग 100 करोड़ रुपये की गन्ने की बकाया राशि अभी अदा की जानी बाकी है;

(ख) क्या इसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी राज्यों में गन्ना उत्पादन क्षेत्र में 10 प्रतिशत की कमी हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या देश में समूचे तौर पर चीनी के उत्पादन में गिरावट आने की आशंका है क्योंकि ऐसे समाचार हैं कि उत्तरी राज्यों की चीनी मिलों में भी गन्ने की वसूली में कुछ कमी आई है;

(घ) क्या 1983-84 के चीनी मौसम में 82 लाख टन चीनी के उत्पादन की तुलना में अब उत्पादन लगभग 75 लाख टन होने का अनुमान है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 1982-83 मौसम को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि 15.1.1984 को केवल लगभग 42 करोड़ रुपये बैठती है जो कि गन्ने के कुछ मूल्य का 2.7 प्रतिशत है।

(ख) 1982-83 और 1984-83 में चार दक्षिणी राज्यों में गन्ने के अधीन अनुमानित क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:—

(क्षेत्र: हजार हैक्टर)

राज्य	1983-84 दूसरा अनुमान	1982-83 तदनुरूपी अनुमान
आन्ध्र प्रदेश	158·1	164·3
कर्नाटक	160·4	142·7
केरल	8·4	8·4
तमिलनाडु	109·0	117·8
जोड़	435·9	433·2

(ग) से (ङ) आशा है कि 1983-84 के दौरान 72·75 लाख मीटर टन के आसपास चीनी का उत्पादन होगा। इसको तथा पिछले मौसम के 46 लाख मी० टन के बचे हुए पर्याप्त स्टाक को वर्तमान वर्ष की आन्तरिक मांग और निर्यात की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

वनस्पति उद्योग का राष्ट्रीयकरण

*39. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति निर्माताओं को वनस्पति घी के निर्माण के लिए सरकार साठ से अस्सी प्रतिशत आयातित खाद्य तेल कम दरों पर देती है और इन निर्माताओं द्वारा बीस से पच्चीस प्रतिशत खाद्य तेल की ही खरीद की जाती है;

(ख) क्या वनस्पति घी में चर्बी की मिलावट से सारे देश में लोगों में असंतोष व्याप्त है; और

(ग) क्या जनता की आम राय और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार वनस्पति उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उनके क्या कारण है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) सरकार वनस्पति उद्योग को उनकी आवश्यकता के एक भाग की पूर्ति नियत मूल्यों पर आयातित खाद्य

तेल देकर करती रही है। सरकार द्वारा इस मूल्य का निर्धारण, आयात-लागत, इसकी साज-सम्भाल तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों आदि को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर किया जाता है।

(ख) विनिर्माताओं के यहां से लिये गये वनस्पति घी के नमूनों के विश्लेषण से वनस्पति घी तैयार करने में पशु चर्बी का उपयोग किए जाने का कोई प्रमाण नहीं मिला है।

(ग) इस समय वनस्पति घी तैयार करने वाले उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाए किये हैं कि किसी भी परिस्थिति में वनस्पति तैयार करने में किसी भी रूप में गाय की चर्बी अथवा कोई अन्य पशु-चर्बी का उपयोग न हो। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने तंत्र को भी चुस्त किया है कि नियंत्रण आदेशों के उपबन्धों का अनुपालन हो और नागरिक पूर्ति विभाग के अधीन वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय के फील्ड कर्मचारियों को ये निदेश दिये गये हैं कि वे गुण-वत्ता नियंत्रण को कड़ाई से लागू करें, ताकि वनस्पति का उत्पादन सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुरूप हो। इनमें कच्ची सामग्री के रूप में केवल विनिर्दिष्ट तेलों के उपयोग की ही अनुमति है। सरकार ने गाय की चर्बी तथा अन्य पशु चर्बी का आयात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस मामले में राज्य सरकारों को भी सतर्क कर दिया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे बाजार से नमूने लें और उनका विश्लेषण करायें तथा जहां-कहीं आवश्यक हो, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई करें।

मध्य प्रदेश में खेलों का विकास

*40. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में खेल-कूद गतिविधियों के विकास के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) क्या उन्हें यह पता है कि ग्वालियर में हॉकी अत्यन्त लोकप्रिय है और इसने देश को सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी दिए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्वालियर में हॉकी के खेल को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का है ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) खेल राज्य विषय होने के नाते, राज्य में खेल कार्यकलापों के विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करना राज्य सरकार का काम है। तथापि, खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश के लिए उतना ही स्वीकार्य है जितना कि अन्य राज्यों के लिए।

(ख) और (ग) हॉकी के लिए ग्वालियर का योगदान सुप्रसिद्ध है। यदि राज्य सरकार ग्वालियर सहित, राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त कदम उठाती है तो स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता पर विचार किया जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम के श्रेणी-एक और दो के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

231. **श्री भीखा भाई : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की श्रेणी—एक और दो के कर्मचारियों के वेतनमानों के समान वेतन मान वाले भारतीय खाद्य निगम के श्रेणी—एक और दो के कर्मचारियों को अब तक वह अन्तरिम सहायता नहीं दी गई है, जो केन्द्रीय सरकार के इन श्रेणियों के कर्मचारियों को 1.6.1983 से दी जा चुकी है और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को दी गई यह अन्तरिम सहायता, सरकार द्वारा उन्हें देने में विलम्ब किये जाने के कारण उनमें अत्यधिक रोष पैदा हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम के इन श्रेणियों के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने की घोषणा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार कब तक अपना निर्णय कर लेगी और उसकी घोषणा कर देगी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एस० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के महंगाई भत्ते के पैटर्न के अनुसरण में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के श्रेणी-I और श्रेणी-II के कार्यकारियों के वेतन में वृद्धि करने तथा औद्योगिक महंगाई भत्ते के पैटर्न को अपनाने विषयक सामान्य प्रश्न विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में निर्णय किए जाने की सम्भावना है।

सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के ऐसे कार्यकारियों को अन्तरिम सहायता का भुगतान करने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है।

आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

232. **श्री राम जेठमलानी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(एक) मार्च, 1977 के अन्तिम सप्ताह;

(दो) फरवरी, 1979 के अन्तिम सप्ताह;

(तीन) जनवरी, 1980 के दूसरे सप्ताह; और

(चार) दिसम्बर, 1983 के अन्तिम सप्ताह

के दौरान आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या थे ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : पूछे गए सप्ताहों के बारे में चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक विवरण में दिए गए हैं। अलग-अलग वस्तुओं के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक

वस्तु	निम्नलिखित को समाप्त सप्ताह			
	26.3.77	24.2.79	12.1.80	31.12.83
1	2	3	4	5
चावल	156.8	157.6	191.9	276.4
गेहूं	159.3	161.8	170.0	223.4
ज्वार	154.7	151.0	179.9	260.0
बाजरा	162.7	138.9	188.5	219.6
चना	144.0	223.0	239.9	389.9
अरहर	194.1	227.6	236.7	443.7
मूंग	199.8	297.8	307.9	345.8
मसूर	187.2	212.4	227.1	422.5
उड़द	201.0	221.4	226.4	364.5
आलू	117.6	73.9	88.7	179.7
प्याज	182.8	179.0	621.5	449.7
वनस्पति	170.9	160.0	201.0	251.6
मूंगफली का तेल	166.2	138.0	189.5	308.4

1	2	3	4	5
सरसों का तेल	180·7	161·9	209·4	395·9
नारियल का तेल	144·7	152·8	188·4	429·4
जिंजली का तेल	185·1	147·7	198·5	306·1
दूध	154·2	156·6	163·7	260·1
मछली	163·2	241·0	259·3	410·6
गोश्त	217·7	247·3	293·2	387·6
चीनी	163·5	134·4	190·8	232.3
गुड़	205·7	132·6	276·0	324·2
मिट्टी का तेल	229·6	233·5	272·8	343·2
साफ्ट कोक	213·1	224·3	278·7	463·5
लाल मिर्च	122.3	127·6	121·2	133·8
चाय	352·2	202·9	245·0	462·4
दियासलाइयां	100·0	102·6	135·8	129·0
नमक	138·7	198·8	267·4	226·7
कपड़े धोने का साबुन	159.0	171·9	213·5	265·3
सूती कपड़ा (मिल का)	171·4	185·7	199.3	253·0
आटा	158·4	166·1	164·1	214·7
समस्त वस्तुएं	182·1	184·6	227·2	319·6

उपहार स्वरूप प्राप्त हुए दुग्धचूर्ण और बटर आयल का बेचा जाना

233. **श्री राम अवध :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में 1982, 1983 में मासवार और जनवरी, 1984 में और 15 फरवरी, 1984 तक प्रतिदिन बेचे गए दूध के उत्पादन में इन चारों नगरों

में से प्रत्येक में इन्हीं महीनों में अपने क्षेत्रों से देश के अन्य भागों में एकत्रित किए गए तरल दूध की मात्रा की तुलना में आयातित/उपहार स्वरूप प्राप्त दुग्ध चूर्ण, सप्रेटा दुग्ध चूर्ण और बटर आयल का अंश कितना था;

(ख) 1 जनवरी, 1980 से 31 जनवरी, 1984 के दौरान उपहार स्वरूप प्राप्त सपरेटा दुग्ध चूर्ण और बटर आयल की मात्रा और मूल्य कितना था और भारत में ही बनाए गए सपरेटा दुग्ध चूर्ण की मात्रा और मूल्य कितना था और महानगरों में स्थित प्रत्येक डेरी द्वारा स्रोतवार कितनी मात्रा खरीदी गई और उसके लिए कितना मूल्य दिया गय ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

जल प्रभारों का वसूल न किया जाना

234. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली जल पूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान के दक्षिणी दिल्ली के सहायक राजस्व अधिकारी-दो, 11 फ्लैटों, 3 डेसू कार्यालयों, 1 इंजीनियरी कार्यालय, एक प्राथमिक स्कूल, एक महाविद्यालय और एक मस्जिद को 15 अक्तूबर से अब तक लगातार पानी सप्लाई किया जा रहा है किन्तु जल प्रभार वसूल नहीं किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त फ्लैटों और स्कूलों आदि की ओर मीटर किराए और जल प्रभार की कितनी राशि बकाया है और इसे वसूल न किए जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) दिल्ली जल प्रदाय व मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि चूंकि प्रश्न में उल्लिखित परिसरों के ब्यौरे स्पष्ट रूप से नहीं दिये गये हैं इसलिए उनका पता लगाना तथा उनके सम्बन्ध में सूचना देना कठिन है ।

केरल में चल रही सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना

235. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में चल रही किसी पुरानी सिंचाई परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या केरल सरकार ने इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए 1983-84

में अतिरिक्त धन की अपनी आवश्यकता का ब्यौरा प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना के लिए मांगे गए और उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त धन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं का तेज़ी से पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) चौथी योजना से पहले आरम्भ की गई केरल की सात बृहद निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं नामश: पेरियार घाटी, पम्बा, कुटियाडी, चित्तुरपुझा, कन्हिरापुझा, पझासी तथा कलाडा को तेजी से पूर्ण करने के लिए निर्धारण किया जा चुका है।

केरल सरकार ने 1983-84 के दौरान 14.85 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता का अनुरोध किया था जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

1. पेरियार घाटी	261 लाख रुपए
2. पम्बा	140 लाख रुपए
3. पझासी	300 लाख रुपए
4. चित्तुरपुझा	84 लाख रुपए
5. कन्हिरापुझा	250 लाख रुपए
6. कुटियाडी	200 लाख रुपए
7. चिमोनी	250 लाख रुपए
	1485 लाख रुपए

संसाधनों की तंगी के कारण मांगी गई अतिरिक्त सहायता की व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाया है।

1984-85 की योजना पर विचार-विमर्श के दौरान योजना आयोग के कार्यकारी दल ने चार सिंचाई स्कीमें नामत: पेरियर घाटी, पम्बा, कुटियाडी और चित्तुरपुझा को छठी योजना अवधि में ही पूरा करने के लिए पर्याप्त परिव्ययों की सिफारिश की है। तथापि, शेष तीन स्कीमों नामत: कन्हिरापुझा, पझासी तथा कल्लाडा सिंचाई परियोजनाओं को सातवीं योजना में ले जाया जाएगा।

बहरहाल, कल्लाड परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता मिल रही है और इसे 1986-87 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

गरीबों को सस्ती दरों पर गेहूं और चावल की सप्लाई

236. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री नवीन रावणी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गरीबों को सस्ती दरों पर गेहूं और चावल सप्लाई करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को किस किस्म का गेहूं और चावल सप्लाई किया जाएगा;

(ग) लोगों को किस अभिकरण के माध्यम से इसकी सप्लाई की जाएगी;

(घ) प्रत्येक राज्य में इस योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को लाभ मिलेगा; और

(ङ) गरीबों के बीच इसे वितरित करने का क्या मापदण्ड अपनाया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में लिए गये निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में नियोजित मजदूरों को मजदूरी के भाग के रूप में खाद्यान्नों की अदायगी 1 किलोग्राम प्रति श्रमदिन की दर से रियायती दरों पर की जाएगी। अच्छा औसत किस्म का गेहूं उन्हें 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। चावल के मामले में, साधारण चावल 1.85 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जाएगा। यदि साधारण किस्म का चावल उपलब्ध नहीं है तो बढ़िया तथा बहुत बढ़िया किस्म का चावल उपलब्ध कराया जाएगा। बढ़िया किस्म के चावल का मूल्य 1.95 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बहुत बढ़िया किस्म के चावल का मूल्य 2.10 रुपये प्रति किलोग्राम होगा।

इस निर्णय से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों) केन्द्र शासित क्षेत्रों में सभी मजदूरों को लाभ पहुंचेगा। पात्र मजदूरों को खाद्यान्नों का वितरण उचित दर की दुकानों के जरिए अथवा कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा सीधे ही किया जाएगा।

सिंचाई परियोजनाओं की पुनरीक्षा

237. **श्री टी० एस० नेगी :**

श्री के० टी० कोसलराम : क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई परियोजनाओं की पुनरीक्षा की जा रही है (फाइनेन्शयल एक्सप्रेस दिनांक 27.1.84) और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या मापदण्ड अपनाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लघु और मध्यम परियोजनाओं के सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो पहले की परियोजनाओं के विश्लेषण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं का कोई स्वतंत्र अध्ययन और मूल्यांकन किया गया है और क्या उसके अनुसार इस कार्यक्रम के विस्तार की आवश्यकता है ?

सिचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सिंचाई मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की रिपोर्ट से सम्बन्धित समाचार में उल्लिखित पुनरीक्षा का सम्बन्ध सिंचाई मंत्रालय के सीधे बजटीय नियंत्रण के अन्तर्गत कार्यान्वित की गई विभिन्न परियोजनाओं तथा स्कीमों की पुनरीक्षा से है। प्रधान मंत्री द्वारा हाल ही में किफायत की आवश्यकता पर डाले गए जोर के अनुक्रम में यह पुनरीक्षा शुरू की गई है।

(ख) निवेश की कम राशि को देखते हुए, साधारणत: छोटी (लघु) तथा मध्यम परियोजनाएं पूरी होने में तथा उनसे लाभ प्राप्त करने में कम समय लगता है। लघु परियोजनाओं के मामले में, जिनमें शामिल किए गए क्षेत्र छोटे होते हैं, सृजित की गई क्षमता का उपयोग भी शीघ्र होता है।

(ग) अब तक कोई स्वतंत्र अध्ययन नहीं किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिंचाई विकास और भू-जल समस्याएं

238. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिंचाई के विकास और भू-जल समस्याओं से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए हाल ही में शिलाँग में एक बैठक बुलायी गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के विकास की स्थिति, कार्यक्रम के सापेक्ष महत्व और उन्हें प्राप्त करने के लिए अभिप्रेत तरीकों तथा इन कार्यक्रमों को तैयार करने तथा क्रियान्वित करने हेतु उस क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक सहायता, यदि कोई हो, की पुनरीक्षा करने के लिए 6 फरवरी, 1984 को वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर की बैठक के बाद 7 फरवरी, 1984 को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के प्रभारी राज्य मंत्रियों की एक बैठक हुई थी।

वनों को नष्ट किए जाने का मौसम और मानसून के रुख पर प्रभाव

239. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उप महाद्वीप में मौसम और मानसून के रुख पर वनों को नष्ट किए जाने से होने वाले प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में वन और मौसम के परस्पर सम्बद्ध होने के बारे में अपर्याप्त प्रलेख उपलब्ध है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में और अधिक अध्ययन करने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) देश में समय-समय पर अलग से कुछ अध्ययन किये गये हैं, जबकि वन और जलवायु के बीच अन्तिम रूप से परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अभी तक कोई व्यापक अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) फिलहाल सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

दिल्ली में बम्बई अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम का लागू किया जाना

240. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चार वर्ष के अन्तराल के पश्चात् राजधानी में सहकारी आवास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में बम्बई अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम लागू करने जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से हाउसिंग सोसायटियों को आबंटन करने के लिए कितनी भूमि निर्धारित की गई है और उनके बाह्य विकास के लिए कितना धन निर्धारित किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) बम्बई एपार्टमेंट स्वामित्वाधिकार अधिनियम दिल्ली में लागू नहीं किया जा रहा है। तथापि, दिल्ली के लिए कोई उपयुक्त विधान प्रवृत्त करने का प्रश्न जांचाधीन है।

(ख) यह विधान सामूहिक आवास समितियों को भूमि आबंटित करने से सम्बन्धित नहीं होगा जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित आवास योजनाओं के अनुसार होंगी।

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत बनाये गये साईफन

241. **श्री राम लाल राही :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत बनी नहर स्वीकृत ड्राइंगों के अनुसार बनाई गई है;

(ख) ड्राइंगों में दिखाई गई संख्या से कितने कम साईफन बनाए गए हैं;

(ग) सभी साईफन न बनाए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या अपेक्षित संख्या में साईफनों का निर्माण न किए जाने के कारण भूमि के रिसाव और जल भर जाने की समस्या उत्पन्न हो गई है जिसके परिणामस्वरूप हजारों हैक्टेयर कृषि भूमि कृषि योग्य नहीं रह गई हैं;

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग ने इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की मांग करते समय केन्द्र सरकार को, स्वीकृति ड्राइंगों के अनुसार साईफनों के निर्माण की संशोधित योजना स्पष्ट कर दी थी; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (च) सिंचाई एक राज्य विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं के विभिन्न घटकों की विस्तृत आयोजना तथा अनुवर्ती निर्माण-कार्य राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत नहरों का निर्माण अनुमोदित योजनाओं के अनुसार किया जा रहा है। घाघरा बराज से शारदा बराज तक लिंक चैनल के लिए व्यवस्थित आठ साइफनों का निर्माण किया गया है। फीडर चैनल में, 42 क्रास ड्रेनेज निर्माण कार्यों में से 40 साइफन तथा दो जलवाहनी हैं। दो जलवाहनियों तथा 39 साईफनों का निर्माण किया जा चुका है। इस क्षेत्र के स्थलाकृति पर विचार करते हुए, बाराबंकी जिले में 121.8 किलोमीटर पर साईफन के स्थान पर इस जलग्रहण-क्षेत्र से जल निकालने के लिए एक लिंक ड्रेनेज प्रणाली का निर्माण किया गया है।

कमान क्षेत्र में जल रिसाव तथा बाढ़ की समस्या का कारण प्राकृतिक जल निकास के लिए चैनलों का अपर्याप्त होना है जिसके लिए अतिरिक्त जल निकास चैनल का निर्माण किया जा रहा है। उपर्युक्त की रोशनी में साईफनों के निर्माण के लिए किसी अतिरिक्त वित्तीय सहायता की कोई मांग नहीं की गई है।

भारतीय खाद्य निगम में वित्तीय सलाहकार की जन्म तिथि में परिवर्तन

242. **श्री रामजी भाई मावणि :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री भारतीय खाद्य

निगम के वित्तीय सलाहकार की जन्म तिथि में परिवर्तन के बारे में 5 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1960 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय सलाहकार (अब मुख्य वाणिज्यिक प्रबन्धक) की जन्म तिथि में परिवर्तन के मामले की वैधता का पता लगाने के लिए उसकी जांच की गई है;

(ख) यदि जांच अभी पूरी नहीं हुई, तो उसे पूरा होने में अभी कितना समय और लगेगा; और

(ग) यदि जांच हो चुकी है, तो सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) इस सारे में मामले की जांच की जा रही है और बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा।

फल उत्पाद आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

243. **श्री राम प्रसाद अहिरवार :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री फल उत्पाद आदेश के दोषियों को कारण बताओ नोटिस के बारे में दिनांक 12 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3020 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फल उत्पाद आदेश, 1955 के खंड 11(3) के उपबन्धों का पालन न किए जाने पर प्रत्येक निर्माता के विरुद्ध निदेशक (फल और सब्जी संरक्षण) और उपनिदेशकों द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(ख) उन निर्माताओं का ब्यौरा क्या है जिन्होंने कहा है कि यह आवश्यकता उस आदेश के उपबन्धों के अनुरूप नहीं है क्योंकि इसके कारण नकारात्मक प्रचार होगा अत: इस बारे में जोर नहीं दिया जाना चाहिये ?

इलेक्ट्रोनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) यह मामला विचाराधीन है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र०सं०	पार्टी का नाम और पता
1.	मैसर्स गांधीनगर बाटलिंग प्रा० लि०, 201, जी०आई०डी०सी० इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, गांधी नगर—380028 गुजरात।

क्र०सं०	पार्टी का नाम और पता
2.	मैसर्स इन्दौर बार्टलिंग कम्पनी, 35-बी, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, लक्ष्मीबाई नगर, इन्दौर-452006
3.	मैसर्स प्योर ड्रिंक्स प्रा० लि०, 9 बी० जी० खेर रोड, आचार्य अतरे चौक, वर्ली नाका, बम्बई-400018
4.	मैसर्स हर्बट सन्स लि०, डिप्पी फैक्ट्री डिबीजन, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, भंडुप, बम्बई-400078
5.	मैसर्स पारले बेवेरजेज प्रा० लि०, वैस्र्टन एक्सप्रेस हाईवे, चकला, अन्धेरी (पूर्वी), बम्बई-400099
6.	मैसर्स प्योर बेवेरेजज लि०, जी० आई० डी० सी०, नरोडा, अहमदाबाद-382330
7.	मैसर्स गुजरात बार्टलिंग कं० प्रा० लि०, रिंग रोड, राख्याल, अहमदाबाद-380023
8.	मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (न्यू दिल्ली) लि०, सरदार मोहन सिंह बिल्डिंग, कनाट लेन, नई दिल्ली-110001
9.	मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (न्यू दिल्ली) लि०, 1 और 2 इण्डस्ट्रीयल एरिया, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110005

क्र०सं०	पार्टी का नाम और पता
10.	मैसर्स हरियाणा ड्रिंक्स प्रा० लि०, अपोजिट तिलयार लेक, दिल्ली रोहतक रोड, रोहतक ।
11.	मैसर्स इण्डो लोनब्रो ब्रूवेरिज लि०, 13/1, मैन मथुरा रोड, फरीदाबाद-121003
12.	मैसर्स पंजाब बेवेरेजेज प्रा० लि०, 189, इण्डस्ट्रीयल एरिया, चण्डीगढ़-160002
13.	मैसर्स चण्डीगढ़ बाटलिंग कं०, 177-एफ, इण्डस्ट्रीयल एरिया, चण्डीगढ़-160002
14.	मैसर्स मोहन बाटलिंग कं० प्रा० लि०, 186, जी० टी० रोड, धंधारी कलां, लुधियाना ।
15.	मैसर्स पंजाब बेवेरेजेज प्रा० लि०, अटारी रोड, छिहारटा, अमृतसर-143105
16.	मैसर्स जैन बाटलिंग प्रा० लि०, 68, सिंधिया हाऊस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली ।
17.	मैसर्स एलव ड्रिंक्स प्रा० लि०, इण्डस्ट्रीयल एरिया, पाटलीपुत्र, पटना-13
18.	मैसर्स टेस्टी बेवेरेजेज प्रा० लि०, कम्पा नगर, मगरवारा, जिला उन्नाव ।

क्र० सं०	पार्टी का नाम और पता
19.	मैसर्स श्री सरवराया शुगर्ज लि०, वेसागिरी, वाया डोलिग्रास्वरम्, ईस्ट गोदावरी जिला, (आन्ध्र प्रदेश)।
20.	मैसर्स साफ्ट बेवेरजेज प्रा० लि०, विलानगुडी, विसालक्षी नगर, मदुरै-625 401
21.	मैसर्स साउथर्न बाटलर्स प्रा० लि०, 36 माउण्ट रोड, गुण्डी, मद्रास-600032
22.	मैसर्स मदुरई साफ्ट ड्रिक्स प्रा० लि०, विशालक्षी नगर, मदुरै-625 401
23.	मैसर्स स्टील सिटी बेवेरेजेज़ प्रा० लि० आदित्यपुर कन्द्रा रोड, आदित्यपुर, जमशेदपुर-831 001

पानी के बिल जारी किया जाना

244. **श्री निहाल सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिविल लाइन्स, सदर, पहाड़गंज, नयी दिल्ली और जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान के दक्षिण जोनों में वर्ष 1978-79 में 1840 ऐसे मामले पकड़े गए थे जिनमें पानी के कनेक्शन तो दिए गए थे किन्तु पानी के बिल जारी नहीं किए गए थे जिसके परिणाम स्वरूप 1,49,040/- रुपये की हानि हुई; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी की उचित जांच-पड़ताल करने के बाद उक्त कनेक्शन होल्डरों से पानी का प्रभार ब्याज सहित वसूल किया जाए ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान के बारे में वर्ष 1978-79 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में

यह उल्लेख किया गया था कि सिविल लाइन क्षेत्र, एस०पी० क्षेत्र तथा नयी दिल्ली दक्षिण क्षेत्र में मांग तथा वसूली रजिस्टर में दर्ज 1840 मामलों के बारे में पानी के बिल जारी नहीं किए गए थे।

(ख) पानी के कनेक्शनों के 1840 मामलों में से 1595 मामलों का मिलान कर लिया गया है तथा 245 मामले मिलान के अधीन हैं। मिलान किए गए मामलों के प्रति 97,878.36 रु० की मांग जारी कर दी गई है। प्रासंगिक पद्धति के अनुसार जल प्रभारों की बकायादारी के बारे में कोई ब्याज प्रभार वसूल नहीं किए जाते हैं।

जम्मू और काश्मीर को खाद्यान्न की सप्लाई

245. **श्री अब्दुल रशीद काबुली** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983-84 में जम्मू और काश्मीर सरकार ने कुल कितने खाद्यान्न मांगे थे ;

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा इसमें से कितनी आवश्यकता पूरी की गई ;

(ग) राज्य सरकार को पंजाब, हरियाणा आदि में खुले बाजार से खाद्यान्न की खरीद की अनुमति न दिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) राज्य की खाद्यान्न की वांछित आवश्यकता पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा०एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) जम्मू और काश्मीर के बारे में 1983-84 के वर्ष के लिए खाद्यान्नों की मांग, आवंटन और उठान का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(हजार मी० टन में)

मांग	आबंटन	उठान
682.65	320.44	247.7 (जनवरी, 1984 तक)

(ग) इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि राज्य सरकारों द्वारा खुले बाजार से इस प्रकार की खरीदारियां करने से बाजार-उपलब्धता और मूल्य तथा केन्द्रीय भण्डार के लिए वसूली पर कुप्रभाव पड़ेगा इसलिए राज्य सरकारों द्वारा अन्तर्राज्यीय सौदे करने की सामान्यतया अनुमति नहीं दी जाती है।

(घ) केन्द्रीय भण्डार से विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों के आवंटन केन्द्रीय भण्डार में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार-उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं। केन्द्रीय भण्डार से आवंटन केवल अनुपूरक स्वरूप के ही होते हैं।

रामकृष्ण पुरम में केन्द्रीय भण्डार के लिए जगह

246. **डॉ० ए० यू० आजमी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भण्डार ने नई दिल्ली में रामकृष्णपुरम् के सैक्टर-आठ में अपनी शाखा खोलने हेतु जगह के लिए अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें जगह नहीं दी गई ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी कर्मचारियों को उचित दरों पर वस्तुएं सप्लाई करने का काम करने वाले संगठन को जगह उपलब्ध न करने के क्या कारण है तथा क्या उन्हें सैक्टर-आठ में टाईप दो के दो क्वार्टर उपलब्ध कराने के लिए मामले की पुनः जांच की जाएगी।

(ग) क्या मन्त्रालय केन्द्रीय भण्डार कार्यालय तथा सुपर बाजार जैसे स्टोरों के लिए दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिल्ली में काम्पलेक्स भी उपलब्ध कराएगा ताकि व्यापारियों की अवांछित गतिविधियों पर अंकुश रखा जा सके तथा जनता को आवश्यक वस्तुएं उचित दरों पर प्राप्त हो सके, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) केन्द्रीय भण्डार की ओर से कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अनुरोध प्राप्त हुआ था तथा अस्वीकृत कर दिया गया था।

(ख) सामान्य पूल में वास की प्रचलित भारी कमी के कारण अनुरोध को स्वीकृत नहीं किया जा सका था। मामले को पुनरीक्षित करने के लिए एक और सन्दर्भ प्राप्त हुआ है।

(ग) तथा (घ) कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों में भवनों के निरीक्षण पर प्रतिबन्ध

247. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों में भवनों के निरीक्षण पर प्रतिबन्ध के बारे में 19 सितम्बर, 1983 के तारांकित प्रश्न सख्या 371 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास कालोनियों के निरीक्षण पर लगा हुआ प्रतिबन्ध इस समय सभी

प्रकार की पुनर्वास सम्पत्तियों पर लागू है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) अन्य कालोनियों के साथ जहां ये निरीक्षण किए जा रहे हैं, भेदभाव पूर्ण व्यवहार के क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विस्थापित व्यक्तियों को कठिनाइयों से बचाने के लिए पुनर्वास सम्पत्तियों के निरीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था।

भूमि और विकास कार्यालय के अधीन कालोनियों में रिहायशी पट्टे

248. **श्री बाबू राव परांजपे :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि और विकास कार्यालय के प्रशासन के अधीन दिल्ली की कालोनियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक कालोनी में गैर-पुनर्वास रिहायशी पट्टों की संख्या कितनी है तथा प्रत्येक कालोनी अथवा कालोनियों के समूह पर लागू जमीन की दरें क्या हैं; और

(ख) प्रत्येक कालोनी में बसें 200 वर्ग गज; 200 से 400 वर्ग गज; 400 से 600 वर्ग गज; 600 से 800 वर्ग गज; 800 से 1000 वर्ग गज; 1000 वर्ग गज और इससे अधिक के गैर-पुनर्वास रिहायशी पट्टों की संख्या कितनी है; और इन पट्टों में निहित शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र०सं०	कालोनी का नाम	भूमि दर प्रति वर्ग मीटर	200 वर्ग गज तक के प्लाट	200 से 400 वर्ग गज तक	400 से 600 वर्ग गज तक	600 से 800 वर्ग गज तक	800 से 1000 वर्ग गज तक	1000 वर्ग से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	औरंगजेब रोड	2000 रु०	—	—	—	—	—	36
2.	मानसिंह रोड	वही	—	—	—	—	—	7
3.	पृथ्वीराज रोड	वही	—	—	—	—	—	43
4.	रिटन्डन रोड	वही	—	—	—	—	—	34
5.	साउथ एण्ड रोड	वही	—	—	—	—	—	4
8.	एस० एस० पार्क (दक्षिण)	वही	—	—	—	—	—	1
7.	एस०एस० पार्क (उत्तर)	वही	—	—	—	—	—	1
8.	तीस जनवरी मार्ग	वही	—	—	—	—	—	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	तुगलक रोड	2000 रु०	—	—	—	—	—	5
10.	यार्क रोड	वही	—	—	—	—	—	2
11.	जैन मन्दिर रोड	वही	—	—	—	—	—	—
12.	बाराखम्बा रोड	वही	—	—	—	—	—	22
13.	कर्जन रोड	वही	—	—	—	—	—	24
14.	कीलिंग रोग	वही	—	—	—	—	—	13
15.	हेली रोड	वही	—	—	—	—	—	14
16.	फिरोजशाह रोड	वही	—	—	—	—	—	8
17.	कीलिंग लेन	वही	—	—	—	—	—	3
18.	जन्तर-मन्तर रोड	वही	—	—	—	—	—	7
19.	पार्लियामेंट स्ट्रीट	वही	—	—	—	—	—	1
20.	हुमायूं रोड	वही	7	6	17	5	11	14
21.	लेडी हार्डिंग रोड	वही	—	2	—	—	1	5
22.	डाक्टरस लेन	वही	7	—	2	—	4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	भगवानदास रोड	2000 रु०	—	—	—	—	—	6
24.	सिकन्दरा रोड और मण्डी हाउस	वही	—	—	—	—	—	5
25.	तिलक मार्ग	वही	—	—	—	—	—	13
26.	मार्केट रोड	वही	—	—	—	—	—	2
27.	एम० एम० रोड	वही	—	—	—	—	—	3
28.	जनपथ लेन	वही	2	9	—	—	—	7
29.	पुराना किला रोड	वही	—	—	—	—	—	1
30.	गोल्फलिंक	वही	—	108	13	21	5	55
31.	डिप्लोमेटिक इन्क्लेव	वही	—	92	10	19	14	62
32.	जोरबाग	वही	—	132	53	28	—	26
33.	सुन्दर नगर	वही	—	—	—	—	48	—
34.	बाबर रोड कालोनी	वही	—	261	7	3	15	3
35.	मस्जिद मो०	वही		18	10	—	—	—

पैकेज बन्द वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्यों की अधिकतम सीमा निर्धारित करना

249. **श्री मनोहर लाल सैनी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैकेज बन्द वस्तुओं के खुदरा मूल्यों की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है;

(ख) क्या पैकेज बन्द वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य असंगत होते हैं और उनसे अत्याधिक लाभ कमाया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का पैकेज बन्द वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्यों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हां।

(ख) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के द्वारा कुल मिलाकर यह सुनिश्चत हो सका है कि पैकेज में रखी वस्तुएं जिनका अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य होता है, उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

उपभोक्ता उत्पादों के मूल्य

250. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1977 मार्च, 1979, जनवरी, 1980, दिसम्बर 1983 के दौरान दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में गेहूं, चावल, दालों और चना, चीनी, दूध और विभिन्न खाद्य उत्पादों और खाद्य तेलों के थोक मूल्य और उपभोक्ता मूल्य क्या थे; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान गेहूं और धान का समर्थन मूल्य क्या थे ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) विभिन्न वस्तुओं के थोक तथा खुदरा मूल्य क्रमश: विवरण 1 तथा विवरण 2 में दिये गये हैं।

(ख) सूचना विवरण 3 दी गयी है।

विवरण-1

चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक

(रुपये प्रति क्विंटल)

वस्तु		केन्द्र	मार्च 1977	मार्च 1979	जनवरी 1980	दिसम्बर 1983
1	2	3	4	5	6	7
1.	चावल	दिल्ली	180.00	162.00	180.0	उ०न०
		बम्बई	177.00	उ०न०	उ०न०	उ०न०
		कलकत्ता	149.75	149.75	149.75	206.25
		मद्रास	154.25	154.25	156.00	171.00
2.	गेहूं	दिल्ली	132.00	133.00	140.00	193.00
		बम्बई	134.00	141.00	141.00	248.00
		कलकत्ता	135.25	141.05	141.05	189.25
		मद्रास	136.00	139.92	138.92	180.00
3.	चना	दिल्ली	145.00	228.00	238.00	430.00
		बम्बई	167.50	262.50	267.50	405.00
		कलकत्ता	160.00	260.00	280.00	450.00
		मद्रास	164.64	273.73	326.26	455.55
4.	मूंग	दिल्ली	255.00	430.00	400.00	475.00
		बम्बई	262.50	405.00	460.00	540.00
		कलकत्ता	270.00	460.00	470.00	550.00
		मद्रास	244.94	435.94	447.19	518.00
5.	अरहर	दिल्ली	300.00	375.00	340.00	650.00
		बम्बई	292.50	397.50	400.00	620.00
		कलकत्ता	270.00	390.00	380.00	720.00

वस्तु	केन्द्र	मार्च 1977	मार्च 1979	जनवरी 1980	दिसम्बर 1983
	मद्रास	295·00	391·91	442·40	841·50
6. उड़द	दिल्ली	330·00	345·00	300·00	510·00
	बम्बई	342·50	417·50	400·00	600·00
	कलकत्ता	285·00	340·00	320·00	560·00
	मद्रास	285·00	337·07	376·78	658·42
7. चीनी	दिल्ली	430·00	284·00	440·00	503·00
	बम्बई (सी-30)	210·00	उ०न०	280·00	उ०न०
	कलकत्ता (मीडियम)	410·00	260·00	460·00	510·00
	मद्रास (पैरी)	395·00	250·00	445·00	487·00
8. दूध	दिल्ली	210·00	220·00	230·00	उ०न०
	बम्बई	300·00	300·00	260.00	उ०न०
	कलकत्ता	400·00	400·00	400.00	उ०न०
	मद्रास	250·00	220·00	300·00	उ०न०
9. मूंगफली का तेल	दिल्ली	780·00	730·00	870·00	1560·00
	बम्बई	767·50	710·00	870·00	1549·60
	कलकत्ता	790·00	800·00	980·00	1530·00
	मद्रास	1000·00	705·00	900·00	1460·00
10. सरसों का तेल	दिल्ली (प्रति 16·5 कि०ग्राम० का टीन)	132·00	128·00	163·00	उ०न०
	बम्बई	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०
	कलकत्ता	210·00	950·00	1150·00	2300·00
	मद्रास	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०

11. तिजली का तेल	दिल्ली	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०
	बम्बई	852.00	690.00	945.00	1520.00
	कलकत्ता	उ० न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०
	मद्रास	1012.12	843.75	1181.25	1680.00
12. नारियल का तेल	दिल्ली (प्रति टीन)	175.00	198.00	240.00	उ०न०
	बम्बई	1050.00	1130.00	1180.00	3224.00
	कलकत्ता	1125.00	1320.00	1440.00	3300.00
	मद्रास	1054.79	1192.48	1457.03	3218.75
13. वनस्पति	दिल्ली (16.5कि०ग्रा०) (गणेश नं० 1)	150.30	163.30	178.40	230.75
	बम्बई (लोटस) (16.5 कि०ग्रा०)	160.01	181.23	उ०न०	248.66
	कलकत्ता	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०
	मद्रास	उ०न०	उ०न०	उ०न०	1484.84

उ०न०—उपलब्ध नहीं।

विवरण-2

मास अन्त के खुदरा मूल्य (रु० प्रति किलोग्राम)

		मार्च 1977	मार्च 1979	जनवरी 1980	दिसम्बर 1983
1	2	3	4	5	6
1. चावल (मोटा)	दिल्ली	सू०न०	2.00	2.20	4.00
	बम्बई	उ०न०	2.00	2.40	3.80
	कलकत्ता (उ.मू.)	1.84	1.82	उ०न०	2.26

1	2	3	4	5	6
	मद्रास	1·90	1·70	2·20	3·90
2. गेहू	दिल्ली	1·40	1·45	1·55	2·20
	बम्बई (उ०मू०)	उ०न०	1·45	1·46	2·05
	कलकत्ता (उ०मू०)	1·40	1·45	1·45	1·96
	मद्रास	1·50 (उ०मू०)	1·50 (उ०मू०)	उ०न०	3·00
3. चना	दिल्ली	1·80	2·30	2·50	4·20
	बम्बई	उ०न०	3·00	3·00	4·00
	कलकत्ता	2·40	3·00	3·10	4·60
	मद्रास	1·90	2·70	3·20	5·00
4. चीनी	दिल्ली	4·20	2·90	4·80	5·25
	बम्बई	4·15 से 4·20 तक	2·65 से 2·70 तक	4·30	5·40 से 5·50 तक
	कलकत्ता	4·20 से 4·40 तक	2·80	4·80	5·40
	मद्रास	4·00	2·60	4·60	5·00
5. अरहर	दिल्ली	3·60	4·20	4·50	7·75
	बम्बई	उ०न०	4·50	4·80	7·80
	कलकत्ता	3·00	5·00	5·00	7·80
	मद्रास	3·45	5·20	5·00	8·80
6. मूंग	दिल्ली	3·00	5·00	4·80	6·00
	बम्बई	उ०न०	5·00	4·80	6·00
	कलकत्ता	3·00	5·00	5·20	6·40
	मद्रास	2·80	5·00	5·00	5·40

		मार्च 1977	मई 1979	जून 1980	दिसम्बर 1983
7. उड़द	दिल्ली	4.00	4.80	4.60	6.75
	बम्बई	उ०न०	4.80	4.80	7.00
	कलकत्ता	3.20	4.00	4.00	6.50
	मद्रास	3.70	4.00	4.00	6.70
8. दूध	दिल्ली	उ०न०	2.80	2.60	4.00
	बम्बई	उ०न०	3.50	3.40	6.00
	कलकत्ता	उ०न०	उ०न०	4.00	4.75
	मद्रास	उ०न०	उ०न०	3.00	4.00
9. मूंगफली का तेल	दिल्ली	10.00	9.00	11.00	19.00
	बम्बई	उ०न०	7.80	9.60	16.50
	कलकत्ता	9.00	10.80	16.00	23.00
	मद्रास	9.00	7.60	9.50	16.00
10. सरसों का तेल	दिल्ली	10.00	9.50	11.00	21.00
	बम्बई	उ०न०	12.00	13.00	24.00
	कलकत्ता	9.75	10.00	12.50	24.00
	मद्रास	13.00	12.50	14.00	26.00
11. जिंजली का तेल	दिल्ली	15.00	10.00	12.00	25.00
	बम्बई	उ०न०	11.00	13.00	19.00
	कलकत्ता	10.00	9.50	15.00	17.50
	मद्रास	10.80	8.85	12.50	16.00
12. नारियल का तेल	दिल्ली	16.50	15.00	16.50	32.00
	बम्बई	उ०न०	13.00	15.50	34.00

	मार्च 1977	मई 1979	जून 1980	दिसम्बर 1983
कलकत्ता	15.00	17.00	22.00	37.00
मद्रास	12.00	13.60	17.00	34.00

उ० न०—उपलब्ध नहीं

उ०मू०—उचित दर दुकान का मूल्य

सू०न०—सूचना नहीं है

विवरण-3

धान और चावल का वसूली मूल्य

(रुपए प्रति क्विंटल)

विपणन वर्ष	सरकार द्वारा नियत वसूली मूल्य	
	धान (कामन)	गेहूं
1976-77	74.00	105.00
1977-78	77.00	110.00
1978-79	85.00	112.00
1979-80	95.00	115.00
1980-81	105.00	117.00
1981-82	115.00	130.00
1983-84	122.00	142.00
1984-84	132.00	151.00

वन नीति पर पुनर्विचार

251. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री नवीन रावणी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार ने वन सम्पदा को सुरक्षित रखने और उसका विकास करने, वर्तमान नीति पर पुनःविचार करने हेतु एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में ऐसी समिति का गठन करने पर विचार करेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय वानिकी बोर्ड, राष्ट्रीय वन नीति संबंधी मामलों पर सरकार को सलाह देने का सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। बोर्ड का संगठन तथा विषयवस्तु संलग्नक में दिये गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 7720/84]

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को डी० डी० ए० के प्लाटों और फ्लैटों का आवंटन

252. **श्री पीयूस तिरकी :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को 1980 से आज तक प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किए जाने वाले डी० डी० ए० के वाणिज्यिक और आवासीय फ्लैटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपनाई जा रही कसौटी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन अन्य श्रेणियों को आवंटन के लिए आरक्षण किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क)

प्लाट

"रोहिणी" रिहायशी योजना के अन्तर्गत 1980 से अब तक आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों/जनता, निम्न आय वर्गों तथा मध्यम आय वर्गों को 20,389 प्लाटों का आवंटन किया गया है, जिनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित श्रेणी में 25 प्रतिशत आवंटन किए गए हैं।

फ्लैट :

आरक्षित कोटे पर अनुसूचित जातियों/अनुसुचित जनजातियों के सदस्यों को आवंटित दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की श्रेणी एवं योजनाधार ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) **स्व-वित्त पोषित योजना** के अन्तर्गत 335 फ्लैटों का आवंटन किया गया है;

(ii) **सामान्य योजना** के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग में 79, निम्न आय वर्ग में 289 और जनता श्रेणी में 1155 फ्लैटों का आवंटन किया गया है; और

(iii) **नवीन पद्धित योजना** के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग में 1180, निम्न आय वर्ग में 2039 और जनता श्रेणी में 2669 फ्लैटों का आवंटन किया गया है।

(ख) तथा (ग) : **प्लाट**

जैसा कि ऊपर बताया गया है, रोहिणी योजना में आरक्षण के अतिरिक्त, रिहायशी प्लाटों के आवंटन में निम्नलिखित आरक्षण किए जाते हैं :—

रक्षा कार्मिकों की विधवाओं को 1%

भूतपूर्व सैनिकों को 1%

शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को 1%

वाणिज्यिक प्लाट नीलामी द्वारा बेचें जाते हैं और किसी वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तथापि, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को सीमित निविदाओं के माध्यम से 12.8 प्रतिशत बनी बनाई दुकानें आवंटित की जाती हैं।

फ्लैट

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को आवंटन के लिए 25 प्रतिशत फ्लैट आरक्षित रखे जाते हैं। अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण इस प्रकार है :—

(i) युद्ध में शहीद रक्षा कार्मिकों की विधवाओं को 1%

(ii) भूतपूर्व सैनिकों को 1%

(iii) शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को 1%

उपर्युक्त आरक्षणों के अलावा, संसद सदस्यों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षित हैं और चौथी एवं पांचवी स्व-वित्त पोषिक योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कलाकारों को 2 प्रतिशत फ्लैट आरक्षित किए जाते हैं।

ग्रामीण दरिद्रता का दूर किया जाना

253. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार :** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ग्रामीण दरिद्रता के कारणों तथा उसे दूर करने के सुझावों विश्लेषण की ओर दिलाया गया है (बिजनैस स्टैन्डर्ड 24-1-1984) और यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या मत है;

(ख) क्या यह सच है कि कई चल रही योजनाएं जैसे ऐस० एफ० डी० ए०, सकेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और श्वेत क्रांति आदि गरीबी कम करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में विफल रही है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ई० आर० आर० पी० जैसे कार्यक्रमों का सुदृढ़ उत्पादन आधार न होने के कारण सर्व उत्पादकता आधार के निर्माण और दक्षता हासिल करने में उपलब्धि नगण्य रही है; और

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि छोटे दुग्ध-उत्पादक किसानों को वस्तुत: उत्पादित और बेचे गये दूध के प्रत्येक किलोग्राम पर बहुत हानि हो रही है और यदि हां, तो इस संबंध में अब तक किये गये विभिन्न अध्ययनों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी हां, । विश्लेषण और उसमें दिए गये सुझावों के बारे में आमतौर पर जानकारी रहती है तथा सरकार की नीतियों में इन्हें ध्यान में रखा जाता है ।

(ख) इन कार्यक्रमों में सन्तोषजनक प्रगति हो रही है । जब कभी कोई कमियों देखने में आती है, तो उपचारी कदम उठाये जाते हैं ।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य टिकाऊ स्वरूप की परिसम्पतियां सृजित करना तथा रोजगार पैदा करना है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पादी स्वरूप की परिसम्पत्तियों मुहैया करना है जिसमें ग्रामीण गरीबों को कुशलता सुलभ करना भी शामिल है ताकि उन्हें उत्पादकता और आय बढ़ाने में मदद मिल सके । ई० आर० आर० पी० उड़ीसा में राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है ।

(घ) ऐसा कोई विशिष्ट अध्ययन इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है ।

पशु चिकित्सा और कृतिम गर्भाधान सेवाओं का आधारभूत ढाँचा

254. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि यह दावा किया गया है कि श्वेत क्रांति 1 और 2 तथा केन्द्रीय सरकार की अन्य परियोजनाओं के अन्तर्गत पशुचिकित्सा और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं

का आधारभूत ढांचा तैयार कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उक्त आधारभूत ढांचे की कमी पाई गई है, अथवा इसके परिणाम, स्वरूप हरियाणा जैसे राज्यों में पशु तथा डेयरी परियोजनाओं के लिए इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आपरेशन फ्लड 1 और 2 तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता प्राप्त परिकोजनाओं/तहत राज्यों में पशु स्वास्थ्य और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं के लिए अवस्थापनात्मक संरचना का सृजन किया गया है। आपरेशन फ्लड के तहत सृजित समस्त पशु-स्वास्थ्य और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं के अवस्थापनात्मक ढांचे को किसानों का हित देखने वाले सहकारी डेरी संगठन द्वारा अपने स्वामित्व में ग्राम स्तर की सहकारी डेरी समितियों के माध्तम से संचालित किया जाता है। पशु स्वास्थ्य सेवाओं में सहकारी डेरी समितियों के प्रशिक्षत स्टाफ द्वारा प्राथमिक पशु स्वास्थ्य चिकित्सा भी शामिल है। किसानों को पूरे वर्ष नियमित पशु स्वास्थ्य सेवाएं दुग्ध संघों द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से किसानों के घर पर ही सुलभ कराई जाती है। आपातकालीन पशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनुभवी पशु चिकित्सकों सहित उपकरणों से अच्छी तरह लैस चलती-फिरती आपातकालीन एककें हैं।

कृत्रिम गर्भाधान सेवा सुलभ कराने के लिए आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत सांड फार्म और वीर्य उत्पादन केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये क्षेत्रीय केन्द्र आवश्यक उपकरणों से उपयुक्त रूप से सज्जित होते हैं और इन्हें गर्भाधान कराने वाले प्रशिक्षित व्यक्ति चलाते हैं। क्षेत्रीय प्रजजन कार्यक्रम के लिए वीर्य उत्पादन केन्द्रों से इन क्षेत्रीय केन्द्रों को नियमित रूप से बढ़िया किस्म के जीव द्रव्यों (जर्म प्जाज्म) की सप्लाई की जाती है।

राज्यों में केन्द्र सरकार द्वारा सीधे संचालित किया जाने वाला पशु चिकित्सा और कृत्रिम गर्भाधान कार्यों के लिए दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास स्थित संगरोध केन्द्रों के अलावा अपना कोई अवस्थापनात्मक ढांचा नहीं है।

(ख) पशु चिकित्सा और कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं सुलभ कराने के लिए आपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत से पहले राज्यों के पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभागों के नियंत्रण में ऐसा अवस्थापनात्मक ढांचा मौजूद था। आपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत होने पर किसानोंन्मुखी सहकारी संगठनों ने पशु स्वास्थ्य और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का सघन विस्तार करने और किसानों के घर पर ही सेवाएं सुलभ कराने के लिए एक पूरक अवस्थापनात्मक ढांचे का विस्तार किया। हरियाणा के रोहतक और गुड़गांव के दुग्ध स्रवण क्षेत्रों (मिल्क शेडों) को आपरेशन फ्लड-1 के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया था। आपरेशन फ्लड-2 कार्यक्रम के

अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत राज्य की संशोधित डेरी विकास योजना को हाल ही में मूल्यांकन हेतु भारतीय डेरी निगम के पास भेजा गया है।

उड़ीसा के रोलर फ्लौर मिलों को गेहूं की सप्लाई

255. **श्री के० प्रधानी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा को आगामी वर्ष गेहूं का आटा आबंटित करते समय वे राज्य में नई स्थापित रोलर फ्लौर मिलों को अलग कोटे के आबंटन के लिए सरकार के सुझावों को ध्यान में रखेंगे क्योंकि वर्तमान कोटा राज्य की सम्पूर्ण आवश्यकता से कम है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में रोलर फ्लौर मिलों (विद्यमान और नई मिलों) के लिए अलग-अलग कितना कोटा आबंटित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) केन्द्रीय पूल से विभिन्न राज्यों को रोलर फ्लोर मिलों के लिए गेहूं के आबंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किये जाते हैं। उड़ीसा सहित विभिन्न राज्य सरकारों को रोलर फ्लोर मिलों के लिए गेहूं का आबंटन एक मुश्त किया जाता है जोकि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर राज्य की व्यक्तिगत लाइसेंसशुदा रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं के कोटों का उप-आबंटन करते हैं।

राज्य में अधिक मिलिंग क्षमता सहित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखकर उड़ीसा सरकार के रोलर फ्लोर मिलों के गेहूं के मासिक आबंटन को दिसम्बर, 1983 के 7,600 मी० टन से बढ़ाकर जनवरी, 1984 में 9.100 मी० टन कर दिया गया था। आबंटन में की गई वृद्धि की मात्रा को बरकरार रखा जा रहा है।

दिल्ली निवासियों के लिए नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था

256. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में वर्ष 1984 के दौरान स्वच्छता अभियान चलाने और पानी की सप्लाई की बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्रियान्वित की जाने वाली योजनाएं क्या हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में नयी दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली नगर निगम दोनों ही का प्रस्ताव उत्तम जल पूर्ति सुविधायें मुहैया करने का है।

(ख) नयी दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि बूस्टिंग प्रबन्धों सहित भूमिगत टैंकों तथा विद्यमान लाईनों की क्षमता में वृद्धि करने की निम्नलिखित योजनाएं आरम्भ कर दी गई हैं तथा इस वर्ष के अन्त तक पूरी की जानी हैं :

1. बंगाली मार्किट
2. पं० पन्त मार्ग
3. तुगलग क्रिसेन्ट
4. नार्थ एवेन्यू, एम० पी० फ्लैट्स
5. साउथ एवेन्यू

दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान दिल्ली में जलपूर्ति में वृद्धि करने के लिए शाहदरा में 100 एम० जी० डी० के जलशोधन संयन्त्र के निर्माण की एक योजना आरम्भ की है। इस संयन्त्र का 25 एम० जी० डी० का एक भाग चालू कर दिया गया है और शेष को धीरे-धीरे चालू किया जाएगा।

नयी दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उपर्युक्त योजनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं

1. बंगाली मार्किट

इस योजना में 100 अश्व शक्ति के 3 तथा 50 अश्वशक्ति के 2 पम्प सेटों सहित 34.10 लाख लीटर क्षमता के भूमिगत टैंक का निर्माण आवश्यक सी० आई० फीडर तथा वितरण लाइनों को बिछाना और लगभग 114 लाख लीटर पानी की बूस्टिंग के लिए विद्यमान लाइनों में वृद्धि करना शामिल है। इससे कस्तूरबागांधी मार्ग, फिरोजशाह रोड, कॉपरनिक्स मार्ग, तिलक मार्ग इत्यादि से घिरे क्षेत्र के उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

2. पं० पन्त मार्ग

इस योजना में 20 अश्वशक्ति के 4 पम्प सेटों सहित 6 लाख लीटर क्षमता के भूमिगत टैंक का निर्माण तथा आवश्यक फीडर तथा वितरण लाइनों को बिछाना तथा 12 लाख लीटर

पानी को पहुँचाने के लिए पुरानी जंग लगी लाइनों को नयी लाइनों में बदलना शामिल है जिससे विशम्बर दास मार्ग, पं० पन्त मार्ग, महादेव रोड और रकाबगंज क्षेत्र में पानी पहुँचेगा।

3. तुगलक क्रिसेन्ट

इस योजना में 60 अश्व शक्ति के 5 पम्प सेटों सहित 23.87 लाख लीटर क्षमता के भूमिगत टैंक का निर्माण तथा 47.74 लाख लीटर पानी पहुँचाने के लिए आवश्यक सीआई तथा फीडर लाइनों को बिछाना शामिल है जिससे सफदरजंग रोड, कमाल उत्तातुर्क मार्ग, कुशक नाला, तीनमूर्ति मार्ग, साउथ एवेन्यू—एम० पी० फ्लैटस, त्यागराज मार्ग, डुप्ले रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, अकबर रोड तथा तुगलक रोड जैसे अति विशिष्ट व्यक्तियों के क्षेत्र को पानी पहुंचेगा।

4. नार्थ एवेन्यू—एम० पी० फ्लैटस

इस योजना में 20 अश्व शक्ति के 4 तथा 12.5 अश्वशक्ति के 2 पम्प सेटों सहित 8 लाख लीटर क्षमता के भूमिगत टैंक का निर्माण तथा आवश्यक सी आई लाइनों को बिछाना फीडर और वितरण और विद्यमान लाइनों में वृद्धि करना शामिल है जिससे नार्थ एवेन्यू—एम० पी० फ्लैट्स में 16 लाख लीटर पानी पहुंचेगा।

5. साउथ एवेन्यू

इस योजना में 30 अश्वशक्ति के 4 तथा 12.5 अश्वशक्ति के 2 पम्पसेटों सहित 10.86 लाख लीटर क्षमता के भूमिगत टैंक का निर्माण तथा आवश्यक सीआई एवं फीडर लाइनों को बिछाना और विद्यमान लाइनों में वृद्धि करना शामिल है। जिससे साउथ एवेन्यू—एम० पी० फ्लैट्स, विलिंगडन क्रिसेन्ट बंगलों तथा सर्कुलर रोड फ्लैटों को प्रतिदिन 21.72 लाख लीटर पानी पहुंचेगा।

दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि विद्यमान नीति के अनुसार यह संस्थान नियमित/अनधिकृत कालोनियों में भी पानी की मुख्य लाइनों की व्यवस्था करता है बशर्ते कि नियमित कालोनियों के मामले में निवासी अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत तथा अनधिकृत कालोनियों के मामले में योजना लागत के 25 प्रतिशत राशि जमा कर दें और शेष राशि किस्तों में जमा करें।

कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत

257. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत बहुत अधिक है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन अथवा अनुसंधान किया गया है,

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं,

(घ) क्या सरकार का विचार उत्पादन में प्रगतिरोध दूर करने की दृष्टि से और अधिक उत्पादनकारी बीजों की किस्सों का विकास करने के लिए कृषि अनुसंधान कार्य को बढ़ाने का है, और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इससे कृषि के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा 1970-71 से प्रारम्भ की गई एक विस्तृत योजना के अन्तर्गत कृषि जिसों की उत्पादन लागत का अध्ययन किया जा रहा है। विभिन्न आदानों के मूल्यों में वृद्धि होने से प्रति हैक्टार कास्त की लागत बढ़ गई है किन्तु अनेकों फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होने के कारण प्रति क्विटल उत्पादन लागत में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं है।

(ग) से (ङ) कृषि क्षेत्र को ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए सरकार द्वारा संगठित प्रयास किये गए हैं। प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन। अधिप्राप्ति मूल्य कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये जाते हैं जो अन्य बातों के साथ केवल उत्पादन लागत पर ही नहीं, बल्कि अन्तर्जिन्स मूल्य विविधता, मण्डी के चालू मूल्यों और विद्यमान भाग और सप्लाई की स्थिति आदि पर भी विचार करता है। सरकार बढ़े हुए उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए यह सुनिश्चित करती है कि समर्थन मूल्यों से उत्पादन पूरी हो और अतिरिक्त लाभ भी मिले। मार्च 1980 में कृषि मूल्य आयोग के समक्ष रखे गए संशोधित विचारार्थ विषय के अनुसार आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय कृषि क्षेत्र और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तों को भी ध्यान में रखे। इसके अलावा, विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है ताकि नयी अधिक पैदावार देने वाली किस्मों को बिकसित किया जाए जिसमें कीटों और बीमारियों की प्रतिरोधी शक्ति, अल्पावधि में फसल तैयार होना और बेहतर किस्म आदि शामिल हैं। यह सरकार द्वारा किए गए अनुसंधान और विकासात्मक उपायों का ही मिश्रित परिणाम है कि चालू फसल वर्ष (1983-84) के दौरान देश में खाद्यान्ना का लगभग 1430 से 1440 लाख मीटरी टन का रिकार्ड उत्पादन होने की सम्भावना है जबकि अब तक पिछला अधिकतम उत्पादन 1981-82 में 1333 लाख मीटरी टन रहा है।

नून्थेर बागमती और खिरोई में सिंचाई परियोजनाएं

258. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या सिंचाई मंत्री नून्थेर में बहुद्देशीय बांध के बारे में 12 दिसम्बर 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3051 और बागमती मास्टर प्लान की स्वीकृति के बारे में 22 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4441 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाखनदेई लाल बकाया, खिरोई और डोन्स के एक ही नदी सम्पर्क अर्थात् बागमती के भाग होने की दृष्टि से नेपाल में तथाकथित अघवाड़ा योजना, रामनगर बांध और नहर तथा बहुप्रयोजनीय बाँध परियोजना के एकीकरण के लिऐ कोई प्रयास किए जा रहे हैं ताकि नून्थेर में एक बहुप्रयोजनीय बांध और बागमती नदी की उक्त धाराओं पर परस्पर सम्बद्ध बाढ़ नियंत्रण सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके;

(ख) यदि हां. तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खिराई और डोन्स बागमती बाढ़ नियंत्रण परियोजना को बांध और उपयुक्त दूरी पर स्लूइस तथा शाइन द्वार एवं चैनल के निर्माण की व्यवस्था सहित बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई परियोजनाओं में बदल दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने बागमती सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजना तैयार की है तथा इस परियोजना को योजना आयोग द्वारा मई, 1983 में 185·70 करोड़ रुपए की लागत पर स्वीकार्य पाया गया है । बिहार सरकार ने अघवाड़ा समूह की नदियों के लिए बाढ़ नियंत्रण के लिए अलग से आवश्यक अन्वेषण तथा परियोजनाओं को तैयार करने का कार्य चरणों में शुरू किया है । राज्य सरकार के अनुसार ये दो स्कीमें एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं तथा ये समन्वित नहीं की जा सकती ।

यद्यपि भारत सरकार, नेपाल की महामहिम सरकार के साथ बागमती बेसिन के जल संसाधनों के विकास तथा अन्य साझी नदियों के सम्बन्ध में समय-समय पर, विभिन्न स्तरों पर बातचीत करती आ रही है, परन्तु नेपाल में बागमती नदी पर नून्थेड़ में बांध के निर्माण पर कोई सहमति नहीं हुई है ।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अधवाड़ा बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के अन्तर्गत जल-निकास नहरों की व्यवस्था की जाएगी । इन क्षेत्रों की बाढ़ से उचित सुरक्षा प्रदान करने के बाद ही सिंचाई स्कीमों का कार्य आरम्भ किया जाएगा ।

दिल्ली के लिए दूसरा मास्टर प्लान

259. **श्री नवीन रावणी : क्या निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के लिए दूसरा मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो नए मास्टर प्लान का ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण 1981-2001 की अवधि की दिल्ली की वृहद योजना को एक नए संदर्भ सहित संशोधित कर रहा है। संदर्भ योजना प्रारूप तैयारी की चरमावस्था में है।

(ख) 1981-2001 की संदर्भ योजना वर्ष 2001 में 128 लाख (122 लाख नगरीय तथा 6 लाख ग्रामीण) तक जनसंख्या की पूर्वानुमानित वृद्धि में आवास, समाज सुविधाओं, परिवहन, कार्य तथा मनोरंजन क्षेत्रों आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।

राजस्थान में गांवों में पेयजल की सप्लाई के लिए धन का आवंटन

260. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान का वर्ष 1983-84 के दौरान गांवों में पेयजल की सप्लाई की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सहायता अनुदान के रूप में कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की जाने वाली योजनाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है; और

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) 1983-84 के दौरान, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित समस्याग्रस्त ग्रामों में ग्रामीण पेय जल पूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वियन हेतु राजस्थान सरकार को 3363.83 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी गई थी। इसके अतिरिक्त, निष्पादन पर आधारित प्रोत्साहन के रूप 750 लाख रुपए की राशि भी दी गई थी।

(ख) जलपूर्ति तथा स्वच्छता राज्य का विषय है तथा राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा केन्द्रीय क्षेत्र त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएं बनाती तथा कार्यान्वित करती हैं। जलपूर्ति सुविधाएं मुहैया करने के लिए आरम्भ की जाने वाली योजनाओं के ब्यौरे राज्य सरकारों द्वारा तय किए जाते हैं।

एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न लाना ले जाना

261. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में गेहूं, चावल लाने ले-जाने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो भरपूर फसल होने को ध्यान में रखते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अत्यधिक आयात और वसूली के कारण खाद्यान्नों का रिकार्ड भण्डार जमा हो गया है जो सड़ने लगा है; और

(घ) क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्नों के निर्बाध लाने ले जाने से सारे देश में फालतू उत्पादन न करने वाले राज्यों में भण्डारण क्षमता का उपयोग करके खाद्यान्नों के खराब होने में कमी की जा सकती है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव : (क) और (ख) व्यापार खाते पर गेहूं और लेवी मुक्त चावल के संचलन के लिए देश को एक जोन माना जाता है। कुछ राज्यों द्वारा गेहूं पर संचलन लेवी लगायी जाती है। कुछेक राज्यों द्वारा व्यापार खाते पर धान के अन्तर्राज्यीय संचलन की इजाजत नहीं दी जाती है। मध्य प्रदेश से मक्का को छोड़कर खरीफ के मोटे अनाजों के संचलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ग) और (घ) आन्तरिक वसूली अच्छी होने और आयात करने के कारण सरकारी एजेंसियों के पास खाद्यान्नों की स्टाक स्थिति सुगम है। भण्डारण स्थान की उपलब्धता और संचलन क्षमता पर निर्भर करते हुए स्टाक को देश के विभिन्न भागों में भण्डारित किया जाता है। उपयुक्त भण्डारण क्षमता/सुविधाओं का इस्तेमाल न करने के कारण खाद्यान्नों की कोई क्षति नहीं हुई है।

मत्स्य बीज फार्म (फिश सीड्स फार्म)

262. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कितने मत्स्य बीज फार्म कार्य कर रहे हैं और ये किन-किन स्थानों पर स्थित है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सामाजिक कार्यकर्ताओं को फ्लैटों का आवंटन

263. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्राधिकरण ने कतिपय सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर फ्लैटों का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने फ्लैटों का आवंटन किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है :

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण

264. **श्री रशीद मसूद :**

श्री जगपाल सिंह : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रोहिणी योजना शुरू करने के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है और किस दर पर किया गया है तथा किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा किस दर पर दिया गया है;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि किस दर पर बेची जा रही है तथा भूमि के मूल्य निर्धारित करने के क्या मानदण्ड हैं; और

(घ) राजधानी में भूमि के बढ़ते हुए मूल्यों को नियन्त्रित करने के दिल्ली विकास प्राधिकरण के उद्देश्य से भूमि के बिक्री मूल्य कहां तक मेल खाते हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली में सभी वर्गों के लिए आवास की कमी को कम करने का उद्देश्य है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जिन दरों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि बेची जा रही है, वे निम्नलिखित हैं :—

वर्ग	प्लाट का आकार (वर्ग मीटर में)	प्रति वर्ग मीटर दर
(i) आर्थिक दृष्टि से कमजोर/जनता	26	100/-रुपये
(ii) निम्न आय वर्ग	32	125/-रुपये
(iii) निम्न आय वर्ग	48	150/-रुपये
(iv) मध्यम आय वर्ग	60	200/-रुपये
(v) मध्यम आय वर्ग	90	200/-रुपये

दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास तथा बिक्री की योजना के अनुसार जैसे कि गृह मन्त्रालय के 2.5.61 के पत्र में उल्लेख किया गया, रिहायशी प्लाटों को पूर्व निर्धारित दरों पर आवंटित किया जाना है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) अर्जन की लागत

(ii) विकास की लागत

(iii) अतिरिक्त प्रभार

उपर्युक्त मामलों में पूर्व निर्धारित दर इन तीन तथ्यों का ध्यान रखते हुए निश्चित की जाती है।

(घ) रोहिणी में 1,17,000 प्लाटों को विकासित करने का दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव है। इतनी बड़ी संख्या में प्लाटों को देने का एकमात्र विचार है कि भूमि की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोका जा सके और फिर इन प्लाटों को अत्यन्त मितव्ययी दरों पर बेचा गया है। उन्हें 100--200- रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बेचा जा रहा है। बिक्री के लिए अनुमति पर भी प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं ताकि सट्टेबाजी को हतोत्साहित किया जा सके।

विकासपुरी दिल्ली के निम्न आय वर्ग के फ्लैटों में रिसाव

265. **श्री मयूर अली खां :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घटिया दर्जे के सामान का उपयोग करने के कारण विकासपुरी, नयी दिल्ली में निम्न आय वर्ग के० जी०-11 पाकेट के फ्लैटों (विशेषकर फ्लैट संख्या 212, 215, 213, 211, 203, 205, 194 में) भारी रिसाव होता है;

(ख) क्या यह सच है कि इन फ्लैटों के आवंटियों ने सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता से इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए लिखित रूप से कई बार अनुरोध किया है परन्तु अभी तक इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि इस तरह के भारी रिसाव के कारण समूचे ब्लाक के फ्लैटों को आसन्न खतरा है;

(घ) यदि हां, तो इस रिसाव को प्राथमिकता के आधार पर समाप्त करने हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) इन फ्लैटों में रिसाव मुख्य रूप से आवंटियों/कल्याण

अभिकरणों द्वारा ऊपरी टंकियों, बेकार पाइपों, जलपूर्ति लाइनों इत्यादि की रोजमर्रा के उचित अनुरक्षण न किए जाने के कारण है। आवंटियों से जब कभी भी इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उन पर कार्यवाही की गई/की जा रही है और यदि निर्माण कार्य में कोई त्रुटियां ध्यान में आती हैं तो उन्हें ठीक किया जा रहा है। इस ब्लॉक की संरचना को कोई खतरा नहीं है।

पश्चिम बंगाल को गेहूं और खाद्य तेल की सप्लाई

266. **श्री सन्त कुमार मंडल :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए पश्चिम बंगाल को अब गेहूं की कितनी और अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध कराई गई है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान इस राज्य को खाद्य तेल की कितनी मात्रा आवंटित की गई है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने विद्यमान कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) केन्द्रीय पूल से पश्चिमी बंगाल सरकार को सार्वजनिक प्रणाली के लिए जनवरी, 1984 से प्रतिमास 21,000 मीटरी टन गेहूं की अतिरिक्त मात्रा आवंटित की गई है।

(ख) चालू तेल वर्ष 1983-84 के दौरान फरवरी, 1984 तक राज्य सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 41,000 मीटरी टन खाने के तेल आवंटित किए गए हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए वर्तमान आवंटन के 20 प्रतिशत तक गेहूं के अतिरिक्त आवंटन करने की पेशकश के प्रत्युत्तर में पश्चिमी बंगाल सरकार ने गेहूं के अपने मासिक आवंटन को 1,05,000 मीटरी टन से बढ़ाकर 1,45,000 मीटरी टन करने के लिए अनुरोध किया था। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य के गेहूं के मासिक आवंटन को बढ़ाकर जनवरी, 1984 से 1,26,000 मीटरी टन कर दिया गया था। राज्य सरकार ने खाने के तेल के वर्तमान आवंटन में किसी प्रकार की वृद्धि करने के लिए अनुरोध नहीं किया है।

तिलहनों और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के महासंघों की स्थापना

267. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि तिलहनों और दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के दो महासंघों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार तिलहनों और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे किसानों को बड़े पैमाने पर कीट नाशक दवाइयों और तिलहनों के निशुल्क मिनी किट्स देने पर विचार करेगी जिनके साथ उनके उचित प्रयोग करने सम्बन्धी आवश्यक निर्देशों की पुस्तिका भी होगी, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) किसानों के हितों की रक्षा हेतु तिलहनों और दलहनों के उत्पादन में वृद्धि के लिए अनेक स्तरों पर विपणन में पर्याप्त समर्थन की आवश्यकता है। राज्यों में विद्यमान सहकारी विपणन संगठन तथा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ इस समय दलहनों का कार्य करते हैं। बढ़ते हुए उत्पादन के समर्थन में वर्तमान संरचना के कार्य निष्पादन को दृष्टि में रखते हुए और आवश्यक हुआ तो दलहनों और तिलहनों के लिए पृथक-पृथक राष्ट्रीय संघ बनाये जायेंगे।

(ख) और (ग) विद्यमान योजनाओं में, विशेषकर छोटे सीमान्त, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के किसानों को तिलहनों और दलहनों की उन्नत किस्मों और उर्वरकों के मिनी किटों की सप्लाई करने की व्यवस्था है। दलहनों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इन वर्गों के किसानों को सप्लाई किये जाने वाले मिनी किटों में सूचनात्मक पैम्फलटों के साथ कृमिनाशियों को भी शामिल किये जाने का प्रस्ताव है।

नकली कीटनाशक दवाईयों और उर्वरकों का निर्माण और विपणन

268. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में नकली कीटनाशक दवाइयों का बड़े पैमाने पर निर्माण और विपणन हो रहा है ;

(ख) क्या केन्द्र ने राज्य सरकारों से महत्वपूर्ण कृषि आदानों के लिए किस्म नियंत्रण प्रबुन्ध को सुदृढ़ करने के लिए कहा है;

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) कीट नाशक दवाइयों और उर्वरकों के बेईमान विनिर्माताओं और मिलावट करने वालों को क्या कठोर दण्ड देने की व्यवस्था करने पर विचार किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार को देश में नकली

कृमिनाशक दवाइयों का बड़े पैमाने पर निर्माण और विपणन करने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी, हां। राज्य सरकारों से समय-समय पर आदानों के लिए गुण नियन्त्रण व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कहा गया है। हाल ही में, केन्द्रीय कृषि मन्त्री ने भी इस सम्बन्ध में सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को लिखा है।

(ग) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की प्रतिक्रिया बहुत ही उत्साहवर्धक रही है। केन्द्र और राज्य सरकारों ने अच्छे किस्म के कृमिनाशी, उर्वरक और बीजों की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए पहले ही अनेक कदम उठाये हैं। केन्द्रीय प्रयोगशालाओं के अलावा, कृमिनाशियों और उर्वरकों के लिए राज्यों में अनेक प्रयोगशालायें स्थापित की गयी हैं। कृषि आदानों की वर्तमान विश्लेषण सुविधा में वृद्धि करने के अलावा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि प्रवर्तन तन्त्र को तेज करें तथा उसे सुदृढ बनायें ताकि अधिक नमूने लिए जा सके तथा उनका विश्लेषण किया जा सके। उनको यह भी सलाह दी गयी है कि वे विक्रेताओं/वितरकों का जल्दी-जल्दी से निरीक्षण करें तथा अधिक नमूने लें तथा उनका विश्लेषण करें।

(घ) कृमिनाशियों और उर्वरकों के बेईमान विनिर्माणकर्ताओं तथा मिलावट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए आवश्यक जिन्स अधिनियम उर्वरक नियन्त्रण आदेश और कीटनाशी अधिनियम तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों के वर्तमान प्रावधान पर्याप्त समझे गये हैं।

चावल का आयात

269. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या खाद्य नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार चावल का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और इसका किन-किन शर्तों और किन-किन देशों से आयात किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में कमी के कारण चावल का आयात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसके आयात से कमी पूरी हो जाएगी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) सरकार जब कभी आवश्यक और व्यवहार्य समझती है और उस समय उपलब्ध शर्तों पर, खाद्यान्नों का आयात करने का वैकल्प अपने पास रखती है।

(ग) और (घ) देश में 1982-83 के दौरान सूखे की स्थिति के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अत्यधिक दबाव की दृष्टि से सरकारी एजेंसियों के पास स्टाक में वृद्धि करने के लिए हाल ही में चावल का आयात करना आवश्यक समझा गया था।

मूल्य वृद्धि को रोकने वाले उपायों को पुनः लागू करना

270. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1975-77 में लागू किए गए और 1977 में वापस लिए गए मूल्य सूची लगाना, वस्तुओं पर मूल्य दर्शाने की प्रणाली और थोक मूल्यों का आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारण जैसे उपायों को जिनका मूल्यों को नियंत्रण रखने में स्पष्टत: और प्रशंसनीय प्रभाव पड़ा था, पुन: लागू करने पर हाल में विचार किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो मूल्यों की निरंतर बढ़ने की प्रवृति को देखते हुए ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) (क) तथा (ख) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत मूल्य/स्टाक प्रदर्शन आदेश जारी किए जा चुके हैं तथा वे उन्हें विधिवत लागू कर रहे हैं, अतः आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को प्रदर्शित करने की योजना को फिर से शुरू करने का प्रश्न नहीं उठता। बाट तथा माप मानक (पेकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के अर्न्तगत पैकेज में रखी वस्तुओं पर भी मूल्य अंकित करना अनिवार्य है। जहां तक आकाशवाणी का सम्बन्ध है, कृषि वस्तुएं के थोक मूल्य, कृषकों तथा अन्य ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रसारित कृषि तथा घरेलू कार्यक्रमों में घोषित किए जाते हैं। इसके अलावा, आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से सुपर बाजार में आवश्यक वस्तुओं के चालू मूल्य रोजाना प्रसारित किए जाते हैं। दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली मंगलवार और शुक्रवार को नियमित रूप से आवश्यक वस्तुओं के भाव प्रसारित करता है।

केरल में सूखे से हुई हानि को पूरा करने की योजना

271. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को सूखे के कारण हुई हानि को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई मुख्य योजनाएं क्या हैं ; और

(ख) केन्द्र द्वारा राज्य को अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) और (ख) राज्य सरकार ने जनवरी और मार्च, 1983 में सूखा राहत के लिए ज्ञापन भेजे थे जिनमें क्रमश: 23.56

करोड़ रु० और 229.60 करोड़ रू० की केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया गया था। केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य को वर्ष 1982-83 के लिए 4.10 करोड़ रू० और 1983-84 के लिए 42.46 करोड़ रू० अधिकतम सीमा की मन्जूरी दी गई थी। नारियल विकास के लिए नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से जड़ मुर्झान से प्रभावित ताड़ों को हटाने और नारियल की पौद की सप्लाई करने के लिए 49 लाख रू० की अतिरिक्त धनराशि भी सुलभ करायी गई है।

आवश्यक वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक

272. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवश्यक वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1983 के दौरान और 1984 में आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में महीने-वार कितना अन्तर हुआ है और यह पिछले वर्ष की तुलना में कितना है;

(ग) कृषि उत्पादन के बढ़ने के बावजूद मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन पर नियन्त्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री(डा०एम०एस० संजीवी राव) (क) जनवरी, 1984 को समाप्त तीन महीनों के दौरान, विभिन्न वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में मिश्रित रुख रहा है। कुछ वस्तुओं के मूल्यों में कमी हुई है, कुछ के बढ़े हैं तथा कुछ के कमोवेश रूप से स्थिर रहे हैं।

(ख) 1983 के 12 महीनों तथा जनवरी, 1984 के दौरान, चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में आया मास-वार उतार-चढ़ाव विवरण में दिया गया है। जनवरी, 1983 की तुलना में जनवरी, 1984 में विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आमतौर पर उंचे रहे हैं।

(ग) पिछले कुछ महीनों के दौरान कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि, मुख्यत: 1982 के गम्भीर सूखे के चल रहे प्रभाव तथा कुछ वस्तुओं के मामले में कमी की अवधि होने के कारण कही जा सकती है। कोयले के मूल्य में वृद्धि की गई है।

(घ) सरकार की नीति विभिन्न वस्तुओं, विशेष रूप से कम मात्रा में उपलब्ध वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने पर प्रमुख बल देना रहा है। कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की देश में उपलब्ध उनकी मात्रा की अनुपूर्ति आयात करके की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके माध्यम से सारे देश में लोगों को कई आवश्यक वस्तुएं वितरित की जा रही है, को मजबूत बनाया जा रहा है तथा उसका विस्तार किया जा रहा है। राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे चोर बाजारी, जमाखोरी आदि को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के कानूनों के उपबन्धों को कड़ाई से लागू करें।

विवरण-1

चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में मासिक उतार चढ़ाव

वस्तुएं	जन०83 / दिस०82	फर०83 / जन०83	मार्च 83 / फर०83	अप्रै०83 / मार्च 83	मई 83 / अप्रै०83	जून 83 / मई 83	जुलाई83 / जून 83	अग०83 / जुलाई 83	सित०83 / अग०83	अक्तू०83 / सित०83	नव०83 / अक्तू०83	दिस०83 / नव०83	जन०84 / दिस०83
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
चावल	+0·2	+3·8	+1·2	+1·8	+2·4	+3·3	+3·8	+3·6	+0·1	—3·5	—4·8	—4·1	—1·1
गेहूं	+6·6	+6·0	स्थिर	—5·9	—6·2	+0·5	+1·1	—0·8	स्थिर	+0·1	+2·1	+0·5	+3·0
ज्वार	+1·5	+5·6	+2·0	—2·9	+3·5	+0·6	+3·8	+2·0	—2·0	+0·7	+0·6	+6·8	—3·1
बाजरा	+3·2	+4·7	+2·1	+3·6	+6·2	—3·3	—1·3	—2·5	—8·9	—7·0	+1·4	+4·7	—0·1
चना	—4·7	—1·9	—1·5	+2·7	+1·1	—1·3	+1·7	+5·1	+0·3	+0·4	+10·1	+10·6	+8·9
अरहर	+1·4	—0·6	+0·8	+1·3	+2·6	+3·3	+9·5	+2·1	—1·4	—0·7	+2·6	+5·0	—0·9
मूंग	+1·5	+1·3	+5·1	+7·7	+5·2	+0·8	+6·2	+0·7	—6·9	—5·2	+1·5	+2·6	+9·1
मसूर	+6·3	—4·0	स्थिर	+5·2	+6·5	—0.1	+1·1	+4.0	+1·2	—0·5	+8·0	+12·3	+11·2
उड़द	+0·8	+3·9	+1·7	+8·8	+3·8	+1·8	+5·7	+5·1	—2·3	—0·7	—2·2	+4·3	+5·7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आलू	—18.2	+4.4	+18.1	+24.3	+21.2	स्थिर	+13.0	+7.8	+12.0	—7.4	+12.1	—23.0	—20.7
प्याज	—3.8	—23.5	—3.2	—0.4	+9.5	+6.7	+26.7	+13.7	+19.4	—5.8	+9.0	—5.1	—31.5
वनस्पति	—0.2	—0.7	+0.1	स्थिर	+1.0	+0.3	—0.6	—0.2	+0.2	—0.9	—0.4	—0.3	—0.5
मूंगफली का तेल	+1.9	—1.1	—0.6	+2.4	+5.3	—0.5	+3.7	+8.8	+2.9	—4.8	—6.8	—3.0	+2.8
सरसों का तेल	—1.1	—0.6	—3.0	+0.5	+4.9	+6.8	—0.4	+3.1	+2.5	+2.2	+10.2	+14.3	+6.5
नारियल का तेल	+6.4	+0.2	—6.3	—1.3	+1.5	+8.1	+6.0	+1.1	+5.0	+7.1	+10.5	+8.1	+2.8
जिंजली का तेल	+4.9	+0.5	+1.2	+3.6	+3.0	—8.3	+1.1	+2.4	—1.8	—3.0	+2.3	+7.2	+3.5
दूध	+0.1	+1.3	—0.2	+0.7	+5.1	स्थिर	+0.2	+0.4	+2.7	+1.8	+0.5	+1.2	—0.5
मछली	+0.2	+4.9	—7.7	+4.8	—0.4	+0.1	+2.0	+8.0	—9.9	—1.9	—3.8	—2.6	+6.3
गोश्त	+0.4	+1.0	+1.2	स्थिर	स्थिर	स्थिर	—0.3	+0.6	स्थिर	स्थिर	+2.2	+0.7	स्थिर
चीनी	स्थिर	+1.6	+0.8	+1.5	+3.8	स्थिर	—1.2	—1.4	+0.3	—1.2	+0.3	+1.1	स्थिर
गुड़	+2.5	—1.9	+0.7	+15.0	+13.0	+2.4	+5.0	+9.3	+8.2	+2.3	—12.8	—11.4	+8.1
मिट्टी का तेल	स्थिर	+12.5	+2.9	—8.1	+0.6	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
आटा	+4.0	—3.9	स्थिर	+5.7	+3.6	स्थिर	—3.6	—6.3	—1.9	—3.3	+1.7	—2.3	+6.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
लाल मिर्चें	—12.9	—9.1	—4.7	—0.1	—2.9	—0.7	+5.1	—5.6	—5.3	+7.0	+16.9	—5.6	—6.9
चाय	+12.7	+2.2	+13.8	—0.1	+7.0	+11.5	—8.3	—2.8	+8.9	+4.5	+7.9	+3.7	—6.3
दियासलाइयां	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
नमक	—3.2	स्थिर	—3.9	+0.7	स्थिर	+1.0	+1.4	+2.3	—0.4	+0.7	+0.2	+3.0	—0.6
साबुन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	+1.1	+3.5	+1.9	स्थिर	+0.9	स्थिर	+2.6	—2.5	+1.0	+1.5
सूती कपड़ा (मिल का)	+0.3	स्थिर	+0.5	+1.0	+0.6	+0.4	स्थिर	स्थिर	+0.1	+0.1	स्थिर	स्थिर	+0.1
समस्त वस्तुएं	+0.2	+0.8	+0.9	+1.5	+2.5	+0.7	+1.1	+1.6	+0.5	+0.2	—0.3	स्थिर	+1.2

चीनी की उत्पादन लागत कम करना

273. **श्री भीम सिंह :**

श्री मोती भाई श्रार० चौधरी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग को उत्पादन लागत में कमी करने की सलाह दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) : गन्ने की लागत जो कि उसकी किस्म के संदर्भ में एक जोन से दूसरे जोन में भिन्न-भिन्न होती है, चीनी की उत्पादन लागत का लगभग 70 प्रतिशत बैठती है। लागत के अन्य अवयवों जैसा कि रूपान्तरण लागत, आदि पर, विशेषज्ञ निकायों द्वारा तैयार किए गए पैरामीटरों के संदर्भ में विचार किया जाता है। क्योंकि उद्योग पर लागू लेवी मूल्य उपर्युक्त के संदर्भ में निर्धारित किए जाते हैं इसीलिए इन आधारों पर उद्योग को परामर्श देने का कोई अवसर नहीं आया है यद्यपि चर्चाओं, तथा सेमिनारों में चीनी उद्योग को अधिक कुशल तथा लागत की दृष्टि से प्रतियोगी बनने की आवश्यकता पर हमेशा बल दिया गया है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

274. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि हाल के महीनों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) इस वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार के पास क्या प्रस्ताव हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जनवरी, 1984 को समाप्त पिछले तीन महीनों के दौरान विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में एक मिश्रित रुख रहा है। जब कि वस्तुओं के मूल्य घटे हैं, कुछ वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान कुछ अन्य वस्तुओं के मूल्य लगभग स्थिर रहे हैं।

(ख) इस अवधि के दौरान कुछ वस्तुओं के मूल्यों में आई वृद्धि, मुख्यतया 1982 के सूखे के चले आ रहे प्रभाव तथा रबी की फसलों के मामले में कमी की अवधि होने के कारण हुई मानी जा सकती है।

(ग) और (घ) सरकारी नीति में मुख्य जोर विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने पर दिया जा रहा है। खाद्य तेलों, पैट्रोलियम उत्पादों, अनाजों तथा दालों जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं की देशीय उपलभ्यता बढ़ाने के लिए आयात भी किये जाते हैं। सार्वजनिक वितरण के तंत्र को मजबूत किया जा रहा है तथा उसका विस्तार किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए विभिन्न वस्तुओं के आबंटन आमतौर पर गत वर्ष की तुलना में अधिक किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह दी जा रही है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के कानूनों के उपबंध को कड़ाई से लागू करें।

दूध की देश-वार खपत

275. **श्री एम० एम० लारेंस :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक देश में दूध की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : देशवार प्रति व्यक्ति दूध की खपत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

तीस्ता परियोजना के लिए वित्तीय सहायता

276. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :** क्या **सिंचाई** मंत्री यह कृपा करेंगे कि क्या सरकार तीस्ता परियोजना के लिए, जिस पर पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है, वित्तीय सहायता मंजूर करने वाली है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : इस परियोजना के अग्रिम अवस्था में होने और मानसून ऋतु से पूर्व नदी के भाग में कार्य को पूरा करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए तीस्ता बराज परियोजना पर 1983-84 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा व्यय किये जाने वाले 28 करोड़ रुपये के अलावा 5 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की सहमति हो चुकी है।

निर्धन लोगों को सस्ती दरों पर गेहूं और चावल की सप्लाई करना

277. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि देश भर में निर्धन लोगों को गेहूं और चावल सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ख) यदि हां, तो निर्धन लोगों को उपलब्ध कराए जाने वाले उक्त पदार्थों की मात्रा और किस्म के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्यों को भी कोई निर्देश जारी किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में लिये गये निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम में नियोजित मजदूरों को मजदूरी के भाग के रूप में प्रति व्यक्ति एक किलोग्राम प्रति श्रम दिवस की दर से रियायती दरों पर खाद्यान्न दिए जाएंगे। 1.50रु०प्रति किलोग्राम की दर से मजदूरों को अच्छी किस्म का गेहूं दिया जाएगा। चावल के मामले में, 1.85 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से साधारण किस्म का चावल वितरित किया जाएगा। यदि साधारण किस्म का गेहूं उपलब्ध नहीं हो तो बढ़िया और बहुत बढ़िया किस्म का गेहूं दिया जाएगा तथा बढ़िया किस्म के चावल के लिए 1.95 रुपये प्रति किलोग्राम और बहुत बढ़िया किस्म के चावल के लिए 2.10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मूल्य लिया जायेगा।

राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने हेतु प्रबंध करने के लिए निर्देश जारी किये गये हैं कि वे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत पात्र मज़दूरों को रियायती दरों पर में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति एक किलोग्राम खाद्यान्न सप्लाई किया जाए।

बारानी क्षेत्र की फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मार्ग निदेश

278. **श्री हरिहर सोरन :**

श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बारानी खेती की फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न राज्यों को मार्ग निदेश जारी किए हैं;

(ख) क्या बारानी खेती बढ़ाने में राज्यों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं की सरकार को जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो राज्यों को उनकी कठिनाईयों को दूर करने और बारानी खेती बढ़ाने के लिए किस सीमा तक सहायता दी गई है; और

(घ) उसके लिए कौन-सी केन्द्रीय योजनाएं अपनाई गई हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बारानी कृषि पर क्षेत्र-

पुस्तिका (फील्ड मैनुयल) तैयार की गयी है, जिसमें राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार मार्गदर्शी सिद्धान्त दिये गये हैं और सभी राज्यों को भेजी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) आधुनिक बारानी प्रौद्योगिकी के विकास और अपनाये जाने के लिये राज्यों को प्रौद्योगिक, वित्तीय और अनुसंधान से संबंधित समर्थन दिया गया गया है।

(घ) योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

(1) अखिल भारतीय बारानी खेती समन्वित अनुसंधान परियोजना :

23 स्थानों में स्थान विशेष की कृषि पद्धितियों का पैकेज विकसित करने के लिये बारानी खेती के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में गहन अनुसंधान किये गये हैं।

(2) बारानी खेती के क्षेत्रों में जल संरक्षण/जल संचयन प्रौद्योगिकी का प्रसार :

यह एक व्यापक पनधारा विकास योजना है जिसमें वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों के अन्तर्गत उत्पादन में वृद्धि करने और उसे स्थायित्व देने के लिये वर्षा के जल, भूमि विकास, उन्नत सस्य पद्धति, वनरोपण, चरागाह विकास आदि का वैज्ञानिक प्रबन्ध आदि शामिल हैं। 15 राज्यों के 19 जिले जो विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कराते हैं, प्रत्येक में से 600-700 हैक्टार (6-7 उप-पनधारों का एक समूह) विकसित किया जायेगा। इस योजना को पूरी तरह से केन्द्रीय सहायता प्राप्त है।

(3) बारानी कृषि का विकास-बीज एवं उर्वरक ड्रिल, फसल की उन्नत किस्में उपजाने, उर्वरक उपयोग करने को लोक प्रिय बनाना आदि :

इस योजना को भी 15 राज्यों के उन 19 जिलों में शुरू करने का प्रस्ताव है। आदानों और उपस्करों का प्रभाव प्रदर्शित करने तथा रियायती दरों पर बीज एवं उर्वरक ड्रिल उलब्ध कराने पर मुख्य रूप से बल दिया गया जा रहा है। छठी पंचबर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक 0.5 हैक्टार के 7,200 प्रदर्शन, जिसमें 3,600 हैक्टार क्षेत्र शामिल होगा, किये जायेंगें तथा 4000 कृषक परिवारों को रियायती दरों पर बीज एवं उर्वरक ड्रिल उपलब्ध कराये जायेंगे। यह एक केन्द्र-प्रायोजित योजना है और इसकी लागत का वहन केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्यों के बीच द्वारा पचास-पचास प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा।

(4) आदर्श पन धाराओं का विकास :—

उपरोक्त क्रम संख्या 2 में उल्लिखित 19 पनधाराओं के सहित कुल 42 आदर्श पन-

धाराओं का विकास संयुक्त रूप से केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकारों, भारतीय वन अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थानों तथा कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किया जा रहा है। ये पनधाराएं एक केन्द्रीय बिन्दुओं के रूप में कार्य करेंगे, जहां से सलंग्न राज्यों की ओर परिष्कृत तथा उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रसार होगा।

(5) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम :—

यह योजना 13 राज्यों के 76 जिलों में चलाई जा रही है और यह वर्ष पर आधारित परिस्थितियों के अंतर्गत उत्पादन में वृद्धि करने और स्थायित्व देने के बास्ते पारिस्थितिक-संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग हेतु पनधारा विकास के सिद्धान्त पर मुख्यत: आधारित है।

भारतीय खाद्य निगम को हानि

279. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

श्री बापू साहिब परुलेकर :

श्री मोहन लाल पटेल :

प्रो० अजित कुमार मेहता :

श्री नवीन रावणी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1981-82 वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम को भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1981, और 1982 और 1983 में कुल कितना अनाज नष्ट हुआ अथवा उसकी हानि हुई;

(ग) उसका मूल्य कितना था; और

(घ) इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) पिछले वर्ष की तुलना में 1981-82 में परिचालनों की कुल मात्रा के संदर्भ में हानि की प्रतिशतता में गिरावट आयी थी।

(ख) और (ग) 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के वर्षों के दौरान कमियों और क्षति के रूप में खाद्यान्नों की हुई हानि की कुल मात्रा और मूल्य का ब्यौरा अग्रलिलिखित दिया है गया :—

	मात्रा (लाख मी० टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1980-81	6.43	104.60
1981-82	6.51	120.05
1982-83	7.40	146.92

(घ) निगम ने नुकसान को कम करने की दृष्टि से लदान और उतरान स्थानों पर उपयुक्त तौल करना, खुले भण्डारण को कम करना, डिपुओं पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करना, भण्डारण और हैंडलिंग प्रौद्योगिकी में सुधार करना, विशेष स्क्वायडों द्वारा स्टाक की प्रत्यक्ष जांच करना, प्राप्तियों, निर्गम और इतिशेष स्टाक के बारे में सूचना देने की प्रणाली में सुधार करना आदि जैसे विभिन्न उपाय किये हैं।

भारतीय खाद्य निगम में मजदूरों के वेतन का पृथक-पृथक ढांचा

280. **श्री सूर्य नारायण सिंह :**

श्री के० ए० राजन : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के पश्चिम बंगाल के गोदामों में काम करने वाले विभागीय ढुलाई मजदूरों को उसी वेतनमान पर संशोधित वेतन की अदायगी की जा रही है, जिस पर पत्तन और गोदी मजदूरों को की जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, और आसाम में ऐसे मजदूरों को समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए संशोधित वेतन नहीं दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उनके वेतन का पुनरीक्षण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० **एस० संजीवी राव**) : (क) और (ख) कलकत्ता के पत्तनों और गोदियों तथा पत्तन शहर के गोदामों में कार्यरत भारतीय खाद्य निगम के विभागीय श्रमिकों को वही मजदूरी वेतनमान दिए जाते हैं जोकि पत्तन और गोदी श्रमिकों को दिए जाते हैं। मजदूरी ढांचा बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभागीय श्रमिकों को 1978 में उनके लिए तैयार किए गए मजदूरी-ढांचे के अनुसार मजदूरी दी जा रही है। असम, बिहार और उड़ीसा के विभागीय श्रमिकों को न्यायाधीश मित्रा द्वारा दिए गए पंच-फैसले के अनुसार मजदूरी दी जा रही है। मजदूरी में और वृद्धि करने के बारे में विचार किया गया था लेकिन यूनियन को यह पेशकश स्वीकार्य नहीं है और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी है।

विवरण

मजदूरी ढांचा (1.1.1980 से)

(पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता के पत्तन शहर के गोदामों के भारतीय खाद्य निगम के विभागीय मजदूरों के लिए)

श्रेणी	सरदार अथवा समकक्ष	मंडल अथवा समकक्ष	हैंडलिंग श्रमिक अथवा समकक्ष	सहायक श्रमिक अथवा समकक्ष
		रु०	रु०	रु०
(क) वेतनमान	400-11-411	370-11	350-9-386	330-8-370-द०रो०
द०रो०	12-495	425-12	10-436	9-415
द०रो०	14-635	533-13 द०रो०	11-524 द० रो०	10-475-द०रो०
		598 द०रो०		

	मूल वेतन रु०	निर्धारित मंहगाई भत्ता रु०
(ख) निर्धारित मंहगाई भत्ता	325—346	186.90
	347—366	191.90
	367—376	194.40
	377—386	196.90
	387—396	199.40
	397—464	201.90
	465—475	204.40
	476—487	206.90
	488—498	209.40
	499—594	211.90
	595—729	214.40

(ग) परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता :	सभी स्तर के वेतन पर सी० पी० आई० न० 363 (1960-100) से ऊपर प्रत्येक बिन्दू पर 300 रुपये की दर से।
(घ) निर्धारित विशेष भत्ता — 31-12.79 को पहले ही कार्य कर रहे कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए	1.1.80 को अथवा इसके बाद नियुक्त किए गए श्रमिकों के लिए निम्नतम वेतनमान का न्यूनतम

मूल वेतन की रेंज रु०	प्रति मास दर रु०	
325—400	83.00	
401—500	93.00	
501—600	100.00	पहले वर्ष के लिए 75/-रुपये प्रति मास
601—700	110.00	और इसके बाद 83/-रुपये प्रति मास

(ङ) मकान किराया भत्ता	कोई मकान किराया भत्ता देय नहीं है।
(च) नगर भत्ता	कोई नगर भत्ता देय नहीं है।

कालकाजी आदि में डी० डी० ए० के फ्लैटों में ढांचे सम्बन्धी दोष

281. **श्री गुलशेर अहमद :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० को कालकाजी आदि में निर्मित आवासीय फ्लैटों में ढांचे संबंधी दोषों के बारे में, कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जैसा कि 3 मार्च, 1983 के "इंडियन एक्सप्रैस" में समाचार था;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और वे आवासीय योजनाएं कौन-सी हैं जिनके निर्माण में ढ़ांचे सम्बन्धी बड़े और अन्य दोष पाये गए हैं और उन दोषों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दोषों को दूर करने अथवा ऐसे फ्लैटों के आबंटितियों को क्षतिपूर्ति देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) डी० डी० ए० के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भविष्य के लिए कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों से बाढ़ सम्बन्धी रिपोर्ट

282. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1983 के दौरान बाढ़ से प्रभावित सभी राज्यों से रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा इन राज्यों को कितनी सहायता दी गई है;

(ग) इन राज्यों को बाढ़ से हुई हानि को पूरा करने के लिए कितनी सहायता की आवश्यकता होगी; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी रिपोर्टों पर विचार कर लिया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम, राजस्थान, तमिलनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र—गोआ, दमन और दीव तथा पांडिचेरी की सरकारों ने वर्ष 1983 के दौरान बाढ़ राहत के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए ज्ञापन भेजे हैं। बिहार, उड़ीसा, केरल और पश्चिम बगाल राज्यों ने इसके लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों और उस पर राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, त्रिपुरा, राजस्थान और अत्तर प्रदेश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी को बाढ़/चक्रबात राहत के लिए अब तक 275.78 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा की केन्द्रीय सहायता मंजूर की जा चुकी है।

(घ) केन्द्रीय सहायता के लिए सिक्किम, तमिलनाडू और नागालैण्ड राज्यों के अनुरोध पर कार्यवाही चल रही है। तथापि, अन्तिम मंजूरी के जारी होने तक, आपाती राहत खर्च को पूरा करने के लिए तमिलनाडू के लिए 15 करोड़ रुपए और सिक्किम के लिए 1.00 करोड़ रुपए के साधनोपाय अग्रिम की राशि नियुक्त की गई है। नागालैण्ड सरकार ने हाल ही में जनवरी, 1984 के अन्त में अपना ज्ञापन भेजा था। महाराष्ट्र, मेघालय राज्यों और साथ ही संघ राज्य

क्षेत्र पांडिचेरी के बाढ़ राहत के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता सम्बन्धी ज्ञापनों पर विचार किया जा रहा है। संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव से अपने निजी स्रोतों से खर्च को पूरा करने के लिए कहा गया है।

भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना

283. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन :**

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माननीय प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में भारतीय खेल प्राधिकरण के गठन में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण के गठन के बाद अखिल भारतीय खेल परिषद् को समाप्त कर दिया जाएगा ?

खेल विभाग में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) भारतीय खेल प्राधिकरण पर सरकारी संकल्प पहले ही 25 जनवरी, 1984 को जारी किया गया है।

(ख) अखिल भारतीय खेल परिषद को समाप्त करने अथवा अन्यथा, निर्णय यथासमय लिया जाएगा।

उपभोक्ता संरक्षण परिषद् द्वारा की गई सेवा

284. **श्री जगन्नाथ पाटिल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ताओं को, जिनके लाभ के लिए इसकी स्थापना की गई थी, उपयोगी सेवा प्रदान करती रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परिषद् द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं और उन पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) उपभोक्ता सरक्षण परिषद का गठन देश में उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन को बेहतर दिशा तथा प्रयोजन प्रदान करने और सरकार को उपभोक्ताओं के हितों से सम्बन्धित सभी बातों के बारे में जिसमें उपभोक्ता संरक्षण के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों द्वारा किए जाने वाले उपाय शामिल हैं, सलाह देने के उद्देश्य से किया गया है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

परिषद ने 26.11.1983 को हुई अपनी पहली बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की थीं :—

1. उपभोक्ता संरक्षण परिषद के तत्वाधान में एक छोटा कार्यकारी दल गठित किया जाए, जिसमें सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि हों। यह दल राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से, उपभोक्ता संरक्षण कानूनों में किन्हीं भी परिवर्तनों के बारे में, जिन्हें वे उपयुक्त समझते हैं, परामर्श करेगा। इन कानूनों को प्रशासित करने वाले सम्बन्धित मन्त्रालयों से आगे और परामर्श करने के पश्चात, उपभोक्ता संरक्षण की दृष्टि से वांछित उपयुक्त परिवर्तनों के सुझाव दिए जाएंगे।

2. इसी प्रकार की पुनरीक्षा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामान्य प्रशासकीय प्रबन्धों के बारे में की जाए। उपभोक्ता अधिकारों को संरक्षित करने में सहायक प्रशासकीय प्रक्रियाओं का पता लगाया जाएगा और उन्हें मजबूत किया जाएगा। इस बारे में कुछ प्रक्रियाओं को सरल बनाने की आवश्यकता हो सकती है।

3. राज्य सरकार को, उपभोक्ता संरक्षण से सम्बन्धित मौजूदा कानूनों के कार्यान्वयन में चुस्ती लाने की सलाह दी जाएगी। उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वे स्वैच्छिक संगठनों को, उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरुकता पैदा करने के उनके प्रयासों में और अधिक प्रभावी तरीके से मदद करें। इससे इस उद्देश्य को प्राप्त करने में कि उपभोक्ता सर्वोपरि है, सहायता मिलेगी।

मौजूदा कानूनी ढांचे में उपयुक्त समझे जाने वाले परिवर्तन करने के बारे में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से परामर्श करने के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया गया है। राज्य सरकारों को इस बारे में लिखा गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को गेहूं और चावल की सप्लाई

285. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु :**

श्री एन० ई० होरो :

श्री अमर राय प्रधान :

श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने यह घोषणा की है कि पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले गरीब लोगों को गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने परियोजनाओं में काम करने वाले गरीब श्रमिकों, जो चावल खाते हैं, विशेषकर दक्षिणी क्षेत्रों में, की श्रेणी पर भी विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस योजना से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(घ) यह योजना किन-किन राज्यों में क्रियान्वित की गई है ?

ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तंगत नियोजित श्रमिकों को रियायती दरों पर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति एक किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। उनको गेहूं 1.50 रु० प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। चावल के मामलों में, साधारण चावल 1.85 रु० प्रति किलो की दर से वितरित किया जाएगा। यदि साधारण किस्म का चावल उपलब्ध नहीं है, तो बढ़िया और बहुत बढ़िया किस्म का चावल उपलब्ध कराया जाएगा। बढ़िया किस्म के चावल के लिए 1.95 रु० प्रति किलोग्राम और बहुत बढ़िया चावल के लिए 2.10 रु० प्रति किलोग्राम के हिसाब से मूल्य वसूल किए जाएंगे।

राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तंगत सभी श्रमिकों को शामिल किया गया है।

केरल में नारियल के वृक्षों को क्षति पहुंचाने वाले रोग

286. **श्री स्कारिया थामस** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नारियल के वृक्षों को क्षति पहुंचाने वाले 'रूट-बिल्ट' और 'लीफ-रॉट' रोगों के सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रोगों के उन्मूलन के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमन्। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अन्तंगत केन्द्रीय बागानी फसल अनुसन्धान संस्थान के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, कायंगुलम, केरल से मुख्य रूप से नारियल के रूट विल्ट तथा लीफ स्पॉट बीमारियों पर अनुसंधान किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) इनसे सम्बन्धित एक विवरण सभा के पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, कायंकुलम, केरल में मुख्य रूप से नारियल के रूट विल्ट तथा लीफ रॉट बीमारियों पर अनुसंधान किया जा रहा है। रूट विल्ट बीमारी के सुनिश्चित कारण का अंतिम रूप से अभी तक पता नहीं चल पाया है। फफूंद बैक्टीरिया, गोलकृमियों एवं विषाणु जैसे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म-जीवों तथा माइकोप्लाजम जैसे जीवों (एम.एल.ओ.एस) को रोगग्रसित पाम के साथ पाया गया है। इन सभी माइकोप्लाजम जैसे जीवों को केवल रोगग्रसित पाम के साथ पाया गया है। संस्थान के गहन अनुसंधान कार्यक्रम में इस रोग के संक्रमण तथा कीड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने वाले रोग वाहकों पर और आगे अनुसंधान किया जा रहा है।

लीफ राट बीमारी का कारण एक फफूंद है जिसे बिपोलेरिस हालोडेस कहा जाता है जो आमतौर पर रूट विल्ट ग्रसित पाम में पायी जाती है। इस बीमारी के लक्षणों को बढ़ाने में दो प्रकार की व्याधियां एक साथ काम करती हैं। लीफ राट बीमारी अपने आप में कोई गम्भीर नुकसान पहुंचाती है इस बात की जानकारी नहीं है।

फिर भी, रूट विल्ट बीमारी के कारण का अभी अंतिम रूप से पता लगाना है। विस्तृत अन्वेषणों के बाद वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिये हैं जो इन बीमारियों की वजह से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर सकता है :—

(i) अच्छी प्रबन्ध क्रियाओं के अन्तर्गत रोग-सहिष्णु तथा अधिक पैदावार देने वाली नारियल के विभिन्न प्रकार के कल्टीवेटर्स और संकर किस्मों का संग्रह और उनकी छंटाई। नारियल के 24 विभिन्न किस्मों के 2500 गिरियां पहले ही एकत्र की गयी थीं। ये गिरियां 1982 में पोलिनेसियन तथा सोलोमन द्वीपों के सी० पी० सी० आर० आई० के वैज्ञानिकों द्वारा एकत्र की गयी थीं तथा उन्हें अंडमान निकोबार द्वीपों में संगरोध स्थितियों के अन्तर्गत उगाया गया था। इन जनन द्रव्यों का चयन रूट विल्ट बीमारी के लिए किया जाएगा और जो जो प्रतिरोधी होंगे उनका उपयोग देशी किस्म के नारियल में सुधार लाने के लिए किया जाएगा।

(ii) इस बीमारी को और आगे फैलने से रोकने के लिए अनुकूली अनुसंधान कार्यक्रम सभी रोगग्रसित नारियल को हटाने के बाद त्रिचूर जिले के उत्तरी सीमा क्षेत्र में, मिट्टी और समीपवर्ती नारियल के वृक्षों पर रोग निरोधी संरक्षण उपाय का प्रयोग किया गया, तथा मुक्त क्षेत्रों में पौध नर्सरी की पौदें उगायी गयीं।

(iii) आर्गेनिक रिसाइकिलिंग, मिश्रित सस्य पद्धति/अन्तः कृषि, पोषक-पोषणों का समावेश फफूंदनाशियों का छिड़काव और अच्छी प्रबन्ध प्रक्रिया को अपनाने जैसी एक मुश्त कृषि क्रियाओं को अपनाकर रोगग्रसित बागानों को फिर से लगाना।

केसरी दाल की खेती पर प्रतिबंध

287. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यूट्रिशन फाउन्डेशन आफ इण्डिया के डा० सी० गोपालन और अन्य प्रमुख पोषाहार विशेषज्ञों ने भारत सरकार में केसरी दाल की खेती पर तुरन्त प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या केसरी दाल (लेथीरस सेटीयस) को प्रमुख आहार के रूप में इस्तेमाल करने से अपंग बनाने वाली "लेथी रिस्म" नामक भयानक बीमारी हो जाती है;

(ग) क्या न्यूट्रिशन फाउन्डेशन आफ इण्डिया के विशेषज्ञ दल नेरीवा तथा मध्य प्रदेश के अन्य भागों में इस समस्या के सभी पहलुओं का गहन अध्ययन किया था;

(घ) क्या सरकार केसरी दाल की खेती पर प्रतिबन्ध लगाने और/अथवा वितरण और बिक्री अथवा केसरी दाल के रूप में मजदूरी देने पर रोक लगाने के लिए कोई कानून बनाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो गरीब किसान और बंधुआ मजदूरों में फैलने वाली इस परिहार्य बीमारी की रोकथाम के लिए कौन से अन्य कदम उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) यह बीमारी उनको लग जाती है जो नियमित रूप से लेथीरस सेठीयस का भारी मात्रा में उपयोग करते हैं तथा यह बीमारी उन लोगों में बहुत ही कम पाई जाती है जो अन्य प्रमुख आहारों के रूप में लेथीरस सेटीयस का उपयोग कम मात्रा में करते है।

(ग) जी हां।

(घ) तथा (ङ) (1) उत्तर प्रदेश में केसरी दाल की खेती पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(2) भारत सरकार का इसकी खेती पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई कानून बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

(3) तथापि, खाद्य अपमिश्रण उन्मूलन अधिनियम, 1955 के नियम 44 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य में कोई व्यक्ति केसरी दाल तथा किसी भी रूप में इनके उत्पादन को बेच अथवा पेश अथवा बिक्री के लिए अभि-दर्शित अथवा किसी भी रूप में बेचने के उद्देश्य से अपने पास नहीं रख सकता अथवा बिक्री के लिए तैयार की जाने वाली किसी खाद्य सामग्री के अवयव के रूप

में प्रयोग नहीं कर सकता। उपरोक्त पाबन्दी को प्रभावित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना जारी की जानी है। मध्य प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने केसरी दाल की मानव उपयोग के लिए खपत किए जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

(4) जहां तक केसरी दाल के पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किए जाने का सम्बन्ध है, मध्य प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार कृषि श्रमिकों को मजदूरी नकद रूप में दी जानी है।

(5) केसरी दाल के विषाक्त प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) राष्ट्रीय पोषणिक संस्थान, हैदराबाद द्वारा एक आसान पद्धति विकसित की गई है, जिससे केसरी दाल के विषाक्त अवयवों को निकाला जा सकता है। विष पानी में घुल जाता है और यदि दाल को साधारण जल में एक रात को भिगोया जाए तथा पानी को बहा दिया जाए तो इसे बिना किसी हानिकारक प्रभाव के खाया जा सकता है।

(2) राज्य सरकारों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित केसरी दाल की कम तंत्रिका विष वाली किस्म की खेती करने की सलाह दी गई है ताकि अधिक तंत्रिका विष वाली मौजूदा किस्म को बदला जा सके।

(3) 1983-84 के दौरान भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को केसरी दाल के स्थान पर दलहनों तथा तिलहनों की खेती किए जाने के लिए धनराशि दी है।

फसल बीमा योजना

288. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रयोग हेतु शुरू की गई फसल बीमा योजना का ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम रहे; और

(ख) पूरे देश में फसल बीमा योजना कब तक लागू कर दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सामान्य जीवन बीमा निगम द्वारा मार्गदर्शी फसल बीमा योजना राज्य सरकारों के सहयोग से वर्ष 1979 से चलाई जा रही है, जिनका ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। यह योजना जिन 12 राज्यों ने अंगीकृत की है, वे हैं—आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश,

महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। वर्ष 1979 से राज्य-वार क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ख) यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वे बीमा योजना को अंगीकृत करें। अब तक केवल 12 राज्यों ने यह योजना अंगीकृत की है। फरवरी, 1983 में आयोजित फसल बीमा सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यशाला में सभी राज्य सरकारों, जिन्होंने उसमें भाग लिया था, पर जोर डाला गया था कि वे इस योजना को अंगीकृत करें।

विवरण-II

भारतीय सामान्य बीमा निगम मार्गदर्शी फसल बीमा योजना
(1978-79) (5-5-1983 तक संशोधित)

भारतीय सामान्य बीमा निगम खरीफ, 1978 फसल मौसम से, 2-3 वर्षों के लिए मार्गदर्शी आधार पर, फसल बीमा योजना निम्नानुसार उन राज्यों में शुरू करता है जो इन शर्तों पर सहमत है :—

(क) सह-बीमाकर्ताओं के रूप में दावे और प्रीमियम में कम से कम 25 प्रतिशत तक भागीदार हो।

(ख) आपसी सहमति के अनुरूप निर्धारित समय पर सभी आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक सहायता विशेषकर फसल कटाई प्रयोगों (राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर किए गए) के सही आंकड़े देकर, प्रदान करना और राज्य राजस्व और कृषि विभागों को इस प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए निर्देश देना जिसकी सामान्य बीमा निगम को इन मार्गदर्शी योजनाओं से संबंधित कार्य के लिए आवश्यकता पड़े;

(ग) यह प्रस्ताव स्वीकार करे कि यदि योजना को (अर्थात् 2-3 वर्षों के बाद) मार्गदर्शी राज्य से इतर जारी रखना है, राज्य सरकार को प्रत्यक्ष अथवा उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से जिम्मेदारी लेनी होगी।

2. **मार्गदर्शी फसल बीमा योजना—मुख्य बातें**

(1) **सदृश क्षेत्र दृष्टिकोण** :—सामान्य बीमा निगम का 1973 से 1976 तक प्रायोगिक फसल बीमा योजना सम्बन्धी अनुभव यह बताता है कि वे योजनाएं जो वैयक्तिक दृष्टिकोण पर आधारित होंगी बड़े पैमाने पर कार्यान्वित करने के लिए आर्थिक रूप से ठीक नहीं होंगी और अनुपयुक्त होंगी। अत: यह योजना सदृश क्षेत्र दृष्टिकोण पर आधारित होगी। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत तालुक/तहसील/राजस्व मंडल क्षेत्र की मूल इकाई होगा। प्रीमियम की दर और क्षतिपूर्ति

की दर किसी भी दी गई फसल के लिए सभी किसानों के लिए, इस प्रकार के क्षेत्र में एक समान होगी, चाहे उनकी उपज कितनी भी हुई हो।

(2) **ग्रुप बीमा** :—सामान्यतः पालिसियां प्रथम चरण में जिला सहकारी बैंकों के लिए उनके किसान सदस्यों की फसलें शामिल करते हुए जारी की जाएंगी (उन क्षेत्रों में जहां सहकारी ऋण पद्धति प्रभावपूर्ण नहीं है) वे वाणिज्यिक बैंकों के नाम होंगी। इस प्रकार की पालिसियों के मामलों में सामान्य बीमा निगम किसानों के साथ पत्राचार नहीं करेगा। वित्तीय संस्थाएं सामान्य बीमा निगम को प्रिमीयम का भुगतान करने और सामान्य बीमा निगम द्वारा भुगतान किए गए दावों के निपटान के लिए उत्तरदायी होंगी।

(3) **फसलें** :—प्रथम वर्ष में प्रत्येक चुने गए क्षेत्र में एक या दो प्रमुख खाद्य फसलें शामिल की जाएंगी। गैर खाद्य फसलों को शामिल करने पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी यदि इस प्रकार की फसल के पिछले 10 वर्षों के फसल कटाई के पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हों। 10 वर्षों के आंकड़ों पर बल न देने का निर्णय सामान्य बीमा निगम करेगा।

(4) **फसलवार और मौसमवार क्षेत्र शामिल करना** :—प्रत्येक फसल और प्रत्येक मौसम के लिए अलग योजना होगी।

(5) **मार्गदर्शी योजनाओं के लिए क्षेत्र चयन** :—सामान्य बीमा निगम राज्य सरकारों के परामर्श से क्षेत्रों का चयन करेगा।

(6) **स्वैच्छिक अथवा अनिवार्य योजनाएं** :—योजनाएं स्वैच्छिक आधार पर होंगी।

(7) **बीमे की परिधि** :—बीमांकित फसल मौसम के दौरान निम्नलिखित को छोड़कर सभी जोखिम लागू रहेंगे :—

(क) युद्ध और और इससे सम्बन्धित जोखिम।

(ख) आणविक अस्त्र से जोखिम।

(8) **सांख्यिकीय आधार** :—प्रत्येक चुने हुए क्षेत्र में प्रत्येक चुनी गई फसल और मौसम के लिए प्रिमीयम और क्षतिपूर्ति पर फसल कटाई अनुभवों के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा पिछले 10 वर्षों अथवा सामान्य बीमा निगम द्वारा निर्धारित किए गए इससे कम वर्षों के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।

(9) **प्रिमीयम और क्षतिपूर्ति तालिकाएं** :—

(क) आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल से सम्बन्धित फसल कटाई आंकड़ों के आधार पर की गई संगणना से पता चलता है कि फसल हानियों के मामले में पूर्ण क्षतिपूर्ति संभव होगी क्योंकि प्रिमीयम की दरें

पूर्ण क्षतिपूर्ति लेने के लिए 30 प्रतिशत के आसपास होंगी, और, इस दर पर किसान प्रीमीयम का भुगतान नहीं कर सकते। अत:, प्रिमियम और क्षतिपूर्ति तालिकाएं इस आधार पर तैयार की गई हैं कि किसान नुकसान के एक भाग का वहन करेगा, जिसे गैर-क्षतिपूर्ति सीमा कहते हैं जो 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक हो सकती है। इस आधार पर ऐसे अनेक क्षेत्र होंगे जहां प्रीमियम की दर 5 प्रतिशत के अन्दर होंगी और कई अन्य क्षेत्र ऐसे होंगे जिनमें बीमांकित राशि के 5 से 10 प्रतिशत तक प्रीमियम की दर होगी। सभी राज्यों के लिए प्रिमियम और क्षतिपूर्ति तालिकाए राज्य सरकारों से फसल कटाई के सम्पूर्ण आंकड़े प्राप्त होने पर तैयार की जाएंगी। मार्गदर्शी योजना के लिए केवल ऐसे क्षेत्र चुने जाने का प्रस्ताव है, जहां गैर क्षतिपूर्ति सीमा 40 प्रतिशत से अधिक न हो और प्रिमीयम $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत से अधिक न हो।

(ख) किसी किसान को क्षतिपूर्ति केवल तभी भुगतान योग्य होती है जब बीमांकित क्षेत्रों में अनुमानित उपज गारंटी शुदा उपज से कम हो।

(ग) क्षतिपूर्ति का आधार :—भुगतान योग्य क्षतिपूर्ति उस बीमांकित राशि के अनुपात में होगी जो उपज में क्षतिपूरक कमी फसल कटाई के अनुसार (अधिकतम क्षतिपूरक सीमा घटा वास्तविक उपज) अधिकतम क्षतिपूरक सीमा के अंतर्गत रहती है।

(10) **देयताओं की समस्त सीमा**

(क) सभी मार्गदर्शी योजनाओं के अंतर्गत कुल मिलाकर देयताएं 12 करोड़ रुपये वार्षिक तक सीमित होंगी। यह प्रति राज्य प्रति किसान कुल बीमांकित राशि और यदि आवश्यक हुआ तो प्रति क्षेत्र तक भी सीमित करते हुए प्राप्त किया जाएगा जो अधिकतम संभावित जोखिमों के विस्तार को सुनिश्चित करेगा।

(ख) समस्त देयताएं इस प्रकार बांटी जाएंगी :—

सामान्य बीमा निगम की अधिकतम सीमा	—9 करोड़ रुपये
राज्य सरकारों की न्यूनतम कुल देयताएं	—3 करोड़ रुपये
	12 करोड़ रुपये

(ग) यदि कोई राज्य सरकार सामान्य बीमा निगम द्वारा आबंटित उन सीमाओं/उप सीमाओं से अधिक जोखिमों का उत्तरदायित्व लेना चाहेगी तो इस प्रकार का अतिरिक्त उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से राज्य सरकार की फसल बीमा निधि अथवा राज्य सरकार के बीमा विभाग, जैसा मामला हो, द्वारा वहन किया जाएगा

(11) फसल बीमा कारोबार प्रत्यक्ष कारोबार होगा। इस प्रकार के कारोबार पर कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा।

(12) **अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग**

(क) **राज्य सरकारें** :—ऊपर पैरा एक में दिए गए प्रिमियम और हानियों में भागीदार बनने और फसल कटाई के आंकड़े देने और तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के अलावा, राज्य सरकारों को अपने कृषि विस्तार कार्यक्रमों को फसल बीमा के साथ जोड़ना चाहिए और उनके मौजूदा प्रचार माध्यम के जरिए फसल बीमा के लिए प्रचार शुरू करना चाहिए।

(ख) **जिला सहकारी बैंक और अन्य वित्तदायी संस्थाएं** : वे सामान्य बीमा निगम के फसल बीमा प्रिमीयम का भुगतान करने, फसल बीमा प्रस्तावों और सामान्य ऋण पात्रता विवरणों और क्षतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जब वे भुगतान करने लायक हो जाएं और उचित अनुपात में क्षतिपूर्ति को अपने बीमांकित सदस्यों के खातों में दर्ज करेंगे।

(13) प्रति वर्ष प्रति किसान अधिकतम बीमांकित राशि आम तौर पर इससे अधिक नहीं होगी :—

(क) सिंचित फसल के मामलों में फसल ऋण का 150 प्रतिशत या 10,000/-रुपये, जो भी कम हो; और

(ख) असिंचित फसल के मामले में फसल ऋण का भुगतान 150 प्रतिशत या 5,000/-रुपये जो भी कम हो तथापि, इस सीमा में सामान्य बीमा निगम द्वारा किसी भी क्षेत्र के मामले में ढील दी जा सकती है, जो फसल और वित्त के पैमाने पर निर्भर करती है।

(14) **फसल बीमा के सम्बन्ध में सामान्य बीमा निगम की भूमिका** :—

सामान्य बीमा निगम द्वारा मार्गदर्शी योजनाओं को 31-3-85 तक केवल अपने पथ-प्रदर्शक अनुसंधान कार्य के भाग के रूप में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है, जिसका लक्ष्य आगे आने वाले समय में फसल बीमा की ऐसी सक्षम योजनाएं

चलाने का है, जो बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त हों। यदि इन योजनाओं का विस्तार करना है अथवा इन्हें जारी रखना है तो केन्द्रीय/राज्य सरकारों को पूर्णतः इन्हें अपने हाथ में लेना होगा। ऐसी स्थिति में सामान्य बीमा निगम की भूमिका तकनीकी सुविज्ञता और सहायता प्रदान करने तक ही सीमित होगी।

विवरण-II

वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82 1982-83 और 1983-84 (खरीफ मौसम) के दौरान मार्गदर्शी फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्र को दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य	अंतर्गत क्षेत्र (हैक्टार)	किसानों की संख्या
1	2	3	4
	1979-80		
1.	गुजरात	1361.68	1057
2.	प० बंगाल	6731.89	8246
3.	तमिलनाडु	5087.49	6965
		13181.06	16267
	1980-81		
4.	गुजरात	1328.92	1487
5.	प० बंगाल	13927.21	17915
6.	तमिलनाडु	3446.88	4040
		18703.01	23442
	1981-82		
1.	आन्ध्र प्रदेश	5865.23	5482
2.	हरियाणा	1187.40	809

1	2	3	4
3.	हिमाचल प्रदेश	79.05	161
4.	कर्नाटक	356.44	318
5.	महाराष्ट्र	4031.72	6096
6.	उड़ीसा	2569.08	2434
7.	तमिलनाडु	5941.57	3649
8.	प० बंगाल	4522.28	5882
		24552.77	24831
	1982-83		
1.	आन्ध्र प्रदेश	13009.95	10351
2.	हिमाचल प्रदेश	204.92	44
3.	कर्नाटक	1091.01	449
4.	महाराष्ट्र	7595.81	8776
5.	तमिलनाडु	11046.42	5796
6.	उड़ीसा	7948.00	5558
7.	प० बंगाल	9960.86	12455
8.	मध्य प्रदेश	15813.18	5381
9.	बिहार	4058.81	2045
		70728.96	50855
	1983-84 (खरीफ मौसम)		
1.	आन्ध्र प्रदेश	5504.84	4701
2.	बिहार	5698.75	3364

1	2	3	4
3.	हरियाणा	117.00	18
4.	कर्नाटक	8609.74	2966
5.	मध्य प्रदेश	5087.52	2405
6.	महाराष्ट्र	5944.09	7913
7.	उड़ीसा	8329.68	6447
8.	तमिलनाडु	8741.03	3637
9.	उत्तर प्रदेश	2890.00	3487
10.	प० बंगाल	2719.48	3441
		53642.13	38379

"अवैध कब्जा" तथा "परिवर्ती खेती" सम्बन्धी समितियों का प्रतिवेदन

289. **श्री गिरधर गोमांगो :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "अवैध कब्जा" तथा "परिवर्ती खेती" सम्बन्धी समितियों ने सरकार से क्या मुख्य सिफारिशें की हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय द्वारा इन प्रतिवेदनों पर विचार कर लिया गया है और सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत में "झूम खेती" तथा "वन अधिक्रमण" के संदर्भ में पृथक रूप से गठित दो कृतक दलों में से केवल "भारत में झूम खेती" सम्बन्धी कृतक दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस कृतक दल की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(क) और (ग) "भारत में झूम खेती" सम्बन्धी कृतक दल की रिपोर्ट झूम खेती सम्बन्धी बोर्ड की बैठक में जांच की गई। झूम खेती सम्बन्धी बोर्ड ने मुख्य रूप से कृतक दल की सिफारिशों को पृष्ठांकित किया तथा कुछ और सिफारिशें भी कीं जो विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

"भारत में झूम खेती" सम्बन्धी कृतक दल की मुख्य सिफारिशें

1. देश में झूम खेती की समस्या के विस्तार का अनुमान लगाए जाने की आवश्यकता है।

2. केन्द्रीय सरकार को झूम खेती सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए वित्त व्यवस्था तथा उनका समन्वयन करना चाहिए।

3. कार्यक्रमों को "क्षेत्र" के आर्थिक विकास के मुख्य लक्ष्य के रूप में तैयार किया जाना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कार्यक्रमों के निरूपण में लाभानुभोगी भी भाग ले।

4. प्रबन्ध की मुख्य इकाई जल विभाजक को माना जाएगा, फिर भी इन कार्यों में पूरे गांव को आवृत्त किया जाना चाहिए क्योंकि पारस्परिक रूप से इसका अस्तित्व सामाजिक और प्रशासनिक है।

5. वानिकी और वानिकी सम्बन्धी कार्यकलापों के प्रति झुकाव के साथ वह विषयों के साथ एकात्मक एजेंसी प्रशासन अच्छा समझा गया है

6. प्रति परिवार 30,000 रुपए के विनियोजन से व्यक्ति/परिवार और समुदाय को लाभ पहुंचाने योग्य घटकों वाला माडल कार्यक्रम।

7. केन्द्रीय सरकार को सांतवी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए 50 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक कार्यक्रम प्रायोजित करना चाहिए। इस धनराशि को अलग-अलग राज्यों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की गई योजनाओं के माध्यम से प्रयोग करना चाहिए।

विवरण-II

7 जनवरी, 1984 को हुई अपनी बैठक में "झूम खेती" सम्बन्धि बोर्ड की अतिरिक्त सिफारिशें

1. परियोजना क्रियान्वयन के स्तर को निश्चित करते समय जनसंख्या के दवाब तथा नई पीढ़ियों के एक वर्ग के अन्य व्यवसायों की ओर झुकाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विभिन्न स्रोतों से धनराशि जुटाना वांछनीय होगा।

2. एवजी कार्यक्रमों की संगर्भता अवधि के दौरान खाद्य डिपो की व्यवस्था झूम खेती करने वालों को परिवर्तन स्वीकार करने के लिए आकर्षित कर सकती है।

3. बहु-विषयक कार्यकलाप का समन्वयन करने तथा एकात्मक केन्द्र योजना और प्रबोधन प्रणाली प्रदान करने के लिए संगठनात्मक व्यवस्थाओं में संशोधन करना आवश्यक होगा।

4. राष्ट्रीय साँख्यिकी संगठन और नेशनल रिमोट एजेंसी के माध्यम से झूम खेती की समस्या के विस्तार के सम्बन्ध में आँकड़ों का संचयन करना आवश्यक है। अखिल भारतीय मृदा और भू-उपयोग संगठन को अन्य अवक्रमण आपदाओं की तरह इस सम्बन्ध में जानकारी का समन्वय तथा निगरानी करनी चाहिए।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

290. **श्री एन० ई० होरो :**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

श्री भीम सिंह :

श्री मोती भाई आर० चौधरी :

श्री हरिहर सोरन :

श्री मनमोहन टुडु : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में लेवी चीनी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कुछ महीनों पहले सरकार ने दूध के मूल्यों में और कोयले के मूल्यों में भी वृद्धि की थी जिससे आम आदमी के बजट पर भार पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य मदों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) यह सच है कि लेवी चीनी का खुदरा मूल्य पहली फरवरी, 1984 से बढ़ा दिया गया है। जनवरी, 1984 को समाप्त पिछले तीन महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में मिश्रित रुख रहा है। कुछ वस्तुओं के मूल्य गिरे हैं, कुछ के बढ़े हैं तथा कुछ अन्य स्थिर रहे हैं।

(ख) तथा (ग) यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना ने पांच वर्षों की अवधि के बाद 9 सितम्बर, 1983 से टोन्ड दूध के मूल्य में वृद्धि की है। यद्यपि 8 जनवरी, 1984 से कोयले के

मूल्यों में वृद्धि की गई हैं, तथापि साफ्ट कोक, जिसका घरेलू इंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

केरल को चावल के कोटे की सप्लाई

291. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री पी० के० कोडियन :
श्री बी० एस० विजयराघवन : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल को 1 लाख 20 हजार टन की दर से दिया जाने वाला चावल का कोटा दिसम्बर से दस हजार टन कम कर दिया गया है, जिससे केरल में खुले बाजार में चावल के मूल्य बढ़ गए हैं ; और

(ख) क्या सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केरल में गत कई महीनों से गेहूं की खपत 21,000 टन की दर पर ही टिकी हुई है और थोड़े समय में ही भोजन सम्बन्धी आदतों को बदलना कठिन होता है, केरल को चावल के आबंटन के कोटे में वृद्धि करेगी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) केरल सरकार के चावल के मासिक आबंटन, जोकि जनवरी, 1983 में 95,000 मीटरी टन था, को बढ़ाकर अप्रैल, 1983 में 1,05,000 मीटरी टन और जून, 1983 में 1,10,000 मीटरी टन कर दिया गया था और तब से इसी स्तर पर आबंटन की मात्रा को बरकरार रखा जा रहा है। राज्य सरकार के अनुरोध पर, अगस्त, 1983 से नवम्बर, 1983 के महीनों के दौरान 10,000 मीटरी टन प्रति मास के अतिरिक्त तदर्थ आबंटन भी किए गए थे ताकि राज्य सरकार कमी के मौसम में बढ़ी हुई मांग को पूरा कर सके।

(ख) केन्द्रीय भण्डार से केरल सहित विभिन्न राज्यों को चावल के आबंटन केन्द्रीय भण्डार में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार-उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं। केन्द्रीय भण्डार में स्टाक की सीमित उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए, केरल के चावल के मासिक आबंटन में और वृद्धि करना सम्भव नहीं हुआ है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं के मासिक आबंटन को मार्च, 1983 के 20,000 मीटरी टन से बढ़ाकर अप्रैल, 1983 में 25,000 मीटरी टन, मई, 1983 में 30,000 मीटरी टन और जून, 1983 में 35,000 मीटरी टन कर दिया गया था और तब से इस स्तर पर आबंटन किया जा रहा है। क्योंकि केन्द्रीय भण्डार से आबंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं, इसलिए तरजीही खाद्य आदतों की समस्त आवश्यकताओं को हमेशा पूरा करना सम्भव नहीं होता है।

भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन

292. **श्री कमल नाथ :** क्या **खेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के साथ लगातार दो शृंखलाओं में भारतीय क्रिकेट टीम के असन्तोषजनक प्रदर्शन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में उप- मन्त्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ टैस्ट शृंखला में बराबरी में रही परन्तु वैस्ट इन्डीज क्रिकेट टीम से शृंखला में हार गई।

(ख) और (ग) शृंखला में भारतीय टीम की वैस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के मुकाबले में कार्य निष्पादन के बारे में चिन्ता को भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड, जो भारत में क्रिकेट के स्तर को बढ़ाने और उसको बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, के ध्यान में ला दिया गया है ताकि वे उपचारी कदम उठा सकें।

उचित दर की दुकानों के माध्यम से पूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

293. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उचित दर की दुकानों और सार्वजनिक वितरण केन्द्रों के माध्यम से दी जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में कितनी बार वृद्धि हुई है और वर्ष 1983 के दौरान कितनी-कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) इस वृद्धि के क्या कारण रहे ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देने के लिए इन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है —गेहूं, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल तथा मिट्टी का तेल। इनके अलावा साफ्ट कोक तथा नियन्त्रित कपड़े की आपूर्ति भी की जाती है। इनमें से गेहूं और मिट्टी के तेल के मूल्यों में वर्ष 1983 के दौरान वृद्धि की गई थी।

गेहूं का मूल्य 15.4.83 से 160/- रु० प्रति क्विंटल से बढ़कर 172/- रु० किया गया था, जिससे कि 1983-84 के मौसम के दौरान गेहूं के समर्थन मूल्यों में की गई वृद्धि के प्रभाव को बराबर किया जा सके। मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में दोहरी मूल्य नीति को वापिस लेने के परिणामस्वरूप, जिसके अन्तर्गत उसका मूल्य 1544.93 रुपये/कि० ली० (राजसहायता प्राप्त) तथा 2844.93 रुपये/कि० ली० (गैर-राजसहायता प्राप्त) नियत किया गया था, के मूल उच्चतम विक्रय मूल्य को बढ़ाकर 18.3.83 से 1644.93 रुपये/कि०ली० किया गया। मिट्टी के तेल के मूल उच्चतम विक्रय मूल्य में यह वृद्धि उत्पादन, संचालन तथा वितरण की लागत में

हुई वृद्धि, पेट्रोलियम क्षेत्र की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा भुगतान शेष की स्थिति और विक्रय मूल्य में वास्तविक रेल भाड़ा शामिल करने के कारण की गई थी।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं की खरीद

294. **श्री नित्यानन्द मिश्र :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू योजना अवधि के दौरान गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाएं खरीदने के प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना अवधि के दौरान गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नौकाएं खरीदने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) वर्तमान योजना अवधि में अब तक विभिन्न राज्यों ने कितनी नौकाएं प्राप्त की हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए प्राप्त नहीं करती है। तथापि, उद्यम-कर्ताओं तथा फर्मों को राजसहायता प्राप्त करके इन जलयानों को आयात करने या इनका देश में विनिर्माण करने की अनुमति दी गई है।

(ख) छठी योजना के दौरान वर्तमान बेड़े में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले 300 अतिरिक्त जलयानों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसको बाद में संशोधित करके 200 कर दिया गया। ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(1) किराये पर लिये गये जलयान	—	00
(2) आयातित जलयान	—	40
(3) देश में निर्मित जलयान	—	30
(4) किराया पद्धति के अन्तर्गत अनिवार्य खरीद से प्राप्त जलयान	—	30
कुल	—	200

(ग) और (घ) वर्तमान योजना अवधि के दौरान किसी भी राज्य प्रतिष्ठान द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाला कोई जलयान खरीदा नहीं गया है। तथापि निम्नलिखित राज्य क्षेत्र प्रतिष्ठानों को चार्टर आधार पर विदेशी मत्स्यन ट्रालर चलाने की अनुमति दी गयी है।

(1) गुजरात मात्स्यकी विकास निगम लिमिटेड	—	10
(2) उड़ीसा समुद्री एवं चिलका क्षेत्र विकास निगम	—	10
(3) केरल मात्स्यकी निगम लिमिटेड	—	4

जल विनियमन समिति का दर्जा बढ़ाये जाने हेतु मध्य प्रदेश राजस्थान अन्तर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड का फैसला

295. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान अन्तर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड ने अपने 30 अक्तूबर, 1981 की बैठक में जल विनियमन हेतु निर्णय लेने के लिए पहले से गठित स्थायी समिति संख्या 2 का केन्द्रीय जल आयोग के एक प्रतिनिधि को शामिल करके, दर्जा बढ़ाये जाने का फसला किया था;

(ख) क्या इसे कार्य रूप दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश ने भारत सरकार से इस समस्या का हल निकालने हेतु एक बैठक का आयोजन करने का अनुरोध किया है, यदि हां, तो भारत सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के अन्तर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की 30-10-1981 को जयपुर में हुई बैठक में स्थायी समिति सं० 2 में केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य (जल संसाधन) को शामिल किए जाने के बारे में विचार-विमर्श तक नहीं हुआ था। बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि स्थायी समिति सं. 2 को सरकारी स्तर पर अपग्रेड कर दिया जाए तथा दोनों राज्य सरकारों के सिंचाई विभागों के सचिवों और बिजली बोर्डों के तकनीकी सदस्यों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए।

हाल ही में केन्द्र द्वारा जनवरी, 1984 में आयोजित की गई दोनों राज्यों की अधिकारी स्तर की बैठक में चम्बल परियोजना की दायीं नहर से मध्य प्रदेश को समय पर तथा पर्याप्त सप्लाई और स्थायी समिति संख्या 2 में, जो मध्य प्रदेश तथा राजस्थान दोनों राज्यों को सप्लाई के नियमन सम्बन्धी कार्य को देखती है, एक केन्द्रीय प्रतिनिधि को शामिल करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया था। दोनों राज्यो के प्रतिनिधियों ने यह प्रस्ताव किया कि वे इस मामले पर आगे विचार करेंगे।

भूमि-सुधार कानूनों का कार्यान्वयन

296. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी योजना के दौरान भूमि सुधार के उपायों का कार्यान्वयन शीघ्र करने पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना अवधि के दौरान भूमि सुधार के उपायों के कार्यान्वयन पर की गई राज्य-वार समीक्षा का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में क्या विशिष्ट भूमि-सुधार उपाय किए गए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) : छठी योजनावधि में 7,100 एकड़ से भी ज्यादा भूमि को फालतू घोषित किया गया है । चूंकि फालतू भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाइयां अब कई सालों से चल रही हैं, इसलिए पहले घोषित की गई कुछ फालतू भूमि छठी योजनावधि के दौरान ले ली गई है। इस प्रकार 8,238 एकड़ भूमि का कब्जा ले लिया गया है । इसी अवधि में 5,923 पात्र परिवारों को 15,173 एकड़ भूमि वितरित की गई है ।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना के अधीन भूमि सुधार के उपायों का मध्यावधि मूल्यांकन योजना आयोग द्वारा अगस्त, 1983 में किया गया था जिसमें यह देखा गया कि 1972 के राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर बनाए गए संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत जुलाई, 1983 तक 43.31 लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित की गई थी । राज्य द्वारा 29.45 लाख एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई थी और इसमें से 20.05 लाख एकड़ भूमि भूमिहीन कृषि मजदूरों और अन्य ग्रामीण निर्धन वर्गों के 14.82 लाख परिवारों को वितरित की गई थी। अनुसूचित जाति के 6.15 लाख परिवारों और अनुसूचित जनजाति के 1.88 लाख परिवार थे । ये दोनों कुल लाभ भोगी परिवारों का 54.15 प्रतिशत बैठते हैं और इन्हें कुल वितरित भूमि का 52 प्रतिशत दिया गया ।

भूमि की अधिकतम सीमा उपायों को लागू करने में मुकदमेबाजी अकेली सबसे बड़ा कारण रही है जो संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत 12 लाख एकड़ से भी ज्यादा फालतू घोषित भूमि के वितरण में सामने आई । आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के सिविल न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों की संख्या विशेष रूप से बहुत अधिक हैं । प्रस्तुत कानूनी कठिनाइयों के अन्तर्गत राज्य सरकारें इन मामलों को या तो इस कार्य के लिये विशेष बैंकों का गठन करके या मामलों की प्रगति को लगातार मानिस्टर करने के लिए वकीलों और अधिकारियों के विशेष सैल बनाकर शीघ्र निपटाने की कोशिश कर रही है ।

उचित दर दुकानों के माध्यम से बितरण के लिए आयातित खाद्य तेलों का राज्यों को आबंटन

297. **श्री नारायण चौबे** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए राज्यों को आयातित खाद्य तेलों के मासिक आबंटन में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र को कितना-कितना मासिक आबंटन किया गया;

(ग) क्या इस प्रकार के आयातित खाद्य तेलों निर्गम मूल्य विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम०-एम० संजीवी राव) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) : केन्द्रीय सरकार सभी राज्य सरकारों को तेलों की आपूर्ति टीनों में 8500/- रु. प्रति मी. टन तथा थोक में 7000/- रु. प्रति मी. टन के नियत मूल्य पर करती है। राज्य सरकारों को इसमें साम्भ-संभाल तथा अन्य प्रासंगिक प्रभारों, स्थानीय करों, यदि कोई हों, और वितरण लागत जोड़ने की अनुमति है । इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आयातित खाद्य तेलों का निर्गम मूल्य विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है ।

विवरण

मार्च, 1983 से फरवरी, 1984 तक की अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य तेलों का आवंटन दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा मीटर टनों में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	मार्च 1983	अप्रैल 83	मई 83	जून 83	जुलाई 83	अगस्त 83	सितम्बर 83	अक्टूबर 83	नवम्बर 83	दिसम्बर 83	जनवरी 84	फरवरी 84
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	3450	4000	4000	1500	6500	6500	7000	7000	9000	8000	7500	8000
2.	असम	455	630	630	800	850	850	850	850	850	850	850	900
3.	बिहार	210	350	350	455	455	755	800	800	800	800	1200	1300
4.	गुजरात	3260	3600	3600	4500	7000	7000	7000	7000	7000	5000	4500	5000
5.	हरियाणा	175	220	220	260	260	260	330	500	500	500	700	900
6.	हिमाचल प्रदेश	455	625	625	790	790	790	790	1000	1000	1000	1030	1100
7.	जम्मू और काश्मीर	65	120	120	170	170	270	270	270	270	270	270	300
8.	कर्नाटक	890	1235	1235	1700	1700	3700	3700	4500	4500	4000	3500	4000
9.	केरल	1560	1950	1950	2325	2325	3325	4300	5000	5000	5000	5000	5000
10.	मध्य प्रदेश	1015	1030	1030	1050	2050	2050	2050	2050	3000	3000	3000	3000
11.	महाराष्ट्र	3860	4850	4850	5845	5845	7845	10,000	12,000	12,500	11,500	11,000	11,500
12.	मणिपुर	265	265	265	265	265	310	310	400	400	400	450	500
13.	मेघालय	175	230	230	290	290	440	440	440	440	440	440	500
14.	नागालैंड	55	60	60	65	65	100	100	150	200	200	250	300
15.	उड़ीसा	510	770	770	1030	1030	2030	2030	2500	2500	2500	3000	3200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	पंजाब	610	1130	1130	1645	1645	2645	2645	2645	2645	2645	2600	2600
17.	राजस्थान	190	300	350	510	510	1010	1010	1010	1010	1010	1000	1000
18.	सिक्किम	130	155	155	180	180	200	200	200	200	200	200	200
19.	तमिलनाडु	2930	3530	3530	4500	4500	6500	7500	7500	7500	7000	7000	7500
20.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	100	50	50	60
21.	उत्तर प्रदेश	1695	2345	2545	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	3000	4000
22.	पश्चिम बंगाल	4780	5950	5950	7045	7045	8545	9000	10000	10,000	10000	10000	11000
23.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	25	25	25	30	30	50	50	50	50	50	50	50
25.	चडीगढ़	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	50
26.	दादर नगर	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20
27.	दिल्ली	1040	1430	1430	1820	1820	2200	220	2200	2200	2200	2200	2200
28.	गोवा, दमन द्वीप	240	295	295	350	350	350	350	350	350	350	350	400
29.	लक्ष्यद्वीप	—	—	—	—	—	28	—	—	15	10	15	20
30.	मिजोरम	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	200
31.	पाण्डिचेरी	85	130	130	170	170	170	170	170	170	170	170	200
		28255	35355	35355	43370	61020	61048	66220	73160	75325	69775	69980	70000

उर्वरकों का आयात

298. **श्री के० ए० स्वामी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में उर्वरकों का कितनी मात्रा में आयात किया गया; और

(ख) उपरोक्त वर्षों में हमने किन देशों से किस प्रकार के व कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) तथा (ख) वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान उर्वरकों का देशवार तथा सामग्री वार आयात प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उर्वरकों का देशवार, सामग्रीवार आयात प्रदर्शित करने वाला विवरण

(मात्रा लाख मीटरी टन)

देश	यूरिया			एम० ओ० पी०			डी० ए० पी०			एस० ओ० पी०		
	1980-81	1981-82	1982-83	1980-81	1981-82	1982-83	80-81	81-82	82-83	80-81	81-82	82-83
अमेरिका	4.51	1.96	3.00	—	6.45	1.82	9.83	7.46	0.74	—	—	—
रोमानिया	3.09	0.95	0.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
रूस	2.05	1.16	0.37	0.71	0.34	—	—	—	—	—	—	—
हॉलैंड	4.94	3.90	1.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दबातार	3.82	2.95	0.98	—	—	—	—	—	—	—	—	—
आस्ट्रिया	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
इटली	3.42	2.58	0.61	—	—	—	—	—	—	—	—	—
द० अरब	0.39	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
इराक	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
द० जर्मनी	1.38	0.99	0.30	2.92	2.46	1.96	—	—	—	0.21	0.12	0.10
फिनलैंड	0.14	0.19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
बुलगारिया	0.46	0.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुवैत	0-79	0.76	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पोलैंड	0.59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पूर्वी जर्मनी	0.67	0.56	0.51	3.89	3.42	3.33	—	—	—	—	—	—
नार्वे	0.89	0.72	0.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
फ्रांस	0.56	0.49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
बेलजियम	0.44	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
इंडोनेशिया	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
आयरलैंड	0.13	0.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
हांक-कांग	—	0.41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
हंगरी	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
यूगोसलाविया	—	0.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जापान	—	—	0.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कनाड़ा	—	—	—	5.58	3.96	3.52	—	—	—	—	—	—
जोर्डन	—	—	—	—	—	—	—	—	0.62	—	—	—
योग	28.47	39.98	8.68	13.10	10.63	1063	9.83	7.46	1.36	0.21	0.12	0.10

	अमोनिया सल्फेट			सी० ए० एन०			एन० पी० के० (17 : 17 : 17)		
रूस	0.20	0.06	—	—	—	—	—	—	—
रोमानिया	—	—	—	0.74	—	—	—	—	—
डेनमार्क					—	—	—	—	0.05
योग	0.20	0.06	—	—	—	—	—	—	0.05

भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों का भण्डार

299. **श्री जयपाल सिंह कश्यप : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के पास वर्ष 1980, 1981, 1982, 1983 और जनवरी, 1984 में अलग-अलग कितना और कितने मूल्य का खाद्यान्न भण्डार था;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक वर्ष में कितनी मात्रा और कितने मूल्य के खाद्यान्न की क्षति हुई;

(ग) खाद्यान्न की क्षति के क्या कारण थे; और

(घ) सरकार खाद्यान्न की क्षति के बारे में उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा भण्डारित खाद्यान्नों की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

	मात्रा लाख मी० टन में	मूल्य (करोड़ रु० में)
पहली अप्रैल, 1980 को	132.1	1792,16
पहली अप्रैल, 1981 को	91.4	1307.90
पहली अप्रैल, 1982 को	100.2	1708.30
पहली अप्रैल, 1983 को	112.3	2097.59
पहली जनवरी, 1984 को	119.2	2886.09

(ख) क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की स्टाक स्थिति और उनका मूल्य नीचे दिया जाता है :—

	मात्रा मी० टन में	मूल्य लाख रुपये में
पहली अप्रैल, 1980 को	74,785	307.39
पहली अप्रैल, 1981 को	75,717	389.99
पहली अप्रैल, 1982 को	98,009	558.29
पहली अप्रैल, 1983 को	90,701	493.75

तदनुरूपी वर्षों में जितनी मात्रा क्षतिग्रस्त मानी गई थी उसका ब्यौरा नीचे दिया जाता हैं :

वर्ष	मात्रा (मी० टन में)
1979-80	8,670
1980-81	43,169
1981-82	77,911
1982-83	48,048

(ग) और (घ) अधिकांशतः असामयिक वर्षा, बढ़ों, तूफानों जैसी दैवी विपदाओं के कारण ही कैंप में तथा कुछ हद तक ढके हुए गोदामों में खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हुए हैं। क्योंकि लापरवाही के कारण खाद्यान्नों को क्षति नहीं पहुंची है, इसलिए अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रुप हाउसिंह सोसाइटियों के लिए जमीन

300. **श्री सज्जन कुमार :—**

श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :—क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के नाम व संख्या क्या हैं जो रजिस्टर्ड हैं परन्तु जिन्हें अभी तक जमीन नहीं दी गई है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि डी० डी० ए० द्वारा उन रजिस्टर्ड सोसाइटियों को शीघ्र जमीन आबंटित की जाए ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भूमि आबंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत 453 सहकारी सामूहिक आवास समितियों में से, 29 समितियों जिनके ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं को भूमि का आबंटन नहीं किया गया है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि इन 29 दोषी सामूहिक आवास समितियों के मामलों को बन्द कर दिया गया है। यदि कोई समिति ऐसी मांग करती है, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि आबंटन करने के लिए उनके मामले पर गुणावगुणों के आधार पक विचार करने को तत्पर रहेगा।

विवरण

क्र. सं.	समिति का नाम		कारण
1	2	3	4
1.	अब्दुल फजल सहकारी सामूहिक आवास समिति		अन्तिम बैच को किए गए आबंटन के पश्चात ही समिति ने पूर्ण भुगतान किया।
2.	न्यू लक्ष्मी	वही	समिति ने अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं।
3.	विश्व विहार	वही	वही

1	2	3
4. जगदम्बा	वही	वही
5. पापुलर	वही	वही
6. शिवाजी	वही	वही
7. सीताराम	वही	वही
8. न्यू टाउन	वही	समिति ने भूमि लागत का केवल आंशिक भुगतान किया है।
9. शंकर	वही	वही
10. दत्ता राम	वही	वही
11. एकलव्य विहार	वही	वही
12. जाटव	वही	वही
13. कंधारी	वही	समिति ने भूमि लागत की कोई राशि जमा नहीं की है।
14. एन. एस. आई. सी. एम्लाई	वही	वही
15. पश्चिम बंगाल विस्थापित परसन्स	वही	वही
16. यंग ऐग्जीक्यूटिव	वही	वही
17. ऐप्पल ट्रेडर्स	वही	वही
18. न्यू ज्योति	वही	वही
19. यंग प्रोफेसनलस	वही	वही
20. न्यू आदर्श	वही	वही
21. निशान्त	वही	वही
22., स्वरूप सदन	वही	वही
23. न्यू डी. जी. के.	वही	वही
24. मॉडर्न	वही	रजिस्ट्रार ने सदस्यों की सूची को पुनर्जीवित/सत्यापित नहीं किया है।
25. एपैक्स	वही	वही
26. एन. सी. ई. आर. टी.	वही	वही
27. डी. यू. जे.	वही	वही
28. चित्रगुप्त	वही	(1979 से पूर्व) समिति की आबंटन में रुचि नहीं है।
29. चित्रगुप्त (1979 में नये सिरे से पंजीकृत)	वही	समिति ने डी. डी. ए. में जमा राशि वापस ले ली है।

डी० डी० ए० द्वारा फर्जी फर्मों को ठेका दिया जाना

301. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**

श्री मोती भाई आर. चौधरी :—क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्रधिकरण द्वारा फर्जी फर्मों को ठेके दिए जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) उन ठेकेदारों का विवरण क्या है जिन्हें वर्ष 1982-83 और 1983-84 की अवधि के दौरान दो करोड़ रुपये से अधिक के ठेके दिए गए थे; और

(घ) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (**श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ**) (क) : तथा (ख) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि ठेका मैसर्स जय हिन्दी इन्वैस्टमेंट एण्ड इन्डस्ट्रीज लि. को दिया गया था जिसको एक फर्जी तथा अस्तित्वहीन फर्म बताया गया था। शिकायत की जांच की गई थी तथा इसे असत्य तथा निराधार पाया गया था।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) उपर्युक्त (क) तथा (ख) यथोक्त शिकायत की जांच की गई थी परन्तु इसे असत्य एवं निराधार पाया गया था।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान 2 करोड़ रुपये से ऊपर के दिए ठेकों के ठेकेदारों के ब्यौरे

क्र. सं.	निर्माण कार्य का नाम	अभिकरण	राशि (करोड़ रुपयों में)
1	2	3	4
1982-83			
1.	अलखा नन्दा ग्रुप-III में 540 एस. एफ. एफ. मकानों का निर्माण	मैस. पी. सी. शर्मा एण्ड कम्पनी श्रेणी-I ठेकेदार	2.37
2.	देशबन्धु गुप्ता कालिज कालका जी के समीप एस. एफ. एस. के अन्तर्गत 54 श्रेणी-III तथा 216 श्रेणी-II के फ्लैटों का निर्माण	मैस. अनन्त राज अभिकरण श्रेणी-I ठेकेदार	2.10

1	2	3	4
3.	पूर्व प्रवलित कंक्रीट पाइपों की पूर्ति	मैस. जय हिन्द इन्वेस्टमेंट तथा इन्डस्ट्रीज लि.	2.00
4.	बौडेला पाकेट डी. जी.-II, ग्रुप-I तथा II में 560 मध्यम आय वर्ग रिहायशी एककों का निर्माण	मैस. ए. एस. सचेदेव	2.22
5.	बोडेला पाकेट डी. जी.-II, ग्रुप-III एण्ड IV में 640 मध्य आय वर्ग रिहायशी एककों का निर्माण	मैस. वी. आर. बिल्डर्स	2-47
6.	रोहिणी चरण-I भूमि का विकास एस. एच. सेक्टर III तथा 7 में पाइप लाइन सिविर लाइन	मैस. अरविन्द कस्ट्रकशन कम्पनी प्रा. लि. 32/2 हनुमान लेन नई दिल्ली	2.16
1983-84			
1.	एस. एफ. एस. पाकेट ए तथा बी के अन्तर्गत कैलास के पूर्व में 192 श्रेणी-III बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण	मैस. अनन्तराज अभिकरण	3.17
2.	जलपूर्ति, सफाई कार्य तथा नालियों सहित भीकाकाना प्लेस जिला केन्द्र में भीका जी कामा भवन का निर्माण	मैस. ओम प्रकाश बलदेव कृष्ण	2.87
3.	पकेट-8 सेक्टर-8 में 786 मध्यम आय वर्ग रिहायशी एककों का निर्माण	मैस. अनन्तराज अभिकरण सी 32 कनाट प्लेस नई दिल्ली	3.46

भारतीय खाद्य निगम कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

302. श्री भीखा भाई : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने श्रेणी चार-तीन के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता स्वीकृत करते समय अपनी दिनांक 1-12-1983 की अधिसूचना में यह उल्लेख किया था कि यदि वेतन संशोधन संबंधी सिफारिश 30 जून, 1984 तक प्राप्त न हुई तो अन्तरिम सहायता का भुगतान बन्द किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम/खाद्य विभाग द्वारा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के लिए वेतन समिति नियुक्त करने के लिए कोई कार्यवाही की गई;

(ग) क्या इस वेतन समिति के सदस्य इस विभाग के हैं अथवा बाहर के हैं तथा वेतन समिति के सदस्यों तथा इसके चेयरमैन का ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा क्या सिद्धान्त अपनाया जा रहा है; और

(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा वेतन समिति की नियुक्ति में विलम्ब के मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सरकार की यथोचित स्वीकृति से वेतन समिति स्थापित की जा रही है। समिति की संरचना का फैसला कर लिया गया है और बहुत जल्द अधिसूचना जारी की जा रही है। समिति कार्यचालन के लिए अपनी ही कार्यविधि तैयार करेगी।

(घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

दूध का उत्पादन

303. **श्री अजय विश्वास :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में (राज्य-वार) कुल कितने दूध का उत्पादन होता है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में दूध की प्रति व्यक्ति खपत सबसे कम है; और

(ग) सरकार ने दूध का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या योजनाएं बनाई हैं।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में (राज्यवार) अनुमानित दुग्ध उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) चूंकि देश में किसी भी प्रमाणिक एजेन्सी द्वारा दूध की खपत के प्रतिमान का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, अतः दूध की प्रति व्यक्ति खपत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) राज्य/केन्द्रीय स्तर पर निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई हैं :।

(1) गहन पशु विकाश परियोजना।

(2) मुख्य ग्राम योजना।

(3) पशु प्रजनन फार्म।

(4) केन्द्रीय सिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान, हैसरपट्टा।

(5) समन्वित पशु प्रजनन परियोजन (प्रोजनी परीक्षण योजना)।

(6) देशी अवर्गीकृति तथा कम दूध देने वाले पशुओं का विदेशी डेरी नस्लों के साथ संकर प्रजनन तथा आपरेशन फलड-2 क्षेत्रों के बाहर हिमित वीर्य तकनीक के प्रयोग से भैंसों में सुधार।

(7) गौशाला विकास योजना।

(8) आपरेशन फलड परियोजना।

विवरण

1982-83 में राज्यवार दुग्ध उत्पादन

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दुग्ध उत्पाद 1982-83 (हजार मीटर टन)
1.	आंध्र प्रदेश	2500
2.	असम	543
3.	बिहार	2133
4.	गुजरात	2317
5.	हरियाणा	2300
6.	हिमाचल प्रदेश	358
7.	जम्मू और काश्मीर	270
8.	कर्नाटक	1350
9.	केरल	1010
10.	मध्य प्रदेश	2510
11.	महाराष्ट्र	1857
12.	मणिपुर	63
13.	मेघालय	60
14.	नागालैण्ड	4
15.	उड़ीसा	322
16.	पंजाब	3599
17.	राजस्थान	3400
18.	तमिलनाडु	1900
19.	त्रिपुरा	18.5
20.	उत्तर प्रदेश	6203
21.	पश्चिम बंगाल	2012
22.	सिक्किम	19

स्रोत :- योजना आयोग की 1984-85 राज्य योजना चर्चा से सम्बन्धित कार्यवृत्त हेतु।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा घटिया खाद्यान्नों की खरीद

304. **डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी :—**
श्रीमती किशोरी सिन्हा :—
श्री मनोहर लाल सैनी : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के घटिया खाद्यान्नों की खरीद की है, जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पूरे तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय मेंउप मंत्री (डा० एम० एस0 संजीवी राव) : (क) भारतीय खाद्य निगम उन्हीं खाद्यान्नों की वसूली करता है जो कि खाद्यान्नों की समान विनिर्दिष्टयों के अनुरूप होते हैं और जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत निर्धारित की गई सीमाओं के अन्दर होते हैं। भारतीय खाद्य निगम ने केन्द्रीय पूल के लिए मानव उपभोग खाद्यान्नों की खरीदारी नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

संसद के सत्र का दिल्ली से बाहर आयोजन

305. **श्री एम० रामन्ना राय :** क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से बाहर संसद का एक सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव व्यावहारिक न होने के कारण अन्तिम रूप से त्याग दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली से बाहर संसद का एक सत्र आयोजित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप से नहीं त्याग दिया है।

बहुचर्चित वनस्पति काण्ड के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

306. **श्री मनी राम बागड़ी :**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री जगपाल सिंह : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुचर्चित वनस्पति काण्ड के सम्बन्ध में कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए कितने व्यक्तियों के विरुद्ध वारण्ट जारी किए गए थे और अब तक कितने व्यक्तियों के अहातों/फर्मों पर छापे मारे गए और तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक इस बारे में कितने व्यक्ति रिहा कर दिए गए हैं और कितने पुनः गिरफ्तार किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ और ख्याति प्राप्त कम्पनियों पर छापा मारने का है; और

(घ) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन पर दिसम्बर, 1983 से आज तक छापे पड़े हैं और जो चर्बी के अवैध आयात करने वाले पाए गए तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिक विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (**डा० एम० एस० संजीवी राव**) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पलट पर रख दी जाएगी।

किसानों को अलाभकर मूल्य

307. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों को उनके उत्पादनों का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता क्योंकि उनको उर्वरक, बिजली और पानी उचित दर पर नहीं दिया जाता, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री योगेन्द्र मकवाना**) : (क) और (ख) सरकार की नीति का लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिए पर्याप्त मूल्य सुनिश्चित करना है। कृषि मूल्य आयोग बीज उर्वरक, बिजली जल, डीजल तेल जैसे आदानों के नवीनतम मूल्यों तथा भाड़े पर मजदूरी की कीमत, किसानों का अपना और उसके परिवार का श्रम, निजी पूंजी पर ब्याज, आरोपित किराया मूल्य आदि जैसी लागत वाली अन्य मदों को ध्यान में रख कर वसूली/न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करता है। उत्पादन लागत में क्योंकि वृद्धि हो चुकी है, अतः सरकार द्वारा समय-समय पर भिविन्न जिन्सों की वसूली/समर्थन मूल्यों में भी वृद्धि की गई है। समर्थन मूल्यों में उत्पादन लागत शामिल होती है और ये समर्थन मूल्य किसानों को लाभ का मार्जिन प्रदान करते हैं। इसके अलावा किसान अपनी उपज को खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, यदि उसे समर्थन मूल्यों से अधिक दाम मिलते हैं। सरकार भी आदान आपूर्ति के तंत्र का विस्तार करने और आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है। जून, 1983 में उर्वरकों के मूल्य 7.5 प्रतिशत कम कर दिए गए थे और भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से दिए गए उर्वरकों पर 10 प्रतिशत की और कटौती की अनुमति दी गए थी।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

308. **श्री मन मोहन टुडु** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रमों का विभिन्न राज्यों में क्रिवान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत नियोजित व्यक्तियों को क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं;

(ग) उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों को 1984-85 में कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) तत्सन्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 15-8-83 से आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नियोजित मजदूरों को मजदूरी दी जाती है जिसका कुछ भाग रियायती दरों पर उपलब्ध किए गए खाद्यान्नों के रूप में दिया जाता है। राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों को वर्ष 1984-85 के लिए राज्यवार अनंतिम आबंटन सूचित कर दिए गए हैं, ताकि वे कार्यक्रम के अन्तर्गत परयोजनाएं तैयार कर सकें और अग्रिम आयोजना बना सकें। आबंटनों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। अन्तिम आबंटन 1984-85 के बजट के अनुसार किए जाएंगे।

विवरण

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए सम्मानित आबंटन को दर्शाने वाला विवरण।

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1983-84 (100,00,00) लाख में से	1984-85 (500,00,00 लाख में से
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	990.00	4950.00
2.	असम	216.00	1088.00
3.	बिहार	1425.00	7125.00
4.	गुजरात	320.00	1600.00
5.	हरियाणा	84.00	420.00

1	2	3	4
6.	हिमाचल प्रदेश	60.00	800.00
7.	जम्मू तथा काश्मीर	75.00	375.00
8.	कर्नाटक	470.00	2350.00
9.	केरल	470.00	2350.00
10.	मध्य प्रदेश	780.00	3900.00
11.	महाराष्ट्र	790.00	3950.60
12.	मणिपुर	11.00	55.00
13.	मेघालय	15.00	75.00
14.	नागालैण्ड	10.00	50.00
15.	उड़ीसा	450.00	2250.00
16.	पंजाब	135.00	675.00
17.	राजस्थान	240.00	120.008
18.	सिक्कम	8.00	40.00
19.	तमिलनाडु	890.00	4450.00
20.	त्रिपुरा	33.00	155.00
21.	उत्तर प्रदेश	1705.00	8520.00
22.	पश्चिम बंगाल	770.00	3850.00
	कुल राज्य	9947.00	49735.00

(क)

23.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	8.00	40.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	8.00	40.00
25.	चण्डीगढ़	2.00	10.00
26.	दादरा तथा नगर हवेली	4.00	20.00
27.	दिल्ली	4.00	20.00

1	2	3	4
28.	गोवा, दमन तथा दीव	9.00	45.00
29.	लक्षद्वीप	2.00	20.00
30.	मिजोरम	8·00	40.00
31.	पांडिचेरी	8.00	40.00
	कुल केन्द्र शासित क्षेत्र (ख)	53.00	265.00
	कुल राज्य (क)	9947.00	49735-00
	कुल केन्द्र शासित क्षेत्र (ख)	53.00	265.00
	कुल योग :	10000.00	50000.99

खाद्यान्नों और खाद्य तेलों का आयात

309. **श्री ब्रज मोहन महन्ती :**

श्री मन मोहन टुडु : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 और 1983 के केलेण्डर वर्षों के दौरान वर्ष वार कुल कितनी मात्रा में चावल और गेहूं का आयात किया गया था और वर्ष 1984 के दौरान कितनी मात्रा में आयात किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) केलेण्डर वर्ष 1982 और 1983 के दौरान वर्ष वार कुल कितनी मात्रा में खाद्य तेल का आयात किया गया और वर्ष 1984 के दौरान कितनी मात्रा में आयात किए जाने का प्रस्ताव है?

(ग) इन सौदों में कुल कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है; और

(घ) देश में खाद्यान्नों के भारी मात्रा में उत्पादन और पर्याप्त रक्षित भण्डार को देखते हुए सरकार द्वारा चावल और गेहूं आ आयात करना आवश्यक समझे जाने के क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है।

(घ) : देश के कई भागों में 1982-83 में सूखे की स्थिति होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अधिक भार पड़ने की दृष्टि से सरकारी एजेंसियों के पास स्टाक में वृद्धि करने के उद्देश्य से खाद्यान्नों का आयात करना आवश्यक समझा गया था।

विवरण

1982 से 1984 (जनवरी 1984) तक के दौरान आयात किए गए गेहूं, चावल और खाने के तैलों की मात्रा और मूल्य को बताने वाला विवरण।

(मात्रा लाख मीटरी टन में)

वर्ष	गेहूं खरीदी गई मात्रा	गेहूं जहाज तक निष्प्रभार अनुमानिन मूल्य (मिलियन अमेरिकी डालर)	चावल खरीदी गई मात्रा	चावल जहाज तक निष्प्रभार अनुमानित मूल्य (मिलियन अमेरिकी डालर)	खाने के तेल मात्रा	खाने के तेल अनुमानित मूल्य (करोड़ रुपये)
1982	39.50	654.778	—	—	8.93	390.98
1983	21.30	332.810	3.70	77.875	12.54	627.90
1984 (जनवरी तक)	—	—	2.00	45.16	0.63	45.21

मकानों के निर्माण के लिए निम्न आय वाले लोगों को ऋण देने के लिए राज्यों को ऋण

31. **श्री छीतू भाई गामति :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार निम्न आय वाले लोगों विशेषकर हरिजनों को मकान बनाने के लिए ऋण देने और उन्हें बने बनाए मकान उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को ऋण दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान निम्न आय वाले लोगों को दिए गए ऋण का वर्षवार ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय सरकार इस योजना के अन्तर्गत गुजरात में हरिजनों को आवंटित मकानों की संख्या कितनी है ?

खेल विभाग में निर्माण, और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) आवास राज्य का विषय है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने अनुमोदित योजना नियतनों में से अपनी आवश्यकताओं तथा अग्रताओं के अनुसार निभिन्न सामाजिक आवस योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए स्वतन्त्रत हैं। केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को "समेकित ऋणों" और "समेकित अनुदानों" के रूप में दी जाती है। जो किसी विकास शीर्ष या योजना से संबंधित नहीं होती हैं।

स्टेडियमों के निर्माण की लागत

311. **श्री के. आर. राजन :**

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों के लिए बनाए गए प्रत्येक नये स्टेडियम और कुछ अन्य स्टेडियमों के नवीकरण पर क्या लागत आई है;

(ख) इन स्टेडियमों के रख रखाव के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक के सम्बन्ध में कितनी वार्षिक लागत आती है; और

(ग) वर्ष 1983-84 के दौरान प्रत्येक स्टेडियम से कितनी आय हुई ?

खेल विभाग में उप मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) अब तक स्टेडियमों के निर्माण/नवीकरण की लागत को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) और (ग) इन स्टेडियमों का रख रखाव संबंधित निर्माण एजेन्सियों द्वारा किया जा रहा है। नवें एशियाई खेलों के बाद नवम्बर, 1983 तक रख रखाव पर वार्षिक लागत और वार्षिक आय को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I (रुपये करोड़ों में)

क्रम संख्या	मद	प्रत्याशित व्यय
1	2	3
1.	लोदी रोड में, हौजखास में लान टेनिस स्टेडियम के निर्माण और राष्ट्रीय स्टेडियम का नवीकरण,	23.95
2.	राजघाट खेल काम्पलेक्स स्थित इंदोर स्टेडियम के लिए सरकारी हिस्से की राशि,	9.82

1	2	3
3.	राजघाट खेल काम्पलेक्स में साइकल वेलोड्रोम का निर्माण	1.15
4.	शूटिंग रेंजिज का निर्माण	1.48
5.	तालकटोरा गार्डन स्थित तरण ताल के लिए सरकारी योगदान	6.27
6.	विद्यमान स्टेडियमों अर्थात अम्बेडकर स्टेडियम, माडल टाउन स्टेडियम, हरबख्श स्टेडियम और निकलसन रेंजिज, दिल्ली विश्वविद्यालय खेल मैदानों और दिल्ली गोल्फ कल्ब, का नवीकरण	1.63

विवरण-II

स्टेडियम का नाम	रख रखाव की वार्षिक लागत	एशियाई खेलों के बाद नवम्बर, 1983 तक इस्तेमाल से वार्षिक आय
जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम	40,31,000/- रुपये	6,03,900/- रुपये
नेशनल स्टेडियम	11,00,000/- रुपये	20,545/- रुपये
हौज खास लान-टेनिस स्टेडियम	1,85,000/- रुपये	5,475/- रुपये
तुगलकाबाद शूटिंग रेंजिज	96,000/- रुपये	3,790/- रुपये
यमुना वेलोड्रोम	12,00.000/- रुपये	21,235/- रुपये
इन्द्रप्रस्थ इंडोर स्टेडियम	1,30,80,000/- रुपये	18,19,470/- रुपये
तालकटोरातरण ताल	72,00,000/- रुपये	4,00,000/- रुपये

सरकारी आवासों को आगे किराये पर देना

312. **श्री के. राममूर्ति : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई सर्वेक्षण कराया गया है कि केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारियों ने गोल मार्किट और ऐसे केन्द्रीय क्षेत्रों में सरकारी क्वार्टरों को पूरा अथवा उसके किसी भाग को 800 रुपये से 1000 रुपये प्रति माह और लोधी रोड और आर०के० पुरम क्षेत्रों में एक कमरे को 200 रुपये से 300 रुपये प्रतिमाह तक के भारी किराये पर चढ़ा रखा है;

(ख) क्या उन सरकारी अधिकारियों के बारे में भी कोई अध्ययन कराया गया है, जिन्होंने सरकारी ऋण से आलीशान कालोनियों में अपने बंगले बना रखे हैं और जो उन्हें दूतावासों, कम्पनियों और बैंकों को किराये पर देकर किराये के रूप में 5,000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति माह तक की आय प्राप्त कर रहे हैं और स्वयं सरकारी आवासों में रह रहे है; और

(ग) ऊपर बताए गए दोनों प्रकार के सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस तरह के धनोपार्जन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) उप किरायेदारी के मामलों का पता लगाने के लिए कालोनी वार अचानक सर्वेक्षण किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उप किरायेदारी के बारे में प्राप्त शिकायतों की भी जांच की जाती है। सरकार को आबंटियों द्वारा वसूल किए गए किराये की राशि का ज्ञान नहीं है।

(ख) अपने मकान वाले सरकारी कर्मचारी, यदि उनकी किराये की आय 1000/- रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं है, सामान्य लाइसेन्स फीस की अदायगी परसामन्य पूल वास के लिए पात्र हैं। यदि, उनके मकानों को किराये की आय 1000/- रुपये प्रतिमास से अधिक है परन्तु 2000/- रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं है तो वे अपने कब्जे के सरकारी वास के लिए लाइसेंस फीस मार्किट दर का आधा तथा यदि किराए की आय 2000/- रुपये प्रतिमास से अधिक होती है तो मार्केट रद देते हैं।

(ग) उप किरायेदारी तथा रिहायश की भागीदारी से सम्बन्धित एस०आर० 317 बी-20 के उल्लंघन के लिए सरकारी वास आबंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियम, 1963 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

भूमि सुधारों का कार्यान्वयन

313. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने 30 जनवरी, 1984 को गांधीजी की पुण्य-तिथि के अवसर पर रामलीला मैदान में दिए गए अपने भाषण में यह स्वीकार किया था कि भूमि सुधारों को संतोषजनक ढंग से लागू नहीं किया गया है और सरकार उन राज्यों से, जिन्होंने भूमि सुधारों को लागू नहीं किया है, निरन्तर आग्रह करती रहेगी;

(ख) यदि हां, तो 'नए' 20-सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात् राज्यों से इस सम्बन्ध में आग्रह करने के लिए राज्य वार क्या कार्यवाही की गयी है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) भूमि सुधार कानूनों के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है और अब तक राज्य-वार कितनी भूमि वितरित की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) माननीया प्रधानमंत्री ने भूमि सुधार उपायों के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया ?

(ख) भारत सरकार नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत फालतू भूमि के वितरण पर नियमित रूप से निगरानी रख रही है। राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्रतिमाह रिपोर्टें प्राप्त होती हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है। कार्यान्वयन की कमियों का पता लगाया जाता है और राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों की इन कमियों को दूर करने के उपाय सुझाए जाते हैं। फालतू भूमि के वितरण के कार्यक्रम के कार्यान्वयन से होने वाली समस्याओं की जांच करने के लिए सितम्बर, 1982 में राजस्व मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। अधिकारियों द्वारा नियमित निगरानी के अलावा, ग्रामीण विकास मंत्री समय-समय पर मुख्य मंत्रियों तथा केन्द्र शासित प्रशासनों को पत्र लिखते रहे हैं, जिनमें वे कार्यान्वयन के उपायों की विशेष कमियों का उल्लेख करते हैं और उन्हें दूर करने के उपाय भी सुझाते हैं।

(ग) एक बिवरण संलग्न है।

विवरण

संशोधित अधिकतम भूमि सीमा के उपायों के अन्तर्गत कब्जे में ली गई तथा वितरित की गई फालतू भूमि

21.2.84 (क्षेत्र एकड़ में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	फालतू घोषित क्षेत्र (एकड़)	कब्जे में लिया गया क्षेत्र	वितरित किया गया क्षेत्र	
			क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	10,02,826	4,46,701	3,23,476	2,46,909
असम	4,50,918	3,76,445	3,18,161	2,75,142
बिहार	2,67,530	1,63,364	1,57,913	1,77, 87
गुजरात	1,68,281	77,958	56,083	5,952
•हरियाणा	26,661	21,475	21,221 × 5	6,138
हिमाचल प्रदेश	2,47,218	2,45,816	3,315	4,362
जम्मू और कश्मीर	5,000	—	—	—
कर्नाटक	2,94,244	1,50,036	1,08,107	5,510
केरल	1,28,202	83,259	56,109	99,159
मध्य प्रदेश	2,57,982	1,47,347	89,230	35,025

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	3,73,620	3,66,202	2,87,452	79,707
मणिपुर	1.029	424	424	326
उड़ीसा	1,51,362	1,31,020	1,15,685	90,752
पंजाब	48,116×3	15,174	13,694	3,250
राजस्थान	2,58,248	2,32,064	1,31,741	28,853
तमिलनाडु	89,083	82,147	71,414	49,789
त्रिपुरा	1,926	1,844	1,430	1,223
उत्तर प्रदेश	2,93,901	2,68,625	2,40.259	2,00,293
पश्चिम बंगाल	1,72,447	1,19,702	71,084	2,10,251
दादरा और नगर हवेली	8,958	6,776	3,751	1,686
दिल्ली	722	374	374	—
पांडिचेरी	2,560	1,161	942	1,060
योग	42,49,834	29,37,914	20,71,865	15,43,174

जौ के उत्पादन में वृद्धि

314. **श्री गुलाम मोहम्मद खां :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाफेड अथवा अन्य किसी संगठन द्वारा कच्चे जौ के निर्यात की संभावनाओं के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है ;

(ख) क्या जौ की अधिक उपज देने वाली किस्में तैयार की गई हैं और उन्हें कृषकों को उपलब्ध कराया गया है ; और

(ग) देश में जौ की खेती के क्षेत्र और उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) न तो नेफेड और न ही भारत सरकार ने कच्चे जौ के निर्यात की गुंजाइस के बारे में कोई अध्ययन किया है।

(ख) कृषि हेतु जौ की कुछ एक उन्नत किस्में 1970 के बाद वाले दशक में मुक्त की गई थीं। हाल ही में बी० एच० एस०-46 नामक एक और किस्म को उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र की नीची और मध्यम पहाड़ियों में खेती के लिए अनुशंसित किया गया है। तथापि वांछनीय विशेषताएं रखने वाली जौ की कुछ अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास किया गया है और वे इस समय परीक्षण के विभिन्न चरणो में हैं।

(ग) नीति, उन्नत किस्मों को लोकप्रिय बनाकर और पद्धतियों के पैकेज को अपना कर उत्पादकता में वृद्धि करने की है।

कृषि वस्तुओं का वसूली मूल्य

315. **श्री के० लक्प्पा :**
श्री उत्तम राठौर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कृषि वस्तुओं के वसूली मूल्यों के संबंध में हाल के सप्ताहों में क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कृषि जिन्सों के अधिप्राप्ति मूल्यों के बारे में कृषि मूल्य आयोग की कोई सिफारिश हाल के सप्ताहों में सरकार को प्राप्त नहीं हुई।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय खाद्य निगम को घाटा

316. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जनवरी, 1984 के दैनिक नवभारत टाइम्स में "छीजन का गेहूं कहां जाता है" शीर्षक से प्रभावित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रति किलो 100 किलोग्राम गेहूं के क्रय और विक्रय के दौरान लेन-देन में भारतीय खाद्य निगम को लगभग साढ़े चार किलोग्राम गेहूं का घाटा होता है और इस वर्ष 1982-83 में 20 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो छीजन से होने वाली हानि के क्या कारण हैं; और इस हावि को कम करने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हां।

(ख) 1982-83 के दौरान 52.32 करोड़ रुपये के मूल्य के 2.96 लाख मीटरी टन गेहूं की मार्गस्थ और भण्डारण में हानि हुई थी। परिचालनों की कुल मात्रा (खरीद और बिक्री) के संदर्भ में हानि की प्रतिशतता केवल 1.63 थी।

(ग) परिचालनों के स्वरूप और भारी मात्रा, जिसमें प्रत्येक मास कई लाख मीटरी टन की भारी मात्रा का परिवहन और स्टाक की बहु-हैंडलिंग शामिल होती है, की दृष्टि में मार्गस्थ और भण्डारण में खाद्यान्नों के स्टाक की कुछ हानि होना एक सामान्य बात होती है। सूखने, चोरी अथवा उठाईगिरी के कारण भी कुछ हानि हो सकती है।

हानियों को कम करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने विभिन्न उपाए किए हैं जिनमें लदान और उतरान के स्थानों में उचित तौल की व्यवस्था करना, खुले भण्डारण में कमी करना, डिपुओं पर सुरक्षा के प्रबन्धों को कड़ा करना, भण्डारण और हैंण्डलिंग प्रौद्योगिकों में सुधार करना, विशेष स्क्वायडों द्वारा स्टाक की प्रत्यक्ष जांच करना, प्राप्ति, निर्गम और इतिशेष स्टाक आदि के बारे में सूचना देने की प्रणाली में सुधार करना आदि शामिल हैं।

कपास के मूल्य और तैयार माल में समता

318. **श्री उत्तम राठौर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कपास के मूल्यों और उसके तैयार माल अर्थात् "कपड़ा" में समता लाने के लिए सिद्धांततः सहमत हो गई है ;

(ख) इसे व्यवहार में लाने के लिए क्या फार्मूला तैयार किया गया है ; और

(ग) इसे कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) मार्च 1980 में निर्धारित विचारार्थ-विषयों में कृषि मूल्य आयोग से असमानता को यथा सम्भव दूर करने की दृष्टि से कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापारिक शर्तों को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। यह आयोग कपास सहित विभिन्न जिन्सों के लिए खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिशें करते समय इस पहलू पर उचित विचार करता है।

गरीब लोगों के लिए सस्ते दामों पर गेहूं की व्यवस्था

319. **श्री पी० नामग्याल :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब लोगों को 100 प्रतिशत राज सहायता पर 1.50 रुपए के हिसाब से गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा जिसका भार केन्द्रीय सरकार वहन करेगी ;

(ख) उक्त योजना के लिए कुल कितनी धनराशि की राजसहायता दिए जाने की सम्भावना है और खाद्यान्नों के वितरण का तरीका क्या है ; और

(ग) सरकार राज सहायता प्राप्त गेहूं के वितरण में कदाचारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाएगी ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) 15 जनवरी, 1984 को प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों को उनकी मजदूरी के भाग के रूप में दिए जाने वाले खाद्यान्नों को रियायती दरों पर दिया जाएगा। उन्हें गेहूं 1.50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा साधारण चावल 1.85 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाएगा। यदि साधारण किस्म का चावल उपलब्ध नहीं है और बढ़िया व बहुत बढ़िया क्वालिटी का चावल दिया जाना है तो बढ़िया किस्म के लिए 1.95 रु० प्रति किलो० और बहुत बढ़िया किस्म के लिए 2.10 रुपए प्रति किलो० वसूल किए जाएंगे।

उपदान की कुल राशि वर्ष के दौरान कार्यक्रमों के अन्तर्गत सृजित श्रम दिनों पर आधारित होगी। यह अनुमान लगाया गया है कि उपदान की राशि चालू वर्ष में 4 करोड़ रुपए तथा 1984-85 में 24.50 करोड़ रुपए होगी और पूर्णतया केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

राज्यों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रबन्ध करें कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत रियायती दरों पर पात्र मजदूरों को प्रतिदिन एक किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से खाद्यान्न दिए जाएं। खाद्यान्नों का वितरण या तो उचित दर दूकानों के जरिए अथवा सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा।

नारियल के उत्पादन में गिरावट

320. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारियल के उत्पादन में गिरावट आ रही है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान, वर्षवार, कुल उत्पादन कितना हुआ था;

(ग) क्या उत्पादन में आई गिरावट के मुख्य कारणों का पता लगा लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धि ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नारियल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) नारियल के उत्पादन में हर साल उतार-चढ़ाव आता रहा है।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान नारियल का कुल उत्पादन नीचे दिया गया है।

वर्ष	उत्पादन (दस लाख गिरी)
1978-79	5730
1979-80	5636
1980-81	5720
1981-82	5573
1982-83	5664

(ग) और (घ) उत्पादन में कमी आने का मुख्य कारण प्राकृतिक आपदाओं का होना है जैसे—सूखा, घटिया रोपण सामग्री का उपयोग, कमजोर प्रबन्ध प्रणालियां, देश के कुछ भागों में प्रति एकक भू-क्षेत्र में ताड़ का अधिक संख्या में होना, जराग्रस्त और बेकार ताड़ो का न हटाया जाना, रोग और कृषि सम्बन्धि समस्यायें नारियल के क्षेत्र में रबड़ के वृक्ष लगाना।

(ङ) विभिन्न राज्यों में नारियल का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) रियायती दर पर नए वृक्ष लगाकर और मिनीकटों को उपलब्ध कराकर नारियल के क्षेत्र का विस्तार किया जाता है।

(2) अधिक उपज देने वाली अच्छी किस्म की रोपण सामग्री सप्लाई की जा रही है।

(3) पौध और उर्वरक पर राज सहायता दी जाती है।

(4) रोगग्रस्त ताड़ के स्थान पर बढिया ताड़ लगाकर सम्वर्धन किया जा रहा है और वित्तीय सहायता दी जा रही है ।

(5) उन्नत प्रबन्ध पद्धतियां अपनाने के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं।

(6) कृमियों और रोगों के नियंत्रण सहित नारियल की खेती की समस्याओं के लिए अनुसन्धान सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ।

कृषि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

321. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल, गेहूं और चीनी के बिक्री मूल्य में हाल ही में हुई वृद्धि के कारण निर्धनों तथा निश्चित वेतन पाने वालों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा; और

(ख) क्या सरकार मामले की पुन: जांच करेगी और समाज के निर्धन वर्गों को राहत देगी ।

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एम० संजीवी राव) : (क) और (ख) धान और गेहूं की वसूली मूल्यों में वृद्धि करने तथा चीनी की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाने के कारण हाल ही में चावल, गेहूं और चीनी के निर्गम मूल्यों में वृद्धि करनी पड़ी थी। तथापि केन्द्रीय सरकार देश-भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई की जा रही इन वस्तुओं पर भारी मात्रा में राज सहायता को वहन करती है ताकि कमजोर वर्गों को उचित मूल्यों पर इन वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब कर्मचारियों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही कम मूल्यों पर गेहूं और चावल सुलभ किए जा रहे हैं ।

कृषि उत्पादन में वृद्धि

322. **श्री ए० के० राय :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान कितना कृषि उत्पादन होने की संभावना है और उनका मदवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें कृषि सम्बन्धी अधिक सुविधाओं, उर्वरकों के अधिक उपयोग और अच्छी वर्षा का क्या योगदान रहा है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1984-85 में खाद्यान्न के उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है अथवा उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार ऐसी सम्भावना है कि 1983-84 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 1420 लाख मीटरी टन के वार्षिक योजना लक्ष्य को पार कर जाएगा और यह 1420 से 1440 लाख मीटरी टन के बीच रहेगा। चावल का उत्पादन 570 लाख मीटरी टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच सकता है। तिलहनों का उत्पादन 125 लाख मीटरी टन के लक्ष्य के बराबर रहने की सम्भावना है। गन्ने के उत्पादन के स्तर के बारे में पूर्व अनुमान है कि यह 1750 से 1800 लाख मीटरी टन पहुंच जाएगा। कपास के उत्पादन में पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ कमी आने और पटसन में सीमान्त रूप से कुछ वृद्धि होने की सम्भावना है।

(ख) कृषि उत्पादन विभिन्न आदानों जैसे वर्षा, सिंचाई, उर्वरक बढ़िया बीज और उत्तम प्रबन्ध आदि की एक दूसरे से जुड़ी संयुक्त अर्न्तक्रिया का परिणाम होता है और प्रत्येक आदान के सुनिश्चित योगदान को अलग-अलग नहीं किया जा सकता।

(ग) 1984-85 में खाद्यान्नों के उत्पादन स्तर के लिए अभी से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

उत्तर प्रदेश से विकास कार्यों के प्रस्ताव

333. **श्री हरीश रावत :** क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण स्व-रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से अब तक विकास कार्यों के कितने प्रस्ताव मिले हैं और उनमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है; और

(ख) उनमें से कितने प्रस्ताव अब तक स्वीकृत हो गए हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) कोर (ख) राज्य सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम । ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की केन्द्रीय समिति के अनुमोदन हेतु ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अंतर्गत 26.10.83 से कई परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। कुछ मामलों में, बाद में ये प्रस्ताव वापिस ले लिए गए और कुछ अन्य प्रस्तावों को राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया गया था। कुछ प्रस्तावों के मामले में राज्य-सरकार की अन्तिम सिफारिशों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। इन परिस्थितियों में, राज्य-सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की सही संख्या और उनमें कितनी धनराशि शामिल है, ये बताना कठिन है। तथापि, केन्द्रीय समिति ने अब तक 2657.55 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली 9 परियोजनाएं अनुमोदित की हैं। राज्य-सरकार

की ठोस सिफारिस वाले 26 प्रस्ताव अभी लंबित हैं, जिन पर 5497·053 लाख रुपये की अनुमानित लागत शामिल है। इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

सरसों के तेल के मूल्य में वृद्धि

324· **श्री विरदा राम फुलवारिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरसों के मूल्यों में असाधारण वृद्धि के कारण सरसों के तेल का आयात किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरसों की अच्छी फसल और सरसों के तेल के आयात के कारण किसानों को इस वर्ष सरसों के उचित दाम नहीं मिलेंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार ने सरसों के तेल का कोई आयात नहीं किया है, परन्तु वर्ष 1983 के दौरान लगभग 1.3 लाख मीटरी टन तोरिया के तेल का आयात किया था।

(ख) तथा (ग) यद्यपि इस वर्ष सरसों की फसल अच्छी होने के आसार हैं, तथापि बाजार की स्थिति पर ध्यान देते हुए आशा है कि किसानों को उनके उत्पादन के लिए उचित मूल्य प्राप्त होगा, सरकार मूल्यों के मामले में हस्तक्षेप तब करती है जब मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से नीचे गिरता है।

श्वेत क्रान्ति कार्यक्रम

325· **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां श्वेत क्रान्ति कार्यक्रम क्रियान्वियनाधीन हैं;

(ख) इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए छठी योजना में राज्य-वार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) उपरोक्त कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु राज्यवार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए छठी योजना में राज्यवार कितनी धन-राशि आवंटित की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आपरेशन फ्लड-2 सभी 22 राज्यों तथा मिजोरम, पांडिचेरी, गोवा, दमन तथा दीव और अन्दमान तथा निकोबार के

संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है। जहां तक क्षेत्र कार्यक्रम का प्रश्न है, यह आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों तथा अन्दमान तथा निकोबार, गोवा, दमन तथा दीव और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू किया गया है।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण सड़कों पर खर्च की गई धनराशि

326. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में छठी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में ग्रामीण सड़कों पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में कौन-सी विशेष परियोजनाएं शुरू की गई हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) आन्ध्र प्रदेश में छठी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में ग्रामीण सड़कों पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है

वर्ष	खर्च की गई धन राशि
	(लाख रुपये में)
1980-81	199
1981-82	199
1982-83	200

(ख) मंत्रालय में इस तरह की कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

नलकूपों, कुओं, नदियों और नालों से सिंचाई की जाने वाली भूमि

321. **श्री चतुर्भुज :** क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81, 19881-82 और 1982-83 में सिंचाई क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम श्रेणी और छोटी सिंचाई परियोजनाओं, नलकूपों, कुओं, नदियों और अन्य नालों के जल से सिंचाई की गई भूमि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

(ख) सरकार ने इन वर्षों में कितना लक्ष्य निर्धारित किया था और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कुल कितनी भूमि के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती हैं; और

(घ) जनवरी, 1984 तक सभी प्रकार के सिंचाई साधनों पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है और बड़ी, मध्यम श्रेणी, और छोटी सिंचाई परियोजनाओं नलकूपों और कुओं पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :—

वर्षवार सिंचित भूमि (उपयोग की गई क्षमता) तथा निश्चित लक्ष्य (संचयी) मिलियन हैक्टेयर में

	बृहद तथा मध्यम		छोटी (लघु) सिंचाई परियोजनाएं जिसमें कुएं तथा नलकूप शामिल हैं	
वर्ष	सिंचित भूमि	लक्ष्य	सिंचित भूमि	लक्ष्य
1980-81	22.84	23.98	31.40	31.60
1981-82	23.40	24.70	32.77	33.05
1982-83	24.33	25.27	34.16	34.30

(ग) यह अनुमान है कि जल संचयन तथा विशाखन की परम्परागत पद्धतियों द्वारा लगभग 113 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं।

(घ) बृहद तथा मध्यम योजना स्कीमों पर 1981-82 तक किया गया कुल व्यय तथा 1982-83 के लिए संशोधित अनुमोदित परिव्यय 11.537.13 करोड़ रुपए है। 1983-84 के लिए अनुमोदित परिव्यय लगभग 1743 करोड़ रुपए है। 1983-84 के अन्त तक योजना अवधि के दौरान कुओं तथा नलकूपों सहित लघु सिंचाई स्कीमों पर सार्वजनिक क्षेत्र परिव्ययों से लगभग 3743 करोड़ रुपए तथा संस्थागत निवेशों से 3484 करोड़ रुपए का कुल व्यय/परिव्यय होने की सम्भावना है।

जनवरी, 1984 तक के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की स्ववित्त योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को फ्लैटों के लिए ऋण

328. **श्री उत्तम राव पाटिल :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की स्ववित्त योजना के अन्तर्गत फ्लैट खरीदने के लिए सरकारी कर्मचारियों को इस समय ऋण मंजूर नहीं किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की स्ववित्त योजना को देश की कुछ अन्य स्ववित्त योजनाओं के समान मान्यता कब तक दी जाएगी और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की स्ववित्त योजना के अन्तर्गत फ्लैट खरीदने के लिए सरकारी कर्मचारियों को ऋण कब तक मजूर किए जाएंगे ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से निर्धारित शर्तों/पद्धति की स्वीकृति की प्रतीक्षा है। जैसे ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण शर्तों के लिए अपनी स्वीकृति दे देगा वैसे ही इस मामले पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों द्वारा भूमि के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास धनराशि जमा करना

329. **डा० कृपा सिन्धू भोई :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों की संख्या कितनी हैं, जिन्होंने कुछ महीने पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास भूमि की कीमत जमा कर दी है परन्तु उन्हें अब तक भूमि का कब्जा नहीं मिला है ; और

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं और भूमि का कब्जा शीघ्र देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन 424 सहकारी ग्रुप आवास समितियों में से 124 समितियों को अभी भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है जिन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि की पूरी लागत का भुगतान कर दिया है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि शेष समितियों को निम्नलिखित कारणों से भूमि का कब्जा नहीं दिया जा सका :

(1) इन समितियों को आवंटित भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण।

(2) समितियों को आबंटित प्लाटों को प्रभावित करने वाले न्यायालय के स्थगन आदेश।

(3) कुछ समितियों का कब्जा लेने के लिए न आना।

अनधिकृत अतिक्रमणों को हटाने और न्यायालय के स्थगन आदेशों को समाप्त/खारिज करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। जो समितियां विभिन्न कारणों से कब्जा लेने के लिए नहीं आई हैं उन्हें एक और अवसर दिया जा रहा है।

जनकपुरी पाकेट "बी" में स्ववित्त पोषण योजना के फ्लैट

330. **श्री केशव राव पारधी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्ववित्त पोषण योजना के फ़्लैटों के निर्माण में आबंटियों द्वारा की गई शिकायतों के बावजूद निरन्तर घटिया किस्म की ईटों का प्रयोग किया जा रहा है और प्रयोग में लाया जाने वाला पानी निर्माण कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किया है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली की यमुना विहार कालोनी का विकास

331. **श्री सूरज भान :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना विहार कालोनी, दिल्ली-53 की योजना में कालोनी के प्रमुख यातायात के लिए एक 80 फुट चौड़ी सड़क शामिल की है ;

(ख) क्या अवैध अधिभोक्ताओं ने अधिकांश सड़क पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है जिसके कारण वाहनों का कालोनी में पहुंचना बहुत कठिन हो गया है जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आठ वर्षों में इस महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण नहीं किया जा सका है ;

(ग) इस सड़क का निर्माण कब शुरू किया जाएगा ; और

(घ) इस संबंध में प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि रोड की सिंचाई में अत्यधिक अनधिकृत निर्माण हैं। इसलिए, अतिक्रमणों को हटाने के लिए या सड़क निर्माण कार्य आरम्भ करने की समय सीमा निर्धारित करना उनके लिए सम्भव नहीं है। उन्होंने आगे यह उल्लेख किया कि इस सड़क पर निर्माण से कालोनी को आगे-जाने में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

सिंचाई योजनाओं की परिभाषा

332. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) अनुमानित लागत (2) सिंचाई किए जाने वाले क्षेत्र के रूप में (i) बड़ी (ii) मध्यम और (iii) लघु सिंचाई योजनाओं की परिभाषा क्या है तथा इनके कार्यान्वयन के लिए कितनी केन्द्रीय वित्तिय सहायता दी जाती है ;

(ख) क्या सिंचाई किए जाने वाले क्षेत्र के आकार को कम करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों/राज्यों के लिए मध्यम योजनाओं की परिभाषा में कोई संशोधन किया जाएगा, क्योंकि पहाड़ी भू-भाग में सिंचाई के लिए बड़े क्षेत्र नहीं हो सकते हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पहाड़ी राज्यों/क्षेत्रों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देगी ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) आजकल सिंचाई परियोजनाओं की परिभाषा/वर्गीकरण प्रत्येक परियोजना के कृषियोग्य कमान क्षेत्र के आधार पर किया जाता है न कि उनकी अनुमानित लागत के आधार पर। वर्गीकरण निम्न रूप से किया जाता है :

(1) बृहत् सिंचाई स्कीमें :	वे सभी स्कीमें जिनके अन्तंगत 10,000 हैक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र आता है।
(2) मध्यम सिचाई स्कीमें :	वे सभी स्कीमें जिनके अन्तंगत 2000 से 10,000 हैक्टेयर तक कृषि योग्य कमान क्षेत्र आता है।
(3) लघु सिंचाई स्कीमें :	वे सभी स्कीमें जिनके अन्तंगत 2000 हैक्टेयर तक कृषि योग्य कमान क्षेत्र आता है।

सिंचाइ एक राज्य विषय है, अतः सिंचाई परियोजनाओं को वित्त व्यवस्था राज्यों के

अपने कुल विकास योजनाओं के ढांचे के अन्तर्गत उनके द्वारा ही की जाती है। केन्द्रीय योजनागत सहायता ब्लाक ऋणों तथा ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है और वह किसी परियोजना या विकास के सेक्टर से सम्बद्ध नहीं होती।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) राज्यों में केन्द्रीय योजनागत सहायता वितरित करते समय पहाड़ी राज्यों का, जो कि पिछड़े राज्यों में से हैं, पहले ही विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

राज्यों को आवास योजनाओं के लिए 1983-84 के दौरान आबंटन

333 **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1983-84 में देश में विभिन्न आवास योजनाओं के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है ;

(ख) चालू वर्ष में इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्तियों को राज-सहायता/ऋण दिए गए; और

(ग) क्या वर्ष 1983-84 में विभिन्न राज्यों में इस सम्बन्ध मे कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि (एक) कितने मकान आबंटित किए जाएंगे (दो) कितने मकान उपलब्ध कराए जाएंगे (तीन) कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगें ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) वार्षिक योजना 1983-84 में पुलिस आवास सहित आवास का राज्यवार परिव्यय विवरण एक में दिया गया है।

(ख) तथा (ग) आवास राज्य का विषय है और विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं का वास्तविक कार्यान्वयन से सम्बन्धित आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

विवरण

1983-84 के लिए आवास का अनुमोदित परिव्यय का विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	कुल अनुमोदित परिव्यय (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	6886
2.	असम	770
3.	बिहार	885

1	2	3
4.	गुजरात	2080
5.	हरियाणा	618
6.	हिमाचल प्रदेश	290
7.	जम्मु और कश्मीर	365
8.	कर्नाटक	2327
9.	केरल	1100
10.	मध्य प्रदेश	1131
11.	महाराष्ट्र	2846
12.	मणिपुर	210
13.	मेघालय	225
14.	नागालैण्ड	335
15.	उड़ीसा	560
16.	पंजाब	1140
17.	राजस्थान	650
18.	सिक्किम	55
19.	तमिलनाडू	3032
20.	त्रिपुरा	156
21.	उत्तर प्रदेश	2126
22.	पश्चिम बंगाल	1023
	योग : राज्य	28810

क्रम सं०	संघ राज्य क्षेत्र	कुल अनुमोदित परिव्यय 1983-84
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	33.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	250
3.	चण्डीगढ़	337
4.	दादर तथा नागर हवेली	17.74

1	2	3
5.	दिल्ली	1787
6.	गोआ, दमन और द्वीव	260
7.	लक्षद्वीप	30
8.	मिजोरम	154
9.	पाण्डिचेरी	178
	योग संघ राज्य क्षेत्र	3047·07
	योग राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	31857·07

ग्रामीण श्रमिकों को निर्माण सहायता देने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

334. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को ग्रामीण श्रमिकों के लिए निर्माण सहायता सम्बन्धी उनकी योजनाओं के लिए कोई सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को यह केन्द्रीय सहायता किस दर पर दी जाती है तथा इन राज्यों द्वारा प्रति मकान कितनी सहायता राशि मुहैया की जाती है;

(ग) क्या योजना आयोग ने ऐसी योजनाओं की समीक्षा में यह विचार व्यक्त किया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता की दर में वृद्धि करना न्यायोचित होगा;

(घ) क्या सरकार विशेषत: इस महत्वपूर्ण योजना के लिए अधिक धनराशि का प्रावधान करने को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सहायता की दर बढ़ाने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आवास राज्य का विषय होने के कारण सभी सामाजिक आवास योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास स्थल व निर्माण सहायता योजना संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम का एक

भाग है। तथापि, केन्द्रीय सरकार समेकित अनुदान देती है जो इस तरह की किसी योजना विशेष से सम्बद्ध नहीं होती है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने निर्माण सहायता के रूप में प्रति परिवार के लिए 500/- की सहायता का मानदण्ड निश्चित किया है।

(ग) से (ङ) यह मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

"हुडको" द्वारा मकान दुबारा गिरवी रखने की अनुमति दिया जाना

335. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हुडको" अपने पहले ऋण की प्राप्ति के लिए, गिरवी रखी गई सम्पत्ति की दुबारा गिरवी स्वीकार करता है;

(ख) यदि नहीं तो क्या "हुडको" को पता है कि जीवन बीमा निगम दुबारा गिरवी स्वीकार कर लेता है बशर्ते कि सम्पत्ति की कीमत ऋण की राशि से अधिक हो ;

(ग) क्या आवास गतिविधियों में तेजी लाने के लिए "हुडको" भी दूसरी गिरवी प्रणाली को अपनाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) हुडको के धन देने के मापदण्ड के अनुसार ऋण के लिए रेहन पर रखी सम्पत्तियों की लागत किसी भी स्थिति में बकाया ऋण के 133½ प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। जहां तक हुडको का सम्बन्ध है, जहां कहीं भी रेहन पर रखी गई सम्पत्तियों की लागत एक ऋण के समायोजन के लिए पर्याप्त है, इसके लिए पहले ही रेहन पर रखी सम्पत्तियों के लिए हुडको द्वितीय या अनुवर्ती रेहन स्वीकार करता है।

मत्स्य पालन और वानिकी के लिए विश्वविद्यालय

336. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री चिन्तामणि जैना : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में मत्स्य पालन और वानिकी के लिए संपूर्ण केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार करेंगी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का विश्वविद्यालय कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है और यह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा; और

(ग) इस समय लोगों को मत्स्य पालन और वानिकी की शिक्षा देने के लिए क्या प्रणाली है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं श्रीमान्। फिर भी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने परिषद् के वर्तमान मात्स्यिकी संस्थानों के इर्द-गिर्द एक "डीम्ड विश्वविद्यालय" की स्थापना करने का निर्णय लिया है जिसके लिए मछली फार्म तथा विशेष रूप से बुनियादी और मौलिक विषयों में स्नातकोत्तर तथा डाक्टरेट की उपाधि से सम्बन्धित कार्यक्रम तैयार करने के साथ अतिरिक्त स्टाफ एवं आवश्यक अवस्थापन सुविधाएं प्रदान करके संस्थानों को समुचित रूप से सुदृढ़ किया जाएगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रणाली के अंतर्गत तथा कृषि मन्त्रालय के अंतर्गत भी एक वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, देहरादून में स्थित वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय को एक विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) पहले पैरा के (क) के अंतर्गत सलग्न सूचना को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय मात्स्यिकी विश्वविद्यालय को स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। चूंकि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए इसकी तिथि बताना संभव नहीं होगा कि कब से वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय को विश्वविद्यालय या एक डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा।

(ग) मात्स्यिकी शिक्षा की वर्तमान पद्धति के अंतर्गत राज्यसरकार मात्स्यिकी विभागों में व्यक्तियों को तैनात करने की आवश्यकता को देखते हुए तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के छोटे स्तर के कार्यक्रमों को चला रही है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य मात्स्यिकी तकनीकी उच्च विद्यालय में मात्स्यिकी को एक विशेष विषय के रूप में चला रहे हैं। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी (नाविक) और अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान तकनीकी कर्मचारियों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है। कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन पांच मात्स्यिकी महाविद्यालय हैं जिनमें लगभग 150 अंडर ग्रेजुएट तथा 20 स्नातकोत्तर विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, बम्बई मात्स्यिकी प्रशासन, मात्स्यिकी विस्तार और क्रियात्मक मात्स्यिकी के अतिरिक्त मुख्यतया सेवारत कर्मचारियों के लिए द्विवर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चल रहा है। केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान मैरिकल्चर में उच्च अध्ययन के लिए मास्टर और पी०एच०डी० उपाधियों के लिए मैरिकल्चर में स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाता रहा है। भा० कृ०

अ०प० के अधीन सभी चार मात्स्यिकी संस्थान भी समय-समय पर विशेष विषयों में अल्प अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन करते हैं।

कृषि मंत्रालय के अंतर्गत लोगों को वानिकी में शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधीन संचालित प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा अलग-अलग स्तरों का वन-अधिकारियों को सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषि विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत 50 विद्यार्थियों की प्रवेव क्षमता वाला राँची में केवल एक वानिकी महाविद्यालय है इस विषय में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में सुविधाएं उपलब्ध हैं।

वानिकी योजना

337. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के लिए विशेषकर गुजरात के लिए, भारत सरकार की वानिकी योजना क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में ईंधन के लिए लकड़ी की मांग को पूरा करने के लिए भारत में सामाजिक वानिकी की कोई शुरू योजना की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो वानिकी प्लान योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं; अर्थात्

(1) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल के राज्यों तथा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के संघ। राज्य क्षेत्रों के हिमालय (आपरेशन सोइल वाच) में मृदा, जल तथा वृक्ष संरक्षण।

(2) गुजरात सहित सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा दमन तथा दीव और मिजोरम के संघ। राज्य क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी, जिसमें ग्रामीण की जलावन की लकड़ी का रोपण भी शामिल है।

(ख) जी, हां।

(ग) ग्रामीण जलावन की लकड़ी का रोपण सहित सामाजिक वानिकी की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

ग्रामीण जलावन की लकड़ी के रोपण सहित सामाजिक वानिकी के तहत 1980-81 से 1982-83 तक की गई निर्मुक्त धन-राशि तथा वास्तविक उपलब्धियां

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त धनराशि (लाख रुपये)	लगाए गए जलावन की लकड़ी के बागान (हैक्टार में)	वितरित पौध (लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	147.24	9859	301.27
2.	असम	44.83	4174	102.63
3.	बिहार	127.19	7335	106.00
4.	गुजरात	87.47	4391	314.00
5.	हरियाणा	98.46	6669	113.00
6.	हिमाचल प्रदेश	47.02	5698	44.00
7.	जम्मू व कश्मीर	14.22	—	—
8.	कर्नाटक	127.38	6472	377.67
9.	केरल	74.23	2451	127.97
10.	मध्य प्रदेश	334.93	13968	497.17
11.	महाराष्ट्र	50.21	1020	44.10
12.	मणीपुर	10.15	520	9.00
13.	मेघालय	24.95	1260	13.39
14.	नागालैंड	36.61	2419	27.25
15.	उड़ीसा	94.50	10250	97.10
16.	पंजाब	74.92	5000	150.34
17.	राजस्थान	155.10	7900	120.50

1	2	3	4	5
18.	सिक्किम	7.18	210	5.36
19.	तमिलनाडु	91.15	13785	47.60
20.	त्रिपुरा	7.18	1080	3.70
21.	उत्तर प्रदेश	86.82	4925	—
22.	पश्चिम बंगाल	43.21	2435	100.00
23.	अरुणाचल प्रदेश	18.05	705	1.37
24.	दिल्ली	—	—	—
25.	गोवा, दमन तथा दीव	—	—	—
26.	मिजोरम	83.44	6100	6.20
	योग :	1886.44	118626	2579.62

खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लिए उर्वरकों का प्रयोग

338. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूचे देश में उर्वरक के प्रयोग में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में वर्ष 1962 तथा 1982 का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन विभिन्न फसलों के, जहां इन उर्वरक का प्रयोग किया गया है, उत्पादन और उत्पादनकर्ता में अनुवर्ती वृद्धि के बारे में कोई विश्लेषण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के विश्लेषण की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार प्राकृतिक गैस के व्यापक वितरण तथा उसके पूरे उपयोग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाएगी कि पशुओं के गोबर पत्तियों सहित प्राकृतिक सामग्री के जलाए जाने को हतोत्साहित किया जाए और अन्ततः इसका उपयोग न किया जाए ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) देश में हाल के

वर्षों में उर्वरकों की खपत में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 1962-63 तथा 1982-83 के दौरान उर्वरकों की राज्यवार खपत को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) तथा (घ) किए गए प्रयोगात्मक अध्ययनों से आमतौर पर पैदावार और उर्वरकों की खपत के बीच गहरा सम्बन्ध होने का पता चला है, किन्तु अन्य अवयवों जैसे सिंचाई, मौसमी परिस्थितियों, कीट नियन्त्रण का प्रभाव भी काफी महत्वपूर्ण है।

(ङ) सरकार खाद के स्थानीय संसाधनों के विकास के लिए जैव-अवशिष्ट, जिसमें पशुओं का गोबर तथा पत्तियां भी शामिल हैं, का उपयोग किए जाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। यंत्रीकृत कम्पोस्ट सयंत्रों की स्थापना, मल-जल/कूड़ा-करकट उपयोग योजना तथा ग्रामीण कार्बनिक खाद के लिए इस संबंध में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना शुरू की गई थी। अब यह योजना राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना की केन्द्रीय प्रायोजित योजना से एक साथ गोबर गैस के माध्यम से ऊर्जा और कीचड़ आदि के माध्यम से जैव खाद मिलती है। इस प्रकार यह योजना पशुओं के गोबर को जलाने को भी हतोत्साहित करती है।

विवरण

खपत (लाख मीटरी टन एन+पी+के)

क्र०सं०	राज्य का नाम	1962-63	1982-83 (अनुमानित)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.02	7.26
2.	केरल	0.23	1.08
3.	कर्नाटक	0.33	4.01
4.	तमिलनाडु	0.62	4.65
5.	गुजरात	0.24	3.86
6.	मध्य प्रदेश	0.18	2.43
7.	महाराष्ट्र	0.42	5.06
8.	राजस्थान	0.05	1.16
9.	हरियाणा	—	2.63
10.	पंजाब	0.28	8.86
11.	उत्तर प्रदेश	0.43	14.27
12.	हिमाचल प्रदेश	0.01	0.18

1	2	3	4
13.	जम्मू व कश्मीर	0.01	0.32
14.	असम	0.01	0.13
15.	बिहार	0.20	2.04
16.	उड़ीसा	0.04	0.86
17.	पश्चिम बंगाल	0.19	2.82
18.	अन्य	0.26	2.45
	योग :	4.52	62.88

भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्न का अत्यधिक घाटा

339. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्न की वसूली व वितरण से उसकी आवाजाही, भण्डारण और अन्य कारणों से भारी घाटा हुआ है; यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ संसद सदस्य इस विषय पर लिखते रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है और घाटे के प्रतिशत को कम करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं और यदि हां, तो उसके प्ररिणाम क्या निकले हैं; और

(ग) क्या सरकार इस मामले पर हर दृष्टि से विचार करने और भण्डारण आदि के विकेन्द्रीकरण सहित खाद्यान्न के वैज्ञानिक ढंग से भण्डारण करने पर ठोस और व्यावहारिक सिफारिश करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त स्वतंत्र दल नियुक्त करेगी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवीराव) : (क) भारतीय खाद्य निगम को पिछले तीन वर्षों के दौरान भण्डारण में और मार्गस्थ में हुए नुकसान का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

वर्ष	मार्गस्थ और भण्डारण में हुई कुल कमियां (मात्रा लाख मीटरी टन में)	खरीद और बिक्री की कुल मात्रा के संदर्भ में प्रतिशतता
1980-81	6.43	2.76%
1981-82	6.51	2.28%
1982-83	7.40	2.37%

भारतीय खाद्य निगम को मार्गस्थ और भण्डारण में इस समय जितनी मात्रा में हानि हो रही है उससे सरकार चिंतित है हालांकि निगम द्वारा जो परिचालन कार्य किया जाता है उसके स्वरूप और भारी मात्रा को देखते हुए मार्गस्थ और भण्डारण में कुछ मात्रा में हानि होना स्वाभाविक होता है। भण्डारण में नमी के कारण तथा संचालन आदि के दौरान हैंडलिंग/नौकान्तरण के स्वरूप के कारण भी नुकसान होता है।

(ख) कुछ संसद सदस्यों ने खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री के साथ किए गए पत्राचार में भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठायी जा रही मार्गस्थ और भण्डारण हानियों के बारे में अपनी चिंता अभिव्यक्त की थी। उन्हें सूचित किया गया था कि निगम को परामर्श दिया गया है कि वे कई एक अतिरिक्त पग उठाएं जिससे ऐसी हानियां कम से कम हों। लदान और उतरान स्थानों पर उपयुक्त तौल की व्यवस्था करने, खुले भण्डारण को कम करने, डिपुओं पर सुरक्षा प्रबन्धों को कड़ा करने और भण्डारण तथा हैंडलिंग प्रोद्योगिकी में सुधार करने, विशेष स्क्वायडों द्वारा प्रत्यक्ष जांच करने, प्राप्तियों, निर्गम और इतिशेष स्टाक के बारे में सूचना प्रणाली में सुधार करने आदि जैसे विभिन्न उपाय पहले ही किये जा चुके हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कृषि फसलों के उत्पादन में गिरावट

340. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 26.1.84 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार केरल में भूमि सुधारों के कारण उत्पादकता में गिरावट आ रही है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रमुख फसलों में भारी गिरावट आ गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार वास्तविक और प्रभावी सहकारी पद्धति के आधार पर कृषि प्रारम्भ करेगी।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भूमि सुधार के कारण उत्पादकता में वृद्धि अथवा गिरावट की किसी विशिष्ट मात्रा के आंकड़े नहीं हैं।

(ख) हाल के वर्षों में केरल में धान, नारियल तथा टेपिओका के क्षेत्र तथा उत्पादन में गिरावट देखी गई है परन्तु काली मिर्च के उत्पादन में आमतौर पर वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है।

(ग) सम्बन्धित आंकड़े बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) इस समय इस बात पर जोर दिया गया है कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि की उन्नत प्रणाली को अपनाने हेतु सदस्यों को ऋण तथा अन्य कृषि आदानों की सप्लाई करने में प्राथमिक स्तर की कृषि ऋण समितियों को समर्थ बनाया जाये।

विवरण

केरल में प्रमुख फसलों का क्षेत्र तथा उत्पादन

वर्ष	धान (चावल) क्षेत्र	धान (चावल) उत्पादन	नारियल क्षेत्र	नारियल उत्पादन	टैपिओका क्षेत्र	टैपिओका उत्पादन	काली मिर्च क्षेत्र	काली मिर्च उत्पादन
	(लाख में)	लाख मी० टन	लाख मी० टीन	लाख मी० टीन	लाख मी० टन	लाख मी० टन	लाख मी० टन	(हजार मी० टन)
1975-76	8.85	13.65	6.93	3440	3.27	53.90	1.08	24.6
1976-77	8.54	12.54	6.95	33480	3.23	51.26	1.09	24.5
1977-78	8.40	12.95	6.74	30530	2.90	41.89	1.01	20.1
1978-79	7.99	12.65	6.61	32370	2.90	42.26	0.81	20.4
1979-80	7.93	12.93	6.65	30320	2.74	40.42	1.07	26.8
1980-81	8.02	12.72	6.66	30360	2.43	40.98	1.06	28.6
1981-82	8.07	13.40	6.67	30060	2.48	37.45	1.08	28.5
1982-83	7.98	13.09	6.59	24440	2.46	34.87	1.08	27.8

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को बढ़ी हुई दरों पर समयोपरि भत्ता देने में देरी करना

341. **श्री भीखाभाई :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धक अपने कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के अनुसार समयोपरि भत्ते का भुगतान करने के निर्णय में देरी कर रहे हैं जबकि उनके मंत्रालय ने भी उन्हें यह सलाह दे दी है कि वे अपने निदेशक मंडल के माध्यम से ऐसा निर्णय कर लें और उसे लागू करें; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय में देरी के क्या कारण हैं तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितनी समयावधि में इस आशय के आदेश जारी कर दिए जाएंगे ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने बन्दरगाहों, गोदामों और डिपों में तैनात अपने कर्मचारियों को दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम के अनुसार समयोपरि भत्ते की अदायगी करने की अनुमति दे दी है। जो कर्मचारी कार्यालयों में काम कर रहे हैं उन्हें दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के अनुसार समयोपरि भत्ता दिया जाना चाहिये अथवा नहीं, इस प्रश्न पर निगम द्वारा विचार किया जा रहा है और यथा समय में इन पर निर्णय लिया जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ आवास भत्ता

342. **श्री भीखा भाई :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर और अहमदाबाद को 1 अगस्त, 1982 से "ए" श्रेणी के शहर घोषित किए जाने के बावजूद, भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धकों ने अभी तक इन शहरों में अपने कर्मचारियों को "ए" श्रेणी के शहरों में देय आवास भत्ते के बराबर आवास भत्ता देना मंजूर नहीं किया है, जबकि भारतीय खाद्य निगम के निदेशक मंडल ने सितम्बर, 1983 में यह निर्णय किया था कि इन शहरों में मूल वेतन पर 25 प्रतिशत की दर से आवास भत्ता दिया जाये और इसके अतिरिक्त 320 बिन्दु तक मंहगाई भत्ता दिया जाये;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस विषय पर भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धकों ने मंत्रालय से कुछ सलाह मांगी है और उसका जवाब आज तक प्राप्त नहीं हुआ है जिससे निर्णय में देरी हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त निर्णय में देरी के क्या कारण हैं तथा कितने समय में भारतीय खाद्य निगम को निर्णय की सूचना दे दी जायेगी और क्या यह निर्णय इन शहरों को उच्च श्रेणी का दर्जा दिये जाने की तारीख अर्थात् 1 अगस्त, 1982 से ही लागू माना जायेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) बंगलौर और अहमदाबाद, जिनका श्रेणी "क" के रूप में पुनः श्रेणीकरण किया गया हैं, में तैनात कर्मचारियों को वेतन जमा मंहगाई भत्ते (लागत मुल्य सूचकांक के 320 प्वाइंट तक) का 25 प्रतिशत के हिसाब से मकान किराया भत्ता देने विषयक एक प्रस्ताव निगम से प्राप्त हुआ था। इस मामले की जांच की गई थीं और यह निर्णय किया गया है कि इन शहरों में तैनात कर्मचारियों को 1-8-1982 से मूल वेतन के 25 प्रतिशत की दर पर मकान किराया भत्ता अदा किया जाए।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को डी० डी० ए० मकानों का आवंटन

343. **श्री भीखा भाई** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में काम करने वाले भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने निगम के माध्यम से दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकानों के लिए आवेदन किया था और डी० डी० ए० ने 52 मध्य आय वर्ग/निम्न आय वर्ग के मकान इन कर्मचारियों के लिये आबंटित किये थे;

(ख) क्या बाद में भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धक इन मकानों को कर्मचारियों को आबंटित करने के बजाय स्वयं ही उनका कब्जा लेना चाहते थे और जिसकी अनुमति डी० डी० ए० ने नहीं दी थी;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम ने 13 जनवरी, 1984 को डी० डी० ए० से पुनः यह अनुरोध किया है कि वह स्थानांतरण पर दिल्ली आने वाले अधिकारियों के लिए उन मकानों का कब्जा निगम को दिया जाए अथवा निगम द्वारा इन मकानों के आरक्षण के लिए जमा की गई धनराशि वापिस कर दें; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा कर्मचारियों को मकानों का आबंटन न करने के क्या कारण हैं और उसके द्वारा डी० डी० ए० में जमा की गई धनराशि को वापिस लेने की कोशिश क्यों की जा रही है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से फ्लैटों की उपलब्धता के बारे में पुष्टि होने पर निम्नलिखित के बारे में कर्मचारियों की इच्छा जानने के लिए एक परिपत्र जारी किया था :

(1) फ्लैटों की सीधी खरीद

(2) दिल्ली में तैनात कर्मचारियों के लिए किराये के आधार पर फ्लैटों का आबंटन । कई कर्मचारियों से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर भारतीय खाद्य निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को समय-समय पर प्राप्त उनके आवेदन पत्र भेज दिए थे । इसके फलस्वरूप, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केवल 47 फ्लैट आबंटित किए थे और निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को 32 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया था ।

(ख) यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम अपने दिल्ली में तैनात कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टरों के रूप में प्रयोग करने के लिए फ्लैट लेना चाहता था । भारतीय खाद्य निगम का हमेशा यही अनुरोध रहा था लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसे स्वीकार नहीं किया है ।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम दिल्ली विकास प्राधिकरण को सीधे कर्मचारियों को फ्लैट आबंटित करने की बजाय भारतीय खाद्य निगम के पक्ष में मकानों को आबंटित करने के लिए लिखता रहा है ताकि निगम इन फ्लैटों का समय-समय पर दिल्ली में स्थानान्तरण पर आये अपने कर्मचारियों को आवास देने के लिए स्टाफ क्वार्टर के रूप में प्रयोग कर सके । दिल्ली विकास प्राधिकरण को जमा-राशि लौटाने के लिए कहने का फिलहाल प्रश्न ही नहीं उठता

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

344. श्री एन० के० शेजवलकर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1977 के अन्तिम सप्ताह फरवरी 1979 के अन्तिम सप्ताह, जनवरी 1980 के दूसरे सप्ताह और दिसम्बर, 1983 के अन्तिम सप्ताह के दौरान लेवी की चीनी के मूल्य और खुली बिक्री की चीनी के खुदरा मूल्य क्या-क्या थे;

(ख) इसी अवधि के दौरान प्याज, नमक और दालों, खाद्य तेलों, सरसों के तेल और अन्य खाद्य तेलों के खुदरा मूल्य क्या-क्या थे ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) सम्बद्ध सूचना विवरण-I में दी गई है ।

(ख) सम्बद्ध सूचना विवरण-II में दी गई है ।

विवरण-I

निम्नाँकित सप्ताहों में चीनी के लेवी मूल्य और खुदरा मूल्य

		मार्च, 1977 का अन्तिम सप्ताह	फरवरी, 1979 का अन्तिम सप्ताह	जनवरी, 1980 का अन्तिम सप्ताह	दिसम्बर, 1983 का अन्तिम सप्ताह
I. लेवी चीनी का मूल्य (रुपये प्रति किलोग्राम)		2.15	2·30	2·85	3·75
II. खुली बिक्री की चीनी का खुदरा मूल्य (रुपये प्रति किलोग्राम)					
	दिल्ली	4·20	2·50	4·55	5·25
	कलकत्ता	4·20 से 4·40 तक	2·50	4·50	5·40
	बम्बई	4.15 से 4·20 तक	2·40 से 2·45 तक	4.50 से 4·60 तक	5·40 से 5·50 तक
	मद्रास	4·00	2·25	4·20	5.00

विवरण-II

खुदरा मूल्य (रुपये प्रति किलोग्राम)

		मार्च, 1977 का अन्तिस सप्ताह	फरवरी, 1989 का अन्तिम सप्ताह	जनवरी, 1980 का अन्तिम सप्ताह	दिसम्बर, 1983 का अन्तिम सप्ताह
1	2	3	4	5	6
1. प्याज	दिल्ली	1·00	1·20	4·00	2·00
	बम्बई	उ०न०	1·00	2·50	2·50
	कलकत्ता	1·00	1·40	3·00	3·00
	मद्रास	1·20	1·90	300	4·00
2. नमक	दिल्ली	उ०न०	0·35	0.50	0·50
	बम्बई	0·20	0·30	0·30	0·35

1	2	3	4	5	6
	कलकत्ता	उ०न०	0.50	उ०न०	उ०न०
	मद्रास	0.20	0.30	0.30	0.35
3. चना	दिल्ली	1.80	2.30	2.50	4.20
	बम्बई	उ०न०	3.20	3.00	4.00
	कलकत्ता	2.10	3.00	3.10	4.60
	मद्रास	1.90	2.80	3.20	5.00
4. अरहर	दिल्ली	3.60	4.20	4.50	7.75
	बम्बई	उ०न०	4.40	5.00	7.80
	कलकत्ता	3.00	5.40	5.00	7.80
	मद्रास	3.45	4.60	5.20	8.80
5. मूंग	दिल्ली	3.00	4.60	4.80	6.00
	बम्बई	उ०न०	5.00	5.00	6.00
	कलकत्ता	3.00	5.20	5.00	6.40
	मद्रास	2.80	4.50	5.00	5.40
6. उड़द	दिल्ली	4.[illegible]0	4.60	4.60	6.75
	बम्बई	उ०न०	4.80	5.00	7.00
	कलकत्ता	3.20	4.40	4.00	6.50
	मद्रास	3.70	4.00	4.00	6.70
7. मूंगफली	दिल्ली	10.00	8.50	11.50	19.00
का तेल	बम्बई	उ०न०	7.30	10.00	16.50
	कलकत्ता	9.00	10.00	16.00	23.00
	मद्रास	9.30	7.20	9.50	16.00
8. सरसों	दिल्ली	10.00	9.00	11.40	21.00
का तेल	बम्बई	उ०न०	12.00	13.00	24.00

1	2	3	4	5	6
	कलकत्ता	9·75	10·00	12·20	24·00
	मद्रास	13·00	13·50	14·00	26·00
9· जिंजली का तेल	दिल्ली	10·50	10·00	12·00	20·00
	बम्बई	उ०न०	11·00	13·00	19·00
	कलकत्ता	10·00	9·00	15·00	17·50
	मद्रास	10·80	8·50	12·50	16·00
10 नारियल का तेल	दिल्ली	16·50	15·00	16·50	32·00
	बम्बई	उ०न०	13·00	15·50	34·00
	कलकत्ता	15·00	18·00	20·00	37·00
	मद्रास	12·00	14·00	17·00	34·90

टिप्पणी : उ०न० : उपलब्ध नहीं।

दिल्ली की बस्तियों में पुनर्वास आवास-पट्टे

345· **श्री राम प्रसाद अहिरवार :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली की प्रत्येक बस्ती में 0 से 200 वर्ग गज, 200 से 400 वर्ग गज, 400 से 600 वर्ग गज, 600 से 800 वर्ग गज, 800 से 1000 वर्ग गज और 1000 वर्ग गज और इससे ऊपर की पुनर्वास आवास-पट्टों की संख्या कितनी है ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	रिहायशी कालोनी का नाम	प्लाटों का आकार 200 वर्ग गज तक	200 से 400 वर्ग गज तक	400 से 600 वर्ग गज तक	600 से 800 वर्ग गज तक	800 से 1000 वर्ग गज तक	1000 से अधिक वर्ग गज तक
1	2	3	4	5	6	7	8
1·	अली गंज	1046	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अन्धा मुगल	714	—	—	—	—	—
3.	भारत नगर	375	—	—	—	—	—
4.	बी० एस० ए०	930	—	—	—	—	—
5.	डिफेंस कालोनी	123	1505	56	—	23	3
6.	एडवजर्ड लेन	115	—	—	—	—	—
7.	गोल्फ लिंक	34	—	—	—	—	—
8.	गुड़ की मण्डी	138	—	—	—	—	—
9.	गुलाबी बाग	124	—	—	—	—	—
10.	हाथी खान	65	—	—	—	—	—
11.	हडसन लेन	1190	—	—	—	—	—
12.	इन्द्रा नगर	292	—	—	—	—	—
13.	जंगपुरा	1660	310	4	—	12	—
14.	झील कुरंजा	3425	—	—	—	—	—
15.	कालकाजी	24.3	1019	18	1	50	19
16.	लाजपत नगर 1 से IV	6278	493	9	35	4	4
17.	लाजपत नगर विनोबापुरी	206	—	—	—	—	—
18.	मालवीय नगर	1962	218	—	—	—	—
19.	मल्कागंज	991	20	—	5	8	1
20.	मोती नगर	2607	168	—	—	—	—
21.	हकीकत नगर	369	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	नरेला	193	—	—	—	—	—
23.	निकलसन रोड	77	—	—	—	—	—
24.	निजामुद्दीन	116	440	5	27	17	16
25.	न्यू कुतुब रोड	195	—	—	—	—	—
26.	न्यू राजेन्द्र नगर	1252	514	—	—	—	—
27.	ओल्ड राजेन्द्र नगर पूसा रोड	2488	17	3	6	24	10
28.	औटरा लाइन	1546	—	—	—	—	—
29.	ओल्ड रोहतक रोड	282	—	—	—	—	—
30.	पटेल नगर ईस्ट	76	959	—	22	2	1
31.	पटेल नगर वेस्ट	3574	341	—	—	32	3
32.	पटेल नगर साउथ	90	139	—	—	26	2
33.	रमेश नगर	3124	16	—	—	—	—
34.	रामेश्वरी नेहरू नगर	490	—	—	—	—	—
35.	सराय रोहिला	390	—	—	—	—	—
36.	सेवा नगर	72	—	—	—	—	—
37.	तिलक नगर	2095	430	—	—	—	—
38.	तिहार I और II	4304	1	—	—	—	—
39.	तेलीवाड़ा	88	—	—	—	—	—
40.	तिमारपुर	62	—	—	—	—	—
41.	विजय नगर	575	15	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	मौतिया खान	242	—	—	—	—	—
43.	कस्तूरबा नगर	41	—	—	—	—	—
44.	अन्सारी मार्केट	26	—	—	—	—	—
45.	भगत सिंह मार्केट	70	—	—	—	—	—
46.	गोखले मार्केट	25	—	—	—	—	—
47.	खान मार्केट	65	—	—	—	—	—
48.	लहना सिंह मार्केट	34	—	—	—	—	—

भोपाल के बालमपुर ग्राम को "रजत जयन्ती ग्राम" घोषित किया जाना

346. **श्री राम प्रसाद अहिरवार :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल जिले के बालमपुर ग्राम को 1982 में "रजत जयंती ग्राम" घोषित किया गया था तथा यह भी घोषणा की गई थी कि वर्ष 1982 में वहां 12 गोबर गैस संयंत्र भी लगाए जाएंगे;

(ख) क्या यह भी सच है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त ग्राम के बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता देने का भी आश्वासन दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक युवा को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है तथा इस ग्राम में कितने गोबर गैस संयंत्र लगाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, बालमपुर गांव को 1 नवम्बर, 1981 को "रजत जयन्ती ग्राम" घोषित किया गया था तथा इस गांव में 4 गोबर गैस संयंत्र लगाए जाने थे।

(ख) कार्यक्रम के मानदण्डों के अनुसार उन सभी व्यक्तियों जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, को सहायता दिए जाने का प्रस्ताव था।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 88 व्यक्तियों को लाभ पहुँचाया गया है। लाभभोगियों का क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

कुएं तथा बिजली की मोटर 6, बैल-3, डेरी-31, बकरी पालन-11, मछली पालन-8, बढ़ईगिरी-2, पत्थरों की कटाई-6, मुर्गी पालन-3, दर्जीगिरी-4, लोहारगिरी-1, मोची-1, ईंट बनाना-1, किराने की दुकान-5, चाय की दुकान-4, बाँस का कार्य-4, लकड़ी का कार्य-1

ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राईसेम) के अन्तर्गत 16 व्यक्ति 3 व्यवसायों अर्थात 12 मछली पालन में, एक मोटर मरम्मत में तथा 2 दर्जी के कार्य में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

बायोगैस संयंत्र का निर्माण आरम्भ हो गया है। 9 बायोगैस संयंत्र पूरे हो गए हैं तथा 3 का कार्य अभी चल रहा है।

जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान के राजस्व विभाग द्वारा की गई वसूली

347. श्री निहाल सिंह : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान के राजस्व विभाग ने 31.3.79 से लेकर 31.12.1983 तक की अवधि के दौरान (1) जल प्रभार (2) मीटर प्रभार (3) जल कर और सफाई कर के रूप में कितनी धनराशि वसूल की; और

(ख) उक्त प्रत्येक मद के अन्तर्गत कितनी वसूली बकाया है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दी गई राशियों के वर्षवार ब्यौरे इस प्रकार हैं: —

जल प्रभार तथा मीटर किराया

वर्ष	जल प्रभार (लाख रुपयों में)	मीटर किराया (लाख रुपयों में)	योग
1979-80	980.16	12.51	992.31
1980-81	1219.40	13.40	1232.80
1981-82	1369.07	13.92	1382.99
1982-83	1429.41	14.68	1444.09

जल कर, सफाई कर

सूचना इस प्रकार है:—

1979-80	66.74 लाख
1980-81	90.41 लाख
1981-82	91.50 लाख
1982-83	117.60 लाख
1.4.83 से 30.11.83 तक	105.21 लाख

(ख) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि जलकर एवं सफाई कर के बारे में शेष बकाया राशि का हिसाब वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ही लगाया जाएगा।

दिल्ली जल पूर्ति एवं मल-व्ययन संस्थान ने बताया है कि इस समय वर्ष 1983-84 का जल प्रभार एवं मीटर किराये के कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 1.4.1983 की स्थिति के अनुसार, इस सम्बन्ध में बकाया राशि के बारे में दी गई सूचना इस प्रकार है:—

जल प्रभार	729.5 लाख रुपये
मीटर किराया	6.5 लाख रुपये
योग :	736.0 लाख रुपये

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

348. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1984-85 के लिए प्रारम्भ किये गये नये ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 300 करोड़ रुपये की अनुमानित धन-राशि की कुछ परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो निदेशों सहित उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) सरकार ने वर्ष 1983-84 और 1984-85 के लिए 24-1-84 तक ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अधीन 327.04 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।

(ख) राज्य-बार ब्यौरा विवरण-1 पर दिया गया है।

विवरण

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 24 जनवरी, 1984 तक स्वीकृति परियोजनाओं का अनुमानित व्यय

क्र० सं०	राज्य का नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	अनुमोदित परियोजनाओं का व्यय
1	2	3	4
			(लाखों रुपये में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	7192.58
2.	असम	1	*
3.	बिहार	7	850.70
4.	गुजरात	7	633.13
5.	हरियाणा	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—
7.	जम्मू तथा कश्मीर	1	70.66
8.	कर्नाटक	4	887.007
9.	केरल	3	3479.78
10.	मध्य प्रदेश	10	5147.89
11.	महाराष्ट्र	3	*1441.57
12.	मणिपुर	—	—
13.	मेघालय	—	—
14.	नागालैंड	1	10.0
15.	उड़ीसा	4	432.30
16.	पंजाब	3	96.89
17.	राजस्थान	16	1725.89
18.	सिक्किम	3	8.56
19.	तमिलनाडु	5	5067.02
20.	त्रिपुरा	2	45.467
21.	उत्तर प्रदेश	9	2657.55
22.	पश्चिमी बंगाल	4	2780.98

1	2	3	4
	केन्द्र शासित क्षेत्र		
23.	अण्डमान तथा निकोबार दीप समूह	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
25.	चंडीगढ़	1	4.57
26.	दादरा तथा नगर हवेली	—	—
27.	दिल्ली	—	—
28.	गोवा दमन तथा द्वीव	1	64.36
29.	लक्षद्वीप	—	—
30.	मिजोरम	1	55.60
31.	पांडिचेरी	1	52.74
		89	32704.74

* तालाबों की मरम्मत और सिंचाई कार्यों, जिनमें बांध भी शामिल हैं, से संबंधित संघटकों को असम सरकार द्वारा प्रस्तुत 130 लाख रुपये की संयुक्त परियोजना में से 24-1-84 को सिद्धांत रूप में स्वीकृत कर लिया गया था। कोई राशि दर्शाई नहीं गई है, क्योंकि राज्य सरकार से कुछ सूचना मंगाई जा रही है।

** इसके अलावा, केन्द्रीय समिति द्वारा 288.63 लाख रुपये के अनुमानित व्यय के वाटरशेड के व्यापक विकास की परियोजना 17-11-83 को सिद्धांत रूप में अनुमोदित की गई थी। चूंकि भूमि जोतों के पैटर्न के बारे में ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं। यह राशि शामिल नहीं की गई है।

गेहूं और चावल की बीमारी प्रतिरोधक नई किस्में

394. श्री अर्जुन सेठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं और चावल की ऐसी कुछ नई किस्मों का पता लगाया है जिस पर मुख्य कीटों और बीमारियों का आक्रमण नहीं होता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन किस्मों को राज्य में लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) गेहूं और चावल की जिन किस्मों की पहचान की गई/जिन्हें विकसित किया गया उनमें विभिन्न कीटों के प्रति प्रतिरोधिता/सहिष्णुता की शक्ति पायी गई है। उन किस्मों के नाम निम्नलिखित हैं :

फसल	कीड़े	किस्में/आशाजनक प्रजातियां
गेहूं	रतुआ/	डी० 2265, एच० डी० 2327, एच० डी० 2329, डी० डब्ल्यू० एल० 5023, एच० पी० 1209, एच० पी० 1102, यू० पी० 262
	कंडुआ/	वी० एल० 421, एच० डी० 2283, एच० यू० डब्ल्यू०
	पत्तियों का रोग	55, एच० यू० डब्ल्यू० —206, एच० यू० डब्ल्यू० 213, डब्ल्यू एच० 291, डब्ल्यू० एच० 283, राज 2184, जे० 405, डी० डब्ल्यू० आर० 39
चावल	तना छेदक	रत्ना, सत्य श्री, साकेत-4
		आई० ई० टी० 3127, आई० ई० टी० 2812
	गाल मिज	आई० आर० 36, काकाताया, सुरेखा, राजेन, द्रधम-202. आशा, उषा, शक्ति, फाल्गुन, विक्रम, सपाली आई० ई० टी० 7918, आई० ई० टी० 6187
	ब्राऊन प्लान्ट	ज्योति, सी० ओ० 42, पविज्हम,
	हॉपर	आई० ई० टी० 7943, आई० ई० टी० 7575, आई० ई० टी० 6315, एम० टी० यू० 5195, एम० टी० यू० 5249,
चावल	ब्लास्ट	जया, वाणि, रासि, आई० आर०-36, स्वर्णधान, वी० एल० 8, आई० ई० टी० 7191, आई० ई० टी० 7303, आई० ई० टी० 8126, आई० ई० टी० 8130,
	बैक्टरियल	आई० आर०-20, सस्य श्री, आई० ई० टी० टी०

1	2	3
	लीफ ब्लाइट	4141, सांकेत 4, आई० ई० टी० 4140, आई० ई० टी० 8320, 8328,
	राइस टुंग्रो वाइरस	आई० ई० टी० 20, आई० ई० टी० 7301, आई० ई० टी० 8302, आई० ई० टी० 7303,

(ग) चावल और गेहूं की नई वितरित की हुई किस्में जिनमें अनेक रोगों और कीटों के प्रति प्रतिरोधिता के गुण हैं, लोंकप्रिय बनाने के लिए इन किस्मों के बीजों का पर्याप्त मात्रा में सम्वर्धन किया जाता है तथा इन किस्मों की खेती के विषय में कृषकों को पूर्ण जानकारी देने के लिए इनका प्रचार भी किया जाता है। कृषकों को पर्याप्त संख्या में मिनी कीट सप्लाई किये जाते हैं।

डिब्बा बंद वस्तु अधिनियम का उल्लंघन

350. **डा० ए० यू० आजमी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकों/निर्माताओं/व्यापारियों में यह आम प्रवृत्ति है कि वे पैकटों या लेबलों पर निर्माताओं या पैकटों द्वारा अंकित बिक्री मूल्य या खुदरा बिक्री मूल्य को बदल कर या उनमें हेराफेरी करके खुदरा बिक्री मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ;

(ग) दिल्ली में गत एक वर्ष के दौरान डिब्बा बन्द वस्तु अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं और उनके अन्तर्गत क्या नियम बनाए गए हैं ;

(घ) क्या हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड ने अनिक देसी घी के एक किलो के डिब्बे पर अंकित अधिकतम बिक्री मूल्य से अधिक कीमत पर यह घी केन्द्रीय भंडारों को बेचा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कारंवाई की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी नहीं, तथापि, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेने के कुछ मामले नजर में आए हैं।

(ख) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के तहत खुदरा

विक्रेताओं अथवा अन्य व्यक्तियों को विनिर्माता अथवा पैकेज द्वारा पैकेज अथवा उस पर लगाए गए लेबिल पर अंकित बिक्री मूल्य अथवा खुदरा बिक्री मूल्य को काटने, मिटाने अथवा बदलने का निषेध है ।

(ग) बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों में पैकेज में रखी वस्तुओं से संबंधित उपबंधों के उल्लंघन के 139 मामले दिल्ली प्रसासन की जानकारी में आए हैं ।

(घ) व (ङ) दिल्ली प्रशासन के अनुसार केन्द्रीय भण्डार में, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा पैकेज किए गए अनिक देसी घी के कुछ डिब्बों पर दो-दो मूल्य-स्टिकर लगे हुए पाये गये। दिल्ली प्रशासन के संबंधित प्राधिकारी इस बारे में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

नई नमूना योजना (न्यू पेटर्न योजना) के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों का आवंटन

351. **डा० ए० यू० आजमी :**
श्री मनोहर लाल सैनी : क्या निर्माण और आवस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई नमूना योजना, 1979 के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के आवंटन के लिए कितने व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं ;

(ख) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को फ्लैटों का वास्तविक कब्जा दे दिया गया है ; और

(ग) क्या सरकार का फ्लैटों के आबंटन के लिए कोई समय निर्धारित करने का विचार है, क्योंकि वर्ष 1983 में फ्लैटों का आवंटन नहीं किया गया था ;

रेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नई पद्धति योजना, 1979 के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों के आवंटन के लिए 40935 व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

(ख) अब तक पंजीकृतों को 4764 फ्लैट आवंटित/नियतित किये जा चुके हैं जिनमें से 1080 आवंटियों को वास्तविक कब्जा दे दिया गया है। मकानों को पूर्ण करने की अन्तिम कार्यवाही पूर्ण होते के बाद ही शेष आवंटियों को फ्लैटों का वास्तविक कब्जा दिया जाएगा ।

(ग) अभी तक कोई समय सारणी निर्धारित नहीं की गई है ।

बंगलौर में गोदामों का निर्माण

352. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने बंगलौर शहर के पास व्हाइटफील्ड में 1.20 लाख टन क्षमता के गोदाम का निर्माण करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह गोदाम विश्व बैंक की सहायता से निर्मित किया जा रहा है ;

(ग) क्या यह बात भी सच है कि कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा राज्य मे और अधिक गोदामों के निर्माण करने की मांग की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1984 के दौरान इस प्रकार के कितने और गोदामों का निर्माण किए जाने की संभावना है ?

इलेक्ट्रोनिक विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने विश्व बैंक की सहायता प्राप्त खाद्यान्न भण्डारण परियोजना के अधीन बंगलौर शहर के निकट व्हाइटफील्ड में 85,000 मीटरी टन भंडारण क्षमता के निर्माण का कार्य शुरू किया है।

(ग) और (घ) कर्नाटक सरकार से राज्य में और गोदामों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम, सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन और कर्नाटक राज्य वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का 1984-85 के दौरान कर्नाटक में 28 गोदामों का निर्माण कराने का विचार है।

कर्नाटक में किसानों का आन्दोलन

353. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक में किसानों द्वारा जनवरी, 1984 में आन्दोलन शुरू किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने कर्नाटक के किसानों की मांगों को स्वीकार करने से मना कर दिया था ;

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक के किसानों की मांगें क्या थीं ;

(घ) राज्य सरकार को उन मांगों में से कितनी मांगें स्वीकार्य थीं ; और

(ङ) यदि हां तो क्या राज्य सरकार ने किसानों को यह बताया था कि धन की कमी के कारण उनकी सभी मांगें स्वीकार नहीं की जा सकतीं और यदि केन्द्र से सहायता प्राप्त हो जाए तो किसानों की मांगें पूरी की जा सकती हैं ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) कर्नाटक राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत सस्ता गेहूं

354. **श्री० बी० वी० देसाई** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत श्रमिकों को 1.50 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं देने की नई योजना से सरकार को अनुमानतः 24 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक भार वहन करना पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष में अतिरिक्त खाद्य राज्य सहायता केवल लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए तक होगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह राज्य सहायता 1984-85 के दौरान उस 65 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न पर ही देनी होगी जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए आवंटित होगा ;

(घ) क्या योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया अभी तैयार की जा रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो ये योजनाएं कब तक शुरू किए जाने की संभावना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत नियोजित श्रमिकों को उनकी मजदूरी के एक हिस्से के रूप में दिए जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्य में रियायत दी जाए। यह अनुमान है कि 1983-84 और 1984-85 के दौरान उत्पादन की राशि क्रमशः लगभग 4.00 करोड़ रुपए और 24.50 करोड़ रुपए होगी। 1984-85 के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकता सम्भवतः 6.5 लाख टन होगी।

(घ) व (ङ) योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रक्रिया पहले से ही तैयार कर ली गयी है राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को श्रमिकों को वास्तव में वितरित की गई खाद्यान्नों की मात्रा पर आधारित दावों के प्रस्तुत किए जाने पर भारत सरकार द्वारा उत्पादन की राशि की अदायगी की जाएगी। श्रमिकों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्य तथा इन खाद्यान्नों केंद्रीय निर्गम मूल्य जिनमें वितरण सम्बन्धी अन्य खर्चे भी शामिल हैं, जिनके बारे में भारत सरकार के खाद्य विभाग ने राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को पहले से ही इन्हें 15 रुपए प्रति क्विंटल की अधिकतम सीमा में रखने की सलाह दे दी गई है, के बीच के अन्तर को इस उत्पादन में शामिल किया जाएगा। वितरण पर खर्च की गई अधिक राशि को उचित ठहराने वाले किसी विशेष मामले में संबंधित राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर खाद्य विभाग के साथ सलाह-मशविरा करके विचार किया जाएगा।

दिल्ली की कालोनियों में आवास पट्टे

355. **श्री बापूराव परांजपे** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रशासनाधीन कौन-सी कालोनियां हैं, प्रत्येक के कितने आवासीय पट्टे हैं और प्रत्येक कालोनी अथवा कालोनियों के ग्रुप के लिए लागू भूमि दर क्या है ; और

(ख) प्रत्येक कालोनी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के ऐसे कितने आवासीय पट्टे हैं जो 0-200 वर्ग गज 200-400 वर्ग गज, 400-800 वर्ग गज 800-1000 वर्ग गज और 1000 गज तथा इससे अधिक के बीच के हैं ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) प्रत्येक कालोनी में बेचे गए प्लाटों के ब्यौरे सहित कालोनियों (योजनाओं) की सूची अनुलग्नक "क" में दी गई है। प्रत्येक कालोनी में लागू भूमि दरें अनुलग्नक "ख" में दी गई हैं। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7721/84]

(ख) यथा अपेक्षित आकारों का विवरण उपलब्ध नहीं है। तथापि श्रेणीवार विवरण "क" में दिया गया है। निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत प्लाटों का क्षेत्रफल 35 वर्ग मीटर से 104 वर्ग मीटर, मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत प्लाटों का आकार 105 वर्गमीटर से 167.226 वर्ग मीटर, वैकल्पिक आवंटन के अन्तर्गत प्लाट का आकार 35 वर्ग मीटर से 668.90 वर्गमीटर के मीटर है। नीलामी द्वारा बेचे गए प्लाटों का आकार 167.226 वर्गमीटर से अधिक और 678.90 वर्गमीटर तक है।

वन कटाई उपकरणों का आयात

356. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1983 के दौरान केवल एक ही फर्म के के माध्यम से "वास्तविक प्रयोक्ताओं" के लिए स्टाक रखने तथा उन्हें बेचने के लिए वनों की कटाई में प्रयुक्त पावर चेन आरों, पावर कटर, ड्रिल कम ब्रेकर्स, और उनके पुर्जों का आयात प्रोजेक्ट एण्ड इक्यूपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से करने की अनुमति दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस फर्म को आयात करने का एकाधिकार कैसे दिया गया और स्वीडन से ऐसे सामान का आयात करने वाले अन्य प्रख्यात आयातकों का आवेदन पत्र अलग रख दिया गया और बाद में उसे अस्वीकार कर दिया गया ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने और ऐसे भेदभाव और केवल एक ही फर्म द्वारा एकाधिकार व्यापार को समाप्त करने हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1983 के दौरान प्रोजेक्ट एण्ड इक्यूपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, नई दिल्ली ने उन संगठनों, जो वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए वनों की कटाई नहीं करते, के उपयोग के लिए अमरीका से पावर चेन आरों का आयात करने की स्वीकृति दी थी।

(ख) और (ग) स्वीडन से पावर चेन आरों के आयात से संबंधित अन्य आवेदन पत्रों पर भी विचार किया जा सकता है, यदि पावर चेन आरों का उपयोग उन संगठनों के लिए किया जाता है जो वाणिज्यिक प्रयोग के लिए वृक्षों की कटाई नहीं करते।

विनोद नगर, शाहदरा में मकानों का गिराया जाना

357. श्री दिगम्बर सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री विनोद नगर, शाहदरा में मकान गिराये जाने के बारे में 21 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 926 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है और यदि हां, तो क्या उसे सभापटल पर रखा जाएगा ;

(ख) यदि नहीं, तो इसे एकत्र करने में 6 महीने से अधिक समय लेने के कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या वह इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि पूरी जानकारी एकत्र की जाए और चालू सत्र के दौरान ही सभापटल पर रखी जाए और यदि नहीं ; तो उसके कारण क्या हैं ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना अब एकत्र की गई है और सभापटल पर रखने हेतु 20-2-84 को संसदीय कार्य विभाग को भेज दी गई थी। उसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(विवरण)

क्रम संख्या तारीख	विषय	आश्वासन दिया	कब और कैसे पूरा हुआ	टिप्पणी
		विनोद नगर, शाहदरा में मकानों का गिराया जाना		
श्री हरिकेन बहादुर का दिनांक (21-11-83) अतारांकित प्रश्न सं० 926	विनोद नगर, शाहदरा में मकान गिराए जाने के बारे में 22 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न सं० 4646 के उत्तर के संदर्भ में पूछा गया कि : (क) क्या अपेक्षित सूचना प्राप्त हो गई है ; (ख) यदि हां, तो क्या वे इस सूचना को सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ; (ग) यदि नहीं, तो सूचना प्राप्त करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और (घ) सूचना प्राप्त करने में और कितना समय लगेगा ;	(क) से (घ) अपेक्षित सूचना अभी भी दिल्ली प्रशासन से प्राप्त नहीं हुई है और यह मामला उनसे सशक्त रूप से उठाया जा रहा है। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि सूचना विभिन्न प्राधिकरणों से एकत्र की जानी है इसलिए इसमें समय लग रहा है। जैसे ही यह प्राप्त हो जाएगी इसे सभापटल पर रख दिया जाएगा।	(क) से (घ) लोक सभा के दिनांक 22-8-83 के अतारांकित प्रश्न सं० 4646 में अपेक्षित सूचना सभापटल पर रखने के लिए ता० 20-2-84 को संसदीय कार्य विभाग को भेज दी गई है।	

प्रश्न संख्या तथा तारीख	विषय	आश्वासन दिया	कब और कैसे पूरा हुआ	टिप्पणी
श्री दिगम्बर सिंह का दिनांक 22 अगस्त, 1983 का अतारांकित प्रश्न संख्या 4646	**विनोद नगर, शाहदरा में मकानों का गिराया जाना :—** पूछा गया कि :			
	(क) क्या 1975 में इलाका शाहदरा दिल्ली में "विनोद नगर" नामक कालोनी के मकान गिरा दिए गए थे और भूमि (खसरा संख्या 217 प्लाट संख्या 35) का अधिग्रहण किया गया था ;	(क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।	(क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 1975-76 के दौरान विनोद नगर क्षेत्र में मकानों को गिराने का कार्य आरम्भ किया गया था तथा अवार्ड सं० 28 बी/70-71 एस० यू० पी० पी० एल० द्वारा खिचड़ीपुर गांव के खसरा नं० 217 को अर्जित किया गया था ।	विभिन्न अभिकरणों से सूचना एकत्र करने तथा इस मंत्रालय को भेजने में दिल्ली प्रशासन को कुछ समय लगा ।
	(ख) क्या जुलाई, 1977 और जुलाई, 1978 में दिल्ली के प्रशासन, दिल्ली के पुनर्वास सेल		(ख) (ग) तथा (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इसके पुनर्वास तथा	

1	2	3	4	5
	(भूमि तथा भवन विभाग) को निर्धारित फार्मों में प्रोफार्मा आवेदन पत्र ठीक रूप से भर दिए जाने के बावजूद उक्त कालोनी के विस्थापित लोगों को अभी तक कोई वैकल्पिक भूमि नहीं दी गई है ; (ग) क्या प्रभावित लोगों ने जनवरी, 1977, नवम्बर, 1977 और अप्रैल 1981 में दिल्ली विकास प्राधिकरण को तथा फरवरी, 1981 में दिल्ली प्रशासन को अभ्यावेदन किया था ; और (घ) यदि हां, तो इन प्रभावित लोगों को राहत में देने दिल्ली विकास प्राधिकरण / दिल्ली प्रशासन को क्या कठिनाइयां		व्यवस्थापित सेल की स्थापना मई/जून, 1978 में स्थापित हुआ था। प्रभावित व्यक्तियों से आवेदन पत्र प्राप्त होने की आखिरी तारीख 31-3-78 थी। विनोद नगर कालोनी के 263 व्यक्तियों ने वैकल्पिक वास के लिए आवेदन किया था। इन मामलों की जांच/कार्यवाही की गई। केवल 32 व्यक्तियों के मामलों को उपयुक्त पाया गया और दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को वैकल्पिक फ्लैटों के आबंटन के लिए उसकी सिफारिश की। इन 32 व्यक्तियों में से 30 व्यक्तियों	

1	2	3
	हैं और उन्हें वैकल्पिक स्थल देने में कितना समय और लगेगा ;	को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फ्लैट आवंटित कर दिए और आवंटित फ्लैटों की धरोहर राशि जमा न करने के कारण दो व्यक्तियों के मामलों को समाप्त कर दिया गया। शेष 231 आवेदनों को रद्द कर दिया गया क्योंकि इस विषय में वे सरकारी नीति के अन्तर्गत नहीं आते।

एशियाई खेलों पर कुल व्यय

358. श्री दिगम्बर सिंह :
श्री राम प्यारे पनिका : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेल, 1982 पर कुल व्यय के अन्तिम आंकड़े क्या हैं ;

(ख) राजधानी तथा उसके बाहर नए स्टेडियमों के निर्माण पर मौजूदा स्टेडियमों के नवीनीकरण पर पृथक-पृथक हुए व्यय का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन स्टेडियमों का किस प्रकार उपयोग किए जाने का विचार है तथा इनके रख-रखाव पर कुल कितना अनुमानित वार्षिक व्यय होगा ?

खेल विभाग में उप-मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) 30-9-83 तक के खेल विभाग के खाते में दर्ज कुल व्यय 62.43 करोड़ रुपए था । वर्तमान संकेतों के अनुसार ix एशियाई खेलों पर कुल सरकारी व्यय की लगभग 67 करोड़ रुपए की सम्भावना है। इसमें नये स्टेडियमों (अर्थात जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लोदी रोड़, लान टेनिस स्टेडियम, होज खास, इंडोर स्टेडियम इन्द्रप्रस्त एस्टेट, साईकिल वेलोड्रोम, राजघाट, तुगलकाबाद स्थित शूटिंग रेन्जिस के लिए सरकारी अनुदान और तालकटोरा गार्डन स्थित तरणताल के लिए सरकारी अनुदान) के निर्माण पर 39.88 करोड़ रुपये का खर्च शामिल है । एशियाड 82 से पहले विद्यमान स्टेडियमों (अर्थात नेशनल स्टेडियम, अम्बेडकर स्टेडियम, माडल टाउन स्टेडियम, इरविन स्टेडियम तथा निकलसन रेन्जिस, दिल्ली विश्वविद्यालय मैदान तथा दिल्ली गोल्फ क्लब) के नवीकरण का 4.42 करोड़ रुपये का भी व्यय उपर्युक्त कुल संभाव्य व्यय में शामिल है ।

(ग) स्टेडियमों का पहले ही कोचिंग/खिलाड़ियों के प्रशिक्षण सहित खेल कार्यकलापों के लिये मुख्य रूप से प्रयोग किया जा रहा है । अन्य प्रयोजनों के लिए स्टेडियमों के प्रयोग की अनुमति तब दी जाती है जब उनकी खेल प्रयोजनों के लिए आवश्यकता नहीं होती है । इन स्टेडियमों (अर्थात जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम तथा इन्द्रप्रस्थ इन्डोर स्टेडियम, यमुना वेलोड्रोम, तरणताल, लान टेनिस स्टेडियम तथा शूटिंग रेन्जिस) के रख-रखाव पर किये गये कुल वार्षिक व्यय का जैसे कि इनके रख-रखाव के लिए उत्तरदायी ऐजेन्सियों ने सूचित किया है, 268 करोड़ रुपये का अनुमान हैं ।

बहु राष्ट्रिक कम्पनियों द्वारा बीज के व्यापार पर कब्जा करने के लिए प्रयास

359. श्री हरिकेश बहादुर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कीटनाशक दवाइयों का उत्पादन करने वाली बहु राष्ट्रिक कम्पनियों द्वारा बीज व्यापार पर कब्जा करने के प्रयासों की जानकारी प्राप्त है और यदि हां, तो इस बारे में किये गये प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार आई० आर० आर० आई०, मनीला आई० सी० आर० आई० एस० ए० टी० हैदराबाद जैसी अनुसंधान तथा विकास जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की गतिविधियों पर विशेषतः इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली में फोर्ड फाउन्डेशन की भांति उन्होंने भारतीयों को बहुत अधिक वेतन पर नौकरी में नियुक्त किया हुआ है, निगरानी रखे हुए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संबंधी परामर्शदायी दल के तत्वाधान में, जिसका भारत भी एक दाता सदस्य है, अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (आई० सी० आर० आई० एस० ए० टी०) और अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आई० आर० आई०) कृषि अनुसंधान के अन्तर्राष्ट्रीय तंत्र के भाग हैं। आई० सी० आर० आई० एस० ए० टी०, हैदराबाद में स्थित है और इसका लक्ष्य अर्द्ध-शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में खेती करने के लिए अनुसंधान सुविधाओं को मजबूत बनाना और उनका विस्तार करना है। अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला स्थित है और इसका भारत में कोई वैज्ञानिक प्रतिष्ठान नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का नई दिल्ली में केवल एक सम्पर्क कार्यालय है और इस संस्थान का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के साथ भारतीय वैज्ञानिकों के लिए सहयोगी परियोजनाएं चलाने, फेलोशिप और छात्रवृत्तियां देने का एक करार हो चुका है। इन संगठनों के कर्मचारियों, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं, को दिया जाने वाला पारिश्रमिक इन संगठनों के मानदण्डों और विनियमों के अनुरूप है।

कच्छ में खजूर की खेती

360. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खजूर की खेती जिसकी कच्छ क्षेत्र में असीमित गुंजाइश है, की भारी उपेक्षा की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं ;

(ख) क्या किसी भारतीय कृषि अनुसंधान और विकास परिषद् विकास प्रयोगशालाओं अथवा कृषि विश्वविद्यालयों ने कोई अनुसंधान किए हैं और खजूर की किन्हीं किस्मों का विकास किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या हैं तथा अब इन किस्मों का प्रयोग किस क्षेत्र में किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार पुनः कृषि अनुसंधान और विकास प्रयासों को पुनः संगठित करने तथा प्रत्येक विशिष्ट परियोजना के लिए यदि वह छोटी अथवा बड़ी समयबद्ध ढांचा बनाकर, इसे देश की वास्तविक तथा अविलम्बनीय आवश्यकताओं और ज्वलंत दशाओं के समरूप बनाने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) जी हां, श्रीमान । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् पांच अनुसंधान केन्द्रों में अखिल भारतीय फल सुधार प्रायोजना के अन्तर्गत खजूर पर अनुसंधान कर रही है। उन केन्द्रों के नाम ये हैं ।

(i) मुन्द्रा (गुजरात कृषि विश्व विद्यालय), (ii) बीकानेर (मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय राजस्थान), (iii) जोधपुर (केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान) (iv) अबोहर (पंजाब कृषि विश्वविद्यालय) और (v) हिसार (हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय)। इसके अलावा, केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर ने भुज (गुजरात) स्थित नए तौर पर स्थापित किये गये क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र में भी खजूर पर अनुसंधान कार्य आरम्भ किया है। अमरीका और ईराक से मंगाई गयी खजूर की चयनीकृत व्यावसायिक किस्मों की प्रशाखाओं, जैसे-हलावी, जाहीदी, बरही, खद्रावी, मेदजूल, खालसा और सायर को इन केन्द्रों में परीक्षण के तौर लगाया गया था ।

कच्छ के खजूर के बगीचों में 10 लाख खजूर के वृक्ष हैं। ये सभी वृक्ष बीजों से उगाए गये थे इसलिए इनमें आनुवंशिक एकरूपता नहीं है । गुजरात कृषि विश्वविद्यालय केन्द्र मुन्द्रा से कार्यरत वैज्ञानिकों ने आगे अध्ययन के लिए कच्छ क्षेत्र में कुछ अच्छी पैदावार देने वाले विशेष तरह के पेड़ों की पहचान की है । इन अनुसंधान केन्द्रों द्वारा अभी तक कोई नई किस्म विकसित नहीं की गयी है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमन । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् देश की वास्तविक आवश्यकताओं और ज्वलंत दशाओं को ध्यान में रखकर पहले से ही अनुसंधान का संचालन कर रही है ।

पश्चिम बंगाल के चाय बागानी के श्रमिकों के लिए आवास योजना

362. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल के चाय बागानों के श्रमिकों के लिए कोई केन्द्रीय योजना को स्वीकृति प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) केन्द्रीय क्षेत्र योजना अर्थात बागान कर्मचारियों के लिए "सहायता प्राप्त आवास योजना" अन्य राज्यों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल राज्य में पहले से ही चल रही है ।

इस योजना के अन्तर्गत, बागान कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से बागान मालिकों को अनुमोदित अधिकतम लागत का 87 1/2 प्रतिशत तक अर्थात 50 प्रतिशत ऋण के रूप में और 37 1/2 प्रतिशत सहायता के रूप में केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। बागान कर्मचारियों की आवास सहकारिता द्वारा बनाई गई आवास परियोजनाओं के मामलों में, केन्द्रीय सहायता 95 प्रतिशत ऋण के रूप में और 25 प्रतिशत सहायता के रूप में दी जाती है।

राज्य सरकारों को वार्षिक नियतन किए जाते हैं जो उनकी मांग एवं पिछले कार्य निष्पादनों पर आधारित होते हैं। वर्ष 1983-84 के दौरान, इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल सरकार को 30 लाख रुपए ऋण के रूप में और 10 लाख रुपए सहायता के रूप में पहले ही जारी कर दिये गये हैं।

ग्राम/प्राथमिक स्कूल स्तर पर खेलों को लोक प्रिय बनाना

363. **श्री पियूष तिरकी** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम/प्राथमिक स्तर पर खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

खेल विभाग में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : "खेल" एक राज्य विषय होने के नाते यह मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि ये गांव/प्राथमिक स्कूल स्तर पर खेल कूद का विकास करें तथा उन्हें लोक प्रिय बनायें। तथापि राज्य खेल परिषदों को केन्द्रीय अनुदान योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को ग्रामीण खेल केन्द्रों की स्थापना/रख रखाव के लिए बराबरी के हिस्से के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के अन्तर्गत, प्राथमिक स्कूल शिक्षकों सहित स्थानीय स्कूल शिक्षकों को केन्द्रों का प्रभारी बनाया जाता है अतः इसमें प्राथमिक स्कूल भी शामिल हो जाते हैं।

राज्यों को सस्ते मूल्य पर गेहूं का आवंटन

364. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारन्टी कार्यक्रम में कार्यरत श्रमिकों को 1.5 रुपए की दर से सस्ते मूल्य पर गेहूं देने के लिए वर्ष 1983-84 के दौरान राज्य वार कितना गेहूं आवंटित किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : वर्ष 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को किए गए खाद्यान्नों के आवंटन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 16 जनवरी, 1984 को अथवा उसके बाद किए गए कार्य के लिए श्रमिकों को इन आवंटनों में रियायती दरों पर खाद्यान्न सप्लाई करें।

गेहूं 1.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और सामान्य चावल 1.85 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और मुहैया किए जाते हैं। यदि सामान्य चावल उपलब्ध नहीं है, तो बढ़िया तथा बहुत बढ़िया किस्म का चावल क्रमशः 1.95 रुपए और 2.10 रुपए प्रति किलोग्राम की दरों पर मुहैया किए जाते हैं।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्नों को दर्शाने वाला विवरण

(मीटरी टन में)

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	29850.00	6000.00
2.	असम	6570.00	1000.00
3.	बिहार	40546.00	8382.00
4.	गुजरात	8666.00	1778.00
5.	हरियाणा	1568.00	323.00
6.	हिमाचल प्रदेश	1164.00	364.00
7.	जम्मू और कश्मीर	1800.00	375.00
8.	कर्नाटक	17538.00	3200.00
9.	केरल	12130.00	2400.00
10.	मध्य प्रदेश	25200.00	5571.00
11.	महाराष्ट्र	29538.00	6077.00
12.	मणिपुर	330.00	69.00
13.	मेघालय	480.00	100.00
14.	नागालैंड	150.00	63.00
15.	उड़ीसा	18200.00	3750.00

1	2	3	4
16.	पंजाब	2750.00	563.00
17.	राजस्थान	6776.00	1422.00
18.	सिक्किम	90.00	50.00
19.	तमिलनाडु	30858.00	6000.00
20.	त्रिपुरा	990.00	206.00
21.	उत्तर प्रदेश	55040.00	11366.00
22.	पश्चिम बंगाल	31100.00	6417.00
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	28.00	62.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	80.00	44.00
25.	चंडीगढ़	6.00	7.00
26.	दादरा और नगर हवेली	50.00	36.00
27.	दिल्ली	70.00	17.00
28.	गोवा, दमन और दीव	366.00	75.00
29.	लक्षद्वीप	14.00	13.00
30.	मिजोरम	46.00	40.00
31.	पांडिचेरी	232.00	62.00
	योग	322226.00	65823.00

सिंचाई परियोजनाओं पर किया गया खर्च और सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र

365. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वतंत्रता के बाद से 1 फरवरी, 1984 तक सिंचाई योजनाओं (बड़ी और मध्यम) पर कुल कितना खर्च किया गया और उसके परिणामस्वरूप कुल कितना अतिरिक्त क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया ; और

(ख) फरवरी, 1984 तक देश में कुल कितना कृषि क्षेत्र है और इसमें से कितने क्षेत्र को छठी योजना के अन्त तक सिंचाई के अन्तर्गत लाए जाने की संभावना है तथा सातवीं योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

सिचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) बृहद तथा मध्यम सिचाई सेक्टर में मार्च, 1982 तक योजनागत स्कीमों पर किया गया कुल वास्तविक व्यय तथा 1982-83 के लिए संशोधित अनुमोदित परिव्यय लगभग 11,537 करोड़ रुपए है। मार्च, 1951 से पहले के खर्च के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। अप्रैल, 1983 से मार्च, 1984 तक अनुमोदित परिव्यय लगभग 1743 करोड़ रुपए है 1 फरवरी, 1984 तक के व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

जून, 1983 के अन्त तक इन योजनागत स्कीमों से 19.4 मिलियन हैक्टेयर की क्षमता सृजित की गयी है। चालू वर्ष के दौरान अतिरिक्त क्षमता का लक्ष्य लगभग 0.94 मिलियन हैक्टेयर है।

(ख) कृषि मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए भूमि उपयोग के अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों (1978-79) के अनुसार, देश में खेती योग्य क्षेत्र 186.79 मिलियन हैक्टेयर है। छठी योजना के अन्त तक बृहद तथा मध्यम सिचाई स्कीमों से लगभग 31 मिलियन हैक्टेयर तथा लघु सिंचाई स्कीमों से लगभग 37.2 मिलियन हैक्टेयर की कुल क्षमता सृजित किए जाने की संभावना है। सातवीं योजना के लिए अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान की नई किस्म

366. **श्री के० मालन्ना :**
श्री लक्ष्मण मलिक : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने धान की एक ऐसी नई किस्म का विकास किया है जो सामान्य स्थितियों में भी प्रति हेक्टेयर 7860 कि० ग्रा० तक की उपज दे सकती है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस किस्म को अन्य राज्यों में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमन्। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने दो अधिक उपज देने वाली मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में यानी सी० ओ०-43 तथा पैयूर-1 और अधिक अवधि में पकने वाली पोनमनी किस्में विकसित की हैं। अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला द्वारा विकसित दूसरी किस्म आई० आर०-50 को भी राज्य के किसानों को दिया गया। इन किस्मों में उपयुक्त प्रबन्ध क्रियाओं के अन्तर्गत 7-8 टन/हेक्टर उपज देने की क्षमता है।

(ग) अन्य राज्यों में इन किस्मों की जांच की जाएगी और यदि ये आशाजनक पाई गई तो इन्हें किसानों में लोकप्रिय बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे गए पत्र

367. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रालय द्वारा वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 19.3-84 के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अनुसार क, ख तथा ग राज्यों के अपने विभागों, सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, तथा उपकर्मों को पृथक-पृथक रूप से लिखे गए मूल पत्रों की सख्या क्या है ;

(ख) उनमें से हिन्दी तथा अंग्रेजी में राज्य-वार तथा वर्ष-वार लिखे गए पत्रों की संख्या पृथक-पृथक क्या है ;

(ग) उपर्युक्त बताए गए तीन श्रेणियों के राज्यों में स्थिति विभागों, सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों द्वारा इसी अवधि के दौरान मन्त्रालय को लिखे गए मूल पत्रों की संख्या क्या है ; और

(घ) उनमें से राज्य-वार हिन्दी तथा अंग्रेजी में लिखे गए पत्रों की पृथक-पृथक संख्या क्या है ;

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) 1-10-1982 से 31-12-1983 तक की अवधि के दौरान सिंचाई मन्त्रालय द्वारा अपने सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों को लिखे गये मूल पत्रों का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

	हिन्दी	अंग्रेजी	कुल
(क) 'क' क्षेत्र	1159	9078	10237
(ख) 'ख' क्षेत्र	439	2418	2857
(ग) 'ग' क्षेत्र	15	2300	2315

इन आंकड़ों की राजभाषा विभाग के का० ज्ञा० दिनांक 5 अगस्त 1982 के अनुसार संकलित किया जाता है जिसमें प्रत्येक राज्य को लिखे गए पत्रों का अलग से रिकार्ड रखने का प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त, चूंकि संशोधित प्रोफार्मा अगस्त, 1972 में निर्धारित किया गया था, इसलिए इस तारीख से पहले 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों के विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को भेजे गए पत्रों के सम्बन्ध में सूचना इस मन्त्रालय द्वारा संकलित नहीं की गई है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्य के खाद्यान्नों के कोटे में वृद्धि

368. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेहूं का अधिकतम उत्पादन होने के बावजूद इसके मूल्य में असाधारण वृद्धि पर काबू पाने के लिए देश में गेहूं के कोटा में 20 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है ;

(ख) क्या सरकार ने भारी-स्टाक तथा अधिकतम उत्पादन होने के बावजूद मूल्यों में वृद्धि होने के कारणों का विश्लेषण किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या गेहूं के कोटे में 20 प्रतिशत की वृद्धि को सरकार के पास पड़े खराब हो रहे तथा घटिया किस्म के अनाज भण्डारों को निपटाने के साधन के रूप में उपयोग किया जायेगा ; और

(घ) क्या सरकार ने किस्म (अर्थात "उत्तम"—"सामान्य" "घटिया"—"निकृष्ट") के अनुसार सारे खाद्य भण्डारों की कुल मात्रा का निर्धारण किया है और यदि हां, तो किस्म-वार कुल भण्डार का पृथक-पृथक ब्योरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जिन राज्यों के बारे में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां गेहूं के मूल्य 2/रु० प्रति किलो से अधिक चल रहे थे, उन राज्यों के लिए उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु गेहूं के सामान्य मासिक आवंटन का 20 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन करने की स्वीकृति दी गई थी।

(ख) 1982-83 के दौरान 425 लाख मी० टन गेहूं का रिकार्ड उत्पादन होने के कारण फरवरी, 1983 से फरवरी, 1984 तक गेहूं के थोक मूल्य सूचकांक में 8.2 प्रतिशत की गिरावट आयी है।

(ग) जी नहीं। भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केवल खाद्य अपमिश्रण निवारण की सीमाओं के अन्दर उचित औसत किस्म के अनुरूप ही स्टाक निर्मुक्त करता है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम के पास रखे गए स्टाक को उसकी गुण स्थिति के प्रयोजन हेतु इस समय प्रयुक्त विधियों के अनुसार "क", "ख", "ग" और "घ" श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम के पास 1-1-1984 को पड़े कुल 120.4 लाख मी० के स्टाक का ब्योरा नीचे दिया जाता है :—

"क" :	60.6 लाख मी० टन
"ख" :	46.3 लाख मी० टन
"ग" :	8.5 लाख मी० टन
"घ" :	5.0 लाख मी० टन
	120.4 लाख मी० टन

वाणिज्यिक फसलों का विकास

369. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने वाणिज्यिक फसलों के विकास पर बल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्देश्य के लिए विभिन्न राज्यों में चलाई जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के नाम क्या हैं ; और

(ग) वाणिज्यक फसलों के विकास के लिए स्कीमों को लागू करने के लिए उड़ीसा को पिछले तीन वर्षों में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) विभिन्न राज्यों में वाणिज्यिक फसलों के विकास के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं/विशेष परियोजनायें चल रही हैं :—

1. तिलहन

   1. गुजरात में मूंगफली के सघन विकास की परियोजना

   2. मध्य प्रदेश में सोयाबीन के विकास की परियोजना

   3. तिलहन विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें, अर्थात :

      1. सघन तिलहन विकास कार्यक्रम

      2. तिलहन का नये सिंचित क्षेत्रों में विस्तार

      3. सूरजमुखी का विकास

      4. सोयाबीन का विकास

2. सघन कपास विकास कार्यक्रम
3. सघन पटसन/मेस्ता/सनई विकास कार्यक्रम

(ग) उड़ीसा सरकार को वाणिज्यक फसलों के विकास के लिए 1981-82 के दौरान

10.83 लाख रु०, 1982-83 के दौरान 17.25 लाख रु० और 198 -84 (दिसम्बर, 1983 तक) के दौरान 20.70 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता दी गयी थी।

सफाई व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए राज्यों को धन का आवंटन

70. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ चुने हुए कस्बों और नगरों में सफाई व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए राज्यों को धनराशि आबंटित करती रही है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने कटक और भुवनेश्वर में सफाई व्यवस्था की स्थिति में सुधारने के लिए 90,37,200 अपने रेशे हेतु मन्त्रालय से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त प्रयोजन के लिए उड़ीसा को आवश्यक धनराशि आबंटित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। कम लागत सफाई को छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों के एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता हेतु पात्र मद में से एक के रूप में शामिल कर लिया गया है।

(ख) जी, नहीं। राज्य सरकार ने 16.50 लाख रुपये की लागत की कटक तथा भुवनेश्वर नगरों सहित 5 नगरों की यूनीसैफ द्वारा सहाय्यित कम लागत सफाई परियोजनाओं के लिए एक प्रस्ताव भेजा है।

(ग) राज्य सरकार से मांगी गई विशिष्ट सूचना की कमी के कारण यह मामला निलम्बित पड़ा है।

"एच० डी० एफ० सी०" "यू० एस० ए० आई० डी०" द्वारा शुरू की गई आवास परियोजनायें

371. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड और संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा कुछ संयुक्त आवास परियोजनाएं शुरू की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विभिन्न देशों में "एच० डी० एफ० सी०" और "यू० एस० ए० आई० डी०" ने संयुक्त आवास परिजनाएं शुरू की हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बिहार में क्रिकेट के लिए स्टेडियम

372. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में क्रिकेट की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार बिहार में अन्तर्राष्ट्रीय टेस्ट मैचों के लिए कोई स्टेडियम बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या ब्यौरा है ?

खेल विभाग में उप मन्त्री (श्री अशोक गलहोत) : (क) और (ख) चूंकि खेल राज्य का विषय है इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय टैस्ट मैचों को खेलने के लिए उपयुक्त स्टेडियम बनाने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकार/राज्य खेल परिषद की है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करने तक ही भूमिका अदा करती है। राज्य खेल परिषदों को अनुदान की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत स्टेडियम की अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत अथवा 1 लाख रुपये, जो भी कम हो, तक वित्तीय सहायता स्वीकार्य है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पटपड़गंज दिल्ली में स्कूल को गिराया जाना

373. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरणने पटपड़गंज दिल्ली में डी० डी० ए० द्वारा आवंटित एक भूखंड पर बने स्कूल के दो कमरों को गिरा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके संबंधी ब्यौरा क्या है और इसको गिराने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या स्कूल को गिराए जाने का विरोध करते हुए क्षेत्रहीन छात्रों ने 17 जनवरी, 1984 को दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय विकास मीनार के समक्ष प्रदर्शन किया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कोई अधिकारी उनसे मिले थे और उनकी मांगों पर बातचीत की थी ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) विद्यालय के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस क्षेत्र में कोई स्थल आवंटित नहीं किया

गया है। तथापि, 13-1-1984 को यमुनापार क्षेत्र मण्डावली फाजलपुर क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने अधिकार के अन्तर्गत आने वाली भूमि में से कतिपय अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण हटाये थे। इसमें कुछ अन्धे व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से निर्मित दो कमरे तथा एक चाहर दिवारी शामिल थी। विकास पर मीनार एक प्रदर्शन किया गया था और कुछ प्रदर्शनकारी दिल्ली विकास प्राधिकरण के ऊपर आयुक्त (भूमि) को मिले थे। इन्होंने उन्हें बताया कि प्रश्नगत स्थल दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित नहीं किया गया था और सरकारी भूमि में से केवल अतिक्रमण हटाए गए।

कोटा में सोयाबीन प्रोसेसिंग संयंत्र के लिए विश्व बैंक से ऋण

374. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक राजस्थान में कोटा स्थित सोयाबीन प्रोसेसिंग संयंत्र के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गया था ;

(ख) उक्त संयंत्र की प्रतिदिन की अनुमानित क्षमता कितनी है ;

(ग) संयंत्र किस स्थान पर है और यह संयंत्र कब से उत्पादन शुरू करेगा ; और

(घ) इस क्षेत्र में सोयाबीन की और अधिक पैदावार करने के लिए किसानों को प्रेरित करने हेतु उन्हें दी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण आई० डी० ए०) मूल्यांकन दल ने, सिद्धान्त रूप से इस परियोजना को स्वीकार कर लिया है। परियोजना पर अप्रैल, 1984 के आस-पास विश्व बैंक से बातचीत की जानी है और मंजूरी के बाद इसे पहली जुलाई, 1984 से लालू किया जा सकता है।

(ख) संयंत्र की अनुमानित क्षमता 200 मी० टन सोयाबीन प्रति दिन की है।

(ग) कोटा, राजस्थान में संयंत्र द्वारा मंजूरी की तारीख से लगभग 30 महीने में उत्पादन शुरू किये जाने की सम्भावना है।

(घ) 200 मी० टन प्रतिदिन की क्षमता वाले एक सोया संसाधन संयंत्र लगाने के अलावा, इस परियोजना में सोयाबीन के काश्तकारों को अच्छी किस्म के बीजों की आपूर्ति करने के लिए एक बीज संसाधन संयंत्र लगाने की परिकल्पना भी की गई है, जिसमें सहकारी विकास तथा निवेश सेवाओं की भी व्यवस्था होगी, जिससे कि संसाधन एकक के कार्य शुरू करने से पहले सतत उत्पादन के लिए आवश्यक प्रोत्साहन मिलता रहे।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

375. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983 के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की मासिक दर और 1978-1982 के दौरान इस वृद्धि की वार्षिक दर कितनी थी ; और

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम हों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों सहित आम आदमी को ये वस्तुएं उपलब्ध हों ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) 1983 में चुनीवस्तुओं के थोक मूल्य सूचकाकों में हुए उतार चढ़ाव का मासिक प्रतिशत विवरण 1 में दिया गया है । 1978-82 के दौरान चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में हुए उतार चढ़ाव का वार्षिक प्रतिशत विवरण 2 में दिया गया है ।

(ख) सरकारी नीति का मुख्य जोर विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने पर है । खाद्य तेलों, पैट्रोयियम उत्पादों, अनाज तथा दालों जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं की देश में उपलभ्यता बढ़ाने के लिए आयात भी किया जाता है । सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाया तथा उसका विस्तार किया जा रहा है । वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए विभिन्न वस्तुओं का आबंटन, गत वर्ष की तुलना में आमतौर पर अधिक किया गया है । राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह दी जा रही है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के कानूनों के उपबन्धों को जोरदार ढंग से लागू करें ।

विवरण I

चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में आया मासिक उतार-चढ़ाव

वस्तु	जन०83	फर०83	मार्च83	अप्रै० 83	मई०83	जून83	जुला०83	अग०83	सित०83	अक्तू०83	नव०83	दिस०83
	दिस०83	जन०83	फर०83	मार्च०83	अप्रै०83	मई83	जून83	जुला०83	अग०83	सित०83	अक्तू०83	नव०83
चावल	0.2	3.8	1.2	1.8	2.4	3.3	3.8	3.6	0.1	3.5	4.8	4.1
गेहूं	6.6	6.0	स्थिर	8.9	6.2	0.5	1.1	0.8	स्थिर	0.1	2.1	0.5
ज्वार	1.5	5.6	2.0	2.9	3.5	0.6	33.8	2.0	2.0	0.7	0.6	6.8
बाजरा	3.2	4.7	2.1	3.6	6.2	3.3	1.3	2.5	8.9	7.0	1.4	4.7
चना	4.7	1.9	1.5	2.7	1.1	1.3	1.7	5.1	0.3	0.4	10.1	10.6
अरहर	1.4	0.6	0.8	1.3	2.6	3.3	9.5	2.1	1.4	0.7	2.6	5.0
मूंग	1.5	1.3	5.1	7.7	5.2	0.8	6.2	0.7	6.9	5.2	1.5	2.6
मसूर	6.3	4.0	स्थिर	5.2	6.5	0.1	1.1	4.0	1.2	0.5	8.0	12.3
उड़द	0.8	3.9	1.7	8.8	3.8	1.8	5.7	5.1	2.3	0.7	2.2	4.3
आलू	18.2	4.4	18.1	24.3	21.2	स्थिर	13.0	7.8	12.0	7.4	12.1	23.0
प्याज	3.8	23.5	3.2	0.4	9.5	6.7	26.7	13.7	19.4	5.8	9.0	5.1
वनस्पति	0.2	0.7	0.1	स्थिर	1.0	0.3	0.6	0.2	0.2	0.9	0.4	0.3
सरसों का तेल	1.1	0.6	3.0	0.5	4.9	6.8	0.4	3.1	2.5	2.2	10.2	14.3
नारियल का तेल	6.4	0.2	6.3	1.3	1.5	8.1	6.0	1.1	5.0	7.1	10.5	8.1
जिजली का तेल	4.9	0.5	1.2	3.6	3.0	8.3	1.1	2.4	1.8	3.0	2.3	7.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दूध	0.1	1.3	0.2	0.7	5.1	स्थिर	0.2	0.4	2.7	1.8	0.5	1.2
मछली	0.2	4.9	7.7	4.8	0.4	0.1	2.0	8.0	9.9	1.9	3.8	2.5
गोश्त	0.4	1.0	1.2	स्थिर	स्थिर	स्थिर	0.3	0.6	स्थिर	स्थिर	2.2	0.7
चीनी	स्थिर	1.6	0.8	1.5	3.8	स्थिर	0.1	1.4	0.3	1.2	0.3	1.1
गुड़	2.5	1.9	0.7	15.0	13.0	2.4	5.0	9.3	8.2	2.3	12.8	11.4
मिट्टी का तेल	स्थिर	12.5	2.9	8.1	0.6	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
साफ्ट कोक	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	18.1
आटा	4.0	3.9	स्थिर	5.7	3.6	स्थिर	1.6	6.3	1.9	3.3	1.7	2.3
लाल मिर्चें	12.9	9.1	4.7	0.1	2.9	0.7	5.1	5.6	5.3	7.0	16.9	5.6
चाय	12.7	2.2	13.8	0.1	7.0	11.5	5.3	2.8	8.9	4.5	7.9	3.7
दियासलाईयां	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
नमक	3.2	स्थिर	3.9	0.7	स्थिर	1.0	1.4	2.3	0.4	0.7	0.2	0.3
साबुन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	1.1	3.5	1.9	स्थिर	0.9	स्थिर	2.6	2.5	1.0
सूती कपड़ा (मिल का)	0.3	स्थिर	0.5	1.0	0.6	0.4	स्थिर	स्थिर	0.1	0.1	स्थिर	स्थिर
सभी वस्तुएं	0.2	0.8	0.9	1.5	2.5	0.7	1.1	1.6	0.5	0.2	0.3	स्थिर

विवरण 2

वस्तुएं	उतार-चढ़ाव का वार्षिक प्रतिशत				
	दिस० 1978 / दिस० 1977	दिस० 1979 / दिस० 1978	दिस० 1980 / दिस० 1979	दिस० 1981 / दिस० 1980	दिस० 1982 / दिस० 1981
चावल	4.4	19.1	5.4	13.9	13.4
गेहूं	5.1	8.9	10.7	1.7	13.2
ज्वार	3.2	19.4	15.1	13.4	10.7
बाजरा	26.2	33.1	3.6	12.4	4.2
चना	1.4	0.9	79.3	14.9	18.9
अरहर	6.5	9.7	9.2	5.5	18.0
मूंग	25.3	3.3	5.5	3.1	7.4
मसूर	13.8	22.6	82.4	14.2	17.4
आलू	34.9	43.2	36.5	13.0	0.9
प्याज	31.0	282.7	72.4	176.6	32.7
वनस्पति	0.4	26.7	1.2	11.5	11.0
मूंगफली का तेल	11.8	42.6	10.5	21.0	5.4
सरसों का तेल	7.7	15.9	27.4	5.2	2.6
नारियल का तेल	1.9	3.6	28.6	20.5	34.3
जिंजली का तेल	12.3	31.0	9.9	10.9	9.9
दूध	3.2	6.0	7.1	19.0	-4.9
मछली	6.8	20.2	1.7	53.3	8.9
गोश्त	8.0	17.6	5.9	12.7	6.0
चीनी	13.4	36.2	46.5	9.2	12.7
गुड़	22.2	100.9	13.4	14.2	13.9
मिट्टी का तेल	1.7	16.8	स्थिर	18.9	1.2
सॉफ्ट कोक	5.3	24.3	स्थिर	37.4	21.1

1	2	3	4	5	6
लाल मिर्चें	13.0	18.4	13.1	114.7	35.0
चाय	2.9	31.4	11.5	8.7	14.6
दियासलाइयां	2.6	32.4	1.6	3.4	स्थिर
नमक	22.7	31.5	7.4	0.5	7.2
कपड़े धोने का साबुन	8.1	25.2	5.8	2.9	2.7
सूती कपड़ा (मिल का)	2.7	7.1	6.6	11.5	4.4
आटा	1.5	0.3	4.7	14.0	15.8
उड़द	9.1	2.2	7.6	5.6	13.7
सभी वस्तुएं	0.1	22.4	13.2	8.8	3.3

मदर डेरी के दूध के मूल्यों में वृद्धि

376. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली क्षेत्र में सरकारी डेरी "मदर डेरी" के दूध के मूल्यों में वृद्धि करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक मूल्य बढ़ाए जाने की संभावना है ;

(ग) उपरोक्त डेरी में प्रतिदिन कितनी मात्रा में दूध का उत्पादन और वितरण होता है ; और

(घ) इसे कुल कितना वार्षिक लाभ होता है और गत तीन वर्षों का तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) मदर डेरी द्वारा 1-2-1984 से 16-2-1984 की अवधि के दौरान टोन्ड और पूरी मलाई युक्त दूध के प्रतिदिन उत्पादन और बिक्री के अनुमानित औसत आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

	उत्पादन	बिक्री
	(लाख लीटर)	(लाख लीटर)
टोन्ड दूध	5.02	4.99
पूरी मलाई युक्त दूध	0.78	8.76

(घ) लेखा परीक्षित तुलन पत्रों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में मदर डेरी का निवल लाभ नीचे दिया गया है :—

	(लाख रुपये)
1980-81	40.79
1981-82	12.92
1982-83	13.55

'सोशल' कास्ट्स "के लिए आवास सुविधाओं की कमी

377. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि अनुसूचित जातियों की तरह ही सामाजिक उपेक्षाओं से ग्रस्त सोशल कास्ट्स के सदस्य भी आवास सुविधा की भारी कमी का सामना कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले सुनियोजित सर्वेक्षण के आधार पर इन जातियों के सदस्यों के लिए न्यूनतम संभव आवास का निर्माण करने पर विचार करेगी।

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी सामाजिक आवास योजनायें आय के मानदण्ड के आधार पर अर्थात समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग बनाई गई है।

कारगिल जिले को मरुस्थल विकास कार्यक्रम में शामिल करना

378. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने मरुस्थल विकास कार्यक्रम में, जो पहले पूरे लद्दाख क्षेत्र के लिए स्वीकृत किया गया था, कारगिल जिले को दोबारा शामिल करने पर विचार करने का वचन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कारगिल जिले का विकास करने के लिए क्या कार्यवाही करने की योजना बनाई गई थी ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) तथा (ख) कारगिल जिले को मरुभूमि विकास कार्यक्रम में पुनः शामिल करने के मामले पर योजना आयोग, वित्त तथा ग्रामीण विकास मन्त्रालयों के अधिकारियों के एक अन्तर-विभागीय दल द्वारा विचार किया जा रहा है। इस दल की सिफारिशों के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी।

हरित क्रांति पर रिपोर्ट

379. **श्री हरिकेश बहादुर :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हरित क्रांति (बिजनेस स्टेंडर्ड 13 जनवरी, 1984) सम्बन्धी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें इस बात का संकेत था कि यह कोई चमत्कार नहीं था जैसा कि बनाया गया है ;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि तथाकथित श्वेत क्रांति के सम्बन्ध में वही स्थिति है जिसे समाचार पत्र सफेद झूठ कहते हैं और डेयरी बोर्ड काला झूठ कहता है ; और

(ग) क्या सरकार का अधिकतर सरकारी एजेंसियों द्वारा बढ़ाचढ़ा कर किए गए विभिन्न दावों पर विचार करने, उनका विश्लेषण तथा मूल्यांकन करने और उन पर निगरानी रखने के लिए विशेषकर कृषि के क्षेत्र में एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) नवम्बर, 1983 में इलस्ट्रेटेड वीकली आफ इंडिया में प्रकाशित "सफेद झूठ" लेख से सही स्थिति का पता नहीं लगता है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने हाल ही में "काला झूठ" तथा "आपरेशन-फ्लड-ए रियाल्टी" नामक पुस्तिकाएं प्रकाशित की है। इनमें सही परिप्रेक्ष्य में दिए गए हैं ।

(ग) जी नहीं । यह ठीक नहीं है कि सरकारी एजेंसियों ने कृषि क्षेत्र में बढ़ा-चढ़ा कर दावे किए हैं ।

राज्यों में भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लक्ष्य का पीछे रह जाना

381. **श्री सतीश अग्रवाल :**
श्री राम विलास पासवान : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिए निर्धारित लक्ष्य विभिन्न राज्यों में बहुत पीछे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें लक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए हैं ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) केन्द्र सरकार का विचार लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : देश में सिंचाई के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई अनुसूचियों पर आधारित है। बहरहाल, कुछ मामलों में वास्तविक उपलब्धि पिछड़ जाती है ।

(ख) 1982-83 के क्षमता के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की जांच करने से पता चला है कि वृहद एवं मध्यम सिंचाई के मामले में उपलब्धियों में देश के लिए निर्धारित लक्ष्य से सीमान्त वृद्धि हुई है। यद्यपि, गुजरात, कर्णाटक, केरल बहरहाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों में लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी रही है। बहरहाल, लघु सिंचाई के मामलों में देश के लिए निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि में कमी हुई है और लक्ष्यों की उपलब्धि में यह कमी गुजरात, कर्णाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हुई है।

(ग) इसके मुख्य कारण लागत में वृद्धि तथा वित्तीय एवं सामग्री संसाधनों की तंगी का होना है।

(घ) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे कुछ उपाय ये हैं—

(1) निर्माणाधीन परियोजनाओं को उनके लिए अधिकतम संभव धनराशि आवंटित करके पूरा करने की प्राथमिकता देना। (2) कमी वाली निर्माण सामग्रियों की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने तथा इसके साथ ही इन सामग्रियों के परियोजना स्थलों तक ले जाने को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर विशेष प्रयास करना, (3) परियोजनाओं का राज्य स्तर पर तथा चुनी हुई परियोजनाओं को केन्द्रीय स्तर पर मानीटरिंग करना, तथा (4) निजी व्यक्तिगत/सामुदायिक लघु सिंचाई स्कीमों को शुरू करने के लिए लघु एवं सीमान्त कृषकों की सहायता करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा 1983-84 के दौरान एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम को लागू करना।

सिंचाई योजनाओं के संबंध में बिहार के संसद सदस्यों के साथ बैठक

382. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने बिहार की बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं पर विचार करने के लिए पटना में 19 जनवरी, 1984 को बिहार राज्य के संसद सदस्यों की एक बैठक आमंत्रित की थी ;

(ख) यदि हां, तो बैठक में उपस्थित संसद सदस्यों तथा सरकारी अधिकारियों के नाम क्या हैं ;

(ग) बैठक में किन-किन प्रमुख सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर विचार किया गया ;

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) सरकार का इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कितनी सहायता देने का विचार है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) केन्द्रीय

सिंचाई मंत्री द्वारा 19-1-84 को पटना में आयोजित की गई बैठक में 11 संसद सदस्यों, 2 विधायकों तथा बिहार सरकार के सिंचाई राज्य मन्त्री तथा कृषि राज्य मंत्री ने भाग लिया था। केन्द्रीय सिंचाई मन्त्रालय तथा केन्द्रीय जल आयोग एवं बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया था।

(ग) सदस्यों ने मुख्यतः निम्नलिखित की आवश्यकता पर बल दिया था :

(1) निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार करना तथा उपलब्ध धनराशियों का प्रभावी उपयोग करना।

(2) लम्बित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृत करना।

(3) (एक) सोन नहर का आधुनिकीकरण (दो) कुछ क्षेत्रों जैसे मोकामह ताल क्षेत्र आदि की ड्रेनेज समस्या (तीन) पुनः पुनः स्कीम (चार) पश्चिमी कोसी नहर (पांच) बक्सर-कोयलवार तटबन्ध स्कीम आदि का शीघ्रता से क्रियान्वयन।

(4) उत्तरी बिहार की नदियों की बाढ़ समस्या तथा गंगा एवं महानन्दा नदियों से कटाव समस्या से निपटने के लिए एकीकृत योजना बनाना।

(5) कुछ परियोजनाओं विशेषतया उत्तरी बिहार में जल-जमाव को समाप्त करना।

(6) सोन नहरों में गादीकरण को रोकना तथा नहरों में कम जल की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए अन्तिम छोर तक के क्षेत्रों में भूमिगत जल स्कीमों को लागू करना।

(7) विश्व बैंक से अधिक सहायता प्राप्त करना।

(8) निर्माण-कार्यों की प्रगति का उचित मानीटरिंग करना।

(9) गंगा नदी द्वारा कटाव से प्रभावित हुए लोगों का पुनर्वास करना।

(10) भूमि अधिग्रहण विशेषतया जनजाति क्षेत्र वाली भूमि के लिए दरों एवं पद्धतियों को युक्तिसंगत करना।

(11) जन-जाति एवं छोटा नागपुर क्षेत्र के विकास तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करना।

(12) वन एवं पर्यावरणात्मक दृष्टि से परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृत करने की आवश्यकता।

(घ) सदस्यों द्वारा उठाई गयी विभिन्न मुद्दों का उत्तर देते हुए बिहार के सिंचाई मन्त्री

ने दिए गए विभिन्न सुझावों पर विचार करने तथा स्कीमों को शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिए सदस्यों को आश्वासन दिया था।

(ङ) योजना आयोग के कार्यकारी दल द्वारा बिहार की 1984-85 की वार्षिक योजना के लिए सिफारिश किया गया परिव्यय निम्न प्रकार है :

लाख रुपये में

(1) बृहद एवं मध्यम सिंचाई— 18,417+1100 (श्रेणी 'ख')

(2) बाढ़ नियन्त्रण— 1700

(यदि संसाधनों में हुई वृद्धि उपलब्ध हुई तो श्रेणी 'ख' के अन्तर्गत प्रावधान उपलब्ध किया जाएगा).

ये परिव्यय 1983-84 के दौरान प्रत्याशित व्यय से अधिक हैं।

चीनी का रिकार्ड उत्पादन

383. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष चीनी का उत्पादन उसकी आवश्यकता से अधिक हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चीनी के अतिरिक्त उत्पादन को ध्यान में रखते हुए लेवी की चीनी का मूल्य 3.75 से बढ़ाकर 4 रुपये प्रति किलोग्राम करने का क्या आधार है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) चालू चीनी मौसम 1983-84 में चीनी का उत्पादन लगभग 72-75 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है। इस उत्पादन और 10-10-1983 को 46 लाख मीटरी टन से भी अधिक पिछले स्टाक से चीनी की बहुत अधिक उपलब्धता होगी जिससे चीनी वर्ष 1983-84 के दौरान आंतरिक खपत और निर्यात की जरूरतें पूरी की जा सकेंगी।

लेवी चीनी का खुदरा मूल्य 3.75 रुपये से 4 रुपये प्रति किलो करना इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि चीनी वर्ष 1983-84 के लिए गन्ने की लागत तथा अन्य परिवर्तनशील लागतों में वृद्धि हुई है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य

384. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

(ख) इस दिशा में अब तक क्या उपलब्धि हुई है ; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान और कितनी प्रगति होने का अनुमान है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 15 मिलियन परिवारों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए उन्हें पर्याप्त रूप में सहायता दिए जाने की प्रत्याशा की गई है। अब तक (जनवरी, 1984 तक) 11.02 मिलियन परिवारों को सहायता दी गई है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक शेष 3.98 मिलियन परिवारों को भी सहायता दिए जाने की संभावना है।

प्राकृतिक विपदाओं के कारण हानि

385. **श्री नीरेन घोष :**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री जगन्नाथ पाटिल :
श्री अनन्त रामुलु मल्लू :
श्री मनमोहन टुडु : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक विपत्तियों के कारण विपत्ति वार फसलों, सम्पत्तियों, मवेशियों की (रुपये में) तथा जन-जीवन की वर्ष वार कितनी हानि हुई ; और

(ख) राज्यों को राज्य वार और वर्ष वार कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक की अवधि में समुद्री तूफान, बाढ़ आदि के कारण फसलों, मकानों तथा सार्वजनिक सम्पत्तियों के हुए नुकसान की अनुमानित लागत संबंधी जानकारी अनुबन्ध-1 में दी गई है तथा इसी अवधि के दौरान इन आपदाओं से मारे गए व्यक्तियों तथा मवेशियों की संख्या अनुबन्ध-2 में दी गई है। वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक के दौरान सूखे से हुए नुकसान की मात्रा अनुबंध-3 से 5 तक में दी गई है।

(ख) वर्ष 1981-82 से 1983-74 तक के दौरान बाढ़ों, समुद्री तूफान आदि से हुए नुकसान के लिए प्रभावित राज्यों को मजूर की गई केन्द्रीय सहायता से संबंधित जानकारी अनुबंध-6 में दी गई है और सूखे से संबंधित जानकारी अनुबंध-7 में दी गई है। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 7722/84]

फरक्का बाँध से नीचे गंगा द्वारा कटाव से प्रभावित गांव

386. **श्री सुनील मैत्रा :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान फरक्का बांध से नीचे के उन अनेक गांवों के सैकड़ों लोगों की ओर आकृष्ट किया गया है जो गंगा द्वारा किए जाने वाले कटाव से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो गंगा द्वारा कटाव रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवा मिर्धा) : (क) और (ख) फरक्का बराज के प्रतिप्रवाह तथा अनुप्रवाह दोनों में गंगा की बढ़ती हुई कटाव क्रिया के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। फरक्का बराज काम्पलेक्स की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने आवश्यक कटाव-रोधी निर्माण कार्यों को शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, जिन भागों में रेलवे तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय जैसी केन्द्रीय एजेन्सियों के प्रतिष्ठानों को जोखिम है वहां तट सुरक्षा कार्यों की लागत का लाभार्थियों के बीच उपयुक्त ढ़ंग से बटवारा कैसे किया जाए इस बारे में राज्य सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए सिंचाई मंत्रालय ने भी बैठकें आयोजित की हैं।

बाढ़ नियन्त्रण एक राज्य विषय होने के नाते, ऐसे निर्माण कार्यों के निरुपण तथा निष्पादन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है तथा ऐसे निर्माण कार्यों के लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य बजट में की जाती है।

जल स्रोतों का वैज्ञानिक उपयोग

387. **श्री सुनील मैत्रा :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में जल स्रोतों का वैज्ञानिक उपयोग न होना ही सिंचित खेती की बहुत आम समस्या है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) यह सच है कि विकसित जल संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग के विकास में आगे सुधार की गुंजाइश है।

(ख) उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कुछ मुख्य उपाय ये हैं:—

(1) राज्यों के सिंचाई मंत्रीयों के सम्मेलन में विभिन्न संकल्पों द्वारा राज्यों को जल प्रबन्ध में आधुनिकीकरण के माध्यम से सुधार के बारे में लगातार अनुरोध किया

जाता रहा है। छठी योजना के दौरान इस कार्य के लिए लगभग 1000/- करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

(2) जल वितरण में साम्य लाने में सुधार लाने के लिए बारावंदी की शुरूआत करना।

(3) भारत सरकार द्वारा जल समुपयोजन पर गठित केन्द्रीय दल ने 1976 से 24 परियोजनाओं का दौरा किया है तथा जल प्रबन्ध में सुधार करने के लिए अनेकों उपायों का सुझाव दिया है। इनको विभिन्न चरणों के अन्तर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है।

(4) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसमें जल-संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग पर बहुत जोर दिया जाता है, को कार्यान्वित किया जा रहा है। 76 बृहद/मध्यम परियोजनाओं में आन-फार्म विकास कार्यों के लिए राज सहायता देने सहित बहुविषयक निवेशों की व्यवस्था कराने के लिए कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित किए गए हैं। हाल हीं में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 29 अन्य परियोजनाओं को शामिल किए जाने के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई आऊटलेटों के आगे लघु वितरण प्रणाली को पूरा करने तथा बारावंदी को लागू करने के लिए संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं। जब भी आवश्यक हो, भूमि को ठीक करना तथा भूमि समतलन करने जैसे कार्यों को किया जाता है ताकि खेत सही स्थिति में हो और उस क्षेत्र में प्रचलित विशिष्ट फसल पद्धति के लिए अपेक्षित इष्टतम जल प्राप्त करने के लिए खेत सही स्थिति में हो सकें।

(5) आधुनिक कृषि की मांगों के लिए सिंचाई पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं में अपेक्षित परिवर्तनों तथा जल संसाधन प्रबन्धकों, कृषि वैज्ञानिकों तथा कृषिशास्त्रियों के मध्य अधिक अर्थपूर्ण अन्तः कार्यवाही के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु जुलाई, 1983 में एक विशेष कार्यकारी दल गठित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिंचाई से अधिक उत्पादकता को पार न किया जा सके।

गन्ने की पिराई में देरी

388. **श्री अशफाक हुसैन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि गन्ने की पिराई देरी से होने के कारण गन्ना उत्पादकों को दोहरा नुकसान होगा क्योंकि एक तो दूसरी फसल के लिए उनके खेत तैयार नहीं होंगे दूसरे, देरी से पिराई करने के कारण उन्हें गन्ने की कम कीमत प्राप्त होगी;

(ख) उन मिलों के नाम क्या हैं जिन्होंने 15 फरवरी, 1984 तक गन्ने की पिराई शुरू नहीं की है; और

(ग) उत्तर भारत की चीनी मिलों की 1981-82 के सीजन के लिए 15 फरवरी तक की मिल-वार और महीनावार तथा 1982-83 के लिए वर्षवार भुगतान की स्थिति क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा०एम०एस० संजीवी राव) : (क) 15 फरवरी, 1984 को 300 फैक्ट्रियां कार्य कर रही थीं जबकि 15 फरवरी 1983 को कार्य कर रही फैक्ट्रियों की संख्या 315 थी। इस वर्ष यह आशा की जाती है कि सारे आबद्ध गन्ने की पिराई करने के बाद अधिकांश मिलें पिछले वर्ष की अपेक्षा जल्दी बन्द हो जाएंगी।

(ख) निम्नलिखित फैक्ट्रियों ने 15 फरवरी, 1984 तक पिराई काम शुरू नहीं किया था :—

फैक्ट्री	राज्य जिनमें स्थित हैं
सिवकामी	आन्ध्र प्रदेश
चल्लापल्ली	आन्ध्र प्रदेश
मोतीपुर	बिहार
पचरुखी	बिहार
पालज	गुजरात
अमरेली	गुजरात
तलाजा	गुजरात
कोल्लेगल	कर्नाटक
मनम	केरल
चारगोला	महाराष्ट्र
असरुले	महाराष्ट्र
डोंगरकड़ा	महाराष्ट्र
अमरावती	तमिलनाडु
मेलपट्टी	तमिलनाडु
मदुरा	तमिलनाडु
मोहिद्दीनपुर	उत्तर प्रदेश
एक्सपेरीमेंटल फैक्ट्री कानपुर	उतर प्रदेश
सिसवा बाजार	उत्तर प्रदेश

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरकों में मिलावट

389. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तरी भारत के किसानों तथा राज्य सरकार से रासायनिक उर्वरकों में भारी मात्रा में मिलावट सम्बन्धी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किस प्रकार की शिकायतें की हैं;

(ग) इन क्षेत्रों की फसलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) मिलावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) घटिया/मिलावटी उर्वरकों की बिक्री के बारे में कुछ शिकायतें किसानों द्वारा की गई है।

(ख) ये शिकायतें घटिया/मिलावटी उर्वरकों की बिक्री के सम्बन्ध में है।

(ग) बड़ी संख्या में खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से बेचे जाने वाले उर्वरकों की भारी मात्रा और घटिया और मिलावटी उर्वरकों की बिक्री के बारे में प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या को देखते हुए, फसल पर कुल मिलाकर इसका प्रभाव कोई विशेष नहीं होगा।

(घ) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957, के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की उर्वरकों की गुणवत्ता को लागू करने और किसी कदाचार में संलग्न व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त हैं। जहां कहीं भी घटिया/मिलावटी उर्वरक की बिक्री आदि के मामले पकड़े गये/ध्यान में लाये गये हैं, सम्बंधित राज्य सरकार ने कार्यवाही की है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1957 को अभियुक्तों के विरूद्ध सरकारी तौर पर मुकदमा चलाने के उद्देश्य से एक विशेष आदेश घोषित किया गया है।

राज्य सरकारों पर यह जोर दिया गया है कि वे ये सुनिश्चित करें कि किसानों को स्टेंडर्ड क्वालिटी के उर्वरक सुलभ हों। उनसे इस संदर्भ में अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रवर्त्तन तंत्र में मजबूती और मुस्तैदी लाये और उर्वरकों के अधिक से अधिक नमूनों के परीक्षण के लिए विश्लेषण सम्बन्धी सुविधाओं को सुदृढ़ करें। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्थानों पर समय समय पर अचानक जांच करने के लिए केन्द्रीय दस्तों को भी भेजा जाता रहा है। उनके द्वारा लिए गए नमूनों का विश्लेषण केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान में किया जाता है और जहां कहीं जरूरी था आवश्यक कार्यवाही के लिए इनके जांच परिणामों को

सम्बन्धित राज्य सरकारों के पास भेजा गया है। केन्द्र सरकार ने उर्वरकों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं, प्रवर्तन और प्रबोधन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से फरीदाबाद स्थित केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला के अतिरिक्त हाल ही में तीन क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए मंजूरी दी है।

डेरी परियोजना के बारे में रिपोर्ट

390. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वर्तमान डेरी परियोजनाओं के बारे में दिनांक 31 जनवरी 1984 की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें यह प्रकट किया गया है कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में गतिरोध आ गया है जिसके परिणामस्वरूप आयात पर निरन्तर निर्भरता बनी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां। सरकार का ध्यान 31.1.1984 को "इण्डिया टुडे" में प्रकाशित "मिल्क आन दी बायल" नामक लेख की ओर दिलाया गया है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कोई गतिरोध नहीं है।

सिंचाई क्षमता वार्षिक वृद्धि के लिए निर्धारित लक्ष्य और उसके लिए किया गया निवेश

391. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री सुनील मैत्रा :
श्री सूरज भान : क्या सिंचाई मंत्री सिंचाई क्षमता में राज्यवार वार्षिक वृद्धि के बारे में 21 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1068 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983 को समाप्त होने वाले पिछले दस वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में सिंचाई क्षमता की वास्तविक वार्षिक वृद्धि के सम्बन्ध में राज्यवार तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ख) इन दस वर्षों में राज्यवार कुल कितना निवेश किया गया और उसके बदले में अनुमानित तथा वास्तविक कितना लाभ हुआ; और

(ग) अनुमानित वार्षिक लाभ क्या था और उसकी वास्तविक लाभ से किस प्रकार तुलना की जाती है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अनिवासी भारतीयों को एशियाड के फ्लैटों की बिक्री

392. **श्री विजय कुमार यादव** :

श्री एस० ए० दोराई सेबस्टियन :

श्री सुनील भट्टाचार्य :

श्री के० प्रधानी : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिरी फोर्ट नई दिल्ली स्थित एशियाड फ्लैटों को अनिवासी भारतीयों को बेचने का फैसला कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि खरीददारों की प्रतिक्रिया सन्तोष जनक नहीं थी और आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को दो बार बढ़ाया गया था;

(ग) यदि हां, तो कम आवेदन पत्र आने के क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) शीघ्र निपटान के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां । दिल्ली विकास प्राधिकरण का निम्नलिखित वर्गों को विदेशी मुद्रा में एशियाई खेल ग्राम परिसर, नई दिल्ली में 599 रिहायशी एककों को बेचने का प्रस्ताव है :—

(1) विदेश में रह रहे भारतीय राष्ट्रिक ।

(2) भारत या विदेश में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में कार्यरत वे भारतीय राष्ट्रिक गो वैध विदेशी मुद्रा में भुगतान कर सकते हैं ।

(3) वह भारतीय राष्ट्रिक जो हाल ही तक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारी थे परन्तु भारत वापस आ गए हैं और विदेशी खाते के अनुरक्षण की अनुमेय अवधि के भीतर विदेशी मुद्रा में भुगतान कर सकते हैं ।

(ख) से (घ) आवेदन पत्रों की प्राप्ति तिथि को 29.2.84 तक बढ़ाये जाने के फलस्वरूप इसकी प्रतिक्रिया का कोई सार्थक मूल्यांकन करना असामयिक होगा । आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि समाप्त हो जाने के बाद इस स्थिति की समीक्षा की जाएगी ।

खाद्यान्नों का उत्पादन, मांग पूर्ति और आयात

393. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक खाद्यान्नों का कितना उत्पादन हुआ और कितने खाद्यान्न की मांग तथा पूर्ति की गई तथा कितने खाद्यान्न का आयात किया गया और उसका अलग-अलग मूल्य कितना है; और

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान इस सम्बन्ध में संभावित स्थिति क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में, तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (डा०एम०एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1980-81 से 1983-84 तक के वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन, मांग, आवंटन और उठान और आयात का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

1980-81 से 1983-84 तक के वर्षों के दौरान देश में खाद्यान्नों का उत्पादन, केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की मांग, आवंटन और उठान, खाद्यान्नों के आयात को बताने वाला विवरण।

वर्ष	उत्पादन (मिलियन मीटरी टन)	राज्य सरकारों से प्राप्त हुई मांग (लाख मीटरी टन)	राज्य सरकारों को किए गए आवंटन (लाख मीटरी टन)	उठान (लाख मीटरी टन)
1980-81	129.6	258.89	197.67	112.07
1981-82	133.3	253.08	168.38	122.45
1982-83	128.35	264.95	146.87	134.97
1983-84	142-144 (अनुमानित)*	303.41	176.82	116.71 (जनवरी, 1984 तक)

*प्राथकिक सूचना के आधार पर अनन्तिम और अनुमानित

खाद्यान्नों का आयात

वर्ष	जिन्स	खरीदी गई मात्रा (लाख मीटरी टन)	अनुमानित मूल्य (जहाज तक निष्प्रभार)
1980-81	गेहूं	शून्य	शून्य .

	चावल	शून्य	शून्य
1981-82		15.15	262.066
	गेहूं	(संयुक्त राज्य अमेरिका से)	मिलियन अमेरिकी डालर
		(आस्ट्रेलिया से)	मिलियन आस्ट्रेलियन डालर
		7.50	118.600
	चावल	शून्य	शून्य
1982-83		39.50	
	गेहूं	(संयुक्त राज्य अमेरिका से)	मिलियन अमेरिकी डालर
	चावल	शून्य	शून्य
1983-84		9.80	154.814
	गेहूं	(संयुक्त राज्य अमेरिका से)	मिलियन अमेरिकी डालर
(15 फरवरी		5.00	80.246
तक)		(कनाडा से)	मिलियन अमेरिकी डालर
		6.50	97.750
		(अर्जेनटाइना से)	मिलियन अमेरिकी डालर
		1.70	38.25
	चावल	(थाइलैंड से)	मिलियन अमेरिकी डालर
		2.00	39.625
		(बर्मा से)	मिलियन अमेरिकी डालर
		2.00	45.10
		(थाइलैंड से)	मिलियम अमेरिकी डालर

महाराष्ट्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की पशु परियोजना

394. **श्री बी० डी० सिंह :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की पशु परियोजना चल रही है, यदि हां, तो यह परियोजना कब से चल रही है तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने इस परियोजना के शुरू से लेकर जनवरी, 1984 के अन्त तक इसके लिए वर्ष-वार

कितनी धनराशि जारी की, कितनी आमदनी हुई, इसका कितना उत्पादन हुआ, दूध देने वाली गायों की संख्या कितनी है तथा जेनेटिक श्रेणीवार मादा पशुओं की संख्या कितनी है, और

(ख) क्या 1980 के बाद एक समिति द्वारा तथा 1983 में एक कार्यशाला द्वारा इस परियोजना के कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई थी तथा समिति और कार्यशाला के गठन और समीक्षा की अलग-अलग तारीखें कौन-कौन सी हैं और इन्होंने क्या-क्या निष्कर्ष निकाले तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने उन पर क्या कार्रवाई की ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान । मवेशी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना का एक एकक महाराष्ट्र के महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी में स्थित है । यह 1.12.1970 से कार्य कर रहा है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा रिलीज की गयी वार्षिक निधि, आय प्राप्ति तथा कुल दूध उत्पादन की वर्षवार सूचना विवरण I में दी गई है ।

जबसे यह प्रायोजना शुरु हुई है तब से दूध देने वाली गायों की संख्या तथा वर्ष एवम् आनुवंशिक-वर्ग वार मादा मवेशियों की संख्या विवरण II में दी गई है ।

(ख) जी हां, श्रीमान । परिषद् द्वारा गठित मध्य अवधि समिति द्वारा मवेशी प्रायोजना के कार्य की समीक्षा परिषद् के दिनांक 9 जून, 1980 के पत्र संख्या 14-3/80 ए एस आर-II के द्वारा की गई थी । समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया था ।

1. डा० सी० कृष्णा राव	अध्यक्ष
2. डा० डी० सुन्दरेशन	सदस्य
3. श्री वी० एन० अम्बले	सदस्य
4. डा० पी० भट्टाचार्या	सदस्य
5. डा० ओ० बी० टण्डन	सदस्य
6. डा० बी० जी० कटपटल	सदस्य-सचिव

एकक का कार्य अच्छा पाया गया । तथापि, एकक के लिए समिति ने स्टाफ, आवास तथा निधि के रूप में कई उपाय सुझाये थे ।

एकक के कार्य को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में दिनांक 28 से 30 अगस्त, 1983 के बीच हुई मवेशी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना की छठी कार्य-

शाला में दुबारा जांचा गया तथा इसे सन्तोषजनक पाया गया।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने एककों तथा प्रायोजना समन्वयक (ए बी) से अनुरोध किया है कि वे मध्य अवधि समीक्षा समिति तथा मवेशी प्रायोजना पर छठी कार्यशाला द्वारा की गयी सिफारिसों के कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही शुरू करें।

विवरण-I

मवेशी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा रिलीज की गई
वर्षवार निधि, आय प्राप्ति तथा कुल दूध
एकक: राहुडी

वर्ष	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा रिलीज की गई निधि (रु० लाख में)	आय प्राप्ति	दूध उत्पादन (लीटर में)
1970-71	5.00	—	611
1971-72	7.62	1.69	180677
1972-73	7.55	1.77	145829
1973-74	7.72	2.42	189582
1974-75	5.13	3.16	195843
1975-76	2.91	5.96	341673
1976-77	3.23	10.83	461699
1977-78	3.75	15.16	700946
1978-79	5.83	19.24	852926
1979-80	4.35	24.78	931850
1980-81	4.69	23.19	822293
1981-82	17.30	20.73	711020
1982-83	11.54	20-17	690326
1983-84	12.65	—	—

*जनवरी, 1984 तक की सूचना।

विवरण-II

मवेशी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना।

दूध देने वाली और दूध न देने वाली गायों, मादा की कुल संख्या (जिसमें युवा पशु भी शामिल है)

से संबंधित वर्ष और आनुवांशिक सूचना

एकक : राहुरी (महाराष्ट्र)

आनुवांशिक वर्ग

वर्ष — जी जे जी एफ जी एफ यू जे एफ बी एफ जे जी एफ जे जी एफ एफ जे जे एफ बी एफ एफ जे०जे एफ बी एफ जे एक मिश्रित

जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी जी

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1970-71	एम	30																	—
	बी	48																	—
	वाई	32																	—
	टी	110																	—
1971-72	एम	86	—																—
	बी	92	—																—
	वाई	111	1																—
	टी	289	1																—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1972-73	एम	146	—	—															—
	डी	118	—	—															—
	वाई	163	18	32															—
	टी	427	18	32															—
1973-74	एम	124	—	—															—
	डी	100	—	—															—
	वाई	110	55	65															—
	टी	334	55	65															—
1974-75	एम	123	15	21	—	—	—												—
	डी	133	—	—	—	—	—												—
	वाई	36	80	92	3	3	3												1
	टी	292	95	113	3	3	3												1
1975-76	एम	80	37	43	—	—	—												—
	डी	144	4	2	—	—	—												—
	वाई	15	68	80	21	13	6												3
	टी	239	109	125	21	13	6												3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1976-77	एम	69	58	57	2	4	2												—
	डी	94	9	10	—	—	—												—
	वाई	14	49	90	49	21	22												7
	टी	177	116	157	51	25	24												7
1977-78	एम	20	73	81	19	8	2												3
	डी	30	24	24	1	4	3												—
	वाई	9	14	85	78	39	43												—
	टी	59	111	190	98	51	48												3
1978-79	एम	5	71	90	34	15	14			—	—	—							4
	डी	15	17	43	7	6	2												3
	वाई	22	2	48	79	52	53			23	13	7							3
	टी	42	90	182	120	73	69			23	13	7							10
1979-80	एम	4	33	107	39	21	28	—	—	1	3	—	—	—					—
	डी	1	23	34	15	4	6	—	—	—	—	—	—	—					—
	वाई	11	1	10	68	58	54	4	2	35	21	18	—	1					—
	टी	16	57	151	122	83	88	4	2	36	24	18							—
1980-81	एम	2	8	65	67	38	37	—	—	—	—	—	7	3	—	—	—	—	—
	डी	1	1	26	10	8	11	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	वाई	2	1	5	41	47	54	10	16	—	—	62	41	33	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	टी	5	10	96	118	93	102	10	16	—	—	72	48	36	—	—	—	—	—
1981-82	एम	1	3	51	67	44	41	—	—	—	—	21	9	7	—	1	—	—	—
	डी	1	3	12	4	4	6	—	—	—	—	3	1	2	—	—	—	—	—
	वाई	—	—	4	21	28	40	10	33	—	—	72	46	42	17	7	7	1	4
	टी	2	5	67	92	76	87	10	33	—	—	96	56	51	17	8	7	1	4
1982-83	एम	2	3	42	45	34	40		7	—		30	10	10	—	1	—	—	—
	डी	—	1	8	4	8	4	—	—		—	8	1	4	—	1	—	—	—
	वाई	—	—	4	12	14	23		43		3	67	52	46	28	8	13	2	9
	टी	2	4	54	61	56	67	50	50		3	105	63	60	28	10	13	2	9
1983-84 31-12-83	टी को	2	—	48	51	44	56	—	63		—	118	67	63	39	17	14	—	4

एम—दूध देने वाली गायों की संख्या
डी—दूध न देने वाली गायों की संख्या
वाई—युवा पशुओं की संख्या
टी—मादाओं की कुल संख्या

महाराष्ट्र में भारतीत कृषि अनुसंधान परिषद् की पशु परियोजना का कार्य निष्पादन

395. **श्री बी० डी० सिंह :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०डी०जी० (एएस) ने 1980 से और फरवरी, 1984 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की मवेशी परियोजना, महाराष्ट्र का दौरा किया था और वरिष्ठ प्रभारी वैज्ञानिक के सम्बन्धों में, साथ ही केन्द्र के कार्य निष्पादन के संबंध में रिपोर्ट दी थी; यदि हां, तो इसमें भाग लेने वाले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकारियों और कार्यशाला में अथवा बाद में उनके अंशदान का, कार्यशाला निष्कर्षों सहित प्रत्येक का पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि महाराष्ट्र में मवेशी परियोजना में कार्य निष्पादन असंतोषजनक पाया गया तो उस पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान। अखिल भारतीय समन्वित गोपशु अनुसंधान प्रायोजना का मई, 1982 तथा फरवरी, 1984 को वर्तमान उप महानिदेशक (ए एस) ने दौरा किया था जब उन्होंने कुलपति, महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुडी तथा प्रायोजना के स्टाफ के साथ प्रायोजना के कार्य के बारे में विचार विमर्श किया था। तकनीकी कार्यक्रम के कार्यान्वियन के रूप में एकक का कार्य बिल्कुल संतोषजनक पाया गया। ऐसे दौरों के दौरान उप महानिदेशक (ए एस) के लिए यह सम्भव नहीं होगा कि वे प्रयोजना के कार्य के लिए नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी की योग्यता की जानकारी प्राप्त करें। प्रायोजना की स्वीकृति के समय परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यह विश्वविद्यालय का कार्य है कि वह उपयुक्त, योग्य तथा अनुभवी कर्मचारी को सेवा में रखें।

हिसार में 28 तथा 30 अगस्त, 1983 के बीच हुई अखिल भारतीय समन्वित गोपशु अनुसंधान प्रायोजना की छठी कार्यशाला में उप महानिदेशक (पशु विज्ञान) ने 28 और 30 तारीख को भाग लिया था। तथा विज्ञानी (कृषि सांख्यिकी) ने सभी दिन भाग लिया था। सहायक महानिदेशक (ए पी और बी) जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय में प्रायोजना का कार्य देखते हैं, उन्होंने इस कार्यशाला में भाग नहीं लिया। यह आशा की जाती है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय के कर्मचारी मार्गदर्शन करेंगे और कार्यवाही को इस ढंग से आगे बढ़ायेंगे कि कार्यशाला अपनी उपलब्धि लेखा परीक्षा की भूमिका को पूरा कर सकें। यह भी देखना है कि पहले की गई सिफारिशों के कार्यान्वियन की कार्यशाला द्वारा भली भांति समीक्षा की गई है। इस प्रकार का कार्य इस कार्यशाला में किया गया था।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

कुछ प्रतिबन्धित वनस्पति निर्माताओं को आयातित खाद्य तेल की सप्लाई

396. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने वनस्पति के ऐसे अग्रणी निर्माताओं को जिनके विरुद्ध वनस्पति में मिलावट करने के आरोपों की जांच की जा रही है और इसी आधार पर उन्हें खाने के तेल की सप्लाई प्रतिबन्धित की हुई है; आयातित खाद्य तेलों का न केवल जनवरी बल्कि पिछले महीनों का और यदि कोई बकाया कोटा हो तो वह भी तुरन्त सप्लाई करने के लिए मुख्य व्यापार प्रबंधक, राज्य व्यापार निगम, जनपथ नई दिल्ली को निर्देश दिये हैं; और

(ख) उक्त सात कम्पनियों का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें किन कारणों से और किस आधार पर खाने के तेलों की सप्लाई पुन: शुरू की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में, तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा० एस० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात ने कुछ फर्मों के संबंध में उनके द्वारा आयात में कथित अनियमितताएं बरतने के कारण स्थगन परिपत्र जारी किए थे। एतिहात के रूप में, कुछ एककों के आयातित तेलों के आवंटन को भी, मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात से स्थगन परिपत्र में उल्लखित फर्मो से उनके संबंधों के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक के लिए आस्थगित रखा गया था। तथापि, मुख्य नियन्त्रक, आयात तथा निर्यात से यह स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने पर कि स्थगन परिपत्र केवल उन्हीं फर्मों के लिए लागू होगा, जिनके नाम उनमें विशिष्ट रूप से दिए गये हैं, निम्नलिखित पार्टियों को आवंटन निर्मुक्त कर दिया गया :—

1. वेजिटेबल आयल्स लि० बम्बई।
2. इन्डियन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लि० बम्बई।
3. ओसवाल वनस्पति एण्ड एलाईड इण्डस्ट्रीस, लुधियाना।
4. किशन चन्द एण्ड कम्पनी आयल इन्डस्ट्रीस, लि०, लुधियाना।
5. मानसिंगका इण्डस्ट्रीज लि०, पचौड़ा।
6. मानसिंगका आयल इन्स्ट्रीस खंडवा।
7. राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स लि०, भीलवाड़ा।

दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में अनधिकृत बस्तियों का सर्वेक्षण

397. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना पार क्षेत्र में अनधिकृत कालोनियों को नियमित किये जाने के संबंध में 1978-79 में सर्वेक्षण करने के बाद 1980 से 1983-84 के वर्षों के दौरान इस प्रकार के कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है जब कि इस अवधि के दौरान दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के संबंध में एक सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या यमुनापार क्षेत्रों में भी अनधिकृत कालोनियों का सर्वेक्षण करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यदि हां तो यह सर्वेक्षण कब तक किया जायेगा ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि सरकार की नीति के अनुसार 1978-79 में यमुनापार की कालोनियों सहित दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के लिए, निम्नलिखित कालोनियों में कतिपय मामलों के अलावा जिनमें बाद में सर्वेक्षण पूरा किया गया था, सर्वेक्षण किए गए थे :—

1. ग्राम विस्तार
2. मलिन बस्तियों की कालोनियां
3. सरकारी भूमि पर अवस्थित कालोनियां
4. दिल्ली नगर निगम से दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कालोनियां
5. बिखरी पाकिटें

(ख) तथा (ग) अनधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण, पहले ही किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। तथा नए सर्वेक्षण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

मध्य प्रदेश से प्राप्त सिंचाई योजनाएं

398. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सिंचाई से संबंधित कौन सी योजनाएं सरकार के विचाराधीन पड़ी हैं प्रत्येक मद की सूची देने का कष्ट करें; और

(ख) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या योजना है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मध्य प्रदेश सरकार

ने तकनीकी जांच तथा योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए 19 बृहद बहुद्देशीय तथा 4 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं इन स्कीमों के नाम तथा उनकी जांच की वर्तमान स्थिति का विवरण संलग्न है।

(ग) सिंचाई राज्य विषय होने के नाते, सिंचाई परियोनजाओं की वित्त-व्यवस्था तथा उनकी क्रियान्वित राज्यों द्वारा की जाती है। इन स्कीमों का कार्यान्वियन, मध्य प्रदेश द्वारा अपनी वार्षिक योजनाओं में रखी गई धनराशि तथा अन्य संसाधनों की व्यवस्था और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर योजना आयोग द्वारा इन स्कीमों को स्वीकृति देने पर भी निर्भर करता है।

विवरण

क्र०सं०	परियोजना का नाम
(क)	**योजना आयोग की सलाहवार समिति द्वारा सिफारिश की गई है, तथापि, योजना आयोग की औपचारिक स्वीकृति की प्रतीक्षा है।**
	1. माही (बृ०)
	2. राजघाट नहर (बृ०)
	3. महान (बृ0)
	4. सिंध नदी परियोजना (बृ0) (चरण-दो)
	5. रामपुरी पिक अप (म०)
	6. बरचर नेला टैंक (म०)
(ख)	**केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी जांच पूरी कर ली गई है तथा योजना आयोग की सलाहकार समिति के विचारार्थ टिप्पणी तैयार की जा रही है।**
	7. नर्मदा सागर (बृ०)
	8. मान परियोजना (बृ0)
(ग)	**अन्तर्राज्यीय पहलू शामिल हैं तथा उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति भी अपेक्षित है।**
	9. ओर्छा (बृ०)
	10. कैन (बृ0)

(घ) केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर राज्य सरकार के उत्तरों की प्रतीक्षा है।

11. बार्गी (बृ०)

12. रामकुण्ड (बृ०)

13. धोबातोरिया (बृ०)

14. रेहड़ (बृ०)

15. चम्बल अयाकट विकास (बृ०)

16. पेंच विशाखन (बृ०)

17. गोपद लिफ्ट सिंचाई (म०)

(ङ) केन्द्रीय जल आयोग में विचाराधीन

18. कोलार (बृ०)

19. महानदी जलाशय परियोजना (बृ०)

20. बाणसागर-यूनिट दो नहरें (बृ०)

21. थानवार (बृ०)

22. ओमकारेश्वर (बृ०)

23. जोबट (म०)

टिप्पणी : बृहद परियोजना के लिए (बृ०) हैं।
मध्यम परियोजना के लिए (म०) हैं।

मध्य प्रदेश में शहरी आवास का विकास

399. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास आमतौर परमध्य प्रदेश में तथा विशेषकर ग्वालियर में शहरी आवास के विकास के लिए कौन सी योजनाएं हैं; और

(ख) इन योजनाओं के लिए कितनी सहायता देने का विचार है;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) आवास राज्य का विषय है। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में सभी सामाजिक आवास योजनाएं अपनी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार अपने योजना नियतनों में से कार्यान्वित की जा रही हैं। सभी राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य सरकारों को "समेकित ऋणों" एवं "समेकित अनुदानों" के रूप में दी जाती है जो किसी विकास शीर्ष या योजना से सम्बद्ध नहीं होती है। तथापि, आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) ने जो एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, अपनी स्थापना से मध्य प्रदेश के 26 शहरों एवं कस्बों के लिए 31.1.84 तक 65.10 करोड़ रुपए की परियोजना लागत की 131 शहरी आवास योजनाएं स्वीकृत की है और 29857 रिहायशी एककों, 262 गैर-रिहायशी एककों के निर्माणार्थ तथा 19013 रिहायशी एवं 375 गैर-रिहायशी प्लाटों के विकासार्थ हुडको की ऋण बचनबद्धता 48.48 करोड़ रुपये की है। इनमें 337 रिहायशी, 145 गैर-रिहायशी एककों के निर्माण के लिए और 747 प्लाटों के विकास के लिए ग्वालियर से सम्बन्धित 6 योजनाएं शामिल हैं। 2.03 करोड़ रुपये की हुडको की ऋण सहायता सहित इन योजनाओं की परियोजना लागत 2.50 करोड़ रुपये है।

इनके अलावा, मध्य प्रदेश राज्य में विश्व बैंक तथा हुडको सहायियत नगर विकास कार्यक्रम है जिसकी ऋण सहायता 31.46 करोड़ रुपये है जिससे राज्य के विभिन्न नगरों में 5300 रिहायशी एककों का निर्माण तथा 54740 प्लाटों का विकास होगा।

भारतीय खाद्य निगम को घाटा

400. **श्री के० प्रधानी :**

श्री पी० के० कोडियन :

श्री रतन सिंह राजदा :

श्री के० एन० राजन :

श्री मूल चन्द डागा :

श्री चित बसू :

श्री पी० नामग्याल :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

डा० कृपासिन्धु भोई : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक विभाग के प्रशासनिक सुधार खंड (विंग) के सदस्यों से युक्त एक अध्ययन दल जिसने पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण वसूली क्षेत्र और उपभोक्ता क्षेत्र का दौरा किया है द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से पता चला है कि वर्ष 1981-82 में आवाजाही और भण्डारण

के दौरान भारतीय खाद्य निगम को 6,60,000 टन खाद्यान्न की हानि हुई जिसका मूल्य 118 करोड़ रुपये है;

(ख) क्या उक्त रिपोर्ट में यह भी बताया गया है "भारतीय खाद्य निगम" में विश्वस्त, संगत और नवीनतम स्टाक आंकड़े एक साथ उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले और आवाजाही में सुधार करने में बार-बार होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में, तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) सरकार ने पहले ही अध्ययन दल की रिपोर्ट की जांच करने और भारतीय खाद्य निगम में मार्गस्थ तथा भण्डारण में हानियों को कम करने के लिए सिफारिशें करने के लिए एक सशक्त समिति का गठन कर दिया है। निगम भी साथ-साथ डिपुओं सहित सभी स्तरों पर रिकार्ड रखने और उनकी जाँच करने विषयक प्रणाली में सुधार कर रहा है। उचित तौल करने की व्यवस्था करने, लदान और उतरान स्थानों पर प्रभावकारी ढंग के साथ देख-रेख करने, परिवहन और प्राप्तियों के समय बोरियों को तौलने और उनकी गणना करने, डिपुओं पर स्टाक की प्रत्यक्ष जांच करने, सूचना प्रणाली में सुधार करने आदि तथा लापरवाही और कदाचारों के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों को उपयुक्त सजा देने जैसे अन्य उचित पग भी उठाए गए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना की परिकल्पना में हुई प्रगति

401. **श्री के० प्रधानी** :

डा० ए० यू० आजमी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के एक उपदल ने राजधानी में जीवन का स्तर वातावरण, कानून और व्यवस्था तथा राजधानी की अनिवार्यताओं के लिए 2001 ई० तक दिल्ली महानगर क्षेत्र की आबादी को 1.35 करोड़ तक सीमित रखने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संकट की स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(ग) वर्तमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना की परिकल्पना को लागू करने में अब तक क्या प्रगति हुई है और उस पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों की क्या प्रतिक्रिया रही है;

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री

(श्री मल्लिकार्जुन) :(क) तथा (ख) दिल्ली और परिधीय क्षेत्रों के विकास के लिए स्थायी समिति द्वारा नियुक्त उपदल ने दिल्ली और इसके परिधीय क्षेत्रों में जनसंख्या के निर्धारण की कतिपय सिफारिश की थी। स्थायी समिति ने प्रस्तावों को स्वीकार नही किया। महानगर क्षेत्र में जनसंख्या को सीमित करने की आवश्यकता पर विचार किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना जिसमें समूचे क्षेत्र के लिए सतुलित संबर्द्धन पर विचार किया गया है, को अद्यतन रखने एवं कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। प्रोत्साहनों और हतोत्साहों की प्रस्तावित प्रणाली के माध्यम से, योजना में यह अपेक्षा की गई है कि भविष्य की औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं को दिल्ली से बाहर दूर आस-पास के चुनिन्दा तथा समतुल्य कस्बों में ले जाया जाए।

(ग) मुख्यतया सांविधिक सांस्थानिक प्रबन्धों के अभाव के कारण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना का कार्यान्वियन अब तक पूर्ण आशनुकूल नहीं हुआ। अब हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पड़ौसी राज्यों ने सांविधिक बोर्ड के गठन पर सहमति दे दी है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को संकल्पना के लिए अपना पूर्ण सहयोग एवं समर्थन देने का आश्वासन दिया है।

नई दिल्ली की शांतिनिकेतन कालोनी में स्कूल के लिए प्लाट का आबंटन

402. **श्री के० प्रधानी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली की कालोनी शांतिनिकेतन में स्कूल के लिए आरक्षित एक पहाड़ी जैसे भू-क्षेत्र को हाल ही में एक गैर-सरकारी शिक्षा सस्था को आबंटित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस भूखंड का क्षेत्रफल कितना है और किन शर्तों पर आबंटित किया गया है तथा इसको समतल बनाने और स्कूल भवन के निर्माण के लिए क्या कोई समय अवधि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या इस संस्था को एक नर्सरी स्कूल बनाने के लिए स्ट्रीट-4 शांतिनिकेतन में एक अन्य भूखंड भी आबंटित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं;

(ङ) क्या सम्बन्धित गैर सरकारी शिक्षा न्यास ने इस प्लाट को समतल करने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है और गत लगभग 10 वर्षों से जनता द्वारा इस जगह का उपयोग सार्वजनिक शौचस्थल के रूप में करते रहने के कारण यह स्थान स्वास्थ्य की दृष्टि से निरन्तर हानिकर बना हुआ है; और

(च) इस स्थिति को ठीक करने हेतु सरकार का विचार क्या उपचारात्मक कदम उठाने का है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां।

(ख) शान्ति निकेतन में साधु वास्वनी मिशन को स्कूल की इमारत के लिए 2.5 एकड़ और खेल के मैदान के लिए 4.31 एकड़ भूमि अन्य बातों के साथ-साथ इन सामान्य शर्तों पर आबंटित की गई है कि सोसाइटी कब्जे की तारीख से दो वर्षों के भीतर स्कूल की इमारत का निर्माण पूरा करेगी।

(ग) जी, हां। इस मिशन को नर्सरी स्कूल के लिए एक प्लाट का भी आबंटन किया गया है।

(घ) नर्सरी स्कूल के आबंटन की शर्तों का आबंटन पत्र की प्रतिलिपि अनुलग्नक "क" पर संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7723/84]

(ङ) बताया जाता है कि यह प्लाट पहले ही समतल है। मिशन ने स्कूल की इमारत बनाने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है क्योंकि उन्हें खेल के मैदान का कब्जा अभी लेना है। स्थल का निरीक्षण करने से भी पता चलता है कि प्लाट का दुरुपयोग नहीं किया गया है।

(च) खेल के मैदान का कब्जा सौंपे जाने के पश्चात स्कूल की इमारत को शीघ्र पूरा करने के लिए सोसाइटी को कहा जाएगा।

आवास और शहरी विकास निगम द्वारा स्वीकृत आवास परियोजनाएं

403. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) ने 72.75 करोड़ रुपये लागत की 114 नई आवास परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है और उनको 46.68 करोड़ रुपए की ऋण सहायता देने के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आबंटन का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यवार नियतन के बारे में ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

हुडको द्वारा अपना 79 वीं बोर्ड बैठक जो कि 26.12.83 को हुई, ने स्वीकृत योजनाओं के राज्यवार ब्यौरे

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (लाख रु० में)	स्वीकृत ऋण	रिहायशी एकक	प्लाट
आन्ध्र प्रदेश	10	353.62	220.60	3916	—
गुजरात	8	522.972	391.95	5440	69
हरियाणा	2	234.13	164.48	940	—
हिमाचल प्रदेश	1	85.06	54.65	144	—
कर्नाटक	6	470.60	178.225	11720	—
केरल	10	671.01	249.93	10556	39
मध्य प्रदेश	7	193.13	128.97	2016	—
महाराष्ट्र	32	1984.54	1327.43	14202	—
उड़ीसा	6	554.47	380.21	1792	—
पंजाब	6	313.07	195.01	1194	—
राजस्थान	12	787.44	553.92	2195	1122
तमिलनाडु	6	585.57	366.63	1993	961
उत्तर प्रदेश	4	429.31	294.79	1359	1264
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1	160.01	9.00	15	—
चण्डी गढ़	1	73.99	52.65	260	—
योग	114	7274.922	4668.445	57742	3455

दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान में लम्बित जांच और लेखा प्रतिवेदन

404. **श्री निहाल सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान में 1967-68 से 31 दिसम्बर, 1983 तक की अवधि के कितने जांच प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा सम्बन्धी आपत्तियां लम्बित पड़ी हैं तथा उन्हें अभी तक न निपटाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम अपना प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत नहीं करता और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भविष्य में दिल्ली नगर निगम, जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली विद्युत सप्लाई संस्थान के प्रतिवेदन संसद में रखे जाएंगे।

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 1967-68 से 31-12-1983 तक की अवधि के लिए लम्बित पड़ी लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या 3059 हैं। प्रतिवर्ष नये निरीक्षण किये जाते हैं और लम्बित पड़े पैरों को पुराने लम्बित पड़ा आपत्तियों में शामिल किया जाता है जबकि पुराने पैरों को निपटाया जाता है। तथापि, लम्बित पैरों को निपटाने के लिए गम्भीर प्रयास किए जा रहे हैं। अनुस्मारक जमा किये जा रहे हैं।

दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि नगर पालिका मुख्य लेखा परीक्षक से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार 31-12-83 तक 1967-68 से 1982-83 की अवधि की 362 निरीक्षण रिपोर्ट तथा 102 लेखा परीक्षा टिप्पणियां लम्बित पड़ी है। ये निरीक्षण रिर्पोट तथा लेखा परीक्षा टिप्पणियां इसलिए लम्बित पड़ी है क्योंकि लेखा परीक्षा विभाग को उत्तर भेजने से पहले मूल रिपोर्ट की जांच की जाती है।

दिल्ली नगर नियम अधिनियम की धारा 206 (5) के अन्तर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जानी अपेक्षित हैं। तथापि, क्योंकि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के अधिकार का प्रयोग दिल्ली के उप राज्यपाल द्वारा किया जा रहा है इसलिए लेखा परीक्षा रिपोर्टों की प्रतियां निगम द्वारा दिल्ली प्रशासन को भेजी जा रही हैं।

(ग) दिल्ली नगर निगम के 3 लेखा खाता (अर्थात् सामान्य विंग का लेखा खाता दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान का लेखा खाता और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का लेखा खाता) से सम्बधिन्त लेखा परीक्षा रिपोर्टों को ससद में प्रस्तुत करने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम में कोई सांवधिक प्रावधान नहीं है।

जहाँ तक दिल्ली विकास प्राधिकरण का सम्बन्ध है, लेखा परीक्षा रिपोट में प्रस्तुत की जाती है।

जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान में घाटा

405. श्री निहालसिंह : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान को वर्ष 1975-76 से 1979-80 तक के लिए 627 लाख रुपये का राजस्व अभी वसूल करना है; जिसके परिणामस्वरूप 50.19 लाख रुपये की ब्याज की धनराशि की प्रति वर्ष हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त धनराशि को समय पर वसूल करने के क्या कारण हैं तथा उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनकी लापरवाही के कारण यह धनराशि वसूल नहीं की जा सकी; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1983 तक ब्याज को मिलाकर उक्त राशि कुल कितनी थी, इसमें से कितनी धनराशि वसूल की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री श्री (मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जल प्रभारों का बकाया 31-3-76 तथा 31-3-80 को क्रमश: 196 लाख रुपये तथा 620 लाख रुपये था।

(ख) कुल बकायों में से 452 लाख रुपये सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों पर तथा व्यक्तिगत उपभोक्ताओं पर किराये के बकाया थे। जहां तक सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों पर बकायों का सम्बन्ध है, इस पर निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। जहां तक व्यक्तिगत उपभोक्ताओं का सम्बन्ध है, कनेक्शन काटने के नोटिस जारी किये जाते हैं और भुगतान को या तो किश्तों में लिया जाता है या एकमुश्त। यदि भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो पानी के कनेक्शन काट दिये जाते हैं।

(ग) 1-4-1983 तक पानी के प्रभारों की कुल बकाया राशि 736 लाख रुपये थी जिसमें से 611 लाख रुपये स्थानीय निकायों, सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी विभागों पर तथा शेष राशि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं पर है।

जल प्रभार और जल कर से सम्बन्धित चैकों का समय पर न भुनाया जाना

406. **श्री निहाल सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्च, 19 70-71 से मार्च 1978-79 तक अवधि के दौरान बैंकों में जल प्रभार और जल कर के बिलों के भुगतान के रूप में जमा कराये गये 21.17 लाख रुपये के चैकों को जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान के कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ताओं द्वारा समय पर न भुनाये जाने की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अब इस मामले की जांच करेगी और दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) दिल्ली जल पूर्ति एवम् मल-व्ययन संस्थान ने कोई जांच करना आवश्यक नहीं समझा क्योंकि 25.17 लाख रुपये के चैक जब भी प्राप्त हुए भारतीय स्टेट बैंक में जमा करा दिए गए थे और इन्हें किसी अधिकारी ने नहीं रखा था। 25.17 लाख रुपये में से, बैंक के खाते में आकलित 19.74 लाख रुपये की राशि का पता चला है। 5.43 लाख रुपये की शेष राशि का शीघ्र समायोजन करने के लिए मामले को बैंक के साथ तेजी से उठाया जा रहा है।

खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि

407. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री चित्त बसु : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद बाजार में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि जारी रही है;

(ख) यदि हां, तो खरीफ के मौसम में खाद्यान्नों के उत्पादन का ब्यौरा क्या है और पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में इनकी क्या स्थिति है;

(ग) वर्ष 1983 के दौरान माहवार खाद्यान्नों के मूल्य उससे पिछले वर्ष की तुलना में कितने रहे; और

(घ) देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और उनके क्या परिणाम रहे ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) कई कारणों से खाद्यान्नों के मूल्यों में पिछले वर्ष से वृद्धि हुई है। मूल्यों में मौसमी और क्षेत्रीय घट-बढ़ भी हुई है।

(ख) अनुमान है कि 1983-84 के दौरान खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन 840 लाख मीटरी टन के आस-पास होगा जब कि 1982-83 में 695 लाख मीटरी टन खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था।

(ग) 1983 और 1982 के दौरान विभिन्न खाद्यान्नों के थोक मूल्यों के मासवार सूचकांक बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने और उसका विस्तार करने के लिए सभी प्रसास किए जा रहे हैं। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 1983 में 162.34 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का रिकार्ड स्तर पर वितरण किया गया था जबकि 1982 में 147.68 लाख मीटरी टन खाद्यान्न बांटे गए थे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और भूमिहीन ग्रामीण रोजगार सृजन योजना के अधीन गांव के गरीब लोगों को रियायती दरों पर चावल और गेहूं सप्लाई किया जा रहा है।

विवरण

थोक मूल्यों का सूचकांक

(मासिक औसत) आधार (1970-71 = 100)

जिन्स	वर्ष	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
चावल	1983	259.9	269.8	273.1	277.9	284.5	293.8	304.9	316.0	316.2	305.0	290.5	278.6
	1982	229.8	229.6	231.2	233.0	236.2	241.3	251.6	264.5	265.8	264.5	262.8	259.4
गेहूं	1983	233.5	247.6	247.7	225.7	211.8	212.8	215.2	213.4	213.3	213.5	217.9	218.9
	1982	197.6	200.4	202.6	281.3	186.7	190.0	195.8	208.3	210.2	212.7	215.8	219.0
ज्वार	1983	212.8	224.8	229.3	222.7	230.4	231.0	240.7	245.6	240.6	242.4	243.8	260.4
	1982	240.9	231.4	221.2	225.8	225.2	224.3	223.3	223.7	224.4	219.6	214.7	209.6
बाजरा	1983	219.3	229.6	234.4	242.8	257.8	249.3	252.6	246.2	224.4	208.8	211.8	221.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1982	225.7	221.7	219.9	227.8	228.3	227.6	226.6	229.6	218.2	212.1	208.8	212.4
मक्का	1983	257.5	274.0	287.5	269.7	282.1	292.8	295.0	293.8	283.1	240.8	231.0	235.4
	1982	238.8	239.7	240.5	236.7	231.4	236.0	246.3	249.9	248.1	244.4	256.6	251.3
रागी	1983	216.9	225.0	228.2	233.7	245.2	247.3	261.0	262.4	244.8	236.6	253.6	257.5
	1982	216.7	217.4	214.0	209.8	208.5	205.5	212.7	213.1	209.3	208.7	216.0	215.4
जौ	1983	284.3	304.5	289.5	244.3	243.4	259.8	259.6	263.2	264.6	265.0	271.8	271.6
	1982	220.3	224.2	229.3	220.0	224.6	224.6	222.8	230.1	237.7	244.8	251.9	264.6
अनाज	1983	245.5	257.6	260.1	253.6	254.3	259.6	266.7	271.6	269.4	261.6	256.4	253.0
	1982	220.2	220.2	220.9	221.7	218.4	222.0	229.0	239.7	240.4	239.9	240.3	239.8
खाद्यान्न	1983	253.7	263.2	265.5	261.8	263.8	268.5	276.9	283.0	280.5	273.6	272.4	274.2
	1982	237.9	235.8	234.2	234.7	230.7	235.1	241.9	253.8	253.4	251.3	251.1	250.1

अनिवासी भारतियों को एशियाड के फ्लैटों को बेचा जाना

408. **श्री दया राम शाक्य :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री अनिवासी भारतियों को एशियाई खेल गांव फ्लैटों के बारे में 19 दिसम्बर, 1983 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4252 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों से एशियाड खेल गांव में प्रत्येक श्रेणी के फ्लैटों की बिक्री हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) वास्तव में कितने फ्लैट बेचे जा चुके हैं; और

(ग) क्या सरकार इस योजना पर हुई प्रतिक्रिया से सन्तुष्ट है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) इस योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र छ: राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशी शाखाओं द्वारा प्राप्त कर भारत में स्थित उनके समन्वय शाखाओं के माध्यम से दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रेषित किये जाते हैं। आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 29-2-1984 तक बढ़ा दी गई है तथा इस स्थिति में प्रतिक्रिया का वास्तविक मूल्यांकन करना असामाजिक है।

भारतीय वन सेवा में भर्ती किए गए अधिकारी

409. **श्री दया राम शाक्य :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वन सेवा में 1978 में कितने अधिकारियों की भर्ती की गई;

(ख) उनमें से कितने अधिकारियों को अब तक स्थायी कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सेवा में वर्ष 1978-80 के बैच के अधिकारियों को स्थायी करने में उन्हें कितना समय लगेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय वन सेवा परीक्षा के परिणामों के आधार पर 1978 के दौरान भारतीय वन सेवा में 101 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई;

(ख) उपरोक्त 101 अधिकारियों में से 18 ने अपनी परिवीक्षा की अवधि पूरी करने से पूर्व ही भारतीय वन सेवा से त्यागपत्र दे दिया। शेष 83 अधिकारियों में से अब तक 46 अधिकारियों को स्थायी कर दिया गया है।

(ग) शेष मामलों में संबंधित राज्य सरकार से अभी प्रस्ताव प्राप्त होने हैं।

खाद्य-तेल की आवश्यकता पूरा करना

410. श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्री बापूसाहिब परूलेकर :

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की रिपोर्टें सरकार की जानकारी में आयी है कि 1984-85 में देश में खाद्य तेल की 75 प्रतिशत मांग देशी उत्पादन से पूरी हो जाएगी;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में तथ्य क्या है;

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा तैयार की गई समयबद्ध योजना का क्या ब्यौरा है; और

(घ) पिछले वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) देश में खाद्य तेल की कुल मांग का लगभग 75% भाग पहले ही देशी स्रोतों से पूरा किया जा रहा है। यद्यपि 1984-85 के दौरान खाद्य तेलों के देशीय उत्पादन के बारे में अभी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती तथापि, 1984-85 में तिलहनों के उत्पादन को वर्ष 1983-84 के लक्षित उत्पादन से लगभग 14 लाख मीटरी टन और बढ़ने का प्रस्ताव है। देशी तेलों की मांग और उपलभ्यता के बीच के अन्तर को आयात करके पूरा करने का प्रस्ताव है।

(ग) देश में वनस्पति तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए संगठित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, इन प्रयासों के बावजूद, 1984-85 तक खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि तेलों के उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ इनकी मांग भी बढ़ रही है विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अतिरिक्त सरकार तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है :—

(1) तिलहन उत्पादन राज्यों में तिलहनों के विकास के लिए गहन कार्यक्रम चलाना। इस योजना का उद्देश्य कृषकों के खेतों में प्रदर्शन आयोजित करना, बीजों के उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था को मजबूत बनाना, पौध संरक्षण उपायों का विस्तार करना, सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना आदि है।

(2) गुजरात से सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली तथा मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन के लिए विशेष परियोजनाएं आरम्भ करना।

(3) न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

(4) तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

(5) गैर-पारम्परिक तिलहनों जैसे सोयाबीन और सूरजमुखी की फसलों के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाना तथा वृक्ष तथा वन मूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का उपयोग करना।

(6) वनस्पति उद्योग द्वारा तेल के उपयोग के बारे में उचित नीति अपनाना, ताकि गैर-पारम्परिक तेलों के अधिक प्रयोग को बढ़ावा मिल सके।

(घ) तेल वर्ष 1982-83 के दौरान, खरीफ के मौसम में सूखे की स्थिति के होने के कारण तिलहनों का उत्पादन 105.5 लाख मीटरी टन हुआ था। वर्ष 1983-84 के लिए तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य 125.00 लाख मीटरी टन नियत किया गया है। मौसम की अनुकूल स्थिति तथा किए गए प्रयासों को दृष्टि में रखते हुए उत्पादन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की अच्छी सम्भावनाएं हैं।

स्टेडियमों का रखरखाव

411. **श्री एस०ए० दोराई सेबस्तियन :** क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड के लिए निर्मित सभी स्टेडियमों के रख-रखाव के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि नेहरू स्टेडियम में बने कमरे गैर-सरकारी संगठनों को किराए पर दे दिए गए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) एशियाड स्टेडियमों का रख रखाव अभी भी निम्नलिखित निर्माण एजेंसियों के हाथ में हैं :—

क्र०सं०	स्टेडियम का नाम	निर्माण एजेंन्सी
1	2	3
1.	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
2.	नेशनल स्टेडियम	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
3.	लान टेनिस स्टेडियम, हौज खास	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
4.	इन्द्रप्रस्थ इन्डोर स्टेडियम	दिल्ली विकास प्राधिकरण
5.	यमुना वेलोड्रोम	दिल्ली विकास प्राधिकरण

1	2	3
6.	शूटिंग रेन्जिस, तुगलकाबाद	दिल्ली विकास प्राधिकरण
7.	तालकटोरा, तरणताल	नई दिल्ली नगर पालिका

(ख) जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम का कोई भी कमरा किसी भी ऐसे निजी संगठन को किराए पर नहीं दिया गया है जो खेलों से संबंधित नहीं है।

देश में खेल-संस्कृति का परिरक्षण और उसका विस्तार

412. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राचीन काल से ही देश के विभिन्न भागों में, जैसे कि महाराष्ट्र में "मल्लाखम्बा" और लेजिम जैसे कई प्रकार के विशिष्ट खेल और शारीरिक व्यायाम चले आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का आशय न केवल उनकी सुरक्षा करना बल्कि उनका देश के सभी भागों में प्रसार करने का है, जिससे लोगों को हमारी उच्च परम्परा की जानकारी हो सके; और

(ग) क्या इस दिशा में कोई प्रयास किए गए हैं, इन खेलों में निपुणता प्राप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पण करने वाले खिलाड़ियों को छात्रवृत्तियां दिलाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

खेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) से (ग) जी, हां। परम्परा गत खेलों और शारीरिक स्वस्थता-व सांस्कृतिक कार्यकलापों की भारत के पास एक समृद्धि सांस्कृतिक बपौती है। खेल एक राज्य विषय होने के नाते, यह मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे इन कार्यकलापों को बढ़ावा दें। केन्द्रीय सरकार संबंधित मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता द्वारा विभिन्न खेलों का समन्वय तथा उनको बढ़ावा देती है। खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों के जरिए कबड्डी और खो-खो जैसी ऐसी परम्परागत खेलों के लिए भी छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। यदि स्वैच्छिक प्रयासों द्वारा अन्य परम्परागत खेलों के लिए राष्ट्रीय खेल संघ बनाए जाते हैं और उन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है तो ऐसी सुविधाओं के लिए वे भी पात्र होंगे।

पट्टे धारियों द्वारा फ्लैटों की बिक्री

413. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए फ्लैटों के पट्टेधारिकों को दस वर्षों के अपने कब्जे के बाद उन्हें बेचने की अनुमति है;

(ख) यदि हां तो इसके लिए मालिकों की क्या औपचारिकताएं पूरी करने की आवश्यकता होती है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1981, 1982 और 1983 के वर्षों में कुल कितने फ्लैटों को बेचने स्थानान्तरण करने की अनुमति दी गई ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण से खरीदे गए बने बनाए फ्लैटों को 10 वर्ष की समाप्ति से पूर्व अन्तरण पर लगी पूर्व रोक 12-10-1982 से हटा ली गई है

(ख) आबंटी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी :—

(i) प्रतिहस्तान्तरण विलेख के पंजीकरण के बाद बिक्री के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से पूर्वानुमति।

(ii) इस आशय के शपथपत्र का प्रस्तुतीकरण कि दिल्ली/नई दिल्ली/दिल्ली छावनी से न तो वह न ही उसकी पत्नी/पति अथवा उसके कोई अवयस्क अथवा आश्रित शिशु अथवा आश्रित माता पिता अथवा सामान्यत: उसके साथ रह रही/रहा आश्रित अवयस्क बहनें तथा भाई के पास पूर्ण अथवा आंशिक रूप में कोई रिहायशी प्लाट अथवा मकान हैं अथवा उनको किराया खरीद व्यापार पर कोई रिहायशी फ्लैट आबंटित किया गया है।

(iii) भूमि के मूल्य में 50 प्रतिशत अनर्जित वृद्धि का दिल्ली विकास प्राधिकरण को भुगतान।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश में 1982-83 के दौरान अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए मकानों का निर्माण

414. **श्री अनन्त रामलु मल्लु :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में 1982-83 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मकानों के निर्माण की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा 1983 के दौरान इसके लिए स्वीकृति की गई धनराशि का ब्यौरा क्या हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भिवंडी में बूचड़खाना स्थापित करने पर हिंसा

415. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भिवंडी में बूचड़खाना स्थापित करने के कारण हुई हिंसा की ओर दिलाया गया है;

(15 दिसम्बर, 1983 का इण्डिया टुडे)

(ख) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि दुधारू पशुओं की हत्या न की जाए, पशुओं की उपलब्धता या सप्लाई के प्रश्न की जांच और विश्लेषण किया है; और

(ग) क्या सरकार को यह पता है उत्पादकता केन्द्रों के बहाने आप्रेशन फ्लड-दो कार्यक्रम के अन्तर्गत इसी प्रकार के बूचड़खाने स्थापित किये जा रहे हैं और यदि इन्हें भली-भांति नियंत्रित नहीं किया गया तो दूध का उत्पादन घट जाएगा तथा भविष्य में हमें राष्ट्रीय हितों के विपरीत, दुग्ध उत्पादों का आयात करना पड़ेगा;

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में नारियल उत्पादकों को सहायता

419. **श्री स्कारिया थामस :**

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उन नारियल उत्पादकों को जिनके नारियल के पेड़ बीमारियों से नष्ट हो गए हैं, फिर से पेड़ लगाने के लिए आर्थिक सहायता और क्षतिपूर्ति देने के लिए केरल को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ख) अब तक कितनी राशि बांटी गई है और फिर से पेड़ लगाने आदि में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केरल में उत्पादकों को फिर से वृक्ष लगाने के लिए राज सहायता और क्षतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है:—

(1) केरल में नारियल की रोगग्रस्त और अनुत्पादक जोतों को पुनः जीवित करने की एक योजना 1977-78 से क्रियान्वित की जा रही है। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में 51.465 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी गई है।

(2) एक अन्य योजना नारियल विकास बोर्ड के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही है ताकि 3 वर्ष के लिये 24·75 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता से केरल राज्य में जड मुरझान रोग से प्रभावित नारियल के ताड़ों को हटाने के लिए नारियल के उत्पादकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा सके। उक्त प्रयोजन के लिए वर्ष 1983-84 के लिये 30 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी गई है।

(ख) (1) केरल में नारियल की रोगग्रस्त और अनुत्पादक जोतों को पुन: जीवित करने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 1982-83 तक 53·243 लाख रुपए की धनराशि वितरित की गई है। केरल में जड़ मुरझान रोग से प्रभावित नारियल के ताड़ों को समाप्त करने के लिए नारियल उत्पादकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना के अन्मर्गत नारियल विकास बोर्ड द्वारा 1982-83 तक 16.50 लाख रुपए की धनराशि वितरित की गई है।

(2) केरल में 33,000 हैक्टार क्षेत्र को नारियल के रोगग्रस्त जोतों को पुन: जीवित करने की योजना के अन्तर्गत लाया गया है। ज़ड़ मुरझान रोग से प्रभावित 22,000 ताड़ों को उखाड़ कर हटाया गया है। इसके अतिरिक्त नारियल बोर्ड में नए वृक्ष लगाने के लिए 3,000 रुपए प्रति हैक्टार की दर से राजसहायता भी उपलब्ध करा रहा है।

नारियल बोर्ड का पुनर्गठन

417. **श्री स्कारिया थामस** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास रबड़ बोर्ड की तरह नारियल बोर्ड के पुनर्गठन का भी कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) रवड़ वोर्ड तथा नारियल विकास की विशेष आवश्यकता सहित विभिन्न सांविधिक जिन्स बार्डों की मुख्य विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत नारियल विकास बोर्ड का गठन किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों की बिक्री में गिरावट

418. **श्री वी० पी० देसाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर के महीनों में खाद्यान्नों की बिक्री में कमी होने से बफर स्टाक में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) दिसम्बर, 1983 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाणी के लिए खाद्यान्नों का कुल कितना भंडार था;

(घ) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों के भंडार की स्थिति काफी अच्छी थी और यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मार्च 1984 तक काफी था;

(ङ) क्या यह भी सच है कि पिछले तीन वर्षों में भंडार का यह स्तर उच्चतम है;

(च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है;

(छ) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों के भंडार में सुधार को देखते हुए, उनके मूल्य उतने कम नहीं हुए जितने कि होने चाहिए थे; और

(ज) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) सरकार ऐजन्सियों के माध्यम से सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर, 1983 के दौरान क्रमश: 13.68 लाख मी०, 12.79 लाख मी० टन और 11.48 लाख मी० टन खाद्यान्नों का वितरण किया गया था जबकि अगस्त, 1983 में कुल 13.94 लाख मी० टन खाद्यान्नों का वितरण किया गया था। आगामी खरीफ फसल की अच्छी सम्भावनाएं होने तथा इसके फलस्वरूप बाजार-स्थिति सुगम होने के कारण ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर दबाव कम हुआ है।

(ग) से (ङ) सरकारी एजेन्सियों के पास दिसम्बर, 1983 के अन्त तक 153.9 लाख मी० टन खाद्यान्नों का कुल स्टाक होने का अनुमान है। यद्यपि वर्ष के अन्त को यह स्टाक पिछले तीन वर्षों की तुलना में अधिकतम है लेकिन यह बफर स्टाक की नीति विषयक आवश्यकताओं से अभी कम था।

(च) सरकारी एजेन्सियों के पास 1-2-84 को 154.1 लाख मी० टन खाद्यान्नों का स्टाक होने का अनुमान है।

(छ) और (ज) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों के स्टाक निर्धारित

केन्द्रीय निगम मूल्यों पर केन्द्रीय भण्डार से जारी किए जाते हैं। ये राजसहायता प्राप्त मूल्य होते हैं और स्टाक स्थिति में परिवर्तन होने से इनमें घट-बढ नहीं होती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के गोदाम से सीमेंट का चोरी होना

419. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981, 1982 और 1983 (अक्तूबर के अन्त तक) के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के गोदामों से, निर्माण स्थलों से और ढुलाई के दौरान कितनी मात्रा में सीमेंट की (एक) चोरी हुई, (दो) कम सप्लाई की गई, (तीन) खराब हुआ और उपयोग के लायक नहीं रहा, (चार) अथवा अन्यथा गायब हुआ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के सीमेंट में भारी मात्रा में कमी और हानि के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है और शकूर वस्ती रेलवे साइडिंग से हाल में दिल्ली विकास प्राधिकरण के 15,000 टन सीमेंट की जो चोरी हुई, इस प्रकार की चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) वर्ष 1982 और 1983 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण को कितने मूल्य की सीमेंट की हानि हुई ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि रिकार्डों के अनुसार सूचना निम्नलिखित है:—

सीमेंट की कोटि	1981	1982	1983 अक्तूबर को समाप्त
	(आंकड़े मीट्रिक टनों में)		
(i) चोरीकृत	50.45	62.50	(i) 22.5 (ii) 673.65
(ii) कम सप्लाई	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) खराब तथा अनुपयोज्य	25.95	शून्य	शून्य
(iv) गोदामों से अन्यथा गायब	शून्य	शून्य	5.95

(ख) जी हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शकूर बस्ती रेलवे साइडिंग से 673.65 मीट्रिक टन सीमेंट की चोरी दिल्ली विकास प्राधिकरण के ढुलाई ठेकेदार द्वारा रेलवे स्टाफ, दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों तथा कतिपय प्राईवेट ट्रांसपोर्टरों की मिलीभगत से हुई बताई है।

मामले को पुलिस में दर्ज करा दिया गया था जिसने मामले की विस्तृत जांच की तथा इसमें लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया है। मामला न्यायालय में दर्ज है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आगे सूचित किया है कि भविष्य में ऐसे मामलों की रोक-थाम के लिए पद्धति को सरल एवम् कारगर बनाकर एवम् विभिन्न रोक तथा नियन्त्रणों को सुदृढ़ करके कुछ उपाय किए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए उन्होंने एक गैर सरकारी सुरक्षा अभिकरण की भी नियुक्ति की है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बताई गई स्थिति निम्न प्रकार है:—

वर्ष	क्षति की राशि
1982	दिल्ली विकास प्राधिकरण की कोई क्षति नहीं क्योंकि या तो सीमेंट ठेकेदार से प्राप्त हो गया अथवा उससे वसूली की गई।
1983	22.5 मीट्रिक टन सीमेंट की चोरी के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण की कोई क्षति नहीं हुई क्योंकि ठेकेदार से या तो सीमेंट प्राप्त हो गया अथवा वसूली कर ली गई।

673.65 मीट्रिक टन सीमेंट की चोरी के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण की क्षति की राशि 5.93 लाख रुपए है। 5.93 लाख रुपए में से 5.84 लाख रुपए की राशि पहले ही ढुलाई ठेकेदार की बकाया के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास है जिसे क्षति के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। ठेकेदार से वसूलने योग्य शेष राशि तथा जुर्माने के लिए ठेके के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली में भूमि की विपणन दरों की अनुसूची जारी करना

420. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मन्त्रालय समय-समय पर दिल्ली में भूमि की विपणन दरों की अनुसूची जारी करता रहा है और उसकी प्रतियां दिल्ली प्रशासन और अन्य को भेजता रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1970 से अब तक ऐसी कितनी अनुसूचिया जारी की गई हैं;

(ग) क्या इस प्रकार की एक अनुसूची संख्या 22011/1/70-एल-II (ii), 14 जनवरी, 1972 को जारी की गई थी;

(घ) क्या यह सच है दि दिल्ली नगर निगम उक्त अनुसूची को उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1143/44/73 और 120 (एन) 1973 में दिवान दौलत राय बनाम नई दिल्ली नगर पालिका के मामले में दिये गये निर्णय की शर्तों के अनुसार अचल सम्पत्तियों के मानक किराया निर्धारण के मामले में सम्मान देने से मना कर रहा है; और

(ङ) यदि हां तो उस पर सरकार की प्रतिक्रियां क्या है और जनता की कठिनाईयो को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) सम्बन्धित प्राधिकरणों को इन दरों को भेजने वाले कार्यालय आदेशों में विभागीय प्रशासनिक अनुदेश हैं और इनकी प्रतियां को सभा पटल पर रखे जाने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, रिहायसी तथा वाणिज्यक दोनों प्रकार की भूमि के लिए इस समय चालू बाजार दरों तथा पूर्व संशोधित दरों का एक विवरण संलग्न हैं। चालु दरें, 31 मार्च, 1985 तक लागू रहेंगी।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) : रिहायसी तथा वाणिज्यिक भूमि के लिए सरकार द्वारा निर्धारित बाजार दरों की सूची मुख्य रूप से सरकार द्वारा भूमि और विकास अधिकारी के माध्यम से भूमि पट्टों के प्रशासन अर्थात पट्टे पर दी गई सम्पत्तियों की बिक्री में पट्टे की शर्तों के अनुसार अनर्षित वृद्धि की वसूली, हर्जानों की वसूली, पट्टे पर दी गई भूमि का उपयोग बदलने की अनुमति देने के प्रयोजन के लिए हैं।

विवरण

समूह	रिहायसी		वाणिज्यिक	
	1-4-79 से 31-3-81 तक	1-4-81 से 31-3-85 तक	1-4-79 से 31-3-81तक	14-4-81 से 31-3-85 तक
	(रुपए प्रति वर्ग मीटर)		(रुपए प्रति वर्ग मीटर)	
समूह—1 (कनाट प्लेस)	720	2000	4800	13000

1	2	3	4	5
समूह—II कनाट सर्कस, बाराखम्बा रोड, कर्जन रोड, हनुमान रोड, जनपथ से विंडसर प्लेस तक बेयर्ड रोड, मंदिर मार्ग आदि ।	720	2000	3600	10500
समूह— III अजमल खां रोड, खान मार्किट, मिन्टो रोड, डिप्लोमेटिक एन्कलेव, गार्फलिंग, पंचकुइयां रोड, डिफेंस कालोनी कमला नगर, करोल बाग, भगत सिंह मार्किट आदि ।	720	2000	2160	6000
समुह—IV (पूर्वी/पश्चिमी/दक्षिणी पटेल नगर, राजेन्द्र नगर, लाजपत राय मार्किट, निजामुद्दीन)	600	1600	1200	4800
समूह—V (जंगपुरा एक्स्टेन्शन, लाजपत नगर, आजादपुर, जवाहर नगर, माल रोड, रोहतक रोड, अलीपुर रोड, कालकाजी, मालवीय नगर, राजपुर रोड, मलकागंज)	480	1200	960	2400
समूह—VI (अलीगंज, अन्सारी मार्किट, डी०बी०गुप्ता मार्किट, गोखले मार्किट, खुरशीद मार्किट, खन्ना मार्किट, तेलीवाड़ा, विजय नगर, आजाद मार्किट, मोती नगर आदि)	360	1000	720	2000

1	2	3	4	5
समूह—VII (बस स्टेण्ड क्षेत्र विस्तार) भारत नगर, गुलाबी बाग, किंग्जवे कैम्प, सेवा नगर, रमेश नगर, तिमारपुर, इन्दिरा नगर, झील कुरंजा आदि)	240	800	480	1600
समूह—VIII (नरेला तथा अन्य बाहरी बस्तियाँ	120	400	240	800

टिप्पणी

1 (क) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बाजार भाव समूह I और II के लिए 250 का फर्श क्षेत्र अनुपात पर, समूह III के लिए 150 का फर्शी क्षेत्र अनुपात पर और अन्य समूहों के लिए मोजूदा फर्शी क्षेत्र अनुपातों पर आधारित हैं।

(ख) रिहायसी दरें विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित मौजूदा फर्शी क्षेत्र अनुपात पर आधारित हैं।

फर्शी क्षेत्र अनुपात में घटाने या बढ़ाने के लिए ये दरें आनुपातिक रूप से घटाई या बढ़ाई जाएंगी।

2. जहां तक होटल और सिनेमा स्थलों का सम्बन्ध है, प्रत्येक मामले पर गुणवगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

3. पट्टाकर्त्ता के अनर्जित वृद्धि के अंक का परिकलन करने और वसूली के प्रयोजानार्थ, 100 वर्गगज (83.613 वर्ग मीटर) या कम के रिहायशी पट्टों के बारे में विक्रय अनुमतियां देते समय, 1-4-79 से 31-3-81 तक की अवधि के लिए निर्धारित की गई भूमि की दरें लागू होंगी।

4. जो स्थान अनुसूचि में नहीं है उसके लिए, तुलनीय क्षेत्रों के लिए दरें लागू की जाएंगी।

अलखनन्दा, कालकाजी दिल्ली में धार्मिक स्थानों की अनधिकृत इमारतें

421. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलखनन्दा, कालकाजी, दिल्ली विकास प्राधिकरण की एस० एफ० एस० योजनाओं में, सड़कों और पार्कों के लिए नियत क्षेत्रों में अवैध कब्जा कर धार्मिक स्थलों की अनधिकृत इमारतें बनाई गई हैं जिससे इनके आसपास के फ्लैटों के आबंटियों को भारी कठिनाइयां पैदा हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं, अनधिकृत कब्जों को अनुमति देने के लिये जिम्मेदार दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का क्या ब्यौरा है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) अनधिकृत कब्जों को कब समाप्त किया जायेगा; और

(घ) क्या सरकार इससे प्रभावित आबंटियों को वैकल्पिक फ्लैट आबंटित करने अथवा उनको समुचित क्षतिपूर्ति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि एक मस्जिद और चर्च उन परिसरों के समीप पार्क के लिए छोड़ी गई भूमि के एक हिस्से पर अनधिकृत रूप से बनाए गए हैं जहां स्ववित्त पोषित योजना के तहत फ्लैट बनाए गए हैं । उसने अपने अधिकारियों का इन अतिक्रमणों में शामिल होने का खण्डन किया है ।

(ग) तथा (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि धार्मिक संरचनाओं को मौजूदा स्थान से हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं । तथापि, इस प्रयोजन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है ।

ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान की योजनाओं का कार्यान्वयन

422. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण आबादी के आर्थिक उत्थान के लिये उनके मन्त्रालय ने कौन-सी योजनायें और कार्यक्रम शुरू किये हैं;

(ख) उनके मन्त्रालय द्वारा छठी योजना की वार्षिक योजनाओं के दौरान इन योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की पद्धति पर ग्रामीण जनसंख्या के लिए पृथक आर्थिक उत्थान कार्यक्रम शुरू किये हैं और गरीबों को और अधिक राजसहायता देते हुए उन्हीं कार्य क्षेत्रों में विस्तारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और अब तक कितने परिवार राज्य द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत आ गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) छठी पचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण आबादी के आर्थिक उत्थान के लिए इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही मुख्य योजनाएं ये हैं :—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम।

(ख) छठी योजना की वार्षिक योजनाओं के दौरान इन योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए इस मन्त्रालय द्वारा राज्यों को दी गयी निधियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न हैं (विवरण-1)।

(ग) और (घ) जी हां। कुछ राज्यों ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की तरह आर्थिक उत्थान के लिए अलग कार्यक्रम आरम्भ किए हैं, जैसे कर्नाटक में अन्त्योदय कार्यक्रम तथा उड़ीसा में ग्रामीण निर्धनों के लिए आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम। तथापि, इस मन्त्रालय द्वारा राज्यों के नाम और राज्य द्वारा ऐसे प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत लिये गए परिवारों की सूचना संकलित नहीं की जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अभी तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायियत परिवारों को दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है। सूखा-ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम मुख्य रूप से आधारभूत विकास/रोजगार सृजन कार्यक्रम है।

विवरण-I

मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु दी गई निधियाँ (केन्द्रीय अंश)

(लाख रुपये में)

बंटित निधियां (केन्द्रीय अंश)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	समन्वित ग्रामीण विकास				राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम**			
	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (अब तक)	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (अब तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आन्ध्र प्रदेश	715·39	1434.765	1265·00	832·0	3430·00	1896.00	1983·00	973·825
2. असम	26·60	148·50	214·00	186·0	319·20	400·00	200·00	222·54
3. बिहार	551·59	1249·06	1921·00	842·0	4082·40	1210·00	2540·00	1293·89
4. गुजरात	466·87	508·79	839·87	436.00	767·40	560·00	740·00	561·35
5. हरियाणा	161·15	299·93	348·105	372·0	434·33	160·00	160·00	81·00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. हिमाचल प्रदेश	167.55	176.10	264.00	182.00	377.95	120.00	120.00	79.475
7. जम्मू तथा कश्मीर	59.05	180.07	159.00	40.00	366.15	80.00	160.00	136.01
8. कर्नाटक	376.86	360.30	652.00	350.00	815.79	828.00	1300.00	729.275
9. केरल	351.66	371.54	592.025	414.73	1059.60	804.00	847.00	928.30
10. मध्य प्रदेश	708.94	1374.00	1814.00	1086.00	3542.60	1320.00	1704.50	808.50
11. महाराष्ट्र	713.7875	693.02	1038.00	754.00	1626.12	1420.00	1498.00	736.57
12. मणिपुर	32.50	13.50	52.00	—	49.25	10.00	20.00	—
13. मेघालय	13.28	16.50	5.37	—	13.00	10.00	20.00	10.00
14. नागालैंड	73.42	63.00	63.00	42.00	90.00	20.00	25.00	20.00
15. उड़ीसा	680.34	731.19	1082.215	628.00	2689.00	820.00	865.00	257.84
16. पंजाब	277.50	351.00	468.00	472.00	260.90	252.00	266.00	275.00
17. राजस्थान	580.00	676.09	983.00	802.00	2602.50	468.00	466.20	372.14
18. सिक्किम	3.00	6.00	8.62	16.00	7.25	8.00	16.00	5.53
19. तमिलनाडु	655.749	1272.76	1547.64	1486.45	1834.50	1480.00	1960.00	1800.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. त्रिपुरा	41.26	50.00	68.00	34.00	99.25	60.00	60.00	66.00
21. उत्तर प्रदेश	1407.657	2513.58	3359.62	2082.00	5321.20	3340.00	3513.00	3103.73
22. पश्चिम बंगाल	42.08	39.84	362.00	452.0	1939.10	1348.00	1414.00	504.45
23. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—	5.00	—	25.05	15.00	32.00	14.48
24. अरुणाचल प्रदेश	54.00	130.00	193.80	192.00	9.84	16.00	11.88	3200
25. चंडीगढ़	5.00	—	4.00	—	—	—	8.00	4.40
26. दादरा और नगर हवेली	—	—	8.00	4.00	—	—	16.00	8.80
27. दिल्ली	17.83	30.00	40.439	40.0	—	—	8.00	7.59
28. गोवा, दमन और द्वीप	52.73	72.00	96.00	96.0	—	—	32.00	66.80
29. लक्षदीप	3.00	—	40.00	20.00	—	—	8.00	22.46
30. मिजोरम	15.00	60.00	86.26	80.00	10.56	32.00	32.00	32.00
31. पांडिचेरी	6.66	23.40	27.00	16.00	12.30	16.00	19.97	32.00
योग :	8258.4535	12844.935	17617.964	11957.18	31785.20	16694.00	20045.55	13190.49 5

मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु दी गई निधियां
बंटित निधियां (केन्द्रीय अंश)

	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम				ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम**
राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1983-84
1	2	3	4	5	6
1. आन्ध्र प्रदेश	584.00	555.700	311.805	247.50	990.00
2. असम	—	—	—	—	216.00
3. बिहार	283.00	350.000	243.626	64.50	1425.00
4. गुजरात	186.90	224.105	231.440	157.50	320.00
5. हरियाणा	97.50	88.310	69.955	38.92	84.00
6. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	60.00
7. जम्मू और कश्मीर	45.00	97.500	80.845	36.115	75.00
8. कर्नाटक	323.42	241.292	205.240	191.00	470.00
9. केरल	—	—	—	—	470.00
10. मध्य प्रदेश	194.00	184.170	278.450	162.37	780.00
11. महाराष्ट्र	340.00	279.115	333.925	198.75	790.00
12. मणिपुर	—	—	—	—	11.00

1	2	3	4	5	6
13. मेघालय	—	—	—	—	15·00
14. नागालैंड	—	—	—	—	10·00
15. उड़ीसा	118·53	169·250	164·255	30·745	450.00
16. पंजाब	—	—	—	—	135·00
17. राजस्थान	570·00	535.090	96.670	32·440	240·00
18. सिक्किम	—	—	—	—	3·00
19. तमिलनाडू	220·00	350·00	252·000	112.500	890·00
20. त्रिपुरा	—	—	—	—	33·00
21. उत्तर प्रदेश	343·58	342·962	348·240	—	1705.00
22. पश्चिम बंगाल	105·50	182·950	200·500	—	770·00
23. पांडिचेरी	—	—	—	—	3·00
योग	3411·53	3580·444	2817·251	1217·34	9955·00

* खाद्यान्नों के मूल्य सहित बंटित कुल संसाधन ।

** 1983-84 में आरम्भ हुआ ।

विवरण—2

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायियत परिवारों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शाषित क्षेत्र का नाम	सहायियत परिवारों की संख्या 1980-81 से 1982-83	1983-84 (जनवरी, 1984 तक)
	1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	690112	132273
2.	असम	82044	46380
3.	बिहार	891153	240280
4.	गुजरात	395382	114185
5.	हरियाणा	285831	74113
6.	हिमाचल प्रदेश	128722	34208
7.	जम्मू और कश्मीर	72481	18093*
8.	कर्नाटक	330222	94945
9.	केरल	304718	82286
10.	मध्य प्रदेश	779731	191091
11.	महाराष्ट्र	472191	142005
12.	मणिपुर	14753	4369
13.	मेघालय	18769	588
14.	नागालैण्ड	29286	5307
15.	उड़ीसा	491569	134674
16.	पंजाब	248663	61550
17.	राजस्थान	387661	112976
18.	सिक्किम	3449	1359

1	2	3
19. तमिलनाडु	885111	173431
20. त्रिपुरा	30274	5897
21. उत्तर प्रदेश	2094126	381395
22. पश्चिम बंगाल	200360	62414
23. अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	73	257
24. अरूणाचल प्रदेश	22342	1690
25. चण्डीगढ़	405	असूचित
26. दादरा और नगर हवेली	249	273
27. दिल्ली	9628	2561
28. गोआ, दमन और द्वीव	16992	5541
29. लक्षद्वीप	312	196
30. मिजोरम	4169	3516*
31. पांडिचेरी	4834	1213
योग :	8895612	2129065

* सूचना नवम्बर, 1983 तक है।

वानिकी कार्यक्रमों के लिए विदेशी सहायता

423. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय और कुछ राज्यों ने राज्यों को वनों के विकास और वानिकी कार्यक्रमों के लिए कुछ मित्र देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों द्वारा आरम्भ किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और उनके मन्त्रालय द्वारा उन्हें अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) अब तक की राज्यवार उपलब्धियां क्या की गई हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज्यों को वनों तथा वानिकी कार्यक्रमों का विकास करने के लिए कुछ देशों की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।

(ख) तथा (ग) : राज्यों द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के ब्यौरे, उन्हें अब तक निर्मुक्त की गई वित्तीय सहायता तथा उपलब्धियां सभा पटल पर रखे गए विवरण में दी गई हैं। यह सहायता वित्त मन्त्रालय द्वारा निर्मुक्त की जाती है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना	क्रियान्वित करने वाला राज्य	सहायता देने वाला देश	करार की तारीख	वित्तीय सहायता (पाईप लाइन सहित)	पौध रोपण (परियोजना लक्ष्य)	की गई प्रगति
1.	भारत-जर्मन धौलाधार रेंज परियोजना	हिमाचल प्रदेश	संघीय जर्मन गणराज्य	13.5 80	0.88 मिलियन अमरीकी डालर	7000 हैक्टार	1200 हैक्टार
2.	सामाजिक वानिकी परियोजना	तमिलनाडु	स्वीडन	11.2.82	105.4 मिलियन एस०ई०कें०	1,76,450 हैक्टार +6075 कि० मी० +161.5 मिलियन पौध	86640 हैक्टार 53138 कि०मी० +49.1 मिलियन पौध
3.	सामाजिक वानिकी परियोजना	मध्य प्रदेश	अमरीका	30.9.81	4.76 मिलियन अमरीकी डालर	63450 हैक्टार	9888 हैक्टार
4.	सामाजिक वानिकी परियोजना	महाराष्ट्र	अमरीका	31.8.82	2.05 मिलियन अमरीकी डालर	80600 हैक्टार	5000 हैक्टार
5.	सामाजिक वानिकी परियोजना	उड़ीसा	स्वीडन	25.11.83	—	57600 हैक्टार + 51 मिलियन पौध	हाल ही में हस्ताक्षरित

टिप्पणी : 1 एस०ई०कें० (स्वीडन का क्रोनर) — 1.30 रुपए के लगभग

1 अमरीकी डालर —10.00 रुपए के लगभग

बड़ानाला मंझौली सिंचाई परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण

424. **श्री गिरिधर गोमांगों :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक उड़ीसा की बड़ानाला मंझौली सिंचाई परियोजना के लिए द्वितीय पंक्ति का ऋण प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी ऋण सहायता देना स्वीकार किया गया है तथा समझौते के बाद से अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) बड़ानाला सिंचाई परियोजना की स्वीकृति से लेकर 1983-34 तक उड़ीसा सरकार और विश्व बैंक ने बड़ानाला सिंचाई परियोजना के लिए कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की है; और

(घ) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है और 1984-85 के लिए क्या कार्यक्रम हैं तथा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के क्या प्रस्ताव हैं तथा इसे निर्धारित समय में पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी, हां। बड़ानाला सिंचाई परियोजना उन 18 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से एक है जिनको आई० डी० ए० से सहायता-प्राप्त उड़ीसा सिंचाई परियोजना (क्रेडिट सं० 740-आई०एन०) के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया है। 58 मिलियन अमरीकन डालर के क्रेडिट को चरण-एक के अंतर्गत पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया है। विश्व बैंक द्वारा क्रेडिट की दूसरी लाईन के अंतर्गत जिसमें 105 मिलियन अमरीकन डालर के क्रेडिट के लिए सितम्बर, 1983 में करार पर हस्ताक्षर हुए थे और जिसको 14 दिसम्बर, 1983 से प्रभावी घोषित किया गया है, 31 जनवरी, 1984 तक धनराशि का कोई उपयोग नहीं किया गया था।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार ने 1983-84 वर्ष तक इस परियोजना के लिए 1.58 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है जिसके पूरी तरह से उपयोग हो जाने की प्रत्याशा है। राज्य सरकार ने 1984-85 के लिए 35 लाख रुपए की व्यवस्था की है।

बन्धों, खुदाई और भराई के प्रारम्भिक कार्य पूर्ण हो चुके हैं और राज्य सरकार का 1984-85 में निर्माण-कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना को मार्च, 1988 तक पूर्ण किया जाना नियत है।

भारतीय खाद्य निगम में लगातार घाटा

425. **श्री सुभाष चन्द्र यादव :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने दिनांक 30 जनवरी, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार को देख लिया है जिसमें यह बताया गया है कि भारतीय खाद्य निगम को वर्ष 1981-82 के दौरान खाद्यान्नों को लाने ले जाने और भण्डरण में 118 करोड़ रुपये मूल्य के 6,60,000 टन खाद्यान्नों का नुकसान उठाना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो उक्त नुकसान का अलग-अलग ब्यौरा क्या है और किन केन्द्रों पर खाद्यान्नों की कमी पाई गई है; और

(ग) क्या उक्त नुकसान के बारे में कोई जांच की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 1981 के दौरान जहाज में मार्गस्थ कमियों सहित मार्गस्थ और भण्डारण में हानियों का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) मार्गस्थ और भण्डारण में खाद्यान्नों के स्टाक की कुछ हानि और क्षति अवश्य हो जाती है। वर्षा, बाढ़ों, तूफानों आदि अथवा लम्बे अर्से तक भण्डारण करने से किस्म में खराबी आ जाने, हैंडलिंग और संचलन में नुकसान हो जाने, नमी से नुकसान हो जाने आदि जैसे कई एक कारणों से ऐसा होता है। अपेक्षित जांच करने के बाद इस प्रकार के नुकसान के लिए तब जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है जब यह देखा जाता है कि नुकसान सामान्य कारणों से नहीं हुआ है और उपयुक्त सीमा से अधिक नुकसान को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई थी।

विवरण

वर्ष 1981-82 में जहाज में मार्गस्थ हानि सहित आवाजाही और भण्डारण में हुई हानि के क्षेत्रवार ब्यौरे बताने वाला विवरण

मात्रा हजार मीटरी टन में

मूल्य लाख रुपयों में

		जोड़	
क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	मात्रा	मूल्य
	1	2	3
1.	जम्मू तथा कश्मीर	12.73	219.14
2.	पंजाब	167.28	3122.60
3.	हरियाणा	2.26	45.64
4.	उत्तर प्रदेश	17.29	300.05

1		2	3
5.	दिल्ली	20·80	363·70
6।	राजस्थान	2·44	37·62
7.	हिमाचल प्रदेश	(—) 0·07	1.05
	जोड़ (उत्तर)	222·73	4087·70
8.	आन्ध्र प्रदेश	36·53	631·81
9.	तमिलनाडु	14·65	248.42
10.	कर्नाटक	12·63	229.14
11.	केरल	28·90	525·66
12.	पोर्ट अफिास मद्रास	(—) 5.05	(—) 72·63
13.	पोर्ट आफिस विजाग	(—) 1·05	(—) 12.31
	जोड़ (दक्षिण)	86·61	1550·09

(मात्रा हजार मीटरी टन में)
मूल्य लाख रुपयों में

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	जोड़ मात्रा	मूल्य
14.	मध्य प्रदेश	31.02	551·82
15.	महाराष्ट्र	52·40	935.07
16.	गुजरात	9·48	164·37
17.	पोर्ट आफिस कांडला	0·28	6·45
	जोड़ (पश्चिम)	93·18	1657·71
18.	पोर्ट आफिस कलकत्ता	35.41	611.55
19.	असम	31·53	560·61

1		2	3
20.	बिहार	47·05	820·00
21.	उड़ीसा	12·30	206·30
22.	एन० ई० एफ०	7·20	126·10
23.	पश्चिमी बंगाल	124·35	2257·28
	जोड़ (पूर्वी)	257·84	4581·84
	सकल जोड़	660·36	11877.34

केरल में खाद्यान्नों का बफर स्टाक बनाना

426. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में भारतीत खाद्य निगम द्वारा बफर स्टाक तथा थोक और खुदरा दुकानें बनाने के लिए कहा है ताकि बिना किसी गतिरोध के राशन की उचित सप्लाई सुनिश्चित की जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने केरल में राशन की अबाध सप्लाई के लिए वहां अधिक भण्डार बनाने की दिशा में कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (घ) केरल सरकार ने अनुरोध किया था कि उनके राज्य में चावल का पर्याप्त स्टाक रखा जाना चाहिए। खाद्यान्नों के बफर स्टाक को अखिल भारत आधार पर रखा जाता है और केरल सहित विभिन्न राज्यों को प्रत्येक मास पर्याप्त मात्रा में चावल/गेहूं भेजा जाता है और उन्हें भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखा जाता है ताकि केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए मासिक आवंटनों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

केरल को पामोलीन का आबंटन

427. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि केरल में नारियल का तेल, जो कि वहां मुख्य रूप से खाया जाता है, की कीमतों में सतत वृद्धि के रुख को देखते हुए वह पामोलीन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए केरल को पामोलीन का वर्तमान मासिक आबंटन अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष जुलाई से केरल को किये गये उक्त तेल के मासिक आबंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त तेल की बढ़ती मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) केरल को आयातित खाद्य तेलों के आबंटन में काफी वृद्धि की गई है। केरल को आयातित तेलों का किया गया मास-वार आबंटन नीचे दिया गया है :—

मास	आबंटित मात्रा मी० टनों में	
	पामोलीन	सोयाबीन तेल
जुलाई, 1983	3,325	——
अगस्त, 1983	3,325	——
सितम्बर, 1983	4,300	——
अक्तूबर, 1983	5,000	——
नवम्बर, 1983	5,000	——
दिसम्बर, 1983	5,000	——
जनवरी, 1984	5,000	——
फरवरी, 1984	3,000	2,000
	33,950	2,000

(ग) मार्च, 1984 के लिए सोयाबीन के तेल की 500 मी० टन अतिरिक्त मात्रा का आबंटन अनुमोदित किया गया है, जिससे उस महीने के लिए आयातित तेलों के आबंटन की कुल मात्रा 5,00 मीटरी टन हो गयी है।

सूखाप्रवण जिलों में कृषि विकास

428. **श्री नित्यानन्द मिश्र :** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूखा प्रवणजिलों में कृषि विभाग पर अधिक बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में किन-किन जिलों को सूखाप्रवण पाया गया है;

(ग) इन जिलों के (राज्यवार) कृषि विकास तथा सूखा राहत के लिए कितना केन्द्रीय आवंटन किया गया है; और

(घ) उड़ीसा में सूखाग्रस्त जिलों में आरम्भ किए गए अथवा आरम्भ किए जाने वाले कृषि विभाग कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालन के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : ब्यौरे संलग्न विवरण 1 तथा 2 में दिए गए हैं।

(घ) उड़ीसा में यह कार्यक्रम शुष्क भूमि पर कृषि का विकास करके, भूमि तथा नमी संरक्षण की सुधरी हुई पद्धतियों को अपना कर तथा इन क्षेत्रों के जल संसाधनों को विकसित करके और उनका उत्पादी उपयोग करके कृषि फसलों की उत्पादकता को सुधारने तथा उसे स्थिर करने के लिए है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वनरोपण तथा बागवानी का विकास अन्य मुख्य सम्बन्ध गतिविधियां हैं।

विवरण-I

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम का कार्य क्षेत्र

राज्य	जिला	कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल खण्डों की संख्या
1	2	3
1. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम :		
1. आन्ध्र प्रदेश	1. अनन्तपुर	16
	2. चित्तूर	8
	3. कुड्डापा	6

1	2		3
	4. महबूबनगर		12
	5. कुरनूल		13
	6. प्रकासम		9
	7. रंगारेड्डी		2
		उपयोग	66
2. बिहार	1. पलामू		24
	2. संथाल परगना		7
		उपयोग	31
3. गुजरात	1. अहमदाबाद		2
	2. अमरेली		8
	3. भावनगर		3
	4. जामनगर		2
	5. कच्छ		7
	6. पंचमहल		7
	7. राजकोट		4
	8. सुरेन्द्र नगर		9
		उपयोग	42
4. हरियाणा	1. मोहिन्दरगढ़		9
		उपयोग	9
5. जम्मू तथा काश्मीर	1. डोडा		8
	2. ऊधमपुर		5
		उपयोग	13

1	2	3
6. कर्नाटक	1. बीजापुर	11
	2. बेल्लारी	5
	3. बेलगांव	4
	4. चित्रदुर्गा	6
	5. धारवाड़	14
	6. कोलार	9
	7. टुम्कुर	6
	8. गुलबर्गा	8
	9. बीदार	3
	10. रायचूर	4
	उपयोग	70
7. मध्य प्रदेश	1. खरगांव	7
	2. झबुआ	12
	3. शाहदोल	5
	4. धार	8
	5. सिधी	8
	6. बेतुल	8
	उपयोग	48
8. महाराष्ट्र	1. अहमद नगर	8
	2. शोलापुर	9
	3. नासिक	8
	4. सांगली	5
	5. सतारा	4

1	2		3
	6. धुले		4
	7. औरंगाबाद		4
	8. जालना		1
	9. जलगांव		4
	10. बीड़		6
		उपयोग	53
9. उड़ीसा	1. फूलवनी		14
	2. कालाहांडी		11
	3. बोलनगीर		8
	4. सम्बलपुर		6
		उपयोग	39
10. राजस्थान	1. अजमेर		2
	2. बंसवाड़ा		8
	3. डूंगरपुर		5
	4. उदयपुर		3
		उपयोग	18
11. तमिल नाडु	1. धर्मपुरी		10
	2. रामनाथपुरम		16
	3. पुड्कोट्टई		4
		उपयोग	30
12. उत्तर प्रदेश	1. मिर्जापुर		10
	2. बांदा		10
	3. जालौन		3

1	2	3
	4. हमीरपुर	5
	5. झाँसी	3
	6. ललितपुर	2
	7 बहराइच	14
	8. गोंडा	5
	9. खीरी	8
	10. सीतापुर	3
	उपयोग	63
13. पश्चिम बंगाल	1. पुरुलिया	17
	2. मिदनापुर	7
	3. बांकुरा	5
	उपयोग	29
	कुल योग	511

विवरण-II

वर्ष 1988-84 के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय आवंटन तथा सूखाराहत हेतु संस्वीकृत केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण।

(करोड़ रुपये में)

राज्य	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 1983-84 हेतु केन्द्रीय आवंटन	+1983-84 के दौरान सूखा राहत हेतु सस्वीकृत केन्द्रीय सहायता	
		संस्वीकृत सहायता की कुल अधिकतम सीमा•	कृषि क्षेत्र हेतु संस्वीकृत सहायता
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश.	4.95	28.26	3.24
2. बिहार	2.32	8.98	—

1	2	3	4
3. गुजरात	3.15	9.18	—
4. हरियाणा	0.68	—	—
5. जम्मू तथा कश्मीर	0.98	—	—
6. कर्नाटक	5.25	14.00	0.86
7. मध्य प्रदेश	3.60	22.29	—
8. महाराष्ट्र	3.98	11.63	3.80
9. उड़ीसा	2.92	24.65	7.00
10. राजस्थान	1.35	39.85	1.93
11. तमिल नाडु	2.25	59.15	4.64
12. उत्तर प्रदेश	4.72	1.57	1.00
13. पश्चिम बंगाल	2.18	30.59	2.42
कुल	38.33	250.15	24.89

+-सूखा राहत अभाव राहत कार्यों के अन्तर्गत दी गई है।

राजस्थान से जल प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश की कठिनाई

429. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मध्यप्रदेश की चम्बल कमान एरिया में वर्षों से राजस्थान से अपने पानी का हिस्सा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है; और

(ख) क्या यह सच है कि सिंचाई के लिए राजस्थान द्वारा समय पर तथा उपयुक्त मात्रा में मध्य प्रदेश को जल की सप्लाई न करने के कारण मध्यप्रदेश सरकार को कानून और व्यवस्था की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) यह शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि मध्यप्रदेश को पारवती जलवाहिनी से आगे दक्षिण तट नहर से उनकी सीमा में चम्बल के जल से उनके भाग की अपेक्षित मात्रा में एवं समय पर सप्लाई नहीं मिल रही है। इसी प्रकार, संयुक्त चम्बल परियोजना से लाभान्वित होने वाला दूसरा राज्य नामत: राजस्थान

को भी यह शिकायत रही है कि मध्यप्रदेश गांधीसागर बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में लघु और मध्यम जल-संचयन जलाशयों का निर्माण कर रहा है और इस तरह से जलाशय में जल के प्रवाहों में रुकावट डाल रहा है। बहरहाल, मध्य प्रदेश को जल की सामयिक कम सप्लाई प्रप्त होने के कारण उनकी पेश आ रही कानून और व्यवस्था की समस्या के सम्बन्ध में उनसे कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इन मामलों को सुलझाने के उद्देश्य से केन्द्र दोनों राज्यों के साथ अधिकारी स्तर पर विचार विमर्श करता रहा है और अभी हाल ही में जनवरी, 1984 में हुई बैठक में दोनों राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने यह प्रस्ताव किया था कि चम्बल नहर से मध्य प्रदेश को समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में जल की सप्लाई की समस्या को वे स्वयं देख लेंगे।

फील्ड एजेन्सी के लिए मध्य प्रदेश राजस्थान अन्तर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड समझौता

430. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियमित सप्लाइ के लिए मध्य प्रदेश राजस्थान अन्तर्राज्यीय नियन्त्रण बोर्ड ने अपनी 30 दिसम्बर, 1982 की बैठक में जल नियमन के लिए एक फील्ड एजेंसी स्थापित करने का समझौता किया है; और

(ख) क्या जल नियमन के लिए इस फील्ड एजेंसी की स्थापना हो गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार मध्यप्रदेश राजस्थान अन्तर्राज्यीय नियन्त्रण बोर्ड ने, जो अन्य बातों के साथ चम्बल परियोजना के संचालन का कार्य भी देखता है, चम्बल जल के नियमन के लिए एक स्वतंत्र फील्ड एजेंसी को अभी तक स्वीकृति नहीं दी है। तथापि, एक स्थायी समिति है, (जो स्थायी समिति सं० 2 कहलाती है) जिसमें दोनों राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो दोनों राज्यों को जल के नियमन के कार्य को देखती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कम आय वाले लोगों के लिए आवासों का निर्माण

431. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कम आय वाले लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, के लिए आवास और निर्माण की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस योजना का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवास और शहरी विकास निगम द्वारा राज्यवार, योजनाओं तथा ऋण के ब्यौरे सहित क्या सहयोग दिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) आवास राज्य का विषय है। बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अलावा, विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सामाजिक आवास योजनाओं का कार्यान्वयन अपनी-अपनी योजनाओं के अंग के रूप में किया जा रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनें अपनी-अपनी आवश्यकताओं एवम् प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी-अपनी अनुमोदित योजना नियतनों के भीतर इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में स्वतन्त्र हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए ग्रामीण आवास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना भी जो संशोधित 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का अंग है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत उद्दिष्ट निधियों में से कार्यान्वित की जा रही है। छठी योजना का लक्ष्य लगभग 68 लाख ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक परिवारों का आवास स्थल और लगभग 36 लाख ऐसे परिवारों को निर्माण सहायता देने का प्रावधान है जिन्हें पहले ही स्थल आबंटित किए गए हैं। राज्यवार ब्यौरे विवरण I में दिए गए हैं।

(ग) 1977-78 से और 31-1-1984 की स्थिति के अनुसार, आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) ने जो एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए लगभग 7.84 लाख रिहायशी एककों के निर्माण के लिए कुल 368 ग्रामीण आवास योजनाएं मंजूर की हैं। इस प्रयोजनार्थ इसने 136.88 करोड़ रुपये की ऋण राशि मंजूर की है। राज्यवार ब्यौरे विवरण II में दिए गए हैं।

विवरण I

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	छठी योजना (1980-85) के लिए निर्धारित लक्ष्य आवास स्थल का प्रावधन	निर्माण सहायता
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	11,10,000	4,90,000
2.	असम	2,30,000	70,000
3.	बिहार	16,80,000 (1)	6,00,000
4.	गुजरात	2,00,000	1,53,000
5.	हरियाणा	1,20,000	80,000
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य (2)	शून्य

1	2	3	4
7.	जम्मू कश्मीर	10,000	5.000
8.	कर्नाटक	3,50,000	3,00,000
9.	केरल	2,70,000	90,000
10.	मध्य प्रदेश	3,50,000	2,78,000
11.	महाराष्ट्र	90,000	1,13 000
12.	उड़ीसा	3,20,000	1.28,000
13.	पंजाब	60,000	88,000
14.	राजस्थान	1,90,000	2.35,000
15.	तमिलनाडु	13,20,000	4,60.000
16.	त्रिपुरा	20,000	13,000
17.	उत्तर प्रदेश	3,70,000	4,03,000
18.	पश्चिम बंगाल	60 000	85,000
19.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	4,000	1000
20.	दिल्ली	10 000	3,000
21.	पांडिचेरी	10,000	3,000
	योग	67,74,000	35,98,000

(1) राज्य सरकार का अनुमान 2,91,000 लाख परिवार है।

(2) राज्य सरकार 5,304 आवास स्थल मुहैया करके अपना लक्ष्य पूरा करने के योग्य हो गया है। अतः लक्ष्य शुन्य है।

(3) यह योजना शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नहीं चल रही है।

विवरण II

राज्य	योजना की संख्या	स्वीकृत ऋण (करोड़ रुपयों में)	स्वीकृत रिहायशी एकक
1. आन्ध्र प्रदेश	46	18.54	104615
2. बिहार	18	6.00	30000
3. गुजरात	69	22.32	138407
4. हरियाणा	2	0.63	3161
5. कर्नाटक	70	27.36	235900
6. केरल	37	26.68	120600
7. मध्य प्रदेश	31	3.63	18366
8. महाराष्ट्र	19	1.64	12181
9. उड़ीसा	7	5.50	20000
10. पंजाब	12	5.25	25241
11. राजस्थान	33	8.85	29496
12. तमिलनाडु	24	10.48	45787
योग	368	136.88	783754

उड़ीसा में पारादीप में मछली पकड़ने के बन्दरगाह

432. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1984-85 के दौरान उड़ीसा में पारादीप में मछली पकड़ने के लिये बन्दरगाह का निर्माण करने की परियोजना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना के लिये सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) उक्त परियोजना के तेजी से क्रियान्वयन के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) पारादीप में मछली पकड़ने के लिए बन्दरगाह का निर्माण करने के लिए स्थान के चुनाव को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय वन नीति

433. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनों के संरक्षण और साथ-साथ आदिवासियों और अपने जीवन-यापन के लिये जंगलों पर निर्भर रहने वाले अन्य पहाड़ी लोगों के हितों की रक्षा तथा उन्हें शोषण से बचाने के लिये कोई व्यापक राष्ट्रीय वन नीति की संक्षिप्त रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा ऐसी कोई व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाई जाएगी; और

(घ) ऐसा करने की संभावित तारीख क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) मौजूदा नीति के ये उद्देश्य हैं :—

(1) संतुलित और पूरक भूमि उपयोग प्रणाली का विकास करना।

(2) भूमि कटाव की रोकथाम करना।

(3) वृक्ष भूमि की स्थापना करना।

(4) चारा, कृषि उपस्करों के लिए छोटी लकड़ी और जलावन लकड़ी की सप्लाई में वृद्धि करना।

(5) राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की सतत सप्लाई करना।

(6) अधिकतम वार्षिक राजस्व की वसूली करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुरूप हैं। नीति में यह भी निर्धारित है कि

(1) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के उत्पादक और संरक्षक दोनों ही स्वरूपों में भूमि को ध्यान में रखते हुए भूमि पर मूलभूत अधिकार राज्य का है।

(2) स्थानीय जन संख्या की आवश्यकताओं को एक संगत सीमा तक तो पूरा किया जाए, लेकिन न तो राष्ट्रीय हितों का बलिदान किया जाए और न ही भावी पीढ़ी के अधिकारों और हितों को वर्तमान पीढ़ी की अदूरदर्शता के अधीन रखा जाए।

(ग) और (घ) इस नीति के संशोधन पर सरकार विचार कर रही है और शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी।

पेयजल सप्लाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाई गई जनसंख्या का प्रतिशत

434. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में 1 जनवरी, 1984 तक विभिन्न पेयजल सप्लाई, कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुल और कितनी प्रतिशत जनता को लाया गया है;

(ख) (एक) प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में कितने समस्याग्रस्त गांवों, (दो) 31 मार्च, 1984 तक प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र की कुल कितनी जनसंख्या को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने हेतु प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) 1984-85 (वार्षिक योजना) में इस काम के लिये कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) 1-4 1980 की स्थिति के अनुसार पता लगाये गये समस्याग्रस्त ग्रामों की कुल जनसंख्या तथा 30 सितम्बर, 1983 की स्थिति के अनुसार पेय जल पूर्ति कार्यक्रमों से लाभान्वित की गई समस्याग्रस्त ग्रामों की जनसंख्या के ब्यौरे विवरण-I में दिये गये हैं। 1-1-1984 की स्थिति के अनुसार लाभान्वित की गई जनसंख्या के सम्बन्ध में सूचना सुलभता से उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या 31-3-1983 तक लाभान्वित किए गए समस्या ग्रस्त ग्रामों की संख्या और वर्ष 1983-84 के लिए लक्ष्य विवरण II में दिया गया है। जनसंख्या लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) वर्ष 1984-85 के लिए नियतन को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण I

ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम छठी योजना

सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल की पूर्ति

(जनसंख्या हजारों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	छठी योजना (1-4-80) के आरम्भ में पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्राम		30-9-83 तक पेय जल मुहैया कराए गए समस्याग्रस्त ग्राम		30-9-83 तक लाभान्वित की गई जनसंख्या	
	समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या	जनसंख्या (1971 की जनगणना)	ग्रामों की संख्या	लाभान्वित प्रतिशत	जनसंख्या (1971 की जनगणना)	लाभान्वित प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	8,206	11,695.00	5,617*	68.45	6,697.17	57.27
2. असम	15,743	8,591.00	4,614	29.31	2,863.20	33.33
3. बिहार	15,194	12,214.35	9,584*	63.08	8,624.49	70.71
4. गुजरात	5,318	3,821.00	1,923*	36.16	1,484.69	38.86
5. हरियाणा	3,440	4,363.00	1,071	31.13	1,437.00	32.94

1	2	3	4	5	6	7
6. हिमाचल प्रदेश	7,815	1,388.10	3,822	48.91	699.68	50.41
7. जम्मू तथा कश्मीर	4,698	2,296.92	1,088	23.16	537.95	23.42
8. कर्नाटक	15,456	10,914.00	11,845*	76.64	6,833.67	62.61
9. केरल	1,158	14,030.50	316*	27.29	867.49	6.18
10. मध्य प्रदेश	24,944	13,545.18	19,131*	76.70	6,768.23**	49.27**
11. महाराष्ट्र	12,935	15,735.56	8,311**	64.23	8,287.79	52.67
12. मणिपुर	1,212	612.18	477*	39.96	379.21	59.98
13. मेघालय	2,927	616.00	331	11.31	90.09	14.63
14. नागालैण्ड	649	278.99	253	38.98	119.89	43.60
15. उड़ीसा	23,616	13,541.00	11,556*	48.93	4,378.97***	39.72**
16. पंजाब	1,767	2,087.00	252	14.26	344.00	16.48
17. राजस्थान	19,80उ	11,380.00	11,798*	59.58	6,589.87	58.21
18. सिक्किम	296	134.77	133*	44.93	39.58	29.37

1	2	3	4	5	6	7
19. तमिलनाडु	6,649	12,610.98	4,865*	73.17	9,899.80	78.50
20. त्रिपुरा	2,800	827.00	1,589	56.75	484.48	58.58
21. उत्तर प्रदेश	28,505	12,582.00	18,918*	38.30	8,674.51	68.94
22. पश्चिम बंगाल	25,243	25,232.00	6,349	25.15	1,698.63छ	7,01छ
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	173	58.58	83	47.98	25.90	44.22
24. अरुणाचल प्रदेश	1,740	178.00	849	48.79	156.75ह	88.06 ह
25. चण्डी गढ़	—	—	—	—	—	—
26. दिल्ली	99	137.90	39	89.90	130.50	94.63
27. दादा तथा नागर हवेली	—	—	—	—	—	—
28. गोआ दमण तथा दीव	66	107.17	41	62.12	67.60	63.08
29. लक्ष द्वीप	—	—	—	—	—	—
30. मिजोरम	214	256.60	49	22.90	88.69	34.56

1	2	3	4	5	6	7
31. पांडिचेरी	118	67.00	82	69.49	58.66	87.55
	2,30,784	1,78,257.77	1,18,046	50.72	79,328.49	44.50

*आंशिक रूप से लाभान्वित किए गए समस्याग्रस्त ग्राम भी शामिल हैं।

**इसमें 6,374 समस्ना ग्रस्त ग्रामों की लाभान्वित की गई जनसंख्या शामिल नहीं है।

***इसमें 1,439 समस्या ग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित की गई जनसंख्या शामिल है।

छ इसमें 3,213 समस्याग्रस्त ग्रामों की लाभान्वित की गई जनसंख्या शामिल नहीं है।

ह इसमें 59 समस्याग्रस्त ग्रामों की लाभान्वित की गई जनसंख्या शामिल नहीं है।

विवरण II

ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम

लोक सभा के दिनांक 27-2-84 के अतारांकित प्रश्न संख्या 434 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल की पूर्ति—छठी योजना

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छठी योजना के आरम्भ में पता लगाए गए समस्या-ग्रस्त ग्रामों की संख्या	1980-81 से 1982-83 (3 वर्ष) के दौरान जलपूर्ति मुहैया कराए गए समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या	1983-84 के दौरान जलपूर्ति मुहैया कराने का लक्ष्य समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	8,206	5,160*	1,478*
असम	15,743	3,839	2,380
बिहार	15,194	8,375*	2,760*
गुजरात	5,318	1,818*	1,000*
हरियाणा	3,440	885	355
हिमाचल प्रदेश	7,815	3,366	800
जम्मू तथा कश्मीर	4,698	1,027	460
कर्नाटक	15,456	10,469*	7,728**
केरल	1,158	274*	200
मध्य प्रदेश	24,944	17,963*	6,000
महाराष्ट्र	12,935	7,919*	3,563
मणिपुर	1,212	447*	145
मेघालय	2,927	315	415

1	2	3	4
नागालैण्ड	649	229	80
उड़ीसा	23,616	8,795*	5,060*
पंजाब	1,767	207	125
राजस्थान	19,803	10,056*	3,200*
सिक्किम	296	102	88*
तमिलनाडु	6,649	4,410*	1400
त्रिपुरा	2,800	1,349	633
उत्तर प्रदेश	28,505	7,401*	8,000*
पश्चिम बंगाल	25,243	6,166छ	*2,400
अण्मान तथा निकोबार द्वीपसमूह	173	61*	63
अरुणाचल प्रदेश	1,740	790	430
चण्डीगढ़	—	—	—
दिल्ली	99ह	77	जह ट
दादर तथा नागर हवेली	—	— —	—
गोआ दमण तथा दीव	66	38	14
लक्ष द्वीप	—	—	—
मिजोरम	214	43	39
पांडिचेरी	118	78	|30
योग	2,30,784	1,08,659	48,846

*इसमें आंशिक रूप से लाभान्वित किए गए समस्याग्रस्त ग्राम शामिल हैं।

**इसमें गत वर्ष के आंशिक रूप से लाभान्वित किए गए वे समस्याग्रस्त ग्राम शामिल हैं जिन्हें अब पूर्ण रूप लाभान्वित किया गया है।

छ न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थल स्रोतों के जिला परिषद कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 और 1981-82 के दौरान लाभान्वित किए गए ग्राम शामिल नहीं हैं ।

ह 3 समस्याग्रस्त ग्रामों को दिल्ली विकास प्राधिकरण को अन्तरित कर दिया गया है और सात समस्याग्रस्त ग्रामों को छोड़ दिया गया है ।

ट 1982-83 में लाभान्वित किया गया, 1983-84 में बताया गया ।

खतरनाक कृमिनाशक औषधियों का आयात

435. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान हमारे देश ने कितनी मात्रा में कृमिनाशक औषधियों का आयात किया और उन कृमिनाशक औषधियों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) निर्यातक देशों के उत्पाद-वार और देशवार नाम क्या-क्या थे ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ कृमिनाशक औषधियों पर उन देशों में प्रतिबन्ध था ;

(घ) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) निकट भविष्य में ऐसी कृमिनाशक औषधियों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) जैसा कि वाणिज्यिक और सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता के प्रकाशन "मन्थली स्टैटिस्टिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इण्डिया" में किया गया है, सभी प्रयोजनों के लिए कृमिनाशी औषधियों की निम्न-लिखित मात्रा, जिनमें कीटनाशी, फफूंदीनाशी और खरपतवार नाशी औषधियां आदि शामिल हैं, वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान आयात की गई थी :—

वर्ष	मीटरीं टन में मात्रा
1980-81	14,454
1981-82	4,915

वर्ष 1982-83 के लिए सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी ।

आयात, आयातित कृमिनाशी औषधियों के नाम और उनका निर्यात करने वाले देशों के विषय में सूचना 'मन्थली स्टैटिस्टिक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इण्डिया-वाल्यूम 2-"इम्पोर्टस" में प्रकाशित की जाती है । इसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध कराई जाती हैं । वास्तविक आयात पर आंकड़े केवल 1980-81 के लिये ही उपलब्ध हैं । उस वर्ष के बाद आंकड़े अभी

प्रकाशित नहीं किये गए।

(ग) से (ङ.) उपलब्ध सूचना के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ देशों ने बी० एच० सी०, सोडियम सायानाइड, टोक्साफीन, डी० बी० सी० पी०, डाइलड्रिन, एल्ड्रिन, 2, 4,-5 टी० जैसी कृमिनाशी औषधियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में ही कुछ देशों ने एल्ड्रिन, क्लोरडेन, हेप्टाक्लोर 2-4, डी० क्लोरबेंजिलेट, डी० डी० टी० जैसी कुछ कृमिनाशी औषधियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के कुछ देशों में डी० डी० टी०, एल्ड्रिन, हेक्टाक्लोर हैक्साक्लोरोबेन्जिन डाइलड्रिन, क्लोरडेन एल्ड्राइन आदि जैसी कृमिनाशी औषधियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने भी 18 कृमिनाशी औषधियों के जहरीले प्रभाव को ध्यान में रखते हुये उनके पंजीकरण के लिए मंजूरी नहीं दी है।

देश में केवल उन कीटनाशी औषधियों का आयात करने की अनुमति दी जाती है, जिनका पंजीयन समिति के पास विधिवत रूप से पंजीकरण किया जाता है तथा जिनको पंजीकरण प्रदान करने से पहले समिति उस उत्पाद की सुरक्षा तथा जैविक क्षमता के विषय में स्वयं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती है। केन्द्रीश कीटनाशी औषधि बोर्ड के परामर्श पर कीटनाशी गुण रखने वाले प्रत्येक रसायन को भारत सरकार द्वारा राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा कीटनाशी औषधि अधिनियम, 1968 की अनुसूची में शामिल किया जाता है। कीटनाशी औषधि अधिनियम की अनुसूची में शामिल किये जाने के पश्चात उस रसायन को भारत की कीटनाशी औषधि मान लिया जाता है। कोई व्यक्ति जो किसी कीटनाशी औषधि को अन्य देशों से आयात करना या देश में ही निर्माण करना चाहता है, जो पंजीयन समिति के पास आवेदन करना पड़ता है और एक पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना पड़ता है। पंजीयन समिति, जिसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, कृमिनाषीं औषधियों का पंजीकरण करती है तथा विचाराधीन कीटनाशी औषधियों की प्रभावोत्पादकता तथा मनुष्यों और पशुओं की इससे सुरक्षा के विषय में संतुष्ट हो जाने के पश्चात एक पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करती है। मनुष्यों या पशुओं के लिए हानिकारक/खतरनाक समझी गई कीटनाशी औषधि के विषय में पंजीयन समिति द्वारा पंजीकरण की स्वीकृति नहीं दी जाती। अनुसंधान और प्रयोग के प्रयोजनों के हेतु किसी कीटनाशी औषधि की थोड़ी सी मात्रा का आयात करने के लिए भी पंजीयन समिति की अनुमति लेना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, सीमा-शुल्क प्राधिकारी किसी भी पार्टी को भेजी गई कीटनाशी औषधियों के किसी भी परेषित माल को तब तक मंजूरी नही देते जब तक की वैद्य पंजीकरण प्रमाण-पत्र न दिखाया जाये। इन सभी नियंत्रणों से सुनिश्चित होता है कि केवल वही कीटनाशी औषधियां देश में आयात की जाती हैं। जिनकी प्रभावोत्पादकता तथा सुरक्षा के विषय में पूरी तरह से संतुष्ट हो जाने के पश्चात पंजीयन समिति द्वारा पंजीकरण किया जाता है।

हिमालय की परिस्थिति की व्यवस्था में हस्तक्षेप

436. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोगों द्वारा बहुमूल्य पेड़ों के अंधाधुंध काटने और खुदाई करने

के कारण हिमालय की जीवनदायी परिस्थिति की व्यवस्था में हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी हानिकर गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन हानिकर गतिविधियों को बन्द करने हेतु क्या विशेष उपाय किये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :(क) से (ग) हिमालय क्षेत्र की पारिस्थितकीय के कुछ भागों में वृक्षों की कटाई, खान कार्यकलापों तथा अन्य घटकों के कारण क्षति हुई है। तथापि, बाद में विशेषकर इस क्षेत्र के वन क्षेत्रों में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए अनेक उपाय किये गए हैं। अधिक महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिये गए हैं।

(1) योजना आयोग द्वारा पहाड़ी राज्यों को केन्द्रीय सहायता के लिए विशेष क्षेत्र समझा गया है। पांचवीं पंच वर्षीय योजना में कुल योजना परिव्यय 447 करोड़ रुपये था, जो छटी पंच वर्षीय योजना में बढ़ाकर 3915 करोड़ रुपये हो गया है।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया जाना,

(3) राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त कानून बनाने सहित वन संसाधनों का संरक्षण करने के लिए संरक्षण उपायों में वृद्धि करना।

(4) क्षेत्र में निम्नलिखित वन रोपण और मृदा संरक्षण उपाय शुरू करना:—

(1) नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्र में मृदा संरक्षण।

(2) बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित जल विभाजक प्रबन्ध।

(3) हिमालय के क्षेत्र में मृदा जल और वृक्ष संरक्षण।

(4) ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के वृक्षारोपण सहित सामाजिक वानिकी।

(5) उत्तर प्रदेश में हिमालय क्षेत्र में जल विभाजक प्रबन्ध परियोजना।

(6) उन्नत भू-उपयोग पद्धतियों को अपना कर और

(7) वनों के प्रबन्ध के लिए मानदण्ड निर्धारित करना।

उद्योग के लाभ के लिए रक्षित वन

437 **श्री के० ए० स्वामी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उद्योग के लाभ के लिए "रक्षित वनों" के सम्बन्ध में कोई नीति निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सफेदे के पेड़ों का लगाया जाना

438. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रधान मन्त्री द्वारा हाल ही में कृषि योग्य भूमि में सफेदे के पेड़ों के लगाए जाने और उसके हानिकारक प्रभावों के बारे में दीं गई चेतावनी से अवगत हैं ;

(ख) क्या सरकार प्रधान मन्त्री द्वारा नीम के विभिन्न लाभों के देखते हुए उन्हें लगाए जाने को प्रोत्साहन देने के सुझाव से अवगत हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या मन्त्रालय अपनी वन तथा सामाजिक वानिका नीतियों और योजनाओं और प्रकृति, प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और परिस्थिति के संरक्षण के लिए विशेष ध्यान देकर कार्यवाही की योजना को अद्यतन बनाने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) जी, हाँ।

(ग) तथा (घ) परिस्थिति की संतुलन को बनाये रखने के लिए संशोधित राष्ट्रीय वन नीति में संरक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए इन्हें भी सम्मिलित किया गया है। संशोधन नीति विचाराधीन है।

मछली उत्पादन

439. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980, 1981, 1982, 1983 के दौरान और जनवरी, 1984 तक देश में कुल कितना और कितने मूल्य का मछली उत्पादन हुआ ;

(ख) उपर्युक्त वर्षों के दौरान समुद्र और देश के विभिन्न जल स्रोतों से पृथक-पृथक कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) कितनी मात्रा में मछली का निर्यात किया गया और इसका मूल्य क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(1) उत्पादन तथा निर्यात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:—

उत्पादन वर्ष	लाख मीटरी टन में समूद्री	अअन्तंदेशी	योग	उत्पादन की अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	समुद्री उत्पादों का निर्यात मात्रा मीटरी टन में	मूल्य करोड़ रुपए
1980	15.6	8.9	24.4	956.8	74,542	218.9
1981	14.4	10.0	24.4	1060.2	75,375	286.7
1982 (अनान्तम)	14.4	8.9	23.3	1211.1	75,136	342.2
1983 (जनवरी— नवम्बर सिर्फ)	·········अभी उपलब्ध नहीं			·········अभी उपलब्ध नहीं	77,511	331.5

(2) उत्पादन के आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रिपोर्टों पर आधारित हैं। उत्पादन की लागत केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए राष्ट्रीय आय के अनुमानों पर आधारित हैं।

(3) 1982 में अन्तंदेशीय मछली उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण इस वर्ष सख्त सूखा पड़ना है।

उत्तर प्रदेश को बाढ़ सहायता

440. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1983 में आई बाढ़ के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य को दी गई केन्द्रीय आर्थिक सहायता का ब्यौरा क्या है।

(ख) 1983 में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धनराशी दी गई है और राज्य सरकार द्वारा स्वयं इसके लिए स्वयं कितनी धनराशी जुटाई ;

(ग) उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायुं जिलों को इस वर्ष आई बाढ़ के कारण कितना नुकनान उठाना पड़ा है और उसके लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कुल कितनी सहायता दी गई है ;

(घ) सरकार का विचार, बाढ़ से प्रभावित उन गाँवों को जिनको कोई सहायता नहीं दी गई है ; कितनी धनराशी की सहायता देने का विचार है और यह सहायता कब तक दे दी जाएगी ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार, कृषि से संबंधित भू-राजस्व और अन्य करों की वसूली को छोड़ देने और स्थगित करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बाढ़ से राहत के लिए 1983-84 के दौरान मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा के संबंध में राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिये गए हैं।

(ख) बाढ़ से राहत के लिए उत्तर प्रदेश को वर्ष 1983-84 के दौरान 65.0 करोड़ रुपए (जिनमें 1984-85 के लिए 9.35 करोड़ रुपए भी शामिल हैं) की अधिकतम केन्द्रीय सहायता की मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार को अधिकतम व्यय सीमा के 25 प्रतिशत भाग की पूर्ति अपने संसाधनों के जरिये करनी होगी।

(ग) तथा (घ) इन जिलों को पहुंचे नुकसान के सम्बन्ध में, जैसा कि राज्य सरकार ने अपने ज्ञापन में सूचित किया है, नीचे दिया गया है:—

	बरेली	बदायूं
1. प्रभावित ग्रामों की संख्या	120	328
2. प्रभावित जनसंख्या (लाख)	0.40	2.16
3. प्रभावित सस्यगत क्षेत्र (हैक्टार)	1252	33,215
4. क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	280	543
5. मृत व्यक्तियों की संख्या	1	—
6. गुमशुदा मवेशियों की संख्या	2	8

इन दो जिलों में हुए नुकसान (रुपए के रूप में) के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है। राज्य को केन्द्रीय सहायता की मंजूरी कुल मिलाकर दी जाती है। राज्य सरकार बाद में स्थिति की गंभीरता के आधार पर विभिन्न जिलों को धनराशी का आबंटन करती है। राहत कार्यों पर होने वाले व्यय पर नियंत्रण रखना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

(ङ) राज्य सरकार कृषि से सम्बन्धित भू-राजस्व तथा अन्य करों आदि की वसूली को छोड़ने और स्थगित करने के लिए स्वतन्त्र हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन, जिसमें बाढ़ राहत सहायता की मांग की गई है, के अनुसार भू-राजस्व तथा कृषि सम्बन्धी देय अन्य धनराशि की वसूली का कार्य स्थगित कर दिया गया है।

विवरण

1983-84 के दौरान बाढ़, चक्रवात आदि के लिए मंजूर की गई अधिकतम केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बाढ़/चक्रवात आदि
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	96.70
2. असम	11.07
3. बिहार	—
4. गुजरात	39.22
5. हरियाणा	17.07
6. हिमाचल प्रदेश	8.29
7. कर्नाटक	3.29
8. केरल	—
9. मध्य प्रदेश	5.69
10. महाराष्ट्र	14.91
11. मेघालय	0.16
12. उड़ीसा	—
13. पंजाब	—
14. राजस्थान	8.93
15. तमिलनाडु	—
16. त्रिपुरा	4.50
17. उत्तर प्रदेश	65.79 ×
18. पश्चिम बंगाल	—

1	2
19. अरूणाचल प्रदेश	—
20. पांडिचेरी	0.16
21. मिजोरम	—
भारत	275.78

× (1984-85 के लिए 9.35 करोड़ रुपए शामिल हैं।

खाद्यान्न का आयात

441. **श्री अमर सिंह राठवा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982 और 1983 में देश की मांग को पूरा करने के लिए कितने खाद्यान्न का आयात किया गया और कितना धन व्यय किया गया ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं, जिनसे आयात किया गया ; और

(ग) क्या सरकार वर्ष 1984 के लिए खाद्यान्न के सम्बन्ध में आयात नीति की पुनरीक्षा करने के प्रश्न पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इलैक्ट्रानिकी, विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) खाद्यान्नों का आयात करने विषयक नीति की निरन्तर समीक्षा की जाती है और सरकार जब कभी आवश्यक और व्यवहार समझती है तब खाद्यन्नों का आयात करने का वैकल्प अपने पास रखती है।

विवरण

1982 और 1983 के दौरान आयात किए गए गेहूं और चावल की मात्रा और मूल्य को बताने वाला विवरण।

वर्ष	जिन्स	देश	खरीदी गई मात्रा (लाख मीटरी टन)	अनुमानित मूल्य (जहात तक निष्प्रभार)
ट	2	3	4	5
1982	गेहूं	संयुक्त राज्य अमेरिका	39.50	654.778 मिलियन अमेरिका डालर
	चावल	...	...	...

1983	गेहूं	संयुक्त राज्य अमेरिका	9.80	154.814	मिलियन अमेरिकी डालर
		कनाडा	5.00	80.246	मिलियन अमरिकी डालर
		अर्जेनटाइना	6.50		मिलियन अमेरिकी डालर
	चावल	थाइलैंड	1.70	38.25	मिलियन अमेरिकी डालर
		बर्मा	2.00	39.625	मिलियन अमेरिकी डालर

वर्ष 1983-84 के दौरान ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तगत राज्यों को स्वीकृत धनराशि

442. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की है ;

(ख) दिसम्बर, 1983 तक प्रत्येक राज्य ने कितनी-कितनी धनराशि खर्च की थी तथा 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आगामी वर्ष के लिए योजना आयोग ने प्रत्येक राज्य हेतु कितनी-किननी धनराशि निर्धारित की है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आबंटित निधियों तथा वर्ष के दौरान उनके द्वारा उपयोग में लाई गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला विवरण-2 भी संलग्न है।

(ग) 1984-85 के बजट को अन्तिम रूप देने के पश्चात् ही अगले वर्ष के लिए विभिन्न राज्यों हेतु धनराशि निर्धारित की जाएगी।

विवरण I

वर्ष 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित, बंटित नकद निधियों तथा उनमें से उपयोग में ली गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1983-84 के दौरान केन्द्रीय आबंटन	1983-84 के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में बंटित धनराशि	राज्य के अंश तथा पिछले वर्ष की उपयोग में न लाई गई शेष धनराशि सहित 1.4.1983 तक उपलब्ध कुल धनराशि	उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार उपयोग में लायी गई कल धनराशि	अवधि जिससे कालम-6 में दी गयी सूचना संबंधित है।
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	1990.00	973.825	3245.53	1792.68	दिसम्बर, 1983
2.	असम	438.00	222.54	783.35	259.12	दिसम्बर, 1983
3.	बिहार	2872.00	1293.89	4900.55	2209.51	जनवरी, 1984
4.	गुजरात	650.00	561.35	1653.62	946.73	जनवरी, 1984
5.	हरियाणा	170.00	81.00	276.90	210.84	दिसम्बर, 1983
6.	हिमाचल प्रदेश	120.00	79.475	300.00	135.23	दिसम्बर, 1983

1	2	3	4	5	6	7
7.	जम्मू और काश्मीर	150.00	136.01	397.73	130.12	नवम्बर, 1983
8.	कर्नाटक	950.00	729.275	2415.59	1212.73	नवम्बर, 1983
9.	केरल	930.00	928.30	2343.84	781.51	अक्तूबर, 1983
10.	मध्य प्रदेश	1470.00	808.50	1854.42	1550.28	सितम्बर, 1983
11.	महाराष्ट्र	1600.00	736.57	2889.84	316.94	सितम्बर, 1983
12.	मणिपुर	22.00	—	41.74	असूचित	—
13.	मेघालय	30.00	10.00	59.50	3.31	सितम्बर, 1983
14.	नागालैण्ड	20.00	20.00	47.73	14.91	नवम्बर, 1983
15.	उड़ीसा	910.00	257.84	884.19	727.19	नवम्बर, 1983
16.	पंजाब	275.00	275.00	581.77	350.09	जनवरी, 1984
17.	राजस्थान	480.00	372.14	200.00	552.47	दिसम्बर, 1983
18.	सिक्किम	16.00	10.07	42.58	23.84	दिसम्बर, 1983
19.	तमिल नाडु	1800.00	1800.00	4351.37	2299.74	दिसम्बर, 1983
20.	त्रिपुरा	66.00	66.00	151.10	77.58	दिसम्बर, 1983
21.	उत्तर प्रदेश	3440.40	3103.73	8854.76	3950.15	जनवरी, 1984

1	2	3	4	5	6	7
22.	पश्चिम बंगाल	1555.00	504.45	3022.48	1838.48	नवम्बर, 1983
	केन्द्र शासित क्षेत्र					
23.	अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह	32.00	14.48	38.68	12.51	दिसम्बर, 1983
24.	अरुणाचल प्रदेश	32.00	32.00	56.06	27.11	अक्तूबर, 1983
25.	चण्डीगढ़	8.00	4.40	9.64	4.45	जनवरी, 1984
26.	दादर और नागर हवेली	16.00	8.80	24.56	6.23	जनवरी, 1984
27.	दिल्ली	13.80	7.59	15.59	5.08	दिसम्बर, 1983
28.	गोवा दमन और दीव	36.80	66.80*	77.70	48.89	नवम्बर, 1983
29.	लक्षद्वीप	8.00	22.46अ	27.40	11.48	दिसम्बर, 1983
30.	मिजोरम	32.00	32.00	38.81	7.50	सितम्बर, 1983
31.	पांडिचेरी	32.00	32.00	55.73	22.57	जनवरी, 1984
	योग:	20164.60	13190.495	41642.760	19499.63	

*30.00 लाख रुपए अग्रिम योजना सहायता के रूप में शामिल है।

अ. 14.46 लाख रुपए अग्रिम योजना सहायता के रूप में शामिल है।

विवरण II

21.2.1984 तक प्राप्त सूचना के आधार पर 1983-84 के दौरान सृजित वास्तविक परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	सामजिक वानिकी क्षेत्र (हेक्टेयर)	लगाए गए वृक्ष (लाख)	अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों को लाभ पहुंचाने वाले निर्माण कार्य (संख्या)	ग्रामीण तालाबों आदि का निर्माण (संख्या)	लघु सिंचाई तथा बाढ़ बचाव कार्य आदि (हैक्टेयर)	भूमि संरक्षण कार्य आदि (हैक्टेयर)	पेय जल कुएं तथा तालाब आदि (संख्या)	ग्रामीण सड़कें (किलो-मीटर)	विद्यालय बालवाडी, पंचामत गृह आदि (संख्या)	अन्य निर्माण कार्य (संख्या)	अवधि जिससे सूचना संबंधित है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	5181	71.07	29503	54	1753	54	232	2052	1197	531	दिसम्बर, 83
2.	असम	107	2.37	28	146	33	690	15	483	123	1	दिसम्बर, 83
3.	बिहार	7927	96.53	1184	2561	4795	10	272	1059	693	267	सितम्बर, 83
4.	गुजरात	1647	528.00	1297	86	52	1211	9	664	50	—	दिसम्बर, 83
5.	हरियाणा	788	3.11	22	18	1	—	2	14	290	18	सितम्बर, 83
6.	हिमाचल प्रदेश	403	6.50	—	12	7	—	1	145	271	—	सितम्बर, 83
7.	जम्मू और कश्मीर	492	—	10	26	115	44	25	184	176	1	सितम्बर, 83
8.	कर्नाटक	1996	130.39	290	140	459	1054	153	769	656	160	सितम्बर, 83
9.	केरल	123	383.00	618	67	668	22	350	863	34	23	सितम्बर, 83
10.	मध्य प्रदेश	असूचित										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	महाराष्ट्र	2260	37.91	6	23	1	—	69	223	240	145	सितम्बर, 83
12.	मणिपुर	असूचित										
13.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2	सितम्बर, 83
14.	नागालैंड	3	—	—	12	—	—	—	98	17	9	सितम्बर, 83
15.	उड़ीसा	16	0.25	16	661	627	164	197	872	325	7	जून, 83
16.	पंजाब	570	131.86	—	—	69	—	—	128	—	—	दिसम्बर, 83
17.	राजस्थान	2450	9.45	1	68	9	—	495	156	834	38	सितम्बर, 83
18.	सिक्किम	22	0.14	3	3	—	—	2	73	10	10	दिसम्बर, 83
19.	तमिलनाडु	1575	2.47	24	311	1003	9	658	3495	1153	1322	सितम्बर, 83
20.	त्रिपुरा	857	0.21	25	20	16	124	—	472	29	34	सितम्बर, 83
21.	उत्तर प्रदेश	4980	190.73	11	19	296	4808	11	1835	62	326	दिसम्बर, 83
22.	पश्चिम बंगाल	1293	9.06	558	1057	4550	40537	8890	8778	1632	1834	सितम्बर, 83
	केन्द्र शासित क्षेत्र											
23.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	7	—	2	1	—	—	—	85	19	1	दिसम्बर, 83
24.	अरुणाचल प्रदेश	144	—	—	—	—	101	—	16	—	—	सितम्बर, 83
25.	चंडीगढ़	15	1.15	—	1	—	—	1	2	—	—	दिसम्बर, 83
26.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—	दिसम्बर, 83
27.	दिल्ली	शून्य	0.53	—	—	—	—	—	—	—	—	दिसम्बर, 83
28.	गोआ, दमन और द्वीव	—	—	16	29	10	—	3	10	2	—	सितम्बर, 83
29.	लक्षद्वीप	शून्य	—	—	—	—	—	—	4	—	—	दिसम्बर, 83
30.	मिजोरम	43	0.13	6840	2	—	—	11	1159	77	22	सितम्बर, 83
31.	पांडिचेरी	2	0.19	26	64	192	—	3	16	3	—	दिसम्बर, 83
	योग:	32901	1603.95	40478	5378	14716	48828	11389	23656	7897	47 1	

"नाफेड" द्वारा प्याज का कम मात्रा में निर्यात किया जाना

443. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैसा कि उत्पादकों ने आरोप लगाया है (एफ० ई०-28 जनवरी, 1984) "नाफेड" इस वर्ष भी प्याज के कम मात्रा में निर्यात के लिए जिम्मेदार है;

(ख) क्या "नाफेड" का कार्य निष्पादन लगातार बिगड़ता जा रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि "नाफेड" अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करे, सरकार "नाफेड" में व्यवसायक्ति प्रबंधकों की व्यवस्था करेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। नाफेड ने 1980-81 में 2.37 करोड़ रुपये तथा 1981-82 में 2.48 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है।

(ग) नाफेड प्रबन्धकीय स्टाफ इसके निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस निदेशक मंडल के प्रयासों का उद्देश्य संगठन की कार्यात्मिक क्षमता में सुधार करना है। नाफेड को सरकार की सहायता से अपने प्रबन्ध निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए दिसम्बर, 1982 से भारतीय प्रशासन सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी की सेवायें प्राप्त हुई हैं।

अण्डों के उत्पादन में गत्यविरोध

444. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अण्डों के उत्पादन में आये गत्यावरोध की जानकारी है जिससे अण्डों के मूल्यों में और वृद्धि होने की संभावना है और यदि हां, तो उसके लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है (पैट्रिओट 3-2-84); और

(ख) क्या यह सच है कि यह स्थिरता अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं की असफलता के कारण है जबकि इसके विपरीत उनका दावा है कि यह गतिविरोध पशुओं का आहार निर्यात किये जाने के कारण, मुर्गियों के लिए अच्छी किस्म का आहार उचित मूल्यों पर उपलब्ध न होने की वजह से पैदा हुआ है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अण्डों के उत्पादन में कोई गत्याविरोध नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पुनर्वास कालोनियों में सुविधाएं

445. **श्री सज्जन कुमार**
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) प्रधान मन्त्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पुनर्वास कालोनियों में 1984-85 में दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पुनर्वास कालोनियों में इन सुविधाओं को शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) प्रधान मन्त्री के 20-सूत्री कार्यक्रम में इस प्रकार की पुनर्वास कालोनियां शामिल नहीं हैं । तथापि, सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पुनर्वासस कालोनियों से निम्नांकित अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं :—

1. अलग-अलग कनेक्शनों के लिए जलपूर्ति की मुख्य लाइनें;
2. मल-जल निर्यात;
3. बरसाती पानी की नालियों और पुलियों का सुधार करना;
4. सड़कों एवं भागों का सुधार करना;
5. परिधीय सेवाएं; और
6. ऊपरि टैंक और भूमिगत हैं;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया था कि सरकार की नीति के अनुसार कार्य शीघ्र पूरा किया जा रहा है ।

रोहिणी योजना के अन्तर्गत प्लाटों के लिए आवेदन पत्र

446. **श्री सज्जन कुमार :** क्या **निर्माण** और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहिणी आवास योजना के अन्तर्गत प्लाटों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजे गए आवेदन पत्रों से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है;

(ख) कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और उनमें से कितने व्यक्तियों को 25 फरवरी, 1984 तक प्लाट आबंटित किए जा चुके हैं; और

(ग) शेष लोगों को कब तक प्लाट आबंटित कर दिए जाएंगे तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) रोहिणी रिहायशी आवास योजना में विभिन्न वर्गों के प्लाटों के आबंटन के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार 82,384 आवेदन प्राप्त किये थे :—

वर्ग	आवेदन पत्रों की संख्या
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/जनता	18,390
निम्न आय वर्ग	38,105
मध्यम आय वर्ग	25,889
	82,384

(ख) उक्त योजना में पंजीकृत 82,384 आवेदकों में से 20,389 पंजीकृतों को 25-2-84 तक प्लाट आबंटित किए गए हैं ।

(ग) शेष पंजीकृतों को प्लाटों का आबंटन पांच वर्षों की अवधि में चरणवार किया जायेगा।

मकान मालिक किरायेदार सम्बन्धों पर लागू होने वाले कानून को युक्तियुक्त बनाना

447. **श्री माधव राव सिंधया** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मकान मालिक-किरायेदार सम्बन्धों पर लागू होने वाले कानून को युक्तियुक्त बनाने सम्बन्धी प्रश्न सरकार के विचाराधीन था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया और क्या इस के लिए संसद से कोई कानून लाए जाने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरों को अन्तिम रूप देने के पश्चात् संशोधित विधेयक संसद में पेश किया जायेगा ।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से सप्लाई की जाने वाले चीनी, चावल तथा गेहूं के मूल्य में वृद्धि

448. **श्री माधवराव सिंधिया**
श्री सत्य गोपाल मिश्र
श्री रसीद मसूद
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री
श्री बी० डी० सिंह

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से वितरित की जाने वाली लेवी चीनी, चावल तथा गेहूं के मूल्यों में हाल ही में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसका प्रभाव सामान्य मूल्य वृद्धि, विशेषतः उपभोक्ता वस्तुओं पर पड़ा है, और यदि हां, तो कितना ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) सभी किस्मों के चावल के निर्गम मूल्यों में 16.1.84 से 20/-रु० प्रति क्विंटल, गेहूं के निर्गम मूल्यों में 15.4.83 से 12/-रु० प्रति क्विंटल और चीनी के निर्गम मूल्यों में 1.2.84 से 25/-रु० प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। धान और गेहूं के मामले में बढ़ाये गए समर्थन मूल्यों के प्रभाव को समाप्त करने और चीनी के मामले में बढ़ी हुई उत्पादन लागत को पूरा करने के उद्देश्य से निर्गम मूल्यों में वृद्धि की गई थी।

(ग) गेहूं, चीनी और चावल को अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर सार्वजनिक प्रणाली के माध्यम से जारी किया जाता है। उनके निर्गम मूल्यों में जो इस समय वृद्धि की वितरण गई है उससे उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार भावों में किसी प्रकार की समूची वृद्धि करने में मदद मिलने की कोई सम्भावना नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना का उल्लंघन करके औद्योगिक बस्तियों का विकास

449. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में एक उप-वर्ग द्वारा एक पेपर, में यह उल्लेख किया गया है कि नोएडा तथा कुण्डली जैसी औद्योगिक बस्तियों का विकास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना की पूर्णतः उल्लंघन करके किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 'पेपर' में उल्लेख किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) जी, हाँ।

(ख) उच्च शक्ति प्राप्त परामर्शी बोर्ड द्वारा 1982 की दिल्ली की बृहद् योजना तथा 1973 में अनुमोदित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना में न तो नोएडा न ही कुण्डली के विकास पर विचार किया गया था।

(ग) सरकार क्रमशः उत्तर प्रदेश तथा हरियाण के पड़ोसी राज्यों को सन् 2001 तक नोएडा की जनसंख्या 5 लाख तक सीमित करने तथा कुण्डली के विकास को इसके वर्तमान स्तर से आगे हतोत्साहित करने के लिए सहमत कराने का प्रयास कर रही है।

कृषि उत्पादों के निर्यात पर रोक

450. **श्री माधव राव सिन्धिया** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता, विपणन संघ (नाफेड) ने यह मांग की है कि मूल कृषि उत्पादों के निर्यात में निजी व्यापार पर रोक लगाई जाये ताकि उनका अनुचित

व्यापार समाप्त किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) कृषि जिंसों के निर्यात बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० (नेफेड) ने कुछ सुझाव दिए हैं जिनमें निर्यातों को जारी रखने की आवश्यकता, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सुनिश्चित और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों की लगातार निगरानी शामिल है। इस संबंध में नेफेड द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर भी विचार व्यक्त किया गया कि आयात करने वाले देशों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गुणवत्ता के निर्वाह और इसकी सतत् उन्नति को राष्ट्रीय स्तर पर नेफेड जैसे संगठनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसानों को उचित संगत मूल्य दिलाने की सुनिश्चितता की भी आवश्यकता होगी ताकि उन्हें निर्यात हेतु आवश्यक क्वालिटी की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जा सके। नेफेड ने सुझाव दिया है कि कृषि निर्यात में नेफेड जैसे संगठनों को शामिल करके इन पहलुओं का ध्यान रखा जा सकता है। नेफेड द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों के बारे में सरकार को जानकारी है और विभिन्न कृषि वस्तुओं के निर्यात हेतु नीति बनाते समय उन्हें ध्यान में रखा जाता है।

सोन उठाऊ नहर, कन्हार बांध, बखार बेलान और धोवा पम्प नहर का निर्माण

451. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धन की कमी के कारण उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मिर्जापुर जिले में सोन उठाऊ नहर के निर्माण कार्य, कन्हार बांध निर्माण बखार बेलान का रुख मोड़ने का, और धोवा पम्प नहर का निर्माण रोक दिया है जिनमें कुल स्वीकृत धनराशि में से 50 प्रतिशत राशि तो पहले ही खर्च हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो सूखे और बाढ़ वाले क्षेत्र के लाभ को लक्ष्य करके बनाई गई उपरोक्त परियोजनाओं को पूरा करने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) क्या सरकार इस परियोजना के लिए विशेष निधि स्वीकृत करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) इन सभी परियोजनाओं पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। मार्च, 1984 तक, कन्हार सिंचाई परियोजना यथा सोन लिफ्ट नहर परियोजना पर अद्यतन अनुमानित लागत 89.47 करोड़ रुपए की तुलना में क्रमशः 20.73 करोड़ रुपए तथा 16.46 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। राज्य ने अगले वर्ष 1984-85 के लिए इन परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। बाखर बेलान विशाखन स्कीम तथा धोवा पम्प नहर के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने सूचित किया

है कि इन कार्यों को बाढ़-प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किया गया था तथा इन परियोजनाओं का शेष कार्य अब बृहद तथा मध्यम सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत आरंभ किया जा रहा है। बाखर बेलान स्कीम के लिए 1984-85 के दौरान 31 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है तथा इस परिव्यय से स्कीम के पूरा होने की संभावना है। धोवा पम्प नहर के लिए 1भ84-85 के लिए 60 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है तथा इस स्कीम के 1985-86 में पूरा हो जाने की संभावना है।

सिंचाई एक राज्य विषय है अतः सिंचाई स्कीमों की वित्त-व्यवस्था और क्रियान्वयन स्वयं राज्यों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में सम्पूर्ण राज्य के लिए दी जाती है तथा वह विकास के किसी सेक्टर या परियोजना से सम्बन्धित नहीं होती।

उचित दर दुकानदारों की कमीशन बढ़ाने की मांग

452. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उचित दर दुकानदारों ने अपने कमीशन में वृद्धि करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (घ) आवश्यक वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण की वर्तमान योजना के तहत, सम्बन्धित राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गठन तथा संचालन की जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पर सम्बन्धित राज्य सरकार की है और उचित दर दुकान के मालिकों को दिए जाने वाले कमीशन में वृद्धि की मांग पर, यदि कोई हो, राज्य सरकार को ही विचार करना होता है।

खाने के तेलों की कीमतों में वृद्धि

453. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :**
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :
श्री भीम सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हाल ही में खाने के तेलों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाने के तेलों में वृद्धि को रोकने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की सहायता लेने का विचार है;

(घ) क्या दिल्ली आयल मिल्स एसोशिएशन ने सरसों का तेल 17 रु० प्रति किलोग्राम पर बेचने की पेशकश की है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवीराव) : (क) और (ख) पिछले कुछ महीनों में खाद्य तेलों के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है परन्तु हाल ही में मूल्यों में गिरावट आनी शुरू हो गई है। तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों के अलावा, सरकार खाद्य तेलों की मांग व पूर्ति के बीच के अन्तर को आयात द्वारा पूरा कर रही है। तेल के मूल्यों में वृद्धि के रुख को नियंत्रित करने तथा साथ ही इसके मूल्यों में कमी लाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दिसम्बर, 1983-फरवरी, 1984 के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में आयातित खाद्य तेलों का काफी अधिक आबंटन किया है। छोटे पैकों की योजना के अन्तर्गत भी पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान किए गए आबंटन की तुलना में अधिक आबंटन किया गया है।

(ग) से (ड.) : दिल्ली प्रशासन ने आयल मिल्स एसोसिएशन के साथ सुपर बाजार, केन्द्रीय भण्डार, दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम तथा दिल्ली थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से सरसों का तेल 17.50 रु० प्रति कि० ग्रा० की दर पर बेचने के प्रबन्ध किए हैं।

कमजोर वर्गों के लोगों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न देना

454. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :
श्री भीम सिंह : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के लिए सस्ती दरों पर खाद्यान्न देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को अलग कितनी मात्रा में खाद्यान्न दिया गया है;

(ग) इन खाद्यान्नों का सही लोगों तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रबन्ध किए गये हैं; और

(घ) इन खाद्यान्नों के आवंटन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं ?

ग्रामीण मंत्रालय के राज्य विकास मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों को मजदूरी के भाग के रूप में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति एक किलोग्राम खाद्यान्न रियायती दरों पर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 के दौरान विभिन्न/राज्यों केन्द्र शासित क्षेत्रों को एक किलोग्राम खाद्यान्न प्रति श्रमदिन के आधार पर आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन इन कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध लिपियों को ध्यान में रखते हुए राज्यों में सम्भावित श्रम दिनों के सृजन के आक्कलन के आधार पर किया जाता है। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि 16 जनवरी, 1984 को अथवा उसके बाद किए गए कार्य हेतु खाद्यान्न इन कार्यक्रमों हेतु आवंटित खाद्यान्नों में से रियायती दरों पर सप्लाई किए जाने चाहिए। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे मजदूरों को मजदूरी के भाग के रूप में खाद्यान्नों का वितरण सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रबंध करें।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1983-84 के दौरान राज्यों को आवंटित खाद्यानों को दर्शाने वाला विवरण

(मीटरी टन में)

क्रम संख्या	राज्य केन्द्र शासित क्षेत्र	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित खाद्यान्न	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित खाद्यान्न
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	29850.00	6000.00
2.	असम	6570.00	1000.00
3.	बिहार	40546.00	8382.00
4.	गुजरात	8666.00	1778.00
5.	हरियाणा	1568.00	323.00
6.	हिमाचल प्रदेश	1164.00	364.00
7.	जम्मू तथा काश्मीर	1800.00	375.00
8.	कर्नाटक	17538.00	3300.00
9.	केरल	12130.00	2400.00
10.	मध्य प्रदेश	25200.00	5571.00
11.	महराष्ट्र	29538.00	6077.00
12.	मणिपुर	330.00	69.00

1	2	3	4
13.	मेघालय	480.00	100.00
14.	नागालैंड	100.00	63.00
15.	उड़ीसा	18200.00	3750.00
16.	पंजाब	2750.00	563.00
17.	राजस्थान	6776.00	1412.00
18.	सिक्किम	90.00	50.00
19.	तमिल नाडु	30858.00	6000.00
20.	त्रिपुरा	990.00	206.00
21.	उत्तर प्रदेश	55040.00	11367.00
22.	पश्चिम बंगाल	31100.00	6417.00
	केन्द्र शासित क्षेत्र		
23.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	28.00	62.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	80.00	44.00
25.	चंडीगढ़	6.00	7.00
26.	दादरा तथा नगर हवेली	50.00	36.00
27.	दिल्ली	70.00	17.00
28.	गोवा, दमन तथा दीव	366.00	75.00
28.	लक्षद्वीप	14.00	13.00
30.	मिजोरम	46.00	40.00
31.	पांडिचेरी	232.00	62.00
	कुल योग	3,22,226.00	65,823.00

भारतीय खाद्य में निगम लाने ले जाने में खाद्यान्नों में कमी होना

455. **श्री अजयविश्वास :**
श्री मूल चन्द डागा :
श्री रसीद मसूद :
श्री जयपाल सिंह कश्यप : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की आवाजाही में कुल कितनी कमी हुई ;

(ख) आवाजाही में कमी होने के क्या कारण है; और

(ग) सरकार ने इस कमी को घटाने हेतु क्या उपाय किए हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) भारतीय खाद्य निगम को 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के वर्षों के दौरान आवाजाही में खाद्यान्नों की जो कमी हुई थी, उसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

	मात्रा (लाख मी० टन में)
1980-81	3.61
1981-82	4.09
1982-83	5.14

(ख) निगम द्वारा जो परिचालन विषयक कार्य किए जाते हैं उनके स्वरूप को देखते हुए कुछ मार्गस्थ हानियां होना स्वाभाविक होता है। इन कार्यों में प्रत्येक मास कई लाख मी० टन खाद्यान्नों का परिवहन करना और विभिन्न स्थानों पर बहु-हैंडलिंग कार्य करना शामिल होता है। अनाज के सूखने, चोरी और उठाईगिरी होने आदि के कारण भी कुछ नुकसान होता है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम कमियों को कम करने के लिए उपयुक्त तौल करने, लदान और उतरान स्थानों पर प्रभावकारी देख-रेख करने, परिवहन तथा प्राप्तियों के समय बोरियों को तोलने तथा उनकी गणना करने, सुरक्षा प्रबंधों को कड़ा करने, डिपुओं पर स्टाक की प्रत्यक्ष जांच करने, सूचना देने की प्रणाली को सुधारने आदि और लापरवाही तथा कदाचार करने के दोषी पाए गए अधिकारियों को उपयुक्त सजा देने जैसे कई एक पग उठाए हैं।

दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दिया गया प्रोत्साहन

456. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी**
श्रीमती किशोरी सिन्हा
श्री मनोहर लाल सैनी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों के दौरान दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार की इस संबंध में भविष्य के लिए कोई समय-बद्ध योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दलहनों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के माध्यम से अनेक विकास कार्यक्रम लागू कर रही है।

दलहन के विकास सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत किसानों को सहायता प्रमाणीकृत/ठीक तरह के लेबल लगाये गये बीज, वनस्पति रक्षण रसायनों, वनस्पति रक्षण उपकरणों संचालनात्मक व्ययों तथा रिजोबियम कल्चर पर राजसहायता के रूप में दी जाती है। ग्रीष्म मौसम के दौरान दलहनों के उत्पादन हेतु प्रदर्शन करने तथा प्रजनक/आधारी बीजों के उत्पादन तथा सिंचाई प्रभारों के लिए भी राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है ताकि किसानों की उन्नत पैकेज पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत एक मिनीकिट प्रदर्शन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उन्नत किस्मों को लोकप्रिय बनाने तथा अधिक क्षेत्र कवर करने के लिए किसानों दलहन को बीज पैकेट निःशुल्क वितरित किये जाते हैं। 1983-84 के दौरान छोटे और सीमान्त किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके अन्तर्गत दलहनों और उर्वकों के मिनिकिट सप्लाई किए जा रहे हैं।

(घ) तथा (ड.) उपर्युक्त कार्यक्रम छठी योजना अवधि के लिए प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

गन्दी बस्तियों के निवासी

457. **श्री सूरज भान** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : अखिल भारतीय आधार पर मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों का पता लगाने के लिए अब तक कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है। कुछ अलग अलग राज्य सरकारों ने कतिपय शहरों में मलिन बस्तियों की आबादी का इस प्रयोजन से पता लगाया है कि मलिन बस्ती निवासियों के लाभार्थ विशिष्ट योजनाओं के तहत उन्हें लाभान्वित किया जा सके। यह पहचान अपूर्ण है और बहुत ही सीमित है। तथापि, छठी योजना के दस्तावेजों में यह अनुमान लगाया गया है कि कुल शहरी आबादी का लगभग पांचवां हिस्सा मलिन बस्ती आबादी का है। इस अनुमान के अनुसार, वर्ष 1981 में मलिन बस्तियों की आबादी 3.12 करोड़ थी।

जौ के उत्पादन में कमी

458. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जौ के क्षेत्रफल और उत्पादन में कमी हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जौ के थोक मूल्यों में लगातार वृद्धि से माल्ट, बीयर और नाश्ते

की वस्तुओं के निर्माण जैसे जौ पर आधारित उद्योगों की अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचा है; और

(ग) जौ का रक्षित भंडार बनाने; जौ को कच्चा औद्योगिक माल घोषित करने और माल्ट बनाने वाले एककों को बिना लाभ हानि के आधार पर जारी करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है और उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी हां।

(ख) जौ के थोक मूल्यों में वृद्धि तथा इसके फलस्वरूप माल्ट, बीयर और नाश्ते से सम्बधिन्त खाद्य निर्माण उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव के बारे में कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है।

(ग) सरकार इस संबंध में किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

राजस्थान में पेय जल उपलब्ध कराना

459. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में पेयजल उपलब्ध कराने की केन्द्र की योजना से राज्य के अनेक नगरीय और उप नगरीय क्षेत्रों में कोई सुधार नहीं हुआ है; और

(ख) नगरीय और उप नगरीय क्षेत्रों पानी की सप्लाई के प्रबन्धों में वृद्धि करने के लिए कौन सी नई योजनाएं आरम्भ की गई हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) जल पूर्ति राज्य का विषय है और राज्य सरकारों द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं और उनका कार्यान्वियन किया जाता है केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पता लगाए गए समस्याग्रस्त गावों के ग्रामीण क्षेत्रों को पीने के पानी की सप्लाई करने के लिए सहायता अनुदान देकर केन्द्र, केवल राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करता है।

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में जलपूर्ति के प्रबन्धों को बढ़ाने के लिए आराम की गई योजनाओं के बारे में इस मन्त्रालय के पास कोई सूचना नहीं है क्योंकि इस विषय पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

भारतीय क्रिकेट टीम का खेल प्रदर्शन

460. **श्री ब्रजमोहन महन्ती** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेली गई पिछली क्रिकेट मैच श्रंखला में भारत के समग्र रूप से निराशाजनक खेल प्रदर्शन का कोई विश्लेषण किया गया है;

(ख) क्या खेल के स्तर को सुधारने के लिए बोर्ड को राष्ट्रीय चयन नीति में परिवर्तन को आवश्यकता है; और

(ग) क्या सरकार हमारी कमियों का विश्लेषण करने और खेल के स्तर को सुधारने के उपाय सुझाने हेतु क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधियों सहित देश के प्रसिद्ध खिलाड़ियों की एक समिति का गठन करने पर विचार करेगी ?

खेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड, जो भारत में क्रिकेट के स्तर को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, ने सूचित किया है कि कुल मिलाकर किसी भी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की शारीरिक स्वस्थता पर्याप्त नहीं है जिससे भारतीय क्रिकेट टीम के निष्पादन पर असर पड़ा है।

(ख) सरकार से राष्ट्रीय खेल संघों की चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की अपेक्षा नहीं की जाती।

(ग) जी, नहीं। तथापि, आशा की जाती है कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड इस मामले में स्वयं उचित कदम उठायेगा।

केरल में नकद फसलों की क्षति

461. **श्री स्कारिया थामस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में सूखे के कारण व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त हुई मुख्य नकद फसलों के नाम क्या हैं;

(ख) इसके फलस्वरूप कुल कितनी क्षति हुई हैं;

(ग) इन फसलों को पुनः लगाने के लिए केरल सरकार द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गई है;

(घ) केन्द्र द्वारा अब तक कितनी धनराशि दी गई है; और

(ङ.) क्या केरल की मांग को पूर्णतया स्वीकृत किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केरल में सूखे के कारण मुख्य नकदी फसलें जैसे नारियल, इलायची, सुपारी, दालचीनी, काफी तथा रबर, आदि क्षतिग्रस्त हुई हैं।

(ख) केरल सरकार ने सूचित किया है कि केरल में हाल में आए सूखे के कारण नकदी फसलों का विनाश होने से करीब 176 करोड़ रुपए की क्षति होने का अनुमान है।

(ग) इन फसलों को फिर से लगाने के लिए केरल सरकार ने एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें 318.32 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की मांग की गई है, जिसमें मौसमी फसलें भी शामिल हैं।

(घ) सूखे से राहत के लिए राज्य को 1982-83 के लिए 4.10 करोड़ रुपए तथा 1983-83 के लिए 42.46 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की अधिकतम धनराशि की मंजूरी दी गई है। नारियल के विकास के लिए जड़ मुर्झान रोग से प्रभावित ताड़ के पेड़ों को हटाने तथा

नारियल के पौधों के लिए नारियल विकास बोर्ड के जरिए 49 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि दी गई है। उपरोक्त के अलावा, फसलों को फिर से लगाने के लिए कई अन्य कदम उठाए गए।

(ड.) पहले ही पर्याप्त केन्द्रीय सहायता दी जा चुकी है।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चकवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैंने दिल्ली और उसके आसपास, जिनमें पंजाब और हरियाणा भी शामिल है, की स्थिति के संबंध में एक स्थमन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस पर वाद-विवाद कब होने जा रहा है ?

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : आप पहले हमें सुनेंगे या पहले आप कुछ कहेंगे और उस के बाद में हमें सुनेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताऊंगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजी पुर) : एजोर्नमेंट मोशन आज ही ले लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई थी। मैं एक मत पर पहुंचा हूं और उसके अनुसार मैंने कल 4 बजे को समय बहस के लिए निर्धारित किया है।

श्री रसीद मसूद (सहारनपुर) : हमें इत्तिला नहीं हुई थी मीटिंग की ?

अध्यक्ष महोदय : सबको इत्तिला थी मीटिंग की।

श्री रशीद मसूद : हमारी पार्टी को आपकी मीटिंग की इत्तिला नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय : सबको दी थी।

श्री रशीद मसूद : हमें इत्तिला नहीं पहुंची, इतनी इम्पोर्टेन्ट मीटिंग थी।

अध्यक्ष महोदय : पता करा लेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली और उसके बाहर कुछ घटनाएं घट रही हैं। सरकार हमें यह सूचना देने के लिए अभी तक संसद के समक्ष नहीं आई कि वे कौन कौन से उपाय कर रही है तथा वे क्या सोच रही हैं। संसद को जानबूझकर नजर अंदाज किया जा रहा है।···

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इसकी अनुमति दे चुका हूं आप कल इस पर चर्चा करने जा रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या सरकार को सामने आकर यह नहीं बताना चाहिए कि वे ये-ये उपाय कर रहे हैं, उनका यह कार्यक्रम है···

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से यह मामला उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, क्या यह अनावश्यक है ?

अध्यक्ष महोदय : एकदम अनावश्यक है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, सदन के समक्ष बड़ी अजीब स्थिति आ गई है। इस सदन के एक सदस्य, जो भारत सरकार के विधि मंत्री हैं, से आंध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा स्पष्टीकरण मांगने की कोशिश की गई है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी चिंता आपको क्यों है ?

प्रो० के० के० तिवारी : यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस सदन का एक सदस्य···

अध्यक्ष महोदय : यहां कुछ नियम हैं···

प्रो० के० के० तिवारी : इस सदन का विशेषाधिकार दांव पर है।

श्री रामविलास पासवान : ब्रीच आफ प्रिविलेज तो यहीं पर चलना चाहिए। इन्होंने ब्रीच आफ प्रिविलेज किया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से क्यों बोल रहे हैं ? मैं उन्हें उत्तर दे रहा हूं। प्रो० तिवारी, ऐसे कुछ नियम हैं, पूर्व वृत्त हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें किसी विधान सभा द्वारा ऐसा किया जा सकता है। कुछ नियम बनाए गए हैं और उन्हें उनके अनुसार चलना होगा। इस बारे में चिंता मत कीजिए।

प्रो० के० के० तिवारी : प्रो० मधु दंडवते के मामले में, महाराष्ट्र विधान सभा में ऐसा ही विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और आपने यह निर्णय दिया था कि इस सदन के भी सदस्य को विधान सभा के विशेषाधिकार हनन करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में भी यह लागू होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हर काम नियमों के अनुसार होने जा रहा है।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, आप इसे स्पष्ट करें। प्रो० मधु दंडवते के मामले में आपने यह सब किया···

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में भी यही होने जा रहा है। यह भिन्न मामला नहीं हो सकता। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए ? **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : महोदय, मैंने आंध्र प्रदेश की विधान सभा द्वारा पारित संकल्प के मामले पर प्रधान मंत्री और उनकी मंत्री परिषद के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का नोटिस दिया है···

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे पास विचाराधीन है।

श्री जार्ज फर्नांडीस : इसे पिछले कई महीनों से संसद के समक्ष नहीं रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है।

अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

आर्थिक सर्वेक्षण, 1983-84

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं 'आर्थिक सर्वेक्षण', 1983-84 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7681-84)

वनस्पति तेल उपकर अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं वनस्पति तेल उपकर अधिनियम, 1983 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 882 (अ) जो 8 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि वनस्पति तेल पर 5 रुपये प्रति क्विंटल उत्पाद-शुल्क लगाया जाये और उपकर के रूप में प्रस्तुत किया जाए, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(गृह मंत्रालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7683/84)

दिल्ली विकास प्राधिकरण (बजट और लेखे) संशोधन नियम, 1984, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, तथा हिन्दुस्तान प्रिफेब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटासिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण (बजट और लेखे) संशोधन नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 11 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 145 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7683/84)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1982 83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ ।

(गृह मंत्रालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल० टी० 7684/84)

(ख) (एक) हिन्दुस्तान प्रिफेव लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान प्रिफेब लिमिटेड, नई दिल्ली, के बर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर टिप्पणियां ।

(ग्रंथालय रखे गए । **देखिए** संख्या एल० टी० 7686/84)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : क्या उन्होंने किसी नियम को निलम्बित करने का प्रस्ताव रखा था ?

चीनी (वर्ष 1983-84 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 1984, माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (भारत) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि तथा भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि तथा भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि को समय पर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बनाने वाला विवरण

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं निम्न-लिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत, चीनी (वर्ष 1983-84 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 11 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 28 (अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 7687/84)

(2) कम्पनीं अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (भारत) लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (भारत) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण

बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7688/84]

(4) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीनों की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7689/84]

विभिन्न आश्वासनों, वचनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) विवरण संख्या 27—सातवां सत्र, 1979 छठी लोक सभा

(2) विवरण संख्या 16—दूसरा सत्र, 1980

(3) विवरण संख्या 27—तीसरा सत्र, 1980

(4) विवरण संख्या 22—पांचवां सत्र, 1981

(5) विवरण संख्या 16—छठा सत्र, 1981

(6) विवरण संख्या 15—सातवां सत्र, 1981 सातवीं लोक सभा

(7) विवरण संख्या 14—आठवां सत्र, 1982

(8) विवरण संख्या 10—नवां सत्र, 1982

(9) विवरण संख्या 9—दसवां सत्र, 1982

(10) विवरण संख्या 7—ग्यारहवां सत्र, 1983

(11) विवरण संख्या 3—बारहवां सत्र, 1983

(12) विवरण संख्या 1—तेरहवां सत्र, 1983

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 7684/84]

बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(2) (क) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और (ख) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 7692-84)

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

ग्रामीण मंत्रालय में विकास राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : मैं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 7683-84)

दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली का 1982-83 का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन आदि

खेल विभाग में निर्माण तथा आवास मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा सम्बन्धी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1982 के अंतर्गत अधिसूचनाएं तथा एशियाड, 82, सातवां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन और राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष पर खर्च किए गए व्यय का विवरण।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 56 (अ), जो फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 9 जून, 1978 की अधिसूचना संख्या 117/78-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि अग्रिम लाइसेंस पर बिना सीमा शुल्क के मिश्रण के लिए चाय का आयात करने हेतु उक्त अधिसूचना की अनुसूची में चाय मद को जोड़ा जा सके तथा उसका शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत पुनः निर्यात किया जा सके।

(दो) 7 जनवरी, 1983 की अधिसूचना संख्या 6-सी० शु० के अधिलंघन में सा० का०

नि० 73 (अ), जो 17 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को रूसी रूबल में बदलने सम्बन्धी पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में।

[**ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 7694/84**]

(2) एशियाड 82, सातवां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन और राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों के सम्मेलन पर खर्च किए गए व्यय का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 7694/84)

प्राक्कलन समिति

61वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री बन्सीलाल (भिवानी) : मैं शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय-प्राथमिक शिक्षा के बारे में प्राक्कलन समिति का 61वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

मकबूल बट्ट को फांसी दिए जाने के बारे में तथा कथित "जम्मू और कश्मीर मुक्ति मोर्चे" के नेताओं की ओर से ब्रिटिश टेलीविजन पर भारत विरोधी प्रचार के समाचार

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : मैं विदेश मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"मकबूल भट्ट को फांसी दिए जाने के बारे में तथाकथित "जम्मू और कश्मीर मुक्ति मोर्चे" के नेताओं की ओर से ब्रिटिश टेलीविजन पर भारत-विरोधी प्रचार के समाचार तथा इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही"।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय 21 फरवरी, 1984 को रात में काफी देर से ब्रिटिश टेलीविजन के चैनल 4 पर, जो कि एक वाणिज्यिक चैनल है, एक कार्यक्रम दिखाया गया था। इस कार्यक्रम में पहले तो कुमारी बेनजीर भुट्टो के साथ एक इन्टरव्यू दिखाया गया और बाद में बर्मिंघम में भारत के सहायक हाई कमीशन में सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त श्री आर० एच० म्हात्रे के अपहरण और हत्या के संबंध में "ब्रिटेन में रहने वाले काश्मीरियों" की प्रतिक्रिया दिखाई गई थी। इस कार्यक्रम के कमेन्टेटर ने यह कहा कि इस भारतीय राजनयिक की हत्या पर संसार-भर में आघात महसूस किया गया है और इसकी निन्दा की गई है लेकिन "ब्रिटेन

में रहने वाले काश्मीरी" इस अपराध के प्रति कुछ अधिक सहानुभूति रखते हैं। इसके बाद अलग-अलग लोगों की प्रतिक्रिया दिखाई गई, जिनमें ब्रिटेन स्थिति तथाकथित जम्मू एण्ड काश्मीर लिबरेशिन फ्रंट के अध्यक्ष अमानुल्ला खां, हशीम कुरैशी, जो कि, जैसा कि सदन को ज्ञात है, एक दोष सिद्ध विमान अपहरणकर्ता है, काश्मीरी वर्कर्स यूनियन के मोहम्मद यूनुस और अन्य लोग भी शामिल थे। इन लोगों को इस हद तक अपने कट्टर विचार प्रकट करने की छू दीट गई कि उन्होंने भारत के माननीय नेताओं के प्रति अपशब्दों का भी प्रयोग किया। हशीम कुरैशी को यह धमकी देने तक की इजाजत दी गई कि मकबूल बट की फांसी का लिया जाएगा।

12.08

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

इस टेलीविजन कार्यक्रम की जब हमें रिपोर्ट मिली तो बडा आश्चर्य हुआ। स्वयं ब्रिटेन के प्राधिकारियों और संस्थाओं को ब्रिटेन के भीतर आतंकवादी गतिविधियों की जानकारी और अनुभव है। ब्रिटेन के प्राधिकारी उन अपराधियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने श्री म्हात्रे की हत्या की है। हमारे लिए यह सोचना भी मुश्किल है कि ब्रिटेन के टेलीविजन पर कोई भी जिम्मेवार आदमी इस तरह के कट्टर विचार व्यक्त करने की और ऐसे नाजुक मोड़ पर बदले और हिंसा की इस तरह की बात कहने की इजाजत देगा। तदनुसार सरकार ने लन्दन में अपने हाई कमिश्नर को यह निदेश दिया कि वे ब्रिटेन के प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाएँ। हमारे हाई कमिश्नर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर ज्योफ्री होव और ब्रिटेन के गृहमंत्रालय में मंत्री श्री वेडिंग्टन से भी मुलाकात की। हमारे हाई कमिश्नर ने इस कार्यक्रम के बारे में बहुत बलपूर्वक अपना क्षोभ और क्रोध व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने दोनों मंत्रियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि इस कार्यक्रम में खुल्लम खुल्ला हिंसा की जो वकालत की गई है वह शायद ब्रिटेन के अपने विनियमों का भी उल्लंघन है। हमारे हाई कमिश्नर ने दोनों मंत्रियों को एक उपयुक्त स्मरण पत्र भी दिया। इसके साथ ही हमारे हाई कमिश्नर ने इस कार्यक्रम की विषय-वस्तु के संबंध में इंडीपेन्डेंट ब्राडकास्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष से भी विरोध प्रकट किया है। हमें यह सूचना मिली है कि ब्रिटेन के मंत्रियों ने हमारे दृष्टिकोण को समझा है और चैनल 4 के प्रायोजकों के साथ इस मामले को उठाने का वायदा किया है। इसके साथ ही उन्होंने ब्रिटेन के प्रचलित कानून के अनुसार इस कार्यक्रम की बिषय-वस्तु की जांच करना भी स्वीकार किया है।

वर्मिघंम में हमारे राजनयज्ञ श्रों आर० एच० म्हात्रे के अपहरण और हत्या को लेकर ब्रिटेन के कुछ अखबारों और समाचार माध्यमों ने घटनाचक्र को, खासतौर पर काश्मीर के संदर्भ में पक्षपातपूर्ण अथवा सनसनी खेज रूप में प्रस्तुत किया है। हमारे प्रतिनिधियों ने हमारे दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है और जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है। माननीय सदस्य तो जानते ही हैं कि संवेदनवाद और विवेकवाद साथ-साथ नहीं चलते। इस सिलसिले में हमारे हाई कमिश्नर जब ब्रिटिश सरकार के नेताओं से मिले थे तो उन्होंने ब्रिटेन के अखबारों की इस प्रवृत्ति की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया था।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक रवीन्द्र म्हात्रे का ताल्लुक है, जिन हालात में उनकी मृत्यु हुई और जिस ढंग से उनका कत्ल हुआ है उससे पूरे मुल्क को सदमा पहुंचा है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जम्मू-कश्मीर के लोग इस सदमे में बराबर के शरीक हैं, उसमें कोई कमी और कोता ही नहीं हुई है। जिन हालात में

बरमिंघम में म्हात्रे की वफात के विषय में किसी जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का नाम और जम्मू-कश्मीर आर्मी का नाम खासतौर से जोड़ दिया गया है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि ये बात, जिस ढंग से हर मामले में कश्मीरियों का नाम इससे मिलाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि इससे न सिर्फ जम्मू-कश्मीर के साथ बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के साथ नाइंसाफी है। बदकिस्मती से हमारे यहां के रेडियो और टेलीविजन तथा अखबारात जब भी कोई गिरफ्तार हुआ या कल की ही बात है जब अब्दुल रजा नाम का कोई आदमी गिरफ्तार हुआ तो उसके साथ भी नाम जोड़ दिया गया कि वह कश्मीरी है। जब यह बात चल रही है कि पूरे जम्मू-कश्मीर के बारे में कोई अच्छी भावना पैदा नहीं होती और इन हालात में जबकि वहां एक सरकार नेशनल कान्फ्रेंस की बनी है उस सरकार में और मरकज की सरकार के बीच तनाव है, वे अपनी जगह हैं और सियासी मामले अपनी जगह हैं। जहां तक नेशनल काज है उस काज में जम्मू-कश्मीर के लोगों को पिन-प्वाइंट नहीं होना चाहिए कि ये लोग हैं जो कि कोई इंटरनेशनल तौर पर कोई कांसीप्रेंसी कर रहे हैं और मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों जो वाकया इंग्लैण्ड में हुआ और जिन लोगों ने ऐसा किया, अव्वल तो हम नहीं जानते कि किन लोगों का हाथ है क्योंकि सारी इन्क्वारी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करनी है और कर रहे हैं और इतना हमें कल तक बताया गया है कि अब्दुल रजा नाम का आदमी गिरफ्तार हुआ और उनकी कस्टडी में है। वह आदमी है जिसने हमारे डिप्लोमेट को किडनैप किया है, इससे ज्यादा हम नहीं जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं...और दुःख का इजहार करना चाहता हूं कि जिस दिन रवीन्द्र म्हात्रे जी का कत्ल हुआ उसके फौरन बाद हमारे हुक्मरान पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जनरल सेक्रेटरी मूपनार ने जो स्टेटमेंट दिया उसकी ओर मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं। आज जब दुनिया की तमाम साजिशों के खिलाफ हमको एक होकर आगे आना है ऐसे समय में बदकिस्मती से यह बताना चाहता हूं कि श्री मूपनार ने म्हात्रे के कत्ल के सम्बन्ध में जो स्टेटमेंट दिया है उसके सम्बन्ध में मैं जानना चाहूंगा कि सरकार इसके बारे में क्या विचार रखती है, हुक्मरान जमात क्या विचार रखती है जिसने पी० टी० आई० की तरफ से यह खबर रिलीज की, फरवरी 7 को और सारे हिन्दुस्तान के अखबारों इसको प्रकाशित किया। उन्होंने इसमें लिखा था, इस किस्म की हेडलाइन्स लिखी थीं—'राजनयिक की हत्या के लिए नई दिल्ली ने फारूख की नीतियों को दोषी ठहराया।" और जिसमें यह बताया गया "कश्मीर टाइम्स" जो अंग्रेजी का अखबार है और जम्मू से निकलता है पी० टी० आई० को कोट करके "अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (इ) के महासचिव ने यहां जारी किए गए एक विवरण में खेद प्रकट किया है कि उग्रवादियों और ऐसे अन्य तत्वों से सख्ती और प्रभावी ढंग से निपटने की केन्द्र की चेतावनी और सलाह के बावजूद;**

और सत्तारूढ़ नेशनल कान्फ्रेंस ने उन राष्ट्रविरोधी तत्वों को संरक्षण प्रदान करना जारी रखा है जो अपने घृणित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कुछ भी कर सकते हैं।'

एक जगह और पी० टी० आई० को कोट करके बताना चाहूंगा :

'उनका कहना है कि देशभक्त भारतीय को अपनी किसी भी राजनीतिक निष्ठा के होते हुए यह अनुभव करना चाहिए कि** के नेतृत्व वाली नेशनल कान्फ्रेंस और फोर साम्प्रदायिक और उग्रवादी तत्वों द्वारा उस राज्य में सांठ-गांठ करके राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के ढांचे को

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

अत्यधिक हानि पहुंचाई जा रही है।

श्री मूपनार ने कहा है कि यह बड़े दुःख की बात है कि राजनीतिक दलों ने, जिन्हें धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त में विश्वास है और जिन्होंने देश की एकता और अखण्डता के प्रति अपनी वचनबद्धता की खुलेआम घोषणा की कि वे उपलब्ध साक्ष्य के बावजूद जम्मू और कश्मीर में नेशनल कान्फ्रेंस और राष्ट्र-विरोधी ताकतों के अपवित्र, कुत्सित गठजोड़ की निन्दा करने के लिए आगे नहीं आये हैं।

और फिर दूसरी जगह यह बताया है :

'इसी के साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस (इ) ने नेता मोहम्मद शफी कुरेशी ने आज भी यह दोष लगाते हुए अपने इस आरोप को दोहराया है कि** के तथाकथित कश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट से सम्बन्ध हैं।'

इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं। यह पूरे हिन्दुस्तान के अखबारों ने लिया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इलेक्शन के फौरन बाद जो वहां पर कांग्रेस और नेशनल कान्फ्रेंस का टकराव हुआ, उसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि इलेक्शन होते रहते हैं। एक पार्टी आएगी और दूसरी चली जाएगी। 1977 में जनता पार्टी आई और फिर 1980 में कांग्रेस आ गई। लिहाजा, यह डेमोक्रेसी का सिलसिला है। यह चलता रहेगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि नेशनल कान्फ्रेंस ने जिस दिन से जम्मू-कश्मीर में इक्तेदार हासिल किया उसके फौरन बाद कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के कुछ बड़े और लोकल नेताओं ने यह मोहिम चलाई कि यह प्रो-पाकिस्तान एन्टी-नेशनल एलीमेंट्स की गवर्नमेंट बनी है और इसका एक्सट्रीमिस्ट्स के साथ ताल्लुक है। मैं यह बताना चाहूंगा कि इससे मुल्क को कोई हेल्प नहीं मिलती है बल्कि नुकसान ही हुआ है। कुछ एडवेंचर्स आदमी, जो इंग्लैण्ड में दर-ब-दर फिरते थे और जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, वे इन्करेज हुए कि शायद फारूख अब्दुला की सरकार वहां रेवोल्यूशन लाना चाहती है। ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेंट आफ इण्डिया और जम्मू-कश्मीर के बीच जंग शुरू हो चुकी है और हमें भी इसमें अपना हिस्सा अदा करनो चाहिए।

इस तरह इन मिस-गाइडेड लोगों ने इसका फायदा उठाया। लन्दन में जो हालात पैदा हुए उनके बारे में मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं कि श्री म्हात्रे के कत्ल के मामले में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वो लीडर जिम्मेदार हैं जिन्होंने ऐसी सरकार की कंडमनेशन की है··· ···(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, क्या आप सोचते हैं कि यह उचित है कि यह नाम कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाए ? यह महाशय उनका नाम ले रहे हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त को पढ़ूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : कृपया उनसे कहिये कि कि नाम न लें। उन्हें ऐसा बात नहीं बोलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह ध्यानाकर्षण पर बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वे कुछ पृष्ठ भूमि बनाए और उसका उल्लेख करें। किन्तु वह पृष्ठभूमि विषय से सम्बद्ध होनी चाहिए और उसे संक्षेप

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

में होना चाहिए ।

प्रो० के० के० तिवारी : चाहे जो भी हो, उन्हें इस प्रकार नहीं बोलना चाहिएं । उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है । मैं चाहता हूं कि वह केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उठाये गए विषय पर ही बोलें ।

मैं प्रत्येक मामले में यही निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों को राजनीतिक बातों को यहां घसीटने की आवश्यकता नहीं है । यह तो इस विशिष्ट विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है ।

प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्प (बशीरहाट) : क्या आप चाहते हैं कि हम गैर-राजनीतिक भाषण करें ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक ध्यानाकर्षण से इसको क्या लेना देना है ? श्रीमन् इन्द्रजीत गुप्त जी इस ध्यानाकर्षण से इसका क्या सम्बन्ध है ? यह तो श्री भूपनार महोदय का एक वक्तव्य है जिन्होंने यह वक्तव्य एक राजनीतिज्ञ होने के नाते बाहर दिया है । अब यहां इसका क्या काम है ? वह सरकार की आलोचना कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण का नियम बहुत ही स्पष्ट है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है ? नियम क्या है ? नियमानुसार वह केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तो फिर आपको यह नियम सभी पर लागू करना चाहिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यहां बहुत सी बातें उठाकर ध्यानाकर्षण के मामाले का महत्व समाप्त हो जाता है । अतः, इसको स्पष्ट करने के लिए, आपको प्रश्न पूछना चाहिए और सरकार से उत्तर प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए और यदि सम्भव हो तो आपको अपने तर्कों से सरकार को घेरने का प्रयास अवश्य करना चाहिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री काबुली जी, आप अपनी बात जारी रखिए । आप अपने मुद्दे तो पहले ही उठा चुके हैं, अब अपने प्रश्न पूछिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को भी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कांग्रेस (इ) ने एक राजनीतिक वक्तव्य दिया है । अतः नेशनल कान्फेन्रा को स्वयं का बचाव करने का अधिकार है । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हर बात पर आम चर्चा होने लगी है । मैं सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार चला रहा हूं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमन् काबुली जी आप पहले ही 10 मिनट ले चुके हैं । अब असली बात पर आइये ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि इंटरनेशनल स्टेज पर, एरिना पर लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। मैं अपने फारेन मिनिस्टर को खबरदार करना चाहता हूं। जिन नेशनल कान्फ्रेन्स के लोगों ने काश्मीर में पीसफुल कंडिशंज पैदा की हैं, वह हिन्दुस्तान की बहुत बड़ी फतह है। नेशनल कान्फ्रेन्स की वहां पर गवर्नमेंट बनी है और वहां पर लोगों ने जो वोट दिया है वह इंडियन यूनियन को वोट दिया है। वहां पर पीसफुल कंडिशंज है। हम खुद जब इस बात को कहते हैं कि वहां कंडिशंज ठीक नहीं है, प्रो. पाकिस्तान एलीमैंट्स एक्टिव है, तो इसका फायदा फारेन कंट्रीज में गुरीलाज और एंटी इंडियन एलीमैंट्स उठाते हैं जो काश्मीर लिब्रेशन के नाम पर वहां झंडा खड़ा किए हुए हैं। यह एक नेशनल इशू है और इस पर मैं आपको खबरदार करना चाहता था।

महात्रे की वफात हो गई। प्रेस में आया है और शिकायत यह की गयी है कि उनकी मिसिज को आखिरी दम तक सरकार की तरफ से कोई काँटेक्ट नहीं किया गया, कुछ बताया नहीं गया और जो कुछ भी उनकी फैमिली को पता चला या उस तक पहुंचा वह थ्रू न्यूज मीडिया पहुंचा। और आपकी मदद से वह महरूम रही। उनके साथ क्या आपको जस्टिस इस मामले से नहीं करना चाहिए था ?

बर्मिंघम में हमारा एक असिस्टैंट हाई कमिश्नर है। वही हाई कमिशन का सबसे बड़ा सरवराह है। यह आफिस आज हिन्दुस्तान की इज्जत और फख्र की मिशाल बन कर सामने आया है। उसको पांच मील तक बस से सफर करना पड़ता था। क्या हमारा मुल्क ऐसे डिप्लोमैंट्स के लिए इतनी बेसिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं कर सकता था कि ट्रांसपोर्ट के लिए कार दे देता। हमारे जैसे देश के इतने बड़े अफसर को पांच किलोमीटर का सफर बस स्टैंड तक जाने के लिए करना पड़े और उसके बाद पांच मील का सफर उसको गाड़ी से करना पड़े यह बड़े दुःख की बात है। हमारा देश महान देश है और इतनी बड़ी और अहम् हमारी इंटरनेशनल पालिसीज वगैरह भी है तो इन हालात में जबकि बर्मिंघम में नब्बे हजार काश्मीरीज फ्राम आजाद काश्मीर और लिविंग देअर सो काल्ड आजाद कश्मीर, सबसे भारी मैंजोरिटी पाक आक्यूपाइड काश्मीर के लोगों की वहां है और मैं समझता हूं कि जब बर्मिंघम में पाक समाज और एंटीइंडियन एलीमेंट्स की एक्टिविटीज चल रही थीं तो क्यों नहीं आपने इस चीज को गम्भीरता से लिया और उसकी जान की हिफाजत और उसकी पक्की सिक्योरिटी वगैरह की जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाया और क्यों इस मामले में लैप्स हुई ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : डिप्टी स्पीकर साहब, पहले तो मैं यही अर्ज करूंगा कि आनरेबिल मेम्बर ने शुरूआत तो बहुत अच्छी की, लेकिन बीच में बहुत दूर भटक गये। आपने पहले जो यह कहा कि दूसरे मुल्क में जो होता है उस पर हम सबको इत्तफाक करना चाहिए, वहां पार्टीबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है, इससे मैं मुत्तफिक हूं। यह काल अटेंशन उस प्रोग्राम के बारे में है जो ब्रिटिश टी० वी० पर दिखाया गया। देश के अन्दर क्या होता है, फिर पार्टी ने इन्हीं पार्टी को क्या-क्या कहा, और दूसरी पार्टी ने पहली को क्या-क्या जवाब दिया इसका यहां तजकिरा और इस काल

अटेंशन के ताल्लुक से तजकिरा मेरी समझ में नहीं आता और यहां बैठता नहीं है । उसके लिए कोई दूसरा मौका हो सकता है । होम मिनिस्ट्री की डिमान्डस पर कह सकते हैं, और दूसरे मौके पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए न यह मौका है और न माहोल है । इसलिए मैं माफी चाहता हूं । यह कहते हुए कि आपने बिल्कुल एक गैर मुताल्लिक चीज लाने की कोशिश की ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : यह कनैक्टड है सारा ।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : कनैक्टेड तो सारी दुनिया है । क्वेश्चन यहां पैदा करने की, बताने की जो कोशिश कर रहे हैं वह नाकाम कोशिश है, ऐसा कोई ताल्लुक इन दोनों में नहीं है।

मैं आपकी शुरू की स्प्रिट से मुत्तफिक हूं, और आपने नाम निहार जो फ्रंट की जो बात कही उसी चीज को इनवर्टेड कौमा में रख कर मैंने अपने बयान में कहा है एक नाम निहार फ्रंट जो वहां है, उससे हम सारे कश्मीरियों पर यह कलंक नहीं लगा सकते हैं, यही मैं कहना चाहता हूं । इसलिए आपसे मैं उस मामले में मुत्तफिक हूं । इसको आप इस सिलसिले में नहीं, किसी और सिलसिले में उठा सकते हैं ।

जहां तक श्रीमती महतरे को इत्तला न होने का सवाल है, ऐसी कोई बात नहीं है और श्री महतरे के लिए गाड़ी का इंतजाम क्यों नहीं किया गया, मुझे तो यह अजीब सा सवाल लगता है । लोग बसों में सफर कर रहे हैं। आज तक ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है और न कोई ऐसा खतरा महतरे ने खुद महसूस किया, न उसके बारे में कोई तजकिरा हुआ न प्रोपोजल आया। हम जहां कहीं ऐसा खतरा खाते हैं, यहां से भी इंतजाम करने की कोशिश करते हैं, वहां की सरकारों को कह कर भी करवाते हैं । लेकिन आज एक हैंड साइट के तौर पर, चूंकि एक कत्ल हुआ जिससे हम सबको दुख है, लेकिन उस कत्ल से यह नतीजा निकालें और पूछने लगें कि गाड़ी क्यों नहीं दी, यह मैं समझता हूं बजा नहीं है, ऐसा आपको कहना नहीं चाहिये ।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय द्वारा अभी-अभी दिया गया वक्तव्य और उससे पहले का लिखित विवरण दोनों ही निराशाजनक हैं । एक स्वतन्त्र ब्रिटिश टेलिविजन कम्पनी के दूरदर्शन कार्यक्रम पर कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो हमारे राष्ट्रीय हित के विरुद्ध जाती है । यहां पर किसी दल का कोई प्रश्न नहीं है, नां ही भावनाओं का ही कोई प्रश्न है। ब्रिटेन की साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा, हमारे देश का एक बार तो विभाजन किया जा चुका है, वे ताकतें जिन्होंने उसी वर्ष अर्थात् 1947 में फिलिस्तीन का बटवारा किया था, जिन ताकतों ने उसी साल अर्थात् 1947 में आयर-लैण्ड का बटवारा किया था और भारत, फिलिस्तीन या आयरलैण्ड में बहाना बनाया था कि आन्तरिक झगड़ों और संघर्षों का । हमें एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वही ब्रिटेन नागालैण्ड के स्व-घोषित राष्ट्रपति फिजो को आश्रय प्रदान कर रहा है और यहां तक कि उसने उसे अपनी नागरिकता भी प्रदान कर दी है—मेरा मतलब यहां श्री फीजो से है । ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जेष्ठ भ्राता अर्थात अमरीका एक और अन्य व्यक्ति को पनाह दे रहा है जो कि सार्वभौम खालिस्तान का स्व-घोषित राष्ट्रपति है, उसके पास हमारा

पासपोर्ट नहीं है और हमारे विरोध के बावजूद सभी अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों, नीतियों और विधियों का उल्लंघन करके ऐसा किया जा रहा है।

ऐसी स्थिति में, टिप्पणीकार ने स्वतन्त्र ब्रिटिश प्रसारण प्रणाली के माध्यम से जो कुछ कहा है उससे सम्बद्ध मन्त्री महोदय के वक्तव्य को मैं उद्धृत कर रहा हूं। उसमें कहा गया है;

> "कार्यक्रम के टिप्पणीकार ने बताया है कि जबकि विश्वभर को इस हत्या पर आघात लगा और उसकी निन्दा की गई तो 'ब्रिटेन के कश्मीरी' इस अपराध के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे।"

अतः, टिप्णीकार का यह मत था और फिर कुछ व्यक्तियों को एक-एक करके बुलाया गया जिनमें से कम से कम एक सिद्दोष विमान अपहर्त्ता भी था। अतः सब कुछ उजागर है, यह बात नहीं है कि किसी ने कुछ कहा और यह बात भी नहीं है कि हम भाषण पर ऊँगली उठा रहे हैं। परन्तु हम यह कहना चाहते हैं कि एक दोषसिद्ध विमान अपहर्ता को, टिप्पणीकार द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करने के लिए दूरदर्शन पर बुलाया गया था और फिर एक हत्यारे को विधिवत फांसी पर चढ़ाए जाने का हत्याओं के माध्यम से बदला लेने के लिए उपदेश दिया गया।

ऐसी स्थिति में, मन्त्री महोदय का वक्तव्य और उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार निश्चय ही निराशा जनक हैं क्योंकि आजकल हमारी प्रधानमन्त्री महोदया रात-दिन देश से यही अपील करती रहती हैं कि हमारी एकता बनाये रखी जाए। इस बात पर देश सर्वसम्मत है कि देश की एकता को हर कीमत पर बनाए रखा जाए। ऐसी स्थिति में इस ध्यानाकर्षण को लाया गया इसलिए नहीं लाया गया कि व्यक्ति के कुछ भी कहने के अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए, परन्तु ब्रिटिश दूरदर्शन प्रणाली के इस तथ्य को भी उजागर करने के लिए लाया गया एक ऐसे व्यक्ति को टिप्पणीकार के विचारों का समर्थन करने के लिए लाया गया जो कि विमान अपहर्त्ता के रूप में पहले ही दोषी पाया गया है तथा जो कि हमारे राजनयिकों और अन्य की हत्या की धमकी देता है। अतः, स्थिति की यह गंभीरता है।

ऐसी स्थिति में, मैं इस बात पर तो बल नहीं दे रहा हूं कि मन्त्री महोदय बिल्कुल वही शब्द बोलें, परन्तु यही पर्याप्त है कि उन्होंने यह बताया है कि "इन लोगों को इस सीमा तक अपने धर्मोन्मादपूर्ण विचार व्यक्त करने की अनुमति दी गई कि भारत के प्रातः स्मरणीय नेताओं का उल्लेख शर्मनाक भाषा में किया गया।"

वह अलग बात है। न केवल उसकी अनुमति दी गई—बात तो यह है उन्हें यह सब बातें स्पष्टरूप से कहने के लिए ही लाया गया था। ऐसी स्थिति में, मैं यह जानना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर हमारे राजदूत द्वारा ब्रिटिश सरकार को दिए गए नोट का उन्होंने क्या उत्तर दिया कि क्या ब्रिटिश दूरदर्शन प्रणाली को किसी हत्यारे को विधिवत फांसी पर लटकाए जाने पर बदला लेने वाले वक्तव्यों का प्रसारण करने या हमारे राष्ट्र के सम्मानित नेताओं पर गन्दी गालियां बरसाने की प्रायः अनुमति दी जाती है।

दूसरे, मैं यह जानना चाहूंगा कि उस प्रणाली का क्या उत्तर था।

जैसा कि वक्तव्य बताता है स्वतन्त्र प्रसारण प्रणाली का विरोध किया गया था। ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वहां कोई उत्तर नहीं था, मानो यूनाइटेड किंगडम में सरकार के भीतर सरकार है। हमारे दूतावास के कर्मचारियों और हमारे राजनयिकों की सुरक्षा विशेषकर ऐसे देशों म जो स्पष्ट रूप से हमारे राष्ट्रीय हितों के शत्रु हैं, क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका भी इनमें है। कुछ अन्य देश भी हैं। पाकिस्तान में, हम लगातार ऐसी खबरें सुनते रहते हैं कि वहां हमारे राजनयिक के साथ दुर्व्यवहार और मार-पीट की गई हाल ही में, हम राष्ट्रमंडल सम्मेलन के अतिथेय रहे हैं और हम अब भी राष्ट्र मडल में हैं। यदि ब्रिटिश सरकार हमारे राष्ट्रीय अपमान की उचित रूप से प्रतिपूर्ति नहीं करती है, यदि ब्रिटिश सरकार श्री फिजो, जो अपने आपको आजाद नागालैंड का राष्ट्रपति कहते हैं और जो यहां अन्य कई मामलों में भी दोषी हैं के बारे मैं कुछ नहीं करती है, यदि यह स्थिति ऐसी ही बनी रहती है तो, राष्ट्रमंडल से ही छुटकारा क्यों न पा लिया जाए और हमारी स्वतन्त्रता और स्वतन्त्र विकास के शर्मनाक अध्याय को समाप्त क्यों न कर दिया जाय। इस प्रश्न के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि न तो यह कोई दलगत मुद्दा है, न ही यह कोई व्यक्तिगत मुद्दा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरी सभा को एक होना चाहिए और मेरे विचार से माननीय मन्त्री इस भावना को स्वीकार करेंगे और इसी भावना से उत्तर देंगे।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : सबसे पहले, मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह ध्यानाकर्षण के विषय तक ही अपने को सीमित रखें। इसके बाद, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हमने न केवल कड़ा विरोध किया अपितु यह भी बताया कि रेडियो पर उन लोगों द्वारा जो शब्द बोले गए हैं वह हिंसा की खुली वकालत है, जो यूनाइटेड किंगडम में ही इस समय लागू कुछ कानूनों का उल्लंघन है। हमने इस बारे में उन्हें बताया जिसके परिणामस्वरूप हमें सूचना दी गई कि ब्रिटिश मन्त्री हमारे दृष्टिकोण से सहमत हैं और चैनल 4 के प्रायोजकों के साथ इस मामले को उठाने का वचन दिया है। साथ ही वह इस पर भी सहमत हो गऐ कि प्रचलित कानून के अनुसार कार्यक्रम की विषय-सूची पर विचार किया जाए। अतः उनके देश में प्रचलित कानून के प्रावधान के अनुसार कार्यक्रम की विषय-सूची पर विचार करने के बारे में उन्होंने हमें सकारात्मक उत्तर दिया है। यह बिल्कुल वही है जो हम उनसे चाहते थे और यही करने का उन्होंने हमें वचन दिया है। प्रसारण प्रणाली के बारे में, चैनल 4 का हमने विरोध किया और जितना मैं जानता हूँ इस बारे में अभी तक वहाँ से कोई प्रतिपुष्टि नहीं हुई है यदि कोई प्रति पुष्टि होती है तो मैं बाद में उस पर सदन को विश्वास में ले सकता हूँ, किन्तु आज प्रात तक मुझे इस बारे मे कोई सूचना नहीं मिली है।

सुरक्षा के बारे में, मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा। जनेवा संधि के अनुसार विदेशों में हमारे दूतावासों और उनके कार्यक्रमों की सुरक्षा का उत्तर दायित्व आतिथेय सरकार पर है। इसी के साथ-दूरदर्शिता इसी में है कि जहां आवश्यक हो, हमें उपयुक्त उपाय भी करने चाहिए। सुरक्षा के उपायों का लगातार समीक्षा की जाती रही है और जहां भी आवश्यक है, दूतावासों को अनु-

देश भेज दिए गए हैं। जबसे श्री म्हात्रे के अपहरण का समाचार प्राप्त हुआ तबसे सभी दूतावासों को अत्यन्त सतर्क कर दिया गया था और उन्हें अनुदेश दिया गया था कि वे स्थानीय पुलिस अधिकारियों की सहायता और सहयोग प्राप्त करें। महत्वपूर्ण दूतावासों में अन्य बहुत से उपाय भी किए गए थे। किन्तु इस बारे में पूरे ब्यौरे देना वांछनीय नहीं होगा। सभा को आश्वस्त करने के लिए यह पर्याप्त होगा कि सुरक्षा से सम्बन्धित जो भी बात सम्भव हो सकती है, उसका अनुमान लगा लिया गया है तथा विश्लेषण करने के बाद मिशनों को समुचित उपयोग की सलाह दी गई हैं। सुरक्षा की यह स्थिति है।

जहां तक राष्ट्र-मण्डल का सम्बन्ध है, श्री भोगेन्द्र झा राष्ट्र मण्डल में भारत के बने रहने के वैसे ही विरुद्ध हैं उन्होंने फिर से अपनी राय जाहिर करने का मौका ढूंढ़ लिया है। किन्तु हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० के० के० तिवारी।

श्री भोगेन्द्र झा : ब्रिटिश सरकार की राय और इस पर ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में प्रश्न था।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं उत्तर दे चुका हूं। मैंने निवेदन किया है कि हम उन्हें बता चुके हैं कि इस तरह की बातें तो स्वयं उनके देश में लागू कानून का उल्लंघन है और वे इस मामले पर विचार करने के लिए सहमत हो गए हैं। स्वाभाविक रूप से इस मामले पर विचार करने के लिए और पता लगाने के लिए कि कानून का प्रावधान क्या है, जिसके बारे में हमने कहा है कि उन्होंने उल्लंघन किया है। उन्हें कुछ समय तो देना ही होगा। अतः आगे कार्यवाही करने की जिम्मेदारी उन पर है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : बर्मिघंम में हमारे सहायक आयुक्त को वाहन देने के बारे में एक सुझाव दिया गया था क्योंकि उन्हें एक मोटर प्रदान नहीं की गई है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं इस ध्यानाकर्षण के बारे में बोल रहा हूं, तो विपक्ष की ओर से धुरंधर सदस्यों के ऐसे मामले पर भी जिसे वे अत्यन्त राष्ट्रीय महत्व का कहते हैं प्रकट किए गए व्यवहार के कारण मेरे हृदय को आघात पहुंचा है और यह अथाह संताप से भरा हुआ है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : फिर वह विपक्ष की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप मूल विषय पर आइए। इस बारे में मैं माननीय मंत्री भी अनुरोध कर चुके हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने अभी अपनी बात शुरू ही की है उन्हें मुझे बोलने की अनुमति देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय पर आइए।

श्री हरिकेश बहादुर : विपक्ष का हवाला क्यों दिया जा रहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय पर आइए। मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : श्री भोगेन्द्र झा ने साम्राज्यवादियों के बारे में जाने-पहचाने तरीके से बात की है।. (व्यवधान)

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : आप इनके नोटिस में वह नियम क्यों नहीं लाते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ला चुका हूं। अब आप भी उनके नोटिस में ला चुके हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : साम्राज्यवादी और नव-उपनिवेशवादी शक्तियों के षड्यन्त्र जाने-पहचाने हैं और मेरे विचार से देश के चारों ओर जो कुछ हो रहा है उससे विपक्ष के मेरे प्रबुद्ध साथियों की आंखें खुल जानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : देखिए, वह फिर विपक्ष की बात कर रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : जम्मू-काश्मीर में क्या हो रहा है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम बहुत ही नाजुक मसले पर चर्चा कर रहे हैं। आप बीच में काश्मीर और विपक्षी दलों को मत लाइए।

श्री एडुआर्डो फलीरो (भारमागाओ) : आप देर से आए हैं। आपको यह पहले करना चाहिए था।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वाजपेयी जी, आपके आने से पहले ऐसा हुआ है। मैंने अपील की है उनसे ऐसा न करने के लिए। आप भी मत कीजिए।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : ऐसा कहा गया था। और उस पर आपत्ति भी की गई थी। वह दुबारा इस बात का क्यों उल्लेख कर रहे हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी : मैं ठीक ही इसका उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि मामले को छेड़ा गया है। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य बोल रहा है। कृपया बैठ जाइए। आप क्यों उठ कर खड़े हो रहे हैं। कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० के० के० तिवारी : ब्रिटिश दूरदर्शन, ब्रिटिश रेडियो और ब्रिटिश संचार माध्यमों पर किया जा रहा प्रचार इस देश की अखण्डता पर एक साम्राज्यवादी हमला है। और मेरे विचार से हर एक को यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इस देश की आजादी खतरे में है। हमारे राजनयिक की हत्या को, जम्मू तथा कश्मीर और इस देश के अन्य हिस्सों में जो हो रहा है, उससे अलग करके नहीं देखा जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, एक जाने-पहचाने सिद्दोष अपराधी मकबूल बट्ट को फाँसी दिए जाने के बाद जो कुछ हुआ उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इससे पहले मैं माननीन मन्त्री से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण करने वाले अपराधी श्री कुरैशी पाकिस्तान के पारपत्र पर ब्रिटेन गए। इस बारे में क्या किया गया है? क्या यह सच नहीं है कि जम्मू तथा काश्मीर मुक्ति मोर्चा और जम्मू तथा काश्मीर मुक्ति सेना के नाम से पाकिस्तान और ब्रिटेन से अपनी गतिविधियां चला रहे शरारती तत्वों द्वारा न केवल एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा था, अपितु उन तत्वों का गहरा सम्बन्ध जम्मू तथा काश्मीर के लोगों से भी था··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं नहीं जानता कि मैं जो कुछ बोलता हूँ उन्हें यह क्यों चुभती है। (**व्यवधान**)

मैं समझता हूं कि म्हात्रे की हत्या निंदनीय है और वह एक ऐसे षड्यंत्र का परिणाम है, जिसका सम्बन्ध उन साम्राज्यवादी ताकतों से है जो हमारी राजनीतिक पद्धति को अस्थिर करने में लगी हुई हैं और वे यह काम जाने-पहचाने बिचौलियों और एजेन्टों के माध्यम से कर रहे हैं। इस सभा में और इस देश में वामपंथी दल भी है और मैं नहीं जानता कि वह क्यों इस बात को स्वीकार करने से शर्मा रही हैं। इसीलिए, मैं यह बात माननीय मन्त्री के ध्यान में लाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि वह इस बारे में उत्तर देंगे कि मकबूल बट्ट को फांसी दिए जाने के बाद क्या हुआ? क्या यह सच नहीं है कि जम्मू तथा काश्मीर में बंद आयोजित किए गए तथा सभायें की गई। जब जिया-उल-हक और पाकिस्तान सरकार मकबूल बट्ट को एक शहीद के रूप में चित्रित कर रही थी तभी साथ ही जम्मू तथा काश्मीर में भी वहां के मुख्य मन्त्री जिन्हें महान देश भक्त कहा जाता है के अधीन उन्हें बहुत महत्व दिया जा रहा था। उनके मित्र हाल ही में बने दोस्त मीरवेज मौलवी फारूकी ने आह्वान किया था···(**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : इन टिप्पणियों को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इतनी बातें क्यों बीच में ला रहे हैं? आप असंगत बातें क्यों बोल रहे हैं (**व्यवधान**)।

प्रो० के० के० तिवारी : असंगत बात क्या है, इस ध्यानाकर्षण का विषय क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय : ब्रिटिश टेलीविजन पर भारत-विरोधी प्रचार का समाचार।

प्रो० के० के० तिवारी : पूरा विषय पढ़िये।

उपाध्यक्ष महोदय : फारूक अब्दुल्ला और अन्य बातें आप क्यों बीच में ले आये ? (**व्यवधान**) मैं खेदपूर्वक यह बात कहता हूं कि इस सभा में कोई भी सदस्य इस पक्ष से या उस पक्ष से किसी भी समस्या को राजनीतिक रंग नहीं दे सकता है। (**व्यवधान**) कृपया मूल विषय पर आइए और मंत्री जी से अपना प्रश्न पूछिए। (**व्यवधान**) मैं सभा की कार्यवाही का संचालन कर रहा हूं। हर एक सदस्य क्यों खड़ा हो रहा है ? मैं आपको निर्देश दे रहा हूं कि मूल विषय से परे मत जायें। मूल विषय पर ही बात कीजिए। (**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इन टिप्पणियों को कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

(**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : विषय यह है। मकबूल बट्ट को फांसी दिए जाने के बारे में तथाकथित "जम्मू और कश्मीर मुक्ति मोर्चे" के नेताओं की ओर से ब्रिटिश टेलिविजन पर भारत विरोधी प्रचार का समाचार तथा इस मामले में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही।'

मकबूल बट्ट को फांसी दिया जाना इस प्रस्ताव का विषय है और फांसी दिए जाने के पश्चात जम्मू-कश्मीर में क्या हुआ ? वहां बंद किस प्रकार आयोजित किया गया था तथा इसको आयोजित करने वाले लोग कौन थे। (**व्यवधान**)

श्री अब्दुल रशीद काबुली : यह विषय से सम्बद्ध नहीं है। मुझे भी सभा में इस पर अवश्य बोलना चाहिए।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण विषय पर ही बोलिएगा।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं खेद के साथ यह कहता हूं कि आपकी टिप्पणी इससे सम्बद्ध नहीं है। इसीलिए जब हम राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं, तो मैं जानता हूं और मैं कभी भी ऐसे विषय को विवादास्पद दृष्टिकोण से नहीं रखता। मैं उससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहता हूं किन्तु जब कई सदस्य चिल्लाना शुरू कर देते हैं तो मैं इस प्रकार से बोलने पर विवश हो जाता हूं अन्यथा मैं इस प्रकार की बात नहीं बोलता ··· (**व्यवधान**)

श्री अब्दुल रशीद काबुली : चिल्लाना असंसदीय शब्द है, इसको कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए ··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतांत की जांच करूंगा। अब कृपया अपना प्रश्न पूरा कीजिए···

(**व्यवधान**)

कृपया अपना प्रश्न पूछिए···

(व्यवधान)

प्रो० के०के० तिवारी : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस घटना—यू के० में महात्रे की हत्या—के परिणाम ब्रिटिश सरकार द्वारा टेलिविजन पर दिखाए गए कार्यक्र से भी अधिक दूरगामी होंगे ?

इस घटना में क्या पाकिस्तानी तत्व भी शामिल हैं अथवा जम्मू तथा काश्मीर सरकार संरक्षण में वहां के कुछ लोग भी इससे सम्बद्ध हैं ? मुझे बताया गया है कि जम्मू तथा कश्मी मुक्ति मोर्चे के अध्यक्ष अमानुल्ला खां के मित्र हैं** और वहां के कुछ लोग इससे गहरे रूप में जु हैं ···(व्यवधान)

श्री अब्दुल रसीद काबुली : इन शब्दों को कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतांत की जांच करूंगा। यदि कोई आरोप लगाने वाल टिप्पणी हुई है तो मैं उसे देखूंगा ···(व्यवधान)

श्री अब्दुल रसीद काबुली : जब तक इन टिप्पणियों को कार्यवाही वृतांत से नहीं निका दिया जाता, तब तक हम उन्हें बोलने नहीं देंगे···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी के ऊपर कोई आरोप मत लगाइये···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : में उनसे कह रहा हूं कि मैं कार्यवाही वृतांत की जांच करूंगा ···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि मैं कार्यवाही वृतांत की जांच करूंगा और भाष का जितना हिस्सा आरोप लगाने वाली बातों का होगा उसे निकाल दूंगा ···

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : किसी के ऊपर हम आरोप नहीं लगाने देंगे···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा का संचालन नियमों के अनुसार ही कर सकता हूं, मैं आप कह चुका हूं...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित मत किजिए।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या इस बात की अनुमति है कि किसी राज्य सरकार के निर्वाचित मुख्य मंत्री, जो यहाँ उत्तर देने के लिए मौजूद भी नहीं हैं पर तरह तरह के आरोप लगाए जाएं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुख्य मंत्री सहित किसी भी ऐसे व्यक्ति पर, जो इस सभा का सदस्य नहीं है किसी तरह का आरोप नहीं लगाया जा सकता। मैं कार्यवाही वृतांत का जांच करूंगा। कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता ···

(व्यवधान)

मैं इस प्रकार से नहीं कर सकता हूं। मैं कार्यवाही वृतांत की जांच करूंगा और यदि मुख्यमंत्री अथवा किसी ऐसे व्यक्ति, जो इस सभा का सदस्य नहीं है, के खिलाफ कोई आरोप पाया गया, तो मैं उसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दूंगा ···

(व्यवधान)

अब मंत्री उत्तर देंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि टेलीविजन कार्यक्रम में शामिल लोगों की धमकियों से जैसा दिखाई देता है, उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण देशों का समर्थन प्राप्त कर लिया है, सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कदम उठाए हैं ? क्या अन्य देशों में भी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी ? मुझे पक्का विश्वास है कि जब तक सरकार इस देश में मौजूद उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर उन्हें नहीं दबाती तब तक हम ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने में सफल नहीं होंगे। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से उन सभी मुद्दों, जिनका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं—इस मोर्चे का हमारे देश से संचालन, समर्थन और साम्राज्यवादी तथा नव-उपनिवेशवादी ताकतों, जो इनकी बहुत हमदर्द हैं, द्वारा इन्हें व्यापक रूप से समर्थन दिए जाने के बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक है। अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे। हमारे लोगों पर ब्रिटिश टेलिविजन द्वारा किए गए आक्रमण का हवाला किसी ने नहीं दिया।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसीलिए मेरा निवेदन है...

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्षपीठ के दो मापदण्ड नहीं होने चाहिए—एक कश्मीर के हमारे सदस्यों के प्रति और दूसरा अन्य सदस्यों के प्रति।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा केवल एक ही मापदंड है। मैं उनसे भी वही बात कह चुका हूं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हमने परोक्ष रूप से भी कभी यह नहीं कहा कि कांग्रेस नेता देशभक्त नहीं हैं। किन्तु वह···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा मूल विषय से दूर चली गयी है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : ध्यानाकर्षण का विषय, मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं। ध्यानाकर्षण का विषय यूनाइटेड किंगडम में टेलिविज़न पर एक विशेष दिन प्रसारित एक विशेष कार्यक्रम में तथाकथित जम्मू और कश्मीर मुक्ति मोर्चे के कुछ नेताओं के कथनों के बारे में है।

उपाध्यक्ष महोदय : जो आंखों से पूरी तरह ओझल हो चुका है ऐसी दिखाई देता है कि

श्री पी० वी० नरसिंह राव : किसी कारणवश उसे एक ओर छोड़ दिया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रो० तिवारी ने उसका सम्बन्ध किसी अन्य से जोड़ दिया है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जिसने जो भी कहा, मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह विषय की ओर आ जायें। जहां तक श्री महात्रे की हत्या का सम्बन्ध है, वास्तव में, इसका कोई सीधा सम्बन्ध यहां से नहीं है। किन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। पूरी बातें तो तभी पता चल पायेंगी जब जाँच पूरी हो जायगी। अतः जहां तक दुष्प्रेरित करने वाले सहायता करने वाले निकट सहयोगियों का सम्बन्ध है, यह सब बातें इन ध्यानाकर्षण की परिधि से पूरी तरह से बाहर हैं। अतः मैं दिवेदन करूंगा कि यह अवसर ऐसा नहीं है अथवा यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव नहीं है जिसके लिए ऐसी जानकारी प्रकाश में लाई जाए। यही मेरा निवेदन है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : हमारे राजनयिक श्री महात्रे की हत्या वास्तव में एक शर्मनाक कार्य है। इस घटना की निंदा और भर्त्सना करने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। ध्यानाकर्षण के उत्तर में माननीय मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है। मैं उस वक्तव्य की कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहता हूं। वह कहते हैं :

"रात में काफी देर से ब्रिटिश टेलिविजन के चैनल 4 पर, जो कि एक वाणिज्यिक चैनल है, एक कार्यक्रम दिखाया गया था।"

यह दर्शाता है कि ब्रिटिश टेलिविजन द्वारा वाणिज्यिक चैनलों का उपयोग भी भारत विरोधी प्रचार के लिए किया जा रहा है। यह एक आश्चर्यजनक बात है। तत्पश्चात वह कहते हैं !

"दूसरे भाग में ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों की प्रतिक्रिया दिखाई गयी थी।"

फिर से, आश्चर्यजनक बात यह है कि साक्षात्कार के लिए ब्रिटिश टेलिविजन को इन लोगों जो भारत विरोधी हैं और इस समय ब्रिटेन में रह रहे हैं, के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति नहीं मिला था। उदाहरणार्थ, इनमें एक ब्रिटेन में तथाकथित 'जम्मू और काश्मीर मुक्ति मोर्चे' के अध्यक्ष 'अमानुल्ला खां' थे, एक 'हशीम कुरैशी' जैसा कि सभा को पता है, जो एक दोषसिद्ध विमान अपहरणकर्ता हैं; और तीसरे 'कश्मीरी वर्कर्स यूनियन' के 'मोहम्मद यूनुस' थे। इस विशेष घटना के बारे में साक्षात्कार करने के लिए ब्रिटिश टेलिविजन को इन लोगों के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति नहीं मिला था। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि ब्रिटेन में भारत के प्रति सद्भावना नहीं है। अन्यथा ब्रिटिश टेलिविजन के लोग साक्षात्कार के लिए ऐसे लोगों को नहीं बुलाते। तत्पश्चात,

अपने वक्तव्य में मंत्री महोदय कहते हैं :

"हमारे लिए यह सोचना भी मुश्किल है कि ब्रिटेन के टेलिविजन पर कोई भी जिम्मेवार आदमी इस तरह के कट्टर विचार व्यक्त करने की और ऐसे नाजुक मोड़ पर बदले और हिंसा की इस तरह की बात कहने की इजाजत देगा।"

इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस कार्यक्रम का प्रबन्ध कुछ गैर जिम्मेदार लोग कर रहे हैं। इनी कारण ऐसी बातें हुईं। यदि ब्रिटिश सरकार अपने टेलिविजन और रेडियो आदि पर ऐसे लोगों को कार्य करने की अनुमति देती है तो इससे पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार की भारत के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। अन्यथा उस टेलिविजन प्रसारण के लिए ऐसे भारत विरोधी लोगों को न बुलाया गया होता।

श्रीमन्, यह भी आश्चर्य की बात है कि ब्रिटेन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे कुछ अन्य देशों में ही भारत विरोधी प्रचार और गतिविधियां जारी हैं। यहां तक कि तथाकथित खालिस्तान समर्थक भी ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरीका और कनाडा से अपना कार्य संचालन कर रहे थे। वास्तव में, शायद कनाड ने ऐसी गतिविधियों को रोक दिया है किन्तु मैं नही जानता कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हुआ।

श्रीमन् यह दिखाई देता है कि उन देशों को अपने यहां भारत विरोधी प्रचार और भारत विरोधी गतिविधियों की अनुमति न देने के लिए भारत सरकार उन देशों की सरकारों को राजी करने में पूर्णतः असफल रही है। और श्रीमन् अमानुल्ला खां और हशीम कुरैशी ने जो भी बोला था वह ब्रिटेनके कानून के भी खिलाफ था। किन्तु उन लोगों को ऐसी बात टेलिविजन पर बोलने की अमुमति दी गई थी। इसका आशय है कि वहाँ भारत विरोधी भावनाएं इतनी अधीक थी कि उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि वक्ताओं द्वारा उनके देश के कानून का ही उल्लंघन किया जा रहा था और उन्होंने उन्हें ऐसी बात बोलने की अनुमति दे दी थी। यहां तक कि ब्रिटिश लेबर पार्टी के संसद सदस्य श्री जनेट भी उस टेलिविजन प्रसारण को पूर्णतः अपमानजनक और असंतुलित बताया है। यह बात आज के बहुत से समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है कि उन्होंने उस टेलिविजन प्रसारण को पूर्णतः अपमानजनक और असंतुलित बताया है। वास्तविक स्थिति यह है।

महोदय, मेरा मुद्दा है कि हमें ब्रिटिश सरकार तथा संयुक्त राज्य अमरीका से यह अनुरोध करना चाहिए कि वे अपने देश से भारत विरोधी गतिविधियां जारी रखने की अनुमति न दें और यदि ऐसी गतिविधियां होती हैं, तो निश्चत रूप से यह हमारे देश के हित के विरुद्ध है। अतः मैं चाहता हूं कि सरकार को इस तरह से उनके साथ इस मामले पर विचार करना चाहिए। मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि यदि ब्रिटिश सरकार हमारे इस अनुरोध, कि वह ब्रिटेन से ऐसी गतिविधियां जारी रखने की अनुमति न दे, का उत्तर नहीं देती, तो क्या सरकार राष्ट्र मण्डल से अपना नाम वापिस लेने पर विचार करेगी। यह बहुत ही स्पष्ट प्रश्न है और मैं मंत्री महोदय, ने इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। यद्यपि यह प्रश्न पहले भी पूछा गया था लेकिन मंत्री महोदय ने इसका उत्तर नही दिया। अतः मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ।

महोदय, एक मामला काश्मीर मुक्ति सेना का था, इस बारे में मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय को इसकी कोई सूचना है; क्या यह सेना वहां कार्य कर रही है या नहीं। वह कह रहे हैं कि काश्मीर मुक्ति सेना नहीं है। लेकिन जहां तक काश्मीर मुक्ति मोर्चे का सम्बन्ध है, यह मोर्चा ब्रिटेन, पाकिस्तान, डेनमार्क, संघीय गणराज्य जर्मन, नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में बहुत सक्रिय था। मैं नहीं जानता कि क्या भारत सरकार ने इन देशों की सरकारों के साथ इस विशेष मामले पर विचार किया है या नहीं। और क्या भारत सरकार अथवा ब्रिटेन स्थित हमारे उच्चायोग ने तथा-कथित जम्मू और काश्मीर मुक्ति मोर्चे की गतिविधियों के प्रश्न पर ब्रिटेन के अधिकारियों से बातचीत की है अथवा नहीं ? यदि इस मामले पर उनके साथ बातचीत की गई थी, तो कब की गई थी तथा ब्रिटेन सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की थी ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। मैं केवल इतना ही और कहना चाहता हूँ कि यदि कोई ऐसी संस्था है जो स्वयं को मोर्चा या कुछ और कहती है तथा यह वहां कार्य कर रही है तथा इसका कार्यालय और अपना नाम पट्ट होने मात्र से इस संस्था को बने रहने का अधिकार नहीं मिल जाता। हमें देखना है कि इसकी गतिविधियां क्या हैं, और जब कभी किसी व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा कोई आपत्तिजनक कार्य किया गया है हमने नियमित रूप से, दृढ़ता से और प्रभावशाली ढंग से इन मामलों पर अपनी सरकार से बातचीत की है। सभी मामलों में ऐसा ही हुआ है। जब कभी किसी व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है या ऐसी कोई बात कही है जो हमारे देश के हित में नहीं है अथवा जो भारत के लिए अपमानजनक है अथवा भारत के प्रतिकूल है, हमने निरपवाद रूप से इन प्रश्नों पर बातचीत की है तथा इनका विरोध किया है। तथा इस विशेष मामले में हमारे विरोध का यह प्रभाव पड़ा कि ब्रिटेन के अधिकारियों ने स्वयं ब्रिटेन को वर्तमान कानूनों की दृष्टि से इस कार्यक्रम की विषय वस्तु पर विचार करने का वचन दिया था। अतः मैं समझता हूं कि सदस्यों द्वारा पूछे गए सभी मुद्दों का उत्तर दे दिया गया है।

श्री हरिकेश बहादुर : उन्होंने राष्ट्र मंडल के बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। अब मैं समझा हूँ कि आप भी भारत के राष्ट्र मंडल में होने के विरुद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में आ चुका है कि आप भी भारत के विरोधी हैं। (व्यवधान)

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे असिस्टेंट हाई कमिश्नर श्री मल्होत्रा का जो ब्रिटेन में कत्ल हुआ, उसको जितने भी सख्त शब्दों में कंडेम किया जाए, वह कम होगा। इस मौजू पर इस हाउस में जो कालिंग अटेंशन रखा गया है, उसके बारे में बैकग्राऊंड में जाने की जरूरत है।

उपसभाध्यक्ष महोदय : पृष्ठ भूमि में व्यवधान नहीं डाला जाना चाहिए।

श्री पी० नामग्याल : आपने हमारे नेशनल प्रेस को देखा होगा। में 23 फरवरी के इंडियन एक्सप्रेस से कोट करने जा रहा हूँ। मैं इस पेपर से कोट करते हुए कहना चाहूंगा। इस पेपर में कहा गया है—

'जे. के. एल- एफ. भट्ट की हत्या का बदला लेगा"

> "कुरैशी, जिसे 1971 में भारतीय विमान का अपहरण कर पाकिस्तान ले जाने का दोषी ठहराया गया था, ने कहा कि उसे विश्वास था कि काश्मीर के लोग भारत में या उससे बाहर, काश्मीर में या काश्मीर से बाहर उसका बदला लेंगे।"

यह मामला बहुत सीरियसली लेना चाहिए। यह जो जे० के० एल० एफ० है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह 1976 में नाम निहाद आजाद काश्मीर के एमिग्रेन्टान ने लन्दन में बनाया था। और आजाद काश्मीर फ्रन्ट दोनों ग्रुपों के लोगों ने मिल कर इसे बनाया था। अमान-उल्लाह खां जो कि आर्मी का एक रिटायर्ड मेजर है, की क्यादत में यह आर्गेनाइजेशन बना है। यह भी कहा जाता है कि इस आर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है। इसको माला इमदाद दी जाती है।

सन् 1976 में जो इण्डियन एयर लाइयन्स का हवाइ जहाज हाईजेक हुआ था उसके वाकये के एक माह पहले जो पाकिस्तान के उस वक्त के एम्बेस्डर थे, उन्होंने जब जे० के० एल० एफ० लन्दन में फोर्म हुआ था तो उन लोगों को आफिशियल लेटर लिखा था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट तुम लोगों को हमेशा सपोर्ट करती रहेगी। इसी बैंकग्राऊंड में मैं "इंडिया टुडे, 29 फरवरी के इशू से कोट करना चाहता हूँ। इस इशू के पेज 21 पर दिया हुआ है जिसको कि मैं काट कर सुनाना चाहता हूं —

> "ऐसा लगता है घटनाओं की एक सक्रिय कड़ी, जिसका चर्मोत्कर्ष म्हात्रे की हत्या पर हुआ, यह पिछले सितम्बर, में ही भारत तथा ब्रिटेन में प्रारम्भ हो गई थी, यद्यपि दोनों देशों में होने वाली घटनायें असंबद्ध हैं। सितम्बर में, भारत सरकार ने काश्मीर में गुप्तचर विभाग को निदेश जारी किए कि वह फाइलें तैयार करें तो सभी जाने-माने उग्रवादियों के रहने के स्थानों का पता दे। अक्तूबर में, उनमें से कई लोगों को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गये क्रिकेट मैच के दौरान अशांति फैलाने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया। यह उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में व्यक्ति कासिम कुरैशी का छोटा भाई इकबाल कुरैशी था। तत्पश्चात 26 जनवरी को भारत सरकार ने अपराधियों को पकड़ने के आदेश दिए। अगले कुछ दिनों में कम से कम 60 लोग गिरफ्तार किए गए जो संदिग्ध नेता या उग्रवादियों के मुख्य अधिकारी थे। गिरफ्तारियां शुरू होते ही काशिम कुरैशी लन्दन के लिए रवाना हो गए। गिरफ्तारियाँ 2 फरवरी को समाप्त हुई। 3 फरवरी को म्हात्रे का अपहरण किया गया।"

और जब यह किडनैप दिया गया तो डिमांड क्या थी उनकी। उन्होंने डिमांड ये की थी कि एक तो मकबूल भट्ट को फाँसी पर न चढ़ाया जाय और छोड़ दिया जाये और दूसरा था जो यहाँ पर क्रिकेट मैच के समय लोग पकड़े गए थे कुरैशी बगैरह और जो स्टेडियम में बम ब्लास्ट के मुल्जिम पकड़े गए थे, उनको रिलीज किया जाए, 84 आदमियों का उन्होंने नाम दिया था। इसके अलावा दस लाख पौण्ड भी डिमांड किया था। इससे यह साफ जाहिर होता है कि श्री म्हात्रे का जो किडनेपिंग हुआ और बाद में कत्ल किया गया वह कश्मीर वैली के एक्स्ट्रीमिस्ट जो पकड़े गए हैं, उनके साथ डायरेक्टली लिंक्ड लगता है। खासतौर से प्रो० तिवारी जी ने जो ख्यालात जाहिर किए। मकबूल भट्ट को फांसी पर चढ़ाने के बाद कश्मीर बन्द का काल दया गया एक्ट्रीमिस्ट ग्रुप के द्वारा और उसमें कुछ वे लोग भी थे। जिनका चुनावों में नेशनल कान्फ्रेंस से तालमेल था।

श्री अब्दुल रशीद काबुल्ली : इसका क्या ताल्लुक है ?

श्री पी० नामग्याल : ताल्लुक है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नामग्याल आप अध्यक्ष पी० को सम्बोधित कीजिए और प्रश्न पूछिए।

श्री पी० नामग्याल : फिर नैक्स्ट फ्राइडे को प्रेयर के लिए अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन**

श्री अब्दुल रशीद काबुली : वह भी अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं है। वह नामजद हैं—एक ऐसे व्यक्ति जो अपना बचाव नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप हर बात के लिए खड़े हो रहे हैं। कुछ असंसदीय बात नहीं कही गई है। कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दीजिए।

श्री पी० नामग्याल : ठीक है मैं नाम नहीं लेता हूं। अवामी क्शन कमेटी के चेयरमैन ने कहा है कि वहां पर हड़ताल की जाए और मकबूल भट्ट को जो फांसी दी गई है उसके लिए प्रेयर "नमाजे गायबाना" की जाए। इसके साथ-साथ कश्मीर में श्रीनगर और दूसरे शहरों में पोस्टर उर्दू और अंग्रेजी में लगाए गए जिसमें धमकियां दी गईं कि नेशनल हाइंवे को ब्लास्ट कर देंगे और ऐसी कई घटनायें पहले भी हुई थीं जब इंडिपेंडेंस डे को श्री नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक बम ब्लास्ट हुआ था उस वक्त नेशनल कान्फ्रेंस वालों ने कहा था कि यह कांग्रेसियों का काम है। इस सिलसिले में आज जो लोग पकड़े गए हैं उनसे बात साफ हो गई है। मैं यह इस लिए कह रहा हूं कि ऐसे ही कुछ इल्जाम लगाए जाते हैं और असली मुल्जिमों को नहीं पकड़ा जाता। इसी प्रकार मेरे दोस्त तिवारी जी ने अभी कहा कि प्रेसिडेंट जिया उल हक ने मास्को जाने से पहले एक प्रेस कानफ्रेंस में कहा कि यह मकबूल भट्ट मार्टर है।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इससे यह साफ जाहिर होता है कि इस कासपीरेसी का बरमिंघम में ही नही बल्कि पाकिस्तान, लंदन, और काश्मीर वैली में भी ताल्लुक है ।··· (व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद काबुली : लद्दाख में नहीं तो कारगिल में भी होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने लद्दाख को शामिल नहीं किया है ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : कारगिल के प्रतिनिधि नेशनल कान्फ्रेंस में हैं। वहीं पाकिस्तानी भी हैं ।

श्री पी० नामग्याल : जो काश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता उनके बारे में भी हमें प्रेस में बहुत कुछ पढ़ने को मिला है । अमान-उल्लाह खान, जिन्होंने ब्रिटेन में टेलीविजन पर इन्टरव्यू दिया,**फोटोग्राफ भी है।···(व्यवधान) यह फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं इनको मैं सदन की टेबल पर रखता हूं ।······(व्यवधान)

मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस फोटो में मकबूल भट्ट भी मौजूद है ।···(व्यवधान) **इस फोटो में है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उपाध्यक्ष महोदय, वह किसी का फोटो प्रदर्शित नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुझसे अनुमति नहीं ली।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय उत्तर देंगे। यदि इसमें कुछ असंगत है, तो वह उस मुद्दे का उत्तर नहीं देंगे ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या आप इन सब बातों की अनुमति देते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह जारी है।

उपायध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुझसे अनुमति नहीं ली । नियम एकदम स्पष्ट है। उन्होंने मुझसे अनुमति नहीं ली । सदन में कुछ प्रदर्शित करना नियम के अनुकूल नहीं है । आपका प्रश्न काल अब समाप्त होता है । अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे ।

श्री पी० नाग्मयाल : मैं अपना सवाल करने से पहले इंडियन एक्सप्रेस को कोट करना चाहता हूं ।··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपको आगे बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

प्रो० सैफुदीन सोज : आप अनुशासन केवल हम पर ही लागू करना जाहते हैं। आप पहले ही मंत्री महोदय को प्रश्न का उत्तर देने का अनुरोध कर चुके हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : आप यह बताने वाले कौन होते हैं ? आप बैठ सकते हैं। उन्हें बोलने दीजिए।

प्रो० सैफुदीन सोज : वह डा० फारूक अब्दुल्ला, जो कि निर्दोष व्यक्ति हैं, के बारे में कुछ नह कहीं सकते वह पहले ही भयग्रस्त हैं। आप मंत्री महोदय से उत्तर देने के लिए कह चुके हैं । मैंने इतना ही कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। आप कृपया बैठ जाइए।

श्री पी०नामग्याल : महोदय मैं 23 फरवरी के **इंडियन एक्सप्रेस** से उद्धृत करता हूं :—

"मंगलवार की रात के कार्यक्रम में, टेलीविजन के संवाददाता ने यह कहते हुए अपनी बात आरम्भ की कि मकबूल भट्ट जब तक जीवित रहे, बमिघंम में काश्मीरी संप्रदाय के हीरो रहे। लेकिन अब उनकी मृत्यु के पश्चात् वह शहीद हो गए तथा लोगों की चर्चा का विषय बन गए थे।"

उपसभाध्यक्ष महोदय :अब आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री पी० नामग्याल . पुन: मैं इंडियन एक्सप्रेस से उद्धृत करता हूं :—

"दूरदर्शन के संवाददाता ने पुन: संक्षेप में दोहराया कि काश्मीर के लोग इतने उत्तेजित हो हो गए थे कि अब उन्होंने खुल्म-खुल्ला बदला लेने और हिंसा करने की बात कही।"

प्रो० सैफुदीन सोज : उन्हें भूगोल की जानकारी नहीं है। यह पाक अधिकृत काश्मीर है, जम्मू और काश्मीर नहीं।

श्री पी० नामग्याल : मैं एक्सटर्नल एफेयर्ज मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि जो रिप्लाई उन्होंने दिया है उसमें कहीं इस किस्म के शब्द मौजूद नहीं हैं और क्या उन्होंने इसको वेरिफाई किया है कि वाकई ऐसी बातें कही गयी हैं या नहीं कही गयी हैं, जो मैंने अभी कोट की है ? अगर नहीं किया है तो मैं समझूंगा कि यह सरकार की लैप्स है।

दूसरा मेरा सवाल है कि जो लिंक की बात मैंने आपके सामने रखी है डायरेक्टली काश्मीर वैली के साथ होना लगता है क्या उसके बारे में कोई रिपोर्ट सैंट्रल गवर्नमेंट के पास आयी है जिससे पता चलता हो कि लंदन के काश्मीरी एक्स्ट्रीमिस्ट्स और काश्मीर वैली के सेशंसनिस्ट्स का किस कदर लिंक है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि दूरदर्शन कार्यक्रम

पर जो कुछ कहा गया था वह शब्दशः हमारे पास उपलब्ध है। मैं ध्यानाकर्षण का उत्तर देते समय इसे उद्धृत करना नहीं चाहता।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इसका प्रचार मत कीजिए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : लेकिन मैं इस बारे में काफी बता चुका हूं और मैंने इसकी जघन्यता के बारे में, चूंकि यह आवश्यक है स्पष्ट कर दिया है। अत: किसी सदस्य को यह धारणा बनाने कि आवश्यकता नहीं कि हमने शब्दशः इस पर ध्यान नहीं दिया है। हमने इसे पढ़ा है और हमारे पास इसका पूरा पाठ मौजूद है। यही कारण था कि हमने कड़े शब्दों में इसका विरोध किया था और हम ब्रिटिश प्राधिकारियों, जिनमें दो मंत्री भी शामिल थे, का ध्यान इस ओर दिलाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था कि इस कार्यक्रम में जो कुछ दिखाया गया था वह हमारे लिए बिल्कुल अस्वीकार है। जो कुछ दिखाया गया है तथा इसमें जो कुछ कहने की अनुमति दी गयी है हमें उससे बहुत दु:ख हुआ है। अत: यह प्रश्न हीं नहीं उठता कि हमें इस कार्यक्रम अथवा इस कार्यक्रम में कही गयी बातों की जानकारी नहीं है। इस बार में मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं।

अब संबंध स्थापित करने के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि प्रथमत: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चूंकि यह शब्दों में व्यक्त किया गया है, में वास्तव में, संबंधों के संबंध में प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया गया है। इस बात की जांच की जा रही है कि किसने क्या किया, यह कब किया गया, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या कोई षडयंत्र रचा गया गया था और यदि यह कोई षडयंत्र था तो उसमें कौन कौन से लोग सम्बद्ध थे। इन सब बातों का पता जांच पूरी होने के पश्चात् ही लगेगा। अत: हमें अभी से जांच-पड़ताल के पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए। यह उचित नहीं होगा।

मकबूल बट्ट के बारे में, मैं काश्मीर में हुई घटनाओं पर कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन निश्चित रूप से मैं श्री के० के० तिवारी द्वारा दी गयी सूचना से सहमत हूं कि पाकिस्तान के प्राधिकारियों ने उसे बहुत महत्व दिया, उसके बारे में बहुत प्रशंसात्मक बातें कहीं और इसी से हम समझ सकते हैं कि उनकी देशभक्ति का आदर्श क्या है। इस बारे में इतना ही कहा जा सकता है। हमें उस पर और टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। मैं इस तथ्य की पुष्टि करता हूं कि पाकिस्तानी नेताओं ने मकबूल बट्ट और अन्य लोगों के बारे में प्रशंसा की बहुत सी बातें कहीं हैं।।

उद्योग विकास और विनियमन संशोधन विधेयक

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में और संशो न करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन् मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

उद्योग विकास और विनियमन संशोधन आदेश 1984, के बारे में विवरण

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : श्रीमन् मैं उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1984 द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बतानेवाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 7696/84]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 2 बजकर 25 मिनट म० प० पर पुनः समबेत होने के लिए स्थगित होती है।

13.25

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 25 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

14 25

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 25 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

14.25

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) जम्मू और काश्मीर राज्य में पन-बिजली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : श्रीमन् इस शीतकालीन मौसम में बिजली की कमी के कारण जम्मू और काश्मीर राज्य के लिए और विशेषकर काश्मीर घाटी के लोगों के लिए

अनेक कठिनाइयां खड़ी हो गयी हैं। हथकरघा उत्पादन केन्द्रों, होटलों और यहां तक कि व्यापारिक संस्थानों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, और उन लोगों की कठिनाइयों में और वृद्धि हुई है जो कि पहले ही ठंड से ठिठुर रहे हैं।

राज्य में और राज्य से बाहर बिजली की कमी की इस चिरकालिक समस्या का समाधान, दुल हस्ति, सलाल ऊपरी आदि राज्य की विराट पन बिजली परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके पूरा करने से हो सकती हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में 390 मेगावाट की दुलहस्ति पन बिजली परियोजना नौकरशाही सनक के अलावा धन के अभाव के कारण पूरी नहीं हो रही है। घाटी में पन बिजली परियोजना (270-400 मेगावाट) सबसे अधिक बिजली पैदा करने वाली योजना होगी धन के अभाव में केन्द्रीय क्षेत्र की ही 354 मैगावाट की सलाल पन बिजली परियोजना भी पिछड़ रही है। धन के अभाव में केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में पन बिजली परियोजनाओं के पूरा होने से विलम्ब हो रहा है और लागत भी बहुत बढ़ रही है, इनकी वजह से राज्य और केन्द्र को कृषि और औद्योगिक योजनाओं के लिए बिजली की सप्लाई से वंचित रहना पड़ रहा है।

प्रथम चरण में राज्य बिजली उत्पादन का अनुमान 10,000 मेगावाट आंका गया है, जिसमें से अधिकांश भाग देश के अन्य हिस्सों को भेजा जा सकता है। राज्य में नदियों द्वारा बिजली उत्पादन की क्षमता बहुत अधिक है। एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार चिनाव नदी की बिजली उत्पादन क्षमता 25000, मेगावाट आंकी गई है इसके अलावा, जेहलम, सिन्ध और लिद्दर ऊर्जा के विशाल स्रोत हैं। केन्द्र को प्राथमिकता के आधार पर राज्य पन बिजली योजनाओं में धन लगाना चाहिए।

(2) उड़ीसा में दैतारी इस्पात परियोजना का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : अक्तूबर 1980 में भारत सरकार ने उड़ीसा में एक नया स्पात संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया था। अत: इसने एक पूर्णत: सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी (नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड) की स्थापना 27 मार्च, 1982 को दैतारी, उड़ीसा में की थी। मेकोन के एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का दायित्व सौंपा गया था, जिसे अपनी रिपोर्ट 1983 की आखरी तिमाही तक पेश करनी थी।

सलाहकार मेकोन से जो परामर्श देता है, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी भी प्राप्त नहीं हुई है। केन्द्र सरकार द्वारा निवेश और विदेशी फर्मों द्वारा बित्तीय सहायता के बारे में भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अगर रिपोर्ट सही है तो अभी तक उस स्थान पर आधारभूत ढांचे के कार्य के लिए भी कोई राशि उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार ने संयंत्र स्थापित करने के लिए जो कुछ एकड़ भूमि ली थी, उसका मूल्य अदा करने के लिए भी कम्पनी के पास धन उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, (नीलाँचल इस्पात निगम द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को भी रोक दिया गया है। 20 प्रतिभा-

शाली तकनीशियन जो कि नई परियोजना पर कार्य करने के लिए अपने पुराने पदों को छोड़ आये थे, बिल्कुल निराश हो चुके हैं।

राज्य के लोगों और कर्मचारियों में यह धारणा बन गई है कि इस परियोजना को केन्द्रीय इस्पात मंत्रालय की प्राथमिकता सूची में बहुत नीचे रखा गया है।

इन बातों से दैतारी इस्पात परियोजना पर शीघ्र कार्य होने की सम्भावना धूमिल हो गई है।

इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना को किसी भी हालत में प्राथमिकता सूची में नीचे न रखा जाये।

(3) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का-असंतोषजनक कार्यकरण

श्री भीखा भाई (बासवाड़ा): श्रीमन्, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर दिला रहा हूं, क्योंकि अगर जल्द ही सुधारात्मक कार्यवाही न की गई तो, इससे लाखों लोगों को खतरा हो सकता है।, यह मामला दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के झिलमिल जिले में काम से संबंधित है।

राष्ट्रीय महत्व की मुख्य सड़कों जैसे जी० टी० रोड पर पुराने यमुना पुल से उत्तर प्रदेश की सीमा तक प्रकाश की व्यवस्था अपर्याप्त हैं।

प्रीत विहार से पूरे आनन्द विहार और उत्तर प्रदेश सीमा तक की सड़क पर प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। यह इस बात के बावजूद है कि सूचना और प्रसारण मन्त्री ने खुद वहाँ के निवासियों को यह आश्वासन दिया है कि जल्द ही यह कार्य हो जायेगा। लेकिन अभी तक डेसू ने कोइ कार्यवाही नहीं की है।

नियमित कालोनियों में छोटे मकान बनाने वालों को भी कनेक्शन बहुत विलम्ब से दिए जाते हैं।

उपभोक्ता द्वारा सारी आवश्यक सुविधायें प्रदान कर दिए जाने के पश्चात् भी कनेक्शन दिए जाने में बहुत अधिक देरी की जाती है।

योजना विहार जैसी कालोनियों में सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था बहुत खराब है, इससे वहां के निवासी बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। कई दफा लिखित शिकायत किए जाने के बाद भी यह हालत है।

झिलमिल जिले के इंजीनियर और अधिकारी अधिकांश समय अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं होते और यही उत्तर दिया जाता है कि वे बाहर स्थल निरीक्षण के लिए गए हुए हैं।

इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि झिलमिल जिले के कार्यकरण की जाँच के लिए उच्च

स्तरीय जाँच करायी जाये। अगर ऐसा जल्द न किया गया तो मुझे डर है कि स्थिति दिन-प्रति दिन खराब होती जायेगी।

(4) **सैनिक अभ्यासों के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत हेतु राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता**

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रान्त के सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर एवं गंगानगर जिलों में थल सेना व सैनिक अभ्यास कार्य करीब 15 वर्षों से सर्दी के दिनों में प्रति वर्ष चल रहा है। थल सेना अभ्यास के समय बड़े बड़े वाहनों के टैंकरों आदि का प्रयोग करती है। उक्त वाहनों क प्रयोग के कारण राज्य की सैकड़ों सड़कें तहस-नहस एवं क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनके कारण राज्य को करोड़ों रुपयों की हानि हुई है।

राज्य की जनता को आवागमन में बाधा के कारण बड़े कष्ट का सामना करना पड़ रहा है।

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति इस प्रकार की नहीं है, जो प्रतिवर्ष उक्त सड़कों की मरम्मत का काम हाथ में ले।

अतः केन्द्र सरकार के रक्षा विभाग से निवेदन है कि वे अपने प्रतिनिधि को तुरन्त मौके पर भेजे और राज्य सरकार के प्रतिनिधि को साथ में लेकर सम्पूर्ण नुकसान का पता लगा कर राज्य सरकार को मुआवजे के रूप में तुरन्त से तुरन्त राशि प्रदान कराए, ताकि गर्मी की वर्षा से पहले पहले उक्त सड़कों की मरम्मत एवं सुधार का कार्य संपूर्ण किया जा सके।

14'37

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(5) **जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश की पूर्ववर्ती नीति को पुनः लागू करने की आवश्यता**

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ने 1973 हैं प्रवेश की एक ऐसी नीति को स्वीकृत किया था, एवं सत्र 1974-75 से क्रियान्वित किया था, जिससे निर्बल वर्ग के तथा सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों परिवारों के छात्रों को विशेष सुविधा प्रदान करके उन्हें विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर सुलभ कर दिया जाता था। परन्तु अभी हाल में विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने निर्णय लेकर उस प्रवेश नीति को समाप्त कर दिया। इसका परिणाम यह होगा कि उन छात्रों को, जो सामाजिक, आर्थिक अथवा क्षेत्रीय दृष्टि से पिछड़े हैं, प्रवेश के समय अंकों में वह छूट नहीं प्रदान की जाएगी, जो पूर्व प्रवेश नीति के अन्तर्गत प्रदान की जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस नीति से शिक्षा के स्तर में ह्रास हुआ है, जो वास्तविकता से परे है। डाक्टर जाकिर हुसैन सैन्टर फ़ार एजुकेशनल स्टडीज जे० एन० यू० के एक अध्ययन के परिणामस्वरूप विदित हुआ है कि इन पिछड़े वर्गों से आए छात्रों का अध्ययन कार्य एवं उनकी क्षमता कहीं अच्छी रही है। प्रवेश की प्रगतिशील नीति छात्रों,

शिक्षकों तथा विश्वविद्यालीय समितियों के विचार विमर्श के पश्चात् निर्धारित की गई थी, परन्तु उसे समाप्त करते समय विस्तृत विचार-विमर्श नहीं किया गया।

मैं माननीया शिक्षा मन्त्री से निवेदन करूंगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रवेश की पूर्व नीति के क्रियान्वयन का अध्ययन करने के लिए एक समिति जिसमें छात्रों शिक्षकों एवं विश्वविद्यालय की समितियों का प्रतिनिधित्व हो, बनाई जाए, जो नीति का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन करके सुझाव दे।

(6) बोकारो इस्पात परियोजना में इंजीनियरों की पदोन्नति के अवसरों का अवरुद्ध होना

***श्री** राम बिहारी बहेरा (काला हांडी): बोकारो इस्पात संयंत्र के परियोजना विभाग के 983 इंजीनियरों का भविष्य अधर में लटका है, क्योंकि उनके लिए पदोन्नति के अवसर बिल्कुल नहीं हैं, उनकी पदोन्नति 9 वर्ष से अधिक समय से एक ही ग्रेड में रहने के कारण नहीं हुई है, फिर भी वे 1200 करोड़ रुपये की परियोजना के कार्य को देख रहे हैं।

परियोजना इंजीनियरों ने बोकारो इस्पात संयंत्र (बी एस पी) के विस्तार के काम को पहले ही हाथ में ले लिया है जो 1986 में पूरा हो जायेगा। परन्तु खेद की बात है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के प्रबन्धकों ने उन्हें आगे कहां लगाया जाना है इस बारे में कोई योजना नहीं बनाई है।

उपरोक्त बातों को देखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सेल (भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०) में एक केन्द्रीय परियोजना डिवीजन बनाये और उन्हें उसमें रखा जाये इन लोगों को अन्य संगठनों जिनका विस्तार किया जाना है, जैसे एन० टी० पी० सी० आदि से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायें। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे उपरोक्त मामले पर शीघ्र कार्यवाही करें।

7 गांधी सेतु, पटना, पर दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका एवं सदन का ध्यान 1 फरवरी को घटी अत्यन्त ही हृदय विदारक घटना की और आकृष्ट करना चाहता हूं 1 फरवरी को नौ बजे सबेरे महात्मा गांधी सेतु (पटना–हाजीपुर गंगापुल) पर एक मिनी बस रेलिंग तोड़कर पुल के नीचे चली गयी जिसमें 49 व्यक्तियों की तत्काल मृत्यु हो गयी। मृतकों में से अधिकांश मेरे क्षेत्र के ही थे। यह बिहार राज्य की सबसे बड़ी बस दुर्घटना है। जब से इस पुल का निर्माण हुआ है तब से बस, ट्रक एवं बैलगाड़ी की दुर्घटनाओं का बाढ़ लग गया है। कोई ऐसा महीना नहीं जाता है जिस महीने में दुर्घटना नहीं होती हो और लोगों की जान नहीं जाती हो। दुर्घटना का सबसे बड़ा

*उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कारण यह है कि एक तो अभी तक पुल का एक ही हिस्सा पूरा हो पाया है, दूसरा दोनों तरफ पुल का रेलिंग इतना कमजोर है कि थोड़ा सा ठोकर लगने के बाद वह टूट कर नीचे गिर जाता है। जो बस या मिनी बस बिहार में चलती है उसमें क्षमता से कई गुने अधिक यात्रियों को चढ़ा लिया जाता है और गति सीमा से अधिक रफ्तार से गाड़ी लापरवाही से चलायी जाती है। पिछले 2 महीनों में 200 से अधिक लोगों की जाने जा चुकी हैं। बिहार सरकार द्वारा मृतक परिवारों को जो राशि दी जाती रही है वह नगण्य है।

अत: केन्द्र सरकार से मांग है कि अधूरे पुल को अविलम्ब पूरा कर, दोनो तरफ के रेलिंग को मजबूत किया जाय, क्षमता से अधिक यात्रियों को ढोने वाले एवं गति सीमा से अधिक चलाने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय। एवं प्रत्येक मृत परिवारों को समुचित मुआवजा दिया जाय।

8 उत्तरी बंगाल के पिछड़े जिले के लोगों की अपनी 12 सूत्री मांग पत्र के संबंध में पदयात्रा

श्री आनण्द पाठक (दार्जिलिंग) : श्रीमन् नियम 377 के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

उत्तरी बंगाल के पिछड़े जिले के लोगों ने 19 फरवरी 1984 से दार्जिलिंग से कलकत्ता तक एक ऐतिहासिक पदयात्रा आरंभ की है, जो कि 15 मार्च 1984 को कलकता में एक विशाल रैली के रूप में समाप्त होगी। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य 12 सूत्री मांग पत्र के सम्बन्ध में आवाज उठाना और उन्हें लोकप्रिय बनाना है; इन मांगों में शामिल हैं— गहन सिंचाई आरम्भ करना, तीसता परियोजना के अन्तर्गत विस्तार सिंचाई प्रणाली लागू करना, महानंदा मास्टर प्लान और पुनर्वा जल परियोजना को लागू करना, बन्द पड़े चाय बागानों का प्रबंध ग्रहण, राज्य सरकार के प्रबन्ध के अधीन चाय बगान को केन्द्रीय सहायता देना, बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण, पश्चिम दिनाजपुर में ताप बिजलीघर स्थापित करना, फरक्का एन० टी० पी० सी० को पूरा करना, जलेपाईगुड़ी में डोलोमाइट उद्योग स्थापित करना, उतर बंगाल के विभिन्न भागों में कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करना, जनसंख्या के आधार पर बैंक खोलना, मालदा और बलूरघाट के बीच नयी रेल लाईन बनाना, बेहतर संचार व्यवस्था के लिए वायुदूत सेवा शुरू करना, नये डाकघर खोलना और टेलीफोन व्यवस्था का बड़े पैमाने पर प्रसार, संविधान के अस्टम अनुच्छेद में नैपाली भाषा को शामिल कराया जाना और पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर ही दार्जिलिंग के लोगों को क्षेत्रीय स्वायता प्रदान करना, आदि शामिल हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि अब तक उतर बंगाल के उपेक्षित लोगों की महत्वपूर्ण मांगों पर विचार करें और लोगों की दशा में सुधार करने के लिए कदम उठाये।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री बी० आर० भगत (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राष्ट्रपति जी की सेवा में

निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

> "कि इस क्षेत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्टपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 23 फरवरी, 1984 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के अन्त में जो विचार व्यक्त किया है उसी का हवाला देते हुए मैं अपना भाषण आरम्भ करना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी ने कहा है कि हमारा गणराज्य तनाव के दौर से गुजर रहा है और आज हमारे लिए राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति पुनः समर्पण की भावना की अत्यन्त जरूरत है।

जैसी कि आज देश की स्थिति है, आजादी के बाद कभी भी वैसी स्थिति नहीं हुयी थी। आज देश के अन्दर तनाव तो है ही, साम्प्रदायिक तथा दूसरी 'पृथकतावादी शक्तियां फूट की भावना भी फैला रही हैं। साथ ही साथ बाहर से भी तरह-तरह के खतरे हमारे देश के लिए उपस्थित हो गये हैं। अन्दर से ऐसी ताकतें हमारी राष्ट्रीय स्थिरता को कमजोर कर रही हैं, डी-स्टैबिलाइजेशन को बढ़ाती हैं। और बाहर से जो नया साम्राज्यवाद दुनिया में उभर आया है, वह भारत जैसे राष्ट्रों को अपने दबाव में लेना चाहता है। इसलिए आज हमारे देश पर बहुमुखी संकट है। इस मौके पर हमें उन बातों की तरफ देखना होगा जिनके आधार पर हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन चला था और हमने न केवल भारत में ही एक नये गणराज्य की स्थापना की बल्कि दूनिया में उन लोगों को भी जो कि अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, हमने एक नई प्रेरणा दी जिससे तमाम दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रान्ति आई। आज उन भावनाओं की तरफ हमें विशेष रूप से देखना होगा जो कि हम सभी के हृदयों को मिलाएं।

आज यहां संसद में सभी दलों के लोग और नेतागण मौजूद हैं। आज सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि राजनीतिक मतभेदों और संकीर्ण हितों को छोड़ कर, राष्ट्र के ऊपर जो खतरा आया हुआ है उसको हल करने का प्रयत्न करें। अभी पिछले दिनों राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक हुयी थी जिसमें इन बातों की चर्चा की गयी थी मुख्य रूप से दो बातों की चर्चा की गयी थी। एक तो ऐसे आन्दोलन जो हिन्सा में परिवर्तित हो जाते हैं या जो हिंसा को बढ़ावा देते है उनका विरोध होना चाहिए और दूसरे, आज देश के सामने जितने भी सार्वजनिक सवाल हैं उनके बारे में कन्सेन्सस के आधार पर बात-चीत करके फैसला करना चाहिए। राष्ट्रीय एकता परिषद् में सभी दलों के लोग थे और इन दो बातों पर वहाँ बात-चीत हुई थी लेकिन दुःख इस बात का है कि परिषद् में इन मौलिक बातों पर हम निर्णय तो लेते हैं लेकिन जब उनपर अमल करने की बात आती है तो उसमें कमी आ जाती है। चाहे फिर एक समुदाय का हित हो, पार्टी का हित हो या दूसरे राजनितिक हित हों—इन संकीर्ण स्वार्थों की तरफ लोग देखने लगते हैं। राष्ट्रपतिजी ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया है कि पंजाब में ऐसी शक्तियों की गति बढ़ी है। जनवरी में राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैटक हुयी थी और उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी जो ताकतें

हैं, जो उग्रवादी हैं पंजाब में, उसमें अधिकतर ऐसी हैं जो साम्प्रदायिक और सम्प्रदायवादी हैं।

उन्होंने इस आन्दोलन को बढ़ाने की कोशिश की। मुझे यह दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बहुत सारे राजनीतिक नेताओं ने उनसे जाकर उनकी तरफ की बात की है। लेकिन एकता परिषद् या दूसरी सभी ट्रीपाटाईट मीटिंग्स मे एक दृष्टिकोण रखते हैं और हिंसा के विरोध की बात करते हैं। पृथकतावादी शक्तियों के अलग करने के विरोध की बात करते हैं, मगर जब उनके सामने जाते हैं तो दूसरी तरह की बातें करते हैं। यह दोहरी नीति ठीक नहीं है। इससे देश ही नहीं रहेगा, देश ही टूट जायगा। देश मौलिक सिद्धान्तों के आधार पर खड़ा है, आगे बढ़ रहा है, अगर यह देश ही नहीं रहेगा, तो कोई राजनीतिक पार्टी भी नहीं रह सकती है और कोई नहीं रह सकता है।

आज पंजाब एक टैस्ट केश बन गया है। बराबर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम पंजाब के मामले मिलकर तय करना चाहते हैं। यह बात फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हमारी प्रधानमंत्रीजी या कांग्रेसी भाईयों के प्रति डिसक्रिमिनेशन की भावना रखते हैं, उन्होंने सदा ही कि भाई-भाई के दिल में जो भेद पैदा हो रहे हैं, दिल टूट रहे हैं, उनको मिलाने की कोशिश की जा रही है। जहां तक पंजाब का सवाल है, अकाली दल द्वारा उठाये गये सवाल हैं, उन पर विचार करने की कोशिश की गई है। जहां तक धार्मिक सवालों का सवाल है, जैसा वे चाहते हैं, करीब-करीब वह मान लिया गया है। और उनकी घोषणा कर दी गयी है। जहां तक दूसरे सवालों का प्रश्न है, जैसे चंडीगढ, फाजिलका, अबोहर या पानी के सवाल हैं, इन सब के लिए कई आपशन्स दी गई हैं कि इस तरीके से ये हल हो सकते हैं। इसके बाद 14 फरवरी को विरोधी दल, अकाली दल के लोगों से बात चीत हुई, जिसमें सभी दल के लोग चाहते हैं कि इसको आपस में बैठकर तय किया जाए, हिंसा की भावनाओं को न बढ़ने दिया जाए। पृथकतावादी ताकतों को न बढ़ने दिया जाये। लेकिन उसी दिन से हरियाणा में, पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में आन्दोलन शुरू होता है। वह आन्दोलन हिन्दु सुरक्षा परिषद् के तत्वावधान में शुरू हुआ और देखिए किस तरह से वह आन्दोलन हिंसा का कारण बन गया है। एक तरफ कान्फ्रेंस द्वारा बातचीत चल रही है, जिसमें विरोधी दल और अकाली दल के प्रतिनिधि मौजूद थे और उसी दिन यह आन्दोलन शुरू हुआ तथा उसमें पंजाब के एक्स्ट्रीमिस्ट (उग्रवादी) भी शामिल हो गये, गोलियां चलाई गई और निर्दोष व्यक्तियों की जानें गईं और सेंट्रल रिजर्व पुलिस पर भी गोलियां चलाई गईं। इससे आप देखेंगे कि उग्रवादी या साम्प्रदायिक चाहे पंजाब में हो, हरियाणा में हो, हिन्दुओं में हो या सिक्खों में हो, वे मिल कर चुनौतियां दे रहे हैं। उन सभी ताकतों को जो दिल्ली में बैठकर चाहते थे, शांतिपूर्ण तरीके से इम मामलों को हल किया जाये, मेल-मिलाप से हल किया जाये, हिंसक, साम्प्रदायिक या उग्रवादी ताकतें न बढ़ने पायें, उसको वे किस तरह से बढ़ा रहे हैं। हमें इन सबका मुकावला करना है। एक तरफ पंजाव की समस्या और दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर की समस्या, वहां तो दूसरी तरह की बात ही देख रहे हैं। किस तरह से काश्मीर लिबरेशन आर्मी बरमिंघम तक हिंसा और कत्ल का वातावरण पैदा करना चाहते हैं और जो राष्ट्रविरोधी ताकते हैं, उनको बढ़ावा मिल रहा है। इन सब मामलों को हल करने के लिए राष्ट्रीय ताकतों को देश के अन्दर एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। सभी

दलों को इन मुद्दों पर ईमानदारी से, हिम्मत से, स्पष्टवादिता के आधार पर काम करना है, यह देश के लिए खतरा है और आजादी के बाद इतना बड़ा खतरा देश के सामने कभी नहीं आया। फूट से देश हमेशा गिरा है, इसलिए हमें कोशिश करनी होगी कि इसको रोकें।

इस में एक बात कहना चाहता हूं—आज साम्प्रदायिकता का क्या रूप है; समय के हिसाब से यह रूप बदल गया है। पं० जवाहर लाल नेहरू नें अपनी आटोबायाग्राफी में लिखा था—यह अंग्रेजों के जमाने की बात है, लेकिन वह आज भी लागू है, हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। उन्होंने लिखा था—मैं उनकी आटोबायाग्राफी से कोठ कर रहा हूँ :—

> मुस्लिम और हिन्दू सम्प्रदायवादियों ने भारत में ब्रिटिश शासन के बने रहने की वकालत की' एक ने मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए और दूसरे ने हिन्दू हितों की रक्षा के लिए।'

कम्यूनलिज्म के वे दोनों रूप आज यहां मिलते हैं। पंजाब और हरियाणा में हिन्दू रक्षा समिति हिन्दू भाइयों को बचाने के लिए और उग्रवादी पंजाब में सिख भाइयों को बचाने के लिए दोनों मिलकर हिंसा की ऐसी वार्दातें पैदा कर रहे हैं जिनसे यहां अमन-चैन सब मिट गया है और देश के लिए खतरा पैदा हो गया है और इस तरह की घटनाओं ने उन सारी ताकतों को जो देश को बाटना चाहती हैं, कमजोर चाहती हैं, बढ़ावा मिल रहा है।

आज जितने राजनैतिक नेता यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ—हमें इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए-आज ये साम्प्रदायिक और प्रथकतावादी ताकतें हिंसा के माध्यम से, हिंसा को लाद कर हर चीज को जबरदस्ती करवाना चाहती हैं या पोलिटीकल ब्लेक-मेल से दबाव डालकर करवाना चाहती हैं, हमें इन बातों से कभी कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमें इनसे लड़ना पड़ेगा, इनका मुकाबला करना पड़ेगा, तभी राष्ट्र के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको हम मजबूत कर सकते हैं जिनके आधार पर हमारा यह गणतन्त्र कायम है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इस आधार पर क्या आप वर्तमान सरकार की ब्रिटिश सरकार से तुलना कर रहे हैं ?

श्री बी० आर० भगत : मुझे खेद है कि आप अपनी समझ से यह गलत निष्कर्ष निकाल रहे हैं। कृपया साम्प्रदायिक जाल में न फंसें।

अध्यक्ष महोदय, असम में आज पहले से अधिक शान्ति और स्थिरता है और इसके लिए वहां की राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार ने जो प्रयास किये हैं उनके अच्छे फल निकले हैं। पिछले चुनावों के बाद जबसे राज्य सरकार आई है, तब से उसका कार्य सराहनीय रहा है और यही कारण है कि वहां आज शाँति और अमन है। कई ठोस कदम असम के विकास के लिए उठाये गए हैं और मुझे भरोसा है कि विदेशी नागरिकों का जो मामला है, जिसके लिए उनके कानून के अन्तर्गत जो अधिकरण बनाए गए हैं, ट्राइब्यूनल्स बनाये गए हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया

है। इस समय 6 ट्राइब्यूनल्स काम कर रहे हैं और कानून में 20 ट्राइब्यूनल्स का विवरण है, वे भी जैसे जैसे जजेज मिलते जायेंगे, वैसे-वैसे उनका काम बढ़ेगा। जहां तक विदेशियों की छान बीन के मामले हैं उनमें काम हो रहा है और हम चाहते हैं कि उन में सबका सहयोग मिले। लेकिन आगे घूसपेठ न हो इसके लिए भी कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं— बंगाल देश की सीमा पर तार लगाने का काम तथा अधिक चौकियां स्थापित किए जाने का काम किया जायेगा, जिनसे हमें उम्मीद है कि घुसपेठ बन्द होगी। लेकिन इस पृष्ठभूमि में हमें एक बात साफ कह देनी होगी—आज जैसी पंजाब की स्थिति है, वैसी असम की भी है। हमारे देश के सभी लोगों का सह अस्तित्व के आधार पर, चाहे भाषा की बात हो, धर्म की बात हो, बराबर का अधिकार है। अगर किसी असमी भाई की आइडेन्टिटी की बात होती है तो उसकी संस्कृति और कल्चर की आइडेन्टिटी भी होनी चाहिए।

इसमें कोई दो राय नहीं है। हम हर कोशिश करेंगे और राष्ट्र की तरफ से हर कोशिश हो कि असम भावनात्मक रूप से हमारे नजदीक आए और असम का जो मामला है, उसका हम मिलजुल कर आपस में कोई रास्ता निकाल कर तय करें। सरकार की जो इस बारे में नीति है कि वह बात चीत के जरिए से इस मामले को तय करना चाहती है, वह बिल्कुल सही नीति है और उस पर हमें मजबूती से काम करना चाहिए। यह असम की बात है और सभी दलों के लोगों ने इसमें साथ दिया और हमने मिलजुल कर जो रास्ता अपनाया, वह ठीक रास्ता है।

15.01

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

आज की जो अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति है, वह जैसा कि राष्ट्रपति जी ने कहा है, शान्तिजनक नहीं है और मैं तो यह कहूंगा कि आज जो अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति है वह बहुत जटिल है, भयावह है। आज जो खतरा है, वह दोहरा खतरा है। एक तरफ आप यह देखेंगे कि फौज के सामान इकट्ठा हो रहे हैं और बड़े बड़े हथियार आणविक हथियार जमा हो रहे हैं। हमारा हिन्द महासागर आज आणविक हथियारों का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है और पर्शियन गल्फ में क्या हो रहा है। यह आप सभी जानते हैं इसके अलावा पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही हैं और यहां तक सुना जाता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम भी बनाने वाला है। ऐसे खबरें जो हमें अखबारों से मिल रही हैं, ये सब बातें आगाह करती हैं कि हमें इस खतरे से सावधान होना चाहिए।

दूसरा खतरा जो है वह आर्थिक नियों-इम्पीरियलइज्म का है। यह सोचने की बात है कि आज दुनिया में शस्त्रीकरण पर जैसा कि राष्ट्रपति जी ने कहा है 600 मिलियन डोलर यानी 600 खरब डोलर, आप अन्दाजा लगाइये कि कितनी एस्ट्रोनामीकल यह फीगर है, हर साल शस्त्रों पर खर्च हो रहे हैं और जितने विकासशीलदेश हैं, डेवलपिंग कन्ट्रीज हैं, उनको

कितनी आर्थिक मदद मिल रही है। सब मिलाकर मल्टी-लेट्रल सोर्सेज से एलई बैंक आई० डी० व आदि से सौफ्ट और हाई लौन की शक्ल में केवल 60 मिलियन डोलर ही मिलते हैं। जबकि हथियारों पर 600 मिलियन डोलर खर्च हो रहा है और इसके लिए भी बड़े बड़े देश यह कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा दिवालियापन हो गया है। और यह बात सही भी है कि बड़े बड़े औद्योगिक देशों का दिवालियापन हो गया है। आप अन्दाजा लगाइये कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के जो बड़े बड़े देश हैं जो औद्योगिक दृष्टि से बहुत आगे बढ़े हुए हैं, उनके यहां 2 करोड़ 80 लाख आदमी बेकार हैं और उनकी जो नियोजित पूंजी है वह 30, 35 परसेन्ट अनयूटेलाइज्ड पड़ी हुई है उनके यहां मन्दी है, रेसेशन है और इसलिए वे देश आज 60 बिलियन डोलर मदद भी विकासशील देशों के उत्थान के लिए नहीं देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमारा दिवालियापन हो गया है। दिवालियापन तो होगा ही क्योंकि 600 बिलियन डोलर वे हथियारों पर खर्च करते हैं जो कि उनकी ताकत के बाहर है, और इसीलिए उनके यहां मंहगाई बढ़ रही है, बेकारी है और मंदी है और उनके यहां भी सब तरह के आर्थिक संकट हो गये हैं और आर्थिक सहायता कम कर के वे आर्थिक संकट हमारे ऊपर ला रहे हैं। आज जितना भी ट्रेड है दुनिया में, वह व्यापार संकट में आ गया है, वह व्यापार रियल टर्म्स में गिर गया है, कम हो गया है और जो विकासशील देश हैं चाहे वह भारत हो या दूसरे देश हों, कोई चाय बाहर भेजता है, कोई कोपर बाहर भेजता है और कोई टिन बाहर भेजता है, ये जो कोमोडिटी एक्सपोर्टस हैं, उनके दाम लन्दन और न्यूयार्क के मार्केट्स गिरा देते हैं और आज हमारे सामने यह आर्थिक संकट है और इसी को नियो-इम्पीरियलइज्म कहते हैं। पहले कोलोनियलइज्म था जब ब्रिटेन का भारत पर कब्जा था और जब फिजीकल कब्जा नहीं रहा तो उसके बाद आर्थिक और राजनीतिक संकट आया और इसी को नियो-इम्पीरियलइज्म कहते हैं। हथियारों की दौड़ लगाकर सारी दुनिया में एक ऐसा वतावरण तैयार कर दिया है कि बड़े से बड़े राष्ट्र के साथ भारत भी बंध जाए।

संसार में आज दूसरे भी ऐसे देश हैं जो अपनी स्वतन्त्र रूप से आर्थिक व्यवस्था कर रहे हैं, अपने देश को नेशनल इकोनोमी इंडीपेन्डेन्ट बना रहे हैं, स्वाबलम्बी बना रहे हैं, सैल्फ रिलाएंस की नीति पर अपने को चलाना चाहते हैं। ऐसे देश भारत की ओर देखते हैं और वे भारत के साथ हैं। आज वे सभी देश भारत के साथ न्यो इम्पीरियलिज्म के शिकार हैं।

आज दुनिया में हमारे ऊपर दोहरा खतरा है। एक आर्थिक संकट का खतरा है जिससे यह सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। दूसरा खतरा है हस्तक्षेप का। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि हमारे देश में कुछ अन्दरूनी और कुछ बाहरी ताकतें अशांति का वातावरण पैदा करना चाहती हैं, हमारे देश में अस्थिरता की स्थिति पैदा करना चाहती हैं।

दंडवते जी मैं यह कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता का एक और भी रूप है, जो कि एक नया रूप है। यह जो न्यो इम्पीरियलिज्म है, यह दूसरे देशों में इकोनोमिक क्राइसिस पैदा करके

इसको उभार रहा है जैसा कि मैंने अभी हवाला दिया कि दुनिया के बड़े राष्ट्र जो कि विकसित राष्ट्र हैं दुनिया के ट्रेड को व्यापार को अपने हाथ में केन्द्रित करते जा रहे हैं। दूसरे महा युद्ध के बाद, खास कर वे ऐसा करते जा रहे हैं। दूसरे न्यो इम्पीरियलिज्म की ताकतें हमारे देश में ऐसी ताकतों को बढ़ावा दे रही हैं जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं, साम्प्रदायिक ताकतें हैं, साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली ताकतें हैं, भाई-भाई में महजब के नाम पर भाषा के नाम पर, क्षेत्रियता के नाम पर झगड़ा कराने वाली ताकतें हैं। इन्साइड कम्युनलिज्म, आऊटसाईड न्यो इम्पीरियलिज्म इन दोनों का आपस में गठजोड़ है।

आपको देखना होगा कि इस देश के अन्दर कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो बाहर के साम्राज्यवादी ताकतों से मुकाबला करना चाहती हैं, अपने को मिलाना चाहती हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको पता हो जाएगा। लेकिन आज मुझे इस बात का दुःख है कि अभी तक हमारे देश में वो परम्परा रही थी कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में, अब देश के सामने खतरे का सवाल पैदा होता था तो देश की स्वतंत्रता का सवाल पैदा होता था तो हम एक रहते थे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : यह परम्परा किसने तोड़ी है।

श्री बी० आर० भगत : आपने तोड़ी है। जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान में अस्त्रों का इतना अम्बार जमा हो रहा है, एफ-16 जमा हो रहे है, और हमें इनसे खतरा है तो अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि कोई खतरा नहीं है, यह तो चुनाव में जितने के लिए प्रधान मंत्री कह रही हैं। जब हम कहते हैं कि हमारे चारों तरफ न्यो इम्पीरियलिज्म का खतरा है तो इस खतरे के बारे में कहा जाता है कि यह रूलिंग पार्टी, कांग्रेस पार्टी अपने फायदे के लिए कह रही है असल में कोयी खतरा नहीं है। अगर देश को खतरा है, वह चाहे पाकिस्तान से हो, वह चाहे इंडियन ओसन में हो या दुनिया में शस्त्रीकरण से हो, या जो दुनिया में आर्थिक संकट पैदा किया जा रहा है, उससे हो तो ये निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से खतरे हैं और हमें इन खतरों को मानना चाहिए। ये खतरे इसलिए नहीं कि आज हम रूलिंग पार्टी में हैं और हम कहते हैं कि खतरे हैं। ये खतरे वास्तविक खतरे हैं।

इसलिए मैं कहता हूं कि मधु दंडवते जी देखिए कि किस तरह से इन्टरनल कम्युनलिज्म एण्ड रिएक्शनिज्म न्यो इम्पीरियलिज्म आज की पृष्ठभूमि में इकट्ठे हो रहे हैं। हमें देखना है कि आज वे कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो बाहर की ताकतों पर निर्भर करके ऐसा करना चाहती हैं। आज यह दुःख की बात है कि अन्तर्राष्ट्रीय खतरे की पृष्ठभूमि में जो हममें राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए, सभी राजनीतिक दलों में देश की सुरक्षा के लिए, देश को खतरे से बचाने के लिए, देश की स्थिरता के लिए एकता होनी चाहिए, उसकी परम्परा तोड़ दी गयी है। आज देश में वह परम्परा दिखायी नहीं दे रही है। आज देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मैं चाहता हूं कि यह कोशिश बन्द होनी चाहिए क्योंकि देश को खतरा सभी के लिए खतरा है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं।

सभापति महोदय, मैं अन्त में इतना ही बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने इस पृष्ठ-भूमि में जिक्र किया है कि हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है । हमारी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ है, इसके बारे में मैं सिर्फ दो-तीन बातें ही बताना चाहता हूं । जिस देश में 142 मिलियन टन अनाज हो, पिछले साल 128 मिलियन टन था, इस वर्ष 142 मिलियन टन हुआ है, यह हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। इसके बारे में अगर हम कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा और राष्ट्रपतिजी अपने अभिभाषण में कहेंगे तब भी आपको बुरा लगेगा, लेकिन यह बात चीन के प्रधान मंत्री ने न्यूयार्क में कही है कि भारत में 142 मिलियन टन अनाज पैदा हुआ है, यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धियां पंजाब में, हरियाणा में उन इलाकों में हुयी हैं जहां आज अशांति है और आज की देश की कानून-व्यवस्था की हालत को देखते हुए आर्थिक व्यवस्था में सुधार होना एक बहुत बड़ी बात है । और इसलिए अंत में जो राष्ट्रपति जी ने पार्लियामेंट में सभी दलों के सदस्यों के राष्ट्रीय विकास के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए काम करने की अपील की है । हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार सरकार की सही नीतियों के कारण हो पाया है और सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारा फारेन एक्सचेंज । हमारे यहां 1980-81 में 10 मिलियन टन तेल होता था और तेल के कारण ही हमको लोन लेना पड़ा ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : चर्बी के लिए ?

श्री बी० आर० भगत : इलेक्शन में आपकी बात को जनता ने नहीं माना । जनता इस देश की बहुत समझदार है । इन गलत मुद्दों पर आपको कुछ मिलनेवाला नहीं है। 1980-81 में 10 मिलियन टन तेल होता था जो आज 26 मिलियन टन हो गया और अगले साल 31-32 मिलियन टन होगा । हम तेल के मामले में आत्म निर्भर होने वाले हैं । उधर हमने अपनी मांग के अनुसार जो कर्ज लिया था उसके 1·01 मिलियन डालर हमने लौटा भी दिये हैं। जब यह कर्ज लिया था तो मुझे याद है कि सभी विरोधी दलों के नेताओं ने इसका विरोध किया था । (**व्यवधान**)

आज भी जब हम कर्ज लौटाते हैं तो ब्याज आता है, अटल बिहारी जी ने तो शायद नहीं कहा लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से श्री अडवाणी जी ने कहा कि वह सब चुनाव जीतने के लिए धोखा है । 1.1 मिलियन डालर हमने लौटा दिए। तेल के आयात की वजह से हमारी स्थिति ऐसी हुई है । तेल उत्पादन में हमारी स्थिति में सुधार हुआ है और अब हमें इसकी जरूरत नहीं है । जब हमारे फारेन एक्सचेंज की हालत अच्छी हो गई है तो कहा है कि यह चुनाव के लिए है । ऐसी हालत रही है ।······(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक तरफ तो आप मांग रहे हैं ·····(**व्यवधान**)

श्री बी० आर० भगत : अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा । आज हमें अपनी उन राष्ट्रीय भावनाओं और आदर्शों की तरफ ध्यान देना चाहिए जिनकी ओर राष्ट्रपति जी ने अपने

अभिभाषण में निर्देश किया है। देश में जो ताकतें हिंसा, पृथकता और साम्प्रदायिकता को आन्दोलन के जरिये बढ़ावा दे रहीं हैं, उनका हमें मुकाबला करना चाहिए जिससे देश मे शांति हो और हम देश के विकास तथा गरीबी को दूर करने के लिए ग्राम जनता के उन सपनों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठा सकें।

श्री जेवियर अरकल (एर्णाकुलम) : सभापति महोदय, 23 फरवरी, 1984 को दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं गौरवान्वित अनुभव करता हूं।

श्रीमन्, यह अवसर कुछ राजनीतिक अंतर्निरिक्षण और मूल्यांकन करने का है तथा अनुमान लगाने का और राष्ट्र के भविष्य के बारे में कुछ कहने का है। इस अभिभाषण में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लगभग सभी प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

वर्ष 1984 अधिक उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण वर्ष है। छठी पंचवर्षीय योजना का यह अन्तिम वर्ष है और इस देश में कांग्रेस दल के शताब्दी समारोह आरम्भ होने वाला वर्ष है। सारा राष्ट्र और समूचा विश्व इस वर्ष बहुत सी बातों के लिए भारत की ओर देख रहा है। इसी वर्ष इस राष्ट्र की जनता इस बात का निर्णय करने जा रही है कि 1977-80 और 1980-84 के बीच क्या हुआ था।

श्रीमन् यदि आप वर्ष-प्रतिवर्ष की योजना अनियमित अर्थव्यवस्था, नकारात्मक आर्थिक विकास और पिछड़े वर्गों के लाखों लोगों की निराशा वाले वर्षों का स्मरण करें तो आज हम देखते हैं कि इस राष्ट्र ने योजनाबद्ध आर्थिक विकास किया है, उसमें स्थिरता आई है तथा लाखों लोगों की आशायें पूरी हुई हैं। गत तीन वर्षों में इस राष्ट्र ने अभूतपूर्व प्रगति की है, जिसके लिए हम किसानों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, सरकार, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र, के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

इस अभिभाषण के दो भाग हैं—पहले में सरकार–की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों, कृषि क्षेत्र, कोयला क्षेत्र, तेल उद्योग और वैज्ञानिक विकास में हुई उपलब्धियों तथा इन सबसे अधिक 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन—जिसके माध्यम से 90 लाख ग्रामीण परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया—में हुई उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। तथापि मैं अभिभाषण के दूसरे भाग का भी उल्लेख करना चाहता हूं, जिसमें राष्ट्रपति ने कहा है :

"साम्प्रदायिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियों में जो तेजी हुई है, वह सरकार के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है और इससे देश की सुरक्षा और अखण्डता के लिए भारी खतरा है।···ऐसी घटनाओं के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

कोई भी देशभक्त और विवेकशील नागरिक पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर में जो हो रहा है तथा असम में जो हुआ, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। हमारी प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है : "निहित स्वार्थ और विभाजक शक्तियों ने भयानक षडयंत्र रच कर सारे देश में आतंक और भय फैला दिया है। एक राष्ट्र के रूप में क्या हम ऐसी घटनाओं पर शांत रह सकते हैं? सभा के सामने एक आत्मान्वेषी प्रश्न है : इस प्रसंग में संसद की क्या भूमिका और उत्तरदायित्व है? क्या हम इस राष्ट्र को इस खतरनाक स्थिति के चंगुल में फंस जाने देंगे और इस रास्ट्र को खंड-खंड हो जाने देंगे अथवा इस राष्ट्र का भविष्य क्या होगा? इस देश पर शासन कौन करेगा? यह सब आत्मन्वेषी प्रश्न सभा के सामने है।

23 फरवरी, 1984 को मेरा हृदय उस समय गहरे दुःख में डूब गया जब चौधरी चरण सिंह खड़े होकर केवल पंजाब के प्रश्न का उल्लेख करने लगे। उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि हरियाणा में क्या हो रहा है? उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि असम में क्या हुआ? उन्होंने इस बारे में भी कुछ कहने की परवाह न की कि जम्मू-काश्मीर में क्या हो रहा है? उन्होंने अकेले पंजाब का ही उल्लेख क्यों किया? मैंने उस दिन की कार्यवाही का पूरा अध्ययन किया है। मैं खेदपूर्वक यह कहता हूं कि उनमे यह कहने का साहस नहीं था कि देश के अन्य भागों में क्या हो रहा है। आज भा० ज० पा० ने बाद आह्वान किया है। भा० ज० पा० के महासचिव के प्रेस वक्तव्य को मैंने पूरा पढ़ा है। दुर्भाग्यवश श्री वाजपेयी यहां नहीं हैं। आप जानते हैं पंजाव में हत्याओं के दौर पर अपना रोष और संताप प्रदर्शित करने के लिए भा० ज० पा० के अखिल भारतीय महासचिव ने बन्द के बारे में क्या कहा है।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : और हरियाणा में हुई हत्याओं पर भी।

श्री जेवियर अराकल : भा० ज० पा० के अखिल भारतीय सचिव द्वारा जारी किया गया यह वक्तव्य है।

श्री सूरजभान : मैं नहीं जानता आपने कौन सा समाचार पत्र पढ़ा है।

श्री जेवियर अराकल : इंडियन एक्सप्रेस आपकी जानकारी के लिए।

एक माननीय सदस्य : आपका अपना समाचार-पत्र।

श्री जेवियर अराकल : क्या देश के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री और भा० ज० पा० के बीच यह कोई षड्यंत्र नहीं है? यह सच है या नहीं? यदि वे इस सभा में खड़े होकर इसकी निंदा करने का साहस करें तो हम लोकतांत्रिक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोग उसका स्वागत करेंगे किन्तु हमारे देश में एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति पनप रही है। निस्संदेह, पंजाब एक महत्वपूर्ण राज्य है। पंजाब में हो रही हत्याओं के बारे में हम अपनी आंखे नहीं बन्द कर सकते।

पंजाब के बारे में गांधीजी द्वारा कहे गए शब्दों को मैं स्मरण कराना चाहता हूं। मैं उद्धृत करता हूं :

"बहुत से मामलों में पंजाब के लिए सारे भारत का मार्गदर्शन करना सम्भव है किन्तु केवल तभी, जब पंजाब इसका संकल्प करे और पांच नदियों के इस प्रदेश में दलीय भावनाओं और साम्प्रदायिकता का लोप हो जाए।"

यह वेद वाक्य है। दुर्भाग्यवश पंजाब में हुई घटनाओं ने वहां के वातावरण को उद्वेलित कर दिया है। यह ऐसा अवसर नहीं है जब हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं वरन् इस समय हमें एकजुट होकर वहां की समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए।

राष्ट्र में एक अन्य खतरनाक प्रवृत्ति पनप रही है। सवर्ण हिन्दू राष्ट्र में कट्टरता फैला रहे हैं। हमने देखा है कि हिन्दू परिषद तथा कुछ अन्य संगठनों ने किस प्रकार एकात्मकता यज्ञ का संचालन किया है : आपमें से कितनों ने ही देखा होगा कि उस जुलूस के समय कितने ढोंग-आडम्बर किए गए ? क्या आपने केसरी वस्त्र पहने, सिंह पर सवार, कठोर चेहरे वाली, हाथ में भाला लिए भारत-माता को नहीं देखा ? क्या आपने गोलवलकर का चित्र नहीं देखा था ? क्या आपने महाराणा प्रताप का चित्र नहीं देखा था ? क्या मैं लोकदल के सदस्यों और नेताओं से जान सकता हूं कि क्या वे इस प्रकार का आतंक इस राष्ट्र में चाहते हैं ? इस राष्ट्र में क्या आप इस प्रकार की साम्प्रदायिकता चाहते हैं। हम आपसे यह प्रश्न पूछ रहे हैं। आप इस राष्ट्र के समक्ष उत्तरदायी हैं। यह मंच है, आगे आकर इसकी निंदा करने का।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : लोकदल का इसमें क्या कसूर है बताना ? लोकदल किस तरह जिम्मेदार है भाई ? भिन्डरवाला और आप इस देश को तोड़ रहे हो और मुजरिम लोकदल को ठहरा रहे हो। कत्ल लोकदल कर रहा है पंजाब में ? राणाप्रताप नेशनल लीडर हैं। क्या बच्चों की बात कर रहे हो।

श्री वी०डी० सिंह (फूलपुर) : आप कनफ्यूज्ड हो।

श्री जेवियर अराकल : इस आँदोलन के पीछे भाजपा है··· (**व्यवधान**) उनमें सहनशीलता और लोकतांत्रिक भावनाएं नहीं हैं··· (**व्यवधान**)

श्री मनीराम बागड़ी : राणाप्रताप हमारे राष्ट्रीय नेता हैं।

श्री जेवियर अराकल : विपक्षी दलों से पूछना चाहिए। राष्ट्र के लिए कौन अधिक हानिकर है, कांग्रेस या नृशंस फ्रैंकेंस्टिन (ऐसी वस्तु जो निर्माता के लिए खतरनाक हो जाए) ? मैं श्री मुखर्जी से इसका उत्तर चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप अध्यक्षपीठ की ओर देखिए और अध्यक्षपीठ को ही सम्बोधित कीजिए।

श्री जेवियर अराकल : मैं अध्यक्षपीठ के माध्यम से उन्हें सम्बोधित कर रहा हूं। मैं अपील करता हूं कि विपक्षी दलों को केवल आज की स्थिति पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए वरन् भारत

के भविष्य के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। जब तक आप आगे आकर संकीर्ण विचारों को त्यागकर, उदारमना होकर नहीं सोचते, और साहसपूर्ण कार्य नहीं करते तब तक मैं समझता हूं कि यह राष्ट्र इस भयानक स्थिति का विनाशपूर्ण रूप में ही सामना करेगा। भारत जैसे राष्ट्र, जिसका विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या है, की जनता राष्ट्रीय नेतृत्व कार्यक्रम, मार्गदर्शन और प्रकाश के लिए राजनीतिक दलों की ही ओर देख रही है। क्या मैं विपक्षी दलों से पूछ सकता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा क्या कोई अन्य दल है, जो भारत का···

श्री मनीराम बागड़ी : भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस कहाँ है ?

श्री जेवियर अराकल : कोई भी अन्य दल आगे आकर इस देश का नेतृत्व नही कर सकता। इसे एक मित्र के समान समझकर और एक दार्शनिक के रूप में इसका मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। सभापति महोदय, पिछले चार वर्षों से मैं इस सभा में अध्ययन और अवलोकन कर रहा हूं।

सभापति महोदय : मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि आप मुझे ही सम्बोधित कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : वह श्री बागड़ी का चेहरा अधिक पसन्द करते हैं, क्या किया जा सकता है ?

श्री जेवियर अराकल : जहाँ तक प्रभुसत्ता समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र जैसे संविधान के मूल सिद्धांतों का संबंध है, इस बारे में विपक्ष की उनमें मान्यता कहां है। क्या भा० ज० पा० इसके उपयुक्त होगी ? क्या मार्क्सवादी इसके उपयुक्त होंगे ? क्या भारतीय साम्यवादी दल इसके उपयुक्त होगा ? क्या लोकदल इसके उपयुक्त होगा ? मैं डरता हूं इनमें से कोई भी दल संविधान के मूल सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं होगा। जहां तक मेरा संबंध है, वर्तमान साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का यही मूल कारण है। क्योंकि उनके पास कोई धारणा, राष्ट्रीय दृष्टि, राष्ट्रीय कार्यक्रम और राष्ट्रीय नेता नहीं है। इसीलिए पीड़ित कौन है ? पीड़ित है इस देश की जनता और इस देश का लोकतन्त्र।

श्रीमन्, एकता के बारे में बोलते हुए, मैं चाहता हूं कि 19 अक्तूबर 1963 को आकाशवाणी पर पंडितजी द्वारा कहे गए शब्दों को उद्धृत करूं :

> "मैं आपसे इस देश की संपन्न विविधता को भूलने के लिए नहीं कह रहा हूं वरन् आपसे यह स्मरण करने के लिए नहीं कह रहा हूं कि यह विविधता, सभी ऐसी चीजों के साथ जिनका हम आदर करते हैं, नष्ट हो जाएगी यदि हम स्मरण नहीं रखते कि एकता अनिवार्य है। एकता से मेरा मतलब नक्शे पर या संविधान में दिखाई गई सतही एकता में नहीं है, वरन् हृदय और मस्तिष्क से की एकता से है, जिसकी रक्षा करनी होगी, जिसके पक्ष में कार्य करना होगा और जो एक-दूसरे के प्रति सहयोग करने में हमारा नेतृत्व करेगीं।"
> श्रीमन्, हृदय और मस्तिष्क की एकता की यह भावना क्रमशः लुप्त होती जा रही है। किन्तु यह अवसर है जब हममें से प्रत्येक को खड़े होकर यह कहना चाहिए कि हम इस राष्ट्र की

एकता और अखंडता के लिए कटिबद्ध हैं। यद्यपि हम इस राष्ट्र की विमिधता का भी सम्मान करते हैं। श्रीमन् यह सपना अभी पूरा किया जाना है।

जम्मू और काश्मीर के मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि देश के उस भाग में क्या हो रहा है, श्रीमन्, आपने अनेक बार यह सुना होगा कि उस क्षेत्र की जनता वहाँ की वर्तमान सरकार के बारे में क्या अनुभव कर रही है। वे किस प्रकार पृथकतावादी और साम्प्रदायिक शक्तियों की सहायता कर रहे हैं और उन्हें दुष्प्रेरित कर रहे हैं ताकि वह राज्य इस देश के संघ से अलग हो सके ? क्या इसमें कोई सन्देह है ? मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि जम्मू और काश्मीर की घटनाओं के प्रति उनका शुतुरमुर्गी व्यवहार से हमें कुछ प्राप्ति न होगी। आपको आगे आना होगा और उन घटनाओं की ओर बुराई की निंदा करनी होगी। केवल तभी यह राष्ट्र इस बारे में आपकी भूमिका पर गर्व करेगा।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र--राज्य संबंधों का प्रश्न एक ढकोसला है। यह तो असली बात पर पर्दा डालना है। मैं वह बात उद्धृत करना चाहता हूं जो हमारी प्रिय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने कही है।

"यदि भारत शक्तिशाली है तो प्रत्येक राज्य और समुदाय शक्तिशाली होगा; और यदि भारत कमजोर हुआ तो चाहे राज्य या केन्द्र कितना भी प्रयास कर ले, हम कमजोर ही रहेंगे।"

यह हमारे दल का ओर सदकार का संदेश है।

महोदय, राष्ट्रपति ने ठीक ही कहा है और मैं उसे उद्धृत करता हूं :

"प्रत्येक देशभक्त नागरिक को सरकार की मदद करनी चाहिए जिससे कि सरकार उन ताकतों को, जो जाति क्षेत्रीयता और भाषा आदि के नाम पर देश में पृथकता और फूट का वातावरण फैलाना चाहते हैं, दबा सके।"

लेकिन यह महान राष्ट्र है इसे इस भूमि के लोगों पर विश्वास है। अतः हम राष्ट्रपति के इस कथन से सहमत हैं :

"भारत के लोगों ने समय-समय बड़ी मुश्किलों से प्राप्त की गई आजादी और एकता की सुरक्षा के लिए दृढ़संकल्प प्रदर्शित किया है।"

महोदय, यह समय स्वयं से यह पूछने का नहीं कि राष्ट्रपति ने क्या कहा ?

"हम राष्ट्र से जितना लेते हैं, उससे अधिक उसको समर्पण करना चाहिए। राष्ट्र के आदर्शों के लिए अपने को समर्पित करने की आवश्यकता है ताकि हम सब राष्ट्र की एकता और प्रगति के लिए अधिक से अधिक कार्य कर सकें।"

ऐसी बातें हम सब लोगों के दिलो दिमाग में पैठनी चाहिए यही हमें अपने आपको संदेश देना है।

मैं पुनः पंडित जी के कथन को उद्धृत कर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। मैं इसे इसलिये उद्धृत कर रहा हूं क्योंकि आप इसे कभी नहीं पढ़ते। और यदि आप पढ़ें तब भी इसे

समझ नहीं सकते । यदि आप इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकता हूं ?

मैं उद्धृत कर सकता हूं :

स्वतन्त्र भारत की मेरी कल्पना मात्र राजनैतिक स्वतन्त्रता ही नहीं इससे अधिक ऊंची और अधिक भव्य है । यह ऐसी स्वतन्त्रता है जिसमें 40 करोड़ लोग ऐसा जीवन जी सकते हैं, जो एक आदमी को जीना चाहिये, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को हर अवसर प्राप्त होगा; जिसमें प्रत्येक व्यक्तियों की जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जायेंगी । और वे व्यक्ति जिनके पास खाली समय है, वे विज्ञान के क्षेत्रों में खोज कर सकते हैं तथा पुनः साहसिक कार्य शुरू कर सकते हैं ।"

स्वतन्त्रता-संघर्ष की स्मृति में, स्वतन्त्रता के लाभ के नाम, स्वतन्त्रता की प्रतिष्ठा और उसकी रक्षा के लिये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने आधारशिला रखी है और हमारी प्रिय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी उस पर सुदृढ़ ढाँचा तैयार कर रही हैं ताकि आने वाली पीढी यह अंदाज लगाने के लिये यह निर्णय कर सके कि कांग्रेस और श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या कार्य किया है अपने वंशजों के लिए इमारत बन रही है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रपति की सेवा मे निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये ।"

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के प्रति उनके अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने 23 फरवरी, 1984 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, अत्यन्त आभारी हैं ।"

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय, जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में की गई टीका-टिप्पणियों को कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाला जा सकता है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा में उपस्थित माननीय सदस्य, जिनके धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन परिचालित किये गये हैं, यदि अपने संशोधन प्रस्तुत करने के इच्छुक हों, तो अपने संशोधनों की क्रय संख्या बताते हुये 15 मिनट में अपनी पर्चियां सभा-पटल पर भेज सकते हैं । केवल उन्होंने उन संशोधनों को ही पेश किया गया माना जायेगा ।

पेश किये गये समझे जाने वाले संशोधनों की क्रम संख्या दर्शाने वाली सूची थोड़ी देर बाद नोटिस बोर्ड पर लगाई जायेगी । यदि किसी सदस्य को सूची में कुछ असंगति प्रतीत हो, तो वह अपिलम्ब सभा-पटल अधिकारी का ध्यान नोटिस की ओर दिला सकता है । अब श्री समर मुखर्जी बोल सकते हैं ।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : महोदय, राष्ट्रपति द्वारा दिये गये अभिभाषण को सरकार की सामान्य नीति समझा जाता है । अतः अभिभाषण पर इसी दृष्टि से चर्चा को जानी चाहिए

और मैं चाहता हूं कि सरकार को यहां व्यक्त किये गये विचारों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह दावा किया है कि वर्षा न होने से पड़े प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद देश की आर्थिक व्यवस्था में बहुत सुधार और प्रगति हुई है। आर्थिक व्यवस्था में अत्यधिक सुधार और प्रगति का उनका यह दावा वास्तविक स्थिति से नितान्त विपरीत है। मैं आपका ध्यान पिछली बार इन्हीं राष्ट्रपति द्वारा दिये गये भाषण की ओर दिलाता हूं। पिछले वर्ष के भाषण के इसी पैराग्राफ 2 में उन्होंने कहा था :

> मुद्रा-स्फीति के कारण विभिन्न देशों पर पड़ने वाले दबाव को देखते हुए, हम मुद्रा-स्फीति पर नियन्त्रण करने में मिली सफलता पर गर्व कर सकते हैं।

इस वर्ष के भाषण में राष्ट्रपति ने स्वीकार किया है कि मूल्य स्थिति ने हमें चिन्ता में डाल दिया है। जनवरी 7, 1984 को मुद्रा-स्फीति की वार्षिक दर 10.4 प्रतिशत थी। अब आप तुलना……

प्रधनमंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अब यह 3 प्रतिशत से कुछ अधिक है।

श्री समर मुखर्जी : नहीं जानता इसमें कमी आई है। मैं राष्ट्रपति का भाषण पढ़ रहा हूं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं जानती हूं। मैं उस पर विवाद नहीं कर रही।

श्री समर मुखर्जी : यही कारण है कि पिछले वर्ष आपका पूर्णतः मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण करने का दावा करना और अब यह स्वीकार करना कि मुद्रा स्फीति 1 वर्ष में 10.4 प्रातशत पहुंच गई है—क्या यह हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था की स्थिति को वास्तविकता दर्शाती है? मुझे याद है कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी ने मेरा भाषण सुना था। तब मैंने कहा था कि आप देश में भ्रामक वक्तव्य दे रही हैं और और आप स्वयं ही भ्रमित हैं।

श्री अटल विहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : माया।

श्री समर मुखर्जी : जी हां, माया—आपके लिए माया। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं कि आप स्वयं भ्रमित है, लेकिन लोगों को भ्रम में मत डालिए। अतः इन भाषणों से सिद्ध हो जाता है कि आप पूरे देश पर कितना गलत प्रभाव डाल रहे हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : वह पिछले वर्ष का था।

श्री समर मुखर्जी : जी, हां, पिछला वर्ष। पिछले वर्ष आपने दावा किया था कि आपने मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण पा लिया था (व्यवधान) तत्पश्चात आप पूरी वसूली होने का दावा कर रहे हैं। अगले वर्ष आप आकर कहेंगे—नहीं-नहीं, वह ठीक नहीं था, वह केवल पिछले वर्ष के बारे

में था। अतः प्रश्न यह है कि आर्थिक व्यवस्था पर तदर्थ रूप में विचार नहीं करना चाहिए। सितबर में मूल्य गिर गए थे। अतः आप दावा करते हैं कि सामान्य प्रवृत्ति मूल्य कम होने रही है। अक्तूबर में, यह बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तब आप कहते हैं कि ऐसा होना स्वाभाविक है। पुनः यह कम हो जाएंगे। यह सब इसलिए है क्योंकि आप देश में यह शानदार चित्र प्रस्तुत करना चाहती हैं कि उनके शासन काल में अर्थ-व्यस्था बहुत सुदृढ़ बनती जा रही है।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : यह तथ्य है।

श्री समर मुखर्जी : मैं केवल तथ्य ही बता रहा हूं।

जहां तक कृषि का संबंध है। उनका दावा है कि यह उच्चतम रिकार्ड है आप 13 करोड़ 30 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान कर रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि संभव है यह लक्ष्य प्राप्त हो जाए। लेकिन उसके लिए उत्तरदायी कौन है? क्या इसका श्रेय आपको है या अच्छी वर्षा उत्तरदायी है? (व्यवधान)

15.42 (अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री समर मुखर्जी : राष्ट्रपति के अभिभाषण में अत्यधिक वर्षा होने के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बात स्वीकार की गई है।

अध्यक्ष महोदय : भले ही वषा अच्छी हो लेकिन किसानों के बिना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता।

श्री समर मुखर्जी : मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूं। पिछले वर्ष भी किसान थे। लेकिन उत्पादन 1280 लाख टन हुआ था।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यदि वर्षा भी हो और किसान भी हों, तब सरकार के बिना भी उत्पादन किया जा सकता है।

श्री समर मुखर्जी : उत्पादन में वृद्धि हुई है। आप इसका श्रेय स्वयं लेने का दावा करते हैं। जब उत्पदन में कमी होती है, तो आप प्रकृति पर दोष लगाते हैं।

उत्पादन में वृद्धि हुई या हो रही है। लेकिन उत्पादन में इस वृद्धि का लाभ किसको मिल रहा है? उत्पादन में वृद्धि हुई है। लेकिन मूल्य भी बढ़ रहे हैं। यह आपकी अर्थ-व्यवस्था की बड़ी असाधारण सी स्थिति है। आपका नारा है अधिक उत्पादन। लेकिन जब उत्पादन अधिक हुआ है तो मूल्य भी बढ़ते हैं। अधिक उत्पादन होने से लाभ किसको मिल रहा है? यह लाभ भू-मालिकों को जिनका फसलों पर अधिकार है और जो वास्तव में मुनाफाखोर हैं, को मिल रहा है। वास्तव में खेती करने वालों को उचित मूल्य नहीं मिलता। ये सारी फसल काला बाजार में जाती है। उत्पादकों को कम मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। जब कभी अधिक उत्पादन होता है तभी मूल्य गिर जाते हैं। उन्हें लाभ नहीं मिलता।

जब विक्रय मूल्य बढ़ता है, तो क्या उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। इस अत्यधिक

उत्पादन के बाद आपने खाद्यान्नों के मूल्यों में 20 प्रतिशत वृद्धि कर दी है। अतः सरकार की यह नीति उत्पादकों, कृषकों और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाकर जमाखोरों और व्यापारियों को लाभ देने की है। इसी कारण आप वसूली होने का दावा कर सकते हैं। लेकिन आम निर्धन व्यक्ति का अनुभव इसके बिलकुल विपरीत है। उन्हें सबसे ज्यादा कष्ट होता है और इस तरह मूल्यों में बहुत वृद्धि हो रही है। यहां तक मुझे बताया गया है कि केरल में खुले बाजार में चावल 6 रुपए प्रति किलो या इससे भी अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है। उन्होंने बार-बार मांग की थी कि पर्याप्त भंडार भेजा जाना चाहिए। देश में चावल नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह भी कहा गया है कि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यदि पर्याप्त वृद्धि हुई है तो पर्याप्त सप्लाई क्यों नहीं की जाती ? जब खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है तो आपने विदेशों से खाद्यान्न आयात करने का निर्णय क्यों लिया है। यह विरोधी स्थिति क्यों है ? सामान्यतः जब कमी होती है तब आयात किया जा सकता है। लेकिन जब उत्पादन अधिक हुआ है, और उसका श्रेय आप स्वयं लेने का दावा कर रहे हैं, आपने यह भी घोषणा की है कि आयात किया जायेगा। क्यों ? इसलिए कि आपको राशन की दुकानों पर आयातित गेहूं या खाद्यान्नों की सप्लाई करनी है ?

इस तरह, यह पता चलता है कि सारी अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, बल्कि अन्य ताकतों के अधीन है जो कि अर्थव्यवस्था को निदेशित करने वाली असली शक्तियां हैं। वे हैं बड़े व्यापारी, जमाखोर, व्यावसायी, सटेबाज और ऐसे ही अन्य लोग।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : लेकिन आपने साम्यवादियो को नहीं गिना है।

श्री समर मुखर्जी : कृपया सुनिए। मैं तथ्य बता रहा हूं और उनके आधार पर आपकी सहायता के लिए कुछ निष्कर्ष निकाल रहा हूं। मगर आप इस पर आंख मूंदे रहते हैं तो अचानक ही किसी दिन कुछ धमाका होगा, जैसे कि आजकल देश के विभिन्न भागों में हो रहा है।

अब, आप दावा कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी० एस० ओ०) के आंकड़ों के अनुसार, जोकि एकमात्र भरोसेमंद और सरकारी आंकड़े हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की औसतन दर या वास्तविक अर्थ में राष्ट्रीय आय 1978-79 और 1982-83 के बीच प्रति वर्ष 2.2 प्रतिशत रही, जो कि 5 प्रतिशत के कहीं भी नजदीक नहीं है जैसा कि योजना आयोग द्वारा और प्रणव मुखर्जी का मंत्रालय द्वारा अधिकांशतया बताई जाती रही है। राष्ट्रीय आय 1978-79 में (1970-71 के दामों पर) 46.386 करोड़ रु० था, और 1982-83 में यह 50,486 करोड़ रु० है—यानि कि 4 वर्षों में 4,000 करोड़ रु० की ही वृद्धि हुई। इस अवधि में, प्रतिवर्ष जनसंख्या में 2.2 प्रति वर्ष की वृद्धि हुई। लेकिन प्रति व्यक्ति आमदनी में बिल्कुल ही वृद्धि नहीं हुई है जोकि 1978-79 के स्तर पर रुकी हुई है। यह उनका अध्ययन है। लेकिन आप दावा करते हैं कि इसमें सुधार हुआ है। इसका कोई आधार नहीं है.।

वास्तव में, विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में यह माना गया है कि विश्व युद्ध के बाद, किसी भी वर्ष में विकासशील देशों में विकास दर इससे पहले के वर्षो से कम रही है। यह विश्व बैंक की नवीनतम, ताजा रिपोर्ट में कहा गया है।

अगर आप इन वास्तविकताओं को नहीं मानते हैं, तब आपको इस नीति में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जोकि देश की अर्थव्यवस्था को संकटपूर्ण और दुर्व्यवस्था की ओर ले जा रही है। आज 'टाइम्स आफ इंडिया' के सम्पादकीय में लिखा है कि :

"सरकार की औद्योगिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य है, अर्थव्यवस्था के विकास की गति में तेजी लाभदायक रोजगार में काफी वृद्धि और आर्थिक शक्तियों के केन्द्रीकरण पर प्रतिबन्ध लगाना। तथापि, पिछले दो शतकों को औद्योगिक विकास में मंदी आई है और यह दर 9 प्रतिशत से कम होकर मात्र 4 प्रतिशत रह गई है, संगठित क्षेत्र में कारखानों में रोजगार में अल्पमात्र की ही वृद्धि हुई है, और आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण में कई गुना वृद्धि हुई है।"

इस तरह आपकी अर्थव्यवस्था, कुछ ही हाथों में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण में सहायता दे रही है, इसीलिए आर्थिक ध्रुवीकरण हो रहा है। हमने बार-बार यह प्रश्न उठाया है कि धनी धनवान होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। यह अब स्पष्ट हो गया है। आज के 'टाइम्स आफ इंडिया' के सम्पादकीय में भी यही कहा गया है। जिन आर्थिक नीतियों का आप पालन कर रहे हैं, यह सब उन्हीं का परिणाम है। मजे की बात यह है कि, भारत में आप इस प्रकार का समाजवाद लाना चाहते हैं। मेरे पास, पिछले दिसम्बर में कलकत्ता में हुए आपके दल के पूर्ण अधिवेशन में पारित, आर्थिक संकल्प की प्रति है। उस संकल्प में कहा गया है कि :

"आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समाजवाद, हमारा उद्देश्य है।"

यह एक अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि :

"कांग्रेस इस बात को याद करती है कि 1936 में जवाहर लाल नेहरू ने घोषणा की थी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में घोर असमानता को खत्म करने के लिए समाजवाद ही एक मात्र रास्ता है। तभी से कांग्रेस (इ) समाजवादी समाज के बचाने के उद्देश्य की ओर लगातार आगे बढ़ रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, गणराज्य के संविधान में इस प्रकार परिवर्तन किया गया है, जिससे राष्ट्र द्वारा समाजवाद के लिए दिए गए वचन को उच्चतम राजनैतिक अभिव्यक्ति दी जाये।"

अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे भारत में समाजवाद को लाया जा रहा है। मैं आपको आंकड़े देने जा रहा हूं। पिछले सत्र में 21 नवम्बर, 1983 को राज्य सभा में दिए गए एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय दिए गए विवरण में, यह बताया गया था कि 10 बड़े औद्योगिक घरानों की सम्पत्तियों में कैसे वृद्धि हुई मैं उसी उत्तर से पढ़ रहा हूं। उन्होंने 20 औद्योगिक घरानों के नाम दिए हैं।

उदाहरण के तौर पर टाटा को ही लें।

1972—641.93 करोड़ रु०

1973—924.41 „ „

1976—980.77 करोड़ रु०

1977—1069.28 „ „

1978—1102.11 „ „

1979—1309.38 „ „

1980—1538.97 „ „

1981—1840.16 „ „

इस प्रकार से समाजवाद बढ़ रहा है और बन रहा है।

अब मैं बिड़लाओं के बारे में बताता हूं—

1972—528.42 करोड़ रु०

1973—905.03 „ „

1976—974.63 „ „

1977—10.7020 „ „

1978—1171.15 „ „

1979—1509.99 „ „

1980—1431.99 „ „

1981—1691.69 „ „

अब, मैं मफत लाल के बारे में बताता हूं :—

1972—183.74 करोड़ रु०

1973—244.23 „ „

1976—256.54 „ „

1977—285.63 „ „

1978—317.86 „ „

1979—371.06 „ „

1980—427.54 „ „

1981—535.12 „ „

सभी 20 परिवारों के बारे में बताया गया है। इस प्रकार समाजवाद पनप रहा है। अगर मैं यह कहूं कि यह टाटा और बिड़ला का समाजवाद है, तो क्या गलत होगा ?

एक पक्ष तो यह है। मैं दूसरे पक्ष पर आता हूं। टाटा और बिड़ला के बारे में यह स्थिति है। जहां तक औद्योगिक मजदूरों का प्रश्न है, एक के बाद एक कारखाने बन्द होते जा रहे हैं; तालाबन्दी और जबरन छुट्टी की जा रही है। यह सरकारी आंकड़े हैं। दिसम्बर 1979 में देश

में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की संख्या 22,366 थी जो कि जून 1982 में बढ़कर 28,428 हो गई। इसमें 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहां तक रुग्ण इकाइयों को बैंकों से अग्रिम धन दिए जाने का प्रश्न है, इसी अवधि में यह 1623 करोड़ रु० से बढ़कर 2,299 करोड़ रुपए हो गया।

अब बैंकों द्वारा दी गई अग्रिम राशि बढ़कर 3,500 करोड़ हो गई है। सरकार द्वारा बैंकों का प्रयोग एकाधिकार घरानों को अग्रिम और वित्त पोषण के लिए किया जा रहा है। एकाधिकारी उद्योगों को रुग्ण बना रहे हैं, सरकार की सारी रकम को लूट रहे हैं और इस प्रकार कमाए गए लाभ को आपस में बांट रहे हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने औद्योगिक रुग्णता के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया है। सरकार द्वारा वही घिसेपिटे, आम कारण बताए गए हैं, कि मजदूर समस्या के कारण यह सब हो रहा है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने सच्चाई बता दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 53 प्रतिशत इकाईयों के रुग्ण का कारण, कुप्रबन्ध जिसमें राशियों को दूसरी जगह लगाना, आपस में लड़ाई और मार्किट रणनीति का अभाव है; 14 प्रतिशत इकाइयां के रुग्ण होने का कारण शुरू की गलत की गई योजना और अन्य तकनीकी अभाव हैं और 9 प्रतिशत इकाईयां के रुग्ण होने का कारण बिजली का न मिलना और कच्चे माल की कमी है और 23 प्रतिशत इकाइयां इस लिए बन्द हो गई हैं क्योंकि बाजार में मन्दी है। ये उद्योग हैं—इंजीनियरिंग, पटसन, कपड़ा और चीनी उद्योग।

भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण में ठीक ही कहा गया है कि हड़ताल या औद्योगिक विवादों के कारण केवल 2 प्रतिशत उद्योग ही बन्द हुए हैं।

यह वह सच्चाई है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के सामने आई है।

आज की हमारी अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति और स्थिति इस प्रकार है कि इससे सभी बड़े एकाधिकार वाले घरानों को अधिक से अधिक लाभ मिल रहा है। गरीब लोग औद्योगिक मजदूरों को काफी संख्या में अपना रोजगार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। औद्योगिक रुग्णता में वृद्धि होती जा रही है। पूंजीपति और एकाधिकारी काफी लाभ कमा रहे हैं और देश की अर्थ-व्यवस्था पर नियंत्रण किए हुए हैं और गरीब लोगों को आर्थिक भुखमरी का बोझ अधिक से अधिक सहना पड़ रहा है और गरीबी में जीना पड़ रहा है।

मगर 1970-71 को आधार वर्ष लिया जाए तो, 24 दिसम्बर, 1983 को समाप्त होने वालेप खवाड़े में थोक बिक्री का मूल्य सूचकांक 38.7 था।

1970-71 के वर्ष में हमारी प्रधान मंत्री ने देश को गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और इस वर्ष को थोक मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष माना जाता है। इसका परिणाम यह निकलता है कि 1983 में थोक मूल्य सूचनांक में तीन गुणा से अधिक की वृद्धि हुई है।

इसलिए, आपका प्रिय तर्क कि जनता राज में मूल्य वृद्धि हुई है, अब और अधिक लोगों को धोखा नहीं दे सकता ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : पश्चिम बंगाल की सरकार के बारे में क्या खबर है ?

एक माननीय सदस्य : यह सब जनता शासन की ही बदौलत है ।

श्री समर मुखर्जी : अपनी असफलताओं को इस प्रकार के अलग-अलग नारे लगाकर छुपाने की कोशिश न करें ।

मैं पश्चिम बंगाल के बारे में भी बोलूंगा ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह मत भूलिए कि पश्चिम बंगाल भी भारत का ही एक अंग है ।

श्री समर मुखर्जी : पिछले पांच वर्षों के दौरान उपभोक्ता मूल्यों में 60 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है । थोक मूल्य सूचकांक जो 1978-79 में 186 था पिछले सप्ताह बढ़कर 320 हो गया और 1960-61 को आधार वर्ष मानकर, मूल्य सूचनांक 331 से बढ़कर 565 हो गया ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक बात पर स्थिर होने की कोशिश क्यों नहीं करते ?

श्री समर मुखर्जी : इसका मतलब है अब उपभोक्ता मूल्यों में 5।। गुणा से भी अधिक वृद्धि हुई है । जब कभी भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ता है तो इसका सबसे बुरा प्रभाव गरीब लोगों पर पड़ता है । मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है । लेकिन अमीर लोगों को मूल्य वृद्धि से अन्तर नहीं पड़ता । बड़े व्यवसायी लोग, एकाधिकारी बड़े उद्योगपति, मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेवार शासन को राम राज्य कहते हैं । अगर आप इस देश के लिए, इस प्रकार का समाजवाद बनाना चाहते हैं तो मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि आपका समाजवाद, बड़े व्यापारियों और मुनाफाखोरों के लिए है, आपका समाजवाद जनता विरोधी है । यह समाजवाद, कुछ और नहीं बल्कि राज्य एकाधिकार पूंजीवाद है । इस समाजवाद के अन्दर, दिन-प्रतिदिन सरकार और एकाधिकारियों पूंजीवादियों और बड़े व्यवसायों का गठबन्धन मजबूत होता जा रहा है ।

सरकार की सारी नीतियों, आर्थिक नीति, वित्तीय नीति, पंचवर्षीय योजना, सभी गरीब लोगों के बल पर भारी लाभ कमाने के उद्देश्य से है । आपकी कराधान नीति क्या है ? आपने प्रयत्न करों में भारी कमी की है । और अप्रत्यक्ष करों में भारी वृद्धि की है । इसका मतलब है आप एकाधिकार घरानों को अधिक से अधिक छूट दे रहे हैं । जब ब्रिटिश सरकार भारत छोड़कर गई, तो प्रत्यक्ष कर 40 प्रतिशत थे और अप्रत्यक्ष कर 60 प्रतिशत । अब प्रत्यक्ष कर भाग 17 प्रतिशत हैं और अप्रत्यक्ष कर 83 प्रतिशत अप्रत्यक्ष कराधान का मतलब है इसका भार आम जनता को

सहन करना पड़ता है क्योंकि उत्पाद ओर अन्य करों से आप आम जनता पर भार बढ़ा रहे हैं। इसलिए, अगर इस नीति को जारी रखा गया तो, लोग निश्चित रूप से अधिक गरीब होते जायेंगे और इन करोड़ो लोगों के मूल्य पर कुछ एक अमीर लोग और धनवान हो जायेंगे। आपकी स्रोतों को मुहैया करने की यह नीति है।

1603.

(डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी पीठासीन हुई) : एक अन्य नीति है घाटे की अर्थव्यवस्था। मुद्रास्फीति का अर्थ है गरीब लोगों की जेबों से निकालकर, बड़े लोगों, व्यवसायिओं को और धनवान बनाना। यह एक आम अर्थ-शास्त्र है जोकि एक आम आदमी समझ सकता है घाटे की अर्थव्यवस्था, अप्रत्यक्ष कराधान और अन्य कई तरीकों से आप जनता को उनके जीवन स्तर के लिए, अधिक मूल्य चुकाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसलिए लोगों की क्रय शक्ति कम होती जा रही है। दूसरी तरफ, आपका नारा है, 'अधिक उत्पादन,' और जब अधिक उत्पादन बाजार में आता है तो उसका कोई खरीदार नहीं होता। इसतरह भंडार जमा होता रहता है।

तत्पश्चात मालिक घोषणा करता है कि फैक्ट्री रुग्ण है क्योंकि यदि उत्पाद नहीं बिके, यदि उत्पादों पर मालिक को कोई लाभ नहीं होता है तो वे कारखाना नहीं चलाएंगे। रुग्णता पनप रही है और रिजर्व बैंक की समर्थता में यह स्पष्ट कहा गया है कि प्रबन्ध व्यवस्था में भ्रष्टाचार और अकुशलता उद्योगों और अर्थव्यवस्था की बढ़ती रुग्णता का कारण है।

आपके राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने यह घोषणा कर ही दी है कि वे 26 कारखाने बंद कर देंगे जिसके कारण हजारों श्रमिकों को बेकार कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप एक नयी तकनीक युक्तिसंगत व्यवस्थीकरण आरम्भ कर रहे हैं, जिसमें श्रमिको को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक पूंजीवादी व्यवस्था में जहां काम देने की गारंटी नहीं है, वहां फैक्ट्रियों में या कार्यालयों में यदि आप संगणक के द्वारा यह नयी तकनीक आरम्भ करते हैं तो आप हजारों नियमित कर्मचारियों को बेरोजगार कर देंगे क्योंकि शारीरिक श्रम का स्थान मशीन ले लेगी। अब एक ऐसी स्थिति आ चुकी है, जहां आप अपनी आर्थिक नीतियों का मूल ढांचा परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आप एकाधिकार पूंजीवाद और इन शोषक वर्गों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपके सारे आर्थिक सिद्यान्त और दर्शन, आपकी सारी राजनीतिक गतिविधियां, चुनाव निधि में सहयोग सब कुछ उसी दृष्टि से हो रहा है और इसलिए आप इसे कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। अतः लोगों के पास इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है कि वे एक वैकल्पिक नीति के साथ सड़क पर आएं और आप पर इस स्थिति को बदलने के लिए दबाव डालें यदि आप नहीं बदलते हैं तो आपको सत्ता से बाहर कर देंगे और स्वयं सत्ता में आकर उन सभी वैकल्पिक नीतियों को कार्यान्वित करेंगे। केवल यही विकल्प शेष है। मैं कुछ वैकल्पिक कार्यक्रम, जो जनता के साथ पहले ही रखे जा चुके हैं, रख रहा हूं...

एक माननीय सदस्य : क्या यह आपका चुनाव घोषणा पत्र है ?

श्री समर मुखर्जी ; चुनाव घोषणा पत्र के बारे में कोई प्रश्न नहीं। आपने कहा है कि प्रधान मंत्री देश को समाजवाद की ओर ले जा रही है। आप किस प्रकार का समाजवाद बना रहे हैं ?

सभी कारखाने बंद कर दिये गये हैं। अब कपड़ा मिलों के श्रमिक यह मांग करने लगे हैं कि कपड़ा उद्योग का रष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : हम कर चुके हैं।

श्री समर मुखर्जी : आप केवल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के दौरान ऐसा एक चाल के रूप में कर चुके हैं। 67 रष्ट्रीय कपड़ा मिलों में से आपने 13 राष्ट्रीय कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण किया है शेष अब भीं बंद पड़ी हुई हैं। अब लोग भी चतुर हो गये हैं। यह मत समझिए कि वे अब भी उतने ही मूर्ख हैं जितने पहले थे···

(व्यवधान)

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : वह लोगों को मूर्ख कह रहे हैं...

श्री समर मुखर्जी : आप उनके बारे में ऐसा सोचते हैं कि वे मूर्ख हैं। वे अब इतने मूर्ख नहीं हैं।

श्री एन० रामगोपाल रेड्डी : सभापति महोदय, कृपया 'मूर्ख' शब्द को कार्यवाही-वृत्तांत से निकालिए। वह कह सकते हैं कि मूर्ख वास्तव में मूर्ख नहीं होता है।

सभापति महोदय : उन्होंने ऐसा नहीं कहा है।

प्रो० मधु दंडवते : वह आपको नहीं कह रहे हैं, फिर आप क्यों चिन्तित होते हैं ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : प्रोफेसर जी, वह आपके निकट हैं।

श्री समर मुखर्जी : अब आप जानते हैं कि गत जनवरी में कलकत्ते में एक सम्मेलन हुआ था·········

एक माननीय सदस्य : ओह ! ओह !

श्री समर मुखर्जी : कृपया सुनिए·········

एक माननीय सदस्य : आप कलकत्ता सरकस की बात कर रहे हैं।

श्री समर मुखर्जी : उस सम्मेलन में 17 राजनीतिक दल उपस्थित थे······**(व्यवधान)** इसमें ओह ! ओह ! और कुछ नहीं है 5 मुख्य मन्त्री भीं वहाँ थे···**(व्यवधान)** हाँ, हाँ, हम सड़कों पर आ रहे हैं। यहाँ हमारे चिल्लाने से कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। उन्होंने देश की भयानक आर्थिक स्थिति पर चर्चा की और सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें वैकल्पिक उपायों की माँग की गई है ताकि जनता को तत्काल राहत मिल सके। वह प्रस्ताव क्या है ?

"संघ सरकार को थोक-विक्रेताओं के लाभ पर कड़ा नियंत्रण करके उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं के पर्याप्त संभरण की गारन्टी देनी चाहिए और देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का व्यापक जाल बिछाना चाहिए।'

ये माँगें पहले भी की गई हैं । इस सभा में ये मांग हम हमेशा उठाते रहे हैं । किन्तु अब-क्योंकि इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया-हम जानते हैं कि आप दूसरी बातों से प्रतिबद्ध हैं-हमें जनता के पास जाना होगा, उन्हें संगठित करना होगा और इन्हें स्वीकार करने के लिए सरकार पर दबाव डालना होगा क्योंकि अब जनता ही सबसे अधिक पीड़ित है । वे अधिक मूल्यों पर खरीदारी कर रहे हैं तथा उनकी कोई क्रय-शक्ति नहीं रह गयी है । वे भुखमरी और दुर्दशा के कगार पर हैं । अतः जब तक जनता को आवश्यक वस्तुएं निश्चित मूल्य पर सुलभ नहीं करायी जाती, तब तक अर्थ-व्यवस्था पूरी तरह से डांवाडोल ही रहेगी । इसलिए पहले आपको आम आदमी की स्थिति पर चिंता अनुभव करनी चाहिए । अतः मांग यह है कि सभी आवश्यक वस्तुओं को थोक विक्रेताओं के अधिकार क्षेत्र से बाहर लाया जाना चाहिए । सरकार को समूचे थोक व्यापार तथा वितरण को अपने हाथ में ले लेना चाहिए । यह आहवान निर्धन और मध्यवर्गीय जनता द्वारा सर्वाधिक उपभोग की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के अनुसार उत्पादन की प्राथमिकताओं में परिवर्तन करने के लिए और मुख्य खाद्यान्नों, दालों, खाद्य तेलों, नमक, चीनी, घरेलू कोयला, मिट्टी का तेल, साधारण कपड़ा, कागज, जीवन-रक्षक औषधियां, दियासलाई आदि वस्तुओं के नियंत्रित मूल्य पर संभरण के लिए है । और ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क में भारी कमी किए जाने तथा उनके लाने ले जाने की उच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है ।

आपकी शिकायत है कि हम सरकार की नकारात्मक और विनाशक रूप से ही आलोचना करते हैं । यह सकारात्मक माँगें और सकारात्मक सुझाव हैं । यदि आप यह स्वीकार नहीं करते हैं तो सारे देश में जनान्दोलन चलेगा और आपको बाध्य किया जायेगा कि या तो इन मांगों को स्वीकार कीजिए या गद्दी छोड़िए ।

एक माननीय सदस्य : वे इसके लिए तैयार हैं ।

श्री समर मुखर्जी : वे तैयार नहीं हैं । किसी भी मूल्य पर वे अपनी गद्दी से चिपके रहेंगे । प्रस्ताव में यह भी कहा गया है ;

"कांग्रेस सरकार ने स्वयं ऐसी शक्तियों को छोड़ दिया है जो इस अत्यधिक मूल्य-वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं । एक के बाद एक मूल वस्तुओं का सरकारी मूल्य बढ़ा दिया गया है ।"

चार बार से अधिक आप कोयले का मूल्य बढ़ा चुके हैं ।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : श्रमिकों की मजदूरी के बारे में क्या है ?

श्री समर मुखर्जी : आप श्रमिकों की समस्याएं नहीं जानते हैं ?

श्री रामप्यारे पनिका ; मैं जानता हूं ।

एक माननीय सदस्य ; वह स्वयं एक श्रमिक हैं ।

श्री समर मुखर्जी . हो सकता है । लेकिन श्रमिकों की समस्याएं नहीं जानते हैं । (व्यवधान) मैं आपको बता रहा हूं कि गत वर्षों में पांच बार से अधिक मूल्य वृद्धि हुई है ।

कोयला श्रमिकों के बारे में, मैं आप को बता रहा हूं कि उनकी मजदूरी एक लम्बे संघर्ष के पश्चात बढ़ाई गई है। उनकी मजदूरी में 22/1-2 प्रतिशत वृद्धि की गई है। किन्तु इस अवधि के दौरान मूल्य वृद्धि 60 प्रतिशत से अधिक हुई हैं। उन्हें कितनी क्षतिपूर्ति दी गई है। मूल्य वृद्धि की तुलना में उनकी मजदूरी में बहुत कम वृद्धि की गई है। उनकी वास्तविक मजदूरी कम हो गई है। पहले जब वहां मजदूरी में वृद्धि करने की मांग थी तब एक लम्बे संघर्ष के पश्चात सरकार ने सरकारी उद्यम व्यूरो बनाकर उसको सीमित कर दिया। सरकारी उद्यम व्यूरो ने शर्त रखी कि मजदूरी में वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। केवल श्रमिकों के संघर्ष के कारण ही सरकार को मजदूरी में 22/1-2 प्रतिशत वृद्धि करने के लिए बाध्य होना पड़ा था।

सभापति महोदया : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री समर मुखर्जी : मुझे बोलते हुए कितना समय हो चुका है।

सभापति महोदया : आप आधे घण्टे से अधिक समय से बोल रहे हैं।

श्री समर मुखर्जी : कितना समय शेष है ?

सभापति महोदया : आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री समर मुखर्जी : मुझे थोड़ा समय और दीजिए।

सभापति महोदया : ठीक है।

श्री समर मुखर्जी : मांगों पर आता हूं। आपको इन पर अवश्य ध्यान देना चाहिए;-

"काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पुनः चलाया जाए और उसका विस्तार किया जाए।"

"वर्तमान मुमि सुधार कानूनों की कमियां दूर करने के पश्चात उनका तीव्र गति सेकार्यान्वियन किया जाए तथा राज्य विधान मण्डलों द्वारा पारित किए गए भूमि सुधार विधेयकों को तत्काल स्वीकृति दी जाए :"

"किसानों को सस्ती दर पर ऋण दिया जाए कृषि-निवेश का संभरण सुनिश्चित किया जाए।"

"अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों, धार्मिक अल्प संख्यकों, नारियों और समाज के अन्य दुर्बल वर्गों पर होने वाले सतत शारीरिक आक्रमण और आर्थिक अन्याय को समाप्त करने के लिए जोरदार उपाय किए जाए;"

उन्होंने ये मांग भी की है;

"बहुतायत में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि तथा छोटे कारीगरों

और शिल्पकारों सहित सभी वर्गों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियों का पूर्ण रूप से पुनर्निर्धारण;

"काम करने के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया जाए;

"आर्थिक आत्म-निर्भरता की राष्ट्रीय नीति को फिर से चालू किया जाए तथा निर्धन और कामगार वर्गों के हितों के व्यय पर बड़े एकाधिकार घरानों और बहु-राष्ट्रीय निगमों का प्रोत्सा- नह देने वाली राजस्व संबंधी, वित्तीय और पूंजी निवेशन सम्बन्धी नीतियों का परित्याग किया जाए;"

"केन्द्र सरकार की सभी श्रमिक विरोधी नीतियों को बदला जाए तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और आवश्यक सेवाएं अधिनियम जैसे अनिष्टकारी उपायों कोस माप्त किया जाए। श्रमिक संघों की राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा सुझाई गई मांगों को स्वीकार किया जाए तथा उद्योगों को बन्द करने तथा तालाबन्दी को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं;

उस सम्मेलम की ये कुछ मांगे और सुझाव हैं। इन मांगों के समर्थन में बहुत से राज्यों में 13 फरवरी को अखिल भारतीय माँग दिवस के रूप में मनाया गया।

कार्यक्रम का अगला दौर तैयार किया जाएगा। 30 मार्च को अखिल भारतीय सम्मेलन होने वाला है। इसके अतिरिक्त आपकी भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस को छोड़कर सभी केन्द्रीय श्रमिक संघो का दिल्ली में 20 जनवरी को सम्मेलन हुआ। उसमें उन्होंने स्पष्ट मांग की है कि वन्दी, जबरन छुट्टी और तालाबन्दी पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए, तथा सरकार को ऐसे कारखानों को अपने हाथ में लेना चाहिए, जिनके मालिक उन्हें समय पर खोलने से मना कर दें। सरकार के निदेशों के बावजुद कुछ मालिकों ने कारखाने बन्द कर दिए हैं और हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं।

हाल ही में, एक सरकारी प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया गया कि श्रमिकों पर मालिकों ाक दबाव बढ़ता जा रहा है। पहले श्रम-दिवसों की अधिक हानि हड़तालों के कारण हुई थी, लेकिन आजकल श्रम-दिवसों की हानि अधिक होने के कारण तालाबन्दी और श्रमिकों की जबरन छुट्टी है। और सरकार ने यह स्वीकार किया है कि 1982 में 53 प्रतिशत श्रम दिवसों की हानि तालाबन्दी और दिवसों जबरन छुट्टी के कारण हुई।

(व्यवधान)

आपके आदमीवाके आउट करके वर्कर्ज को दबाना चाहते हैं। 92 प्रतिशत लाक आउट किया गया गया। वर्कर्ज ने स्ट्राइक नहीं की।

इनहमलों को तुरन्त रोका जाना चाहिए। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उन फैक्ट-

रियों को अनाधिसूचित कर दिया जाए जिनका पहले उन्होंने अधिग्रहण किया और उनका कहना है कि जब तक कोई इकाई लाभ कमाने योग्य न सरकार को उसे अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और न ही इसका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री समर मुखर्जी : इस संबंध में राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि सरकार को तुरन्त एक सम्मेलन बुलाकर कार्मिक संघ नेताओं से मिलकर यह पता लगाना चाहिए कि ये कारखाने किसलिए बंद किए जा रहे हैं। और सरकार को श्रमिकों के हितों को की रक्षा करनी चाहिए न कि मालिकों के हितों की। उन्होंने यह मांग भी की है कि जब तक ये कारखाने खोल कर श्रमिकों को रोजगार नहीं दिया जाता तब तक उन्हें बेरोजगारी का लाभ दिया जाए। सबको नौकरी दिलाने की मूलभूत गारंटी दी जानी चाहिए तथा इसे संविधान में मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस समय इसका उल्लेख केवल नीति निदेशक तत्व अध्याय में किया गया है।

अंततः विघटन अधिकारी और सांप्रदयिक शक्तियां जोर पकड़ती जा रही हैं। इस मामले में हमें अच्छी जानकारी है। लेकिन मेरा प्रश्न है कि आप देश में जो आर्थिक स्थिति बना रहे हैं उससे सभी वर्गों के लोगों में असंतोष पैदा हो रहा है और ये विघटनकारी और सांप्रदायिक शक्तियां इस असंतोष का लाभ उठा रही हैं। अतः जब तक आप लोगों की मूल समस्याओं अर्थात निर्धनता, बेरोजगारी और भयावह शोषण का हल नहीं करते, तो यह समस्या सुलझाना बहुत कठिन हो जाएगा और सत्तारूढ़ दल पर पुनः आरोप लगाते हैं कि आपने राजनीतिक तरीके से राजनैतिक समस्याओं का समाधान करने से इंकार किया है। यह देश के सम्मुख एक गम्भीर चुनौती है तथा सभी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शक्तियों को चाहिए कि सतर्क हो जाएं और राजनैतिक रूप से इन विघटनकारी और सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करने के लिए आगे आएं। प्रशासनिक कार्यवाही से आप इन सब समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते क्योंकि समूचे प्रशासन में सांप्रदायिकता का विष फैल गया है।

मेरठ में दंगे होने के बाद मैं श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ वहां गया और वहां मैंने देखा कि मुसलमान चाहते थे कि वहां से पी० ए० सी० हटा दी जाए जबकि हिंदू चाहते थे कि वह वहीं रहे और उन्होंने 'पी० ए० सी० जिन्दाबाद' के नारे लगाए। आसाम में भी यही सब हुआ है। हरियाणा से भी मुझे ऐसी ही रिपोर्ट मिली। अतः इस तंत्र के साथ आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। जब तक आप चुनौती को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते। आपके सभी सिद्धांतों को चुनौती दी जा रही है। और यह आपकी कठिन परीक्षा है। मुझे आशा है कि यदि आप उस तरह से चुनौती स्वीकार कर लेते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब धर्मनिरपेक्ष शक्तियां आगे आएंगी और विघटनकारी और सांप्रदायिक शक्तियां समाप्त हो सकेंगी। अब आपके विरुद्ध यह विचार फैलाया गया है कि आप समस्या सुलझाने के इच्छुक ही नहीं हैं और इसे लटकाए रखना चाहते हैं ताकि चुनावों के दौरान इसका लाभ उठाया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधार और काश्तकार सम्बन्धी कानूनों को लागू करने सम्बन्धी निर्णय पर बल नहीं दिया गया है ।" (8)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सूदखोरी और ऋणों को समाप्त करने सम्बन्धी कानूनों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (9)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसी ठोस मूल्य नीति को लागू करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिससे उत्पादन करने वाले किसानों को लाभप्रद मूल्य प्राप्त हो सकें, कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों तथा निविष्टियों के मूल्यों में समानता लाई जा सके, प्राथमिक उत्पादकों को दिये जाने वाले मूल्यों और वास्तविक उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले मूल्यों में अन्तर को 20 प्रतिशत तक सीमित किया जा सके और थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करके सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से नियंत्रित दरों पर सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके ।" (10)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाने में मुख्य रूप से अमरीकी साम्राज्यवाद बाधक है ।" (11)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अमरीका ही एक ऐसी बड़ी शक्ति है जिसके हिन्द महासागर और अरब सागर में अड्डे हैं जिन में आणविक शस्त्रों से सज्जित विमान-वाहक पोत हैं ।" (12)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अमरीका

ही एक बड़ी शक्ति है जो मध्य पूर्व और मध्य अमेरिका में शांति और स्वतंत्रता के लिए खतरा बनी हुई है।" (13)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि विश्व शांति और विशेषतया यूरोप में शांति के लिए अमरीका ही मुख्य खतरा है।" (14)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पटसन, सूती वस्त्र, चीनी, वनस्पति, भेषजीय औषध तथा अन्य आवश्यक खाद्य उत्पादक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में कोई उपाय नहीं दिये गये हैं।" (15)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाढ़ों, सूखे और विद्युत की कमी से निपटने के लिए कोसी, कमला बागमती, करूआली, पंचेश्वर और राप्ती नदियों पर बहु-प्रयोजनीय बांधों के निर्माण के लिए किन्हीं उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (16)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय अर्थ-व्यवस्था में बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते हुए खतरे का कोई उल्लेख नहीं है।" (17)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेपाली मेनपुरी, मैथिली, संथाली और भोजपुरी भाषाओं को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित करने के बारे में कार्यवाही करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (18)

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़े वर्ग के करोड़ों लोगों की भारी मांग के बावजूद मण्डल आयोग की सिफारिशों तथा उनकी क्रियान्वित के प्रति सरकार की उपेक्षा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है" (19)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय और राज्य सेवाओं में पिछड़े वर्ग के 60 प्रतिशत लोगों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर पदों के रक्षण की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (20)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़े वर्ग के अधिकांश लोगों के लिए विशेष अवसर प्रदान करने में सरकार की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (21)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में धींवर, झींवर, मल्लाह, कहार, केवट, निषाद, कैवर्त, बिन्द, गौंड, कीर, भोई, कश्यप, राजपूत, मांझी, रायकवार, विश्ता, मंजवार, बाथक, कोली, महर, तुराहा, तुरैया, लोधी आदि, (कश्यप-निषाद-कोली समाज) जैसी शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को उपलब्ध सुविधाएं तथा सेवाओं में विशेष अवसर और आरक्षण के बारे में कोई उलेल्ख नहीं है।" (22)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्: —

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुम्हार, गड़रिया, नाई, बढ़ई, लुहार, लोधी, मल्लाह, निषाद, केवट, कैवर्त मांझी, मुराव और मुडाड जैसी अत्यधिक पिछड़ी जातियों को बैंक-ऋण देने तथा आवासीय भूखण्डों और बंजर, परती भूमि का आवंटन करने के मामलों में अधिमान देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (23)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

परन्तु खेद है कि अभिभाषण में झीलों, तालाबों तथा कछार भूमि में मीन-क्षेत्रों पर धीवरों, झींवरों, मल्लाहों, केवटों, कहारों, निषादों और मांझियों को वरीयता के आधार पर स्थायी स्वामित्व-अधिकार प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (24)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिक्री कर और बाजार कर समाप्त करने के

पश्चात् ही उत्पादन शुल्क लगाकर व्यापारियों को सुविधा प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (25)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में लेखपालों जैसे भू-राजस्व कर्मचारियों के संबंध में वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान नियत करने के बारे में और एक समान नीति बनाकर देश भर में सेवाओं में उच्चतर पदों पर उनकी पदोन्नति के लिए 25 प्रतिशत पदों को नियत करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (26)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गैर-सरकारी बसों को अखिल भारतीय परमिट देने के बारे में एक समान नीति बनाने का, जिससे यात्रा सुगम हो सकें, कोई उल्लेख नहीं है। (27)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी सरकारी कारखानों, मिलों और कार्यालयों में तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कर्मकारों लिपिकों और मैकेनिकों के पदों पर केवल स्थानीग लोगों में से भर्ती करने और गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (28)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पुलिस प्रशासन का केन्द्रीयकरण करने और दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करके अन्वेषण कार्य पुलिस के बदले मजिस्ट्रेटों को सौंपने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (29)

किन्तु प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"कि खेद है कि अभिभाषण में प्रत्येक बन्दूक, राईफल, रिवाल्वर पर संख्या अंकित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिससे उनके दुरुपयोग को रोका जा सके।" (30)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अफीम उपजाने वालों के लाभ के लिए आँवला सिरौली, भकोरा, फरीदपुर (बरेली) स्थित अफीम बिक्री केन्द्रों के विकेन्द्रीकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (31)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खरीद अधिकारियों द्वारा किसानों का शोषण रोकने के लिए उनकी उपस्थिति में बिक्री केन्द्रों में अफीम की जांच करने के लिए प्रबन्ध का कोई उल्लेख नहीं है।" (32)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आम उपभोग की सभी आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए तथा ऊंचे मूल्यों के फलस्वरूप लोगों के बढ़ते हुए कष्टों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (36)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोक वितरण व्यवस्था, जो मूल्यों में वृद्धि को रोकने और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, में सुधार करने तथा विस्तार करने के मामले में सरकार की असफलता की ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया गया है।" (37)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी नीतियों में प्रतिगामी प्रवृत्तियों द्वारा उत्साहित निर्बाध विपणन अर्थव्यवस्था की सरगर्मी के बारे में कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई है।" (38)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए नियत धनराशि से मुख्यतः धनी लोगों को फायदा होता है जबकि गरीब लोगों को इन फायदों से वंचित रखा जाता है।" (39)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ऋण सम्बन्धी नीति में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के कमजोर वर्गों की सहायता की जा सके जिन्हें वित्तीय सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है।" (40)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि एक ओर तो सरकार की गलत नीतियों और दूसरी ओर अर्द्ध सामन्ती तरीकों तथा पूंजीवाद द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर हमले के कारण ग्रामीण लोगों के शोषण में वृद्धि हो रही है।" (41)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया है कि अधिकांश राज्यों में भूमि को अधिकतम सीमा और जोतने वालों में फालतू भूमि के वितरण समेत भूमि सुधारों का कार्यान्वयन बिल्कुल रुक गया है।" (42)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सरकार और प्रशासन पर भूस्वामियों के प्रभाव के कारण बहुत से राज्यों में न्यूनतम कृषि मजदूरी सम्बन्धी वर्तमान कानूनों का भी समुचित रूप से पालन नहीं किया जा रहा है।" (43)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि आजादी के 35 वर्ष बाद भी भारत के एक तिहाई गांव में अभी तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है।" (44)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्यान्नों और कतिपय अन्य आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार के सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (45)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि भारत के गांवों में अभी तक लगभग 30 लाख बन्धक मजदूर हैं।" (46)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि मजदूरों के लिए एक व्यापक केन्द्रीय विधान अविलम्ब बनाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (47)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण से बढ़ती हुई ग्रामीण ऋणग्रस्तता का कोई उल्लेख नहीं है जिसके कारण कृषि मजदूरों और निर्धन किसानों को बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं और उन्हें राहत पहुंचाने के किसी उपाय का भी अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।" (48)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में एकाधिकारियों और बहुराष्ट्रिकों को प्रोत्साहन के नाम पर दी जाने वाली अनुचित रियायतों की आलोचना नहीं की गयी है।" (49)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में एकाधिकारियों को प्रोत्साहित करके आर्थिक और औद्योगिक विकास करने की बेकार नीति के विरुद्ध सरकार को चेतावनी नहीं दी गई है।" (50)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उल्लघंन में उद्योगपतियों द्वारा क्षमता के अनधिकृत विस्तार को कानूनी रूप देने वाली नीति को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।" (51)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपायों को समुचित रूप से लागू नहीं किया जा रहा है और बहुराष्ट्रिकों द्वारा उनका उल्लघंन किया जा रहा है।" (52)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में नव उपनिवेशवाद और सभी रूपों में इसके प्रयोग के विरुद्ध अधिक कारगर उपाय करके आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए व्यापक कार्यक्रमों को बनाने के लिए सरकार से आग्रह नहीं किया गया है।" (53)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुराष्ट्रिकों द्वारा हमारे देश से लाभ ब्याज, रायल्टी और लाभांष आदि के रूप में धन भेजे जाने के कारण हमारे राष्ट्रीय संसाधनों की हानि पर कोई कारगर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।" (54)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में एकाधिकारियों, पूंजीपतियों, भूतपूर्व नरेशों और बड़े-बड़े भूस्वामियों की लाखों एकड़ भूमि को भूमिहीन हरिजनों, आदिवासियों, गिरिजनों आदि में युक्तिसंगत आधार पर वितरित करने सम्बंधी एक राष्ट्रीय नीति बनाने के किसी प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है।" (55)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में प्रति वर्ष आने वाली भीषण बाढ़ों और सूखे को कारगर ढंग से रोकने की किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (56)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रांतीयता की बढ़ती हुई भावना और आतंकवाद को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने की किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (57)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाने की किसी कारगर योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (58)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि पश्चिमी विकसित देशों की संरक्षणवादी नीतियों के कारण विश्व के व्यापार में भारत का हिस्सा कम होता जा रहा है।" (59)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में निगम कर, सीमाशुल्क और निर्यात शुल्क से

प्राप्त होने वाली धनराशियों को राज्य के साथ बांटने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (60)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उद्योगों में नौकरियों में ठेका प्रणाली को समाप्त करने के बारे में आश्वासन नहीं दिया गया है।" (61)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में तालाबन्दी, बन्दी तथा जबरन छुट्टी पर प्रतिबन्ध लगाने तथा ऐसे मजदूर विरोधी कदमों के विरूद्ध मजदूरों के हितों की रक्षा करने का आश्वासन नहीं दिया गया है।" (62)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हथकरघा बुनकरों तथा अन्य कारीगरों की कठिनाईयों तथा उनकी मुसीबतों का उल्लेख किया गया है तथा उनकी समस्याओं को कम करने अथवा उनका समाधान करने का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (63)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उर्दू भाषा के स्तर सम्बन्धी गुजराल समिति की सिफारिशों को लागू करने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।" (64)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकारी जन संचार माध्यम सरकारी वक्तव्यों तथा अन्य प्रचार को अत्याधिक महत्व दे रहे हैं जबकि धर्म निरपेक्षता तथा लोकतन्त्र की विचार-धाराओं में लोगों को शिक्षित करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने और साम्प्रदायिक तथा विघटनकारी तत्वों के विरुद्ध जिहाद करने के प्रति उपेक्षा कर रहा है।" (65)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में भारी निरक्षता को दूर करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।"। (66)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती क्षेत्रीय असमानता तथा उसे दूर करने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (67)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

परन्तु खेद है कि अभिभाषणों में देश में घोर बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी का उल्लेख नहीं है।" (68)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में काले धन को समाप्त करने में सरकार की असफलता पर चिन्ता व्यस्त नहीं की गई है।" (69)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऋण तथा सूदखोरी समाप्त करने सम्बन्धी कानूनों अस्पृश्यता निवारण अधिनियमों और सामाजिक तथा आर्थिक उत्पीड़न को दूर करने सम्बन्धी अन्य कानूनों को कार्यान्वित करने में सरकार की पूरी असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (70)

कि प्रस्याव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पाकिस्तान के सैनिकों शाशकों द्वारा न्यूट्रान हथियारों से युक्त अमरीकी अत्याधुनिक एफ० 16 विमानों के अर्जन, जिसके फलस्वरूप भारत की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय अखण्डता को खतरा उत्पन्न हो गया है, पर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (71)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में वृद्ध कृषक मजदूरों को पेंशन देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (72)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बन्द पड़ी सभी मिलों तथा प्रतिष्ठानों के अधिग्रहण किये जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (73)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पूर्ण कार्मिक

संघ अधिकारों, पूर्ण लोकतांत्रिक अधिकारों को देने तथा पुलिस सत्यापन प्रणाली को समाप्त करने हेतु कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (74)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा में सम्पूर्ण सुधार लाने के लिए शिक्षा संस्थाओं में छात्रों को प्रतिनिधित्व दिये जाने के अधिकारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (75)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुप्त मतदान द्वारा कार्मिक संघों को मान्यता दिये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (76)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में औषध उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (77)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में काम के अधिकार को मूल अधिकार बनाने हेतु संविधान में संशोधन करने में सरकार की असमर्थता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (78)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती दहेज की बुराई तथा दहेज के कारण मौतों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (79)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्वविद्यालय अधिनियमों को लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (80)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा राष्ट्रीय नीति और शिक्षा के क्षेत्र में पुरातनपंथी, साम्प्रदायिक तथा अलोकतांत्रिक विचारों के विरुद्ध संघर्ष करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (81)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि भारतीय नारियों को जो पुरातनपन्थी तथा अर्द्ध सामन्ती विचारधाराओं की शिकार हो रही हैं तथा संविधान में लिंग की समानता के बावजूद, समान मजदूरी समेत समानता का दर्जा नहीं मिल रहा है।" (82)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिला बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने हेतु सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (83)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अकाली दल के साथ विवाद का समाधान करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (84)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्र विरोधी तत्वों तथा इस देश को टुकड़े-टुकड़े में बांटने की कोशिश करने वाली ताकतों के इरादों को विफल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (85)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब में उग्रवादी तत्वों, खालिस्तान का नारा लगाने वाले व्यक्तियों, और उन पृथकतावादी तत्वों की, जो अकाली आन्दोलन में घुस गये हैं, निन्दा नहीं की गई है।" (86)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयला उत्पादन तथा इसकी वितरण प्रणाली में घोर कुव्यवस्था तथा उपचारात्मक उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (87)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस्पात उद्योग के राष्ट्रीयकरण हेतु किसी प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है।" (88)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के शहरों तथा नगरों को 1981 की जनगणना के अनुसार वर्गीकृत करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (89)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पाकिस्तान को संयुक्त राज्य अमरीका, चीन तथा अन्य देशों द्वारा आधुनिकतम हथियारों तथा गोला बारूद की सप्लाई करने की नीति की निन्दा नहीं की गई है।" (90)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्वतन्त्रता प्राप्ति के 35 वर्षों के बाद भी देश के विभिन्न भागों में दंगों में लगे तथा उनके लिए षडयन्त्र करने वाले व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए किन्हीं प्रभावी ढंगों का कोई उल्लेख नहीं है।" (91)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए तथा उनकी भाषा और संस्कृति के विकास और प्रगति में सहायता देने के लिए किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (92)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा, बिहार और मध्यप्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में अवैध खनन कार्यों में लगे खान मालिकों द्वारा आदिवासियों के निरन्तर शोषण किए जाने के बारे में चिन्ता का उल्लेख नहीं है।" (93)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आणविक विनाश से विश्व को बचाने के लिए आणविक युद्ध के खतरे का सामना करने, लोगों के समक्ष अमरीकी तथा अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों की योजनाओं का भण्डा फोड़ने के लिए श्रमिक वर्ग तथा अन्य प्रगति वादी वर्गों का आह्वान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (94)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनाव संबंधी सुधारों के उपाय के रूप में

आनुपातिक प्रतिनिधित्व का कोई उल्लेख नहीं है।" (95)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि अर्थ-व्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में न केवल प्रगति ही नहीं हो रही है, बल्कि उनमें गिरावट भी आई है।" (96)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ रही आर्थिक विषमताओं के बारे में या इस बात पर भी कि ज्यादा से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे जा रहे हैं, यथोचित चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (97)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि यद्यपि राष्ट्रीय आय वर्तमान मूल्यों के हिसाब से बढ़ रही है किन्तु राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों ही वास्तविक रूप में अथवा स्थिर मूल्यों के हिसाब से घट रही है।" (98)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सरकारी घोषणाओं तथा वायदों के बावजूद, हरिजनों तथा समाज के अन्य दलित तथा पिछड़े वर्गों की हालत बिगड़ती जा रही है।" (99)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि देश के विभिन्न भागों में खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में हरिजनों और आदिवासियों पर निरंतर घोर अत्याचार किये जा रहे हैं।" (100)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनजाति के लोगों की आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास में ही नहीं अपितु राजनीतिक अधिकारों तथा अवसरों के बारे में उनकी आकांक्षाओं के प्रति जागरूकता नहीं दिखाई गई।" (101)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि एकाधिकारियों

के कारोबार सम्बन्धी कदाचारों के परिणामस्वरूप गैर-सरकारी क्षेत्र में छोटे तथा मध्यम वर्ग के उद्योगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।" (102)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस खतरे की ओर कोई संकेत नहीं किया गया है जो बड़े व्यापार-मण्डलों और सत्तारूढ़ व्यक्तियों के बीच गहरे सम्पर्क के कारण उत्पन्न हो गया है।" (103)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की श्रमजीवी-वर्ग विरोधी नीती का उल्लेख नहीं है जो मजदूर संघों के अधिकारों का हनन करने से और अन्यथा भी दमनकारी उपायों से स्पष्ट है।" (104)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस आशय का कोई उल्लेख नहीं है कि देश में औद्योगिक संबंधों को तब तक सम स्तर पर नहीं रखा जा सकता, जब तक कि सरकार श्रमिक संघ अधिकारों और श्रमिकों के सामूहिक रूप से सौदा करने के अधिकार को सम्मान नहीं देती।" (105)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में भारी अस्त-व्यवस्तता व्याप्त है क्योंकि सरकार की कोई स्पष्ट लोकतांत्रिक शिक्षा नीति नहीं है।" (106)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि महिला सम्मान के संरक्षण के बारे में बड़ी-बड़ी बातें किए जाने के बावजूद अभिभाषण में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों और अपराधियों, समाज विरोधी तत्वों तथा पुलिस कर्मियों द्वारा भी महिलाओं के साथ किए जा रहे बलात्कार से महिलाओं की रक्षा करने के लिए प्रभावी कदमों का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।" (107)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दियगोगार्सिया अमरीकी सैनिक अड्डे के

विस्तार और वहां पर आणविक हथियारों के बढ़ते हुए भण्डार की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।" (108)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीकी सेना के जनरल द्वारा हाल ही में की गई बंगला देश की यात्रा और अमरीका के सेक्रेटरी आफ स्टेट द्वारा हाल ही में की गई श्रीलंका और पाकिस्तान की यात्रा तथा हमारे देश के चारों ओर अमरीकी सैनिक अड्डे स्थापित करने के उनके प्रयासों के बारे में गम्भीर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (109)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीका के सातवें बेड़े के 'फिजट' युद्धपोत को भारत के लिए सैनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, कोचीन पत्तन में प्रवेश करने की सरकार द्वारा दी गई अनुमति के बारे में गम्भीर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (110)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादन में वृद्धि के बावजूद आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है।" (117)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रत्येक साल आने वाली सत्यानाशी बाढ़ों को रोकने संबंधी उपायों का उल्लेख नहीं किया गया है।" (118)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में देश के किसी-न-किसी भाग में प्राय: सूखा तथा अकाल का प्रकोप होने से आम जनता को बचाने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (119)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस वर्ष देश के विभिन्न भागों में यूरिया खाद

की कमी तथा उसमें होने वाली चोर बाजारी का उल्लेख नहीं किया गया है।" (120)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद बेचने वाली सहकारी एवं अन्य एजेंसियों द्वारा खादों की खुलकर काला बाजारी को सख्ती के साथ रोकें तथा वैसा घृणित कार्य करने वाले व्यक्तियों को सख्त-से-सख्त सज़ा देने के लिए कड़े उपाय करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (121)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित एवं केन्द्रीय सरकार के पास भेजी गयी 35 सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति दिए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (122)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सोन-नहरों का आधुनिकीकरण तथा इस प्रकार उनमें अधिक पानी पहुंचाने सम्बंधी किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।" (123)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के पुनपुन और फतुआ से लेकर मुंगेर जिले के लक्खीसराय तक के क्षेत्रों में आरम्भ की गई योजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा उन क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने, पानी निकासी तथा सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (124)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में छोटी और मध्यम सिंचाई योजनाओं का जाल देश के प्रत्येक राज्य में बिछाने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (125)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि खेत मजदूरों के लिए निर्धारित मजदूरी दिलाने तथा वर्तमान महंगाई को देखते हुए उसमें और वृद्धि करने के बारे में अभिभाषण में उल्लेख नहीं है।" (126)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् : -

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खेत मजदूरों की मजदूरी, उनके काम की स्थिति तथा उनकी अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक अलग केन्द्रीय कानून बनाने के किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।" (127)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों की उनकी कृषि-जन्य वस्तुओं के लिए लाभकारी मूल्य देने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (128)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार को सरकार के हाथ में लेने संबधी किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।" (129)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीनी मीलों के पास किसानों के गन्ने के मूल्य में करोड़ों रुपये के भुगतान के लिए समुचित कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (130)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि-सुधार कानूनों को सख्ती के साथ लागू करने और फाजिल जमीन को खेत मजदूरों एवं गरीब किसानों में बांटने के लिए किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।" (131)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राज्य विधानमण्डलों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को संविधान की नवम अनुसूची में सम्मिलित करने संबंधी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।" (132)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयले के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद कोयले के मूल्य में की गई वृद्धि को समाप्त करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (133)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयला उत्पादन में वृद्धि के लिए कोयला मजदूरों को धन्यवाद या बधाई देने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (134)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निजी क्षेत्र की कोयला खानों के कदाचार का अन्त करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (135)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयला क्षेत्रों में माफिया गिरोह की समाज विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने सम्बन्धी किसी कदम का उल्लेख नहीं किया गया है।" (136)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि बिहार में कर्णपुरा क्षेत्र में भूगर्भ में छिपे विशाल कोयला भण्डार को निकालने के लिए अभिभाषण में किसी योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।" (137)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार के संस्थान परगना तथा अन्य क्षेत्रों की कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (138)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिजली उत्पादन में वृद्धि के बावजूद प्रायः सभी राज्यों में व्याप्त बिजली संकट को समाप्त करने के लिए किसी प्रभावी कदम का उल्लेख नहीं किया गया है।" (139)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आम गरीब जनता द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले किरासन तेल की कीमत में कमी का उल्लेख नहीं किया गया है।" (211)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में डीजल के मूल्यों में कमी करने की आवश्यता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (212)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में रेल द्वारा ढोए जाने वाले मालों की बड़े पैमाने पर होने वाली चोरी को रोकने संबंधी किसी कदम का उल्लेख नहीं किया गया है।" (213)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा संचालित उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (214)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ रहे इजारेदार पूंजीवाद का अन्त करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (215)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में दिनों दिन बढ़ रही गरीबी को समाप्त करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (216)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनसंख्या के आधे से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से उठाने सम्बन्धी किसी ठोस प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।" (217)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कपड़ा, सीमेंट दवा और चीनी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (218)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के सभी राज्यों में सीमेंट की कमी और उस

स्थिति में सुधार करने के लिए किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।" (219)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में औषध उद्योग संबंधी हाथी कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (220)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है।" (221)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफों को उनके देशों में ले जाने पर प्रतिबबंध लगाकर उक्त राशि को देश के विकास कार्यों में लगाने की आवश्यकता के किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है।" (222)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक संबन्धों को सुधारने के लिए सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से सहयोग के आधार पर वार्ता चलाने की आवश्यकता और उनकी राय से मजदूर वर्ग की समस्याओं का समाधान करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (223)

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों के अपेक्षित विकास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है यद्यपि सकल कृषि उत्पादन में वृद्धि करने का उल्लेख किया गया है।" (143)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न खपत में प्रत्याशित वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है, हालांकि उत्पादन में लक्ष्य से अधिक वृद्धि होने की संभावना है।" (144)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि हरित क्रांति प्रगति रुकी पड़ी है और भूमि सुधार कानूनों को लागू किए बिना इसमें कोई प्रगति नहीं की जा सकती।" (145)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सिंचाई-क्षमता का सही उल्लेख नहीं किया गया है।" (146)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि धन की कमी के कारण पूर्वी चम्पारन जिले में गण्डक नहर के संबंध में कोई प्रगति नहीं हो रही है" (147)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अर्जित सिंचाई-क्षमता के प्रयोग के बारे में किए जा रहे विशेष प्रयासों के संबंध में सही अनुमान नहीं दिया गया।" (148)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएं, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 52 मिलियन हैक्टेयर भूमि में खेती करने का उल्लेख व्यावहारिक अनुभव पर आधारित नहीं है।" (149)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में शुष्क खेती और निर्धन ग्रामीणों को सहायता देने के कार्यक्रम में हुई प्रगति के बारे में की गई समीक्षा का कोई उल्लेख नहीं है।"। (150)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सीमांत और छोटे किसानों को दी जाने वाली सहायता का कार्यक्रम केवल कागज तक ही सीमित है होकर रह गया है।" (151)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तरी बिहार में, जोकि बिहार का

सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, विद्युत संबंधी कार्यक्रम की प्रगति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिसके परिणामस्वरूप पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण कृषि उत्पादन, छोटे और मझले उद्योगों और आम लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है" (152)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जैसे पिछड़े क्षेत्रों मे सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।" (153)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गैर-सरकारी क्षेत्र के अनेक सूती कपड़ा मिलों में हुई तालाबंदी का कोई उल्लेख नहीं है।" (154)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सीमेंट का उत्पादन बढ़ जाने के बावजूद आम लोगों को सीमेंट नहीं मिल पा रहा है और यदि मिल पाता है तो बहुत अधिक मूल्यों पर।" (155)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पटसन उद्योग में काम कर रहे 2 लाख बेरोजगार श्रमिकों, जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के निगम के प्रस्तावित विभाजन के अतिरिक्त होने और देश में चल रही तालाबन्दी का कोई उल्लेख नहीं है।" (156)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुल राष्ट्रीय उत्पादन पहली पंचवर्षीय योजना से आंकलिक नहीं किया गया है।" (157)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं, कृषि निविष्टियों तथा कारखाना निर्मित माल के मूल्यों में लगातार हो रही वृद्धि तथा मूल्यों पर नियंत्रण करने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (158)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (159)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दूरस्थ गांवों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (160)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा खाद्यान्नों का आयात कम करने की स्पष्ट नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, विशेषकर खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए।" (161)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधार कानूनों के दृढ़ता से कार्यान्वियन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (162)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विकास शील देशों में व्यापार असंतुलन, जिसके बारे में गुट निरपेक्ष राष्ट्र सम्मेलन में स्वीकार किया गया था जो साम्राज्यवादी देशों द्वारा अपनाई गई विश्वव्यापी शोषण नीति के कारण व्याप्त है, का कोई उल्लेख नहीं है।" (258)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन में धीमी प्रगति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (259)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधार कानूनों का कार्यान्वियन न करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। ।" (260)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीन आदिवासियों तथा हरिजनों के लिए मकानों के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग और अन्य कदाचारों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (261)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 90 लाख परिवारों को दिए गए लाभों का उल्लेख सही नहीं है ।" (262)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभभाषण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों के लिए निर्धारित मजदूरी की अदायगी न किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (263)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 15 अगस्त, 1983 को क्रियान्वित किए गए नए ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (264)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के क्रियान्वयन में प्रशासनिक ढील के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (265)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में परिवार नियोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कदाचार, अनियमितता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (266)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में कदाचार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (267)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई उच्च शिक्षा प्रणाली को देश की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बदलने में सरकार की विफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (268)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने का कोई उल्लेख नहीं।" (269)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन में ढील के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिनसे युवाओं को धर्म-निरपेक्षता, समाजवाद और जाति विहीनता के बारे में शिक्षा दी जा सके और उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।" (270)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सोहार्द के विरुद्ध काम करने वाली प्रवृत्ति, अलगाववादी गतिविधियों तथा हिंसा को रोकने और जन-धन की सुरक्षा प्रदान करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है (271)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभषण में भारत को राजनैतिक एवं सामाजिक स्थिरता को कमजोर करने के लिए प्रयत्नशील आन्तरिक एवं बाहरी शक्तियों से राष्ट्र को सचेत करने के लिए कोई स्पष्ट संकेत नहीं किया गया है।" (272)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीकी साम्राज्यवाद और परमाणु युद्ध के लिए विश्व को बाध्य करने के संबंध में दुख प्रकट करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (273)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अमरीकी साम्राज्यवाद, जो पश्चिम एशिया में इजराइल की नीतियों के लिए जिम्मेवार है, के बारे में दुख प्रगट करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (274)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में फिलिस्तिनियों के अधिकार के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिसका भारत समर्थक रहा है।" (275)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच हथियारों की होड़ की भर्त्सना नहीं की गई है।" (276)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिन्दमहासागर में अमरीकी गतिविधियों की भर्त्सना नहीं की गई है।" (277)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दियागो गार्शिया में अमरीकी सैनिक बेड़े की उपस्थिति को भर्त्सना नहीं की गई है।" (278)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियारों से लैस करने के लिए अमरीका की भर्त्सना नहीं की गई है।" (279)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों को देय करोड़ों रुपए की बकाया राशि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (280)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परण्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब और असम की समस्या को हल करने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (281)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र-राज्य संबंधों की पुनरीक्षा करने के बारे कोई उल्लेख नहीं है।" (282)

श्री नगनगोम मोहेन्द्रा (आन्तरिक मणिपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 18 वर्ष की आयु होने पर मताधिकार को संविधान में मूल अधिकार के रूप में शामिल करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (163)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विद्यार्थियों में धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण बढ़ाने में वर्तमान शिक्षा प्रणाली की असफलता पर चिन्ता और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।"(164)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर गंभीर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है कि अनेक बड़े औद्योगिक घरानों तथा विदेशी कंपनियों ने लघु उद्योग क्षेत्र को उपलब्ध विशेष लाभों से फायदा उठाने के लिए छोटे कारखाने स्थापित कर लिए हैं जिसके परिणामस्वरूप लघु उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहित करने में सरकार के उद्देश्य विफल हो गए हैं।" (165)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हाल ही में सरकार द्वारा घोषित योजना- एवं गैर-योजना व्यय को सीमित किये जाने के परिणामस्वरूप वस्तुतः रोजगार के अवसर समाप्त हो जाने तथा बेरोजगारी की समस्या के और बदतर हो जाने पर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (166)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधिनियमित कर दिए जाने के बावजूद देश में एकाधिकारवादी औद्योगिक घरानों में वृद्धि रोकने में सरकार की असफलता पर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (167)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेपाली, मैथिली, मणिपुरी और डोग्री भाषाओं को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (168)

श्री इ० के० इम्बीचीबावा (कालीकट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सांप्रदायिक धार्मिक और विघटन-

कारी बलों के क्रियाकलापों को रोकने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है। (169)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब-समस्या को ठीक समय पर कार्यवाही न करने के कारण वर्तमान स्थिति पैदा करने और स्थायी समाधान ढूंढने में असफलता के लिए सरकार की जिम्मेदारी का कोई उल्लेख नहीं है।" (170)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के अधिकार को संविधान को समाविष्ट किए जाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (171)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों को मजबूत बनाने के लिए केन्द्र राज्य संबंधों को अधिक मधुर बनाने की दृष्टि से संविधान में संशोधन किया जाऐगा।" (172)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन प्रसारणों के जरिये धर्मनिरपेक्ष बलों को प्रोत्साहन देने और सांप्रदायिक भावना को निरुत्साहित करने के लिए आकाशवाणी की प्रसारण नीति में परिवर्तन किया जाएगा।" (173)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अधिकांश लोगों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर नियन्त्रण रखने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (174)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल राज्य को, जहां पिछले सीजन में अभूतपूर्व सूखा पड़ा था, तदर्थ पर्याप्त राहत भेजने में केन्द्रीय सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (175)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन धनराशि के दुरुपयोग की जांच करने के लिए जांच आयोग गठित करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (176)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केरल को पर्याप्त मात्रा में चावल की, जैसा कि पहले स्वीकार किया गया था, पूर्ति करने में केन्द्रीय सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (177)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आकाशवाणी और दूरदर्शन के दुरुपयोग की निन्दा नहीं की गई है।" (178)

प्रो० अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में समस्तीपुर के दक्षिण भाग के कटाव को रोकने के कारगर उपायों की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (224)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उत्तर बिहार विशेष कर समस्तीपुर जिले में, रसायनिक खादों तथा यूरिया के अभाव से खाद्यान्नों के उत्पादन पर बुरे असर का उल्लेख नहीं है।" (225)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में ही खाद्यान्न के उत्पादन को प्रोत्साहन करने और खाद्यान्न के आयात को निरुत्साहित करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (226)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चीनी उद्योग द्वारा ईख उत्पादकों की बकाया राशि का भुगतान करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (227)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ईख उत्पादक किसानों को ईख का लाभकर मूल्य देने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (228)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विकास कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन का आधार खर्च मूलक के बदले परिणाम मूलक करने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (229)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में योजना निर्माण की केन्द्रीयकृत पद्धति के बदले ग्रामोन्मुखी बनाने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (230)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन पर कोई जोर नहीं दिया गया है।" (231)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मण्डल आयोग की सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (232)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मूल्यवृद्धि को कारगर ढंग से रोकने के उपाय नहीं सुझाए गए हैं" (233)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए. अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने के ठोस उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (234)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में ठोस उपाय नहीं सुझाये गये हैं।" (235)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में नागरिकों को सुरक्षा देने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (236)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में रेल गाड़ियों में बढ़ते हुए लूटपाट एवं डकैती से यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने का ठोस उपाय नहीं सुझाया गया है। (237)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि देश के नवजवानों में व्याप्त बेरोजगारी को समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (238)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्य सरकारों को अलोकतन्त्रात्मक ढंग से गिराने के लिए अपनाई जा रही प्रणाली का कोई उल्लेख नहीं है।" (239)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुछ लोगों द्वारा प्रतिपक्ष पर देश की प्रगति में बाधक बनने के आरोप लगाने की प्रवृत्ति का उल्लेख नहीं किया गया है।" (240)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रशासनिक पदाधिकारियों को जनहित एवं लोकोपयोगी कार्यों के प्रशिक्षण पर बल देने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (241)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण मे देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के उपाय करने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (242)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दक्षिण बिहार के उत्तरी कर्णपुरा कोयला

क्षेत्र में एक सुपर ताप बिजली घर स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (243)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल दुर्घटना रोकने के विषय में कोई उल्लेख नहीं है।" (244)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में न्यायालयों में हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों को न्यायाधीश नियुक्त करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है" (245)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय जूट मिलों कामगारों को समान आवासीय भत्ता देने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (246)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में निजी एवं राष्ट्रीयकृत जूट मिलों के कामगारों की 30 सूत्री मांगों के समर्थन में चल रही राष्ट्र व्यापी हड़ताल की चर्चा अभिभाषण में नहीं है।" (247)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कटिहार जूट मिल्स में 5 जुलाई, 1982 से तालाबन्दी का उल्लेख नहीं है।" (248)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जूट उत्पादन क्षेत्र बिहार के पूर्णिया जिला में फारबीसगंज एवं किशनगंज में नई जूट मिलों की स्थापना की आवश्यकता की चर्चा नहीं है" (249)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी दूर करने तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को राहत देने की कारगर योजना का उल्लेख नहीं है।" (250)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के प्रावधान के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की विफलता एवं इस प्रावधान को निश्चित अवधि में लागू करने की चर्चा नहीं है।" (251)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में हरिजनों एवं आदिवासियों की बढ़ रही निर्धनता एवं निरक्षरता को समाप्त करने की निश्चित योजना का उल्लेख नहीं है।" (252)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधारों की विफलता तथा भूमिहीनों में कारगर ढंग से भूमि वितरण करने का उल्लेख नहीं है" (253)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बिहार राज्य के मनिहारी प्रखंड में कृषि महाविद्यालय की स्थापना का उल्लेख नहीं है।" (254)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मनिहारी-साहबगंज के बीच गंगा नदी में सड़क पुल के निर्माण की योजना का उल्लेख नहीं है।' (255)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण भूमिहीन व्यक्तियों एवं लघु कृषकों को दिए जाने वाले विभिन्न ऋण में व्यापक भ्रष्टाचार के रोकथाम की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (256)

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : माननीय सभापति जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को माननीय बलिराम भगत ने रखा है और जिसका समर्थन माननीय अराकल ने किया था उस पर मुझे जो बोलने का मौका दिया है उसके लिए आभारी हूं।

राष्ट्रपति जी ने जो कुछ कहा है वह ठीक बात है कि यह देश के आगे बढ़ता जा रहा है और हमारे कदम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो बातें इस सदन में अब तक कही गयीं उनको दोहराना नहीं चाहता। केवल यह कहना चाहता हूं कि आजादी के पहले देश में

35 करोड़ की आबादी थी, जो बढ़ कर अब दुगुनी हो गयी है। तो जैसे-जैसे आबादी बढ़ती है समस्यायें भी बढ़ती हैं। वह समस्यायें कैसे हल की जायेंगी और कैसे हम ग्रेजुअली समाजवाद की ओर जायेंगे उसकी ओर हम धीरे-धीरे जा रहे हैं। अभी सी०पी०एस० के माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे, लेकिन प्रेक्टिस में तो यह है कि जिनकी तनख्वाहें स्ट्राइक कर के आप बढ़वाते हैं, मैं पूछता हूं उनके घर में जो नौकर, चाकर काम करते हैं या खेत में मजदूर काम करते हैं उनको भी वह थोड़ा ज्यादा पैसा दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। वहां पर भी शोषण है। आज भी हमारा देश शोषण युक्त नहीं है। समाजवाद की ओर ले जाने की जो हमारी पार्टी की इच्छा और उस ओर जो प्रगति हुई है वह हमारी पार्टी की वजह से ही हुई है क्योंकि हमारी पार्टी ही ज्यादा समय तक पावर में रही है। आपने ढाई साल में जो किया वह सब को पता है। देश को गड्ढे में डाल दिया था।

आजादी के बाद जो भी परिवर्तन देश में हुआ है, चाहे जमींदारी अबालीशन हो या राजा, महाराजाओं के प्रिवी पर्सेज का अबालीशन हो वह किसने किया? हमारी पार्टी कांग्रेस ने ही किया।

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : पावर्टी किसने बढ़ाई ?

श्री अनादि चरण दास : ऐसी बात न कहिए। आप जिम्मेदार हैं। जहां स्ट्राइक कर के पैसा बढ़वाते हैं क्या वह अपने नौकर चाकर का भी पैसा बढ़ाते हैं? हम नहीं कहते कि एक साल में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो व्यवस्था है उसमें धीरे-धीरे सुधार तो हुआ है। 35 साल पहले की स्थिति में सुधार तो हुआ है। आगे चलकर आज जो अन्तर है वह भी जरूर थोड़ा कम होता जाएगा। आप ढाई साल पावर में रहे आप क्यों नहीं सुधार कर पाये? आपने प्रोपर्टी राइट को हटाया, लेकिन इस आधार में कुछ नहीं किया। आपने प्रापर्टी राइट संविधान से हटा दिया, अच्छी बात है लेकिन उस बारे में आपने कुछ काम नहीं किया सिर्फ प्रापर्टी राइट कानून के हटाने से क्या गरीबी जाएगी?

राष्ट्रपति जी ने ठीक कहा है कि 90 लाख लोग आई०आर०डी० प्रोग्राम में आये हैं और उनकी हालत थोड़ी अच्छी हुई है, वह बिलो-पावर्टी लाइन से थोड़ा ऊपर हो गए हैं। हम यह नहीं कहेंगे कि उनकी गरीबी दूर हो गई है, लेकिन वह थोड़ा ऊपर जरूर आए हैं। इसके बहुत उदाहरण हैं।

(व्यवधान)

हम कोई कम्युनिस्ट नहीं हैं। आपने जो समाजवाद के बारे में पढ़ा वह कह रहे हैं और हम समाजवाद की ओर कुछ काम कर रहे हैं। हमारे नेता जो कह रहे हैं वह हम कर रहे हैं। आप बहुत दिनों से स्लोगन दे रहे हैं समाजवाद का, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि समाजवाद कैसे आयेगा? जो भी प्रपोजल आपने दिया है, वह गुमराह करके दिया है, ताकि कोई समझ न पाये।

इस देश में बैंक नेशनलाइजेशन का काम कांग्रेस ने किया है, यानि हमारी पार्टी ने किया है। इसकी सुविधाएं आप भी ले रहे हैं और दूसरे लोग भी ले रहे हैं। क्या यह समाजवादी कार्यक्रम नहीं है ?

क्या यह ठीक है कि थोड़े लोगों के पास ज्यादा पूंजी रहे, वह मन-मुताबिक खर्च करें, इन्वैस्टमेंट करें ताकि गवर्नमैंट के पास वह पूंजी न जाये, गवर्नमैंट को सहूलियत न मिले ? बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद कितना काम हुआ है, यह आपको आंकड़े देखने से पता लगेगा। उन आंकडों की वजह से आपको जैलेसी हो रही है। आप कहते रहते हैं कि इन्दिरा गांधी की वजह से गरीबी बढ़ती जाती है, लेकिन आपने कभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का प्रयत्न नहीं किया।

हमारी कांग्रेस पार्टी ने 1977 में एक प्रस्ताव अर्बन लेंड सीलिंग के बारे में पास किया था, लेकिन आपने उसके बाद क्या किया ? हमने जो लैंड रिफार्म किया था, जब जनता सरकार आई तो जितनी लैंड हमने गरीबों को दी थी, वह उसने सबसे छीन ली। अब हम लैंड रिफार्म करने के लिये जा रहे हैं, जो गांव में गरीब हैं, जिनको अब तक जमीन और मकान नहीं मिला है, उसको मिलने में आप अड़ंगा डालते हैं कि गरीबों को कुछ न मिले। यहां तक कि शमशान में भी गरीबों और हरिजनों के लिए फर्क है। क्या आपने एक शमशान करने के लिए कभी कोशिश की है जिससे हरिजनों और गरीबों में कोई फर्क न किया जा सके ? कितने आदमी इस माफिक हैं, जिन्होंने कोशिश की है कि कम से कम सवर्णों आदिवासियों और हरिजनों के लिए एक ही शमशान हो ? आपने जहां एक शमशान के बारे में झगड़ा लगा रखा है तो आप कैसे कहेंगे कि समाजवाद तुरन्त हो जाएगा ? आपने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया है। आप ऐसा कहकर मुझे प्रोवीक करने की कोशिश मत कीजिए।

हमारे देश में अन-एम्पलायमैंट को कैसे दूर किया जाए, इस बारे में हमारी पार्टी की तरफ से कुछ कदम उठाए गए। वन फैमिली-वन जाब के बारे में क्या किसी ने यहां पर चर्चा करने के लिए कभी कुछ कहा है ? अभी यह कार्यक्रम थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, अभी शुरू हुआ है जब आगे दिक्कत आयेगी तो पता लगेगा और फिर जरूर उसमें सुधार किया जाएगा। इसमें शक नहीं है कि इन योजनाओं में कुछ कमियां हैं। क्या अपोजीशन ने उनका पता लगाने की कोशिश की है ? एन०आर०ई०पी० में कई कमियां हैं। हमने देखा है कि वैस्ट बंगाल में अनएम्पलायमेंट पेंन्शन सिर्फ सी०पी०आई० एम के वर्कर्ज को दी जाती है। आर०सी०पी०एम० वास्तव में समाजवाद लाना चाहते हैं, तो उन्हें अन्य गरीब, पिछड़े अनपढ़ लोगों को बराबर आपरचूनिटी देनी चाहिए। सत्य तो यह है कि इस देश में प्रगति के लिए जो भी काम हुआ है, वह कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार ने किया है। बैंकों, कोयला खदानों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हमारी पार्टी ने ही किया है और आज ही हम समाजवाद के ध्येय की तरफ बढ़ रहे हैं।

अगर हम समाजवाद लाना चाहते हैं और सब को बराबर आपरचूनिटीज देना चाहते हैं, तो हमें शोषण को बन्द करना पड़ेगा। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि धनी और धनी

हो रहे हैं और गरीब और गरीब हो रहे हैं। अगर शोषण का रास्ता बन्द किया जाएगा और गरीबों को और अधिक सुविधाएं दी जाएंगी, तो धीरे-धीरे वे आगे बढ़ते जाएंगे। मेरा सुझाव यह है कि सरकार को यह नीति अपनानी चाहिए: वन फैमिली वन जाब, वन फैमिली वन हाउस, वन फैमिली वन चाइल्ड। आज बहुत चर्चा की जाती है कि देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसको रोकने के लिए सरकार ने कोई दृढ़ और स्पष्ट नीति नहीं बनाई है। आपोजीशन ने भी इस बारे में पूरा सहयोग नहीं दिया है।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : एक फैमिली में से दो एम०पी० भी नहीं होने चाहिए।

श्री अनादि चरण दास : आज हमारे देश में सरकारी नौकरियों में 95 लाख लोग हैं। हर साल तीन लाख लोग रिटायर होते हैं और उनके स्थान पर नए लोग रखे जाते हैं। सरकारी नौकरियां भी सैचुरेशन पायंट पर पहुंच गई हैं। हम शिक्षा पा कर आने वाले नये लड़कों को एम्पलायमेंट नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि एम्पलायमेंट सरकार की नौकरी या पब्लिक अंडरटेकिंग्स की नौकरी को अगर समझा जाएगा तो वहां पर तो उनको कुछ सेक्योरिटी होती है, कम से कम 35 साल की सर्विस और उसके बाद पेंशन की सुविधा होती है, मेरा यह सुझाव है कि गवर्नमेंट सर्विस की अवधि 20 साल की जाय और उसके बाद दस साल की पेंशन उनको एक साथ दे दी जाय ताकि उनके पास कुछ कैपिटल हो जाय और उससे वह खुद कुछ कर सकें। हमारे समाजवाद में इन्डिविजुअलिज्म कुछ न कुछ रहेगा। ऐसा नहीं है कि एशिया और चाइना की तरह सारी की सारी प्रापर्टी राज्य के पास चली गई, सरकार की हो गई और सब को नौकरी मिले, सब लोग काम करें और तनख्वाह लें उसको खर्च करें। हमारे समाजवाद के अंदर थोड़ा इन्डिविजुअलिज़्म, थोड़ा व्यक्तिगत अभिक्रम रहेगा। उसके लिए पूंजी की जरूरत होगी। आज कैपिटल किसको मिलता है? जिसके पास ज्यादा कैपिटल है उसी को मिलता है। लेकिन उसके बाद बाकी जो लोग रह जाते हैं उनके पास कोई कैपिटल नहीं होता। अगर गवर्नमेंट सर्विस 20 साल की हो जाएगी तो जिस साल सर्विस शुरू करेंगे उसी साल से सोचेंगे कि बाद में हम क्या करेंगे। फिर 20 साल बाद जब उनको दस साल की पेंशन एक साथ मिल जाएगी तो उसको बैंक में जमा करके कुछ न कुछ धन्धा वह लोग करेंगे। इस तरह से कुछ न कुछ एम्पलायमेंट बढ़ेगा, शहरों में, गांवों या और किसी भी जगह कुछ न कुछ एम्पलायमेंट के साधन बढ़ेंगे। इस लिए मेरा एक यह सुझाव है, इस बारे में कुछ सोचना और करना चाहिए।

दूसरी बात आज-कल जाति और धर्म के नाम पर जगह-जगह पंजाब में या और जगह जो झगड़े चल रहे हैं इनको कैसे समाप्त किया जाए, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। मेरा यह सुझाव है आज जो सुविधाएं आदिवासी या हरिजनों को दी जा रही हैं वही सुविधाएं

जितने देश में गरीब आदमी हैं उन सब को भी दी जाए। उसके लिए पहले सबको आइडेंटिफाई किया जाए जिससे पता चल जाए कि कितने ऐसे गरीब परिवार हैं। फिर सोशल और एकोनामिक बेनिफिट जो हरिजन और आदिवासी को देते हैं वह उनको भी दिए जाएं। इससे जो एक प्रकार की जेलसी और डिस्पैरिटी है वह दूर हो जाएगी और समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए हमारा रास्ता और साफ हो जाएगा। हमने इसके बारे में अपनी क़मेटी की तरफ से जो सुझाव किया था उसके बारे में सोचें और इस काम को करें। जितने भी गरीब लोग देश में है सबको पहले आइडेंटिफाई किया जाए। जिस वक्त हमारा संविधान बना था उस वक़्त इस तरह का आइडेंटिफिकेशन करना संभव नही था। लेकिन आज इतने पढ़े लिखे लोग उपलब्ध हैं, आज उनके जरिए से इस काम को गवर्नमेंट कर सकती है। अगर एक दिन में एलेक्शन आप कर सकते हैं, एक दिन में सारी जन-गणना कर सकते हैं तो क्या हर एक परिवार का सर्वे नहीं कर सकते हैं जिससे यह पता चल सके कि कौन लोग बिलो पावर्टी लाइन हैं। उनका सबका आइडेंटिफिकेशन करने के बाद जो सहूलियत आई० आर० डी० में दी जाती है वह उन सबको को दी जाए ताकि जो डिस्पैरिटी है वह कम हो और जो जेलसी है वह भी दूर हो सके। इससे लोगों में यह भावना पैदा होगी कि हम सब लोग एक हैं और भाई चारा आपस में बढ़ता जाएगा। इस प्रकार जिस नेतृत्व के अन्दर देश इतना आगे आया है उसी नेतृत्व में हम और आगे बढ़ेंगे। हमारा नेतृत्व भी इसी लाइन पर सोच रहा है कि किस प्रकार आगे जा कर देश में डिस्पैरिटी दूर हो और समाजवाद के रास्ते पर हम आगे बढ़े। इसलिए इस संबंध में मेरे जो सुझाव हैं उन पर गौर करें, उसके बारे में सोचें और उस पर कार्यवाही करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको दोबारा धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसका मैं समर्थन करना चाहता हू राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि आज हमारा राष्ट्र किस स्थिति में है और किस प्रकार से वह बिखराव की ओर जा रहा है। इस ओर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है और साथ ही साथ दुनिया की जो स्थिति है उसकी ओर भी इशारा किया है। उन्होंने बताया है कि आज इस देश में कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो देश को बिखराव की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रही हैं। मैं समझता हूं आज हर भारतीय जो कि राष्ट्रीय दृष्टि से सोचता है वह बराबर इस बात पर चिन्तन कर रहा है। स्वतन्त्रता से पूर्व जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़े थे और जिसके आधार पर हमें स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी, आज उसी आधार की पुनः राष्ट्र निर्माण के लिए नितान्त आवश्यकता है। हमें विचारपूर्वक तीन बातों की ओर विशेष रूप से

ध्यान देना होगा—राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र का विकास और राष्ट्र के विकास मे हमारा योगदान। राष्ट्रीय जागरण के साथ-साथ राष्ट्र के विकास में सारे राष्ट्र का योगदान भी उतना ही आवश्यक है जितनी उसकी आवश्यकता हमें स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय थी। यदि उस समय और आज को तुलनात्मक दृष्टि से आप देखेंगे तो आज उसकी आवश्यकता और भी अधिक है। उस समय भी देश को जोड़ने में साम्राज्यवादी शक्तियों का कोई हित नहीं था। सभी धर्मों की एकता से हमारी राष्ट्रीयता मजबूत होती है और इसी के परिणामस्वरूप उस समय हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तथा विदेशी शक्तियों को यहां से जाना पड़ा था। उस समय भी वह शक्तियां नहीं चाहती थीं कि सभी धर्मों में एकता हो क्योंकि सभी धर्मों की एकता हमारी राष्ट्रीयता के लिए बुनियादी चीज हैं और इसके अभाव में देश में बिखराव होगा। लेकिन इसके विपरीत हमने साम्राज्यवादी शक्तियों से मुकाबला करने के लिए सारे देश की एकता को राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ जोड़ दिया था। यदि हम अलग-अलग धर्मों को अलग-अलग रूप में देखते तो हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का वह रूप नहीं बन पाता।

साम्राज्यवादी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए जो हमारा स्वतन्त्रता आन्दोलन चला उसमें हमने सभी धर्मों की एकता को उसका एक हिस्सा माना यद्यपि लोगों को यह विचित्र लगता था। गांधीजी ने तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने हिन्दू मुस्लिम एकता ही नहीं वरन सभी धर्मों की एकता को स्वराज्य के लिए आवश्यक माना था। कुछ लोग तो यह सोचते थे कि स्वराज्य के लिए एक ही संघर्ष का तरीका है, हिंसात्मक या अहिंसात्मक, लेकिन गांधी जी ने कहा कि जब तक जन-जन में जागरण नहीं होगा तब तक हम साम्राज्यवादी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हो सकेंगे। आज भी आप देखें कि साम्राज्यवादी ताकतें हमारे देश को तोड़ने का प्रयत्न कर रही हैं, धर्मों के झगड़े सामने लाए गए है ताकि देश टूटे देश को मजबूत बनाने का एक ही उपाय है कि सभी धर्मों की एकता हो। राष्ट्र के विकास के लिए भी यह अत्यन्त आवश्यक है। सभी धर्मों की एकता की मूल भावना को लेकर यदि हम चलेंगे, तो हमारे देश का विकास होगा।

हम बिखराव के रूप में देख रहे हैं कि लोग इस समस्या को किस ढंग से ले रहे है। चाहे पंजाब की समस्या हो, चाहे असम की समस्या हो और चाहे केरल समस्या हो और काश्मीर के अन्दर इस समस्या को जानबूझकर फैलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। कोई धर्म के मानने वाले लोग, अपने स्वार्थों को, राष्ट्रीय एकता की बात को न लेकर, सभी धर्मों में जो सत्य प्रेम और करुणा के मूल आधार को न लेकर, जो लौकिकता है, उसको सामने लाकर यह आवाज उठाने का प्रयत्न होता है कि इस भारत के अन्दर हमारे धर्म का क्या होगा? यदि धर्म नाम से गिनती की जाए, सनातीय हिन्दू कहलाने वाले बहुत बड़ी संख्या में हैं, फिर भी उनमें सांप्रदायिक लोग हैं और उनके अन्दर आवाज आती है कि इस बृहद भारत में हिन्दू धर्म खतरे में है। ताज्जुब मालूम होता है कि इस समाज में बहू हिन्दू समाज को मानने वाले हैं, फिर कहां भारत के अन्दर हिन्दू धर्म की विलीन होने की स्थिति नजर आती है, जबकि भारत

की संस्कृति हजारों-हजार साल से सर्व धर्म की एकता की संस्कृति रही है। दूसरी तरफ हम देखते है कि बहुत बड़ा समाज इस्लाम धर्म को मानने वाला है। उस समय जब इस्लाम का उदय हुआ था, वहां पर खतरा था। जब करबला मैदान में बलिदान की स्थिति आई, उस समय भी उन महापुरुषों ने भारत की ओर देखा और कहा कि भारत के अंदर सब धर्मों के फूलने-फलने की अपनी परम्परा है। आज क्या किसी इस्लाम धर्म को खतरा है। फिर क्यों ऐसी आवाज आती है कि इस्लाम धर्म की बृहद समाज के अन्दर उपेक्षा हो रही है। सिख धर्म के अंदर उनके महान ग्रंथ में सभी धर्मों की एकता विराजमान है फिर क्यों उस धर्म के तथा कथित लोग एक सांप्रदायिक रूप में यह आवाज उठाते हैं कि सिख धर्म खतरे में है। जब कि भारत के अंदर सभी धर्मों को समान रूप से विकसित करने का अवसर मिल रहा है। इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, जो भारत को शक्तिशाली रूप में आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं। इसकी ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी मत को मानने वाला हो, इस बात से सर्वसम्मत है कि भारत एक शान्तिप्रिय देश है। विश्व में भी युद्ध नहीं होने देना चाहता है। हजारों-हजार साल से वह शान्ति का समर्थन करता रहा है। परन्तु जलन इस बात की होती है कि जब वह आवाज श्रीमती इंदिरा गांधी के मुंह से निकलती है। आप इस बात को स्वीकार कीजिए और समर्थन दीजिए कि श्रीमती इन्दिरा गांधी विश्व के साथ-साथ भारत में भी शांति की मसीहा के रूप में सामने खड़ी हुई है। तो क्यों उनका समर्थन नहीं होना चाहिए, हर दल का समर्थन उनको मिलना चाहिए कि भारत शांति के लिए आगे बढ़ रहा है। अगर शांति के लिए भारत आगे बढ़ रहा है, तो नुकसान किसका होता है, सौदागरों का नुकसान होता है, आम नागरिकों का नुकसान होता है।

भारत की आवाज, जिसमें सारी दुनियां की शान्ति चाहने वालों की आवाज शामिल है, उसको तोड़ने के लिए कौन प्रयत्न कर रहा है। आप गहराई के साथ इसे देखिये। ये वही शक्तियां हैं, जो भारत को गुलाम बनाने वाली थी और सैकड़ों वर्षों तक भारत वर्ष को गुलाम बनाया और कभी धर्म के नाम पर और कभी भाषा के नाम पर झगड़ा करा कर आपस में लड़ाया। ये वही शक्तियां हैं, जो दुनियां में साम्राज्यवादी ताकतों को बढ़ावा दे रही हैं और दुनिया को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही हैं और शान्ति के मसीहा और शान्ति के आलम्बरदार देश को फिर से तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यह जो झगड़ा पैदा हो रहा है, यह साधारण झगड़ा नहीं है और यह आज तक हल हो गया होता। इसमें सिर्फ चण्डीगढ़ का मसला ही नहीं है। इसमें बेलगांव भी है जहां पर दो भाषा-भाषीलोगों के बीच का विवाद है

और दूसरे भी ऐसे कई नगर हैं। ये झगड़े आपस में बैठ कर हल किए जा सकते हैं लेकिन उनको क्यों नहीं हल होने दिया जा रहा है। इसके पीछे कौन सी शक्ति है। इसको हमको राष्ट्रीय आधार से देखना चाहिए और किसी एक दल के आधार को हम छोड़ दें। आज यह कितना बड़ा खतरा हमारे सामने है और हमारे राष्ट्रपति जी ने भी इस खतरे की ओर हम सबको आगाह किया है। हम सब को भी इसके बारे में चिन्तन करना चाहिए। यह ठीक है कि पंजाब के अंदर अगर धर्म के नाम पर एक झगड़ा पनपता है, तो क्या देश के दूसरे कोनों में नहीं पनप रहा है। देश के दूसरे कोने में आसाम के अंदर भाषा के असितत्व के समाप्त होने का खतरा बताया जा रहा है। यहां भाषा के समाप्त होने का खतरा नहीं हो सकता क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और उसकी अपनी एक विशेषता है। दुनियां में ऐसे अनेक देश हैं, जहां एक ही भाषा है। एक ही भाषा वाले अनेक देश दुनियां में हैं परन्तु भारत की यह विशेषता है कि यहां पर अनेक भाषाएं हैं और अनेक भाषाएं आज की नहीं बल्कि हजारों साल से चली आ रही हैं और उनको विकसित करने का समान अवसर हजारों साल से मिला है। हम जानते हैं कि हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी है मगर राष्ट्र कवि ने बंगला भाषा में विश्व को एक देन दी और बंगला भाषा का आदर और श्रद्धा से हम अध्ययन करते हैं और गौरान्वित होते हैं। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत की एक छोटी सी बोली भी अगर एक रचना सामने लाती है, तो उस छोटी सी बोली को विकसित करने का समान अवसर भारत के अंदर है और उसको वैसा ही अवसर है जैसा कि राष्ट्र भाषा को है। भारत की जितनी भी बड़ी भाषाएं हैं, वे परस्पर एक दूसरे को विकसित करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। फिर कौन सी ऐसी बात सामने आ जाती है, जो भाषा के नाम पर झगड़ें कराती है या धर्म के नाम पर झगड़े सामने आ जाते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि आज दुनियां में साम्राज्यवादी ताकतें फिर से उभर रही हैं और वे दुनियां को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही हैं और फिर से इस देश को अपने कच्चे माल का बाजार बनाने की कोशिश कर रही हैं। इससे रक्षा करने के लिए, इस खतरे से ऊपर उठने के लिए हम सबका यह राष्ट्रीय कर्त्तव्य है कि, जैसा कि मैंने पहले बताया है, हम राष्ट्रीय एकता को मजबूत करें। धर्म बड़ा है, मैं इसको स्वीकार करता हूं लेकिन सभी धर्मों के मूल में एकता है और सभी धर्मों में सत्य, प्रेम और करुणा पल्लवित हैं मगर बावजूद इसके हमें यह मान कर चलना होगा कि धर्म के मूल में राष्ट्रीयता निहित है। हर धर्म इस वक्त ऐसा महसूस करता है कि वह अलग है और उसका अपना अलग अस्तित्व है और अलग अस्तित्व के नाम से अपने को भिन्न बनाने का वह प्रयत्न कर रहा है। इसके आधार पर देश टूटता है और इस देश को टूटने से बचाने के लिए एकता की आवश्यकता है और इसमें कोई गलती नहीं होगी अगर मैं यह कहूं कि सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य

जो है, वह 'राष्ट्र' है। राष्ट्र को मजबूत करने के लिए धार्मिक एकता के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। वैसे ही जन-जागरण की बात है। प्रत्येक वर्ग इस में आता है और जन-जागरण है क्या। जन-जागरण का सही अर्थ यही है कि प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के विकास में जुड़े। इसका ही नाम जन-जागरण है ओर से जुड़ने का अर्थ यह होता है कि कोई वर्ग ऐसा न रहे, जो राष्ट्र के विकास में भागीदार न हो चाहे वह मजदूर हो, मिल का मालिक हो, विद्यार्थी हो या शिक्षक हो। कलाकार हो, साहित्यकार हो, सम्पादक हो सभी वर्ग के लोगों को उसी तरह से राष्ट्रीय विकास में योगदान करना है जिस तरह से राष्ट्रीय आजादी के लिए सभी वर्गों ने किया था। उस समय सभी ने इस बात को महसूस किया था कि देश के विकास के लिए यहां से विदेशी ताकत को हटाना जरूरी है। उस समय बिरला या टाटा जैसे पूंजीपतियों ने भी यह सोचा था कि देश का उद्योगीकरण तभी हो सकता है जबकि हमारे देश से विदेशी सत्ता हटे, नहीं तो यह देश विदेशियों के लिए कच्चेमाल का भण्डार बन कर रह जाएगा। इसलिए उन्होंने भी अपना योगदान किया। जिस तरह से स्वराज्य के समय सभी ने अपना अपना योगदान दिया था उसी तरह से आज भी प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय विकास के कार्य में योगदान करना है जो नागरिक वह कोई भी क्यों न हो, यह सोचता है कि मेरा ही अस्तित्व यहां रहे, वह राष्ट्र के विकास में भागीदार नहीं होता है।

हमारे देश में जितने भी वर्ग हैं, चाहे पूंजीपति वर्ग, हो चाहे मजदूर वर्ग हो, सभी को यह सोचना होगा कि राष्ट्र के विकास में मेरा कितना योगदान हो सकता है। यदि कोई साहित्यकार है तो उसे साहित्यकार के नाते ऐसे साहित्य का निर्माण करना होगा जो केवल मनोरंजन के लिए न हो, बल्कि राष्ट्र के विकास में योगदान करने वाला हो। अगर वह मनोरंजन के लिए ही अपने साहित्य का निर्माण करता है तो वह राष्ट्र के विकास में योगदान नहीं करता है।

आज हम सबको यह चिंतन करना है, सभी राजनीतिक पार्टियों को चिंतन करना है कि अगर हम या हमारी राजनीतिक पार्टी राष्ट्र के विकास में योगदान नहीं दे रही है तो हमें और राजनीतिक पार्टियों को अपने चिंतन को बदलना होगा। हरेक पार्टी को इस आधार को सामने रखना होगा।

श्रीमन् स्वराज्य के समय जो परिस्थितियां थीं, वे आज नहीं हैं वे बदल चुकी हैं। स्वराज्य के पूर्व की और आज की परिस्थितियों में भिन्नता है। उस समय हम यह कहते थे कि अंग्रेजी सत्ता यहां से हटे तो देश का विकास हो। लेकिन आज हमारे सामने उद्देश्य राष्ट्र के विकास का है। आज हम सभी को यह प्रयत्न करना है कि हमारे राष्ट्र का कोई भी पुर्जा कमजोर न रहे और हरेक पुर्जा हरेक वर्ग कैसे मजबूत हो, इसके लिए हम सबको प्रयत्न करके

आगे बढ़ना है। हमें आज यह नहीं सोचना है कि कैसे मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, कैसे मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ आगे बढ़े बल्कि हम सबको यह कर्त्तव्य समझना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें उससे राष्ट्र का विकास हो, उसके विकास में योगदान हो।

इसके लिए हमें अपनी पद्धतियों पर अगर आवश्यकता हो तो दृष्टिपात करना होगा और अगर किसी पद्धति से कोई बाधा सामने आती हो तो उसमें भी सुधार करना होगा। चाहे वह कौन-सी भी पद्धति क्यों न हो। मै उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा पद्धति जो आज है, उसमें हमें आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। मैं एक ग्रामीण की हैसियत से कहना चाहता हूं कि आधुनिक युग से पहले जो शिक्षा पद्धति हमारे देश में लागू थी, वह पद्धति शिक्षा देने के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास में भी योगदान करती थी। आज का विद्यार्थी चाहे कितना ही क्यों न पढ़ जाये, पढ़ने के बाद सबसे पहले बेरोजगारी महसूस करता है और राष्ट्रीय विकास से हट जाता है। पहले एक किसान का बच्चा, चाहे कितना ही छोटा क्यों न होता, जब अपनी मां के साथ खेत में जाता था तो सबसे पहले वह हल और फसल को देखता था। वह यह देखता था कि किस तरह से अन्न का रोपण किया जाता है, किस तरह से वह बोया जाता है। इस थोड़ी-सी शिक्षा में राष्ट्र का विकास निहित था। उसी आधार पर हमें अपनी शिक्षा पद्धति से देखना होगा। एक साधारण हज्जाम या दर्जी भी किसी को अपने साथ रखता था और उसके साथ रहने से जो जानकारी हासिल होती थी उससे राष्ट्र का विकास जुड़ जाता था। इसलिए हमें अपनी शिक्षा-पद्धति को राष्ट्र के विकास से जोड़ना होगा।

16.58

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जिस तरह से हमने देश से साम्राज्यवादी ताकत को निकाला उसी तरह से आज हमें सभी वर्गों को एक जुट होकर राष्ट्र के विकास से जुड़ना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तभी राष्ट्र का विकास हो पायेगा। भारत की सारी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर, भारत की सम्पूर्ण शक्ति को एक होकर पूरे संकल्प के साथ राष्ट्र के विकास में जुटना होगा।

मैं इन शब्दों के साथ कि राष्ट्र के विकास में देश की सम्पूर्ण शक्ति लगे, अपनी बात समाप्त करता हूं और इसी भावना के साथ अपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का अभिवादन करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण ने हमें वर्तमान राष्ट्रीय स्थिति तथा हमारे देश की सामाजिक-आर्थिक नीतियों पर चर्चा करने का

अवसर प्रदान किया है। मेरे विचार से आज भारत का जन-साधारण सबसे अधिक कष्ट में है, जिसका कारण है अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि जो कि संभवतया स्वतन्त्रता के बाद सर्वाधिक हुई है। आम आदमी के उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें काफी बढ़ रही हैं। आज आम आदमी को आठ रुपये प्रति किलो के हिसाब से दालें और पच्चीस रुपया प्रति किलो के हिसाब से सरसों का तेल खरीदना पड़ रहा है। चाहे कोयला हो, सीमेंट हो, किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले उर्वरक हों, खाद्यान्न हों, मोटा कपड़ा, दवाइयां हो या हमारे स्कूल और कालिजों में पढ़ने वाले छात्रों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली शैक्षिक सामग्री हो, सभी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।

सभा को, वित्त मन्त्री द्वारा पिछली बार, जब वह बजट प्रस्तुत कर रहे थे, दिए गए यह औपचारिक आश्वासन तो याद होगा ही कि इससे मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण रखा जायेगा और इससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें घटेंगी। मैं यह तो नहीं जानता हूं कि वह इस मास की 29 तारीख को अपना बजट पेश करते समय क्या कुछ कहेंगे। मुझे आशा है कि वह ईमानदारी से यह स्वीकार करेंगे कि इस सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियां सर्वथा असफल हो गई हैं, जिससे यह देश उस स्थिति में पहुंच गया है, जहां पर न केवल गरीब व्यक्ति अपितु मध्यम आय वर्ग के लोग भी इस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां उन्हें अपना गुजारा चलाना कठिन हो रहा है।

एक अन्य विषय को ही लीजिए, कानून और व्यवस्था की स्थिति कभी इतनी खराब नहीं रही। न केवल पहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सर्वत्र यह तेजी से बिगड़ती जा रही है। इसका हमारे देश की तेजी से बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति से निकट का संबंध है। राज्य सरकारें जन-साधारण के जीवन और सम्पत्ति को सुरक्षा प्रदान करने में पूर्णतया असफल रही हैं। यह एक अन्य मोर्चा है, जिस पर सरकार पूर्णतया असफल रही है।

आज भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक उग्र रूप धारण किए हुए है। संभवतया लोगों ने इसे अपने जीवन का एक अंग बना लिया है और उन्होंने यह विश्वास खो दिया है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जा सकता है वे समझते हैं कि घूस दिए बिना कुछ नहीं किया जा सकता है।

हमारे समाज का एक अन्य सर्वाधिक संवेदनशील अंग है युवा वर्ग हमारे देश के लगभग 5 करोड़ शिक्षिय लड़के और लड़कियां बेरोजगार हैं पौर उनकी संख्या बढ़ रही है। योजना आयोग और सरकार ने यह स्वीकार किया है कि हमारी कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। यदि यही दृष्टिकोण और नीति जारी रही और यदि योजना आयोग वही नीति अपना कर वैसी ही सामाजिक-आर्थिक नीति का अनुरक्षण करता रहा तो गरीबी-रेखा से नीचे लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जायेगी और इसी प्रकार बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ेगी।

शहरी अमीर और गरीब के बीच की खाई तथा शहरी और ग्रामीण जनता के बीच की खाई दिन पर दिन और अधिक गहरी होती जा रही है। शायद आज ग्रामीण जनता सर्वाधिक कठिनाई में हैं, क्योंकि वह ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार के विकास की सभी आशाएं छोड़ चुकी हैं। इस वर्ष विभिन्न राज्यों में विद्युत दरें 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दी गई हैं, उर्वरकों के दाम बढ़े हैं, सीमेंट का भाव लगभग दुगना हो गया है। किसान के मतलल की सभी वस्तुओं के दामों में कहीं अधिक वृद्धि हुई है परन्तु उन्हें गेहूं के दामों में प्रति क्विंटल डेढ़ रुपये की बढ़त प्राप्त हुई है। और उत्तरप्रदेश जैसे राज्य में, इस लाभ में से एक रुपया मंडी कर के रूप में लिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि गेहूं की कीमतों के मामले में किसानों को प्रति क्विंटल पचास पैसे का लाभ प्राप्त हुआ, जबकि इसके सभी प्रकार के कच्चे माल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है।

आर्थिक स्थिति पर मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं इस बात से सहमत हूं कि इस देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान में जिस प्रणाली का अनुसरण कर रहा है उससे केवल पूंजीवदी प्रणाली ही सशक्त बना रही है। यह पूर्णतया इस देश के अमीरों को ही लाभान्वित कर रही है और धनी वर्ग की अर्थव्यवस्था बनकर रह गई है। आज की अर्थव्यवस्था पर पूंजीवादी विचारधारा पूर्णतया हावी हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि कीमतें बढ़ रही हैं, कुछ कीमतें घटाई भी गई हैं। और यही बात आम आदमी पूछ भी रहा है। गत एक वर्ष में रंगीन टी० वी० के दाम कम किए गए हैं। फ्रिजों और एयरकन्डीशनरों की कीमतें गिरी हैं। सेलून कारों के दाम घटे हैं। इस देश के द्वारा धनिक-वर्ग के लिए विलासता की जिन वस्तुओं का आयात किया जाता है उनकी कीमतें भी गिर गई हैं।

इससे पता चलता है कि यदि वे मूल्य कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम देखते हैं कि दालों, सरसों का तेल, खाद्यान्नों, मोटा कपड़ा, दवाइयां और आम उपभोग की सभी वस्तुएं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है।

आज आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइये। आप देखेंगे कि वहां जो सड़क थी वह बह गई है टूट गई लेकिन सरकार के पास उसकी मरम्मत कराने के लिए पैसा नहीं है। यदि वहां कोई प्राथमिक पाठशाला की इमारत है और वह ढह गई है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कों के लिए प्राथमिक स्कूल का अन्य कमरा बनाने के लिए धन नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोग बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमने एक ही वर्ष में एशियाड खेलों की तैयारी की है और उसकी व्यवस्था की है लोग कहते हैं, आपकी इच्छा हो तो आप एशियाड खेल करा सकते हैं और उस पर करोड़ों रुपये खर्च कर सकते हैं। आपके पास पांच-सितारा होटलों की इमारतें बनाने के लिए पैसा है, यद्यपि वे वास्तव में एशियाड के लिए नहीं बन पाई थी। लेकिन अन्य काम करने की इच्छा आप में नहीं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 36 वर्ष बाद भी आप लाखों गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं कर सकते। लोग आज यही प्रश्न पूछ रहे हैं।

सरकार की समूची विकासात्मक नीति तथा योजना भारत में पूंजीवादी प्रणाली को दृढ़ करने की है। और इसका परिणाम यह हुआ है कि हर जगह निर्धनता है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आम आदमी का जीवन कठिनतर होता जा रहा है। आर्थिक नीति का यह परिणाम हुआ है।

महोदय, राष्ट्रपति ने इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया है। मुझे आशा थी कि जबकि छठी पंचवर्षीय योजना समाप्ति पर है, वे इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे कि कहां-कहां गलतियां रह गई हैं। यह क्या है कि हर योजना की समाप्ति पर, बेरोजगारी और निर्धनता बढ़ती जा रही है ? ऐसा क्यों है कि हमारे देश की स्वतन्त्रता के 36 वर्ष बाद, हमारी 65% जनसंख्या अशिक्षित है· क्या कारण है कि इस देश में लाखों बच्चे अंधे हो जाते हैं और उन्हें विटामिन नहीं मिलते, उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। क्या कारण है कि बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ देने वाले निम्न और निर्धन वर्ग के बच्चों की शिक्षा में वृद्धि हो रही है ? हमारे देश में दोहरी शिक्षा प्रणाली क्यों है अर्थात् धनी लोगों के बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा तथा निर्धन बच्चों के लिए निम्न स्तरीय शिक्षा क्यों दी जाती है ? क्या सरकार ने इस तथ्य पर विचार किया है कि केवल वे लोग जो अपने बच्चों को अच्छे पब्लिक स्कूलों में भेज सकते हैं, जो उन्हें अच्छी टयूशन दे सकते हैं, जो बच्चे अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, उनका ही चयन किया जायेगा, तथा वे ही आई०ए०एस० या आई०पी०एस० या श्रेणी अधिकारी बन सकेंगे तथा समूचे देश में नौकरशाही ले आयेंगे तथा देश के प्रशासनिक तन्त्र पर पूरा नियंत्रण कर लेंगे और आम जनता के बच्चे छोटी-छोटी नौकरियों के लिए हाथ फैलाते रहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है ? सरकार पूरे देश में एक समान शिक्षा पद्धति क्यों नहीं लागू करती ? अब देश में शिक्षकों ने भी अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने आंदोलन किया है और समूची शिक्षा पद्धति का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव रखा है क्योंकि वे महसूस करते हैं कि इसमें बहुत भेदभाव है, उनका कहना है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का लाभ केवल शक्तिशाली लोगों को मिल रहा है। क्या भारत सरकार इस पर पुनः गंभीरतापूर्वक विचार करेगी कि समूचे देश में कम से कम एक समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए तथा जनता को अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए ? हम इस देश में अपने बच्चों का क्या भविष्य बना रहे हैं ? क्या वे इस पर विचार करेंगे ? मैं समझता हूं कि योजना के प्रति हमारा जो बुनियादी दृष्टिकोण को है उसे ही बदलना होगा। यदि सरकार वास्तव में ही इस देश में आम आदमी का उत्थान करने के लिए वचनबद्ध है, तब सातवीं पन्चवर्षीय योजना में उन्हें अपने मूल में परिवर्तन करके अपनी प्राथमिकताएं पुनः निर्धारित करनी चाहिए। आज की आर्थिक प्रणाली में, धनी लोगों का ही बोलबाला है। धनी लोगों के कल्याण और लाभ को प्राथमिकता दी जाती है। यदि सरकार निष्कपट है तो उसे प्राथमिकताएं

पुनः निर्धारित करने का निर्णय लेना चाहिए तथा पुर्न निर्धारण में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा देश की समूची जनता को पेयजल की सुविधाओं के प्रावधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए साथ ही कुटीर उद्योगों के विकास को भी प्राथमिकताएं दी जानी चाहिए ताकि देश की आम जनता को भी रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। प्रधानमंत्री ने दो गंभीर वक्तव्य दिये। जब देश की प्रधानमंत्री ऐसे वक्तव्य देती हैं तो इससे हमें बहुत कष्ट पहुंचता है। जब लोगों ने बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की, तो उन्होंने कहा भ्रष्टाचार विश्वव्यापी, सार्वभौमिक है। यह कहने कि बजाय कि जी हां, हम इस पर ध्यान देंगे, हमें प्रभावकारी कदम उठाएंगे तथा देखेंगे कि भ्रष्टाचार समाप्त हो उन्होंने यह वक्तव्य दिया है कि यह पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है, अत: हम इसे नहीं रोक सकते।

प्रो एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उन्होंने ऐसा नहीं कहा।

श्री चन्द्रजीत यादव : प्रधानमंत्री ने दूसरा चिंताजनक वक्तव्य वह दिया जो हमने समाचार पत्रों में पढ़ा। जब लोगों ने बढ़ती हुई मुद्रा स्फीति तथा मूल्यों में वृद्धि की बात कही तो उन्होंने कहा कि कोई भी देश जो विकास और प्रगति कर रहा है उसमें मूल्यों में वृद्धि होना आवश्यक है, और मूल्य वृद्धि इससे जुड़ी हुई है। इसका अभिप्राय है कि यदि प्रगति और विकास के लिए कह रहे हैं तो आपको मूल्यों में वृद्धि को बर्दाश्त करना होगा। क्या इसका यही उत्तर है ? क्या यही रवैया है ? मैं समझता हूं कि उन्होंने वे दो बहुत ही चिंताजनक वक्तव्य दिए हैं। जब देश की प्रधानमंत्री ऐसे वक्तव्य देती हैं तब चाहे नौकरशाही हो, या योजना आयोग अथवा मंत्रिमंडल हो, या कोई अन्य, जो इसी तरह के तर्कों का अनुसरण करते हैं। इसे गंभीरता पूर्वक नहीं लेते।

ऐसा सबने स्वीकार किया है कि आर्थिक स्थिति चिंताजनक है। लेकिन मुझे जिस बात की चिंता है, जिस ओर मैं इस सभा की ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि देश में आज बहुत अशांति की स्थिति पैदा हो गई है। जबकि लोग आर्थिक बोझ तले दब रहे हैं कानून और व्यवस्था की समस्या से चिंतित है, आप देश के किसी भी भाग में जाइये, वे क्या कह रहे हैं ? भारत का आम आदमी आज पंजाब में होने वाली घटनाओं से चिंतित हैं। वह हरियाणा में हो रही घटनाओं से चिंतित है। पंजाब में जो कुछ हो रहा है, उस बारे में यह कहा जा रहा है कि कुछ उग्रवादी दल खुले आम हिंसात्मक कार्य कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह उनके लिए बहुत ही गलत शब्द का प्रयोग किया गया है। उग्र-वादी' शब्द उनके लिए उपयुक्त नहीं हैं। मेरे विचार से वे सांप्रदायिक आतंकवादी है लोगों का यह दल, जो हिंसात्मक घटनाओं में विश्वास रखता है, बिना भेदभाव के भोले-भाले लोगों की हत्या कर रहे हैं क्योंकि वे दूसरे धर्म के लोग हैं। अत: सच यह है कि ये लोग सांमप्रदायिक आतंकवादी हैं जो लोगों को आतन्कित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जब वे दिन-दहाड़े आते हैं, चाहे सुबह आये, या दोपहर या शाम या सांयकाल, वे चौराहों पर तथा विभिन्न स्थानों में जाकर स्टेनगन का

इस्तेमाल करते हैं और लोगों को मार रहे हैं। उन्हें पकड़ा नहीं जाता। तो प्रशासन क्या कर रहा है ? क्या प्रशासन भी उन्हें गोली मारने में समर्थ रहा है ? क्या वहां कोई प्रशासन है ? पंजाब में दरबारा सिंह सरकार को इसलिए हटाया गया था कि राष्ट्रपति शासन में वे प्रभावी कदम उठायेंगे। वे इस सदन का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। सदन ने उन्हें पूरा समर्थन दिया। विपक्ष ने उन्हें ठोस कदम उठाने के लिए कहा। लोगों को बसों से निकाल कर उनकी हत्या की गई। मेरा इस सरकार पर यह आरोप है कि इस सरकार की इच्छा ही नहीं है कुछ करने की। सरकार पंजाब में निरपराध लोगों का जीवन बचाने के अपने परम कर्त्तव्य में असफल रही है और अब इसकी प्रतिक्रिया देश के अन्य भागों में हो रही है।

3 दिन पहले ही हरियाणा में क्या हुआ है ? मैं पानीपत गया था। पानीपत में 1,25,000 लोग रहते हैं। उनमें से करीब 10-20 हजार लोग सिख है। अन्य लोग हिन्दू हैं। संभवतः वहां मुस्लिमों की संख्या बहुत कम है। वहां 6 गुरुद्वारे थे, जो कि पूरी तरह लूट लिए गए थे। मैंने ऐसा सांप्रदायिक दंगा पहली बार देखा। मैं उन स्थानों का दौरा करता रहा हूं। जहां इस देश में पिछले 20 वर्षों से दुर्भाग्यपूर्ण सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वहां इतना अधिक नुकसान पहुंचाया गया हो। कहीं-कहीं छुट-फुट नुकसान हुआ था। सांप्रदायिक दंगों में पूजा-स्थलों को उस तरह का लक्ष्य नहीं बनाया गया था। पानीपत में 6 गुरुद्वारे हैं। दो गुरुद्वारे जी०टी० रोड पर हैं। एक गुरुद्वारा ऐतिहासिक है क्योंकि उसमें गुरुनानक जी आये थे भीड़ एक कमरे से दूसरे कमरे में घुसती गई वहा मिट्टी का तेल और पैट्रोल डाला और गुरु ग्रंथ सहित सभी वस्तुओं को जला दिया। ऐसा 6 गुरुद्वारों में हुआ माडल टाउन में नवीनतम आधुनिक गुरुद्वारा है। संभवतः वहां एक गुरु ग्रंथी था। केवल एक। वहां हजारों की भीड़ थी। वहां पुलिस नहीं थी। घटनाएं हो रही थी लेकिन पुलिस वहां नहीं थी। भीड़ वहा दो घंटे तक रही। उन्होंने गुरु ग्रंथी से दरवाजा खोल कर बाहर निकलने की मांग की। उसने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गए। स्कूल जला दिया गया। गुरुग्रंथ जला दिया गया। उन्होंने सब कुछ जला दिया था। यह राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। हरियाणा में, पानीपत, में जो कुछ हुआ है, वह शर्मनाक है। पंजाब में जो कुछ हो रहा है, वह बड़े दुःख की बात है।

मैं इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हम देश में अपनी राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंडता की बात कर रहे हैं। यदि हम राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाना तथा राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं और इस देश की रक्षा करना चाहते हैं तो इस देश में राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखना का मूलाधार धर्म निरपेक्षता ही है। यदि धर्म निरपेक्षता की भावना कम हो गई नष्ट हो गई तो अल्पसंख्यक लोग, चाहे पंजाब में वे हिन्दू

हो या सिख, या मुस्लिम अथवा ईसाई, तो यह भारत के लोकतन्त्र, और भारत के लिए सबसे अधिक दुःख का दिन होना। मुझे संदेह है कि यदि आप समय पर इसका सामना नहीं करते, ठोस कदम नहीं उठाते और सांप्रदायिक दंगों के समान इस तरह के अपराध करने वाले लोगों को नहीं पकड़ते और उनके साथ मिल जाते हैं, तो उसके लिए किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकेगी। ऐसी घटनाएं हो रही हैं, यह बहुत ही गंभीर बात है। दुर्भाग्य से समस्या को राजनैतिक मानकर इसका कुछ समाधान नहीं खोजा गया है। (**व्यवधान**) जी हां, मुझे विश्वास हो गया है। 4-5 महीने पहले एक त्रिपक्षीय सम्मेलन में इसका समाधान निकाला गया था। वह आधार माना गया था। वही समय था जबकि समाधान किया जा सकता था। लेकिन सत्तारूण दल ने समस्या का समाधान नहीं किया और हमारे कुछ अकाली मित्रों ने भी इसका ठोस निदान करने के लिए सामने नहीं आए। यह है स्थिति।

प्रो० एन० जी० रंगा : वह ठीक नहीं है।

श्री चंद्रजीत यादव (आजमगढ़) : आज प्रधानमंत्री स्वयं ही कह रही हैं कि देश खतरे में है, हमारी राष्ट्रीय एकता संकट में है, हमारी सीमाओं पर दवाब और खतरा बढ़ता जा रहा है हम इसका विरोध नहीं करते हैं। हम देख रहे हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियां भारत को कमजोर करना चाहती हैं। हम साम्राज्यवादी शक्तियों को गतिविधियों को देख रहे हैं और मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका का इस संबंध में नाम लेने में कोई भी झिझक नहीं है कि किस प्रकार वह खाड़ी के देशों और अरब देशों में नीतियां अपना रहा है और अरब देशों पर आक्रमण करने के लिए किस प्रकार इजराइल को प्रोत्साहन दे रहा है और उस की सहायता कर रहा है। वे यह प्रयास कर रहे हैं कि ईरान और इराक आपस में लड़ते रहें और ये दोनों देश लड़ रहे हैं। वे लेबनान का विभाजन करवाने का प्रयास कर रहे हैं तथा इजराइल को प्रोत्साहन और पूरी सहायता दे रहे हैं कि वह लेबनान पर कब्जा करले हम यह भी जानते हैं वे किस प्रकार से हिन्द महासागर में अपने सैनिक अड्डों को दृढ़ बना रहे हैं तथा पाकिस्तान को अति एवं आधुनिक हथियार दे रहे हैं। वे यह भी चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत भी आपस में लड़ते रहें।

हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन शक्तियों के जाल में न फंसें हमें इन शक्तियों को भारत और एशिया महाद्वीप को उनकी गतिविधियों के क्षेत्र न बनाने दें। किन्तु मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा क्योंकि इस देश की प्रधानमंत्री होने के नाते उन पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। जब देश एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है तब सीमावर्ती राज्यों में क्या हो रहा है ? दुर्भाग्यवश, मैं समझता हूं कि उनके दल ने गैर-कांग्रेस (इ) राज्य सरकारों के प्रति विरोधी रवैया अपनाया है, जो कि एक गंभीर बात है। जब हमारी सीमाओं पर खतरा है तो क्या यह बुद्धिमत्ता पूर्ण है कि जिस दिन से डा० फारूक अब्दुल्ला की सरकार

सत्ता में आई है, उसी दिन से उसका विरोध किया जा रहा है और विधान सभा को ठीक से कार्य करने नहीं दिया जा रहा है ? विधान सभा के अन्दर ही धरना दिया गया, विधान सभा के बाहर बन्द आयोजित किया गया और कार्यालयों को जलाया जा रहा है। यदि उनके काम करने के ढंग में कुछ कमियां या कमजोरियां थीं तो प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हमारी सूचनाएं ये हैं और आपको ठीक से कार्य करना चाहिए। इस प्रकार की बातें हो रही हैं आप जानते हैं केन्द्र में सत्तारूढ़ दल यदि किसी राज्य में ऐसा सार्वजनिक रवैया खुले रूप से अपनाए तो वे किस मुंह से कह सकते कि विपक्ष ऐसा कर रहा है या वैसा कर रहा है। इसलिए, उन्होंने जो दोहरा मानडंड अपनाया हुआ है, वह नहीं होना चाहिए।

पंजाब में क्या हो रहा है ? पंजाब की समस्या का समाधान क्यों नहीं खोजा गया ? यह दोनों ही सीमावर्ती राज्य हैं ऐसा क्यों है कि पश्चिम बंगाल सरकार यह अनुभव कर रही है कि उसे उसका देय भाग नहीं दिया जा रहा है ? एन०टी०आर० की सरकार ऐसा क्यों अनुभव कर रही है कि जब उस राज्य में जब लोग तूफान और अन्य प्राकृतिक विपदाओं से पीड़ित हैं, तो उन्हें इन कठिन स्थितियों का सामना करने के लिए केन्द्र द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है ? इसीलिए गैर-कांग्रेस (इ) राज्य सरकारों के प्रति अपनाये गए इस टकराव के रवैये के कारण इस देश में संसदीय लोकतन्त्र कमजोर हो जायेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह उत्तरदायित्व प्रत्येक व्यक्ति का और प्रत्येक दल का है। किन्तु कांग्रेस (इ) केन्द्र में सत्तारूढ़ दल है और कांग्रेस (इ) इस देश में अब भी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है' इस नाते उसका और अधिक उत्तरदायित्व है। मैं खेद्रपूर्वक यह बात कह रहा हूं कि यह दल अपना उत्तरदायित्व अनुभव नहीं कर रहा है और न ही उसे पूरा कर रहा है। महोदय, मैं तो कहूंगा कि सत्ताधारी दल गलत की नीतियों के कारण वास्तविक खतरा है। आप तब तक शत्रु से नहीं लड़ सकते हैं। आप प्रतिक्रिया वादियों से नहीं लड़ सकते हैं आप विखंडनकारी शक्तियों से नहीं लड़ सकते हैं, जब तक आप आम आदमी को संतुष्ट नहीं रखते यह इतिहास का सबक है प्रतिक्रिया पनप चुकी है। जब व्यापक असंतोष है और जनता अनुभव कर रही है कि उसका शोषण किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति से सांप्रदायिक और विखन्डनकारी शक्तियां लाभ उठा रही हैं। उनके मूल्य पर दूसरे मजा लूट रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। ये कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अन्त में मैं कहूंगा कि मेरे विचार से अब वह समय आ गया है जब कांग्रेस दल को अपनी नीतियों कार्यक्रमों और चुनाव घोषणा-पत्र-जो देश के सामने रखे गए थे और जिनके बल पर दल को समर्थन मिला था-के कार्यान्वियन के लिए गंभीर रूप से विचार करना चाहिए उनको पहले अपने घर में ही व्यवस्था करनी चाहिए। अन्यथा क्या हो रहा है ? इसलिए कांग्रेस दल आज स्वयं ही विभाजित है। इसीलिए वे गंभीर स्थितियों से कारगर रूप से निपटने में अक्षम हैं।

अन्त में, मैं नौकरशाही के बारे में कहूंगा। मैं कह रहा हूं और आप भी गवाह हैं तथा यह सभागवाह है कि इस देश में नौकर शाही एक शक्तिशाली साधन बन चुकी है। सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के लिए नौकरशाही सर्वदा एक साधन बनी रहेगी। आज की नौकरशाही पूर्णत: सामाजिक प्रतिक्रियाओं द्वारा नियंत्रित है। अपने एतिहासिक लाभों और शिक्षा के कारण उच्च धनी वर्ग के लोगों का ही नौकरशाही पर प्रभुत्व है। देश के 90 प्रतिशत लोगों का नौकरशाही ढांचे में कोई हिस्सा नहीं है। इसीलिए, समतावादी समाज और अधिक लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए हमारे संविधान में कुछ प्रावधान किए गए थे।

आज क्या हो रहा है ? अनुसूचित जातियों के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 22-1/2 प्रतिशत आरक्षण पूरा नहीं किया गया है। प्रथम श्रेणी की सेवाओं में इन जातियों के 5 प्रतिशत से भी कम लोग हैं। पिछड़ी जातियां जो इस देश की जनसंख्या में 52 प्रतिशत हैं, के लोग नौकरशाही ढांचे में 4 प्रतिशत से भी कम हैं। इस सभा में मंडल आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के सरकार द्वारा किए गए कई वायदों के बावजूद भी इस दिशा में कुछ नहीं किया गया है। धैर्य की भी एक सीमा होती है। लोग अपना धैर्य खो रहे हैं। असंतोष पनप रहा है राष्ट्रपति द्वारा दो आयोगों को गठित किए जाने के बावजूद भी उनकी इन सिफारिशों के बावजूद भी कि पिछड़ो जातियों के लिए भी आरक्षण होना चाहिए, इसे कार्यान्वित नहीं किया गया है। इस तथ्य के बावजूद भी कि भारत के सबसे बड़े न्यायालय उच्चतम न्यायालय-द्वारा यह निर्णय दिया गया कि यह संवैधानिक है और इसको किया जाना चाहिए, इसे किया नहीं गया है इस तथ्य के बावजूद भी कि आरक्षण के सिद्धान्त पर विरोध करने का कोई प्रश्न ही नहीं है और जब अधिकतर राज्य सरकारें आरक्षण की नीति को कार्यान्वित कर रही हैं, तो केन्द्र सरकार इसे क्यों नहीं कार्यान्वित कर रही है। क्योंकि वे जानते हैं कि यदि केन्द्र सरकार की सेवाओं में भी वे इसे कार्यान्वित कर देते हैं तो समाज के निर्धन लोगों, दुर्बल वर्गों-जिन्हें हम पिछड़े वर्ग के लोग कहते हैं—का भी सत्ता में हिस्सा होगा और तब एक अलग प्रकार का समाज होगा। इसीलिए, जान-बूझ कर नौकरशाही और सत्तारूढ़ दल के निहित स्वार्थ इसको कार्यान्वित न करने के लिए आपस में साठ गांठ कर गए हैं। इस तथ्य के बावजूद भी कि मंडल आयोग की रिपोर्ट पर सभा में तीन बार चर्चा हो चुकी है और इस बारे में सर्वसम्मति थी, फिर भी कुछ नहीं किया गया है। यदि आप कार्यवाही-वृत्तांत कों पढ़ें कि भूतपूर्व गृह-मंत्री और वर्तमान रक्षा मंत्री श्री आर० वेंकटरामन, तथा वर्तमान गृह मंत्री श्री प्रकाश चन्द्र सेठी ने सभा में इसके बारे में क्या कहा तो आप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि वे इसे कार्यान्वित करेंगे। किन्तु उन्होंने इसे कार्यान्वित नहीं किया।

यही बात अल्पसंख्यकों के बारे में है। मुस्लिम अल्पसंख्यक, जो इस देश की जनसंख्या में 11 प्रतिशत हैं, इस देश की उच्च सेवाओं में 1.5 प्रतिशत भी नहीं है। इसीलिए, उनमें असंतोष फैल रहा है। चाहे पुलिस प्रशासन हो या सीमा सुरक्षा बल या केन्द्रीय आरक्षी पुलिस

बल या भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हों या भारतीय पुलिस सेवाएं या अन्य वर्गों की सेवाएं हों उन पन समाज निहित स्वार्थों का प्रभुत्व है और इसीलिए वे सामाजिक-आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों को जिन्हें स्वीकार किया जा चुका है ईमानदारी से कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त अवसर है जब सरकार अपनी नीतियों को स्पष्ट करे। मैं मांग करता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद के दौरान आरक्षण की नीति पर गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए। पांच महीने पहले मंत्रिमंडल की एक उप-समिति बनायी गयी थी। मुझे बताया गया कि उसकी पहली बैठक अभी तीन दिन पहले ही हुई थी। वे क्या करते रहे हैं? सभा में दृढ़ आश्वासन देने के पश्चात क्या वे सोते रहे हैं। यहां तक कि वे सभा की इच्छा भी अवज्ञा करना चाहते हैं। मैं मांग करता हूं कि सरकार को अपनी आरक्षण नीति बतानी चाहिए। वे कहें "हम आरक्षण की नीति को कार्यान्वित नहीं करेंगे। मंडल आयोग की रिपोर्ट को हम पूर्णतया अस्वीकार करेंगे।" यदि उनमें ऐसा कहने का नैतिक साहस है तो उन्हें यह कहना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक स्पष्ट और दृढ़ रूख अपनाए इसके बिना समतावादी समाज की स्थापना के लिए बनाए जाने वाली सभी बड़ी-बड़ी योजनाएं निरर्थक हैं।

मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद के समय जब नीतियां स्पष्ट करने का अवसर मिलता है, मेरे द्वारा उठाए मुद्दों पर यह सरकार गंभीर रूप से विचार करेगी। यह प्रश्न राष्ट्रीय हित का है, यह प्रश्न अपनी बचन बद्धता का प्रश्न है। यह एक प्रश्न है कि लोकतांत्रिक ढांचे में भारत की जनता को सरकार से कुछ भी पूछने का और उसका उत्तर मांगने का पूरा अधिकार है।

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का जो अवसर आपने मुझे दिया है, उसके लिए में आपका बहुत आभारी हूं।

आरम्भ में, मैं आपका ध्यान 1947 से पूर्व की स्थिति और आज की स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव वर्षों तक कांग्रेस के ही अंग रहे हैं। किन्तु अब, वह कांग्रेस दल की उपलब्धियों को एक ओर रखकर, स्वयं अपने दल की उपलब्धियों का ही विवरण कर रहे हैं।

मैं श्री चन्द्रजीत यादव से पूछ सकता हूं कि 1947 से पहले जनसंख्या कितनी थी और अब तीन देशों, बांगलादेश, पाकिस्तान और भारत, की मिलाकर आबादी कितनी है? 1947 से पहले जनता की सामाजिक-आर्थिक स्थिति क्या थी? आज जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ है हमारी जनता की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में जो सुधार हुआ है उसको कोई भी देख सकता है और इस परिवर्तन को लाने का समस्त

श्रेय कांग्रेस दल के कार्यक्रमों और उपलब्धियों तथा निर्धनता मिटाने के उसके सफल प्रयासों को जाता है। विज्ञान सहित बहुत से क्षेत्रों में हमारी बहुत सी उपलब्धियां हैं।

बिजली, कोयला, स्टील, इस्पात, औद्योगिक विकास और कृषि उत्पादन के क्षेत्रों में हमने अत्यधिक प्रगति की है।

मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि यदि यह प्रगति नहीं है तो वह इसे क्या कहना चाहेंगे। पिछले वर्ष कृषि उत्पादन 1220 लाख टन था। अब कृषि उत्पादन 1420 लाख टन बढ़ गया है। हम कृषि उत्पादन को और अधिक भी बढ़ा सकते हैं।

यह सारी प्रगति वैज्ञानिकों के योगदान तथा कांग्रेस सरकार की प्रगतिशील नीतियों के कारण हुई है।

आलोचना तो कोई भी कर सकता है। आरम्भ से ही, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने तथा 25 सूत्रीय कार्यक्रम प्रतिज्ञापित करने के दिन से ही विपक्ष सरकार की लगातार आलोचना ही करता रहा है। किन्तु विपक्ष बुरी तरह से विफल रहा है। विपक्ष के पास अपना कोई कार्यक्रम नहीं है, जिसे वे जनता के समक्ष रख सके। हमारे कार्यक्रमों के अतिरिक्त विपक्ष के पास देने के लिए न तो कोई सुझाव है, न कोई वैकल्पिक कार्यक्रम है। वे केवल आलोचना के लिए सरकार की आलोचना करते हैं।

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाव) : श्री चन्द्रजीत यादव का कहना है कि बेरोजगारी फैली हुई है। यह सत्य है। उनका यह भी कहना है कि हमारे देश के लोग निर्धन हैं। हमारे देश की गरीबी का सीधा समाधान 20 सूत्री कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करना है। हम 20-सूत्री कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करके और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम और अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करके, अपनी जनता के जीवन में आर्थिक प्रगति लाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं।

विपक्ष में बैठे मेरे मित्रों को यह जान लेना चाहिए कि मुद्रास्फीति प्रत्येक अल्पविकसित देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ चलती है। मुद्रास्फीति केवल भारत के लिए ही कोई विशेष बात नहीं है। यह तो एक अन्तर्राष्ट्रीय घटना है। हमें गरीबी दूर करने के सरकार के प्रयासों में सहयोग करना चाहिए और इस दृष्टि से ही लोगों को शिक्षित करना है।

कृषि और विद्युत उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है।

मैं मानता हूं कि देश में निरक्षरता बहुत है। परन्तु देश से निरक्षरता को समाप्त करने के हमारे अपने कार्यक्रम हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं।

हमने विज्ञान में भी तेजी से प्रगति की है। हमने 'इन्सेट-बी' और रोहिणी' उपग्रह बनाए हैं। सब कुछ तो किया जा रहा है।

मेरे मित्र ने यह आलोचना की है कि कांग्रेस शासन के इन तमाम 36 वर्षों में सार्थक कार्य कुछ भी तो नहीं किया गया है और कहते हैं कि पीने तक का पानी नहीं है। हम पंच वर्षीय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी आरम्भ से ही जनता से न केवल प्रगति करने के बारे में वायदे करती रही है, अपितु यह कार्य निष्पादन करके अपने वायदे पूरे भी करती रही है। विपक्ष जनता से कभी भी वायदे नहीं करता है और इसी लिए उनके द्वारा कार्य निष्पादन का कोई प्रश्न ही नही उठता है। यहां तक कि यदि विपक्ष जनता से कोई वायदे करता भी है तो जनता उस पर विश्वास नहीं करती है, उनमें रुचि नहीं लेती है और उन्हें स्वीकार नहीं करती है।

श्री चन्द्रजीत यादव का कहना है कि सत्तारूढ़ दल एक विभाजित सदन है। परन्तु विपक्ष तो पूर्णतया विभाजित है। हम कभी भी विभाजित नहीं रहे हैं। हम तो बिल्कुल एक रहे हैं। विपक्ष अभी भी विभिन्न दलों की एकता के प्रयास कर रहा है। आप अभी भी एक होने के लिए प्रयत्नशील हैं, परन्तु आपके लिए एक होना सम्भव नहीं है और आप कभी हो भी नहीं सकते हैं।

श्री समर मुखर्जी ने कहा है कि हमारी वोट प्राप्त करने वाली पार्टी हैं। मैं श्री मुखर्जी से, जो कि इस सभा के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, निवेदन करता हूं कि वह मुझे यह वताएं कि कौन-सी पार्टी उनके कल्याण की योजनाओं की कार्यान्विती के ठोस परिणाम लेकर मतदाताओं के समक्ष गई है?

हमारा प्रचार थोथा और मत प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं है। हम प्रत्येक गाँव, कस्बों और नगर के प्रत्येक घर में जाते हैं तथा सभी अनुसूचित जातियों और जन जातियों और विकलांगों के पास जाते हैं और उनको यह सिद्ध करके दिखाते हैं हमने उनका कल्याण किया है। हम तो सभी प्रकार के कार्यक्रम ला रहे हैं, हम से कोई कार्यक्रम बचा नहीं है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय, ये वे ही लोग थे जिन्होंने यह आलोचना की थी कि देश रसातल को चला जाएगा और बैंक दिवालिए हो जाएंगे और यह कि समग्र आर्थिक प्रणाली पूर्णतया नष्ट हो जाएगी। क्या ऐसा हुआ था? महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछता हूं कि आखिर हुआ क्या? आम आदमी कोई वचन दिए बिना बैंक जाकर रुपया ले सकता है और वापिस कर सकता है। जैसे कि प्रजातन्त्र में आशा की जाती है, क्या यह वैसे अवसर प्रदान नहीं कर रहा है? इस लोकतन्त्र में तो आनन्दित कर देने वाले अवसर हैं। परन्तु आप तो प्रजातन्त्रीय प्रणाली में तानाशाही परिणाम चाहते हैं। आप इस प्रकार विपरीत बातें कैसे कर सकते हैं? श्रीमती इन्दिरा गांधी इस देश को अनु-

शासित करना चाहती थीं, परन्तु उसे पूर्णरूपेण तानाशाही करार दिया गया। मुझे आपको यह बताते हुए खेद हो रहा है कि आपको अनुसासन नहीं चाहिए और आप सहयोग करना भी नहीं चाहते हैं। वर्तमान प्रणाली अच्छी है और हम प्रगति कर रहे हैं। हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टि पात करके ही इसको समझ सकते हैं। उन्होंने एशियाई खेलों की आलोचना की है? क्या यह काम नहीं है ? क्या 'चोगम' काम नहीं है ? क्या गुट-निरपेक्ष सम्मेलन काम नहीं है ? यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य नहीं करते हैं तो हम अपने देश को सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं ? हम अन्य देशों के साथ मित्रता कैसे रख सकते हैं ? हम अन्य देशों से कैसे सहयोग ले सकते हैं ? क्या आप इस विश्व में अलग-थलग रह सकते हैं ? अब दुनियां की दूरियाँ मिट गई हैं। महोदय, आपके माध्यम से में विपक्ष से सहयोग करने का निवेदन करता हूं। पंजाब का उल्लेख किया गया है, हरियाणा का भी उल्लेख हुआ है। हां, यह सच है। परन्तु वह यह भी जानते हैं कि इसमें किसका हाथ है और वह भी इसके बारे में बता रहे थे। क्या यह एक होने का समय नहीं है ? केवल उपदेश करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें काम करके दिखाना होता है। आपका कहना है कि कांग्रेस काम नहीं कर रही है, प्रधान मन्त्री कुछ नहीं कर रही हैं। आप भी योगदान क्यों नहीं करते ? मुझे श्री जान एफ केनैडी का एक वचन याद है : स्वयं से पूछिए कि आप देश को क्या दे सकते हैं और यह मत पूछिए कि देश आपको क्या दे सकता है ? स्वयं से पूछिए कि आपने जनता को, इस देश को क्या दिया है ? सभी एकता की बात करते हैं, परन्तु वे स्वयं विभक्त हैं—मेरे विपक्षी मित्र। उन्होंने क्या कार्यक्रम सुझाए हैं ? उनकी प्रति कार्यवाही क्या है ? हमने 20-सूत्री कार्यक्रम दिया है। हमने 5-सूत्री कार्यक्रम दिया है। हमने बेरोजगारी समाप्त करने के प्रयास किए हैं। हम पानी दे रहे हैं, तेल का उत्पादन कर रहे हैं, हम सब कुछ उत्पादित कर रहे हैं। क्या उन्होंने अपने भाषणों में, यहां तक कि अपने चुनाव भाषणों में कभी कोई योजना या कोई कार्यक्रम प्रस्तुत किया है ? केवल आलोचना करके विरोध प्रकट करने से काम नहीं चलेगा। यह प्रजातन्त्र है और आप जनता को बता सकते हैं कि आप हमसे अच्छे हैं और यदि लोग आपको स्वीकार कर लेते हैं तो ठीक है। परन्तु आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। आप तो आलोचना करते रहते हैं। पंजाब की समस्या सभी जानते हैं और हरियाणा में तो प्रतिक्रिया हुई है। दो गलतितां मिलकर एक सही नहीं हो सकती है। हम इसे जानते हैं और हल करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या असम में न्यायाधिकरण सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं ? क्या विदेशी नागरिकों के मामले को हल नहीं किया जा रहा है ? इसमें समय लगता है। यह प्रजातन्त्रीय प्रणाली है। परन्तु आप प्रजातन्त्र में तानाशाही के ढंग के परिणाम चाहते हैं। आप दो प्रतिकूल बातें कह रहे हैं। यह कैसे संभव हो सकता है ? महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने मित्रों से निवेदन करता हूं कि वे उन लोगों को भी देखें जो कि

हमारे कार्यक्रमों ने शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में दिए हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की स्थति पहले क्या थी और आज क्या है ? आज उनको भारी संरक्षण प्राप्त है। पहले कोई भी व्यक्ति जाकर, किसी भी स्त्री को बाहर खींचकर उसके साथ कुछ भी दुराचार कर सकता था। परन्तु आज कोई उन्हें छूने या दबाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी के कारण ही उन्हें यह संरक्षण प्राप्त हुआ है और इस सरकार के कारण ही उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही है। अब उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता है। यह तो सामाजिक स्थिति जो सुधर गई है और अब आर्थिक स्थिति को भी सुधारना है। हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और समंकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चल रहे हैं। वे उनका सर्वोत्तम लाभ उठा रहे हैं। वे अब बैंक में जाकर उन्हें यह कह सकते हैं 'मुझे गाय खरीदने के लिए ऋण दीजिए' या 'मुझे कुआं खोदने के लिए ऋण दीजिए।' हरिजनों और पिछड़े लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं केवल यह चाहता हूं कि सांसद जैसे सामाजिक कार्यकर्ता आम आदमी से कहीं अधिक गम्भीर हों। और उसकी कमी है। गरीबों के सहायतार्थ कुछ अभिकरण स्थापित किए जा रहे हैं। हमारे यहां प्रजातन्त्रीय प्रणाली है। यह जनता की सरकार है और जनता अपने अधिकारों को पाने पर दृढ हैं। वे सही हैं, परन्तु उनको कार्यान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है ? श्री चन्द्रजीत यादव ने नौकरशाही पर बड़ा तीखा प्रहार किया है। परन्तु नौकरशाह है कौन ? क्या वे हमारे ही भाई नहीं हैं ? क्या वे किसी अन्य देश के निवासी हैं, जो हम उनका आयात कर रहे हैं। वे तो हमारे ही भाई हैं तथा हमारे कार्यक्रमों की सफलता में भी उन्हें समान रुचि है। परन्तु ऐसे लोग भी हैं जिनके निहित स्वार्थ हैं और ऐसे बुरे व्यक्ति प्रत्येक वर्ग में होते हैं। परन्तु इसका अर्थ यह तो नहीं है कि हम पूरे आवे को निकृष्ट करार दे दें ? इस बात पर मैं उनसे असहमत हूं। अच्छे और प्रगतिशील लोग भी होते हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि ये सभी लाभ जनता को मिलें। वे सहायता करते रहे हैं। अतः इस संकट काल मे अखण्डता को खण्डित करना अच्छा या शुभ नहीं है।

पंजाब की समस्या को हल कर दिया जाएगा। हरियाणा की समस्या का भी समाधान असम की तरह हो जाएगा। परन्तु इसमें समय लगता है। विपक्षी दलों को सभी क्षेत्रों में हमें सहयोग देना चाहिए, क्योंकि यह देश के लिए अपरिहार्य है। यदि देश है तो हम भी हैं और देश रहता है तो प्रत्येक क्षेत्र, प्रदेश जीवित रह सकता है।

राष्ट्रवाद क्या है ? और हम अपने बच्चों और पौत्रों को इसकी कैसे शिक्षा दे रहे हैं ? हर मां-बाप को राष्ट्रवाद की कहानी का पता है। प्रत्येक अध्यापक को राष्ट्रवाद की शिक्षा देनी है और इसी प्रकार राजनीतिज्ञों और सांसदों को भी उसके बारे में पढ़ाया जाना है। बहुत

से लोग राष्ट्रवाद की भावना को भूलते जा रहे हैं। इसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। फिल्मों पर नियन्त्रण लगाया जाना चाहिए और फिल्मों और गीतों के माध्यम से, देश के युवकों में राष्ट्रवाद की भावना भरी जानी चाहिए। सभी सामाजिक परिस्थितियां एकमात्र होनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि राष्ट्रवादी गीत लिखने के लिए उन्हें गंभीर चेतावनी दे। यदि हम ऐसा कर देते हैं तो हम बहुत शीघ्र ही एक हो सकते हैं। विघटन के बीज कुछ विदेशियों ने बोए हैं, क्योंकि गुट-निरपेक्ष सम्मेलन, 'चोगम' और एशियाई खेलों की सफलता के बाद, वे लोग नहीं चाहते कि हम प्रगति करें और वे यह देखना चाहते हैं कि हम आपस में लड़ें-झगड़ें और हमारी प्रगति रुक जाए। बात ऐसी है। वे कर रहे हैं मैं श्री यादव की बात से सहमत हूं कि यही वे ईरान और ईराक में कर रहे हैं। इसी प्रकार वे यह भी देखना चाहते हैं कि हम लड़ें औरहानि उठाएं। परन्तु हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि आपस में लड़ें। हम अपने उत्तर-दायित्वों को जानते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमन्त्री को सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए। वह तो इन समस्याओं पर पूरा ध्यान दे रही हैं। मैं विपक्ष के सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इसमें तो वे कम से कम उनको सहयोग दें।

चुनाव बहुत दूर हैं। एक राजनेता अगली पीढ़ी की बात सोचता है, अगले चुनाव की नहीं। हमने अगले चुनावों की बात कभी नहीं सोची है, हम तो अगली पीढ़ी की बात सोचते हैं। अत: मैं अपने मित्रों से निवेदन करता हूं कि वे देश की एकता में सहयोग दें और देखें कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय जगत में शक्तिशाली बने और अधिक शक्तिशाली बनता रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह बात तो सही है कि आप अगली पीढ़ी की बात सोच रहे हैं, इसीलिए आपका एक नया नेता भी है।

श्री कमल नाथ झा (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने अपने बहुत से पूर्ववक्ताओं के भाषणों के अंश सुने और उनके पहले जो मूवर महोदय, धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक और समर्थक थे, उनके भी भाषण सुने। इस समय जिस परिस्थिति में हम लोग हैं, मैं यह देखता हूं—मैंने पहले भी एक बार इस सदन में कहा था—कि हिन्दुस्तान की राजनीति में आज बोलने के लिए बहुत सी बात नहीं रह गई है। मोटे तौर पर इण्डियन पौलिटिक्स में क्या बोला जाता है, अगर हम उसका जायजा लें तो दो ही बातें बोली जाती हैं—पहली निन्दा और दूसरी स्तुति। पहली शिकायत और दूसरी प्रशंसा। जब हम इस तरफ यानी सरकारी पक्ष के लोग बोलने के लिए खड़े होते हैं तो हम यह समझते हैं कि विरोधी दल की जितनी आलोचना

करें, जितना उनको भला-बुरा कहें और जितना कन्डेम करें, तो उसमें हम अपने कर्त्तव्य का पालन करते हैं। इसी तरह से जब विपक्षी लोग बोलने के लिए खड़े होते हैं तो वे समझते कि हैं सरकारी पक्ष के जितने नेता हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं उनको जितना कन्डेम कर सकें भला-बुरा कह सकें, उसमे हमने विरोध पक्ष के कर्त्तव्य का पालन किया। यानी हिन्दुस्तान की टोटल पॉलटिक्स हिन्दुस्तान की संपूर्ण राजनीति इन्हीं दो किनारों में बटकर चलती है—निन्दा और स्तुति। इसके परिणाम कितने घातक होते हैं—सदन के वरिष्ठ सदस्य इस समय मौजूद नहीं हैं, मैं इस सदन में दोनों पक्षों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति सिर्फ निन्दा करता है, सिर्फ आलोचना करता है, शिकायत करता है, उसका मैन्टल-फ्रेम क्रिमनल हो हो जाता है और जो व्यक्ति केवल स्तुति करता है, हाथ जोड़ता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वह नपुंसक हो जाता है, इम्पोटेन्ट हो जाता है। आज संपूर्ण इंडियन सोसायटी में, यह हंसने की बात नहीं है, केवल यही दो चीजें हैं—क्राइम और इम्पोटेन्सी। आप कहीं भी चले जाइये—कहीं डकेती होती है लोग टुकुर-टुकुर देखते हैं, कहीं औरत की इज्जत लूटी जाती है लोग टुकुर-टुकुर देखते हैं, कहीं घूसखोरी होती है लोग टुकुर-टुकुर देखते हैं, कहीं औरत को जिन्दा जलाया जाता है—कोई उनके खिलाफ बगावत नहीं करता है। इन्हीं दो पाटों के बीच में संपूर्ण भारत की पॉलिटिक्स चल रही है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : कोई अच्छा भाषण नहीं है।

श्री कमल नाथ झा : भाषण अच्छा हो या खराब हो, लेकिन यह रीयेलिटी है। मैं किसी को खुश करने या नाखुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। संसद का सदस्य होने के नाते मैं अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहा हूं। मैं चिन्ता नहीं करता हूं कि मेरे भाषण से कोई खुश होता है या कोई नाखुश होता है।

इसी भूमिका के साथ मैं कहना चाहता हूं कि विरोधी दल आज रात दिन हमारे लेप्सेज को, कमियों को खामियों को हमारे सामने रखते हैं—वह उनको रखना चाहिए। किसी भी डैमोक्रेसी में उनको रखने का अधिकार है, लेकिन विरोधी दलों का अपना भी कुछ पौजिटिव वर्क होना चाहिए। केवल हमारी सरकार की निन्दा करके विरोधी दल नए हिन्दुस्तान का निर्माण नहीं कर सकते। आज मैं आपके सीने पर हाथ रखकर पूछना चाहता हू कि चुनाव में हारने के बाद पिछले चार सालों के अन्दर एक-दो सालों तक तो आपकी ऊंघ नहीं टूटी, बैठे रहे, उसके बाद हिन्दुस्तान की अपोजीशन पार्टीज का वन-प्वाइन्ट प्रोग्राम रहा—तालमेल कैसे सब विरोधी दल मिलकर एक मोर्चा बनायें और मोर्चा बनाकर कांग्रेस को हटायें।

इसके सिवा कोई प्रोग्राम नहीं है विरोधी पार्टियों का देश के सामने या जनता के सामने। अखबारों के पन्ने उठाकर देख लो। आप पायेंगे कि तालमेल की बात आती है। आज दोस्ती और मिलन है तो कल बिछड़ाओ और इसके अलावा जो मैंने पहले कहा, निन्दा।

इस तरीके से हम जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं, उनको भी अपनी कमजोरी का अहसास है। आज हम सत्ता से चिपक गए हैं ओर जनता से इतने दूर होगए हैं कि हिन्दुस्तान के गांवों में आज एक वेकुअम है। आज समूचा गांव खाली है और कोई उसको देखने वाला नहीं है और कोई आर्गेनाइज करने वाला नहीं है चाहे रूलिंग पार्टी हो और चाहे अपोजीशन पार्टी हो। कनसेन्ट्रेट कर लिया है लीडर के आसपास, प्राइम मिनिष्टर के आसपास, चीफ मिनिस्टर और छोटे मिनिस्टर के आसपास और पावर की सीट के आसपास और जनता का मोर्चा खाली जगह में भूत रहता है, शैतान रहता है, यह आप जानते ही हैं। इसलिए आज हिन्दुस्तान के गांव में जो चीज चला दो, चल जाएगी आज वहां भ्रष्टाचार हो रहा है। 10 परसैन्ट घूस बैंकों के लोन में लिया जा रहा है। वहां पर सारे लोग भ्रष्ट हैं। आप क्यों नहीं इसके लिए सत्याग्रह करते हैं। कोई सरकार रोकती है आपको इसके लिए। इसी वजह से आज हिन्दुस्तान के गांवों में कास्टइज्म बढ़ रहा है, गांवों में कम्युनिज्म बढ़ रहा है। आज गावों में ये सब क्यों बढ़ रहे हैं और गांवों में क्राइम क्यों बढ़ रहा है? आज वे बेसहारा हैं। क्या यह सच बात नहीं है? मैं बिहार की बात आपको बताता हूं। चम्पारम में सैकड़ों आदमियों से, हजारों आदमियों से फिरौती ली है और उनको मारा जा रहा है और कोई इसको देखने वाला नहीं है। अपराधी वीर बन रहे हैं क्योंकि--कोई भी राजनीतिक दल—इस पक्ष की या उस ओर की उनकी निन्दा नहीं करती है इसलिए आज भिंडरावाले की बात चलती है, आज यहां कम्युनिज्म चलता है और एन्टी-नेशनलइज्म चलता है। अगर नेशनलइज्म की ताकत मजबूत हुई होती 30 सालों में और अगर सोशलइज्म की ताकत यहां 30 सालों में मजबूत हुई होती, तो आज कैसे यह एन्टीनेशलइज्म चलता। आज सोशलइज्म की ताकत मजबूत रही होती, तो कैसे कम्युनिज्म चलता। यह एक क्वेश्चन मार्क है? हमारी आवाज को आप बन्द कर सकते हैं लेकिन इतिहास की आवाज को बन्द नहीं कर सकते और यह फेल्योर अगर होगा तो केवल रूलिंग पार्टी का ही नहीं होगा बल्कि इण्डिया की पालीटिक्स का होगा और अगर इन्डिया का होगा, तो कौन से इन्डिया का। उस इन्डिया का, जिसने एक नया कल्चर वर्ल्ड को दिया एक नई सहायता और नई वेल्यूज—वर्ल्ड को दीं। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक क्रान्ति कर के दुनियां की क्रान्ति में एक नया मानक जोड़ा। जिस इन्डिया ने पं० जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक बैकवर्ड कन्ट्री ने पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी इस्टाबिल्स करके और एडल्ट

फ्रेनाइज 80 परसैन्ट इल्लिट्रेट लोगों को देकर चला कर दिखाई, जिस इंडिया ने एक बकवर्ड कन्ट्री में डेमोक्रेटिक सेट-अप का आकार सबको दिया। हमारे समर मुखर्जी यहां पर बोल रहे थे। आप के यहां तो **डिक्टेटरशिप आफ दि प्रोलीटेरियल** और **रेजीमेन्टेशन आफ गवर्नमेंट** है। आपके यहां बहुत सी खमियां हैं और बहुत सी खूबियां भी हैं लेकिन 70 करोड़ आदमियों को भाषण की स्वतन्त्रता देते हुए पं० जवाहरलाल नेहरू ने 90 हजार रुपये का पब्लिक सेक्टर बनाया और यहां पर कम्युनिस्ट भी बोल सकता है, जनसंघी भी बोल सकता है, कम्युनलिस्ट भी बोल सकता है और एन्टी-नेशनेलिस्ट भी बोल सकता है। आज इन्दिरा गांधी के बनाये हुए कानून को हाई कोर्ट का जज रद्दी की टोकरी में फेंक सकता है। यह डेमोक्रेसी है, ये हमारी वेल्यूज हैं। हम वेल्यूज देते हुए, मनुष्य को स्वतन्त्रता देते हुए सोशलिज्म की तरफ़ जा रहे हैं। हमारी गति स्लो है। लेकिन संसार में आज तक कहीं भी ऐसा एक्सपेरीमेंट नहीं हुआ। हम वर्ल्ड के सामने नई वेल्यूज पैदा करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारा काम बहुत कठिन है।

हम इस बात को जानते हैं कि दुनियां में हमारे कितने दोस्त हैं, कितने दुश्मन हैं। लेकिन हिन्दुस्तान किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, हिन्दुस्तान को भले ही कोई अपना दुश्मन या दोस्त समझे। क्योंकि हिन्दुस्तान एफ प्रिंसिपल पर चलता है और हमने बराबर इस बात को माना है कि कार्ल मार्क्स के पास कोई बन्दूक या तोप नहीं थी आप कम्युनिस्ट भाई यह न समझें कि उसके पास कोई तोप थी। यह कार्ल मार्क्स का प्रिंसिपल था जिसने आधी दुनिया को हंसिया और हथौड़ा दिया। मौहम्मद का प्रिंसिपल था जिसके सामने दुनियां झुकी ईसा का प्रिंसिपल था जिसके सामने दुनियां झुकी।

आज हिन्दुस्तान को, हमारी ताक़त से मत तौलो हमारी गरीबी से मत तौलो, हमको हमारे प्रिंसिपल से तौलो। आज दुनियां इन्दिरा गांधी के पास कितने हथियार हैं, इससे इन्दिरा गांधी का असेसमेंट नहीं कर रही है। आज इन्दिरा गांधी के खजाने में कितना पैसा कितना सोना है, इससे उनका असेसमेंट नहीं हो रहा है। इन्दिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी और भारत की जनता के पास क्या प्रिंसिपल है, इससे उसका असेसमेंट हो रहा है और यही असेसमेंट है कि हम गरीब रहते हुए, कमजोर रहते हुए भी, आज दुनियां में हमारी इज्जत है। हमारी इज्जत किसी से कम नहीं है। यह प्रिंसिपल की वजह से है।

आज हम अगर तिलमिलाते है, अगर हम परेशान होते हैं, हमको घबराहट होती है तो वही प्रिंसिपल हमको सहारा देता है जिसको कि हमने एक साल में या एक दिन में नहीं, हजारों वर्षों में सीखा है। आज एक साजिश चल रही है कि वेल्यूज और इन प्रिंसिपल्स, इन सिद्धान्तों की हत्या हो। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे इन्ट्रेस्टस डेमोक्रेसी में सेफ हैं और सेफ रहेंगें।

हमारे यहां गरीबी है और यह गरीबी की समस्या एक दिन की समस्या नहीं है कि हम चुटकी बजा देंगे और गरीबी मिट जायेगी। कभी गरीबी घटेगी, कभी गरीबी बढ़ेगी लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है हमारे एग्जिसटेश का। आप डाएलेक्टिकल मैटीरियलिज्म में

विश्वास करते हैं, हिस्टोरीकल मैटीरियलिज्म में विश्वास करते हैं लेकिन इन्डिया को राम और कृष्ण जैसे बड़े सपूत मिले। उन सपूतों को भगवान माना जाता है। राम ने नार्थ से साऊथ, अयोध्या से श्रीलंका तक यूनाईट किया, कृष्ण ने पूर्व से पश्चिम, द्वारिका से मणिपुर और उत्तार से दक्षिण तक यूनाईट किया। अशोक द ग्रेट जिसने दुयिया को नेपोलियन की तरह जीता लेकिन अपनी तलवार को तोड़ दिया और गेरुआ वस्त्र पहन कर बुद्धं शरणं गच्छामि के साथ दो-तिहाई मानव-जाति को अहिंसा में कंवर्ट किया। यह मैथोलोजी नहीं है। राम और कृष्ण अगर मैथोलौजी है तो अशोक हिस्ट्री है। जब लोगों ने स्कूल का नाम नहीं सुना था, कालिज की बात तो छोड़ दीजिए, तब तीस हजार विद्यार्थी हमारे यहां नालन्दा में पढ़ते थे आज भी मेरी कल्चर जिंदा है, अशोक द ग्रेट से जिंदा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री झा, आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महोदय, उन्होंने अशोक से अपना भाषण आरम्भ किया है और गांधी पर आते-आते उन्हें बहुत समय लग जाएगा।

18.00

कार्य मंत्रणा समिति

(55 वां प्रतिवेदन)

संसदीय कार्य, खेल और निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री बूटासिंह) : महोदय, कार्य-मन्त्रणा समिति का 55 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

6.0/म० द०

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 28 **फरवरी,** 1984/9 **फाल्गुन,** 1905 **(शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थापित हुई।**

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, दिल्ली-110006